विषय-सूची

खंड २८

विषय — पृष्ठ-संख्या

बुधवार, २९ अक्तूबर, सन् १९५२ ई०

गुरुवार, ३० अक्तूबर, सन् १९५२ ई०

सोमवार, ३ नवम्बर, सन् १९५२ ई०

[मं]गलवार, ४ नवम्बर, सन् १९५२ ई०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

के

पदाधिकारी

चेयरमैन

श्री चन्द्र भाल।

डिप्टी चेयरमैन

श्री निजामुद्दीन ।

सेक्रेटरी

श्री श्याम लाल गोविल, एम० ए०, एल-ए० बी०।

सरकार

गवर्नर

श्री कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी

मंत्रि परिषद्

पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त, बी० ए०, एल-एल० बी०, मुख्य मंत्री, सामान्य प्रशासन तथा नियोजन मंत्री।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम, बी० ए०, एल-एल० बी०, वित्त तथा विद्युत् मंत्री।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द, बी० एस-सी०, गृह तथा श्रम मंत्री।

श्री हुकुम सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, पुनर्वास तथा उद्योग मंत्री।

श्री गिरधारी लाल, एम० ए०, सार्वजनिक निर्माण मंत्री।

श्री चन्द्र भानु गुप्त, एम० ए०, एल-एल० बी०, खाद्य तथा स्वास्थ्य मंत्री।

श्री चरण सिंह, एम० ए०, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, माल तथा कृषि मंत्री।

श्री सैयद अली जहीर, बार-एट-ला, न्याय तथा आबकारी मंत्री।

श्री हर गोविन्द सिंह, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, शिक्षा तथा हरिजन सहायक मंत्री।

श्री मोहन लाल गौतम, बी० ए० (आनर्स), स्वशासन मंत्री।

श्री कमला पति त्रिपाठी, सूचना तथा सिंचाई मंत्री।

श्री विचित्र नारायण शर्मा, परिवहन तथा सहकारी मंत्री।

उप-मंत्री

श्री मंगला प्रसाद, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, संसदीय प्रक्रिया तथा सहकारी उप-मंत्री।

श्री जग मोहन सिंह नेगी, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, बन उप-मंत्री।

श्री फूल सिंह, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, नियोजन उप-मंत्री।

श्री जगन प्रसाद रावत, बी० एस-सी०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, कृषि उप-मंत्री।

श्री मुजफ्फर हसन, विधान सभा सदस्य, जेल उप-मंत्री।

श्री चतुर्भुज शर्मा, बी० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री।

श्री राम मूर्ति, एम० ए०, एल-एल० बी०, विधान सभा सदस्य, सिंचाई उप-मंत्री।

सभा सचिव

मुख्य मंत्री के सभा-सचिव

श्री कृपा शंकर, विधान सभा सदस्य।

खाद्य तथा स्वास्थ्य मंत्री के सभा-सचिव

१--श्री बनारसी दास, विधान सभा सदस्य।
२--श्री बलदेव सिंह आर्य, विधान सभा सदस्य।

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव

डाक्टर सीताराम, एम० एस-सी० (विस०), पी० एच० डी०, विधान सभा सदस्य।

माल तथा कृषि मंत्री के सभा-सचिव

श्री द्वारिका प्रसाद मौर्य, विधान सभा सदस्य।

उद्योग तथा पुनर्वास मंत्री के सभा-सचिव

श्री रऊफ जाफरी, एम० ए०, विधान सभा सदस्य।

सदस्यों की वर्णात्मक सूची तथा उनके निर्वाचन-क्षेत्र

अब्दुल शकूर नजमी, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री	...	नाम निर्देशित।
इन्द्र सिंह नयाल, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र।
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर	...	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र।
उमानाथ बली, श्री	...	नाम निर्देशित।
एम० जे० मुकर्जी, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
कन्हैया लाल गुप्त, श्री	...	अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र।
कुंवर गुरु नारायण, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
कुंवर महावीर सिंह, श्री	...	,,
केदार नाथ खेतान, श्री	...	,,
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री	...	,,
खुशाल सिंह, श्री	...	,,
गोविन्द सहाय, श्री	...	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र।
चन्द्र भाल, श्री (चेयरमैन)	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
जगन्नाथ आचार्य, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र।
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री	...	,,
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री	...	,,
तारा अग्रवाल, श्रीमती	...	नाम निर्देशित।
तेलू राम, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र।
दीप चन्द्र, श्री	...	,,
नरोत्तम दास टन्डन, श्री	...	,,
निजामुद्दीन, श्री (डिप्टी चेयरमैन)	...	,,
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री	...	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र।
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
प्रभु नारायण सिंह, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र।
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री	...	,,
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री	...	,,
पन्ना लाल गुप्त, श्री	...	,,
परमात्मानन्द सिंह, श्री	...	,,
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर	...	अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र।
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
बशीर अहमद, श्री	...	,,
बालक राम वैश्य, श्री	...	,,
बाबू अब्दुल मजीद, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र।
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री	...	अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र।
बीर भान भाटिया, डाक्टर	...	नाम निर्देशित।
वेणी प्रसाद टंडन, श्री	...	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र।
वंशीधर शुक्ल, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षत्र।
ब्रज लाल वर्मन (हकीम), श्री	...	,,
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर	...	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र।
महमूद अस्लम खां, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचनबक्षेत्र।
महादेवी वर्मा, श्रीमती	..	नाम निर्देशित।

मानपाल गुप्त, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र।
मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर	..	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र।
राजाराम शास्त्री, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
राना शिव अम्बर सिंह, श्री	...	,,
राम किशोर रस्तोगी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र।
राम किशोर शर्मा, श्री	...	अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र।
राम नन्दन सिंह, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
राम लखन, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र।
राम लगन सिंह, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री	...	नाम निर्देशित।
रुक्नुद्दीन खां, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
लल्लू राम द्विवेदी, श्री	..	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र।
लालता प्रसाद सोनकर, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
लाल सुरेश सिंह, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र।
विजय आफ विजयानगरम्, डाक्टर,	...	
महाराज कुमार	...	नाम निर्देशित।
विश्वनाथ, श्री	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री	...	अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र।
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती	...	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
शान्ति देवी, श्रीमती	...	,,
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती	...	,,
शिव सुमिरन लाल जौहरी, श्री	...	स्थानीय संस्थायें निर्वाचन-क्षेत्र।
श्याम सुन्दर लाल, श्री	..	विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र।
सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद, श्री	...	,,
सभापति उपाध्याय, श्री	..	नाम निर्देशित।
सरदार सन्तोष सिंह, श्री	...	,,
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री	...	,,
हृदय नारायण सिंह, श्री	...	अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र।
हयातुल्ला अन्सारी, श्री	...	नाम निर्देशित।
हर गोविन्द मिश्र, श्री	...	

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

———o———

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

———o———

उपस्थित सदस्य (५०)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टण्डन, श्री
निज़ामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रभू नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
मान पाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रोफ़ेसर
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय आनन्द आफ़ विज़यानगरम, डाक्टर, महाराजकुमार
विश्वनाथ, श्री
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति देवी, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य-प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री) भी उपस्थित थे।

———

प्रश्नोत्तर

सन् १९४९ से बिना पब्लिक सर्विस कमीशन को सूचित किये हुये की गई नियुक्तिया

१—श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार १९४९ ई० से की गई उन नियुक्तियों की एक सूची मेज पर रखने की कृपा करेगी जो बिना पब्लिक सर्विस कमीशन को सूचित किये हुये की गईं ?

1. **Sri Kunwar Guru Narain**—(*Lagislative Assembly Constituency*)—Will the Government place on the table of the House a list of appointments made by them since 1949 without referring to the Public Service Commission ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)—नियुक्तियों के विषय में कमीशन के साथ परामर्श यू० पी० पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन आफ फंक्शन्स) रेगुलेशन्स के अधीन किया जाता है, जिसकी एक प्रति मेज पर रख दी गई है। इन रेगुलेशनों (विनियमों) के अनुसार कुछ प्रकार की नियुक्तियां कमीशन से कोई संबंध नहीं रखतीं और इसलिये इन नियुक्तियों के बारे में कमीशन से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। माननीय सदस्य का ध्यान कमीशन के वार्षिक रिपोर्ट की ओर आर्कषित किया जाता है जिससे ऐसे विषयों पर हर साल विचार किया गया है।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—(*Minister for Finance*)—Consultation with the Commission in the matter of appointments is governed by the U. P. Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, a copy of which is placed on the table. According to these Regulations, certain types of appointments fall outside the purview of the Commission, and consultation with the latter about these appointments is not, therefore, necessary. The Hon'ble Member is referred to the annual reports of the Commission in which such matters have been dealt with every year.

Sri Kunwar Guru Narain—The reply given is not clear to me. I want to ask the Minister what are the appointments in which the Public Service Commission should have been necessarily consulted, but it was not consulted ?

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—Does the Hon'ble Member ask for the law or any case ?

Sri Kunwar Guru Narain—Sir, my question is this. Will the Govt. place on the table of the House a list of appointments made by them since 1949 without referring to the Public Service Commission ? I want the list of such appointments. Ordinarly, appointments made by the Government should have been made after referring to the Commission, but some appointments were made without reference to the Commission. I want to know what are those appointments ?

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The answer is already there in the reply given by me. Certain types of appointments are outside the purview of the Commission and appointments are made without reference to the Public Service Commission. The question is not this that those cases in which a reference was necessary to the Public Service Commission, but were not referred to the Commission.

Sri Kumar Guru Narain—My question was quite clear and it was this, will the Government please lay on the table a list of appointments made by them since 1949 without referring to the Public Service Commission ? There is nothing in the question which asks the appointments which are outside the purview of the Commission. The question does not ask such cases which should or should not have been referred to the Public Service Commission. It asks the list of appointments which should have been referred to the Commission but was not referred.

Chairman—We cannot discuss the reply. We must take the reply as it is given.

२—श्री कुंवर गुरु नारायण—क्या सरकार ने कोई ऐसा समय निश्चित किया है जिससे पहले कर्मचारी को, जिसको सरकार ने अपनी तुरन्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये रखती है मुस्तकिल होने के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जाना पड़े ?

३—यदि नहीं, तो क्यों ?

2. **Sri Kunwar Guru Narain**—Have the Government fixed any period before which the incumbent employed by them to meet their immediate needs has to appear before the Public Service Commission for confirmation?

3—If not, why not ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (२–३)—सदस्य का ध्यान पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन आफ फंक्शन्स) रेगुलेशन्स के रेगुलेशन ३ के वाक्यखंड (१) की मद (जी) और (एच) की ओर आकर्षित किया जाता है।

3. **Sri Hafiz Mohammad Ibrahim** (2-3)—The attention of the Member is invited to items (g) and (h) of clause (1) of Regulation 3 of the Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations.

४—श्री कुंवर गुरु नारायण—क्या पब्लिक सर्विस कमीशन ने हाल ही में सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि एक विशेष मामले में सरकार द्वारा की गई नियुक्ति को ४ वर्ष के बाद भी कमीशन को सूचित नहीं किया गया ?

4. **Sri Kunwar Guru Narain**—Has the Public Service Commission recently brought to the notice of the Government that in one particular case an appointment made by the Government was not referred to the Commission even after four years?

श्री हाफिज़ महम्मद इब्राहीम—सदस्य के ध्यान में जो विशेष मामला है उसके बारे में स्पष्ट विवर्ण न होने के कारण किसी ऐसे मामले का पता लगाना संभव नहीं हुआ।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—It has not been possible to locate any such case in the absence of specific details about the particular case which the Member has in view.

Sri Kunwar Guru Narain—In the answer it has been suggested that it has not been possible to locate any such case in the absence of any specific details but in the annual report of the Public Service Commission it has been mentioned that the case has been there and the appointment was made by the Government and it was referred to the Public Service Commission afterwards. I want to know what is that particular case which has been mentioned in the annual report of the Public Service Commission.

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—Probably to answer this question the report of the Commission was not seen by those who had to answer the question. They may not be knowing what particular question is referred to in the report. They have not followed it. It has not been possible to locate the particular case which the member wants to know.

Sri Kunwar Guru Narain—Sir, in the report the case has not been mentioned. I want to enquire from Government what is that case which is mentioned in the annual report.

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—I do not know myself what is there without referring to the Report itself.

५—श्री कुंवर गुरु नारायण—स्थगित।

मिनिस्ट्रीयल जगहों पर भर्ती के लिये परीक्षा

६—**श्री कुवर गुरु नारायण**—क्या सरकार मिनिस्ट्रीयल जगहों की भर्ती के लिये एक मुकाबले का इम्तहान लेने के औचित्य पर विचार करना चाहती है जैसा कि कुछ दूसरे राज्यों में होता है?

6. **Sri Kunwar Guru Narain**—Do the Government propose to consider the advisability of holding a competitive examination annually for recruitment to the ministerial posts as is done in some other States ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—सेक्रेटेरियट और सबआर्डिनेट आफिसों दोनों ही में, मिनिस्ट्रीयल जगहों पर भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षायें लेने की प्रथा पहले ही से जारी है।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The system of holding competitive examinations for recruitment to ministerial posts, both in the Secretariat and in the subordinate offices, is already in force.

Sri Kunwar Guru Narain—Does the Government propose to ask the Public Service Commission to hold a competitive examination among the legislators for the purpose of recruiting candidates for the Cabinet posts ?

Chairman—I cannot allow this question. Only questions seeking informaton can be asked. There should be no insinuation on the Government.

७—८—श्री कुंवर गुरु नारायण—स्थगित।

९-२२—श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

पन्चक्कियों की नालियों से बिजली पैदा होना

२३--श्री इन्द्र सिंह नयाल--क्या सरकार ने इस बात को निश्चित रूप से मालूम कर लिया है कि पहाड़ियों में पन्चक्कियों की नालियों से पानी के बहाव से उत्पन्न होने वाली शक्ति या उसमें और किसी प्रकार की रद्दोबदल करने से बिजली पैदा हो सकती है ?

23. Sri Indra Singh Nayal—Has the Government ascertained whether electricity can be generated by the water-power afforded by the channels of the water-mills in the hills or by a modification of the same ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--पन्चक्कियों की नालियों से काफी बिजली उत्पन्न नहीं की जा सकती क्योंकि नाली के सिरे (head) में पानी बहुत कम होता है ।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—It is not possible to generate sufficient electricity from the channels of the water mills as the amount of the water in the head is far too low.

२४--श्री इन्द्र सिंह नयाल--यदि हां, तो क्या सरकार ने या उसके किसी अफसर ने इस प्रश्न को अच्छी तरह अध्ययन किया है और इस बात का भी शुमार लगाया कि इस प्रकार कितनी बिजली की शक्ति पैदा हो सकती है ?

24. Sri Indra Singh Nayal—If so, has the Government or any of its officials studied the question and calculated the amount of electric energy that can thus be generated ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--पन्चक्कियों की नालियों से सिर्फ एक एच० पी० बिजली पैदा की जा सकती है ?

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The amount of electric energy which can be generated from these water mills is about 1 H. P.

२५--श्री इन्द्र सिंह नयाल--यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके इसके संबंध में की गई छान-बीन का परिणाम बताने की कृपा करेगी।

25. Sri Indra Singh Nayal.—If so, will the Government please state the result of the investigation ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह सवाल पैदा नहीं होता।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The question does not arise.

२६--श्री इन्द्र सिंह नयाल--यदि नहीं, तो क्या सरकार इस प्रश्न की छान-बीन करने के लिये कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

26. Sri Indra Singh Nayal—If not, do the Government intend to take steps to investigate the question ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह सवाल पैदा नहीं होता।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The question dose not arise.

२७—**श्री इन्द्र सिंह नयाल**—क्या सरकार ने यह भी निश्चित रूप से मालूम कर लिया है कि इस प्रकार जो बिजली की शक्ति पैदा होगी वह कुटीर उद्योगों में हैंडलूम और चर्खों के चलाने और अन्य प्रकार से इस्तेमाल की जा सकती है ?

Sri Indra Singh Nayal—Has the Government also ascertained whether the electric energy thus generated can be utilised cottage industries for operating handlooms, *Charkhas* and also in various other ways ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बिजली की मात्रा बहुत कम होने की वजह से वह हैंडलूम चर्खा वगैरह चलाने के लिये काफी नहीं है।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The amount of energy is too small and not sufficient for operating handlooms, *charkhas* etc.

२८—**श्री इन्द्र सिंह नयाल**—यदि नहीं, तो क्यों ?

28. **Sri Indra Singh Nayal**—If not, why ?

हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सवाल पैदा नहीं होता।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The question does not arise.

२९—**श्री इन्द्र सिंह नयाल**—यदि प्रश्न संख्या २७ का उत्तर हां में है, तो क्या सरकार पहाड़ियों पर इस प्रकार के कुटीर उद्योगों के तरीक़े को रायज करने के लिये कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

29. **Sir Indra Singh.**—If the answer to question no. 27 be in the affirmative, do the Government intend to take steps to introduce this system of cottage industries in the hills ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह सवाल पैदा नहीं होता।

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim—The question does not arise.

३०—३४—**श्री राम नन्दन सिंह** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

नये मकान बनाने वालों को बिजली का कनेक्शन

प्रा० सं० ता० ४ ६-१०-५२

३५—**श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन**—(क) क्या सरकार ने नये मकान की नीति को प्रोत्साहन देने के लिये कभी कोई ऐसी आज्ञा निकाली थी कि नये मकान बनाने वालों को बिजली का कनेक्शन (Connection) दिया जावेगा ?

(ख) यदि निकाली थी, तो कब ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(क) जी हां। एक आज्ञा निकाली गई थी लेकिन यह आज्ञा सिर्फ हाइडल एरिया के बाहर वाले क्षेत्रों के वास्ते थी।

(ख) १८ जून, १९४८।

३६--श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन--(क) क्या सरकार ने बिजली के कनेक्शन्स (Connections) के कुछ तबादले (shiftings) एक मकान से दूसरे मकान में मथुरा शहर में मंजूर और कुछ नामंजूर किये हैं?

(ख) किन-किन लोगों के तबादले नामंजूर किये हैं और किन आधार पर?

(ग) किन-किन लोगों के मंजूर किये हैं और किन आधार पर?

(घ) क्या श्री रामनाथ मुख्तार, मेम्बर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को ऐसा तबादला दो बार जनवरी सन् १९५१ और ५-५-५१ को अस्वीकार किया गया है? यदि किया गया है, तो किस आधार पर?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(क) बिजली के कनेक्शनों के तबादले की सब अर्जियां इधर हाल के सालों में मंजूर कर दी गयी थीं।

(ख) कनेक्शनों के तबादले की सभी दरख्वास्तें इधर हाल के सालों में नामंजूर कर दी गई हैं, चूंकि यह तबादले क़ानूनी पेचीदगियां पैदा करते हैं।

(ग) इधर हाल के सालों में कोई भी दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई। चूंकि यह तबादले कानूनी पेचीदगियां पैदा करते हैं।

(घ) जी हां, नामंजूरी की वजह यह थी कि बिजली के कनेक्शनों के तबादले के वास्ते क़ानूनन इजाजत नहीं दी जा सकती थी।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन--यह जो कानूनी पेचीदगियां इसमें पैदा हो गई हैं कि जिन लोगों ने टेम्पोरेरी कनेक्शन्स की दरख्वास्तें दी हैं उनके लिये ही कानूनी पेचीदगियां आईं, मगर जिन्होंने परमानेण्ट कनेक्शन्स के लिये दरख्वास्तें दी थीं, उनके लिये कानूनी पेचीदगियां क्यों आईं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जो टेम्पोरेरी कनेक्शन्स हैं उनको मुस्तकिल करना या न करना गवर्नमेंट के अख्तियार में है मगर एक जगह से दूसरे जगह कनेक्शन हटाने में ये पेचीदगियां पैदा हो गई हैं। गवर्नमेंट ने आर्डर दिये हैं। एक दफ़ा एक साहब ने उस पर मुक़दमा दायर किया, अदालत ने तय किया है कि जितने कनेक्शन्स इस तरह के हों, उनको हटा कर के दूसरी जगह के लिये इजाज़त दे दे। इसीलिये ये कानूनी पेचीदगियां आ गई हैं।

३७--श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन--(क) क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि मथुरा से एक साल के अन्दर १९५१ में बिजली के नये कनेक्शन्स (Connections) की कितनी दरख्वास्तें सरकार के पास आईं।

(ख) उनमें से कितनी स्वीकार हुईं और कितनी अस्वीकार हुईं और किस नीति से यह स्वीकार और अस्वीकार हुईं?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--(क) लगभग २८०।

(ख) १२१ आर्ज़ी (Temporary) कनेक्शन्स मंजूर किये गये थे चूंकि इनकी दरख्वास्तों के साथ माक़ूल डाक्टरी सर्टिफ़िकेट मौजूद थे। इस क़िस्म की ३७ दरख्वास्तें नामंजर कर दी गईं चूंकि इनके साथ माक़ूल सर्टिफ़िकेट नहीं थे। बिजली की कमी की वजह से मुस्तक़िल (Permanent) कनेक्शनों की १२२ दरख्वास्तें मंजूर नहीं की जा सकीं।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन---क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है कि पहले अस्थायी कनेक्शन (Connection) दिया जावे और फिर स्थायी दिया जावे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम-----जी नहीं।

३९---**श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन**---यदि नहीं, तो मथुरा में लगभग ६० कनेक्शन्स (Connections) एक दम किस आधार पर स्थायी कर दिये गये ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---मोहम्मद पुर पावर हाउस से बिजली मिलने के सबब से हाइडिल ग्रिड एरिया में सब आर्ज़ी कनेक्शन जिनमें मथुरा के भी आर्ज़ी कनेक्शन शामिल हैं मुस्तक़िल कर दिये गये हैं।

४०---**श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन**---किस आधार पर सरकार वेट्स (Watts) नियत करती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---वाट्स (Watts) नियत करने के लिये कोई खास क़ायदे नहीं हैं। इनका निश्चय कनेक्शन मंजूर करने वाले अधिकारी, दरख्वास्तों में दी गयी सूचना पर अपने फ़ैसले के मुताबिक़ करते हैं।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन---इस प्रश्न के संबंध में यह फरमाया गया कि उसके लिये कोई कायदा नहीं है। तो क्या गवर्नमेंट मुनासिब समझती है कि उनके लिये कोई खास कायदे बना लिये जायं और उसमें यह मुनासिब समझा जाय कि जो आफीसर कन्सर्न हैं, उनके डिसक्रिसन पर यह छोड़ दिया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---यह चीज ऐसी है कि कायदों से गवर्न नहीं हो सकती है, मौके पर लोगों को इस पर अपना डिसक्रिसन इस्तेमाल करना पड़ता है।

४१---**श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन**---(क) क्या यह ठीक है कि बृन्दाबन में केवल ५८ K. W. A. की बिजली स्वीकृत है किन्तु कार्यरूप में १२५ K. W.A. तक बिजली का प्रयोग होता है ?

(ख) क्या यह ठीक है कि मथुरा में ५०० K. W. A. स्वीकृत है और ६०० K.W. A. तक का प्रयोग होता है।

(ग) यदि भाग (क) और (ख) का उत्तर हां में है, तो मथुरा को बृन्दावन की अपेक्षा अधिक बिजली क्यों नहीं दी जाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम----(क) वृन्दावन के वास्ते मंजूरशुदा मांग ५८ किलोवाट है लेकिन कभी-कभी यह ११० किलोवाट तक पहुंच गई है।

(ख) मथुरा के वास्ते मंजूरशुदा मांग ५०० के० डब्ल्यू० ए० है, लेकिन कभी-कभी यह ५७५ के० डब्ल्यू० ए० तक पहुंच गई है।

(ग) वृन्दावन या मथुरा में मंजूरशुदा बिजली की मांग से ज्यादा बिजली इस्तेमाल होने के यह माने नहीं हैं कि इन जगहों को और ज्यादा बिजली दी गई है। सब शहरों की मांगों का फ़ैसला उन शहरों की अपनी अलग-अलग आवश्यकताओं पर ही किया जाता है न कि किसी एक निस्वत पर।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन---वृन्दावन और मथुरा के किलोवाट की संख्या जो दी गई है और जैसा कि जवाब से ज़ाहिर है कि बृन्दावन बहुत छोटा कस्बा है, उसमें तो जितनी किलोवाट मुक़र्रर है, उससे दुगुनी ख़र्च हुई, लेकिन मथुरा में जहां कि अधिक ख़र्च होना चाहिये, उसकी सवाई बिजली भी ख़र्च नहीं हुई। तो क्या गवर्नमेंट इस तरफ़ तवज्जह देगी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---यह बात नहीं है कि वृन्दावन में ज्यादा बिजली दी जा रही हो। मथुरा के मुताल्लिक़ जो आप ने अर्ज़ किया, तो मथुरा से बृन्दावन जो तार गया है, उसमें ख़राबी हो गई है और इस साल के बजट में इसके लिये रुपया रखा गया था ताकि उस को तब्दील करा सकें। तो लाइन की ख़राबी की वजह से वहां के बिजली का वाल्टेज ज्यादा गिर जाता है और वहां के वाल्टेज भी बजाय ५८ के ११० तक पहुंच गया। वह वाल्टेज अगर ठीक हो जायेगा तो यह किस्सा जाता रहेगा।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल---श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ का उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने को विधेयक को मेज़ पर रखता हूं। यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १९ अक्तूबर, सन् १९५२ को पारित हुआ और यहाँ २५ अक्तूबर सन् १९५२ ई० को आया।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल--श्रीमान् जी की आज्ञा से मैं सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक को मेज पर रखता हूं। यह विधेयक उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा १९ अक्तूबर सन् १९५२ ई० को पारित हुआ और यहां २५ अक्तूबर, सन् १९५२ ई० को आया। माननीय स्पीकर ने यह प्रमाणित किया है कि यह एक धन विधेयक है।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---

Sir, I beg to introduce the Uttar Pradesh Fire services (Amendment) Bill, 1952.

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल---श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी (टेम्पोरेरी पावर्स आफ कण्ट्रोल) (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति २९ सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का २१वां ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी एकोमोडेशन) रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (टेम्पोरेरी ऐकोमोडेशन) रिक्वीजीशन (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ३० सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का २२वां ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ़ सप्लाईज़ (कण्टीन्यूएंस आफ़ पावर्स) (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश कंट्रोल आफ़ सप्लाईज़ (कन्टीन्यूएंस आफ़ पावर्स) (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ३०सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का २३वां ऐक्ट बना।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश (अस्थाई) कण्ट्रोल आफ रेंट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल—श्रीमान् जी की आज्ञा से मुझे यह घोषणा करनी है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश (अस्थाई) कंट्रोल आफ रेन्ट ऐन्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक पर राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति ३० सितम्बर, १९५२ ई० को प्राप्त हो गई और वह उत्तर प्रदेश का सन् १९५२ ई० का २४वां ऐक्ट बना।

सदन का कार्यक्रम

चेयरमैन—तीन विधेयकों पर इस सेशन में हम लोगों को विचार करना है। उसके संबंध में चेयरमैन की यही नीति रही है कि यदि सदन की स्वीकृति हो, तब सूचना संबंधी नियम स्थगित कर दिया जाता है। नहीं तो नियमानुसार दो दिन का समय चाहिये। पहले मिनिस्टर साहब इसके बारे में अपने विचार बतायें और फिर सदस्यों से मैं उनकी राय पूछूंगा।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरी गुज़ारिश यह है कि इसमें यू० पी० जमींदारों के ऋण कम करने का जो बिल है उसमें कुछ ज्यादा तक़रीरें हो सकती हैं, लेकिन यू०पी० सेल्स टैक्स अमेंडमेंट जो बिल है, उसको मेरे ख्याल से कल ही से लिया जा सकता है। या यू० पी० फायर सर्विस बिल को कल से लिया जा सकता है उसके लिये वक्त भी पूरा हो सकता है तो इन दोनों बिलों में से जो आप ठीक समझें, वह कल ले लिये जायं।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष जी, यह जो सेल्स टैक्स का बिल है, वह ऐसा है जिसमें हम चाहते हैं कि मौक़ा दिया जाय और मेरी राय यह है कि २ दिन के बाद बहस शुरू की जाय। On a point of information मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और मैंने एक लेटर भी लिखा था और रिक्वेस्ट की थी कि फ़ाईव इअर प्लान..

चेयरमैन—यह दूसरी चीज है।

एक सुझाव यह है नियमानुसार संकल्पों (resolutions)के लिये नान आफिशियल डे (non. official day) हम लोग बृहस्पतिवार को रखते हैं । अगर सदन इनको कल ले ले यानी मंगल को अगर ले ले, तो बृहस्पतिवार का दिन हमको विधेयक के लिये मिल जायेगा । कल एक कुंवर साहब का रिज़ोलूशन है, और एक श्री सभापति उपाध्याय जी का भी है । अगर इनको कल ले लिया जाय तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को भी कोई दिक्क़त न होगी और किसी और सदस्य को भी कोई दिक्क़त न होगी ।

श्री प्रभू नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—कल के बाद अगर नान आफिशियल डे (non official day) रख दिया जाय और उसके बाद सेशन का काम किया जाय तो हमको भी मौक़ा मिल जायगा । नान आफिशियल डे बुधवार को रख दिया जाय ।

चेयरमैन—जैसे बुधवार को लिया जा सकता है वैसे ही मंगलवार को लिया जा सकता है और मंगलवार को लेने से एक दिन की बचत हो सकती है ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—बुधवार को काम शुरू करने से यह होगा कि हमको वक्त मिल जायेगा और हम बिल्स को भी प्रीपेयर कर लेंगे और अमेंन्डमेंन्ट्स भी दे सकेंगे । अगर कल सेशन होगा तो दिन भर हाउस में बैठना पड़ेगा ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सेल्स टैक्स और फ़ायर सर्विस बिल जो हैं उसको आप देखें तो मालूम होगा कि कोई ख़ास बात नहीं है और उन में शायद ही कोई अमेंडमेंट दिया जा सके ।

श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—आपने जैसा कहा था ठीक है , कल का दिन इस्तेमाल करना है , मैं तो चाहता हूं कि गवर्नमेंट को इनकन्वीनियेन्स न हो और सदस्यों को भी दिक्कत न हो । मेरा अपना ख्याल यह है कि सेल्स टैक्स और जमींदारों के ऋण का जो बिल है उन पर कल विचार न किया जाय । जैसे फायर वाला बिल है, वह मैंने देखा । वह ऐसा नहीं है कि भवन का उसमें समय ज्यादा लगेगा, उसको कल लिया जा सकता है । और उसके बाद प्रस्ताव लिये जा सकते हैं ।

चेयरमैन—एक बात और यह है कि शनिवार को छुट्टी है । अगर हम लोग शुक्रवार को काम खत्म कर लेते हैं, तो घर जा सकते हैं, नहीं तो फिर सोमवार को भी बैठना होगा । मैं चाहता यह था आप सोच लें और ऐसा प्लान बना लिया जाय जिससे यह सेशन शुक्रवार को ख़त्म हो जाय । मेरे विचार में उस के अलावा और कोई काम तो है नहीं ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इस वक्त तो नहीं है ।

चेयरमैन—अगर आप ठीक समझें तो कल रेज्यूलूशन्स ले लें और उसके बाद बिल ले लिये जायेंगे और इस तरह से शुक्रवार को काम ख़त्म हो जायेगा । मैं समझता हूं कि इस पर किसी को एतराज नहीं हो सकता है ।

प्रोफेसर मुकुट बिहारी लाल (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—कल रेज्यूलूशन्स क्यों न लिये जायं ?

चेयरमैन—कल फायर सर्विस बिल और रेज्यूलूशन्स ले लिये जांय तो पूरा काम हो जायेगा । फिर अगले ३ दिनों में ये बिल ले लिये जायेंगे ।

श्री परमात्मा नन्द सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--मैं यह निवेदन करना चाहता था कि पूर्णमासी शनिवार की है। अगर हम शुक्र के दिन काम करेंगे तो पूर्णमासी के दिन अपने-अपने स्थानों पर न पहुंच सकेंगे। मसलन बलिया हम पूर्णमासी के दिन न पहुंच सकेंगे। बलिया में कार्तिक का बहुत बड़ा मेला होता है। वहां गवर्नमेंट और कांग्रेस का भी कुछ काम करना रहता है। इसके अतिरिक्त स्नान भी करना रहता है। इसलिए मैं तो समझता हूं कि अगर शुक्रवार को भी छुट्टी रहे तो अधिक उचित होगा।

चेयरमैन--इन सब बातों पर तो जब मीटिंग बुलाई जाती है तब मेम्बरों को विचार कर लेना चाहिये। शुक्र, शनि और रवि इन तीनों ही दिन हम काम न करें यह तो मैं ठीक नहीं समझता, वैसे तो मैं हाउस के हाथ में हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण --मैं लीडर आफ़ दि हाउस से प्रार्थना करूंगा कि वह कल फ़ायर वाला बिल रख दें। परसों नानआफ़ीशल बिजनेस (non official business) रख दें। अब रहा यह कि सैटरडे को छुट्टी रहेगी। तो अगर तब तक ख़त्म न होगा तो हम मंडे को भी बैठ जायेंगे।

चेयरमैन--क्या सब का मत यह है कि कल रेजोल्यूशन लिये जावें ? शिवराजवती जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कल वह मूव कर सकेंगी ?

श्रीमती शिवराजवती नेहरू--(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अगर आप इजाजत देंगे तो मैं मूव कर सकूंगी।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं चाहता हूं कि परसों मूव किया जाये।

चेयरमैन--उस रेज़ोल्यूशन में कोई नई चीज आपके पढ़ने या सीखने की तो है नहीं। मैं समझता हूं कि कुंवर साहब को ज़रा भी दिक्क़त अपने रेज़ोल्यूशन के करने में न होगी। कल फ़ायर सर्विस बिल पर विचार किया जाये और जो सदस्य अपने रेज़ोल्यूशन मूव करना चाहें वह मूव कर लेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण --कल फ़ायर सर्विस बिल न लिया जाये; खाली नान-आफ़ीशियल रेज़ोल्यूशन रखे जायें जिससे हम लोगों को डिस्कशन करने का पूरा मौक़ा मिले।

चेयरमैन--वृहस्पतिवार के स्थान पर कल गैर सरकारी दिन रखा जायगा और अगले तीन दिन तक इन तीन विधेयकों पर विचार किया जायगा।

कल ११ बजे तक के लिये कौंसिल स्थगित की जाती है।

(कौंसिल की बैठक ११-३० बजे दूसरे दिन मंगलवार, २८ अक्तूबर, १९५२ को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ:
२७ अक्तूबर, १९५२।

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० १ एल० सी०--१९५३--८५०।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

———o———

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, विधान भवन, लखनऊ में ११ बजे दिन के चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

२८ अक्तूबर, १९५२

———o———

उपस्थित सदस्य (६०)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदारनाथ खेतान, श्री
कृष्णचन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलूराम, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द चतुर्वेदी, श्री
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
बीर भान भाटिया, डाक्टर
बंशीधर शुक्ल, श्री
ब्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
ब्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
महमूद अस्लम खां, श्री
मानपाल गुप्त, श्री
मुकुट बिहारी लाल, प्रोफेसर
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राम लखन, श्री
राम लगन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विजय आनन्द आफ विजयानगरम, महाराजकुमार डाक्टर
विश्वनाथ, श्री
शांति देवी, श्रीमती
शांति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अंसारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री चरण सिंह (माल मंत्री)
श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)
श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्रश्नोत्तर

१-११--श्री शिवसुमरन लाल जौहरी (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--श्रम मंत्री की इच्छानुसार २९ अक्टूबर, सन् १९५२ ई० के लिये स्थगित किये गये ।

उत्तर प्रदेश में आचार्य विनोबा भावे के भू-दान यज्ञ में दी गई भूमि

१२--श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--आचार्य विनोबा भावे के भू-दान यज्ञ के दौरे में उत्तर प्रदेश ने कुल कितनी एकड़ भूमि दी ?

12. **Sri Kunwar Guru Narain**--(Legislative Assembly Coustituency) What is the total number of acres of land contributed by Uttar Pradesh to Acharya Vinoba Bhave in the course of his Bhudan Yagna tour ?

श्री चरण सिंह (कृषि मंत्री)--३० जून, १९५२ तक कुल १९८, ६४५. १५९५ एकड़ भूमि दान स्वरूप दी गई थी ।

Sri Charan Singh Minister for Agriculture-- A total area of 198, 645. 1,959 acres was contributed up to June 30, 1952.

Sri Kunwar Guru Narain--Is all the land thus transferred situated in such a way that this can be calculated without extra efforts being taken by the administration ?

Sri Charan Singh--I just do not understand the question. What the Hon'ble Member means by calculation, I fail to follow.

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं यह जानना चहता हूं कि जो जमीन की तादाद बतलाई गयी है उस में बहुत ऊसर और बंजर है। इस में बहुत एक्सट्रा एफर्ट किया जायेगा तब वह कल्टिवेबिल हो सकेगा। एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट एक्सट्रा एफर्ट (administration without extra effort.) के इसे कैसे कर सकता है ?

श्री चरण सिंह--सवाल में यह है कि कितनी कृषि योग्य है और कितना नहीं है। इसमें ४ कैटेगरी हैं जिसे मालूम करने में बहुत समय लगेगा। इस जमीन के सिलसिले में यह मालूम करना कि एग्रीकल्चरेबिल है या नहीं बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत वक्त लगेगा और देर भी लगेगी।

Sri Kunwar Guru Narain--If the beneficiary from this Bhudan Yagna is not in a position to cultivate the land transferred to him what arrangements Government propose to make to provide all facilities for such a person.

Chairman--The question is hypothetical and therefore cannot be allowed.

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं यह जानना चाहता हूं कि जो ऊसर और बंजर जमीन है जिस को बिना एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सट्रा एफर्ट के कल्टीवेट नहीं कर पायेंगे तो उन लोगों को सुविधा देने के लिये सरकार ने क्या सोचा है ?

श्री चरण सिंह—ऐसे और भी लोग हमारे सूबे के अन्दर हैं जिनके पास सुविधा की कमी है या जिन के पास नयी जमीन है उनके पास भी सुविधा नहीं है। जैसे और लोगों को सुविधा दी जायेगी वैसे इन लोगों को भी दी जायगी। फ़िलहाल सरकार का कोई सुविधा देने का विचार नहीं है।

१३—श्री कुंवर गुरु नारायण—(क) वर्तमान कानून की किन धाराओं के अन्तर्गत उपरोक्त जमीन का हस्तान्तरण हुआ?

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई है कि जमीन के इस प्रकार हस्तान्तरण करने में कठिनाइयां हैं?

13. **Sri Kunwar Guru Narain**—(*a*) Under which provisions of the present law has the transfer been effected ?

(*b*) Has it been brought to the notice of the Government that legal difficulties are involved in the transfer of land in this manner ?

श्री चरण सिंह—(क) भूमि दान पत्रों के रूप में दी गई है परन्तु सरकारी कागजातों में अभी अमल दरामद नहीं किया गया है।

(ख) जी हां।

Sri Charan Singh—(*a*) The donations have been made in the form of *dan pattras*. The transfers have not been effected in the Government records.

(*b*) Government are fully aware of the legal difficulties.

Sri Kunwar Guru Narain—Are *dan pattras* permitted under the present law ?

Sri Charan Singh—Sirdars are not allowed to make any gift but the bhumidars are.

१४—श्री कुंवर गुरु नारायण—(क) क्या उपरोक्त जमीन का हस्तान्तरण वास्तविक रूप से हो गया है या अभी दान देने वालों के वायदे की शक्ल में है?

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कुल कितनी जमीन है?

14. **Sri Kunwar Guru Narain**—(*a*) Has the transfer been actually effected or is still in the stage of promise of donors ?

(*b*) How much land is comprised in each category ?

श्री चरण सिंह—(क) इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

Sri Charan Singh—(*a*) This has already been answered above.
(*b*) The question does not arise.

Sri Kunwar Guru Narain—The answer is that the question does not arise. Why does it not arise ?

Chairman—This is a matter of opinion.

१५—श्री कुंवर गुरु नारायण—इस प्रकार जो जमीन हस्तांतरित की गई है उसमें कितनी तर, खुश्क या कृषि योग्य है ?

15. **Sri Kunwar Guru Narain**—How much of the land thus transferred is wet, dry or arable ?

श्री चरण सिंह—यह सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। इसके एकत्रित करने में बहुत समय, मेहनत तथा खर्च पड़ेगा।

Sri Charan Singh—The information is not available with Government. Its collection will take much time and will not be commensurate with the time, labour and expense involved.

१६—श्री कुंवर गुरु नारायण—इस जमीन को भूमि रहित मजदूरों में बांटने के लिये रखा गया है ?

16. **Sri Kunwar Guru Narain**—What is the basis on which the distribution of the land is to take place among landless labourers ?

श्री चरण सिंह—भूमि का वितरण आचार्य जी की स्वीकृत की हुई योजना के अनुसार होगा।

Sri Charan Singh—The distribution of land will be made according to a scheme approved by Acharya Ji.

Sri Kunwar Guru Narain—The answer is that the distribution of land will be made according to a scheme approved by Acharya Ji. I want to ask, will the Government have no hand in the scheme proposed by Acharya Ji and any scheme suggested by him will be accepted ?

Sri Charan Singh—I do not think there is any apprehension of a difference of opinion between Acharya Ji and Government on this subject.

Sri Kunwar Guru Narain—By what standard Government will judge that a particular applicant for the free gift will stick to the job of cultivation, will himself cultivate the land, and will not sublet it and become an absentee proprietor ?

Sri Charan Singh—This much is certain that nobody will be allowed to lease away the land whether he holds the holding in some other right or gets it from Acharya Ji.

श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—इस बारे में जमींदारों की राय ली जायेगी या नहीं ?

श्री चरण सिंह—जमींदार तो नहीं रहे।

श्री कुंवर गुरु नारायण—इस मसले पर क्या प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से भी कन्सलटेशन होगा ?

चेयरमैन—मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

१७-२०—श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—[गृह मंत्री की इच्छानुसार अक्टूबर, १९५२ ई० के लिये स्थगित किये गये।]

२१-२३—श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—[वर्तमान बैठक के पांचवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १-३ के रूप में रखे गये।]

२४-३२—श्री दीप चन्द्र (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

३३-३४—श्री कुंवर गुरु नारायण—स्थगित।

उत्तर प्रदेश में मुख्तारों और रेवेन्यू एजेन्टों की संख्या

आदि संख्या २४ ता० २३-९-५२

३५—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में इस समय वकालत करने वाले मुख्तारों और रेंवेन्यू एजेंटों की संख्या क्या है?

Original No 24 Dated 23-9-52

35. **Sri Jyoti Prasad Gupta**—(Local Bodies Constituency)—Will the Government kindly state the number of Mukhtars and Revenue Agents practising in the State at present?

श्री चरण सिंह—इस राज्य में मुख्तारों और रेवेन्यू एजेंटों की कुल संख्या क्रमशः १,७१६ और १,२५४ है। १,७१६ मुख्तारों में से ३४८ मुख्तार रेवेन्यू एजेंट का भी काम करते हैं।

Sri Charan Singh—The total number of Mukhtars and Revenue Agents in the State is 1716 and 1254 respectively. Out of 1716 Mukhtars, 348 of them are also working as Revenue Agents.

आदि संख्या २५ ता० २३-९-५२

३६—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—(क) क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम पंचायतों के स्थापित होने और जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था ऐक्ट के लागू होने से अदालत माल का बहुत सा काम पंचायतों और दीवानी अदालतों को हस्तांतरित हो गया है, जहां कि मुख्तार और रेवेन्यू एजेन्टों को वकालत करने से क़ानूनी मनाही है?

(ख) यदि हां, तो इस तबके के क़ानूनी वकालत करने वालों की सहायता के लिये सरकार क्या करना चाहती है?

Original No 25 Dated 23-9-53

36. **Sri Jyoti Prasad Gupta**—*(a)* Is the Government aware that on account of the establishment of the village panchayats and enforcement of the Zamindari Abolition and Land Reforms Act, most of the Revenue work has been transfersed to the Panchayats and the Civil Courts, where Mukhtars and Revenue Agents are legally barred from practising?

(b) If so, what step does the Government propose to take to afford relief to this class of legal practitioners?

श्री चरण सिंह—(क) माल की अदालतों का कुछ काम निस्संदेह पंचायतों और दीवानी की अदालतों को दे दिया गया है जिनमें मुख्तार और रेवेन्यू एजेन्ट विधितः वकालत नहीं कर सकते किन्तु सरकार का यह मत है कि उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, की अनुसूची २ और उसकी नियमावली के अध्याय १२ के अनुसार उनके

पास अब भी बहुत काफी प्रारंभिक (ओरिजनल) और अपील संबंधी दोनों प्रकार का काम है।

(ख) जैसा कि ऊपर प्रश्न ३६ (क) के उत्तर में बताया गया है, सरकार प्रश्नकर्ता से बिलकुल सहमत नहीं है। फिर भी इस मामले की ओर सरकार ध्यान दे रही है।

Sri Charan Singh.—(*a*) Some of the Revenue work has no doubt been transferred to the Panchayats and Civil Courts, where Mukhtars and Revenue Agents are legally barred from practising. But Government are of the view that for the present there is still quite sufficient case work both original and appellate for them in Revenue Courts as Chapter XII of the Rules and Schedule II of the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, will show.

(*b*) As stated in reply to question no. 36(*a*) above, Government does not agree with the questioner entirely. Still, the matter is engaging the attention of Government.

आदि संख्या २६ ता० २३-९-५२

३७—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—(क) क्या यह सच है कि आनरेबिल हाईकोर्ट, इलाहबाद ने सन् १९५१ ई० से मुख्तारों और रेवेन्यू एजेन्टों को जो टेहरी-गढ़वाल, रामपुर और बनारस रियासतों में वकालत कर रहे थे, प्लीडर ग्रेड २ घोषित करके, मातहती दीवानी अदालतों में वकालत करने की आज्ञा दे रखी है।

(ख) यदि हां, तो क्या उन मुख्तारों और रेवेन्यू एजेन्टों को भी यह सुविधा दिये जाने का इरादा है जो कि राज्य के दूसरे भागों में वकालत करते हैं?

Original No. 26 Date 23-9-52

37. Sri Jyoti Prasad Gupta—(*a*) Is it a fact that since 1951 the Hon'ble High Court, Allahabad has been pleased to allow Mukhtars and Revenue Agents practising in the old Tehri-Garhwal, Rampur and Banaras States to practise in the Subordinate Civil Courts there declaring them as Pleaders Grade II ?

(*b*) If so, is it intended to extend this privilege to Mukhtars and Revenue Agents practising in other parts of the State also ?

श्री चरण सिंह—(क) जी हां।

(ख) इस मामले का निर्णय हाई कोर्ट ही कर सकता है। सरकार का इससे कोई संबंध नहीं है।

आदि संख्या २७ ता० २३-९-५२

Sri Charan Singh—(*a*) Yes.

(*b*) It is for the Hon'ble High Court to take decision on this question. Government are not concerned with it.

३८—श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के मुख्तारों और रेवेन्यू एजेन्टों से इस संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र मिला है?

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

38. **Sri Jyoti Prasad Gupta**—(*a*) Has the Government received any representation from the U. P. Mukhtars and Revenue Agents in this connexion ?

Original No. 27 Dated 23-9-52

(*b*) If so, what action has so far been taken thereon ?

श्री चरण सिंह—(क) जी हां ।

(ख) लीगल प्रैक्टिशनर्स ऐक्ट की धारा ६ के अनुसार हाईकोर्ट को ही यह अधिकार है कि वह मुख्तारों और रेवेन्यू एजेन्टों को प्लीडर के पद पर नियुक्त करे। इस विषय में उनकी राय ली गई थी किन्तु वह सहमत नहीं हुये।

Sri Charan Singh—(*a*) Yes.

(*b*) Under section 6 of the Legal Practitioners Act, the High Court are the proper authority to raise the status of Mukhtars and Revenue Agents to that of pleaders. They were consulted in the matter, but were not agreeable to the proposal.

Sri Jyoti Prasad Gupta—Will the Hon'ble Minister kindly state if the High Court have given any reason for not agreeing to their suggestion ?

Sri Charan Singh—They consider that the Mukhtars are not possessed of sufficient legal knowledge to practise in the Civil courts.

Sri Jyoti Prasad Gupta—But in the case of Mukhtars who are practising in the States merged with U. P. they have already allowed that. ?

Sri Charan Singh—The reason is that the Maharaja of Banaras and Tehri-Garhwal and the Nawab of Rampur had allowed these Mukhtars to practise in Civil courts before the merger took place. So after the merger the High Court agreed to allow them to continue as before.

संकल्प कि उत्तर प्रदेश में अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों का प्रबंध सरकार अपने हाथ में ले ले

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव उपस्थित करती हूं:

"यह परिषद् सरकार से अनुरोध करती है कि प्रदेश में अनाथालयों तथा विधवा आश्रमों का प्रबंध संस्थाओं अथवा व्यक्तिगत हाथों में न रख कर स्वयं अपने अधीन कर ले और कार्य को सुचारु रूप से संचालित करने के हेतु महिला तथा पुरुष सदस्यों को इनका निरीक्षक नियुक्त कर दे ।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ वर्षों से यह देख रही हूं कि हमारे सारे प्रांत भर में जितने अनाथालय हैं या और भी जो ऐसी संस्थायें हैं, जैसे कि विधवा आश्रम हैं, इनमें जो कुकर्म हो रहे हैं वह बड़े ही घृणित हैं। आज जो जो बातें उनमें हो रही हैं उनको इस सदन के अन्दर रखना मेरे लिये बहुत ही दुश्वार है। अभी एक रक्षा मंडल के बारे में अखबारों में छपा है कि वहां कैसे-कैसे कुकर्म हुये और जो उसके संचालक थे वह आज जेलों में पड़े हुये हैं और उन्हीं कुकर्मों की बदौलत आज उनकी यह हालत हुई है। हमारे शहर में इस प्रकार की चार संस्थायें हैं, जैसे कि एक रक्षा-मंडल गोलागंज में है, एक हिन्दू कन्या आश्रम मोतीनगर में है और एक इसी तरह का आश्रम चौक में है एक और है। इस तरह चार आश्रम हमारे शहर के अन्दर हैं और इन आश्रमों की शाखायें चारों ओर फैली हुई हैं। जिस तरह से कोई व्यापारी होता है और वह अपना व्यापार चलाने के लिये जगह जगह में शाखायें खोलता है उसी प्रकार इन मंडलों की भी शाखायें कोई गोरखपुर

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

में हैं, कोई उन्नाव में हैं, कोई गोंडा में और कोई बरेली में हैं। यह कितने दुख की बात है कि धर्म के नाम पर यह सब रक्षा मंडल खुले हुये हैं जिससे कि लोगों के ऊपर इसका अच्छा असर पड़े और बड़े बड़े धार्मिक पुरुषों के नाम पर खोले गये हैं जिससे कि लोगों के ऊपर यह असर हो कि लोग बड़ा परोपकार कर रहे हैं और दीन दुखियों के ऊपर दया करने के लिये आश्रम खुले हैं और जो देश को फायदा पहुंचाने वाले हैं और देश की जनता को सुविधा देने वाले हैं। परन्तु वास्तव में बात इसके विपरीत ही है। जो कुछ भी कार्य यहां होता है वह बहुत ही घृणित और निन्दनीय है। मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहती हूं कि हमारे देश में ऐसी मंडलियों की आवश्यकता है जिससे हमारे देश और जो समाज की हीन दशा है वह दूर हो और जो दुखी स्त्रियां हैं, विधवा हैं, उनके लिये हमारे देश में इस बात की आवश्यकता है कि इस तरह के आश्रम खोले जायं। इस तरह के मंडल बनाये जायं कि जहां दीन दुखी स्त्रियां आयें और वहां रहकर अपना जीवन निर्वाह कर सकें। परन्तु आजकल वहां यह बात नहीं है। उन्होंने इस तरह के मंडल अपने व्यापार के अड्डे बना रक्खे हैं इसी लिये उन्होंने अलग अलग शाखायें खोली हैं कि शायद अगर कोई स्त्री गोरखपुर में मिलती है तो उसको गोरखपुर के आश्रम में नहीं रक्खा जाता है बल्कि उसको लखनऊ के आश्रम में भेज दिया जाता है और अगर लखनऊ में कोई स्त्री मिलती है तो उसे लखनऊ के आश्रम में न रख कर दूसरी जगह के आश्रम में रक्खा जाता है ताकि जो उनके बन्धु या भाई या पति उनकी ढूंढ में निकलते हैं वह उन स्त्रियों को उन स्थानीय आश्रमों में न पाकर वापस लौट जायं। इसके अलावा उनको तालों के अन्दर बन्द रक्खा जाता है और जिस तरह से हमारे सेंट्रल जेल में कैदियों को रखा जाता है उसी तरह से इनको भी तालों के अन्दर बन्द रखा जाता है। जो लोग उनको ढूंढने आते हैं अगर वे उस जगह पहुंच जाते हैं तो उनको वहां से दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो इस तरह से इन लोगों ने यह अपने व्यापार के अड्डे बनाये हैं और जो उनके संचालन करने वाले हैं वे बाज-बाज तो बहुत पैसे वाले और अमीर हो गये हैं। ऐसी दशा में इन आश्रमों की दशा उन लोगों की वजह से बहुत ही गिर गई है। इस तरह से स्त्रियों को रुलाया जाता है और फिर वहां रखा जाता है। कुटनियां वहां मंदिरों के पास जाकर या स्टेशनों पर जाकर उन स्त्रियों को लाती हैं और उनमें ऐसी भी बहुत सी स्त्रियां होती हैं जो कि अपने पति के बुरे आचरण से परेशान होकर अपना घर छोड़ देती हैं और उनमें कई स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो कि अपने घर से लड़ झगड़ कर और बहुत तकलीफों से परेशान होकर घर से भाग जाती हैं, तो इन सब स्त्रियों को कुटनियों का शिकार होना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों में यह बात है कि जब तक उनको अपने घर में बहुत ज्यादा कष्ट न होवे आसानी से अपना घर नहीं छोड़ती हैं। इस तरह से कोई विधवा होती है जो कि अपने भाई या भावज से परेशान होकर अपना घर छोड़कर आ जाती है और इस तरह से कई स्त्रियां खुद अपने पति व अपने खानदान की इज्जत बचाने के लिये आश्रम में चली जाती हैं और वे यह सोचकर उन आश्रमों में जाती हैं कि वहां वे ईश्वर में मन लगाकर दो वक्त रोटी खाकर अपने जीवन का निर्वाह अच्छी तरह से कर सकें। लेकिन वहां होता क्या है कि वे महीने या पन्द्रह दिन तक वहां रहती हैं और उसके बाद उनको खरीद कर वहां से दूसरे लोग ले जाते हैं। वहां उनकी खरीदारी सूरत व शक्ल देख कर होती है और ऐसी स्त्री जिसकी सूरत शक्ल अच्छी हो उसकी ४००-५०० रु० और यहां तक कि एक हजार रुपये में शादी कर दी जाती है। इस तरह से उनको खरीद कर लोग अपने साथ ले जाते हैं, मगर वह वहां ज्यादा नहीं रह पाती हैं और अपने पति का जेवर, गहना और रुपया लेकर वह फिर आश्रम में लौट जाती है और फिर उसकी शादी दूसरी जगह कर दी जाती है। इस तरह से वहां स्त्रियों की दो दो, तीन तीन शादियां की जाती हैं। जो स्त्रियां बदशक्ल और बूढ़ी हो जाती हैं उनको कुटनियों का कार्य सौंपा जाता है। इस तरह से आज ये आश्रम पक्के व्यभिचार के अड्डे हो गये हैं और जो हमारा हिन्दू धर्म है, वह सब खत्म हो गया है।

इस कार्य में ऐसे हिन्दू भाई भी हैं जो कि आज कहते हैं कि हमारा हिन्दू धर्म खतरे में पड़ गया है, जो कहते हैं कि हमारी संस्कृति ही सबसे उत्तम है। तो आज क्या यही हिन्दू धर्म है, यही हिन्दू संस्कृति है। इन्हीं सब हालतों को देखकर मैं सरकार से इस बात की प्रार्थना करती हूं कि वह इन आश्रमों का नियन्त्रण अपने हाथ में ले ले और इन आश्रमों से ऐसे लोगों को निकाल दे। वह इन आश्रमों में ऐसे लोगों का नियन्त्रण कर दे जो कि इन स्त्रियों को इस तरह से तालीम दें, इस तरह से व्यवहार-कुशल और उद्योग धंधों को सिखावें जो कि उनके लिये लाभप्रद सिद्ध हो और इस तरह से जो आज करोड़ों स्त्रियां परेशान हैं उनको ले जाकर वहां रखें और आज जिस तरह से रिफ्यूजीज स्त्रियों को रखा जाता है, उसी तरह से उनको रखा जाय। इस तरह से वे सेल्फ सपोर्टिंग संस्थायें हो जायेंगे और वहां वे अपने जीवन का निर्वाह भी कर सकेंगी। यदि सरकार इसमें सहायता देगी और जो माननीय सदस्य हैं वे वहां जाकर इस चीज को देखेंगे और उन आश्रमों का नियन्त्रण अपने हाथ में लेंगे, तो इनकी उन्नति अवश्य होगी। इन्हीं सब कारणों को देखते हुये मैंने अपना यह प्रस्ताव अपने भाइयों के सामने रखा है कि जो आज हमारे देश के दुखी और सताये हुये लोग हैं और जो ऐसी सताई हुई स्त्रियां हैं जो कि कुचल दी गई हैं, हमें उनकी आत्मा को ऊंचा उठाना है और इस तरह से अपने धर्म को कलंकित नहीं होने देना है।

यह अपनी हिन्दू संस्कृति के बचाने का सवाल है। इन सब बातों पर आप विचार करें। इन्हीं सब कारणों से मैंने यह प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश किया है।

श्री एम० जे० मुकर्जी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—Mr. Chairman, Sir, what we have just heard is a tale of sorrow and disgrace and whatever can be done must be done and must be done speedily.

चेयरमैन—You will please move your amendment first.

श्री एम० जे० मुकर्जी—The amendments that I suggest to this resolution are that 'in line 3 the word "management" be replaced by the word "con trol"

Insert the words "of ill-repute" after athe word "homes" in line 4;

Delete the last sentence from "members........................ visitors" and substitute the same by "official visitors from both the Houses be appointed".

I made a mistake in putting down "official". It should be "non-official".

श्रीमती शिवराजवती नेहरू—मेरा प्रस्ताव हिन्दी में है यदि हिन्दी में अमेंडमेंट रखा जाय तो अच्छा होगा।

चेयरमैन—श्रीमती शिवराजवती नेहरू, आप हिन्दी के कार्यक्रम को देख लें, उसमें उसका तर्जुमा है।

श्री एम० जे० मुकर्जी—Sir, as I was saying, if even one-hundredth of the tale which has been told to us by the Mover is correct then whatever action can be taken by Government should be taken to stop it. It is clear from her description that these Ashrams are dens of debauchees and, as such they must be annihilated and absolutely squashed, The wording of the Resolution is unfortunately such that I cannot accept it because it includes all institutions of the type mentioned in the Resolution i. e. widow homes and orphanages. There are many widow-homes and orphanages established in this land of ours for the last 50 to 60 years and they are being managed very well indeed. They have prepared the women for all types of industrial work and they have prepared the orphans to take their legitimate share in the building up of the nation I cannot understand why these institutions should be taken over by Goverment. Many of them are under religious practice and religious protection. The Constitution allows very freely, if you read Article 25 (1) and 26 (a) (b) and (d) they are permitted—not only permitted but encouraged—to open such institutions and do such work. I am sure the Mover does not want inclusion of such institutions that have been doing good work because the whole trend of her talk was that we should tackle only those institutions that are evil and those which are practising evil. There is also a directive in our Constitution that childhood and youth are to be protected against exploitation and against moral and material abandonment. This is required by our Constitution, Art. 39(f). It is all the more, therefore, necessary that we, sitting here in this House, should seriously consider this problem. So my amendment is that all those insitutions that are of ill-repute should be taken over by Government. That is the amendment that I have put in. I have put in another small amendment—change the word "management" by the word "control". I am prepared to change the word "control" also by the word "supervision" because it is not possible for Government to take over even these institutions with all the things that they have to tackle which they are seriously thinking of tackling for the construction of a welfare State. Economically from the point of view of finance or even from the point of view of personnel it is very difficult for them to take the whole management of even such ill-reputed institutions. Therefore, it is only by way of supervision that they can in any way be held responsible, and for that the Constitution requires that laws should be made that these people should be criminally treated. I would say that such persons as are involved in these things, a mill-stone may be hung round their neck and they may be put in to the Gomti or any other river where these institutions exist. It is really a disgrace . It is a cancer in our body politic. It has brought us down to dust in the eyes of other nations. I do not mean that other nations have not all these evils in them, but we are not concerned with them. We are only concerned with the women of our own country, and we feel that it is our responsibility to give them that protection. If the women are being treated in that way, certainly they need protection; but if we expect Government to do everything, Sir, I think we are asking for too much. There is a great deal of need for reformation in our own Samaj where we can lift the womanhood from the lowest pedestal to the highest level, where we may respect them and we may treat them as mothers of our nation. We are happy to see that we have brought them to the same level as men. The arrogant men in the past had always kept them as chattels in the homes and this is the result of all that. The demand of 20th century is that we must realise and realise very seriously that reform is needed to raise the sttatus of womanhood from what it is now. Ij it is done, then I

am sure that many of the evils that are at present prevalent will disappear. My third amendment that I have put at the end of the Resolution, I take it back. I do not consider it very essential to be added to the Resolution.

चेयरमैन--श्री प्रेमचन्द्र शर्मा जी ने एक संशोधन की सूचना दी है, पहले वह संशोधन पेश कर दें उसके बाद दूसरे सदस्य बोलेंगे।

श्री प्रेमचन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं श्रीमती शिवराजवती जी के प्रस्ताव की पंक्ति दो में शब्द 'का प्रबन्ध' के स्थान में शब्द "समुदाय की देखरेख" रख दिया जाये, यह संशोधन करता हूं। दूसरे पंक्ति दो में शब्द "कर" और शब्द "स्वयं" के बीच शब्द समुदाय "जहां उचित समझा जाय वहीं" रख दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों के उपस्थित करने से मेरा मंशा यह है कि यह सही है जैसा कि प्रस्तावक महोदया ने कहा कि बहुत सी संस्थायें यहां ऐसी हैं जिनका प्रबन्ध ठीक नहीं है और जहां पर हित होने के बजाय स्त्री समुदाय और अनाथों का अहित होने की ही बात रहती है। लेकिन साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि इस देश में ऐसी भी संस्थायें हैं और उनका प्रबन्ध ऐसे आदमियों के हाथ में है जिनसे स्त्री जाति और अनाथों की वास्तव में रक्षा होती है। उनका स्तर उठाया जाता है और उनको अच्छा नागरिक बनाया जाता है। इस संशोधन के रखने से मेरी मंशा यह थी कि समाज के सुधार का कोई मेजर इस सख्ती से न रखा जाय जिससे बजाय इसके कि जो लाभ सोचा गया है वह न होकर एक प्रतिक्रिया हो और वह मंशा पूरी न हो जो कि इस प्रस्ताव का है। इसी प्रकार से प्रस्ताव के द्वारा सरकार से यह मांग करना कि जितनी भी संस्थायें हैं उन सबका प्रबन्ध अपने हाथ में ले लें मैं समझता हूं कि उचित न होगा। मुझे मालूम है कि अनेक संस्थायें ऐसी हैं जो आर्यसमाज द्वारा अथवा दूसरी मिशनरीज के द्वारा चलाई जाती हैं। उन पर लाखों रुपया इन संस्थाओं का खर्च होता है। कुछ का प्रबन्ध ठीक भी है। यदि इस प्रस्ताव को मान लिया जाय तो उनका प्रबन्ध भी लाज़िमी तौर से सरकार को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उनको जो किसी तरीके से चला रहे हैं और लाखों रुपया व्यय कर रहे हैं उनमें इस बात की प्रेरणा नहीं रह जायेगी कि दिलचस्पी से उन संस्थाओं में काम करें और रुपया खर्च करें। क्योंकि वे समझेंगे कि ये संस्थायें सरकार के हाथ में चली गई हैं और उन पर किसी किस्म का बोझ नहीं रह गया है। हमको मानना पड़ेगा कि इस देश में बहुत आरफनेज हैं जिनका उचित प्रबन्ध होता है और बहुत से ऐसे विधवा आश्रम हैं जिनका प्रबन्ध अच्छा होता है। उसमें काफी रुपया खर्च होता है। मेरा मतलब यह है कि मैं इस प्रस्ताव को फ्लेक्जेबुल बनाना चाहता था। अतः पंक्ति २ में शब्द "का प्रबन्ध" के स्थान पर शब्द समुदाय "की देख रेख" रख दिये जायं तथा उसी पंक्ति के अन्त में शब्द "कर" और शब्द "स्वयं" के बीच में शब्द समुदाय "जहां उचित समझें वहीं" रख दिया जाय। जहां तक कि प्रस्तावक महोदया का मतलब है यदि वहां अत्याचार होता है तो ऐसी संस्थाओं की देखरेख सरकार कर सकती है। जहां सरकार उचित समझे वहां ऐसा कर सकती है। इस तरह से जो संस्थाएं उचित प्रकार से अपनी संस्थाओं को चलाती हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर न पड़े। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को हाउस के सामने रखता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)--अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है, इसमें एकाध शब्द को छोड़ कर जिस भावना से प्रेरित होकर यह पेश किया

[श्री मोहन लाल गौतम]
गया है उससे कोई मतभेद नहीं रख सकता हूं। जहां तक इन संशोधनों का सम्बन्ध है, एक संशोधन तो श्री मुकर्जी और श्री प्रेमचन्द्र शर्मा का एक ही है। मैनेजमेंट की जगह कंट्रोल के लिये उन्होंने कहा और सुपरवीजन हो तो और अच्छा है। श्री प्रेमचन्द्र जी का शब्द बहुत अच्छा है। उसको रखने में मुझे कोई एतराज नहीं है।

जहां पर इलरिप्यूट बढ़ने की बात कही गयी है। वैसे तो यह सही है कि ये होम्स प्राइवेट इन्स्टीटयूट्स के हाथ में हैं। जिसकी बदनामी हो जाय उसका प्रबन्ध गवर्नमेंट अपने हाथ में ले ले तो इस तरह की जो चीज है एक माने में ठीक है। फिर इनके कंट्रोल और सुपरविज़न के मामले में इस तरह से फ़ौरन दो तरह का क्लासीफ़िकेशन कर देना कि कुछ को इल्लरिप्यूट डिक्लेयर कर दें और कुछ को ऐसे रखें इससे दिक्कत पैदा हो जायेगी। इसलिये इस अमेंडमेंट को मानने में दिक्कत पड़ रही है।

दूसरे संशोधन के मुताल्लिक़ प्रेमचन्द्र जी ने कहा कि "जहां उचित समझें" स्वयं अपने आधीन कर लें। इसको मैं स्वीकार कर सकता हूं। यह संशोधन दो और दो मिल कर चार होते हैं, लेकिन एक कामन है, तीन रह जाते हैं। तीन मैं मंजूर करता हूं। उसमें अगर इल्लरिप्यूट न जोड़ा जाता तो अच्छा था। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले अर्ज किया यह ऐसा मज़मून है जिस पर दो रायें नहीं हो सकतीं। जिस तरह की बातें इस प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदया ने हमारे सामने रखीं, इससे भी कहीं ज्यादा करुण कहानी इन संस्थाओं और जीवों के बारे में कही जा सकती है। यह तो चिन्ह हैं हमारे सोसायटीज़ की उन बीमारियों के जो हमारे समाज में हैं। इस समाज की बीमारी के थोड़े मामले को चिन्ह के रूप में समाज हमारे सामने रखता है। इन चिन्हों को दूर कर देने से समाज को संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये कि हमारी बीमारी के चिन्ह दूर हो गये। इसको गहराई पर हमें विचार करना होगा। सोचना है कि ये स्त्रियां स्वीकार करने में तो कोई अड़चन ही नहीं है लेकिन जिस तरह से अब तक बग़ैर किसी सुपरवीज़न के वे चल रहे हैं और जो खराबियां समाज में पैदा करते रहे हैं उसकी अब इजाज़त सरकार नहीं देना चाहती। इसलिये गवर्नमेंट यह चाहती है कि सारे प्रदेश का एक बोर्ड बनाया जाय और उसको कुछ रुपया दिया जाय ताकि वह सुपरविज़न कर सके और जो उनकी वर्किंग हो उसकी देखभाल कर सके और उस बोर्ड के शुरू होने के बाद, जब वह उनके सम्पर्क में आ जायेगा और देखेगा कि उनकी यह खराबियां हैं जिनका नतीजा यह निकलता है तो फिर उनपर विचार करना होगा। इस वक्त सारे विडो होम्स और अनाथालयों को लेना कहां तक सम्भव होगा यह सोचने की बात है। इसलिये फौरन इस बात का फैसला करना कि सब अनाथालयों और विडो होम्स गवर्नमेंट ले ले, यह दूसरा पहलू होगा। हम देखें कि जितने अनाथालय और विडो होम्स चल रहे हैं उनका कैसा इन्तजाम है। जिनमें शिकायतें हैं उन्हें हम देखें कि उनकी क्या संख्या है। तमाम को इस वक्त ले लेना मुमकिन नहीं है। लेकिन उनके सुपरविजन और देखरेख का इन्तजाम जल्दी हो यह फ़ैसला हमने किया है। हम चाहते हैं कि जल्दी ही एक बोर्ड बन जाय और वह उसका इन्तजाम करे। इस सम्बन्ध में गवर्नमेंट बेखबर नहीं है। तो बहरहाल जो गवर्नमेंट की पालिसी है वह मैंने अर्ज कर दी है। और मेरा यह ख्याल है कि इसपर अब ज्यादा समय सदन को लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस मसले पर किसी को मतभेद नहीं हो सकता है।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू—मैं सरकार से बिल्कुल सहमत हूं सरकार ने जब आश्वासन दे दिया है तो मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहती हूं।

चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

संकल्प कि प्रदेश में माध्यमिक कक्षाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय

श्री कुंवर गुरु नारायण-- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव इस भवन में उपस्थित करता हूं :

"In order to meet any threat of aggression, external or internal, and to assist the permanent armed forces in times of national emergency,this Council recommends to the Government to make military education a compulsory subject for the students in the intermediate classes."

श्रीमन्, जिस प्रस्ताव को मैंने अभी इस भवन के सम्मुख रखा उसके सम्बन्ध में कोई बहुत ज्यादा लम्बी चौड़ी तकरीर मैं नहीं करना चाहता। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे देश के लिये यह बहुत आवश्यक है और ऐसे समय में जब कि हमने बहुत सी मुसीबतों के बाद अपनी आज़ादी हासिल की है कि हम उस आजादी को कायम रखने के लिये ऐसे उपाय सोचें कि हमारी आजादी चाहे वह इक्सटर्नल एग्रेशन से अथवा अन्दरूनी तरीकों से भंग न होने पावे और उसकी रक्षा हो। यह मानी हुई बात है कि आज संसार में जब कि प्रत्येक मुल्क आटम बम्ब की खोज में लगा हुआ है और हर मुल्क अपने देश को मजबूत करने के लिये हर प्रकार से मिलिटरी तैयार कर रहा है तो ऐसी अवस्था में जरूरी है कि हमारा देश भी इस प्रश्न पर शान्तिपूर्वक विचार करे। हमारा क्रीड नानवाइलेंस किसी समय में था, उस समय तो परिस्थितियां कुछ दूसरी थीं। महात्मा गांधी ने जब नानवाइलेंस का प्रयोग किया अंग्रेजों के मुकाबले में तो मुमकिन है कि अगर हिन्दोस्तान में अंग्रेज न होते और उनकी जगह जर्मन्स यह इटालियन्स होते तो उस वक्त गांधी जी किसी और अस्त्र का आसरा लेते अथवा किस अस्त्र को अपने हाथ में लेते यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उन्होंने समय के अनुकूल जो हुकूमत भारतवर्ष में थी उसकी परिस्थिति को समझ करके यह उचित समझा कि अगर हमें भारतवर्ष को किसी प्रकार आजाद करना है और एक निहत्थे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिला सकते हैं तो वह अहिंसात्मक तरीक़े से ही दिलाई जा सकती है। लेकिन आज की बदली हुई परिस्थिति में, बदले हुये वातावरण में हमको इस बात का विचार करना पड़ेगा कि हम अपने देश की स्वतंत्रता को आजकल जो और देशों में भयंकर युद्ध का वातावरण फैला हुआ है उसको देखते हुये किस प्रकार से रक्षा कर सकते हैं। मैं अपनी जगह पर यह समझता हूं कि अगर हम अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमें अपने यहां के लोगों को कंपलसरी मिलिट्री एजुकेशन देना जरूरी है। उनको लड़ाई की शिक्षा जितनी दे सकते हों, दें। लड़ाई की शिक्षा से एक बहुत बड़ा लाभ और हो सकता है वह यह कि आज हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, हमारा मारेल जो गिर गया है तो अगर मिलिट्री शिक्षा दी जायेगी तो उसका वह गिरा हुआ मारेल नहीं रहेगा जो कि आज सामाजिक जीवन में फैला हुआ है। आज यूनाइटेड किंगडम में मिलिट्री शिक्षा कंपलसरी नहीं है लेकिन वहां की हालत दूसरे प्रकार की है। वहां की स्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि हमारे देश की है। वहां लोगों में टीम वर्क की स्प्रिट है जो कि यहां पर क़तई नहीं है। वहां पर जब जर्मनी का बम्बार्डमेंट हो रहा था तो वहां पर लोगों ने अपने स्थानों से हटना उचित नहीं समझा वरन् अपने आप को मिटा देना उचित समझा। वह बराबर उसी जगह पर मौजूद रहे। उनकी परिस्थिति दूसरी थी और हमारी दूसरी है। इसी प्रकार से और भी मुल्क हैं जैसे जर्मनी को ले लीजिये, इटली को ले लीजिये जहां पर डिक्टेटरशिप थी। वहां पर मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी जरूरी नहीं थी लेकिन उनके तरीक़े दूसरे हैं। वहां पर इमर्जेंसी के समय तमाम लोग मिल सकते हैं और वह उससे अपना काम चला लेते

[श्री कुंवर गुरु नारायण]
हैं। हर मुल्क की परिस्थिति दूसरी होती है और वह उसके हिसाब से उस पर विचार करते हैं। हमारे देश की स्थिति वैसी नहीं है जैसी कि पश्चिम के मुल्कों की है। यह सब लोगों को मालूम है कि सन् ४२ में जिस समय कि यहां से १,००० मील दूर पर लड़ाई हो रही थी और बम्बार्डमेंट हो रहा था तो वहां पर ऐसा वातावरण फैल रहा था कि अगर जापानी यहां पर आ जायेंगे तो हम उनको सरेंडर कर देंगे अथवा स्वागत करेंगे। तो हमारा जो डिसिप्लिन है, जो हमारी शिक्षा अभी तक रही है वह एक दूसरे ही ढंग की रही है। इस ढंग की नहीं रही है जो स्वतंत्र देशों की है जो काफी अपने को मजबूत कर चुके हैं। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह जरूरी है कि हम अपने नवयुवकों को कम्पलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग दें।

अब मैं यह कह सकता हूं कि और जानता हूं कि इस सरकार ने शायद सन् ४८ में मिलिट्री ट्रेनिंग की योजना बनाई। इस वक्त १२४ कालेजेज और स्कूलों में यह मिलिट्री शिक्षा दी जा रही है। यह भी सत्य है कि १८ जिलों में मिलिट्री शिक्षा है। लेकिन जिस ज़ोर से मिलिट्री शिक्षा का प्रचार पहले किया गया वह वेग अब नहीं रहा और वह बहुत कम हो गयी और फिर धीरे धीरे उसमें शिथिलता आती चली गयी। तो यह जरूरी है और मैं जरूरी समझता हूं कि इसको फिर से जोरदार तरीके से चलाया जाय। इस वक्त करीब करीब २० हजार लड़के इंटरमीजिएट में हमारे प्रान्त में परीक्षा में बैठते हैं। इन २० हजार में से यदि १० हजार भी फिजीकली फिट हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग के योग्य हैं तो इन बच्चों को यह ट्रेनिंग दी जाय। ऐसे समय पर उनका मारेल ऊंचा उठ जायेगा और जब कभी नेशनल एमर्जेंसी हो तो काम आ सकते हैं। इसलिये यह जरूरी हो जाता है कि मैं सरकार से इस बात की प्रार्थना करूं कि वह इस पर विचार करे। यह प्रस्ताव जो मैंने रखा है उसके रखने में मेरा कोई दूसरा आउट लुक नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूं कि हमारे राष्ट्र के नवयुवकों का दृष्टिकोण बदला जाय। हमारे राष्ट्र के नवयुवकों में वह जरूरी चीज पैदा की जाय जिससे वह देश को आगे बढ़ायें और जिससे हम सम्पन्न भी हो सकते हैं। तो इसलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है।

एक और सुझाव मैं सरकार को देना चाहता हूं वह मिलिट्री शिक्षा के सम्बन्ध में है। आपने मिलिट्री शिक्षा को स्कूलों में प्रचलित किया है। इसमें यूनीवर्सिटी की यू० टी० सी० या और एक्जलरी ट्रेनिंग फोर्स हैं। इस प्रकार की कुछ मिलिट्री संस्थायें हैं जिनमें लड़कों को जाने का मौका मिलता है। लेकिन जो कालेजेज हैं वहां टीचर इन्सट्रक्टर रखे गये हैं। वह इस प्रकार का वातावरण नहीं पैदा कर सकते हैं जो कि एक मिलिट्री मैन कर सकता है जो कि लड़ाई के फ्रन्ट में रहा हो। मैं चाहता हूं कि बजाय इसके कि आप एक सादे हवलदार, जो कालेजेज में ट्रेनिंग के लिये रखते हैं बहुत उचित होगा कि मिलिट्री आफिसर जिनको फ्रन्ट का भी तजुर्बा है उनको रखें तो वातावरण भी दूसरा हो जायेगा। इन टीचरों से जो शिक्षा दी जाती है उनसे जो वातावरण होता है वह दूसरा ही होता है। इसके अतिरिक्त लड़के लोग सिर्फ डमी राइफिल ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन जब मिलिट्री का आफिसर आयेगा तो वे वास्तविक राइफिल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक मिलिट्री ट्रेनिंग शिक्षा का सम्बन्ध है हम चाहते हैं कि हमारे राष्ट्र के नवयुवकों को अभी से तैयार किया जाय। फिर किसी समय में किसी प्रकार की इमर्जेंसी हो तो हम उस समय हर प्रकार से तैयार रहें और उस इमर्जेंसी का मुकाबिला करें। यदि इस चीज में शिथिलता रही और यह कि जब मौका आयेगा तभी विचार किया जायेगा तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि फौरन कोई ऐसी चीज पैदा नहीं की जा सकती जिससे हमारे देश को कोई फायदा हो सकता है। मैं इसके अतिरिक्त इसके सम्बन्ध में कोई खास बात नहीं कहना चाहता हूं। मैं केवल सरकार से इस बात का अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को जिस स्प्रिट से, जिस भावना से प्रेरित होकर मैंने

रखा है वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी और स्वीकार करने के बाद जो कुछ कार्रवाई होगी वह करेगी। अलावा इसके मैंने बजट में भी देखा कि जितना रुपया इस शिक्षा के लिये रखना चाहिये था वह नहीं रखा गया। तो इससे यह साबित होता है कि सरकार की जो स्कीम होती है उसके लिये अक्सर लोगों के हृदय में यह भावना पैदा होती है कि सरकार की कोई स्कीम आखीर तक तो जाती नहीं है वह बीच में ही खत्म हो जाती है। सरकार किसी स्कीम के बारे में सीरियस तो होती नहीं है इसी वजह से उसको सफलता भी नहीं मिलती। यह स्कीम सन् ४८ ई० में उठाई गई थी मगर सरकार ने उसकी ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया इसी कारण उसको उसमें काफी सफलता भी नहीं मिली। इसलिए मैं यह जरूरी समझता हूं कि राष्ट्र के कल्याण के लिए देश के प्रत्येक नवयुवक को सैनिक शिक्षा दी जाय। हमारे जन समुदाय को इसका काफी अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिये ताकि जरूरत पड़ने पर वह देश की सेवा कर सके। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव को उपस्थित करता हूं।

* **श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम** (वित्त मंत्री)—जनाबवाला, अभी कुंवर साहब ने यह कहा कि सरकार की जो स्कीम होती है वह पूरी तो होती नहीं है, मुमकिन है कि ऐसा हो, लेकिन ज़मींदारी अबालिशन में तो ऐसा हुआ नहीं है, वह तो पूरी हो गई है और अमल में भी आ गई है। इस वक्त जो मसला इस सदन के सामने पेश है उसकी निस्बत इतनी बात तो सही है कि अगर ऐसा हो जाय तो देश के लिये बहुत ही मुफ़ीद होगा। हमारे सूबे के बहुत से स्कूलों और कालेजों में मिलिट्री एजुकेशन जारी है। उसके बारे में यह ख्याल जरूर हो सकता है कि वह कम्पलसरी एजुकेशन तो जरूर है, लेकिन सिर्फ एक माने में नहीं है। यह सब्जेक्ट इम्तहान के लिये जरूरी नहीं है। वह पढ़ाया तो जरूर जाता है। इसके साथ साथ मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि अगर उसको कम्पलसरी कर दिया जाय तो उसके लिए रुपये की जरूरत है और गवर्नमेंट के पास इतना रुपया नहीं है।

फिर इस काम को करने के लिये प्राइरिटी दी जाय और जो प्राइरिटी दी जाय वह किस दर्जे की हो तो इस तरह से बहुत सी जरूरतें हमारे सामने हैं जिनको कि हमको देखना चाहिये और यहां के रहने वालों के आराम की और आसाइश की बहुत सी जरूरतें हैं और उनकी तकलीफों को दूर करने की भी बहुत सी जरूरतें हैं। जो कि पूरी करनी हैं तो इसके लिये स्कीमें तो हमारे सामने हैं। शायद कुंवर साहब की नीयत में पूरी हों या न हों, मगर हमारे नजदीक हैं और उनके ऊपर रुपया खर्च करने के लिये भी स्कीम रक्खी गई हैं अगर इस पूरी तस्वीर के अन्दर हम इस चीज को देखते हैं और फिर उस के लिये प्रायोरिटी दें तो जो रिजोल्यूशन का मकसद है उसके माने तो मेरे नजदीक यही निकलेंगे कि हायस्ट प्रायोरिटी इस काम को हो और जो रुपया हो तो सब से पहले इस काम के लिये वह रुपया रक्खा जाय। यह तो ऐसी बात है कि जिसको बहुत ही सीरियसली कन्सीडर करने की जरूरत है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि इस रिजोल्यूशन के सिलसिले में जवाब में यह कह दिया जाय कि यह बिल्कुल मुमकिन है और इसको कर दिया जायेगा या यह कह दें कि नहीं किया जायेगा तो यह तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। मेरे ख्याल में बेहतर तो यह होता कि जो चीज इस वक्त जारी है उसके ऊपर हम कन्टेन्डेंड रहते और उसमें अगर किसी किस्म की कमी है तो उस कमी को पूरा करने की कोशिश इस माने में करते कि अब से भी अच्छी हालत में वह ट्रेनिंग हो। इस आइडिया के साथ इस रिजोल्यूशन को शुरू करने के बजाय हम इसी तरीके से कुछ दिन इसको करते रहें तो

* मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री परमात्मानन्द सिंह]

एक जगह जब भगवान राम के सामने रावण युद्ध के मैदान में एक बड़े विशाल रथ पर बैठ कर अस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित होकर आया और रामचन्द जी के पैर में जूते भी न थे तो विभीषण घबड़ा गया :

रावण रथी विरथ रघुवीरा। देखि विभीषण भयउ अधीरा।।
अधिक प्रीति भा उर सन्देहा। बन्दि बचन कह सहित सनेहा।।
नहिं हय गज रथ नहिं पद त्राना। केहि विधि जितब रिपू बलवाना।।

उसको सुनकर भगवान राम ने कहा कि इस प्रकार के रथ से जीत नहीं होती उन्होंने यह बतलाया कि जिससे जीत होती है वह रथ दूसरा होता है और उस रथ का रामचन्द्र जी ने वहां पर वर्णन किया है। सब सदस्य जानते हैं। मैं उसको अधिक कह कर समय नष्ट नहीं करना चाहता।

शौरज धीरज जेहि रथ चाका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका।।
दम, विवेक, बल परहित घोरे। क्षमा, दया, समता रजु जोरे।। इत्यादि

तो भगवान राम ने उस समय बताया कि हमारे अन्दर सचाई होनी चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, गरीबों की रक्षा की भावना होनी चाहिए। अगर ऐसे अस्त्र हमारे पास हैं तो हमारी जीत होती है और आज हम लोग इस आदर्श को लेकर दुनिया के सामने चल रहे हैं। जहां कहीं लड़ाई होती है वहां हम दुनिया की जो सबसे बड़ी संस्था यू० एन० ओ० है उसके जरिए से तय करने की कोशिश करते हैं न कि लड़ाई के द्वारा। मैं नहीं कह सकता कि अब तक पूरी कामयाबी हुई है या नहीं, कुछ हिस्सों में तो कामयाबी हुआ है, और मैं उम्मीद करूंगा कि कुछ दिन बाद पूरी तरह से कामयाबी होगी और थोड़े दिन बाद दुनिया इस बात को समझेगी कि यह तरीका ज्यादा अच्छा है बनिस्बत हथियार से सुसज्जित होकर लड़ने से। जब यह तरीका चल रहा है उस हालत में हम अपने सभी नौजवानों को फ़ौजी शिक्षा देकर सभी को मिलिट्री माइन्डेड बना दें मेरा यह निश्चित मत है कि संसार को इससे हानि पहुंचेगी, लाभ नहीं होगा। मैं यह भी उसी के साथ साथ महसूस करता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने भी इशारा किया कि वर्तमान स्थिति में और कभी भी फौजीपन को एकदम मिटा नहीं सकते इसकी आवश्यकता भी एक हद तक है—परन्तु प्रधानता नहीं। प्राकृतिक रूप से लोगों के सम्मान और झुकाव अलग-अलग होते हैं—कुछ लोग जो प्राकृतिक रूप से फौजी मिजाज के होते हैं उनको यदि निकास का अवसर न मिले तो भी सरकार की कमजोरी है इसलिये मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो शिक्षा इस तरह की दी जा रही है वह बजाय अनिवार्य करने के वैकल्पिक कर दी जाये। यह आप्शनल सब्जेक्ट होता जिससे जिन लोगों की जन्म से प्रवृत्ति हो उनको एक रास्ता मिल जाये कि वह इस तरह की शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसलिए मैं सरकार को सुझाव दूंगा कि बजाय इसके कि मिलिट्री ट्रेनिंग को कम्पलसरी रखें वह इसको आप्शनल करें और आप्शनल करके खास-खास बड़े बड़े इन्स्टीटयूशन्स में इस बात की गुंजाइश कर दें कि जो जन्म से मिलिट्री माइन्डेड हैं वह इस शिक्षा को प्राप्त कर सकें।

मैं इस रिजोल्यूशन का, जो सब लड़कों को कम्पलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग देने के लिये पेश किया गया है, विरोध करता हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद मैं समझता हूं कि इस विषय पर बहुत कुछ कहने की अब आवश्यकता नहीं है। आपने अपने भाषण में सैनिक शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया और यह भी बतलाया कि सरकार ने इसके लिए प्रयत्न किया है

और जब आवश्यकता ऐसी समझी जायगी तब सरकार और भी विचार करने की चेष्टा करेगी। साथ ही आपने यह भी बतलाया कि यदि हम सैनिक शिक्षा अनिवार्य करते हैं तो इसमें खर्च बहुत पड़ेगा। आपने आंकड़े भी उपस्थित किये जिससे प्रतीत होता है कि १४ लाख और २२ लाख रुपया खर्च होगा जो शायद सरकार इस समय बरदाश्त करने के लिये तैयार नहीं है। प्रश्न यह है कि इस प्रकार की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये या नहीं। कुंवर गुरुनारायण साहब ने इसको स्पष्ट नहीं किया कि सैनिक शिक्षा से उनका क्या अभिप्राय है। क्या वह चाहते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग लड़कों के लिये अनिवार्य हो जाय या वह चाहते हैं कि मिलिट्री साइंस के लिये एक अलग विषय हो जाये।

उन्होंने इसको साफ नहीं किया। क्या वे चाहते हैं कि सैनिक शिक्षा हर एक बालक को दी जाय या वे चाहते हैं कि मिलिट्री साइन्स प्रत्येक विद्यार्थी के लिये अनिवार्य कर दिया जाय। यदि उनका अभिप्राय सैनिक शिक्षा से है तो सैनिक शिक्षा इन्टरमीडियेट में अनिवार्य नहीं है। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिये अनिवार्य है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--इस प्रस्ताव के माने सबके लिये हो।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--शारीरिक शिक्षा हर एक स्कूल और कालेज में प्रत्येक बालक के लिये अनिवार्य है। प्रान्तीय रक्षा दल सरकार ने बनाया था। उसके कुछ लोग कालेजों में गये और उन्होंने काम किये परन्तु विद्यार्थियों में कोई उत्साह नहीं दिखलाई पड़ा। उसका अनुमान आप बजट को देखकर कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में मिलिट्री साइंस का डिपार्टमेंट बनाया गया और सरकार ने बड़ी कृपा करके उसमें तीन अध्यापक नियुक्त किये। एक रीडर है जिसकी तनख्वाह ५०० रुपया से ८०० रुपया तक है। दो लेक्चरार हैं। उस डिपार्टमेंट में ३०० विद्यार्थी हैं। सुना है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने एक कमेटी नियुक्त की और उसके अफसरों ने यह सम्मति प्रकट की कि यह शिक्षा बिल्कुल बेकार है। यह प्रश्न बराबर हमारी कार्यकारिणी में आया। डा० हृदयनाथ कुंजरू ने फाइनेंस कमेटी में और इक्जीक्यूटिव कमेटी में कई बार कहा कि सैनिक डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटियों में बन्द कर देना चाहिये। इस प्रकार की शिक्षा से कोई विशेष लाभ नहीं है। ग्रांट्स कमेटी ने भी ऐसी ही सम्मति प्रकट की थी। सेना के अफसरों ने भी कहा है कि यह बिलकुल बेकार है। इससे आर्मी को कोई फायदा नहीं हो सकता है। इस समय यूनिवर्सिटियों में यू० टी० सी० है। उसमें थोड़े लड़के जाते हैं, सैनिक शिक्षा जैसा कि मेरे मित्र श्री परमात्मानन्द सिंह जी ने कहा है कि जिन बालकों की प्रवृत्ति सैनिक शिक्षा की ओर हो उनको देनी चाहिये। बहुत से बालक सैनिक शिक्षा के योग्य हैं। उनका समय नष्ट कराके बेकार खर्च करके जनता का रुपया नष्ट न कराना चाहिये। दूसरी बात जो कुंवर साहब ने कही कि हमारी आजादी की रक्षा के लिये इसकी बड़ी जरूर है। मैं समझता हूं कि आजादी के लिये कोई खतरा नहीं है। बाहरी आक्रमण हमारे देश पर नहीं हो सकता। अगर ऐसा आक्रमण होगा तो उसके लिये हमारी भारतीय सेना सदैव तैयार रहेगी। परन्तु इस समय कोई ऐसा भय प्रतीत नहीं होता है। आन्तरिक उपद्रवों से देश की रक्षा करने के लिये हमारी सराकर काफी मजबूत है। स्कूलों और कालिजों की शिक्षा उपयोगी है परन्तु उससे आपत्ति के समय कहां तक रक्षा हो सकी। यह विवादास्पद है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुंवर साहब के उद्देश्य की पूर्ति इस प्रस्ताव द्वारा न होगी।

एक बात कुंवर साहब ने कही और वह यह कि सेकेन्डरी एजुकेशन का प्रश्न अर्थात् माध्यमिक शिक्षा का प्रश्न इस समय सरकार के सामने विचार के लिये है। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक कमेटी नियुक्त की है जो विचार करेगी कि हमारी माध्यमिक शिक्षा में क्या सुधार होना चाहिये। किन-किन विषयों को पढ़ाना चाहिये और किस-किस तरह से पढ़ाना चाहिये।

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]
इस संबंध में हमारी सरकार ने भी एक कमेटी नियुक्त की है जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्र देव जी हैं, और लोग भी हैं जो इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किन किन विषयों को माध्यमिक शिक्षा में रखना चाहिये। इसलिये मैं समझता हूं इस सदन के लिये यह असामयिक होगा कि इस पहलू पर विचार किया जाय, जब इस विषय पर बड़ी बड़ी कमेटियां विचार कर रही हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि जब तक इन कमेटियों की रिपोर्ट हमारे सामने न आ जाय, तब तक हम इसके ऊपर विचार न करें। क्योंकि फिर हमें यह मालूम हो जायेगा कि इन कमेटियों में जो अनुभवी सदस्य हैं उनकी राय क्या है। श्री परमात्मा नन्द सिंह जी ने कहा कि हिन्सात्मक प्रवृत्ति ऐसी शिक्षा से बढ़ेगी। बालकों को व्यायाम की शिक्षा देना एक चीज है सैनिक शिक्षा देना एक दूसरी चीज है। बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी सैनिक शिक्षा में रुचि नहीं होती। कुंवर साहब का जन्म क्षत्री कुल में हुआ है। मेरा जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ है। पहले ब्राह्मणों का पढ़ाने लिखाने का काम था। जो ब्राह्मण रुपया लेकर पढ़ाता था उसका जाति से बहिष्कार कर दिया जाता था, लेकिन अब तो हम लोग रुपया लेकर पढ़ाते हैं। इतना पतन हो गया है। क्षत्रियों का भी पतन हो गया है। इस पतन पर इस सदन में विचार करना मैं निरर्थक समझता हूं। परन्तु यह निश्चय है कि सैनिक शिक्षा को अनिवार्य करने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होगी। इससे लाभ नहीं होगा। कुंवर साहब अभी थोड़े दिन तक इन्तजार करें, देखें कि ये कमेटियां शिक्षा में क्या सुधार करती हैं। कुंवर साहब जानते हैं कि इस समय संसार में जो दृष्टिकोण है वह शांति का है। यू० एन० ओ० और अनेक संस्थायें ऐसी बनाई गई हैं जो युद्ध लिप्सा को समाप्त करने का काम कर रही हैं। युद्ध लिप्सा दूर करने के यह माने नहीं कि हमारा राष्ट्र सैनिक दृष्टि से बिलकुल नष्ट हो जाय। इसका प्रबन्ध भारत सरकार पूर्ण रूप से कर रही है और आगे करेगी। इसलिये आज का प्रस्ताव थोड़ा सा असामयिक प्रतीत होता है। यदि उन कमेटियों के सुझाव में किसी प्रकार की त्रुटि होगी, तब हम फिर इस विषय पर विचार करेंगे।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गुरु नारायण जी ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने उपस्थित किया है उससे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित हो रहा है। इस प्रस्ताव के विषय में अभी तक जो भाषण दिये गये हैं मैं समझता हूं सदन उन पर भी काफी गम्भीरतापूर्वक विचार करे। इस प्रस्ताव के सिलसिले में कहा गया कि बाहरी या अन्दरूनी किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो उससे रक्षा करने का प्रबन्ध अभी से करना चाहिये। और उसके लिये यह सुझाव दिया गया है कि इन्टरमीडियेट कक्षाओं में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जाय। इसमें कोई शक नहीं कि आज जिस स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है, जैसी संसार की हालत है, वह बहुत ही विकट स्थिति है। दुनिया का प्रत्येक बड़ा राष्ट्र विश्वशांति के नाम पर युद्ध की तैयारियां कर रहा है। सभी बड़े राष्ट्रों को आज हम देख रहे हैं कि युद्ध की तैयारी में लगे हुये हैं। एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं और यही घोषणा की जा रही है कि हम दुनिया में शांति स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन मेरा यह विश्वास है और जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था कि जब तक दुनिया में यह तरीका रहेगा कि बड़े बड़े राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों का शोषण करते रहेंगे, जब तक प्रत्येक राष्ट्र के अन्दर कुछ वर्ग दूसरे वर्गों का शोषण करते रहेंगे तब तक अशांति की संभावना बनी रहेगी। चाहे जितने हो शांति सम्मेलन क्यों न किये जायं लेकिन दुनिया में युद्धों का अन्त न हुआ है और न होगा जब तक कि मूलभूत कारणों पर विचार न किया जायगा कि आज दुनिया की जनता की प्रवृति इस ओर क्यों हो रही है। हमारे राष्ट्र ने एलान कर दिया है कि अगर कहीं लड़ाई होती है, चाहे पड़ोसी राष्ट्रों में हो या दूर के राष्ट्रों में हो, तो हम उसमें शामिल न होंगे लेकिन मैं इस बात को साफ कह देना चाहता हूं कि हमारी नीति यह सही है कि हम किसी युद्ध में शामिल न होंगे लेकिन उसका मतलब यह कभी न लगा लेना चाहिये कि दुनिया में जितने राष्ट्र हैं वह तो बराबर हथियारबन्द होते जायं और हम इस भरोसे बैठे रहें कि हमें लड़ना नहीं है तो कोई हमसे भी न लड़ेगा, तो यह सरासर

एक धोखा है। आजकल के राष्ट्र ऐसे हैं कि वह चाहे कितने ही ऊंचे विचारों का प्रतिपादन क्यों न करें लेकिन जब उनके स्वार्थों की पूर्ति का सवाल होता है तो वह युद्ध करने से जब न आवेंगे। हमने पिछले महायुद्ध में और उसके बाद के युद्ध में जो देखा है उससे हमको कतई इस धोखे में न पड़ना चाहिये कि दुनियां में लड़ाई न आयेगी और आयेगी तो हम शामिल न होंगे और हम बच जायेंगे तो मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अभी डाक्टर साहब ने कहा कि दुनिया का शांतिमय वातावरण है। उनका शायद यह ख्याल है कि चूंकि बड़े बड़े राष्ट्र यह एलान कर रहे हैं कि लड़ाई न होनी चाहिये इसीलिये डाक्टर साहब पर भी उसका प्रभाव पड़ा कि दुनिया का शांतिमय वातावरण है लेकिन मैं पूछता हूं कि क्या कोरिया, मलाया और ट्यूनीशिया का शांतिमय वातावरण है। हमारा यह विश्वास है कि आज दुनिया का वातावरण शांतिमय नहीं कहा जा सकता और छोटे छोटे राष्ट्रों की जान आजकल खतरे में पड़ी हुई है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे राष्ट्र पर हमला होने वाला है लेकिन मैं यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हमें यह न सोचना चाहिये कि ऐसा न होगा। इसी तरह से आंतरिक वातावरण का सवाल हमारे सामने आता है। हमारा विश्वास है कि मौजूदा समाज की जब तक हमारे देश में यही दशा रहेगी कि अधिकांश जनता गरीबी के दिन व्यतीत करती रहे और कुछ आदमी सुख का जीवन व्यतीत करते रहे तब तक हम चाहे कितने ही उपदेश क्यों न दें लेकिन हमारा अन्दरूनी वातावरण शांतिमय नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में हमें और आपको विचार करना है कि आखिर हम क्या करें। अभी डाक्टर साहब ने यह भी कहा था कि हमारे देश के अन्दर अभी कोई खतरा नहीं है। और अगर कोई होता भी है तो सरकार अपने आपको इतना मजबूत समझती है कि वह उसको दबा सकती है। मैं विनम्रता पूर्वक यह कहूंगा जैसा कि सदन में कई बार यह बात हुई कि आज हमको भले ही यह मालूम होता है कि देश में बिलकुल शांतिमय वातावरण है लेकिन आप देखिये कि सूबे में कैसी कैसी डकैतियां पड़ रही हैं। डाकुओं के कितने बड़े बड़े दल हैं और उनमें कितने अधिक लोग शामिल हैं, कई कई जिलों में उनके गिरोह काम कर रहे हैं। देहातों में चोरियां और डकैतियां बढ़ती चली जा रही हैं कितने ही स्थान ऐसे हैं जो कि सुरक्षित नहीं हैं। वहां की जनता अपने आपको सुरक्षित नहीं समझती है। भले नागरिकों का जीवन आज गुंडों के हाथ में है। ऐसी स्थिति में अगर हम यह कहें कि हमारा देश अशांति की तरफ बढ़ रहा है तो वह बिल्कुल स्पष्ट है। अगर ऐसा वातावरण है तो उसका मुकाबिला कैसे किया जाये। जैसा कुंवर गुरुनारायण जी ने कहा कि उनका ख्याल है कि अगर अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी जाये तो हम बाहरी और आंतरिक हमले का मुकाबिला कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि किसी भी राष्ट्र की सरकार चाहे वह कितनी ही हथियार क्यों न रखती हो और उसकी सैनिक स्थिति चाहे कितनी मजबूत क्यों न हो लेकिन किसी भी राष्ट्र की अगर हिफाजत होती है तो उसकी रक्षा इस बात पर मुनहसिर है कि वहां की सैनिक बल तो मजबूत हो ही लेकिन इस बात की भी आवश्यकता होती है कि वहां की जनता आने वाले आक्रमण का मुकाबिला करने के लिये तैयार होती है। अगर जनता के अन्दर यह शक्ति नहीं है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि कोई भी सरकार अपने देश की रक्षा करने में असमर्थ होती है। पिछला दूसरा महायुद्ध हमारे सामने हुआ। हमने देखा कि फ़ासिस्ट सेनायें एक के बाद दूसरे मुल्क पर कब्जा करती चली गईं। फ़्रांस, बेल्जियम, हालैंड इत्यादि राष्ट्रों की धनिक जनता ने हिटलर के आगे सर झुका दिये। लेकिन जब रूस पर आक्रमण होता है तो वहां की सरकार में और जनता में इतना निकट संबंध था कि उन्होंने हिटलर की सेनाओं को बाध्य कर दिया कि उनको पीछे हटना पड़ा। तो हमारा यह विश्वास है कि जहांपर यह आशा है कि जनता को अनिवार्य सैनिक शिक्षा दी जाये वहां पर हमारा यह विश्वास है कि जनता में आन्तरिक और बाहरी आक्रमण के मुकाबिला करने की भावना जनता में पैदा की जाये। तब चाहे जिस प्रकार का आक्रमण हो हम उसका मुकाबिला कर सकते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि अगर आज हमारे मुहल्ले में आक्रमण होता है और हम डरपोक होकर बैठ जाते हैं और हमारे ऊपर जुल्म होता है तो हम सहन कर लेते हैं तो अगर हमारे ऊपर

[श्री राजा राम शास्त्री]

देश में किसी प्रकार का हमला हो जाता है तो उसके सामने झुक जायेंगे। तो जब यह कहा जाता है कि सैनिक शिक्षा दी जाये तो एक माननीय सदस्य ने कहा कि अगर हमने सैनिक शिक्षा दी तो हिन्सात्मक वातावरण पैदा हो जायेगा। नवयुवकों में वायलेंस की स्प्रिट पैदा हो जायेगी। अगर यह कहा जाये कि सैनिक शिक्षा दी जायेगी तो हिंसा की प्रवृत्ति पैदा होगी तो वैसे ही यह भी कहा जा सकता है कि अगर सैनिक शिक्षा न दी गई तो देश में बुजदिली पैदा होगी। मेरा ख्याल यह है कि सैनिक शिक्षा कोई बुरी चीज नहीं है। अगर सैनिक शिक्षा से दूसरे को लूटने की भावना पैदा होती है तो वह बुरी चीज है। लेकिन अगर हम सैनिक शिक्षा प्राप्त करके अपने देश की रक्षा के लिये तैयार होते हैं और देश का बच्चा बच्चा कुर्बान होने के लिये तैयार है कि हम आजाद रहें तो हम उसको बुरी चीज नहीं मानते।

हां, मैं यह जरूर मानता हूं कि आज यह चीज करीब करीब सत्य है कि सारा संसार शस्त्रीकरण कर रहा है। हमारा आजतक का यह अनुभव है कि सचमुच दुनिया जितना शस्त्रीकरण होती चली जा रही है जनता को उतना शिक्षित करना मुश्किल है। हमारा विश्वास हो गया है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान हथियारों से नहीं हो सकता है। महात्मा गांधी ने जिस युग में जन्म लिया है जिस की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं उन का मुकाबिला हम अहिंसात्मक जरिये से कर सकते हैं। यही ठीक नीति और आदर्श है। हमारी स्वतंत्रता का युद्ध इसी तरह से चलता रहा है। आज हमारी हुकूमत महात्मा जी के आदेशों को लेकर चलना चाहती है और हम उनकी आदेशों की पूजा करते हैं। लेकिन जिस वातावरण को दुनिया में हम रहते हैं उसको कोई नजरअन्दाज नहीं कर सकता है। जितने मसले इस वक्त संसार के सामने हैं वे सब शांतिमय तरीके से किये जायं इस तरह का हमारा देश संदेश देता है लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि हम संदेश जरूर देते हैं लेकिन इसके माने यह नहीं है कि हम संसार के सामने कमजोर रहना चाहते हैं। हम तो साफ चाहते हैं कि हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते इस बात पर जरा ठंडे दिल से विचार करें कि आज हम अपने यहां के नौजवानों को सैनिक शिक्षा देने का फैसला कर सकते हैं या नहीं। जब हमारे राष्ट्र में नौजवानों को इस तरह की शिक्षा दी जायेगी तो वे आक्रमण के समय देश की रक्षा कर सकते हैं। यह भी कहा गया है कि समय पड़ने पर प्रत्येक नौजवान को हथियार उठाना संभव हो सके। यदि नौजवानों को सैनिक शिक्षा नहीं दी जाती है और दुर्भाग्य से हमारे देश पर आक्रमण होता है तो हमारे देश के सैनिक हैं वह तो केवल फ़्रन्टलाइन में ही मुकाबिला कर सकते हैं अन्दर नहीं कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारा एलान है कि यदि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त उसका मुकाबिला करने के लिये हम तैयार रहेंगे यही हमारी नीति है। हम और आप इस समय जो नौजवान सैनिक शिक्षा प्राप्त होंगे यदि वे सहायता दें तो उनकी फ़्रन्ट लाइन में भी यह भावना रहेगी कि हमारे पीछे और है जो कि मुकाबिला कर सकते हैं इसलिये मेरा ख्याल है कि जहां लोगों के दिलों में इस प्रकार की भावना को पैदा करने का सवाल है कि अगर हमारे राष्ट्र पर संकट पड़ेगा तो उस वक्त राष्ट्र की रक्षा करने का उत्तरदायित्व केवल हुकूमत पर ही नहीं रहेगा बल्कि जनता पर भी रहेगा। उस वक्त हथियार उठाने की आवश्यकता पड़ेगी और हम इसको उठाने में बाज नहीं आयेंगे। श्री गुरुनारायण जी का जो अभिप्राय था वह मैं समझा कि अगर कोई होनहार बात हुई और हमारे देश पर आक्रमण हो गया, तब उस समय हमारी हुकूमत एलान करती है कि देश के ऊपर संकट है प्रत्येक नौजवान को मुकाबिला करना चाहिये तो जो लोग अभी तक कवायद करना भी नहीं जानते हैं तो इस मौके पर बन्दूक एक लठी की तरह उनके साथ हाथ में रह जायेगी। अगर हमारे देश का प्रत्येक नवयुवक जानता है कि रिवाल्वर कैसे चलाया जाता है, बन्दूक कैसे चलाई जाती है तो यह बात हो सकती है कि देश में संकट आने पर वह मुकाबिला कर सकता है।

एक सवाल यहां पर उपस्थित किया गया लेकिन मैं यह नहीं समझता हूं कि यह प्रस्ताव जो पेश किया गया है वह केवल मिलिट्री एजुकेशन देने के लिये ही उपस्थित किया गया है या उन

को हथियार भी चलाना सिखाया जायेगा। मेरे ख्याल में यह दोनों चीजें अलग अलग नहीं हो सकती हैं। अगर आप को हथियार चलाना नहीं आता है तो मिलिट्री शिक्षा बेकार है। इसलिये मैं यह जरूरी समझता हूं कि कोरी मिलिट्री शिक्षा का ज्ञान होना तो बेकार है जब तक उसको हथियार चलाना नहीं आता है। मिलिट्री शिक्षा के साथ ही साथ थोड़ा सा हथियार चलाने का भी ज्ञान होना चाहिये। हम को राज्य के नवयुवकों को इस आदेश से ट्रेन्ड करना है कि राष्ट्र के संकट के समय वह देश के काम आ सकें और राष्ट्र की रक्षा कर सकें। अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक विचित्र बात कही कि हम इस शिक्षा को तो शुरू कर देंगे लेकिन उसके लिये हम को रुपये की जरूरत है, तो उस के लिये हम जो टैक्स लगाने का प्रस्ताव लाते हैं मंजूर कर लीजिये। यहां पर फिर एक मतभेद आ जाता है। हम लोग चाहते हैं कि देश की उन्नति हो। देश के सुधार के लिये रुपये की जरूरत है, लेकिन उसके लिये यह जरूरी नहीं है कि वह रुपया टैक्स ही लगा कर आये। हमारे देश में ऐसी बहुत सी दौलत पड़ी हुई है जिसका सदुपयोग नहीं होता है बल्कि दुरुपयोग होता है। ऐसी दौलत सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये और राष्ट्र के निर्माण में लगा देना चाहिये। इस का बोझ निर्धन लोगों पर नहीं डालना चाहिये। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि कुंवर साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है कि देश में सैनिक शिक्षा दी जाय, अगर इसमें खर्च की आवश्यकता पड़ती है तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि आप को देश की ऐसी तमाम दौलत जिस का उपयोग ठीक से नहीं होता है और व्यक्तिगत लोग उससे फायदा उठाते हैं, ऐसी दौलत को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये। मैं चाहता हूं कि जिस उद्देश्य से प्रस्ताव पेश किया गया है उसकी ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री एम० जे० मुकर्जी—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव इस समय सदन के सामने पेश है कि देश की रक्षा के लिये सैनिक शिक्षा दी जाय लेकिन जिस वक्त लड़ाई शुरू होगी, उस वक्त हम इसका फैसला हाउस में न कर सकेंगे यह काम तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है। वक्त जरूरत पर लड़ाई का इन्तजाम करने के लिये कान्स्टीट्यूशन के अन्दर शेड्यूल ७ और सेक्शन २४६ में साफ दिया हुआ है। लेकिन उसकी तैयारी में हम अपने नौजवानों को तैयार रक्खें, यह जरूरी है कि हम उसमें सोचें कि कहां तक हम अपने नौजवानों को अपने मुल्क की बेहतरी के लिये तैयार करेंगे। एक सवाल उसका यह है कि हमारे नौजवानों की तालीम का मसला हमारे सामने है और उसको इस तरह से रक्खा जाय कि जिसमें मुल्क की सब से ज्यादा बेहतरी हो। अगर हम सोचते हैं कि मुल्क की बेहतरी सिर्फ इसमें है कि हम उनको सैनिक शिक्षा दें और इस तरह से अपने नवजवानों को तैयार करें कि वह सिर्फ मुल्क की रक्षा कर सकें और दूसरा सवाल यह है कि हम अपने नौजवानों को ऐसी तालीम से तैयार करें कि न सिर्फ वह सैनिक शिक्षा को ही सीखें बल्कि हर विषय में अपने देश की रक्षा करने के लिये तैयार हों। मेरा मतलब यह है कि इस वक्त मैं सिर्फ दो शब्दों पर ही गौर करूंगा। पहला यह है कि सैनिक शिक्षा कम्पलसरी हो और दूसरे यह कि मिलिट्री एजुकेशन हो। अगर एजुकेशन को मिलिट्री नाम दिया जाय तो न वह लड़कों को ज्यादा तैयार करेंगे और न वह उस तरह से अपने देश की सेवा ही कर सकते हैं। अपने मुल्क की सेवा करने के लिये उनको लिबरल एजुकेशन दी जाय, ताकि वह मुल्क की ऐसी सेवा कर सकेंगे जिसकी वजह से मुल्क की बेहतरी हो। आपको मालूम होगा कि विलायत में भी ईटन और हैरो के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया, जहां पर मैं समझता हूं कि एजुकेशन की बड़ी ही अच्छी हालत है कि विलायत की एजुकेशन ऐसी है कि वह बच्चों को एक ही ढंग में तैयार करते हैं। जैसे कि वहां बच्चों को क्लासिकल की एजुकेशन दी जाती है और इस तरह की ट्रेनिंग दे करके उनको सिखाया जाता है कि अगर वह क्लासिकल की दुश्वारियों को हल कर लेंगे तो वह देश की हर दुश्वारी को हल कर सकेंगे। अगर हम यह समझते हैं कि मिलिट्री एजुकेशन ऐसी है कि अगर इस कार्य को बच्चों को सिखाया जायेगा तो वह केवल सैनिक शिक्षा से ही सारे कार्य कर सकते हैं तब तो हम उनको लें, वरना हमें अहमियत इस बात को देनी पड़ेगी कि हमारे मुल्क की बेहतरी के लिये किस प्रकार की तालीम लड़कों को दी जानी चाहिये।

[श्री एम० जे० मुकर्जी]
मैं समझता हूं कि जो चीज जबरिया कहीं पर भी रक्खी जाती है या कम्पलसरी की जाय तो वह कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे देश के नेताओं ने भी यह कहा कि:

we went out our 'youth to have wider outlook and daper insight in to the problems of the country. Will the military training widen the outlook of our youth. I take it from the educational point of view.

बच्चों को आज भी इस बात की जरूरत है कि उनको इस बात की तालीम दी जाय कि एक वक्त उसके सामने ऐसा आता है कि जिस वक्त उसको डिसीजन करना पड़ता है और जिन्दगी में भलाई और बुराई के डिसीजन की उसको जरूरत पड़ती है। अगर हम बच्चों को ऐसी तालीम नहीं देते हैं कि वक्त जरूरत पर फैसला किस किस्म का किया जाय तो बच्चों की तालीम कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। इस तरह से मुल्क की बहबूदी के लिये वह कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं। यहां पर यह भी जिक्र किया गया है मिलिट्री एजुकेशन से डिसिप्लिन ज्यादा आ जायगा मैं तो यह समझता हूं कि डिसिप्लिन एक अन्दरूनी चीज है वह खुद बखुद पैदा होती है। अगर कोई हमारे ऊपर प्रेसर डाले और उससे हमको प्रेस करे तो उससे रिप्रेसन होने का अन्देशा होता है और उसका नतीजा रिबैलियन होता है। चुनान्चे हमारे बच्चों में तालीम का जो असर होता है कि अगर उसको प्रेस किया जाता है तो छटपने से ही रिप्रेसन करता चला जाता है और इस तरह से वह कभी भी हुक्म मानने के लिये तैयार नहीं होता। उसका एक खतरा है आप नहीं जानते कि "youth is volatile very inflamable and undependable, It will be very dangerous at times to give him arms" अगर कहीं उनके हाथ में बन्दूक दे दी जाय तो कहीं ऐसा न हो कि वक्त जरूरत पर वह हमारे ऊपर ही बन्दूक छोड़ दें।

हमारे मुल्क की अवस्था ऐसी हो रही है कि यहां के नौजवान ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं कि उनका संभलना मुश्किल हो रहा है। फिर एक लफ्ज और कहूंगा और इसके बाद में अपनी स्पीच को समाप्त करूंगा। यह है कि जो कुछ भी आप बच्चों की बहबूदी के लिये सोचें और इस मुल्क की रक्षा का ख्याल करें तो इस बात की जरूरत है कि उनको तालीम चाहे थोड़ी ही दी जाय लेकिन वह अच्छी किस्म की हो, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है और मैं समझता हूं कि सरकार जो तालीम दे रही है वह काफी है और उचित है। इसलिये इस वक्त इस रिजोल्यूशन की कोई खास जरूरत नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावक महोदय अपना रिजोल्यूशन वापस ले लें।

*श्री हयातुल्ला अंसारी (नामनिर्देशित)—माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं आपको बधाई देता हूं कि आज जिस वक्त यह प्रस्ताव पेश हुआ है और जो लोग इस पर बहस कर रहे हैं, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने कि मिलिट्री एजुकेशन कभी ली हो। अगर उन माननीय सदस्यों ने मिलिट्री एजुकेशन ली होती, तो शायद वे ऐसी बहस नहीं करते। ये चीजें जहां मौजूद होंगी वहां दूसरे ढंग से सब कायदे अख्तियार करने पड़ेंगे। क्योंकि वे अगर इस तरह की ट्रेनिंग पाते हैं तो उनको जैसी लड़ाई करनी पड़ती है, तो उनको वैसे फैसले भी करने पड़ते हैं। आज कहा जाता है कि लड़कों को मिलिट्री एजुकेशन देना है। मगर मिलिट्री एजुकेशन देने के लिये जैसे तरीके बर्ते जांये और जिन तरीकों को अख्तियार किया जाय तो उन सबका एक खास तरीका होना चाहिये। उनके दिमाग को, और खास करके उनकी किताबों को जिस तरह से स्टेन्डर्डाइज होना चाहिये अगर उस तरह नहीं होता है तो तब तक उनको मिलिट्री एजुकेशन नहीं दी जा सकती है। अगर मिलिट्री एजुकेशन देना होगा तो आपको उसके लिये टेक्सट बनाना पड़ेगा और दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे और दूसरे तरह की किताबें उनके लिये होंगी, तभी मिलिट्री एजुकेशन दी जा सकेगी। तो इस तरीके से इसके लिये दो चीजें खास कर होनी चाहिये और तभी यह मुमकिन हो सकेगा कि हम उनके दिमाग में इस तरह

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

की चीज भर दें। हमको पहले वाले तरीके बदलने होंगे। अगर आपको मिलिट्री एजुकेशन देना है तो आपको नौजवानों के दिमाग को भी ठीक करना होगा जिससे कि वे उसके लिये तैयार हो जायें और आपको अपने दिमाग में भी इस बात को तय कर लेना होगा। लार्ड टेनिसन ने एक जगह कहा है "there is not to reason why, But to do and die" तो फैसला करना अब उन नौजवानों का काम है। वे किसी काम के लिये भी एकदम फैसला कर सकते हैं। मिलिट्री एजुकेशन से हमारे बहुत से ऐसे नौजवान तैयार हो जायेंगे जो कि देखेंगे कि इस चीज की हमें जरूरत है और वे फ़ौरन इसके फैसले पर पहुंच जायेंगे। अब इसके बाद एक चीज़ की हमें जरूरत है और वह यह कि इससे हर नौजवान को फिर इन्सान से हमदर्दी नहीं होनी चाहिये। इन्सान को हमदर्दी की जरूरत नहीं होगी क्योंकि वे फौजी लोग होंगे। आप इतनी फौज बनाकर क्या कीजियेगा। लड़ाई होगी तो फौजें काम में आयेंगी। मगर आज हमें इस तरह से बेकार २ लाख फौज की जरूरत नहीं है बल्कि हमें दो हजार ऐसे आदमी चाहिये जो कि काफी हों और जिनके पास हवाई जहाज और इस किस्म की दूसरी चीजें भी हों और वे हर वक्त तैयार हों। आप मिलिट्री एजुकेशन देकर ऐसी बात अपने नौजवानों में पैदा न कीजिये कि वे जिस तरह से चाहें उसका इस्तेमाल करें और मामला फिर कंट्रोल के बाहर हो जाय। इस तरीके से अगर फौजें बनानी होंगी, तो उनके अन्दर एक चीज, एक जज्ब पैदा करना होगा। एक नया अन्दाज और एक नयी निगाह पैदा करनी होगी। बल्कि मैं थोड़े अल्फाज में यह कहूंगा कि फौजी तालीम कहना ही गलत होगा। यह इन्सान की बदकिस्मती है कि अपने बचाव के लिये वह नाम लेता है मिलिट्री एजुकेशन का। मैं तो यह कहता हूं कि दुनिया में अमन हो जाय तो फौज, बन्दूक और बम वगैरह की कोई जरूरत नहीं रहेगी और वह म्युजियम में ही रखने की चीज हो जायेगी। मैं यह नहीं कहता कि जो चल रही है वह निकाल दी जाय, लेकिन उसकी सही जगह समझने की जरूरत है। बैरूनी और अन्दरूनी हालात देखने की है कि आया यह हालात क्यों हैं उसके अनालेसिस की जरूरत है और वह हालात कैसे दूर किये जा सकते हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है मैं एक जगह गया था वहां पर एक पुल था तो वहां के एक आदमी ने मुझसे कहा कि आपको मालूम है कि यह पुल कैसे बना। मैंने कहा कि नहीं मालूम है। तो उसने बताया कि एक राजा था करीब १०० साल हो गये उसको डाकुओं का बड़ा डर था राजा ने वजीर को बुलाया और कहा कि एक किला ऐसा बनाओ कि डाकू हमला अगर करें तो हम लोग छिपकर अच्छी तरह से बैठ सकें। वजीर चला गया और ६ महीने के बाद वापस आया उसने कहा कि साहब किला तैयार हो गया आप देख लें। राजा साहब गये तो वजीर ने कहा कि साहब यह पुल आप की रक्षा करेगा और वह पुल वाकई वहां की जनता के लिये न्यामत साबित हुआ और उनकी ऐसी मजबूत फौज़ बन गई कि डाकुओं की हिम्मत ही नहीं रही कि वह हमला कर सकते। हकीकत में हमको सोसाइटी की तरफ देखना है और ऐसी सोसाइटी बनानी चाहिये कि अगर हमलावर हमला कर भी दे तो रूल न कर सके। मुझे इस बात का अफसोस है कि हमारे माननीय सदस्य ने महात्मा गांधी का नाम इतने भद्दे तरीके से लिया कि मैं कुछ कह नहीं सकता और मैं नहीं समझता कि उसको किस तरह से बयान किया जा सके। अगर जर्मन होता तो उसकी दूसरी थ्योरी होती यानी इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों की मुरव्वत थी कि वह छोड़कर चले गये। मैं तो कहूंगा कि उन्होंने नानवायलेंस की अहमियत को नहीं समझा। उन्होंने जो सबक दिया है वह मिट नहीं सकता है। यह हकीकत है कि वह एक ताकत है और आज का जमाना है कि लोगों का अकीदा एटम बम और दूसरी चीजों से उठ गया है, फौज़ से अकीदा उठ गया है। यह नई ताकत है। उस पर हमको भरोसा करना चाहिये और उसका इम्तिहान करना चाहिये उन्होंने समाज को बनाने का तरीका बताया है जिस पर कोई रूल नहीं कर सकता है। लोगों को मार सकते हैं और हुकूमत बना सकते हैं लेकिन रूल नहीं कर सकते हैं। मैं यकीन दिलाता हूं कि बाहर दूसरे मुल्कों में हमारे मुल्क की बड़ी धाक है और बहुत रोब है। गांधी जी ने अपनी तहरीक चला कर के यह साबित कर दिया है कि अवाम की ताकत के सामने फौज कोई ताकत नहीं रखती है और मैं तो यह कहता हूं जनता की ताकत ऐसी है कि उसको मजबूत बनाना चाहिये वही हमारी बेहतरीन फौज होगी।

[श्री हयातुल्ला अंसारी]

आज तालिबइल्मों की फौज को बनाने से यह अच्छा होगा कि हम रोटी का मसला हल करें। अगर हम रोटी और कपड़े का इन्तजाम कर दें तो हम देखेंगे कि कोई भी ताकत नहीं हो सकती है जो हम पर हमला कर सके। अगर हम मिलिट्री एजुकेशन में अकीदा रखते हैं तो हमको एटम बम बनाना चाहिये लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं वह यह है कि इस वक्त हमको कोई जरूरत नहीं है। आपस में टकराने का कोई अंदेशा नहीं है। इसलिये टक्कर लेने वाली जो बड़ी ताकतें हैं वह आपस में टकरायें। मुकाबिला इन्हीं दो ताकतों का है। इस मौके पर सबसे बेहतर पालिसी यही है कि किसी तरीके से उनकी फौज में दाखिल न हों। खतरे का अंदेशा जरूर है इसके लिये हमें तैयारी जरूर रखना चाहिये इसलिये मैं यह हर्गिज न कहूंगा कि हमारी जो फौजें हैं उनको तोड़ दिया जाये, ये रहें, लेकिन एक तनासुब रखना है। न तो हमें यह करना है कि सारा देश वर्दी पहन कर इन्सानियत छोड़ कर फौजी बन जायें। दूसरी तरफ फौज की जरूरत भी है। जब कभी लड़ाई में मुकाबिला करने की जरूरत दरपेश होगी तो यहां की जनता मुक़ाबिला करेगी। जब रूस पर जर्मनी ने हमला किया था तो वहां की जनता ने जर्मनी का मुकाबिला किया था। एक एक चट्टान की हिफाजत के लिये हजारों आदमी मर गये, मगर लेलिनग्राड पर जर्मनी का कब्जा नहीं होने दिया। इसलिये मैं कहता हूं कि खुदा के लिये फौज पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें। लड़ता इन्सान का दिल है हाथ नहीं लड़ा करता।

डिप्टी चेयरमैन--सदन की बैठक दो बजकर १० मिनट तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बजकर १० मिनट पर स्थगित हो गई और २ बजकर १० मिनट पर डिप्टी चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय कुंवर साहब ने जो प्रस्ताव रखा है कि सैनिक शिक्षा इन्टरमीडियेट क्लासेज में कम्पलसरी हो जाय जहां तक उनके प्रस्ताव का संबंध है मैं भी उससे कुछ इत्तिफाक रखता हूं, किन्तु जो प्रस्ताव के शब्द हैं उन्होंने जो प्रस्ताव की रूपरेखा बनाई है और उसके आरम्भ में जो शब्द रक्खा है उसमें कुंवर साहब ने लिखा है कि "बाहरी या भीतरी आक्रमण और भय का मुकाबिला करने के लिये राष्ट्रीय संकट के समय में सशस्त्र सेना की सहायता करने के लिये इन्टरमीडियेट कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मिलिट्री ट्रेनिंग एक आवश्यक विषय बना दिया जाय"। ये वह शब्द हैं जिनसे मैं पूरी तौर से इत्तिफाक नहीं करता हूं इसलिये मैं यह समझता हूं कि इस समय न हमारे राष्ट्र को और न हमारी स्टेट को कोई बाहरी या भीतरी संकट का खतरा है और हम अगर स्कूलों और कालेजों में सैनिक शिक्षा का भी प्रबन्ध करें तो उसमें छात्रों की मनोवृत्ति यह कह कर बदलना चाहते हैं कि हम राष्ट्र को खतरे से बचाना चाहते हैं इसलिये हम चाहते हैं कि आप सेना में भर्ती हो जायं और सैनिक शिक्षा प्राप्त करें, तो यह ठीक नहीं होगा। कुंवर साहब ने यह माना है और उन्होंने कहा है कि हम छात्रों की मनोवृत्ति इसलिये बदलना चाहते हैं कि उनका नैतिक स्तर ऊंचा हो, उनके अन्दर जो इनडिस्पिलन है उसको दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि मिलिट्री शिक्षा इन्टरमीडियेट क्लासेज में इन्ट्रोड्यूस करें। जहां तक उनके नैतिक स्तर ऊंचा करने का संबंध है मैं यह मान सकता हूं कि सैनिक शिक्षा आवश्यक है लेकिन फिर भी मेरा अपना विचार है कि कम्पलसरी शब्द रखना मुनासिब नहीं है। इसलिये कि हम और आप जानते हैं कि इन्टरमीडियेड क्लासेज में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, उसमें बहुत से विद्यार्थी शारीरिक तौर से इतने दुबले होते हैं कि वे बन्दूक और राइफल उठा नहीं सकते हैं। साथ ही साथ जो विद्यार्थी इन शिक्षालयों में पढ़ते हैं उनमें से आजकल बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि जिनकी उम्र १०, १२ या १५ वर्ष की होती है। इस उम्र के अन्दर वे इन्टरमीडियेट पास कर लेते हैं। दस बारह वर्ष के उम्र में उन्हें मिलिट्री शिक्षा दी जाय, यह उचित नहीं है। इसलिये उन विद्यार्थियों को मिलिट्री शिक्षा दी

जाय जो शरीर से कमजोर है या जो बड़े-बड़े हथियार उठा नहीं सकते हैं मैं समझता हूं कि इससे जो कुंवर साहब का अभिप्राय है, जो कुंवर साहब का ध्येय है और जो कुंवर साहब के प्रस्ताव की मनोवृत्ति है वह भी खत्म हो जाती है। माननीय राजाराम जी ने एक बात कही है और वह यह कि हम पीस लीविंग हैं, हम शांतिमय वातावरण चाहते हैं इसलिये हम किसी को कम्पेल नहीं कर सकते हैं। शांति और पीस के नाम से यह कहना कि हम अपने विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा न दें यह ठीक नहीं है। मैं भी राजाराम जी की बात से इत्तिफाक नहीं करता हूं उन्होंने अक्सर यह कहा कि हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के जो नौजवान हैं और विद्यार्थी हैं वह मजबूत बनें। हम यह चाहते हैं कि हमारे देश के विद्यार्थी मज़बूत बनें और संकट के समय हमारे राष्ट्र के काम आयें। लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि जो बुजदिल आदमी हैं जिनको सैनिक शिक्षा से रुचि नहीं है जिन्होंने कभी हथियार भी नहीं उठाया है क्या वह यह काम कर सकते हैं। इम्तिहान दिला कर सैनिक शिक्षा का डिप्लोमा उनको ज़रूर दिला लेंगे, लेकिन जैसा कि आपका ख्याल है, इमर्जेंसी के समय, संकट के समय क्या वह संकट का मुकाबला कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो जो मक़सद आपका इस प्रस्ताव के रखने से है, वह मक़सद इससे नहीं पूरा होगा। फिर हमारा मतलब मिलिट्री शिक्षा से यह भी नहीं होना चाहिये कि दस्तूर के तौर पर जैसे आजकल दूसरी चीजें चल रही हैं आर्ट, क्राफ्ट वगैरह सिखाने के लिये तो सिखा दिया जाता है मगर जब वह स्कूल से बाहर निकलते हैं तो कुछ नहीं कर पाते सिवाय इसके कि उनके पास आर्ट और क्राफ्ट का डिप्लोमाज़ है और प्रैक्टिकल कुछ नहीं कर सकते। आप यदि मिलिट्री शिक्षा को भी ऐसा ही चाहते हैं जैसे आर्ट और क्राफ्ट आदि की चीजें दस्तूर के मुताबिक पास करके डिप्लोमा हासिल कर लेते हैं और काम कुछ नहीं कर सकते तो यह बिल्कुल बेकार चीज़ है। हमें देखना यह चीज़ है कि हम ऐसे विद्यार्थियों और नवयुवकों को छांटें जो इससे दिलचस्पी रखते हों और जो इस बात की जिम्मेदारी ले सकें कि मिलिट्री शिक्षा पाने के बाद राष्ट्र की सेवा कर सकेंगे और कौम के काम आ सकेंगे तब तो मिलिट्री शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है वह पूरा हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिये अब हमें इस बात की कोशिश नहीं करना चाहिये कि मिलिट्री शिक्षा हाई स्कूल या इन्टरमीजिएट या डिग्री से कालेजेज़ में कम्पलसरी कर दी जाय बल्कि हमारा उद्देश्य यह होना चाहिये कि मिलिट्री शिक्षा हाई स्कूल इन्टरमीजिएट्स और डिग्री कालेजेज़ में भी हो, मगर जो नवयुवक और विद्यार्थी उस मिलिट्री शिक्षा को लेने के काबिल हैं, जो शारीरिक तौर पर योग्य हैं, उनको ही यह शिक्षा दी जाय और उनके ऊपर ही ज्यादा रुपया खर्च हो।

जैसा कि हाफ़िज़ जी ने कहा कि फिर इस पर धन भी खर्च होगा तो लाजिमी है कि टैक्सेशन हो। इसलिये राष्ट्र का रुपया उन कामों में खर्च होना चाहिये जिसकी उपयोगिता हो। जिससे हमारा राष्ट्र समृद्धिशाली बन सके, जिससे हमारे नौजवान उन्नति कर सकें, वह खुद बलवान होकर दूसरों को बलवान बनावें। मैं समझता हूं कि कुंवर साहब का मक्सद यह था कि मिलिट्री शिक्षा केवल उन नौजवानों को दी जाय जो नौजवान संकट के समय में मिलिट्री कार्य करने के साथ-साथ देश के नैतिक स्तर को भी ऊंचा कर सकें। मैं समझता हूं कि उनका मतलब यह कभी न होगा कि मिलिट्री शिक्षा हर एक को दी जाय चाहे वह लड़ने के योग्य हो अथवा न हो। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि मिलिट्री शिक्षा इन्टरमीजिएट में ही लागू न हो बल्कि डिग्री कालेजेज में और हाई स्कूल में भी लागू हो और उन्हीं नौजवानों को दी जाय जो इस शिक्षा के लेने के योग्य हों।

श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--आजकल का जो युद्ध है वह केवल बन्दूक या तोपों या अन्य हथियारों का नहीं कहा जा सकता बल्कि आजकल का युद्ध टोटल वार होता है, जिसमें एक मुल्क की पूरी ताकत अपने स्थान पर काम करते हुये

[श्री इन्द्रसिंह नयाल]

दूसरे मुल्क की पूरी शक्ति के साथ युद्ध करती है। आजकल हथियारों से ही युद्ध नहीं जीता जाता है बल्कि मुल्क की पूरी ताकत अपनी जगह पर पूरी तरह से प्रयत्न करती है और वह सब काम करती है जिसस लड़ाई में पूरी जीत मिल सके। इसलिये मैं कहता हूं कि यह टोटल वार का जमाना है। इसमें यह प्रस्ताव रखना कि हमारे देश के लिये खतरा है और इसके लिये अन्यावश्यक है कि हमारे स्कूलों में मिलिट्री शिक्षा अनिवार्य हो, यह मैं समझता हूं कि ऐसा प्रस्ताव है कि अगर यह समस्या होती भी तो भी यह प्रस्ताव ज्यादा अच्छा न समझा जाता। जो पहली बात प्रस्तावक महोदय ने अपने ख्याल से दूर कर दिया वह यह कि युद्ध हथियारों से ही नहीं जीता जाता बल्कि इसके लिये नेशनल कैरेक्टर को भी ऊंचा उठाना पड़ता है। महायुद्ध को अंग्रेजों ने नेशनल कैरेक्टर के बल पर जीता था। वहां के नागरिक बड़ी निर्भीकता से अपना कार्य करते रहे यद्यपि वहाँ पर बराबर गोलाबारी जारी थी, लेकिन वह अपने काम में जुटे रहे। तो वहां के असैनिक बहादुरों के कन्धे पर भी वहां की जीत का श्रेय है। इसी तरह रूस में भी हुआ। जर्मनी रूस के अन्दर तक पहुंच गया लेकिन वहां के नागरिकों ने यह ख्याल करके कि हमारा अन्न दुश्मनों के हाथ न पड़ जाय अपने अन्न और मकानों में खुद ही आग लगा दिया। इस तरह की नीति अगर वह न बरतते तो उनका जीतना कठिन हो जाता। दूसरी बात यह है कि वहां के लोगों को इस बात का सबसे बड़ा श्रेय है कि वहां इतना बड़ा हमला होने पर भी वहां के लोगों का विश्वास स्टालिन और बोलशेविक शासन पर बना रहा ऐसा नहीं कि जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि इस वक्त बहुत तकलीफ है और कहते हैं कि कांग्रेस बहुत खराब है उस स्प्रिट के प्रतिकूल एक विश्वास की स्प्रिट (spirit) से। हिटलर ने सारा जुआ ही इस बात पर खेला था कि अगर मैं वहां पर हमला करूंगा तो वहां के लोग स्टालिन के शासन के खिलाफ हो जायेंगे और मैं आसानी से रूस जीत लूंगा। मैं निवेदन कर रहा हूं कि आजकल की लड़ाई जो है उसमें जनता की पूरी-पूरी शक्ति काम करती है और इस बात पर निर्भर है कि हर एक नागरिक का आचरण ऊंचा हो। उसकी त्याग की भावना ऊंची हो? कार्य करने की लगन ऊंची होनी चाहिये। अगर कार्य करने की शक्ति बहुत है तो साथ ही साथ उसका ज्ञान भी ऊंचा होना चाहिये। विज्ञान का ज्ञान मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि अगर हमारे सामने लड़ाई की समस्या आ जाये तो यह जरूरी नहीं है कि हम मिलिट्री की एजूकेशन कंपलसरी कर दें, पहली चीज तो हमें यह देखना चाहिये कि हमारे देश में फैक्टरियां काफी कायम हो गई या नहीं। प्रोडक्शन बढ़ गया है या नहीं। हमारा प्रोडक्शन बढ़ जायेगा तो हम उस प्रोडक्शन और फैक्टरियों को युद्ध के कार्य में लगा सकेंगे। हमारा नैतिक स्तर ऊंचा होना चाहिये। देश और सरकार के प्रति विश्वास होना चाहिये। महात्मा जी ने सत्याग्रह आन्दोलन के द्वारा यह कोशिश की कि हमारे देश का चरित्र ऊंचा उठे, त्याग व देशभक्ति की भावना पैदा की। यही चीजें आज हमारे दश को ऊंचा उठाये हुये हैं। हमारे नेता पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्र का स्थान ऊंचा उठा हुआ है। यही चीज हमें युद्ध में सफल बना सकती है। इसमें सन्देह नहीं है। दूसरी चीज जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि जहां तक मैंने इसका इतिहास देखा है मैंने किसी भी देश में कभी भी स्कूल और कालेजों में मिलिट्री एजूकेशन को कंपलसरी नहीं देखा। जर्मनी ने सन् १९१८ के युद्ध के पहले अडल्ट के लिये मिलिट्री एजूकेशन अनिवार्य किया था। जर्मनी चाहता था कि उसके तमाम बालिग नागरिक सिपाही के कार्य में ट्रेंड हो जावें और तमाम मुल्कों में अपना राज्य जमा सके। इसलिये उसने अडल्ट्स के लिये मिलिट्री एजुकेशन कम्पलसरी किया था। लेकिन अडल्ट्स याने सब बालिगों के लिये मिलिट्री एजुकेशन कंपलसरी करना एक बात है और स्कूल के बच्चों के लिये कंपलसरी करना दूसरी बात है। बच्चों के लिये इसको अनिवार्य करना ठीक नहीं है। इससे उनकी

मनोवृत्ति में फर्क पड़ सकता है और मुट्ठी भर बच्चों से युद्ध में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर कोई युद्ध की समस्या हल करनी होती भी तो यह भारत सरकार का सवाल है। प्रदेश का सवाल नहीं है। सेंट्रल सरकार अगर महसूस करती है कि किसी टेरिटोरियल आर्मी की जरूरत है तो वह उसके लिये इन्तजाम करेगी। फैक्टरियां अगर बढ़ानी हैं तो उसके लिये वह काम कर ही रही है। लेकिन हमारा याने प्रदेश का ध्येय तो शिक्षा देना है। हमारे मित्र गुरु नारायण जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका प्रियम्बुल ही ग़लत है। यह प्रस्ताव तो प्रियम्बुल ही से गलत हो जाता है। अगर हम यही मान लें कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है इसलिये मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी जाये तब यह विषय प्रदेश के कार्य क्षेत्र से बाहर हो जाता है न तो कोई युद्ध का संकट है और न इस वक्त युद्ध संकट की तैयारी में स्कूलों में मिलिट्री एजुकेशन अनिवार्य होने की आवश्यकता है। इसलिये जो प्रस्ताव रखा गया है वह ग़लत रखा गया है यह सही है कि मिलिट्री एजुकेशन का आम शिक्षा में स्थान है और उस दृष्टिकोण से अपने बच्चों को मिलिट्री शिक्षा यथासंभव दें तो वह ठीक बात है। लेकिन उसको दूसरे उद्देश्य से सिखाया जाय। यह उचित नहीं है। इस प्रकार मिलिट्री एजुकेशन के दो पहलू हैं। इसमें से एक तो यह है कि यह डिसिप्लिन और ड्रिल से आदमी में नैतिक असर डालता है तथा शरीर को बलवान बनाने में भी असर डालता है। दूसरा साइन्स का ज्ञान इसमें है वह अप्लाइड साइन्स में आ जाता है। इससे यह होगा कि हमारे बच्चे ऐसे कार्य में यदि जायंगें जहां अप्लाइड साइन्स की जरूरत हो तब वहां उसको आसानी से समझ सकते हैं। इन दो पहलुओं के अनुसार मिलिट्री एजुकेशन यथासंभव दी जाय। इस प्रकार विद्यार्थियों को फिजीकल एजूकेशन दें। तो इस हालत से यह आम शिक्षा के लिये सहायक है। दूसरी बात यह है जो साइन्स हमारे यहां पढ़ाते हैं उसमें व्यवहारिक ज्ञान कम होता है। अप्लाइड साइन्स में थ्योरी बताते है लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता है। इसी तरह से हथियारों के बारे में ले लीजिये। विद्यार्थियों को यह पता होता है कि टामीगन और ब्रेनगन इत्यादि होती है और उनकी थ्योरी भी जानते हैं लेकिन उनका प्रैक्टिकल नहीं होता है इसलिये ये विषय व्यवहारिक तरीके से सिखाया जाय। प्रस्तावक महोदय का जो प्रस्ताव है उसमें मुझे आपत्ति है और मैं उसका विरोध करता हूं।

मैंने सुना है कि फिजिकल शिक्षा फौजी ढंग से कुछ जिलों में लागू है लेकिन उसकी आवश्यकता इतनी नहीं है कि सब कामों को छोड़कर उसके ऊपर ही जोर दिया जाय। एक बात जो मैं अन्त में कहना चाहता हूं वह यह है कि महात्मा जी के सिद्धान्तों के यह बात विरुद्ध नहीं जाती है कि हम मिलिट्री साइड में सुरक्षित रहें यानी हम अपने देश की रक्षा करने के लिये हर वक्त तैयार रहें। व लोग जो महात्मा जी की शाया में बढ़े हैं वह उनके सिद्धान्तों को जानते हैं वही हमारे देश की नीति को निर्धारित कर रहे हैं। हमारी नीति है कि हम किसी देश पर हमला नहीं करेंगे, हम किसी की चीज नहीं छीनेंगे। किन्तु यदि कोई हमारी आजादी छीनना चाहे या हमारे देश पर आक्रमण करे तो हममें इतना बल होना चाहिए कि हम उसका मुकाबिला कर सकें। यह नीति महात्मा जी की अहिंसात्मक नीति से टक्कर नहीं खाती है। अतएव मैं इन वक्ताओं से सहमत नहीं हूं जो इस प्रस्ताव का विरोध केवल महात्मा जी के सिद्धान्तों के आधार पर कर रहे हैं। जो लोग महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को मानते हैं यह इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि हमको अपने बल पर निर्भर रहना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री सरदार संतोष सिंह (नाम निर्देशित)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां पर कम्पलसरी मिलिट्री एजुकेशन के बारे में रखा गया है उसके बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर हमारे यहां कम्पलसरी मिलिट्री एजुकेशन होगी तो उसको ठाकुर और जाटों के लड़के ही पसन्द करेंगे। जो वैरियर रेस होती हैं

[श्री सरदार संतोष सिंह]

वही इस चीज को ज्यादा पसन्द करती है। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव में कम्पलसरी का नाम न रखा जाय। इसके साथ साथ मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कम्पलसरी और आप्शनल मिलिट्री एजुकेशन के लिए रुपया भी नहीं है। क्योंकि हमारा मुल्क इस वक्त कहेतसाली से गुजर रहा है। इस वक्त सरकार के पास रुपया नहीं है इसलिये यह सवाल बेमौका मालूम होता है। इस वक्त यह बात हमारे देश की ताकत के बाहर है। यह सवाल सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए था और उसी को इस पर ध्यान देना चाहिये। इतना मैं कहूंगा कि हमारे यहां मिलिट्री एजुकेशन आप्शनल जरूर होना चाहिए। हिन्दुस्तान को किसी का डर नहीं होना चाहिए और वक्त जरूरत पर अपनी मदद कर सकें। मिलिट्री एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है लेकिन यह सबजेक्ट आप्शनल होना चाहिए। हमारी प्रदेश की गवर्नमेंट को इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करनी चाहिए। और उसकी राय से इस काम को करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच को खत्म करता हूं।

श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले कुंवर साहब को धन्यवाद देता हूं कि आज इतने महत्वपूर्ण विषय पर विचार करने का अवसर उन्होंने भवन को प्रदान किया है और इसके साथ ही इस प्रस्ताव को मैं अनावश्यक समझता हूं और इसलिये इसका विरोध भी करता हूं। यह सत्य है कि आज संसार की ऐसी मनोवृत्ति है, कि एक देश दूसरे देश को निगल जाने के लिये किसी न किसी तरह से, चाहे सही हो या ग़लत, तैयार हैं। हम यह भी जानते हैं कि भीतरी खतरा किसी समय सम्भव हो सकता है। इन दोनों चीजों से अपने देश की रक्षा होनी चाहिए। परन्तु इस रक्षा के क्या उचित साधन होंगे उस पर हमको विचार करना है। क्या वह साधन मिलिट्री शिक्षा होगी या और कोई नया रास्ता होगा ? जहां तक मैंने इसे सोचा है, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हिन्दुस्तान की रक्षा के लिये ही नहीं बल्कि समस्त संसार के कल्याण के लिये महात्मा गांधी का ही केवल एक मात्र मार्ग है जिस पर चलने से अपने देश की ही नहीं, बल्कि सारे संसार की रक्षा हो सकती है तथा हिंसा और कलह से बिलखती हुई इस वसुन्धरा को सुखी कर सकते हैं। लोग कहेंगे कि जब कि दुनिया में आपस में होड़ लगी हुई है, कि एक देश दूसरे को किसी तरीके से निगल जाय, फिर तो ऐसी अवस्था में बिना सेना के कैसे अपनी रक्षा की जा सकती है। लेकिन आजकल तो लड़ाई सिर्फ तलवार और भाले-बर्छे से नहीं होती है, वह तो दूसरी तरह से होती है। हमारा भी यही कहना है कि आज की लड़ाई इतने में ही सीमित नहीं है। बल्कि हम तो यह कहेंगे कि आज दुनिया वाले सब अपने अपने देश में विशेष प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, मेरे विचार से वैसी सूरत में हिन्दुस्तान ही अरक्षित नहीं है, बल्कि संसार का हर देश अरक्षित है। अमेरिका, रूस ब्रिटेन और फ्रांस सब बड़े शक्तिशाली देश हैं। जैसा कि कहा जाता है। लेकिन आज की स्थिति को देखते हुये कोई भी राष्ट्र बलवान या निर्बल नहीं कहा जा सकता। आप लोगों को भली भांति मालूम होगा कि जिस वक्त यह गत युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय अमेरिका यह अनुमान कर रहा था कि अभी जापान में वह शक्ति है, अभी जापान में वह साधन मौजूद हैं जिनसे वह दो वर्ष और लड़ाई कर सकता है। परन्तु एक आटम बम्ब ने उसको खत्म कर दिया। मैं समझता हूं कि आज जो भी बलवान देश हैं उनके मुकाबिले में और दूसरे देश जैसे स्विटजरलैण्ड, नार्वे और पोलैण्ड इत्यादि छोटे देश बलवान साबित हो सकते हैं बशर्ते उस देश के वैज्ञानिक भयानक से भयानक विनाशकारी यंत्र बना सकें। इसलिये इस बात को देखते हुये मैं समझता हूं कि दुनिया की ही स्वाधीनता आज दिन अरक्षित है और हर देश की दशा सोचनीय है। जब कि हम समझते हैं कि दुनिया में ऐसे भयानक शस्त्रों के निर्माण करने में आपस में होड़ लगी हुई है। वैसी अवस्था में फिर हमारी रक्षा कैसे हो सकती है, यह अवश्य ही एक सोचने का विषय है। इसको देखते हुये मेरी समझ में यह आया है, कि गांधी जी का अहिंसा तथा सत्याग्रह का मार्ग ही एक रक्षा का अजेय मार्ग है जब कि ऐसे अस्त्रों का निर्माण हो रहा है और समस्त संसार में युद्ध की तैयारियां हो रही हैं। इस तरह

से अगर हम हिन्दुस्तान में तैयार नहीं हुये तो फिर कैसे हिन्दुस्तान की रक्षा होगी। मेरा कहना यह है कि अगर दूसरे देश तैयारी भी करें और हिन्दुस्तान में अपनी रक्षा के लिये एक भी पल्टन का सिपाही न हो, तो भी ऐसी हालत में दुनिया के हर एक देशों से हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। अब प्रश्न उठता है कि वह किस तरीके से। तो मेरा कहना है कि कोई भी देश जब किसी देश पर हमला करता है तो उसके केवल चार ही कारण होते हैं। एक तो यह है कि अगर किसी देश को दूसरे देश द्वारा अपने ऊपर हमले का खतरा हो कि कहीं हमारे ऊपर कभी भी काबिज न हो जाय, तब वह उस देश पर सबसे पहले हमला करता है और दूसरा कारण आर्थिक स्वार्थ साधन, तीसरा कारण कोई बदले की भावना होती है और चौथा कारण किसी देश को अपना उपनिवेश बनाकर या अपने देश में शामिल करके अपना बल बढ़ाना। यही चार कारण हैं, जिससे एक राष्ट्र दूसरे पर हमला करता है। सबसे पहले मेरा कहना है कि जब संसार की स्वाधीनता आज सुरक्षित नहीं है और जब कि छोटे से छोटे मुल्क का भी विशेषज्ञ कोई ऐसे अस्त्र का निर्माण कर सकता है जिससे कि बड़े से बड़े मुल्क का भी विनाश किया जा सकता है। परन्तु जिस दिन किसी राष्ट्र के पास कोई ऐसा भयानक विनाशकारी अस्त्र-शस्त्र तैयार हो जायेगा, जिससे किसी देश का विनाश किया जा सके; तो सबसे पहले वह उस देश पर हमला करेगा, जिस देश के द्वारा अपने ऊपर हमले का विश्वास होगा। परन्तु जिस राष्ट्र से हमले की आशंका नहीं होगी, उस पर वह हमलावर होगा ही नहीं, या अगर दूसरे स्वार्थों के कारण भी हमला हो सकेगा, तो सब शत्रु देशों को जीत लेने के बाद। लेकिन भारतवर्ष (मेरे देश) की तो नीति है, यह सिद्धान्त है कि हम किसी देश पर हमला नहीं करेंगे; बल्कि दूसरों की स्वाधीनता की रक्षा में ही योग देंगे। दुनिया के किसी गुट्ट में शामिल न होकर निर्पेक्ष रहेंगे।

आज दिन दुनिया भारत को इसी रूप में देखती है और समझती भी है। अतः भारत पर बाहरी हमले का खतरा नहीं है ।

इसके अलावा आर्थिक शोषण के लिये यह हो सकता है कि वह हमारे देश पर आक्रमण करे, जिससे कि वह अपने को समृद्धिशाली बना सके। लेकिन गांधी जी ने रचनात्मक और स्वावलम्बी काम करने को कहा और उनका कहना था कि हर व्यक्ति स्वयं जहां तक संभव हो काम करके अपने जीवन का निर्वाह और भरणपोषण स्वयं करे और अपने इस्तेमाल की चीजों को स्वयं तैयार करलें। यदि इस तरह से मुल्क के लोग तैयार हों, तो कोई देश फिर भारत पर किस लाभ के लिये या शोषण के लिये हमला करेगा इस तरह से भी सुरक्षित हो सकते हैं यदि गांधी जी के रास्ते पर चलें और कहने पर अमल करें। फिर भी कोई हमारे ऊपर निष्प्रयोजन हमला करता है और विजयी भी हो जाता है तो उसके लिये हमारे पास कोई लाभ की चीज प्राप्त ही नहीं होगी और सत्याग्रह भी हो तो हमारा है लेकिन अगर हम अपनी हर जरूरत की चीज स्वयं पैदा नहीं करेंगे, तो हमें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त हो सकती है और देश पर हमले का भी खतरा रहता है। इसके बाद आवश्यक चीज़ है देश के लोगों में आपसी प्रेम, सन्तुष्टी और असाम्प्रदायिक भावना यह देश का सबसे बड़ा बल है और रक्षा का सुन्दर बलवान साधन है। दुख है कि देश के कुछ लोगों के अन्दर साम्प्रदायिक भावना है इसीलये दूसरे देशों के लोग हम पर कब्जा करने का ख्याल कर सकते हैं। इसीलिये बल्लभ भाई पटेल के एक बार कहा था और वह भी उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, पहले अवसर पर कहा था कि देश का विभाजन किया गया है सिर्फ भविष्य के अखंड भारत के निर्माण के ही लिये। उनका मतलब था, हम में ऐसी असाम्प्रदायिकता की भावना पैदा हो जावे, ऐसी बन्धुत्व की भावना पैदा हो कि हम पहचान न सकें, कि कौन हिन्दू है, कौन मुसलमान या ईसाई है। हमें साम्प्रदायिकता की भावना को पैदा नहीं होने देना है नहीं तो हमारा नाश हो जायेगा और उससे हमारे देश की जनता कभी भी सुखी नहीं होगी। दूषित भावना को हमें मिटाना है और इस प्रकार के भावों को यहां नहीं पनपने देना है, और तभी

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

कमी है उसकी ओर ध्यान दिलाते हुये कि अनुशासन की जो कमी है, सरकार अगर इसको स्वीकार कर लें तो अच्छा है। जहां तक संकट की बात है तत्काल तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन मुल्क की राष्ट्रीयता के आधार पर संगठित रखना चाहिये ताकि जब कोई खतरा आये तो उसका हम मुकाबिला कर सकें। लेकिन उस खतरे का जिसे नाज़ी जर्मनी ने सोचा था और दूसरे मुल्क सोचते हैं या हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बटवारे के समय हम लोगों की राय थी, हमें गौर करने की जरूरत नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय सवाल है। इसके ऊपर मैं अपनी राय का इज़हार नहीं कर सकता। लेकिन इतना कहूंगा कि आज जो हौवा का सवाल है जैसा कि दूसरे मुल्क कर रहे हैं हिन्दुस्तान में उसकी जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा यदि इन सामाजिक भावनाओं को लेकर नवयुवकों को प्रोत्साहित किया जाय तो हिन्दुस्तान के रचनात्मक कार्य में काफी सहायता मिलेगी और नये विचारों से प्रेरित नवयुवक हमें मिलेंगे।

*श्री बंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस मिलिट्री ट्रेनिंग पर करीब घंटे भर से विवाद चल रहा है। इसको मैंने ध्यानपूर्वक सुना। मैं यह ख्याल करता हूं कि कुंवर साहब को अगर यह मालूम होता कि इन्टरनल और एक्सटरनल शब्द का प्रयोग करने से इतना विवाद बढ़ेगा तो शायद वह इन शब्दों का अपने प्रस्ताव में इस्तेमाल न करते। प्रस्ताव को देखते हुये जहां तक मैं समझता हूं जरूरत इस बात की नहीं थी कि इन शब्दों का ही प्रयोग किया जाता। मैं समझता हूं बुनियादी तौर से नवयुवकों को सैनिक शिक्षा किसी मुल्क में देना परमावश्यक है। हमारे मंत्री महोदय ने भी अपने भाषण में स्वीकार किया है लेकिन हमारे राष्ट्र के पास इतना साधन नहीं है कि हम समुचित रूप से इसका प्रबन्ध कर सकें। दूसरी बात यह चीज़ केन्द्र की है इसलिये केन्द्र स्वयं प्रबन्ध करे। लेकिन आपत्ति इस बात पर की गई कि इसमें शब्द कम्पलसरी का प्रयोग किया गया है। जहां तक मैं समझता हूं कम्पलसरी के माने यह हैं कि उन लोगों को छोड़कर जो शारीरिक दृष्टि से या अन्य किसी कारण से सैनिक कार्य नहीं कर सकते बाकी लोग कुछ हद तक सैनिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। कहने का आशय यह है कि हरएक युवक को पूर्ण युवक बनने के लिये यह आवश्यक है कि कुछ न कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग ख्वाह वह आत्म रक्षा के लिये हो या शारीरिक निर्माण के लिये हो, हासिल करनी चाहिये। इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। हम ऐसी जाति बनाना नहीं चाहते जो निर्बल हो। ऐसी जाति चाहते हैं जो राष्ट्र के निर्माण के काम आये महात्मा गांधी की दोहाई दी गई और कहा गया कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे इसलिये यह प्रस्ताव उसके प्रतिकूल है। मैं समझता हूं उनका उद्धरण गलत ढंग से हमारे सामने पेश किया गया।

साथ ही साथ इस संबंध में मैं यह भी आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि स्टेट और सोसाइटी में जो अन्तर है वह यह है कि स्टेट में फोर्स का समावेश है परन्तु समाज में फोर्स का समावेश नहीं है वरन परसुयेशन का समावेश है। जब प्रारम्भिक काल में हमारी रिपब्लिक में यह प्रश्न उठा था तो वाद विवाद में यह मान लिया गया था कि जब हमको राज्य का निर्माण करना है तो किसी न किसी रूप में सेना रखनी होगी। अब मैं उसी बात पर आता हूं। हम यह चाहते हैं कि मिलिट्री ट्रेनिंग इस रूप में जरूर होनी चाहिये जिससे संगठन करने की भावना बढ़े और चरित्र निर्माण हो। प्रस्तावक का शायद यही आशय है। मेरे ख्याल में उनका यह आशय कभी नहीं था कि मिलिट्री ट्रेनिंग पा जाने से कोई लड़ाई का नक्शा उनके सामने होगा। इसका तो केवल इतना ही आशय है कि जिस तरह अब फोर्स का प्रयोग होता है उसी तरह सैनिक शिक्षा का भी प्रयोग किया जा सके। अभी कुछ दिन हुये पहले आप यह कहा करते थे कि हमारे यहां गुन्डाशाही बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, मेरा कहना है कि सैनिक शिक्षा आपको किसी न किसी प्रकार अवश्य देनी चाहिये जिससे संगठित रूप से इस बढ़ती हुई गुन्डाशाही का मुकाबिला किया जा सके। मैं यह बात साफ कह देना चाहता हूं कि अगर आप राष्ट्रीय ढंग पर मिलिट्री शिक्षा न देंगे तो हमारे नवयुवकों को किसी दूसरी तरफ़ आकर्षित कर दिया जायगा जैसा कि आजकल हो रहा है कि कुछ साम्प्रदायिक संस्थायें लड़कों को इकट्ठा करके उनको मिलिट्री की शिक्षा देती हैं यद्यपि उनके पास बन्दूक वगैरा नहीं होती हैं। इसीलिये

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

मैं कहता हूं कि अगर आप युवकों को चैनेलाइज नहीं करते तो दूसरे लोग उनका गलत प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि यह आटमिक वार का जमाना है टोटैलेरियन वार का जमाना है लेकिन जब यह बात सत्य है तो फिर मिलिट्री ट्रेनिंग की ओर भी आवश्यकता हो जाती है। जब हम सुनते हैं कि दूसरी जगह औरतों को पुलिस में भर्ती किया जाता है तो फिर हमारे यहां युवकों को सैनिक शिक्षा क्यों न दी जानी चाहिये। तो हमारे नौजवानों के सामने यह रखना कि अगर वह मिलिट्री ट्रेनिंग पा जायेंगे तो वह क़यामत ढा देंगे यह गलत बात है। मैं तो यह कहता हूं कि मिलिट्री ट्रेनिंग सबके लिये कम्पलसरी होना चाहिये और हमको और आपको भी मिलिट्री ट्रेनिंग लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ में इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि मिलिट्री ट्रेनिंग यूथ्स के लिये आवश्यक है।

डाक्टर वीरभान भाटिया--(नाम निर्देशित)

Sir, I strongly support the Resolution which has been moved by my friend, Kunwar Guru Narain. I do not agree with the preamble and the objects with which he has moved this Resolution. From the medical point of view I feel that military education will be of immense value to the young men of our country. It will help to improve their physical health. It will give them the discipline which they very badly need and it will help them to develop their general knowledge and their power of concentration and judgment. None of the arguments which have been put forward to oppose this Resolution are of a convincing nature. For instance, it has been said that in the Intermediate classes there are young students of 11 or 12 years of age . Most of them have got very bad physical health and it will not be in their interest to have compulsory military education. On the other hand, I would have said that if there was any argument for introducing military education it was this argument that the physicial health of the young men of this State is the poorest in India and the physical health of the young men of India is the poorest in the world, and as such we must introduce campulsory physical education by which the physical health of our young men would surely improve. Certainly, if there are any such young men who are suffering from such diseases in which physical education can be harmful such cases will be exempted on medical certificate; but to say that because majority of the young men have got poor physique and they should not be put to the hardship of military education is an argument which will not convince any educated assembly.

Secondly, it has been said that ours is a peace-loving country, we want peace, and if we give military education to our young men, it will be presumed that we are trying to be an aggressive nation. Personally I feel that India can only play its very important role of bringing peace in this world, by making itself very strong. If India is strong to-day, there will be no war between the two parties who are opposing to-day each other in this world. India with its nearly forty crores of people and with its tremendous resources can become a powerful nation; and once it is powerful it will prove a useful medium of giving peace to this world. Peace, as has been repeatedly asserted by our Prime Minister, is certainly the object and aim of every citizen of this country, but I feel we may play a very important role in winning that peace by making ourselves strong. By giving military education to our young men, we will find ourselves ready to meet any aggression that may come to this country. I feel that, even if this subject be not in the power of the State, even if the direction has to come from the centre, this State should move the centre that military education should be compulsory in the Intermediate classes through out India so that young men may be able to develop their physical health, may be able to develop discipline and may be ready to serve the country in time of need.

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव को मैंने इस सदन के सम्मुख रखा था मुझे दुख है कि यह तो मैं समझा नहीं सका या हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने उसको सही समझा नहीं। माननीय हाफिज जी ने तो एक बात कही और वह यह थी कि उन्होंने यह नहीं कहा कि मिलिट्री ट्रेनिंग न होनी चाहिए या यह ठीक नहीं है, अच्छी नहीं और उचित नहीं है। वित्त मंत्री होने के नाते उनका केवल एक दृष्टिकोण रहता है वह यह कि खर्चा कहां से मीट करेंगे। खर्चे का प्रश्न उनके सामने था। इसके अलावा और कोई आपत्ति माननीय लीडर आफ दि हाउस ने नहीं जाहिर की। लेकिन मुझे ताज्जुब जब हुआ जब इस भवन के बहुत से कांग्रेसी मेम्बरों ने इस बात पर बहस शुरू कर दी और यह कहना शुरू कर दिया कि आज मिलिट्री शिक्षा बिलकुल गलत है कोई इन्टरनल या एक्सटरनल अग्रेशन का डर नहीं है और यह फिजूल सी बात है। कोई कहता है कि इस शिक्षा से लोगों की हिन्सात्मक वृत्ति हो जायेगी। जहां तक माननीय हाफिज जी की बात का ताल्लुक है वह तो मैं साफ समझ सकता हूं और उसका जवाब भी हो सकता है। लेकिन इसका जवाब ही क्या हो सकता है कि मिलिट्री शिक्षा ही लोगों को देना खराब है। एक हमारे भाई शायद श्री हयातउल्ला अन्सारी जो कि इस वक्त यहां नहीं हैं उन्होंने बहुत निन्दा की और घोर निन्दा की कि मिलिट्री एजुकेशन इतनी खराब है कि वह नहीं होनी चाहिये। तो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या हमारे राष्ट्र का नैतिक पतन दिन पर दिन होता चला जाय और हम बैठे देखा करें ? हम जब यह कहते हैं कि मिलिट्री शिक्षा इन्टरमीडिएट क्लासेज में दें तो इसका असर राष्ट्र पर होगा। आगे चलकर जब यूनिवर्सिटी एजुकेशन का समय आयेगा तब हमारे नवयुवक कुछ एक दूसरे वातावरण में होंगे। मिलिट्री शिक्षा होने के नाते यह स्वाभाविक बात है। वह एक ऐसी चीज है जो किसी प्रकार के भ्रष्टाचार से बरी है। आज जितना समाज है और जिस तरीके वह नैतिक पतन में डूब रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। लाख हाफिज जी यहां पर कहते रहे कि यहां चोरी और डकैती नहीं होती हैं, सब लोग रामराज्य में रहते हैं लेकिन यह मानने की बात नहीं है। मिलिट्री ही एक ऐसी जगह है जहां पर इन चीजों का वातावरण नहीं है। अगर हम इस बात की प्रार्थना करें कि हम अपने नवयुवकों को ऐसी मिलिट्री शिक्षा प्रारम्भिक स्टेज में दें ताकि उनके चरित्र का निर्माण हो तो कौन सा अपराध करते हैं। उसके साथ ही साथ हमारे देश में जब इसकी आवश्यकता है और इसके लिये हर प्रकार से हम तैयार हैं तो इसमें क्या आपत्ति की बात है। हमारे माननीय सदस्य श्री अन्सारी साहब ने न मालूम किस आशय से यह बात कह डाली उसे मैं समझता नहीं। जब हम मिलिट्री शिक्षा का प्रस्ताव लाते हैं तो वह भी आप नहीं मानते हैं और यदि हम कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा दें तो कहते हैं कि साहब हमारी स्टेट सेक्युलर है इसमें रिलीजन की शिक्षा नहीं दी जा सकती। पूजा करने या नमाज पढ़ने की शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो क्या किया जाय। जो भी चीज चरित्र के निर्माण के लिये है उसको आप मानने के लिये तैयार नहीं है। मिलिट्री शिक्षा के लिये आपको आपत्ति है। आगे चलकर मेरा एक और प्रस्ताव मारेल शिक्षा के बारे में है देखें सरकार उसको मंजूर करती है या नहीं।

आपको यह भी चीज नहीं मंजूर वह भी चीज नहीं मंजूर है तो फिर आप राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिये कौन सी चीज लाना चाहते हैं। जिस चीज से आप समझते हैं कि राष्ट्र का स्तर ऊंचा उठ सकेगा वही चीज हम लायें। लेकिन मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि नैतिक शिक्षा को भी आप निहायत खूबसूरती के साथ नामंजूर कर दीजियेगा। आप ही बतायें कि हम को अपने राष्ट्र को ऊंचा उठाने के लिये कौन सी शिक्षा देनी चाहिये। अगर आप यही चाहते हैं कि हमारे यहां के बच्चे चोरी करना, डकैती डालना और भ्रष्टाचार करना ही सीखे और किसी न किसी नेता जी की शरण में अपना काम करते रहें तो देश का भगवान ही मालिक है। मुझे इन बातों को सुनकर बहुत दुख हुआ। जो चीजें जरूरी हैं उन पर तर्क की क्या जरूरत है। यह शिक्षा देनी चाहिये या नहीं देनी चाहिये इसमें तर्क का क्या सवाल है देवरिया और गोरखपुर के और १८ पूर्वी जिलों में भुखमरी का सवाल पैदा हुआ तो हमारी

सरकार की समझ में उस वक्त तक वह नहीं आई जब तक कि भुखमरी बिलकुल उसके सामने नहीं आ गई। यह भी कहा गया कि इस वक्त इसकी क्या जरूरत है जब वक्त आयेगा उस वक्त इस को देखा जायेगा। यही हालत सरकार की फूड के मसले के बारे में रही है। जब स्थिति बहुत खराब हो गई तो सरकार उस पर वादविवाद करती है। किसी प्रकार का एग्रेशन हो या अभी न हो, सब से जरूरी मिलिट्री एजुकेशन है जो मनुष्य के मानव चरित्र को ऊंचा उठाती है। हमारी जो नई जनरेशन है उसको हमें ऊंचा उठाना है। नवयुवकों को इस किस्म की शिक्षा की बहुत जरूरत है। हमारे जो नवयुवक हैं उनको मिलिट्री शिक्षा देने के लिये यह प्रस्ताव पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि यह बहुत जरूरी प्रस्ताव है, मगर यहां पर इसके बारे में कुछ ऐसी बातें कही गयीं जिससे ऐसा मालूम हुआ कि मैंने इस प्रस्ताव को पेश करके बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा मुझे इस जन्म में नहीं दूसरे जन्म में भी दी जायेगी। जहां तक हाफिज जी का संबंध है उन्होंने फाईनेंस मिनिस्टर होने के नाते ठीक कहा कि हमको टैक्स लगाने की जरूरत पड़ेगी मैं इस बात को कुछ हद तक मानता हूं कि शायद सरकार को टैक्स लगाने की भी जरूरत पड़ जाय। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि गवर्नमेंट कोई भी हो, जब वह कोई चीज करना चाहती है तो उसके लिये रुपया उसके पास रहता है और जब वह किसी चीज को नहीं करना चाहती है तो पचासों रास्तों से उसमें अड़ंगे लगाये जाते हैं। अब मैं इसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता कि रुपया कहां से आये। पहले छः या सात मिनिस्टर होते थे और आज ११ या १२ हो गये हैं इसके अलावा डिप्टी मिनिस्टर्स हो गये हैं आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हुये, इनका खर्चा तो बढ़ता जा रहा है और बहुत सी फिजूल खर्ची को जो आप करते हैं तो उनके लिये रुपया आपके पास निकल आयेगा अगर चाहें तो आप इस एजुकेशन को भी चला सकते हैं। लेकिन वह जभी हो सकता है जब कि आपका भी दृष्टिकोण हो और आप भी इसी दृष्टि से सोचें कि नहीं हमारे राष्ट्र के लिये यह आवश्यक है और हमारे राष्ट्र का जभी कल्याण होगा जब हम अपने नवयुवकों को उचित शिक्षा देंगे और इस तरह से उनको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। जब तक आपका दृष्टिकोण यह नहीं होता है तब तक खर्चे का रुपया नहीं निकल सकता है और इस चीज का यही जवाब है कि कोई भी इसके ऊपर तर्क नहीं कर सकता है। मैं एक सुझाव रखता हूं कि इस कार्य के लिये, चूंकि मिलिट्री सेन्टर के हाथ में है, तो आप सेन्टर से इस संबंध में धन की याचना कर सकते हैं। इस शिक्षा का परिणाम यह होगा कि जो शिक्षा हमारे यहां इस प्रकार की दी जायगी उससे मिलिट्री के कार्य में मदद मिलेगी और ज्यादा आसानी के साथ वह लड़के मिलिट्री में शरीक हो सकते हैं। कम प्रयत्न के साथ और कम खर्चे में हम अपने देश का फायदा कर सकते हैं। लेकिन यह चीज तो जभी हो सकती है जबकि आपका दृष्टिकोण उधर हो। अगर सरकार का भी दृष्टिकोण इस तरह का हो कि हमको यह कार्य करना है और हमें राष्ट्र को इस तरीके से ऊंचा उठाना है तभी यह हो सकता है। अगर यह हो कि यह हमारा दृष्टिकोण तो है पर किन्हीं वजूहात से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसका कोई सवाल ही नहीं है। जहां तक मेरे इस प्रस्ताव का संबंध है, उसके विषय में एक साहब ने यह कहा कि जो फिजिकली कमजोर हैं उनके लिये यह कैसे संभव है कि कम्पलसरी मिलिट्री एजुकेशन की जाय और सभी लड़के कैसे मिलिट्री ट्रेनिंग में शरीक हो सकते हैं। मानी हुई बात है कि इसके लिये टेस्ट होता है और जो फिजिकली फिट होते हैं वही लिये जाते हैं। उसमें हर शख्स तो नहीं लिया जा सकता है। जो लड़के फिजिकली फिट नहीं होंगे उनको इसमें नहीं लिया जायेगा तो यह तो सोचने की बात है। अब रही यह बात कि इस समय एक्सटरनल एग्रेशन की हालत वाकई है और हम इन्टरनल एग्रेशन की हालत में वाकई हैं। ऐक्सटरनल ऐग्रेशन भी हो सकता है और इन्टरनल ऐग्रेशन तो हमारे देश में है और वह इतना है कि उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है। जैसा कि मैंने लालेसनेस के सिलसिले में पहले कहा था कि सिमटम तो आपके सामने है लेकिन आप दवा नहीं कर पाते हैं और जब रोग काफी बढ़ जाता है तब आखें खुलीं कि अब हमको कुछ करना चाहिये। जैसा कि अभी श्री प्रभुनारायण सिंह जी ने कहा कि ४, ५ पावर इस संसार में हैं और वह वार को कंट्रोल करते हैं

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

और अगर ऐसा ही सिद्धांत हो और अपने मुल्क को एग्रेशन से हम न डिफेंड कर सके तो फिर कैसे हम अपनी आजादी को कायम रख सकते हैं। कितनी कुर्बानियों के बाद आप ही लोगों ने इस आजादी को प्राप्त किया है फिर उसको प्राप्त करने के बाद अगर आप ध्यान न दें कि इस आजादी को रखने के लिये कोई न कोई उपाय आप निकालें, तो इस आजादी को धक्का लग सकता है। मिलिट्री एजुकेशन के माने यह तो नहीं हैं कि लड़के फौजी हो गये और उन्होंने भी तमाम लड़ाई का काम शुरू कर दिया। मैं तो कहता हूं कि मिलिट्री ट्रेनिंग के लिये स्कूल या कालेज फुल एक्विप्ड हों और उनको ट्रेनिंग दी जाय ताकि कहीं भी जरूरत हो, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ही उन लड़कों को ऐसा अनुभव हो जाय कि वह इस कार्य को संभाल सकें। ऐसी एजुकेशन को जारी करने में अगर मेरे भाई विरोध करते हैं तो उनकी खुशी है और यह उनका दृष्टिकोण है। लेकिन मैं उनसे यह कह दूं कि उनका यह दृष्टिकोण जो है वह चाहे किन्हीं भी वजूहात से है, सही नहीं है।

अब रही और मुल्कों की बात, जैसा कि एक साहब ने अभी कहा कि पहले मैंने जो कुछ कहा था कि अगर गांधी जी जीवित होते और अगर भारतवर्ष पर इटली या जर्मनी का कब्जा होता, तो वे क्या करते ? यह बिल्कुल साफ और खुली हुई बात है और ऐसा कहना कि गांधी जी होते तो उस वक्त क्या करते, यह मेरी समझ में नहीं आता क्योंकि गांधी जी कल क्या करने वाले हों यह तो सिर्फ गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जोकि स्वयं ही समझ सकते थे कि वह भविष्य में क्या करने वाले थे और वह जिस चीज को उचित समझते थे और करने को कहते थे उसको करके भी दिखलाते थे। आजकल हमारी जो लीडरशिप है उसको गांधी जी की लीडरशिप की गणना में रखना उचित नहीं है क्योंकि वे कहते तो बहुत कुछ हैं और बहुत सी स्कीमें बनाते हैं, मगर आगे जाकर कार्य रूप में उसका संचालन नहीं कर पाते हैं और उसका कारण यह है कि उनमें इतनी शक्ति नहीं है और उनका चरित्र उतना ऊंचा नहीं है कि वे उसको कार्य रूप में परिणत कर सकें। तो यहां पर गांधी जी के कहने और न कहने का कोई सवाल नहीं है। अगर आज इटली और जर्मनी की भारतवर्ष पर हुकूमत हो जाय तो मुमकिन है कि गांधी जी के न रहते हुये हम दूसरे ऐसे तरीके निकाल दें जिसमें कि लोगों को बड़ा भारी एतराज हो जाय, तो क्या हो सकता है। मैंने जो यह प्रस्ताव पेश किया है, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही इनोसेन्ट प्रस्ताव है और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय इस चीज को अपोज करने का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि सरकार ने सन् १९४८ में इस चीज को मान लिया कि मिलिट्री ट्रेनिंग हमारे स्कूलों में होनी चाहिये और उसी के अनुसार १८ जिलों में मिलिट्री ट्रेनिंग का काम जारी भी हो गया है। यानी आज १२४ स्कूलों में मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मैं इतना ही कहता हूं कि जो मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा रही है हवलदार लोगों के जरिये से, तो उसको हम इस तरह से दें कि एक अच्छा वातावरण पैदा हो सके और उसको हमें सीरियसनेस के साथ टेक अप करना चाहिये मैं चाहता हूं कि हमारे नवयुवक किसी तरह से भी कमजोर न हों और किसी वक्त भी किसी चीज का मुकाबिला करने के लिये वे हमेशा तैयार रहें। इसमें मैंने इस वक्त कोई खास चीज की डिमान्ड नहीं की है बल्कि मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि पूरे प्रान्त के स्कूलों में यह शिक्षा हो जाय। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हो सकता हूं कि गवर्नमेंट यह कनविन्स कराने की कोशिश करे कि इसके लिये वह आज खर्चा नहीं कर सकती है मैं कहता हूं कि फिजूलखर्ची छोड़कर और जिस तरीके से भी हो, इसके लिये बजट में रुपया निकालकर इसको शुरू कीजिये। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं पहले यह समझा नहीं कि इस प्रस्ताव के पीछे आज इस हाउस में इतनी तकरीरें हुई हैं तो वह क्यों ? मैं तो अपने नजदीक इसको एक सीधा साधा सा प्रस्ताव समझा था और इसलिये ऐसा समझता था कि वह जिस मकसद से पेश किया गया है इसे कि हिन्दुस्तान में कल हमला होने वाला है और हिन्दुस्तानियों के दिमाग में यह बात पैदा हो गई है कि किस तरह से उस वक्त अपने देश को बचाया जायेगा। इसी तरीके से आज इस प्रस्ताव में यह

बतलाया गया है और इसी को गौर करने की जरूरत है। तो मैं कतई इसको नहीं समझता हूं। मैं तो यह समझता हूं कि कुंवर साहब ने जो प्रस्ताव पेश किया है वह इस बिना पर नहीं किया है कि किसी किस्म का खतरा है या उसके लिये इस चीज की जरूरत है। उन्होंने यह समझा कि यह एक उम्दा चीज है और मुल्क के आदमियों को जानना चाहिये और उनमें इससे डिसिप्लिन भी पैदा हो सकता है। यह सही है कि उन्होंने गवर्नमेंट ने जो काम किया है उसकी दाद नहीं दी। हालांकि कुंवर साहब के दिमाग में आने से पहले, उस जमाने में जब कि कुंवर साहब के दिमाग में क्या ख्यालात थे, हम नहीं कह सकते उस जमाने में सरकार ने यह समझा कि इस किस्म की ट्रेनिंग होनी चाहिये और उसको कायम किया। पहले ११ जिलों में थी फिर १८ जिलों में की गई और वह एक प्रोग्रेसिव स्कीम है जो स्टेट के अन्दर बढ़ाई जा रही है और वह वक्त आने वाला है जब कि सारे प्रदेश में वह चालू की जायेगी। उस पर रुपया भी खर्च किया जा रहा है। मैंने एक नोट भी पढ़ कर सुनाया था। अभी प्रभुनारायण साहब ने कहा था और ठीक ही कहा था कि गवर्नमेंट ने इसको ठीक समझा और ठीक समझ कर ही इस काम को शुरू किया। इसलिये इख्तलाफ राय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। मेरे नजदीक एक वजह इसके न मानने की यही हो सकती है कि गवर्नमेंट जिस तरह से इसको डेवलप करना चाहती है वह इस प्रस्ताव से नहीं हो सकता है। यह प्रस्ताव इस चीज का फौरन ही कराना चाहता है; अगर इसको मान लिया जाय तो जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिये रुपये की जरूरत पड़ेगी। उसका जवाब मैंने यह पाया कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं मेरा प्वाइंट आफ व्यू यह हो सकता है कि मैं यह देखूं कि इसकी मेरिट के साथ साथ फाइनेंस के एतबार से यह काबिले कबूल है या नहीं। मगर शायद उन्हें यह पता नहीं कि जब किसी मेम्बर का प्रस्ताव आता है तो वह कब्ल इसके कि उस पर यहां बहस हो वह सूबे की कैबिनेट के सामने पेश होगा और उस पर गौर करने के बाद उसका डिसीजन होगा कि उसको मंजूर किया जाय या न किया जाय या जो भी फैसला किया जाय जैसा कि कुंवर साहब ने कहा कि स्टेट के जितने मिनिस्टर हैं वह सब इसी मर्ज में मुब्तिला हैं तब तो कुंवर साहब के लिये कोई भी बेचारा नहीं है सिवा इसके कि यह गवर्नमेंट चेंज हो वर्ना कोई वजह नहीं जो वजह मैंने पेश की है वह गलत हो। अगर मेरिट्स के हिसाब से मैं इसको देखूं तो इसके लिये खर्च की भी जरूरत होगी।

एक बात मेरे एक दोस्त ने कही और वह एक दफा नहीं दो दफा नहीं बल्कि दसियों दफा इस हाउस में जेरे बहस आ चुकी है लेकिन मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं। एक मेरे दोस्त ने कहा कि मैं तदबीर बता सकता हूं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उसके करने के लिये जो जंजीर हमारे लिये रखी है और हम उसमें बंधे हैं उसी रास्ते को हमको अख्तियार करना पड़ता है। जो कान्स्टीट्यूशन बनाया गया है उसके अन्दर हमको काम करना पड़ता है। जब तक हम उसको चेंज न करें तब तक हम उस तदबीर से काम नहीं कर सकते हैं। कोई भी आदमी किसी भी ख्याल का हो वह देखे कि गवर्नमेंट के लिये जो हुदूद हैं उसके मुताल्लिक गवर्नमेंट क्या कर सकती है और उसको देखकर मशविरा दे तो वह मशविरा बहुत क़ाबिले अमल भी हो सकता है, और गवर्नमेंट के लिए क़ाबिले ख्याल भी हो सकता है। आज मैं इस रिजो-ल्यूशन को गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर कर लूं और आज से दो महीने के बाद इस हाउस में फिर जवाबदेह बनूं कि जो रिजोल्यूशन मंजूर किया था, उसके मुताबिक़ क्या इस वक्त तक किया गया है? क्या आप चाहते हैं कि इस वक्त मैं यह बताऊं कि मैंने कुछ नहीं किया है, इसलिये कि मैं किसी तरीके से मजबूर था। तो क्या मैं इस हाउस को यह कहने का मौका दूं कि जिस चीज को मैंने अच्छा कहा था जिसको मैंने मंजूर भी कर लिया था उसको नहीं किया। अगर मैं ऐसा करूं तो मैं समझता हूं कि मैंने धोखा दिया। यह बात ठीक नहीं हो सकती। हां, एक बात बढ़ती जा रही है कि मसला

[श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम]

कुछ हो ताल्लुक़ इस बात से हो कि न हो कि लीडरशिप कैसी है, मगर उस लीडरशिप पर कुछ तबरों, कुछ गवर्नमेंट के कामों पर तबर्रा, यह जरूर हो जाना है। उस बहस के अन्दर जो यहां हो। मुझसे यह क़सूर नहीं हुआ। मैंने किसी भी निस्बत किसी तरह की बात नहीं कही और न मैं कहना चाहता हूं। मैंने दरख्वास्त भी इस हाउस से यही की है कि बेहतर हो कि इस किस्म की बातें जो यहां होती हैं वह नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर ऐसी है जैसा कि समझी जाती है और उसके सामने रखने का हस्र भी मालूम है तो फिर लाना ही फ़िजूल है। एक ऐसा काम करना जिसके करने का कुछ नतीजा नहीं, मैं यह नहीं समझता अपने उन दोस्तों के बाबत जिनकी भावनायें जिन के आइडियल्स सब कुछ मुझ से मुख्तलिफ़ हैं, मैं उसकी निस्बत यह नहीं समझता कि मैं उनको कुछ बात समझाऊं तो वह यह समझेंगे कि मैं कुछ और हूं और यह कुछ और हैं और वह खुद यह समझें कि मैं एक खास किस्म का आदमी हूं, एक खास ख्याल रखता हूं, यह रिज़ोल्यूशन पेश किया तो नामंजूर हो गया, मारेलिटी के मुताल्लिक़ रिजोल्यूशन पेश किया तो वह भी नामंजूर हो गया। मैं नहीं समझता कि इस हद तक इन्साफ का मतलब है। जो साहब इसको कहते हैं मैं उनकी तवज्जह इस बात के बाबत दिला सकता हूं। लेकिन मैं जो चीज नहीं कर सकता उसे मैं इसलिए मान लूं जिससे कि दूसरे आदमी यह यक़ीन कर लें कि मैंने मान लिया, ऐसा ऐटीट्यूड अख्तियार करना मैं मुनाहिब नहीं समझता। मसलन मैंने एक सप्लीमेंट्री बजट पेश किया, उसको मेरे भाई कोई दोस्त इस नजर से देखें कि एक एक सतर जो इसमें शामिल हैं वह गलत हैं तो मेरे दिमाग में क्या इम्प्रेशन होगा, इस दुनिया में हजारों बातें करता हूं क्या कभी एक भी ठीक नहीं हो सकती। मैं ऐसा करना नहीं चाहता कि इस रिजोल्यूशन से और इस बहस से कोई मतलब नहीं था और बिलखसूस उस हालत में जब कि कुंवर साहब के दिमाग में मेरे कहे हुये का एनालिसिस मौजूद था। मैंने यह कहा कि इसमें खर्च का इतना सवाल है, इस फाइनेंशियल स्ट्रिनजेंसी के जमाने में खर्च का इन्तजाम करना मुश्किल है। हां, मैंने प्रायोरिटी का जरूर लफ्ज इस्तेमाल किया था। मैंने कुंवर गुरु नारायण की राय सुनी। बाकी जनता की राय सुनी नहीं। फाइव इयर प्लान जो है जिसके मुताल्लिक हमारे दोस्त बहस करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वह भी बने, सफाखाने भी कायम होते चले जायं, सड़कें भी बनती चलें, नहर भी बनती चलें, ट्यूबवेल भी बनते चलें। जिस तरीके से हमारे दोस्त चाहते हैं तो हमसे अगर इस जमाने में यह बात मुमकिन नहीं है। हम प्रायोरिटी इस बात को दे दें और कोई कह दे कि फाइव ईयर प्लान जो है उसको हम इसके मुकाबिले में नहीं रख सकते हैं। इस प्रकार का सुझाव इस मुल्क का हो तो मैं भी इस पर सोचूं। मिसाल के तौर पर कुंवर गुरु नारायण के पड़ोस के सफाखाने में एक कम्पाउन्डर की कमी हो जाय तो उसकी भी शिकायत नहीं यहां हो जायेगी। मैं आम तौर पर कह रहा हूं। तालीम का मसला होगा तो तालीम ही तालीम का मसला होगा। यह मालूम होगा कि दुनिया में एक चीज तालीम है उस पर गवर्नमेंट को खर्च करना चाहिये। जब सड़क का मसला आयेगा तो उस पर वही सवाल होगा कि सड़क का मसला ठीक होना चाहिये। कोई ऐसा नहीं है कि वह ग़ैर जरूरी है। यह नहीं कहेंगे कि सड़कों पर जो रुपया खर्च होता है वह ग़ैर जरूरी है। अभी उन्होंने दो चार मिसालें बतलायीं कि १२ मिनिस्टर हो गये और १३ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हो गये। मैं दावत देता हूं कुंवर गुरु नारायण साहब को कि वे बजट लेकर बैठ जायं और उसमें से जो अधिक है उसको काट दें? मैं उसको कटवाऊंगा तब जब वे बतला देंगे कि बाकी रुपये से वह काम पूरा हो जायेगा। मैं भी एक पब्लिक का नुमाइन्दा हूं। कहा जाता है कि पब्लिक की मेमोरी शार्ट है लेकिन उसके नुमाइन्दों की मेमोरी इतनी शार्ट नहीं हो सकती। पब्लिक ने क्या राय दी और उसने क्या राय नहीं दी और किस तरह से खर्चा घटाया गया है ये सब बातें आ चुकी हैं, अखबारों में छप चुकी हैं और यहां की किताब में भी मौजूद हैं। उस पर इसरार करना ठीक नहीं है

उसी के बिना पर मैंने उनसे यह अर्ज कर दिया था कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। मुझे वार्निग हो गयी थी कि इसका तवक्को करना ग़लत है। एक बात जो मैं अर्ज कर सकता हूं वह यह कि यह प्रस्ताव रहे या न रहे। मैं कुंवर साहब को दावत देता हूं कि वे स्कीम बना लें और उसका खर्चा जोड़ लें फिर हम उसको फैसलाकर लेंगे कि उसमें प्रेक्टीकेबिलिटी कितनी है। जहां तक उसकी कमी का सवाल है, उनमें डिफेक्ट्स का सवाल है उसको मैंने पहले ही अर्ज किया कि उसमें जो कमी है उसको बतलाया जाय और आगे को उसको बढ़ाया जाय। मैंने उन बातों को जो यहां पर कही गई हैं उनको दिलचस्पी के साथ सुना इसलिये कि मेरे मित्र मेम्बरान ने कहीं। हमारे मूवर साहब की ही तक़रीर ऐसी रही जिससे कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। मैं तो इस क़दर साफ कहता हूं कि उसको हर एक जान जाये। अब यह कि आसमान साफ है फिर भी कोई कहे कि नहीं बादल नजर आते हैं तो मैं मजबूर हूं। लेकिन यह समझता हूं कि कुंवर साहब ने प्रस्ताव इसलिये नहीं पेश किया कि खतरा है बल्कि इस गरज से पेश किया कि मुल्क में ऐसे आदमी तैयार होने चाहियें जो वक्त जरूरत पर काम आये। इस चीज को गवर्नमेंट ने आपसे पहले समझा था और उसको शुरू भी किया है। अब आप जो चीज चाहते हैं उसे अमल में किसी जगह बैठ कर सोच लें फिर मैं उसको मानने को तैयार हो जाऊंगा।

डिप्टी चेयरमैन--The question is

In order to meet any threat of aggression, external or internal, and to assist the permament armed forces in times of national emergency, this Council recommends to the Government to make military education a compul sory subject for the students in the intermediate classes.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इस समय ४ बजे चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

प्रस्ताव कि काशी के घाटों के सम्बन्ध में शीघ्र कार्य आरंभ किया जाय

श्री सभापति उपाध्याय--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से काशी के घाटों के विषय में यह प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं :

"यह विधान परिषद् सरकार का ध्यान काशी के घाटों की शोचनीय दशा पर दिलाती है। परिषद् की राय में इनकी रक्षा अविलम्ब करना आवश्यक है। परिषद् सिफारिश करती है कि तत्सम्बन्धी कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाय।"

मैं इस विषय पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। काशी की प्राचीन स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इसका महत्व भी किसी से छिपा नहीं है काशी के प्राचीन होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। ऋषि व्यास ने पुराण में वर्णन किया है जिससे मालूम होता है कि पुराणों से पहले की काशी स्थित है। उन्होंने कहा है कि काशी दिवोदास राजा की राजधानी थी। इसके अतिरिक्त यह भी पुराणों में मिलता है कि सब देवताओं का वहां आगमन हुआ है। कोई देवता ऐसा नहीं है जिसकी स्थिति काशी में न हो। इसलिये काशी के घाट प्राचीन हैं और वे देवताओं तथा ऋषियों के नाम पर प्रसिद्ध हैं। इसलिये उनकी रक्षा करना आवश्यक है। परन्तु बाद में जिन लोगों ने घाटों का निर्माण किया है उनके नाम से भी घाट प्रसिद्ध हुये। जब घाट नहीं बने थे तो इतिहास देखने में यह आता है कि जहां चौक है वहां पहले गंगा जी थीं। पर धीरे धीरे घाट बनते गये और अब गंगा जी घाटों के किनारे बहती हैं। अस्सी से लेकर वरुणा तक गंगा जी धनुषाकार में बहती हैं। काशी में यह विचित्र बात है कि गंगा जी वहां घाटों के पास से नहीं हटती हैं यद्यपि दूसरी जगह भी घाट बने हुये हैं लेकिन अक्सर गंगा जी उन घाटों को छोड़ कर दूर चली जाती हैं। आज काशी के घाटों की बहुत दुर्दशा हो रही है और वह बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं। आपको मालूम होगा कि बून्दी का कोरा गिर गया है और उससे बहुत हानि हुई है। बहुत से मकान गिर गये हैं। अब यदि सुधार नहीं किया गया

[श्री सभापति उपाध्याय]

तो गंगा जी का प्रवाह शहर के अन्दर चला जायगा। इसी तरह से मेरा अनुमान है कि जो और घाट हैं जिनको दशा खराब है और जो अभी गिरे हुये नहीं हैं लेकिन जिनके गिरने की सम्भावना है या जो टूट गये हैं उनको इंजीनियरों से जांच कराई जाय और उसके बाद उनको मरम्मत कराई जाय। प्रश्न यह हो सकता है कि जिन घाटों को लोगों ने बनाया है या जिनको जनता ने बनाया है उनको वह लोग क्यों न बनवायें या मरम्मत करावें। इसके विषय में मुझे यह कहना है कि जो लोग घाट बनवाने वाले हैं या जो जनता है आज उसकी दशा ऐसी नहीं है कि वह घाटों की मरम्मत करवा सके। उनमें आज धनाभाव है। ऐसी अवस्था में वह घाटों की रक्षा नहीं कर सकते। एक विशेषता और भी है कि जब अस्सी से वरुणा तक नौका पर आप सायं या प्रातः जायं तो बड़ा मनोरम दृश्य घाटों का दिखाई पड़ता है। कहीं पर जप, कहीं पर तप, कहीं पर सन्ध्या, कहीं पर हवन इत्यादि हुआ करते हैं। जो लोग देशाटन के लिये आते हैं वह भी इन दृश्यों का फोटो लेते हैं। यह हमारा एक दृश्य नगर है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। सरकार यह कह सकती है कि उसके पास धन नहीं है और वह किस प्रकार से सहायता करे। मेरा इसके लिये यह कहना है कि सभी लोग काशी की यात्रा करते हैं उन पर किसी तरह का कर लगा दिया जाय और जो दूसरे लोग वहां रहते हैं उन पर भी इसका कुछ बोझ डाला जाय, कुछ म्यूनिसिपैलिटी दें तो यह काम आसानी से हो सकता है। इस तरह से जो आय हो वह काशी के घाटों की रक्षा करने में लगाई जाय। काशी की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यहां पर कोई २०० घाट हैं। संस्कृत की एक पुस्तक है जिसमें सभी घाटों का वर्णन है। परन्तु वह पुस्तक मुझे मिली नहीं। इसमें कोई दो सौ घाटों का वर्णन है। मैं इससे अधिक प्रकाश नहीं डाल सकता इसकी जांच सरकार स्वयं कर ले और जिस तरह से भी हो सके वह काशी नगरी के घाटों की रक्षा करे।

श्री प्रभु नारायण सिंह--- माननीय अध्यक्ष महोदय, काशी के घाटों के सम्बन्ध में तथा उनकी मरम्मत के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव इस सदन के सामने आया है उसके सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये केवल इसलिये नहीं खड़ा हुआ हूं कि चूंकि मैं काशी का हूं। उसका एक दूसरा पहलू है जिसकी वजह से इस पर ध्यान जाना चाहिये। काशी एक प्राचीन नगरी है। सदियों से काशी संस्कृत का केन्द्र रहा है जिसके सम्बन्ध में माननीय उपाध्याय जी ने बातें बतलाई हैं। लेकिन इसके साथ साथ महात्मा बुद्ध के पदार्पण के बाद काशी का स्थान बहुत ऊंचा उठ गया और आज हमारे देश में काशी, सारनाथ, बुद्ध गया और लुम्बी ऐसे स्थान हो गये हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के स्थान हो रहे हैं। ऐसी हालत में इन स्थानों के सम्बन्ध में हम जो राय दे रहे हैं उसका एक अन्तर्राष्ट्रीय महत्व है। आज हम इस बात को देखते हैं कि बहुत से अन्तर्राष्ट्रीय यात्री कई कई मुल्कों से इन स्थानों को देखने आते हैं और इस तरीके से यदि इन स्थानों की यदि समुचित व्यवस्था हो तो उसका नतीजा यह होगा कि आगे चल कर एक स्थायी भावना सहयोग का वातावरण दूसरे देशों के साथ पैदा कर सकेंगे। महात्मा बुद्ध ने जो विश्व को शान्ति का सन्देश दूसरे मुल्कों को दिया उससे काशी का सम्बन्ध है। इस नाते से हमारी अन्तर्राष्ट्रीय या वैदेशिक नीति है उससे हम काशी के महत्व को बढ़ाते हैं। इस पर उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बर्मा, जापान और चीन ऐसे बहुत से मुल्क हैं जो बौद्ध दर्शन से बहुत प्रभावित रहे हैं। ऐसी हालत में जब हम काशी को देखते हैं और उसकी प्राचीनता को देखते हैं और साथ ही साथ ऐसी परिस्थिति में इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसको अन्तर्राष्ट्रीय ख्याल है तो काशी पर हमारा विशेष ध्यान जाता है। इसके साथ ही साथ यह भी बात है कि काशी में बहुत से यात्री विदेशों से आते हैं। यदि काशी का जीर्णोद्धार हो तो इसका नतीजा यह होगा कि विदेशों से मुद्रायें हमारे यहां आयेंगी। अब सवाल यह उठता है कि काशी के घाटों को कैसे ठीक किया जाय। जिन स्थानों का नाम अभी लिया गया है उनको

मरम्मत के लिये सरकार इस बात को कह सकती है कि काफी पैसे की जरूरत होगी। जिस रूप में हम इन घाटों को देखना चाहते हैं उस रूप में बनाने में करोड़ों रुपये की ज़रूरत पड़ सकती है यह सही बात है। अध्यक्ष महोदय, इसकी ज़िम्मेदारी किसी प्रान्तीय सरकार पर हम नहीं डाल सकते लेकिन कम से कम यह बात ज़रूरी होती है कि प्रान्तीय सरकार को ध्यान इस पर विशेष तौर पर देना चाहिए और इसका कारण यह है कि काशी हमारे सूबे में स्थित है इस कारण प्रान्तीय सरकार का ध्यान होना चाहिए। सवाल यह उठता है कि जो रुपये का सवाल है वह कैसे हल किया जाय। यदि इस मसले पर सरकार गौर करे और सोचे और जैसा कि सारनाथ के सम्बन्ध में है तो मेरी अपनी राय यह है कि विदेशी मुल्कों से इसके लिये मदद मिल सकती है। जैसा कि बर्मा सारनाथ को इमदाद देता है उसी प्रकार काशी के घाटों को मदद पहुंचाने की आवश्यकता है। मगर यह कार्य सरकारी आधार पर ही किया जाय। इसके साथ ही साथ इसमें ऐसे प्रतिनिधियों को शामिल किया जाय जो कि जनता के प्रतिनिधि हों और उसी आधार पर काशी का निर्माण अन्तर्राष्ट्रीय इमदाद को ध्यान में रखते हुये किया जाय। यदि आज इन घाटों की मरम्मत के लिये हिन्दुस्तान में रुपया उतर जाय तो मैं समझता हूं कि काफी तादाद में रुपया उतर सकता है। माननीय मंत्री यदि इस तरफ ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि आज काशी के घाटों का जो सवाल है वह दूर हो जायेगा और वह फिर नहीं उठेगा बलिक काफी रुपया जमा किया जा सकता है। यह तो फंड की बात रही कि वह रुपया कहां से आये। सरकार कहती है कि हमारे पास रुपया नहीं है तो कम से कम वह यह कर सकती है कि इस तरह का प्रचार किया जाय। इसमें सभी लोगों का सहयोग अवश्य होगा चाहे वह सरकारी है या गैर-सरकारी। इसके लिये केन्द्रीय सरकार पर भी दबाव होना चाहिए कि वह रुपया दे। प्रान्तीय सरकार से जितनी सहायता हो सके उतना उसे अवश्य करना चाहिए। इसमें जो पहिला अभिप्राय है वह मरम्मत करने का है। वह शायद इस गम्भीरता से रखा गया है कि आज इन घाटों के खराब हो जाने से काशी की हालत बहुत खराब है। कई मुहल्लों पर इसका असर पड़ने की आशंका है। जहां तक इस बात का सवाल उठता है कि इतना काफी तादाद में रुपया चाहिए तो उसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन घाटों के ठीक न होने से कितने मकानों पर प्रभाव पड़ेगा और आज जो मकानों की शक्ल में खड़े हैं वहां कुछ दिनों के बाद कुछ भी नहीं रहेगा। तो सबसे पहिला सवाल मरम्मत का है। यह ध्यान में रखना चाहिए यदि ऐसा नहीं किया गया तो कई मुहल्लों की हालत खराब हो जायेगी जिनमें काफी रुपया लगा हुआ है उनके धराशायी होने का डर है। उसका नतीजा यह होगा कि जहां हम सोचते हैं कि काफी रुपया इनकी मरम्मत पर लग जायेगा वहां करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान भी हो जायेगा। जैसा कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि यह बोझा प्रान्तीय सरकार पर नहीं डालना चाहिए। काशी और सारनाथ बहुत महत्व रखते हैं इसलिए हिन्दुस्तान की जनता से चन्दे के रूप में या जिस शक्ल में हो सके रुपया लेना चाहिए और वह काशी के घाटों में लगाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं सभापति जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव यहां पर रखा गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। काशी हमारे देश की पुनीत और ऐतिहासिक नगरी है, उसकी ओर सारे देश के लोगों का आकर्षण पाया जाता है। इसलिए मैं यह जरूरी समझता हूं कि इस कार्य को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा यह भी संशोधन है कि हमारे उत्तर प्रदेश में राम-कृष्ण और बुद्ध ऐसे आत्माओं ने जन्म लिया और लीलायें की। ये ऐतिहासिक स्थान-वृन्दावन, मथुरा और अयोध्या हैं। यहां पर लाखों यात्री जाते हैं। इसलिए इन सब ही जगहों के घाटों का ध्यान रखना चाहिए। वृन्दावन में एक एक घाट लाखों रुपये का है और वह बेकार पड़े हुए हैं। इसी तरह से मथुरा और अयोध्या भी पवित्र स्थान हैं जहां पर सारे

[श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन]

हिन्दुस्तान के लोग आते हैं। इस प्रदेश की सरकार को सारे घाटों का ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि अभी श्री प्रभुनारायण सिंह जी ने कहा कि सरकार को घाटों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, मैं इस बात को मानता हूं और यह प्रस्ताव जो सभापति जी ने पेश किया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री राजा राम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव सभापति जी ने उपस्थित किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस प्रस्ताव को एक राष्ट्र के महत्व की दृष्टि से सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि अभी कहा गया कि काशी का महत्व एक धार्मिक दृष्टि से यहां पर रखा गया है। मैं समझता हूं कि काशी का महत्व इस दृष्टि से भी है कि अगर हम इस पर एक प्राचीन संस्कृति और परम्परा की दृष्टि डालें तो यह कहा जा सकता है कि यह एक केन्द्र बिन्दु रहा है और इस निगाह से वास्तव में भारत की आत्मा काशी में है और यदि कहा जाय कि वास्तव में काशी में भारत की राष्ट्रीय आत्मा है तो अनुचित न होगा। इसी तरीके से प्रत्येक राष्ट्र के पास नाना प्रकार की पूंजी होती है और मेरा विश्वास है कि अगर भारत की नैतिक पूंजी के रूप में हम देखें तो काशी हमारे देश की नैतिक पूंजी है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। प्राचीन समय में ऐसी चीजों का महत्व समझते हुये सदैव सरकारों ने और धनपतियों ने मुक्त हस्त होकर दान की प्रणाली को स्वीकार करके उनकी रक्षा की है। सच्ची बात तो यह है कि चाहिये तो यह था कि हमारे देश के धनीमानी व्यक्ति को इस बात का गर्व सा होता है कि वह धर्म में विश्वास करता है और दान में विश्वास करता है और हमारा ख्याल है कि इससे बढ़ कर कोई भी काम नहीं हो सकता है कि जिसके लिये स्वयं काशी की दुर्दशा को हमारे सूबे के धनी मानी व्यक्ति दुरुस्त करते। अगर यह चीज हुई होती तो आज इस सदन को सरकार के सामने यह प्रार्थना न करनी पड़ती कि काशी की दशा की ओर ध्यान दिया जाय। सचमुच मैं तो यही कहूंगा कि हमारे देश का यह पतन है कि दुनिया की तमाम बातों के लिये हमारे पास पैसा हो सकता है, आप किसी भी शहर में चले जायं, जो हमारे देश के रईस हैं और जो सिनेमाओं पर रुपया खर्च कर सकते हैं वह १०, १० और १२, १२ सिनेमा खोल सकते हैं और नाना प्रकार की दूसरी चीजों पर बिना बात रुपया खर्च कर सकते हैं लेकिन जहां कोई ऐसा सवाल आ गया, वहां पर सचमुच इससे बढ़ कर क्या शोचनीय दशा हो सकती है कि ऐसे लोगों के होते हुये भी आज हमें सरकार के सामने खड़े होकर प्रार्थना करनी पड़ती है कि कैसे रुपया प्राप्त हो सकता है और कैसे काशी की हालत सुधर सकती है। मुझे भी अपने बचपन में काशी में ४ साल तक शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं यह समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति चाहे देखने की दृष्टि से या चाहे और काम से अगर काशी में जाय और वहां गंगा जी के किनारे जाये तो निश्चय ही उसके भी दिल में कष्ट होगा। अगर एक धार्मिकता की दृष्टि से नहीं तो सौन्दर्य की दृष्टि से आप देखें काशी में गंगा के किनारे आप जायें, चाहे रात का समय हो चाहे प्रातःकाल का समय हो, किस प्रकार से एक इच्छा होती है कि हम गंगा में बिहार करें, उस पार गंगा क जांय और वहां से काशी नगरी की सुन्दरता देखें। शायद हमारे दिल में यह भावना न पैदा हो क्योंकि हम इस देश के ही निवासी हैं और हमेशा ही उसे देखते रहते हैं इसलिये हमारे दिल में उन चीजों का इतना महत्व न हो लेकिन मेरा विश्वास है कि दुनिया के कहीं के भी लोग अगर काशी जायं तो वह उसकी अवश्य ही सराहना करते होंगे और गंगा जी का सौन्दर्य उनके हृदय से मिटता न होगा। दूसरे मुल्कों के लोग जो इन चीजों के महत्व को जानते हैं कि राष्ट्रीय पूंजी की किस प्रकार रक्षा की जाती है और जो यह जानते हैं कि इस प्रकार की देश की जो गर्व की चीजें हैं उनको कैसे प्रतिष्ठित रखा जाता है वह अगर इस देस की पूंजी को इस तरह से नष्ट होते हुये देखेंगे तो उनके दिल में भी ठेस लगती होगी कि जो काशी इतना महत्वपूर्ण स्थान है, कैसे इस देश के लोग हैं जो इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं और क्यों नहीं ध्यान देते हैं। उनके दिलों में इन्हीं बातों का ख्याल रहता है।

आज सचमुच मेरे दिल में ख्याल आता है कि सभापति जी ने इस प्रस्ताव को पेश करके बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराया है। सरकार से हमारी प्रार्थना है कि आज तक तो यह दस्तूर इस भवन के अन्दर रहा है कि कितना ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्यों न हो, चाहे कितना ही अच्छा प्रस्ताव क्यों न आये, लेकिन कठिनाइयों की वजह से आर्थिक संकट की वजह से, या किन्हीं भी कारणों से सरकार ने इन प्रस्तावों को नहीं माना और अगर कोई प्रस्ताव आया तो वह वापस होता रहा और अगर वह यहां पर प्रेस भी किया गया तो असफल होता रहा। मेरा विश्वास है कि यह एक ऐसा प्रस्ताव है कि जिसमें सदन के अन्दर कोई दो मत नहीं होंगे चाहे सरकारी पक्ष हो या चाहे विरोधी पक्ष हो, सभी एकमत से यह समझते हैं कि वास्तव में काशी की गिरती हुई दशा को ठीक करना है और उसकी शोचनीय दशा को पुनः ठीक करना चाहिये। मुझे यह ख्याल होता है कि जो प्रस्ताव कांग्रेसी पक्ष की तरफ से या किसी भी पक्ष की तरफ से आता है तो प्रारम्भ में सरकार की राय पूछ ली जाती है कि उस विषय को वापस होना चाहिये। अगर यह मालूम हो जाय कि सरकारी पक्ष का क्या कहना है या जो प्रस्ताव सदन के अन्दर रखा गया है उस पर सरकार की राय जानने के बाद ही यहां भवन विचार करता है कि हमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिए। यही मैं आशा करता था कि इस सब्जेक्ट पर पहले सरकार की बात सुन ली जाय कि इस सम्बन्ध में उसकी क्या राय है। अगर मान लिया जाय अध्यक्ष महोदय, सरकार शुरू में ही उसको स्वीकार कर लेती तो मैं समझता हूं कि सचमुच में ही एक बहुत बड़ी समस्या हल हो जाती और सदन का वक्त फिर बेकार न लिया जाता। इसीलिये मैं जरूर इस बात की दरख्वास्त करूंगा मंत्री महोदय जी से अगर वह अब भी इस सब्जेक्ट पर कुछ कहें तो इसमें ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है और सरकार हमको बतलाये कि इसके बारे में उसकी खुद की क्या राय है और अगर यह प्रस्ताव ऐसा है कि वह सरकार को स्वीकार हो, तब तो यह सब बहस बेकार है और अगर किन्हीं कारणों से यह सरकार को स्वीकार न हो सके, तब इस पर सदन के और लोगों को गौर करना चाहिये जैसा कि इस सदन के अन्दर बहुत से सुझाव भी पेश किये गये हैं। मैं मानता हूं और वित्त मंत्री को विश्वास दिलाता हूं कि जब कभी भी सदन के सामने ऐसी बातें आई हैं, तो उनका यह कहना कि उनके पास पैसा नहीं है, और किसी भी काम करने के लिये चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो आपके हाथ पैर बंध जाते हैं, यद्यपि आपकी यह बिल्कुल इच्छा रहती है कि आप हर एक ऐसे काम को करें, मगर अपने आस-पास की परिस्थिति देखकर आप कहते हैं कि हमारे हाथ पांव बंधे हुये हैं और चाहते हुये भी आप ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो जितनी भी ऐसी बातें आई हैं, उस मौके पर काफी सुझाव दिये गये हैं और मैं इस बात को मानता हूं कि स्वेच्छापूर्वक हमारे सूबे के धनियों से इस बात की अपील हो और उनसे रुपया लेकर इन घाटों की दशा को सुधारना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि धनी-मानी व्यक्ति इसके लिये अवश्य आगे आयेंगे और वे लोग इसके लिये रुपया देंगे। और इसके लिये जिसके पास पैसा होगा वह स्वेच्छा से दे देगा। तो इसके लिये हुकूमत का यह कहना कि पैसे का प्रबन्ध कहां से हो सकता है यह उचित नहीं है मेरा ख्याल है जैसा कि बतलाया गया है अगर हुकूमत पैसे का प्रबन्ध करना चाहती है तो वह ऐसा प्रबन्ध कर सकती है। क्योंकि जैसे कहा गया है कि जहां चाह है वहां राह। अगर सरकार काम करना चाहे तो कर सकती है। इस कार्य के लिये मेरा विश्वास है कि कई लोग आगे आयेंगे और मैं आशा करता हूं कि जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव यहां पेश किया गया है वह स्वीकार होगा और यह सिर्फ स्वीकार ही नहीं होगा बल्कि इस पर अमल भी होगा और इस तरह से सचमुच काशी के गिरते हुये घाटों को बनाया जायेगा और हम दुनिया के सामने यह दिखला देंगे कि हमारे राज्य की चीजें कितने महत्व की हैं और उसके लिये हमें कितना गर्व है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभापति जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उपाध्याय जी के प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करते हैं। मुझे खेद है कि यह प्रस्ताव उपाध्याय जी को इस सदन के सामने रखना पड़ा। मेरी सम्मित में तो बनारस म्युनिसिपैलिटी को इस बात की कोशिश करनी चाहिये थी कि वह घाटों की तरफ ध्यान देती उसे सरकार का ध्यान घाटों की शोचनीय अवस्था की ओर भी आकृष्ट करना चाहिये था परन्तु बनारस म्युनिसिपैलिटी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और उपाध्याय जी को यह प्रस्ताव इस सदन के सामने रखना पड़ा। इस कार्य से आपने हिन्दू जनता का बड़ा उपकार किया है। अध्यक्ष महोदय, काशी की प्राचीनता का वर्णन करना आप के सामने अनावश्यक है। आप काशी के निवासी हैं, आप के वंशज काशी में रहते आये हैं, आप के पिता जी ने काशी में विद्या पढ़कर विश्व में ख्याति प्राप्त की है। राजा हरिश्चन्द्र वहीं हुये, भगवान बुद्ध ने पहले सारनाथ में अपने धर्म का प्रचार किया। काशी अनादिकाल से धर्म और संस्कृति का केन्द्र रहा। उसके बारे में कहना इस भवन में अनावश्यक है। कौन हिन्दू ऐसा है जो काशी के गौरव को नहीं जानता, जो वहां शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता, कौन ऐसा हिन्दू है जिसके हृदय में काशी का नाम लेते ही अनेकों स्मृतियां जागृत नहीं हो जातीं। जैसा कि उपाध्याय जी ने कहा कि काशी में देवता विराजते हैं मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके सम्मुख दृष्टकोण रखना पड़ेगा। काशी के घाटों की दशा शोचनीय है। वे काशी की उत्तम निधि हैं। जितने योरप के यात्री आते हैं धर्म के ख्याल से नहीं प्राकृतिक सौन्दर्य की वह प्रशंसा करते हैं। अनेकों प्राचीन पुस्तकों में काशी का वर्णन है। दूसरे अभी बून्दी घाट की बात कही गई यदि उसका निर्माण न किया तो निकटवर्ती भवन गिर जायेंगे और बहुत नुकसान होगा। इन सब बातों पर सरकार को विचार करना चाहिये। अब सवाल यह पैदा होता है जैसा शास्त्री जी ने कहा कि रुपया कैसे आयेगा यह सही है कि जनता गरीब है और राजे-महराजे और धनी मानी लोग अब नष्ट हो गये हैं उनमें सामर्थ्य नहीं है कि रुपया दे सकें परन्तु मेरा विश्वास है कि यदि धर्म के नाम पर सरकार जनता से अपील करेगी तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो इस कार्य में कुछ न कुछ न दे। मैं यह समझता हूं कि जिस तरह से गवर्नमेंट आर्कोलाजिकिल डिपर्टमेंट का जो ऐक्ट है उसके द्वारा प्राचीन इमारतों की रक्षा करती है उसी प्रकार घाटों की रक्षा का भी उपाय हो सकता है। इसमें कोई कठिनाई न होगी। सरकार जनता से यदि अपील करेगी और गवर्नमेंट आफ इंडिया से अपील करेगी की घाटों की रक्षा के लिये यह कार्य करना आवश्यक है, तो मैं समझता हूं कि इसकी पूर्ति में कठिनाई न होगी। मैं इन शब्दों के साथ इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इस प्रस्ताव पर ध्यान देगी और इसे कार्यान्वित करेगी। बार-बार प्रस्ताव वापस लेना, अस्वीकार करना वैधानिक दृष्टि से कुछ अच्छा नहीं है। जैसे माननीय मंत्री जी ने दूसरे प्रस्ताव पर कहा कि अगर मैं इसको मान भी लूं तो २ महीने के बाद आप ही लोग उसकी मुखालिफत करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि आप देखेंगे कि हम लोग यह नहीं कहेंगे बल्कि हम लोग यह कहेंगे कि गवर्नमेंट पक्ष ने क्या किया है। गवर्नमेंट कठिनाइयों का वर्णन करेगी और उनके साथ हम लोग सहानुभूति रखेंगे और सहयोग करेंगे और कहेंगे कि इस तरह से इस उद्देश्य की पूर्ति होती है।

श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)——माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी बातें काशी का यहां के घाटों के विषय में कही गई उसमें मैं समझता हूं किसी भी हालत में दो रायें नहीं हो सकतीं। लेकिन वास्तव में सच बात तो यह है कि बनारस के जो घाट हैं उनके लिये सरकार ने अब तक क्या क्या कार्य किया इस बात से थोड़ा भी हमारे माननीय सदस्य परिचित होते तो शायद इस प्रकार का प्रस्ताव लाने की जरूरत न समझते। वास्तव में बात तो यह है कि घाटों की अब तक किसी भी हालत में सूबे की सरकार के ऊपर बनाने की जिम्मेदारी नहीं थी। यह जितने भी घाट हैं, श्रद्धा, प्रेम और भक्तिवश बहुत से धनी मानी लोगों ने बनारस में बनाये थे और उन्हीं के द्वारा इनकी मरम्मत और देखभाल अब तक होती रही। लेकन इसके बाद सन् १९४८ में सब से पहले यह प्रश्न यू० पी० सरकार के सामने आया। उस वक्त एक बाढ़ आयी और जहां मामूली और घाटों को नुकसान पहुंचा होगा हनुमान घाट

जो था उसको बहुत काफी नुकसान पहुंचा। वास्तव में बात तो है कि वह घाट बिलकुल टूट गया और सरकार ने उस घाट का २ लाख ८० हजार रुपया खर्च करके पुर्ननिर्माण किया। वहां के करीब करीब सभी घाटों की हालत खराब है। इसके बाद यू० पी० सरकार ने अपने चीफ इंजीनियर के जरिये उन घाटों का सर्वे कराया और अन्दाजा लगाया गया कि इस सब कामों के लिये कितने धन की जरूरत पड़ेगी।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद---क्या एस्टीमेट हुआ।

श्री गिरधारी लाल---चार करोड़ से ज्यादा रुपया इसके निर्माण में खर्च होने का इस्टीमेट है जो कि आप समझते होंगे कि सूबे की सरकार के बस की बात नहीं है। यू० पी० सरकार के सामने यह प्रश्न रहा है कि किस तरीके से वह इतनी बड़ी धनराशि को निकाले। इस बीच में दो और घाट एक मीर घाट और दूसरा मां आनन्दमयी घाट भी क्षतिग्रस्त हो गये और उनका भी प्रश्न सरकार के सामने आगया। इसमें भी सरकार और बनारस के जितने भी प्रमुख नागरिक थे उनके बीच में यह तय हुआ कि जितना खर्च होगा उसमें आधा रुपया यू० पी० सरकार देगी और आधा जनता में से प्रबन्ध करके इन घाटों का पुर्ननिर्माण किया जायगा और साथ ही एक लाख रुपया मां आनन्दमयी घाट के पुर्ननिर्माण के लिये जनता ने दिया भी। इस तरह से दो लाख रुपया मां आनन्दमयी घाट पर खर्च किया गया। साथ ही इस वर्ष का बजट जो है उसमें चार लाख रुपया मां आनन्दमयी घाट और दूसरे घाटों की मरम्मत के लिये रखा गया है। इसी बीच ब्रह्मा घाट या बून्दी का कोटा, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, का प्रश्न भी सरकार के सामने आया। मैंने जैसा कि पहले बतलाया कि चार करोड़ रुपये का जो मसला था वह इतना बड़ा सवाल है और सरकार के सामने यह परेशानी रही कि किस तरह से इतनी बड़ी धनराशि का इन्तजाम किया जाय। जैसा कि अभी माननीय सदस्य प्रभु नारायण सिंह जी ने और दूसरे साहबान ने सुझाव दिया है उससे यह साफ जाहिर है कि न सिर्फ यू० पी० की सरकार न सिर्फ हमारे प्रान्त के नागरिक बल्कि काशी और काशी के जो घाट हैं जिनसे बनारस की रक्षा हो रही है उनके प्रति हिन्दुस्तान के सम्पूर्ण नागरिकों की श्रद्धा और भक्ति है। इस बात को देखते हुये एक सरकारी कमेटी बनाकर जितने धन की जरूरत होगी उस सवाल को तय करने के लिये एक कमेटी बनाना तय किया गया है जो कि मैं समझता हूं बहुत जल्द आपके सामने बात आ जायगी। जनता में से भी इसके लिये रुपया इकट्ठा किया जायगा और जितना यू० पी० गवर्नमेंट दे सकेगी, देगी तथा गवर्नमेंट आफ इंडिया भी मदद करेगी। इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव लाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। इसलिये मैं यह विरोध करूंगा कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद---क्या कमेटी सरकार ने बना दी है।

श्री गिरधारी लाल---कमेटी बनाने का निश्चय कर लिया गया है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी एलान हो जायगा।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---जो जो सूरतें उनकी मरम्मत करने के लिये हो सकती हैं वे हो रही हैं अगर आप चाहते हैं तो उनको पढ़कर सुना दूं। गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी रुपया लेने को है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद---गवर्नमेंट आफ इंडिया का क्या रुख है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम---गवर्नमेंट आफ इंडिया से भी लिखा पढ़ी हुई है और पब्लिक से भी रुपया लेने की तजवीज हो सकती है और वह भी हो रहा है। इसके लिये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपल बोर्ड दोनों काम कर रहे हैं। इसके लिये यह भी सोचा जा रहा है कि एक कमेटी बना दी जाय यह प्रस्ताव है वह बाद में आया है। यह कार्य तो पहले से हो रहा है।

श्री राजा राम शास्त्री—मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उससे मालूम होता है कि जो प्रस्ताव की भावना है उसकी बात को गवर्नमेंट स्वीकार कर रही है और जरूरी भी है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जैसा प्रस्ताव है और जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से हम कर रहे हैं। अगर हम इस प्रस्ताव को मान लेते हैं तो यह बात आइडेंटीफाई हो जायेगी कि इस काम को गवर्नमेंट कर रही है और इस काम की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट पर है। इस प्रस्ताव को मान लेने से जो नुस्तरका काम करने की स्प्रिट है वह खत्म हो जायगी। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और म्युनिसिपल बोर्ड समझ लेंगे कि यू० पी० गवर्नमेंट ने इसका पूरा बोझ ले लिया है। इसके अलावा मेरे पास इस सिलसिले में एक नोट भी है, जो मेम्बरान साहबान उसे देखना चाहें वे देख सकते हैं।

श्री राजाराम शास्त्री—मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि आप उसको देख लीजिये और सरकार उस काम को आरम्भ कर दे।

चेयरमैन—यह चेयरमैन का काम नहीं है।

श्री सभापति उपाध्याय—अध्यक्ष महोदय, यदि सरकार इस संबंध में कार्य कर रही है तो मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि एक आध प्रस्ताव सरकार कर ले तो हम लोगों को इससे बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—हाउस ने जो चाहा वह काम जब पहले ही से हो रहा है तो फिर इस रिज़ोल्यूशन के पास करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं सुन रहा हूं कि हमारी जबान से जो भी बात निकलती है वह किसी तरह से काबिले क़बूल नहीं होती। यह तो दूसरी चीज है।

श्री राजाराम शास्त्री—अगर यह बात है तो मैं यह कहूंगा कि आप जिद कर रहे हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मजबूर हूं। जिद की बात नहीं है।

चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह प्रस्ताव वापस लिया जाय?

श्री राजाराम शास्त्री—आप भवन की राय लें। हम नहीं चाहते कि प्रस्ताव वापस हो।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि यह प्रस्ताव वापिस लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन के पश्चात् स्वीकृत हुआ)

पक्ष में (२४)

१—श्री अब्दुल शकूर नजमी	१३—श्री बालक राम वैश्य
२—श्री इन्द्र सिंह नयाल	१४—श्री बाबू अब्दुल मजीद
३—श्री कन्हैयालाल गुप्त	१५—श्री बंशीधर शुक्ल
४—श्री कुंवर महावीर सिंह	१६—श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन
५—श्री केदार नाथ खेतान	१७—श्री मानपाल गुप्त
६—श्री कृष्ण चन्द्र जोशी	१८—श्री राना शिव अम्बर सिंह
७—श्री जगन्नाथ आचार्य	१९—श्री राम नन्दन सिंह
८—श्री जमीलुर्रहमान क़िदवई	२०—श्री लालता प्रसाद सोनकर
९—श्री निजामुद्दीन	२१—श्री विश्वनाथ
१०—श्री निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी	२२—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी
११—श्री प्रेम चन्द्र शर्मा	२३—श्री सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद
१२—श्री पन्ना लाल गुप्त	२४—श्री सरदार संतोष सिंह

विपक्ष में (४)

१—डाक्टर ईश्वरी प्रसाद	३—श्री प्रभु नारायण सिंह
२—श्री कुंवर गुरु नारायण	४—श्री राजाराम शास्त्री

चेयरमैन—प्रस्ताव के पक्ष में २४ मत हैं और विपक्ष में ४ मत हैं इसलिये सदन की इजाजत से प्रस्ताव वापस लिया गया।

सदन का कार्य-क्रम

चेयरमैन—कल के लिये कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। पहले डेट रिडक्शन बिल फिर सेल्स टैक्स बिल और उसके बाद फायर सर्विसेज बिल।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान् मैं यह जानना चाहता हूं कि फाइव इयर प्लान के लिये मैंने लिखा था क्या मुझे लीडर आफ दी हाउस यह बतायेंगे कि उस के विषय में क्या हुआ।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं इस वक्त आज इतना ही कर सकता हूं कि डिसकशन का वक्त दिया जायगा और उसके लिये तारीख बाद में तय की जायगी।

चेयरमैन—सदन की बैठक कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ४ बजकर ५१ मिनट पर दूसरे दिन, २९ अक्तूबर को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई)

लखनऊ,
२८ अक्टूबर, १९५२

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी—ए० पी०—२ एस० सी—१९५३—८५०।

प्रश्नोत्तर

तहसील आंवला जिला बरेली के कच्चे मार्ग

सं० ता० १८-१०-५२

१--श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि तहसील आंवला जिला बरेली में जाने के पक्के मार्ग न होने के कारण वहां की जनता को अति कष्ट उठाने पड़ते हैं और व्यापार करने में भी कठिनाई होती है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)--(क) जी हां।

(ख) सड़क निर्माण-कार्य का द्वितीय चरण बनाया जा रहा है और उसमें इस इलाके की सड़कों की उन्नति पर ध्यान दिया जायगा।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--क्या माननीय मंत्री यह बतलायेंगे कि इस द्वितीय चरण के मुताबिक़ सड़कें कब तक बनना शुरू हो जायेंगी ?

श्री गिरधारी लाल--जब पहिला चरण खत्म हो जायेगा तभी होगा। सन् १९५६ ई० में पहिला चरण ख़त्म होने की मियाद है।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस द्वितीय चरण में जो बरेली से बदायूं को रोड जाती है और उसमें जो राम गंगा नदी पड़ती है उस पर पुल बनाने की योजना है ?

श्री गिरधारी लाल--इसकी इत्तिला इस वक्त मेरे पास नहीं है।

२८-१०-५२

२--श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--(क) क्या यह सच है कि इस तहसील में मगोरा से सिरौली और चम्पतपुर से सिरौली जाने वाले दोनों मार्ग कच्चे और खराब दशा में हैं ?

(ख) यदि हां, तो सरकार उनको पक्का और अच्छी दशा में बनाने के लिये क्या क़दम उठा रही है ?

श्री गिरधारी लाल--(क) जी हां।

(ख) यह सड़कें अब जिला बोर्ड के अधीन हैं इसलिये इनकी देख भाल तथा निर्माण की जिम्मेदारी अब बोर्ड की है।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद--क्या माननीय मंत्री यह बतलायगे कि ये सड़कें जिला बोर्ड के अन्दर कब आई हैं।

श्री गिरधारी लाल--१ अगस्त, १९५२ में ली गई हैं।

(प्रश्न संख्या १--११ जो कि मंगलवार २८ अक्तूबर, सन् १९५२ ई० के लिये रखे गये थे परन्तु श्रम मंत्री की इच्छानुसार २९ अक्तूबर, सन् १९५२ ई० के लिये स्थगित किये गये थे।)

एल० एच० आयुर्वेदिक कालेज, पीलीभीत

१--श्री शिव सुमरन लाल जौहरी (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)--क्या यह ठीक है कि पीलीभीत में एक एल० एच० आयुर्वेदिक कालेज फ़ार्मेसी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह तथा श्रम मंत्री)--पीलीभीत में ललितहारी आयुर्वेदिक कालेज शिक्षा संस्था के अंतर्गत औषधि निर्माण विभाग है, जो ललितहारी आयुर्वेदिक फ़ार्मेसी के नाम से संबोधित होता है।

२—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मेसी में दवायें बेचने के लिये बनायी जाती हैं और बेची जाती हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—उपरोक्त शिक्षा संस्था फ़ार्मेसी आयुर्वेद की शिक्षा, विद्यार्थियों को देने के उद्देश्य से संस्थापित है। इसका कार्य आयुर्वेदिक आतुरालय के लाखों रोगियों को मुफ्त औषधि प्रदान करना है। शेष निर्मित औषधियां विक्रय भी की जाती हैं जिनका लाभ विद्यालय तथा आतुरालय को प्राप्त होता है।

३—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह सत्य है कि उपरोक्त फ़ार्मेसी में बीस से अधिक आदमी काम करते हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह सत्य है कि उपरोक्त फ़ार्मेसी में २० से अधिक आदमी काम करते हैं जिनकी कुल संख्या इस समय ३९ है जिसमें रस शास्त्री, वैद्य, लेखक, औषधि वितरक, पेषक सम्मिलित हैं।

४—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—(क) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त फ़ार्मेसी फ़ैक्टरीज़ ऐक्ट के अनुसार अब तक रजिस्टर्ड नहीं है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह उपरोक्त फ़ार्मेसी तथा प्रबन्धक के खिलाफ़ क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी हां।
(ख) इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

५—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मेसी में काम करने वाले मजदूरों की एक रजिस्टर्ड यूनियन है जिसका नाम एल० एच० आयुर्वेदिक कालेज फ़ार्मेसी वर्कर्स यूनियन है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां। यह यूनियन श्री ललितहारी आयुर्वेदिक कालेज फ़ार्मेसी, वर्कर्स यूनियन के नाम से रजिस्टर्ड है।

६—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मेसी में काम करने वाले मजदूरों की न्यूनतम वेतन मंहगाई रहित २५ रु० या उसके निकट है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

७—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह ठीक है कि उपरोक्त फ़ार्मेसी में काम करने वाले मजदूरों को फ़ार्मेसी के लाभ में से कोई पैसा बोनस के रूप में नहीं दिया जाता है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

८—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या यह ठीक है कि उपरोक्त यूनियन ने अपनी कुछ डिस्प्यूट्स (disputes) कन्सोलियेशन बोर्ड, बरेली (Conciliation Board, Bareilly) के पास २७ जून, १९५१ को भेजे थे और क्या अन्य बातों के अलावा उनमें वेतन वृद्धि और बोनस की भी मांग थी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

९—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी (क) क्या यह ठीक है कि सरकार ने वेतन वृद्धि और बोनस के मामले को ऐडजुडिकेशन (Judication)) में भेजने से इन्कार कर दिया?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त फ़ार्मेसी में काम करने वालों को न्याय प्राप्त करने को सुविधा दिया जाना क्यों उचित नहीं समझा गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी हां।

(ख) इस मामले को सरकार ने ऐडजुडिकेशन में भेजने योग्य नहीं समझा।

१०—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—(क) क्या यह ठीक है कि उपरोक्त झगड़े में कन्सीलियेशन बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी रिपोर्ट श्रम कमिश्नर के पास भेजी थी?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उसकी एक नक़ल मेज पर रखने की कृपा करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी हां।

(ख) जी नहीं। ऐसी रिपोर्ट गोपनीय रक्खी जाती है।

११—श्री शिव सुमरन लाल जौहरी—क्या सरकार का इरादा है कि अब उपरोक्त फ़ार्मेसी में काम करने वालों को न्याय प्राप्त करने की सुविधा दे और वेतन तथा बोनस के झगड़े को ऐडजुडिकेशन (Adjudication) में भेजे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार इस मामले को एडजुडिकेशन के उपयुक्त नहीं समझती।

[प्रश्न संख्या १७—२० जो कि मंगलवार, २८ अक्तूबर, १९५२ ई० के लिये रक्खे गये थे परन्तु गृह मंत्री की इच्छानुसार २९ अक्तूबर, सन् १९५२ ई० के लिये स्थगित किये गये थे।]

१७-२०—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक

श्री चरण सिंह (माल मंत्री)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक पर विचार किया जाय।

जिस वक्त से जमींदारी खत्म करने का सिलसिला चला तो १९४६ में विधान सभा ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की इस बात की रिपोर्ट भी है कि जब जमींदारों से उनकी जायदाद ली जायगी तो उनको जो मुआविजा दिया जायगा वह बाजारों की क़ीमत के अनुपात या तनासुब के मुताबिक़ कर्जाजात को घटा कर दिया जायगा। इस तरह का आश्वासन और इत्मीनान सरकार ने जमींदारों को दिया था। जब जमींदारी अबालिशन बिल २४ जनवरी, सन् १९५२ ई० को अधिनियम बना, तो बहुत से लोगों को मौक़ा मिला और मुक़दमेबाजी हुई। हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक मुक़दमे गये। ५ मई, सन् १९५२ ई० को यह अधिनियम वैध क़रार दिया गया और पहली जुलाई, सन् १९५२ ई० को यह ऐक्ट लागू हो गया। यह बिल असेम्बली से पास हो चुका है और अब परिषद् में विचार करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। इसमें ३-४ मोटे-मोटे उसूल हैं, एक तो यह कि जितने कर्जाजात हैं उनकी तहक़ीक़ात अदालत करे। लेकिन जो डिगरी वग़ैरा इजरा हो गई हैं, उनकी जिम्मेदार अदालत नहीं होगी कि वह उनको गजट में दे और लोगों के नोटिस में लाये। दूसरे यह कि जिस हद तक क़र्जा लैन्डेड प्रापर्टी के ऊपर उस जायदाद का है जिसको स्टेट ने एक्वायर कर लिया है या जो उत्तर प्रदेश के राज्य में निहित हो गये हैं तो जो भी क़र्जा ऐसी जायदाद के हिस्से में आते हैं या जिस क़दर हिस्सा उस जायदाद के हिस्से में पड़ता है, वह क़र्जा घटाया जायगा और जो दूसरे क़र्जे उस जायदाद पर हैं, उससे किसी प्रकार का वास्ता नहीं है। क्योंकि उसूल इस विधेयक का यह है कि जिस क़दर उसकी पेइंग कैपिसिटी कम हो गई है या किसी मक़रूज की या असामी की पेइंग कैपिसिटी कम हो गई है, उस क़दर उसको राहत या सहूलियत मिलनी चाहिये। अगर यह मान लें कि एक आदमी की एक फैक्टरी है और एक गांव है और दोनों रेहन थे तो उसका एक ही क़र्जा घटाया जा सकता है। इसलिये जो शहरी जायदाद है उस पर क़र्जा कम नहीं किया जायेगा। इसलिये फैक्टरी का क़र्जा कम न कर के, जितना क़र्जा ट्रान्सफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट की दफ़ा २२ के मातहत उस गांव के हिस्से में आता है, उसका उतना कर्जा कम कर दिया जायेगा और जितना क़र्जा फैक्टरी के जिम्मे पड़ता है, तो चूंकि वह उसका है तो उस असामी का मक़रूज शख्स की पेइंग कैपिसिटी बरकरार है लिहाजा जो में आता था वह नहीं घटाया जायेगा, यह इसका दूसरा उसूल है।

तीसरा उसूल यह है कि जिस क़र्ज़े से ऐसा समझा जाता हो कि उसका पब्लिक इन्टरेस्ट पर असर पड़ता है, अगर वह घटा दिया गया तो वह क़र्ज़ा भी नहीं घटाया जायेगा। अगर देखा जाय तो लाजिकली उस क़र्ज़े को स्ट्रिक्टली घटा दिया जाना चाहिये, लेकिन दुनिया में ऐसे उसूल, जिनको लाजिकली मान लिया गया हो, बहुत कम हैं। हर समय एक उसूल का दूसरे उसूल के साथ परस्पर सामञ्जस्य करना पड़ता है, और उनको रिकान्साइल करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत में पब्लिक इन्टरेस्ट की बात आती है जहां कि व्यक्तिगत इन्टरेस्ट को सरेन्डर करना पड़ता है। अगर वह सार्वजनिक हित में रोड़ा अटकाता है तो व्यक्तिगत का प्रश्न छोड़ देना पड़ता है। तो जो क़र्ज़े ऐसे हैं कि जिनको घटाने से सार्वजनिक हित को धक्का पहुंचने का अन्देशा हो, मसलन इस्टेट की तकावी वग़ैरह, कोआपरेटिव बैंक्स या दूसरे रेलिजस प्वाइन्ट की चीज़ें हैं, तो उस हालत में वह क़र्ज़ा नहीं घटाया जायेगा। इसमें शेड्यूल बैंक का क़र्ज़ा न घटाने की बात है। इसके अलावा यह भी है कि जो आड़ी क़र्ज़ा जायदाद का इस्टेट पर पड़ता है, यानी जिसको जमींदारी विनाश और लैन्ड रिफार्म बिल में डिफाइन किया गया है, आम भाषा में यह है कि लैंडेड प्रापर्टी के ऊपर जो क़र्ज़ा पड़ता है तो उसका जो कम्पेनसेशन है, उस कम्पेनसेशन की इसमें जितनी इजाजत है, उतना कम्पेनसेशन या रिहैबिलीटेशन ग्रान्ट से उसूल हो जायगा। जो बाक़ी बचे या जो बाक़ी रुपया है वह फिर किसी जायदाद से वसूल नहीं हो सकेगा, यह भी इसमें रक्खा गया है। तो इसका नतीजा यह होगा कि इस से बहुत ज्यादा आराम जमींदारों और मौजूदा भूमिधरों को मिलेगा।

साथ ही साथ यह भी विचार किया गया है कि उनका सारा प्रतिकर या अनुदान कर्जे में न रहे। इससे वसूलयाबी भी हो सकती है ताकि रुपया उसके लिये बचा रहे। अब देखना यह है कि किस कदर रुपया घटाया जाय। कर्जे घटाने की बात, अध्यक्ष महोदय, मैंने आपकी इजाजत से माननीय सदस्यों के सामने रख दी लेकिन वह घटाया किस तरह से जाय, यह एक समस्या है। देखना यह है कि इसमें पैमाना क्या होगा। पैमाने के लिये हमने यह रखा है कि जायदाद की कीमत जितनी मानी जाती थी तो अब उसको किस तरह से आंका या जांचा जाये। इसके लिये हमने रखा है कि इन्कमबर्ड स्टेट ऐक्ट जो है, उसके मुनाफे से निकाल दिया जायेगा। उसमें से गुणा करके उसकी कीमत निकाली जा सकती है। वर्ना किसी जायदाद की क्या कीमत है, यह नहीं पता चल सकता और इसके लिये हम कोई सीधा सा फारमूला नहीं रख सकेंगे। अब भी मुस्तकिल तरीके से कोई यह नहीं कह सकता है कि उसकी जायदाद की क्या कीमत थी और आप वैसे कह सकते हैं कि इतनी मान ली जाय। तो जायदाद की असली कीमत जानने के लिये इनकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट में इससे जो अब तक की बात थी, उससे गुणा कर दिया जाय और इससे जितनी भी रकम आये वह उस जायदाद की कीमत मानी जायेगी और जो प्रतिकर मिल रहा है, प्रतिकर और उसे गुणा देने के बाद जो रकम आयेगी और प्रतिकर का जितना बाकी गुणा देने के बाद कीमत आई है, तो उससे जितनी कीमत हो उतनी कीमत कर्ज की कर दी जाय। मसलन बाकी आय मान लीजिये मेरठ के जिले में ३२ है और कम्पेनसेशन मिल रहा है और नेट इन्कम का ३२ गुना मेरठ का जो होता है जिस पर कि कर्जा होगा, तो उसका कर्जा ८/३२ कर दिया जायेगा और मान लीजिये दूसरी जगह १६ है तो वहां ८/१६ हो जायेगा। मान लीजिये गोरखपुर में मल्टिपुल ७० है तो सेलेक्ट कमेटी ने और उसके बाद प्रांतीय सभा ने यह तय किया है कि मल्टीपुल चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन वह ४० से ज्यादा नहीं माना जायेगा। लेकिन वहां ८/७० हो जायेगा। इस तरह से लोगों का प्रतिकर ज्यादा भी हो सकता है, इसलिये उसको ज्यादा से ज्यादा ४० कर दिया गया है लेकिन कहीं मसलन एक जगह १३ है, १६ है या १७ है, तो बाकी जगह २३, २४ और २७ भी है। इसलिये ४० से ज्यादा कहीं नहीं है और इससे कम जितना चाहें रख लें। तो वह इनकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट से मल्टीपुल करके यह रकम दी जा रही है तो मेरे विचार से यह मोटी सी चीज है जो कि इस विधेयक का मतलब है और अगर इसके सिलसिले में कोई संशोधन बाद में होगा, तो मैं उनका जवाब फिर दूंगा। इस समय आपकी इजाजत से मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय चरण सिंह जी को अक्सर यह शिकायत रही कि जमींदार जो हैं वह सरकार जो कुछ भी करती है उसको शुक्रिये का एक भी अल्फाज़ अदा नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक बड़े असमंजस में हूं वह यह है कि अगर इस विधेयक का विरोध करता हूं तो डेटर्स की नाराज़ी हमारे ऊपर होती है और अगर सपोर्ट करता हूं तो क्रेडिटर्स की नाराज़ी होती है। ऐसी हालत में मैं नहीं समझता कि किन शब्दों में मैं अपने विचार इस विधेयक के संबंध में रखूं। फिर भी एक या दो बातें जो मुझको महसूस हुईं उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी और सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझको आश्चर्य है कि यह विधेयक लाया ही क्यों गया। इसके लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कि इसके स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट ऐन्ड रीजन्स में जो हमारी सरकार ने लिखा है उसका पहला हिस्सा मैं पढ़ कर सुनाता हूं—

"The Zamindari Abolition Committee made certain recommendations as regards the scaling down of intermediaries' debts. They pointed out that our existing debt laws do not take into account the special problem of the reduced capacity of the land-lord to pay his debts due to abolition of zamindari. To the Committee it appears sound and equitable that after the aboliton of Zamindari the land-lords' debts should be reduced in proportion to the reduction in the value of his land consequent upon the abolition."

जो मैंने स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट ऐन्ड रीजन्स को पढ़ा और उसके बाद जब मैंने विधेयक की धाराओं को पढ़ा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसमें भी जमींदारी के साथ डिस्क्रीमिनेशन किया गया है, वसूलन यह चीज ठीक नहीं थी। जो वैल्यूयेशन प्रापर्टी की है इसे विधेयक में उसके घटाने और बढ़ाने की बात की गई है। जमींदारों के कर्जे को स्केल डाऊन करने की बात इस विधेयक में की गई है। इस बिल के अनुसार १० हजार या उससे कम के ही जमींदारों के क़र्जे को स्केल डाऊन करने की ही व्यवस्था सी मालूम होती है और उससे ज्यादा मालगुजारी जो देते हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस चीज को जब मैं देखता हूं तो मालूम होता है कि सरकार ने इसमें फर्क किया है। एक कैटेगरी बनाई गई है उन जमींदारों की जो १० हजार से कम देते हैं और दूसरे वे हैं जो ज्यादा देते हैं तो ऐसी हालत में जो अबालिशन कमेटी की रिपोर्ट थी तो सरकार ने उसके उद्देश्य के खिलाफ यह डिफरेंनसियेशन क्यों किया। जिस हिसाब से छोटे जमींदारों की प्रापर्टी की वैल्यू (value) घट सकती है तो उसी हिसाब से बड़े जमींदारों की भी घट सकती है। इसमें इस प्रकार का डिफरेंनसिएशन हरगिज न होना चाहिये। यह उसूलन गलत चीज है। शायद सरकार की दृष्टि में यह चीज होगी कि जो बड़े जमींदार हैं और जैसा कि ज्यादातर ऐन्टागनिस्टिक एटीट्यूड गवर्नमेंट का उनके प्रति रहा है, इनके पास सरमाया ज्यादा है, इनको पैसे की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर किसी के पास सरमाया ज्यादा है या सरमाया ज्यादा नहीं है, जब जमींदारी अबालिशन कमेटी ने कोई उद्देश्य लिया और हमने उसको मान लिया तो फिर उसी उद्देश्य से सारा काम होना चाहिये। हमारे पास यह दृष्टिकोण न होना चाहिये कि हम इस कैटेगरी के जमींदारो को इसमें नहीं लाते; इस कैटेगरी के जमींदारों को इस में लाते हैं। हमारे सामने सब के कर्ज के लिये एक समान व्यवस्था का दृष्टिकोण होना चाहिये और उसूल भी यही कहता है।

श्री चरण सिंह—क़र्ज़ सभी लोगों के घटाये जा रहे हैं। यह भ्रम आपको कहां हो गया।

श्री कुंवर गुरु नारायण—अगर ऐसा है तो तो मुझे इस के संबंध में कुछ नहीं कहना है। सरकार का विचार तो ऐसा था। खैर दूसरी चीज मैंने जो इस विधेयक में देखी वह यह थी कि इस विधेयक में जो सरकार पास करने जा रही है उसके अनुसार यह होगा कि जो

रहैबिलीटेशन ग्रांट है और कम्पेनसेशन है, इन दोनों को सरकार ने जोड़ दिया है। कर्ज की अदायगी के लिये। मुझे आश्चर्य हुआ, इस समय जब कि सरकार कर्ज का भार कम करना चाहती है तो उसने यह निश्चय किया कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेनसेशन दोनों जोड़ दिये जायं। कर्जे के भार को आधा करने में और इस बिल के अनुसार जो ३/४ हिस्सा कम्पेनसेशन का या रिहैबिलिटेशन ग्रांट का होगा वह किसी कर्ज की अदायगी में काट लिया जा सकता है और एक चौथाई जमींदार के पास रह जायेगा। मुझे केवल यह निवेदन करना है कि जिस समय रिहैबिलिटेशन ग्रांट का सरकार ने प्राविजन किया था उस समय यही कहा गया था कि हम पुनर्वासिन भत्ता दे रहे हैं। इसको कम्पेनसेशन न समझना चाहिये ऐसी हालत में इन छोटे-छोटे जमींदारों को जिनको पुनर्वासन भत्ता दिया जायेगा अगर वह भी कर्जे में ३/४ काट दिया गया तो आप समझ सकते हैं कि जो परपज है रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने का वह फारफीट हो जाता है। हर जमींदार का एट टाइम्स नेट आसेट्स का जो मुआविजा होता है उसी में ३/४ कर्ज की अदायगी में काटने की व्यवस्था सरकार करे। वह तो बहरहाल कुछ ठीक ही सही, लेकिन जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट सरकार ने इसमें शरीक करदी यह उसने ठीक नहीं किया। इसका नतीजा यह होगा कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत उनको मिलता वह भी अब न मिलेगा। माननीय मंत्री इसके ऊपर यह कह सकते हैं कि अगर हम इतना भी न करते तो यह होता कि अगर डिगरी हो जाती तो सारे का सारा मुआविजा व पुनर्वासिन भत्ते से वसूल हो सकता था और पूरी की पूरी ग्रांट जमींदारों की चली जाती। यह बात सही है लेकिन जब माननीय मंत्री जी ने यह निश्चय किया और इस सरकार ने निश्चय किया कि हमको एक प्रकार की रिलीफ जमींदारों को देनी है तो उस समय यह भी निश्चय कर सकते थे कि पुनर्वासिन भत्ता जमींदारों का बचा रहे। आप उस समय रिडेक्शन करते तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट को असली कम्पेनसेशन की मद से निकाल सकते थे। कर्जे तमाम किस्म के सिक्योर कर लिये गये हैं। मिसालन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, शेड्यूल बैंक और कोआपरेटिव सोसाइटी इत्यादि तो उसके पास बचा क्या।

यह बहुत ही स्माल रिलीफ है जो नहीं के बराबर है और जिसको सरकार देना चाहती है। यह तो सिर्फ कहने के लिये है कि सरकार ने जमींदारों को यह रिलीफ दी। हमने जमींदारों को कम्पन्सेशन तो दिया ही है। हम जो कुछ जमींदारों के लिये कर सकते थे वह हमने किया। क्या कहूं, प्रचार मात्र तो नहीं कह सकता। वास्तव में जो जमींदारों को रिलीफ मिलनी है वह उनको नहीं मिलती है। जितना उनका कर्जा है वह सिक्योर कर दिया गया है तब उनके पास कोई ज्यादा नहीं रह जाता है जिससे कोई खास रिलीफ जमीदारों को इससे मिल सकती है। इसके अतिरिक्त इस विधयेक में कोई खास बात नहीं है। गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है उससे जमींदारों को कोई खास फायदा नहीं होगा। ३/४ तो कुल मुआविजा का अटैच हो सकता है और १/४ रह सकता हैं, लेकिन यह आन पेपर ही १/४ की बचत रहेगी। जमींदार के पास कुछ नहीं बचेगा। इस बिल के लाने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो नहीं समझ पाया कि क्या सरकार की नीति है। इस स्माल रिलीफ को देने ही की क्या आवश्यकता थी। जब इतनी बड़ी सम्पत्ति चली गयी तो इस मामूली रिलीफ की कोई जरूरत नहीं थी। यह जो रिलीफ है वह बेकार हो जावेगी। सब क़र्ज शेड्यूल बैंक में चला जायेगा और जमींदार के पास कुछ नहीं बचेगा। यह बिल सरकार वापस कर ले तो इसमें मुझे कोई रंज नहीं होगा। यह बिल सिर्फ प्रोपेगेंडा के लिये है। मुझे इसके संबंध में और कुछ नहीं कहना है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने कुंवर साहब का व्याख्यान सुना, मैं तो यह समझ रहा था कि यह बिल शायद कुंवर साहब के एक्सपेक्टेशन से अधिक होगा। लेकिन कुंवर साहब के भाषण सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सरकार जमीदारों को रिलीफ देने के लिये कितनी भी योजनायें बनायें, कुछ भी करे मगर वह सब बेकार होगी। जमीदार किसी प्रकार का कोई एहसान नहीं मानता

[श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद]

कि उसको रिलीफ़ मिलती है। इस रिलीफ़ के बावजूद भी वह यह कहने को तैयार नहीं हैं कि सरकार ने हमको आराम पहुंचाने के लिये कोई सहायता दी है। जहां तक ज़मींदारों के कर्ज़े का संबंध है मैं यह समझता हूं कि छोटे ज़मींदारों को ऐसी रिलीफ़ देनी चाहिये। जो छोटे-छोटे ज़मींदार हैं और जिनकी गणना काश्तकारों में है और जो ५०० रु० तक लगान देते हैं यह कर्ज़ का बिल उनके लिये आना चाहिये था। ५०० रु० से ज्यादा मालगुज़ारी देने वाले ज़मींदारों के लिये यह बिल नहीं आना चाहिये था। इसलिये कि जहां तक बड़े-बड़े ज़मींदारों का संबंध है, उन्होंने अपने दौरान ज़मींदारी में जितना भी जायज़ या नाजायज़ तरीके से पैदा किया उसके बाद मैं समझता हूं इस बात की अब ज़रूरत नहीं कि उनको रिहै-बिलिटेशन ग्रांट का फ़ायदा मिले। फिर भी सरकार ने उनके साथ नम्रता का व्यवहार किया कि उनको कम्पेनसेशन दिया। असल में होना तो यह चाहिये था कि जहां इन ज़मींदारों का कर्ज़ा कम किया जा रहा है वहां मेरा अपना विचार है कि एक एग्रीकल्चरल रिफार्म कमेटी बनाई जाती और जो काश्तकारों ने ज़मींदारों से कर्ज़ लिया है उसमें भी कमी होती। काश्तकारों ने ज़मींदारों से जो कर्ज़ लिया है उसमें से ९० फीसदी गलत है और वह यों है कि किसी काश्तकार ने ज़मींदार की ज़मीन ली मगर उसके पास नजराना देने के लिये रुपये नहीं थे जिसका उन्होंने काग़ज़ लिखा लिया। ज़मींदारी के खात्मे के बाद आज भी काश्तकार ज़मींदारों के कर्ज़े से लदे हैं। ९० फीसदी काश्तकारों के कर्ज़े फर्ज़ी हैं और बनावटी हैं। काश्तकार ने कभी कर्ज़ा लिया ही नहीं। ज़मींदार डेट रिडेक्शन बिल के साथ काश्तकारों के भी कर्ज़े के रिडेक्शन का एक बिल इस हाउस में आता, तो अच्छा होता। अगर ज़मींदारों के कर्ज़े के रिडेक्शन के संबंध में बिल आया है तो मैं सरकार के सामने एक अपना यह सुझाव रखना चाहता हूं कि पहली जुलाई, १९५२ की तारीख जो इसमें रखी गई है, वह पहली जुलाई, सन् ५२ न रखी जाय बल्कि जिस तारीख से ज़मींदारी का खात्मा हुआ है यानी जिस तारीख से ज़मींदारी अबालिशन ऐक्ट बना है वह तारीख रखी जाय। इसलिये कि ज़मींदारों को यह मालूम हो गया था कि ज़मींदारी अबालिशन के बाद सरकार कोई ऐसा मेज़र ऐडाप्ट करेगी जैसा कि कुंवर साहब ने बतलाया कि ज़मींदारी अबालिशन कमेटी जो बनी थी उसने यह तय किया था कि ज़मींदारों का कर्ज़ा कम किया जायगा। जब यह चीज़ ज़मींदारों को मालूम थी तो यह लाज़िमी बात है कि उसके बाद ज़मींदारों ने बनावटी कर्ज़े लिये होंगे। इसलिये मेरा अपना यह सुझाव है कि पहली जुलाई, १९५२ से न रक्खा जाय। बल्कि उस तारीख से होना चाहिये जिस तारीख से ज़मींदारी अबालिशन ऐक्ट बना। यह दो सुझाव मैं सरकार के सामने पेश करना चाहता हूं। जहां तक डेट रिडेक्शन बिल का संबंध है मैं यह समझता हूं कुंवर साहब ने जैसा कहा कि इसको यदि वापस ले लिया जाय तो उन्हें एतराज़ नहीं है, यदि उनका ऐसा ही विचार है तो मुझे सरकार को यह सुझाव देना है कि इस डेट रिडेक्शन बिल का जहां तक बड़े ज़मींदारों से संबंध है तो उसके अन्दर कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जावें जिससे जो बड़े ज़मींदार हैं यानी ५०० से ज्यादा मालगुज़ारी देते हैं वह न आवें। बस यही मेरे सुझाव हैं।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने ज़मींदारों के ऋण को कम करने के लिये माननीय मंत्री जी ने रखा है, उसको देखने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि जिस तरीके से जिन लोगों का जितना ऋण कम किया जाना चाहिये था उसमें कोई इस तरह की बात सोची नहीं गई कि बड़े ज़मींदारों में और छोटे ज़मींदारों में भेद रखा गया होता। अभी कुंवर साहब ने जो कुछ कहा उससे ऐसा मालूम होता है कि उनको यह भ्रम था कि बड़े ज़मींदारों और छोटे ज़मींदारों में कोई भेद बिल के अन्दर है और वह मुनासिब

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यदि बिल में यह भेद हुआ होता तो शायद इसकी अहमियत हमारी नजरों में बढ़ी हुई होती। हम ऐसा महसूस करते हैं कि सूदखोरी शोषण का बहुत ही निकृष्ट तरीका है और हम बराबर इसको मानते आये हैं। सभी प्रकार के धर्म सूदखोरी के खिलाफ हैं। खासकर जो सोशलिस्ट हैं उन्होंने व्यक्तिगत सूदखोरी को अन्त करने की बात रखी है। आज हमारे सामने इस बात के कोई आंकड़े नहीं हैं कि खेतिहर पर कितना कर्ज है या जो जमींदार ढाई सौ तक की मालगुजारी देते हैं उन पर कितना कर्ज है। कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से आचार्य नरेन्द्र देव की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठी थी जिसमें खेतिहर मजदूरों के कर्ज की जांच करने की बात थी लेकिन धनाभाव के कारण वह कमेटी फंक्शन नहीं कर पाई। बहरहाल, जो कुछ भी हो, लेकिन छोटे जमींदारों के संबंध में यह निर्णय करना बहुत जरूरी है कि जो रक़म उन्हें रिहैबिलिटेशन ग्रांट के रूप में मिलने जा रही है उसके संबंध में सूदखोरों के लिये हमारी क्या नीति होगी या होनी चाहिये इस पर ध्यान देना चाहिये यह सवाल उठता है कि सोशलिस्ट लोग तो जमींदारों की मदद करने की बात इस समय कर रहे हैं और कहते हैं कि छोटे जमींदारों के पुनर्वास भत्ते के संबंध में जो बिल आया है उससे उनको इक्जेम्प्ट कर देना चाहिये। सवाल इस वक्त यह है कि सूदखोरों को चुनें या छोटे जमींदारों को चुनें जो १०--२० बीघे की खेती करते हैं और अपनी मेहनत से अपने मुल्क की दौलत को बढ़ाते हैं। यहां पर खेतिहर मजदूर और छोटे जमींदारों की तुलना नहीं की जा रही है बल्कि तुलना इस बात की की जा रही है कि सूदखोर और छोटे जमींदारों के अन्दर किस-किस की हम तरफ़दारी करें। और मैं साफ़ तौर से समझता हूं कि जो छोटे जमींदार हैं उनकी तरफ़दारी सरकार और हर प्रगतिशील पार्टी को करना चाहिये। जहां तक सूदखोरों का सवाल है वह पैसा किस तरह से कमाते हैं, किस प्रकार से देहातों के छोटे जमींदारों और किसानों को लूटते हैं और उनको तबाह करते हैं, यह बात छिपी हुई नहीं है। सवाल यह है कि यह जो क़र्ज़े का रुपया है, यह किसी पूंजीपति का नहीं है जो कि उद्योग-धंधों में लगाया जा सके सवाल इस बात का है कि आया यह जो रुपया किसानों से या छोटे जमींदारों से वसूल होगा वह देश की वृद्धि में काम आयगा या उद्योग-धंधों में लगाया जायगा। छोटे जमींदार के ऊपर जो क़र्ज़े हैं वह गांवों में रहने वाले सूदखोर महाजनों का है जो कि न तो कोई उद्योग-धंधा करते हैं और न कोई उत्पादन ही करते हैं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यदि आज इस बिल में छोटे जमींदारों के क़र्ज़े की बिल्कुल ही माफ़ी न हुई होती तो कम से कम पुनर्वास भत्ता जो छोटे जमींदारों को मिलना है उसकी माफ़ी तो देना ही चाहिये था। पुनर्वास भत्ता अनुदान इसलिये दिया जाता है जिससे वह अपनी ज़िन्दगी को चलाने के लिये किसी तरह से अपने को क़ाबिल बना सकें नहीं तो रिहैबिलिटेशन ग्रांट की कोई जरूरत नहीं थी।

हमने पहिले ही कहा था कि छोटे जमींदारों और बड़े जमींदारों में भेद होना चाहिये। पहिले यह बात थी कि तमाम जमींदारों को चाहे वह छोटे हों, चाहे बड़े सब को बराबर ग्रांट मिलनी चाहिये। हमने कहा कि छोटे जमींदारों को ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिये। ऐसी सूरत में अगर यह मान लिया जाये कि उनको जो कम्पेनसेशन मिलता है उसको यदि पूरा न छोड़ दिया जायेगा तो कम से कम रिहैबिलिटेशन ग्रांट को तो इन सूदखोरों को न दिलाया जायेगा। इस बात को याद रक्खा जाना चाहिये कि गांवों के अन्दर रूरल बैंकिंग नहीं है। रूरल बैंकिंग न होने के कारण छोटे-छोटे सूदखोर जाते हैं वह किस प्रकार से सूद वसूल करते हैं, इसकी कल्पना नहीं हो सकती है। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस बिल का काम जो है छोटे जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट को छोड़ देना है। प्रतिकर की रक़म को भी कम करना चाहिये। उसको एक चौथाई रक़म को पेमेंट करना चाहिये। मैं इस बात को फिर दोहराना चाहता हूं कि यह रुपया जो छोटे जमींदारों के पास जाता वह वस्तुतः अपनी दूकानों को खोलने में या नमक, तेल की दुकानें खोलने में नहीं लगता बल्कि ये छोटे जमींदार जिनकी हैसियत किसानों जैसी है वह खेती को बढ़ाने में यह रुपया लगाते। जो छोटी रक़म इनको मिलती वह खेती में लगाते।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

जहां तक कम्पेनसशन वगैरह की बात है उसके संबंध में ज़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं और जैसा कि प्रताप चन्द्र आज़ाद जी ने भी यह सवाल उठाया है कि बड़े ज़मींदारों ने नज़राने की शक्ल में या दूसरी शक्लों में इतना रुपया कमाया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक यह भी सवाल हमारे सामने उठता है कि आज जो जमींदारों के क़र्जे का स्केल डाउन करने का सवाल है, उसकी रक़म पर वह कम्पेनसेशन न दिया गया होता तो हमें निहायत खुशी होती और हम इसे प्रगतिशील समझ कर सपोर्ट करते। जो रुपया उन्होंने कमाया है उनकी बिना पर उनको कम्पेनसेशन नहीं दिया जा रहा है। लेकिन आज सवाल यह है कि हम सूदखोरों और जमींदारों के बीच में फ़र्क़ करें। ऐसी सूरत में जो बिल हमारे सामने बड़े ज़मींदारों के ऋण को कम करने के सिलसिले में आया है उसमें यह सवाल भी आता है कि उन्होने अन अर्न्ड इन्कम को कायाम है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ़ ऐसे भी लोग हैं जो कि छोटे जमींदार कहे जाते हैं। जहां तक इनका सवाल है हम समझते हैं कि सूदखोरों और छोटे जमींदारों के चुनाव में हम छोटे जमींदारों की तरफ़दारी करते हैं। हमने बराबर छोटे जमींदारों की तरफ़दारी की है और आज भी करते हैं। हम समझते हैं कि जितनी भी पूंजी इन छोटे जमींदारों के पास होगी वह उत्पादन पर लगायेंगे।

*श्री कुंवर महावीर सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---अध्यक्ष महोदय, न्याय की दृष्टि से इस बिल का बहुत बड़ा महत्व है। सच पूछिये जब ज़मींदारी अबालिशन ऐक्ट आया उस वक्त से ही हम इस कमी को महसूस करने लगे। जब जमींदारी के ज़ब्त होने के बाद बहुत थोड़ा रुपया जमींदारों को मिलना है तो यह लाज़िमी है कि उन जमींदारों के ऊपर जो क़र्ज़ा है उसको भी उस हद तक कम कर दिया जाय। यह बिल जिस सिद्धांत पर बनी है, जिस बुनियाद पर बना है, मेरा अपना ख्याल है कि उस को सभी पक्ष के लोग बहुत जस्ट कहेंगे। सोशलिस्ट लोग भी इसको जस्ट कहेंगे, लेकिन उनको आज सोशलिस्ट कहें या जन-सोशलिस्ट कहूं क्योंकि उन के सिद्धांत में भी बहुत चेंजेज हो गये हैं। लेकिन मैं उन सोश-लिस्टों से कहता हूं जिनकी पहले लाल टोपी थी और जो सिद्धान्तः सोशलिज्म को मानते थे। उन्होंने एक तरफ़ तो इस बात को स्वीकार किया कि बिना मुआविजे के ज़मींदारी ख़त्म कर दी जाय किन्तु दूसरे रूप में उन्होंने इस सिद्धांत को भी स्वीकार कर लिया है कि जब बिना पैसे दिये हुये ज़मींदारी खत्म होती है तो जिनको कुछ नहीं मिला उनके ऊपर क़र्ज़ा नहीं छोड़ा जाय। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन होता है कि जिनको थोड़ा दिया गया है उनसे थोड़ा लिया जाय। मैं समझता हूं कि इस बिल के जहां तक सिद्धांत का ताल्लुक़ है, जहां तक इसके न्याय का ताल्लुक़ है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती।

एक मिसाल ले लीजिये उससे यह साफ़ हो जायगा। मान लीजिये कि एक जमींदार १०० रुपये से कम मालगुजारी देता है। १०० रुपया उसका क़र्ज़ा है और वह बुलन्दशहर का रहने वाला है। इन्कम्बर्ड ऐक्ट से मलटीप्लायी करने से १६ रुपये होंगे और इस अमेंडमेंट से पहले उसको ८१ रुपये देने पड़ेंगे। अब जो सेलेक्ट कमेटी का फारमूला आया है उसके मुताबिक़ उसको ५० रुपये देने पड़ेंगे। कुंवर साहब ने यहां पर यह भी कहा कि इससे जमींदारों को कोई फ़ायदा नहीं होगा या जिनका क़र्ज़ा है उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह ग़लत सी चीज है। शायद उन्होंने इस बिल को अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है, इस-लिये उन को इस बात का कंफ्यूज़न हो गया है। उनका यह भी कहना है कि १० हजार रुपये मालगुजारी देने वालों को इससे कुछ फायदा नहीं होगा यह भी उनका भ्रम है। कुछ जगहों पर इस बात का भी प्रचार किया गया है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा खासतौर स सेंट्रल गवर्नमेंट के क़र्जे को, कोआपरेटिव के कर्जे को और कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा लिये गये क़र्जे को इसमें किसी तरह का हेरफेर न करना ही जनता के लिये फ़ायदेमन्द होगा। यह सभी जानते हैं कि सरकार की इकोनामिक हालत ठीक नहीं है उसके लिये उसको टैक्स लगाने की जरूरत पड़ती है तो उस वक्त कुंवर साहब कहते हैं कि सरकार उन पर तो बोझ डाल रही है।

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

अब पुनर्वासिन अनुदान का सवाल है, इसमें अच्छा तो यह होता कि किसी तरह का क़र्ज़ा इसके द्वारा अदा नहीं होगा। यह जो पुनर्वासिन दिया जा रहा है यह कम्पेनसेशन नहीं है बल्कि मदद के लिये दिया जा रहा है। श्रीमन् जी, अगर आप देखें तो यह पुनर्वासिन सिर्फ़ छोटे जमींदारों को दिया जा रहा है और यह कह कर मदद दी जा रही है कि वह अपना रोज़गार ठीक करें और अपने रहने का ठीक से इन्तज़ाम करें। मैं तो इस बात का हामी रहा हूं कि जहां तक पुनर्वासिन का सवाल है, मैं तो सरकार से यही प्रार्थना करूंगा कि वह इसको बिलकुल छोड़ दे। अगर किसी वजह से वह ऐसा नहीं कर सकती है तो कुछ अंश तक ही छोड़ दें। क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे हैं जिनके देखने से ऐसा आवश्यक हो जाता है, तो फिर मैं यह प्रार्थना करूंगा कि कम से कम कुछ हद तक उस पुनर्वासिन को सुरक्षित किया जा सकता है। मेरे भाई श्री प्रभु नारायण जी ने ढाई सौ रुपये के जमींदारों को इससे मुक्त करने के लिये कहा है। लेकिन मेरी तो अपनी राय यह है कि जो १०० रुपया मालगुजारी देने वाले हैं उनको सुरक्षित कर दिया जाय, तो बेहतर होगा।

श्री राजा राम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या इसका अमेंडमेंट है?

श्री कुंवर महावीर सिंह—जी हाँ, वह तो आपकी टेबल पर है जरा उसको देखने की आप कृपा करें। मैं समझता हूं कि सरकार इस पर विशेष ध्यान देगी। इसके अतिरिक्त मुझे दो एक बातें शैड्यूल पर भी कहना है। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह शैड्यूल आर्बिट्रेरी बनाया गया है। मैं मानता हूं कि सरकार के सामने ऐसे कोई आंकड़े नहीं थे और सरकार के सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे कोई खास साधन निकल सकता। ताहम इन्कम्बर्ड स्टेट के मल्टीपल के ऊपर जो बहस की गयी है वह भी ग़लत है। इन्कम्बर्ड स्टेट का मल्टीपल जिस वक्त बनाया गया था, उस वक्त १९४४ का ज़माना था जब कि काफी अशान्ति थी। एक तो उस में वाक्यात तथा परस्थितियों और स्थानों का लिहाज़ नहीं रक्खा गया था और उस आर्बिट्रेरी बेसिस पर उनका आज मान लेना मेरी समझ से ग़लत होगा और उसमें न्याय नहीं होगा। कई जगहों पर से ४० से ऊपर मल्टीपल मान लिया गया और बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां मल्टीपल ७० मान लिया गया है। जहां तक मल्टीपल का ताल्लुक़ है तो गोरखपुर में कई स्थानों में मल्टीपल ७० मान लिया गया है और अगर ७० मान लिया जाता है तो जिसको १०० रुपया देना होता है उस को केवल ११ रुपये ६ आने देने पड़ेंगे और जहां ४० है वहां २० रुपये देने पड़ेंगे। और जहां १६ है वहां उस को इस अनुपात से अधिक देना पड़ेगा। श्रीमान्जी, जिस जगह का मैं रहने वाला हूं यानी बुन्देलखंड में अगर इस अनुपात को माना जायेगा तो एक जबरदस्त जुल्म होगा क्योंकि जब एक आर्बिट्रेरी माना गया है कि हम ७० न रख कर ४० रखते हैं तो मालूम यह भी पड़ता है कि जहां आपने मैक्जिमम का लिहाज रक्खा था तो उधर जो मिनिमम है, उसका भी लिहाज आप को करना होगा। क्योंकि अगर आप १६ या १७ मानते हैं या उससे कम यानी १३ मानते हैं तो फिर उसे और भी अधिक देना पड़ेगा। तो मेरी आप से दरख्वास्त है कि यह चीज बिलकुल ग़लत हो जायेगी। इस सिलसिले में मैं सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पढ़ कर आप के सामने इस बात को ज़ाहिर करना चाहता हूं कि यह अनुचित होगा :—

"At the same time the debt due from the zamindars in most of the Eastern districts would be reduced by a very very much greater proportion than debts due from the zamindars in the Western districts because the multiples under the Encumbered Estates Act in the Eastern districts were far higher than those in Western districts. In portions of Bijnor, Budaun and Saharanpur the Encumbered Estates multiple is so low that there would have been practically no reduction. Encumbered Estates Act multiples do not appear to have been fixed on a rational basis. We have, therefore, decided that the multiple of the rehabilitation grant should not be taken into account at all in making the calculation and that the multiple of the Encumbered Estates Act should in no case exceed the figure of 40."

[श्री कुंवर महावीर सिंह]

एक तरफ जब आपने यह लिहाज रक्खा है ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स का, तो मैं यह भी प्रार्थना करूंगा कि हमारे बुन्देलखंड की तरफ भी ध्यान दिया जायेगा । वहां अगर १६ मल्टीपल मान लिया जायेगा तो उसका नतीजा यह होगा कि बुन्देलखंड ऐसे स्थानों के रहने वालों को अधिक देना पड़ेगा । श्रीमान् जी, जहां तक बुन्देलखंड का ताल्लुक़ है, मैं अपनी तक़लीफ़ सदन के सामने अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि एक तो वहां के रहने वाले या मालगुजारी देने वाले ग़रीब हैं, या दूसरे वहां की ज़मीन पथरीली है जिसमें कि मुश्किल से अनाज पैदा होता है और अगर वहां भी इसी मल्टीपल पर विश्वास किया गया तो फिर मैं तो यही कहूंगा कि वहां के रहने वालों के साथ इस तरह ज्यादती की जायेगी । इसलिये मैं बड़े अदब के साथ सरकार से प्रार्थना करूंगा और आपके द्वारा गुज़ारिश करूंगा कि अगर १६ की जगह २० कर दिया जाय तो बड़ी ही रिलीफ़ वहां के रहने वाले लोगों को मिल जायेगी । मैं एक नोट पढ़ देना चाहता हूं कि बुन्देलखंड इनकम्बर्ड स्टेट १९३० में बनी और उसमें इस बात को कहा गया है कि उस समय बुन्देलखंड की क्या हालत थी....

"The special enquiries that have been instituted show that the debts of the land-lords have again risen in that district to a large sum and that in the districts of Banda, Jalaun and Hamirpur the indebtedness is most serious."

एक तरफ जब यह स्वीकार किया जाता है कि उन लोगों में इनडेटेडनेस बहुत ज्यादा है और उसके ऊपर इस आरबेट्रेरी चीज़ को मान कर, फिर सरकार उस चीज़ को न करे, तो वह उनके साथ ज्यादती होगी और इन सब चीज़ों में सरकार इसी नतीजे पर पहुंचेगी जिसमें कि हम लोग पहुंचे हुये हैं और जहां उन्होंने मेक्सिमम ४० फिक्स किया है, वहां यह मिनिमम २० फिक्स कर दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती तारा अग्रवाल (नाम निर्देशित)--श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री द्वारा सदन के समक्ष जो बिल पेश किया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूं । मैं समझती हूं कि जिस तरीके से हमारी सरकार ने जमींदारी उन्मूलन करना आवश्यक समझा और इतना बड़ा कानून पास कर लिया और इसके बाद इस बात की आवश्यकता महसूस की कि उनको राहत देने के लिये किस तरह से कोई कानून बनाया जाय और उसने उसी की आवश्यकता महसूस करते हुये ही आज सदन के समक्ष इस तरह का कानून पेश किया है । किन्तु दो चार बातें मैं माननीय मंत्री द्वारा इसके सिलसिले में स्पष्ट करना चाहती हूं और जिस तरह से यह बिल स्पष्ट होना चाहिये था, मैं समझती हूं कि उतना यह स्पष्ट नहीं है । मान लीजिये एक जमीं-दार है जिसने किसी से १० हज़ार क़र्ज़ा लिया था और जब जमींदार ने क़र्ज़ा लिया था, इस कानून के बनने के पहले उसने ५ हज़ार अदा कर दिया है और उसे अब ५ हज़ार की रक़म देनी है । तो इस क़ानून के अनुसार उसके लिये ५ हज़ार रुपया पड़ जायेगा या १० हज़ार रुपया पड़ जायेगा, यह बात स्पष्ट होनी चाहिये । दूसरी बात यह है कि अगर किसी भाई-भाई में बंटवारा हुआ है और एक भाई को जमींदारी मिलती है, मगर दूसरे भाई को इस तरह का आश्वा-सन मिलता है कि ज़मींदारी के मुनाफ़े से जो आमदनी होगी उससे उसकी रक़म चुका दी जायेगी तो क्या इस कानून के द्वारा उसको भी कम कर दिया जायेगा यानी उस भाई की रक़म में उस की जो लिखा पढ़ी की गई है , उसमें भी कमी कर दी जायेगी या नहीं और क्या उसका देना भी हम बन्द कर देंगे । तीसरी बात यह है कि कोई नाम मात्र का ज़मींदार है और वास्तव में वह व्यापारी है और व्यापार से ही उसको आमदनी होती है और उसने अपनी सम्पत्ति रेहन रखी है ऋण के बतौर और उसके उस ऋण के लिये लिखा-पढ़ी कर दी है, तो वह जो रक़म जो ऋण की मानी जाती है, वह उसे अपने बिजनेस में लगाता है, तो ज़मींदारी के इस कानून के अनु-सार अगर उसको ऋण में किया गया है और उसको हम बन्द कर देते हैं, तो क्या उस ऋण में उसको भी लागू कर दिया जायगा । मैं समझती हूं कि यह कानून इस उसूल से ग़लत है क्यों कि वास्तव में यह ज़मींदार नहीं है, वह तो पूंजीपति है और उस ऋण से अपनी आमदनी वह पहले

भी करता था और उसको उस बिजनेस की आमदनी में कोई नफ़ा या नुक़सान नहीं हुआ है और कोई हानि भी नहीं हुई है, तो ऐसी हालत में उस जमींदार को जो कि नाम मात्र का जमींदार है, और उसे बिजनेस के द्वारा ऋण दिया गया है, तो उस के उस बिजनेस में कमी नहीं होनी चाहिये। मैं आशा करती हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस सदन के सम्मुख पेश किया गया है वह बहुत ही सामयिक है। उसकी आवश्यकता को मैं महसूस करता हूं। इस संबंध में जो अभी तक व्याख्यान हुए उनको मैंने बहुत गौर से सुना वास्तव में मैं यह चाहता हूं कि इस पक्ष की तरफ से छोटे जमींदारों का समर्थन किया जा रहा है उसको भी आप भलीभांति समझ लीजिये। इसमें कोई शक नहीं है कि आज इस भवन के सामने एक विचित्र बात आ रही है। समाजवादियों की तरफ से हमेशा सरकार पर यह लान्छन लगाया जाता रहा है कि वह जमींदारों का साथ देती है और आज कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जमींदारों के लिये समाजवादियों के दिल में रहम है। जो प्रभु नारायण जी ने व्याख्यान दिया, उस में कहा गया कि छोटे जमींदार जो हैं उनके साथ इस संबंध में रिआयत की जाय। और जोरदार शब्दों में छोटे जमींदारों का समर्थन किया, तब कांग्रेस पक्ष में यह ख्याल पैदा होना स्वाभाविक है तो जो लान्छन कांग्रेस पर लगाया जाता रहा है वही समाजवादियों पर भी लगाया जा सकता है तो एक बात यह आज सामने आयी और दूसरी बात सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ वह यह कि जमींदारी विनाश कानून के विधान सभा में पेश होने के समय से लेकर आज तक बड़े-बड़े जमींदार हमेशा इस बात का प्रचार करते रहे कि जमींदारों की तादाद इस प्रदेश में २० लाख से अधिक है और छोटे जमींदारों को साथ ले कर उन्होंने मुआविज़ा पाने का प्रचार किया। आज जब यह विधेयक इस सदन के सामने आया तो मैं सोच रहा था कि आज श्रीगुरु नारायण जी अपने भाषण में क्या बात कहते हैं। मैंने आज तक उनको छोटे जमींदार या ताल्लुक़ेदार के रूप में समझा क्योंकि हमेशा से वह छोटे जमींदारों का पक्ष लेकर तक़रीरें करते रहे हैं और मेरा विश्वास था कि आज भी जब मौक़ा आयेगा तो वह दिल खोल कर छोटे जमींदारों के पक्ष में अपना भाषण करेंगे। लेकिन उनका भाषण समझने की मैंने कोशिश की तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह इस झगड़े में पड़ गये जैसा कि उन्होंने खुद कहा कि धर्म संकट में पड़ गये। संकट यह था कि अगर इस बिल का वे स्वागत करते हैं तो भी मुसीबत और विरोध करते हैं तो भी मुसीबत, यह धर्म संकट उनके सामने था। मैंने उनका भाषण सुना और मुझ पर यह असर पड़ा। हो सकता है माननीय अध्यक्ष महोदय, वह ग़लत हो कि वह एक बड़े ताल्लुक़ेदार के साथ-साथ एक महाजन भी हैं जिनका क़र्ज़ा दूसरों पर है इसलिये उनके सामने इस विधेयक के संबंध में धर्म संकट उठा। हमारे लोग जो हमेशा इस बात को कहते रहे कि जमींदारों को मुआविज़ा नहीं मिलना चाहिये और डंके की चोट पर कहते रहे, लेकिन जो कुछ छोटे जमींदारों के बारे में श्री प्रभु नारायण जी ने कहा उसका मैं समर्थन करता हूं। मुझे इस बात के कहने में कोई शर्म या लज्जा नहीं मालूम होती है। मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूं और चाहता हूं कि सफ़ाई हो जाय। मैंने प्रतिकर का विरोध किया और विश्वास रहा कि जिस तरह से जमींदारों ने जमींदारी हासिल की है और जिस तरह से उन्होंने किसानों को चूसा है और जिस तरह से उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में गद्दारी का काम किया है उसको देखते हुये उनको एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिये था। और जो हमारे प्रदेश की आर्थिक हालत थी उस को भी देखते हुये हमने इस चीज़ का विरोध किया था और इस वक्त भी मैं सही समझता हूं।

जमींदारी का विनाश तो हम करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ हमारी आंख इस बात से भी बंद नहीं थी, हम जानते हैं कि हमारे सूबे के अन्दर बड़े-बड़े ताल्लुक़ेदार और जमींदार इतनी बड़ी तादाद में नहीं हैं जितने कि छोटे जमींदार हैं। छोटे जमींदार भले ही छोटे जमींदार कहलाते हों लेकिन उनका अधिकांश भाग ऐसा है जिन्हें वास्तव में किसान ही मानना पड़ेगा इसलिये जब हमने नैतिकता के आधार पर विरोध किया है कि उसमें प्रतिकर न दिया जाय,

[श्री राजा राम शास्त्री]

उस मौक़े पर हमने यह कहा था कि जो छोटे ज़मींदार हैं थोड़ा सा लगान देने वाले लोग हैं, उन को ज़मींदारों की श्रेणी से दूर किया जाये। पर हमको ख्याल था कि ज़मींदारी विनाश के बाद उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, हम उनको तबाह करना नहीं चाहते थे चाहे वह भले ही भूत-काल में ज़मींदार कहलाते रहे हों। ज़मींदार के नाम को इन छोटे ज़मींदारों ने इतना बदनाम नहीं किया, जितना बड़े ज़मींदार और ताल्लुक़ेदारों के जुल्म से किसानों में ज़मींदार का नाम बदनाम हुआ। इसीलिये हमने भेदभाव किया। जब प्रभु नारायण जी कह रहे थे कि इस विधेयक में छोटे जमींदारों और बड़े जमींदारों के बीच भेद नहीं किया गया तब कुंवर साहब ने कहा कि आप लोग भेदभाव में विश्वास करते हैं। बेशक, अध्यक्ष महोदय, हम इस तरह के भेदभाव में ज़रूर विश्वास करते हैं। एक छोटा सा ज़मींदार जिसकी आर्थिक स्थिति कुछ नहीं है और कुंवर साहब ने बड़े बड़े ताल्लुक़ेदार जिनके पास लाखों की सम्पत्ति है, इन दोनों को राष्ट्र के हित में समान स्तर पर मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं। अगर कल आप भूखों मरने लगें, आपकी वही हालत हो जाये जो ग़रीबों की है तो मानवता के नाते हम आपके साथ भी वही वर्ताव करेंगे जो ग़रीबों के साथ इस समय करते हैं। लेकिन जहां तक सम्पत्ति और जायदाद का ताल्लुक़ है, वहां हुकूमत जब तक इस तरह का भेदभाव नहीं करेगी, आवश्यकता पड़ने पर धन-पतियों पर हाथ न लगायेगी तब तक हमारा दावा है कि इन्साफ नहीं हो सकता। इस विधेयक के अन्दर भी यह बात होनी चाहिए थी कि बड़े ज़मींदारों के लिये आप एक तरह की धारा रखते और जो छोटे ज़मींदार हैं उनको दूसरी दृष्टि से देखते। हमें इस बात की बड़ी खुशी है, अध्यक्ष महोदय, कि जो बात हम कह रहे हैं, चाहे उस दृष्टि में सरकारी पक्ष के लोग भले न देखें, लेकिन मैं जानता हूं कि उस पक्ष में कितने ही माननीय सदस्य ऐसे बैठे हैं, जो दिल में विश्वास करते हैं कि बड़े जमींदारों का रवैया दूसरा है और छोटे जमींदारों का दूसरा है। और मुझे खुशी हुई जब कि प्रताप चन्द्र आजाद ने यह शब्द कहे कि ढाई सौ रुपये और पांच सौ रुपये लगान देने वाले जो लोग हैं उनको इससे अलग करना चाहिये था। उन्होंने बात ज़रूर कही, मैं नहीं जानता कि जब उसी प्रकार का हमारी तरफ़ से संशोधन आयेगा उस मौक़े पर वह कहां तक हमारे साथ जायेंगे। अच्छा हो कि इस सदन के अन्दर चाहे सरकारी पक्ष के सदस्य हों या विपक्ष के, यहां पर पार्टियों का कोई ख्याल नहीं किया जाये। हम यहां पर सदस्य हैं, जनता के नुमायन्दे की हैसियत से हैं। हम जो कुछ कहते हैं, चाहे वह उधर से कहा गया हो अगर वह उचित है तो उसे मानने के लिये तैयार रहना चाहिये। अगर हमारी तरफ़ से वही बात कही जाये जो उनके दिल की है तो हमारा उन्हें समर्थन करना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो बात प्रताप चन्द्र जी ने कही उसी चीज़ को जब प्रभु नारायण जी संशोधन के रूप में उपस्थित करेंगे तो वह उसका समर्थन करेंगे। मान लीजिये किसी वजह से वे संशोधन पेश न करें तो मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि यह बात समाजवादियों की तरफ़ से नहीं कही गई बल्कि उन्हीं की पार्टी के मेम्बर की तरफ़ से कही गयी। अगर उसको मान लें, तो ठीक है।

श्री चरण सिंह—उचित चीज़ को ग्रहण करने के लिये हरएक तैयार है।

श्री राजा राम शास्त्री—मुझे बड़ी खुशी होगी अगर हमारे माननीय मंत्री जी यह महसूस कर लें कि अगर कभी भी भूले भटके उनकी तरफ से सत्य बात भी कह दी जाय तो उस को मान लें। जैसा कि माननीय मंत्री जी को यह बात पूरी तरह से मालूम हो गयी है। यह सत्य बात है तो इसको भी स्वीकार करना चाहिये। इसलिये छोटे ज़मींदारों का सवाल उठाया गया है उस पर ख़याल ज़रूर रखिये।

आपने प्रतिकर और पुनर्वास के भत्ते को एक ही तराज़ू पर रख दिया है। पुनर्वास और प्रतिकर दोनों एक चीज़ हैं, लेकिन यह दोनों एक चीज़ नहीं हैं। पुनर्वास तो यह समझ कर देते हैं कि उसकी फाइनेन्शियल हालत ठीक नहीं है। प्रतिकर तो अधिकार और रियायत वाली बात है। कम्पेनसेशन की बात एक अधिकार की बात होती है। अगर कुछ चीज़ लेते हैं

तो उसकी क़ीमत देते हैं। पुनर्वास का भत्ता इस रूप में मानते हैं कि आपके ऊपर संकट है और आप तबाह हो गये हैं। आपको जीवित रहने के लिये सहायता देते हैं। ये दोनों चीजें एक नहीं हो सकती हैं। यह भत्ता दिया जाता है असहायों को। कितने ही छोटे-छोटे ऐसे जमींदार होंगे कि जमींदारी के अन्त होने के बाद उनके पास जीविका के लिये कोई साधन नहीं होगा। जिससे कि वे कोई दूसरा व्यापार कर के अपनी जीविका चला सकें। ऐसे व्यक्तियों को पुनर्वास भत्ता दिया जाना बहुत आवश्यक है। हमें दुःख है कि एक हाथ से न्यायपूर्ण समझ कर माननीय मेम्बरों को दिये और दूसरे हाथ से उसको छीनना चाहते हैं। साथ ही साथ मुझे आश्चर्य होता है कि सत्य बात कही जाय तो उस चीज को साफ़ कर दिया जाता है। जैसा कि प्रभु नारायण जी ने कहा। यह कहा जाय कि हमारे सामने दो हैं। एक तरफ जमींदार हैं और दूसरी तरफ़ महाजन हैं। सरकार सबको एक निगाह से देखती है। किसी की बुराई नहीं चाहती है। दुनिया में हर एक की भलाई चाहते हैं तो इस नाम पर यह दोनों को कहते हैं। अगर हम जमींदारों को रियायत देंगे तो हम महाजनों के साथ में अन्याय करेंगे। साथ ही हुकूमत के दिमाग में यह बात है कि वह जमींदारों की अपेक्षा महाजन को पूंजीपति समझती है और पूंजीपति वर्ग सामाजिक उन्नति को प्रगतिशील समझता है। इसलिये इन दोनों चीजों में अन्तर करना चाहिये। जब समाजवादी इस बात को सामने रखते हैं कि आप जमींदारों का साथ दे रहे हैं और पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं तो इस मौके पर माननीय मंत्री जी हम लोगों को समझाने की चेष्टा करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि यह दृष्टिकोण जो आपका है कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स देश की पूंजी को बढ़ाते हैं इसके लिये वह एक कदम आगे जाते हैं। यह जमींदार जो हैं यह दूसरे की मेहनत पर जिन्दा रहते हैं। इस तरह की बात समाजवाद की फिलासफ़ी में कही जाती है, और इसलिये दोनों में अन्तर है। बहेरहाल छोटे-छोटे जमींदारों ने जो कर्जा लिया होगा, वह टाटा बिरला से तो जाकर नहीं लिया होगा। वह कर्जा तो गांव के ही रहने वाले छोटे-छोटे महाजनों से लिया होगा जिनका काम है एक देकर दस वसूल करना। जैसा कि प्रताप चन्द्र जी ने कहा बिल्कुल सही कहा। गांव के इन महाजनों के प्रति माननीय मंत्री जी अगर उदारता दिखला रहे हैं तो मुनासिब नहीं मालूम होता। मैं तो चाहूंगा कि इस चीज को न्याय के साथ देखिये। आज इस चीज को भले ही यहां पास कर लें, मगर देखेंगे कि जो छोटे-छोटे जमींदार हैं उनको पुनः जीवित करने के लिये कितनी कठिनाई का सामना करना होगा। श्री प्रतापचन्द्र जी ही ने नहीं कुंवर महावीर सिंह जी के तरफ से भी कहा गया कि १०० रु० तक मालगुजारी देने वालों को मुक्त कर दिया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, हुकूमत की तरफ से जितने भी संशोधन आते हैं काफी सलाह और मशविरे होने के बाद आते हैं। कुंवर महावीर सिंह का जो १०० रु० का प्रस्ताव है वह बहुत सोच विचार के पश्चात् पेश हुआ होगा और शायद पास भी हो जाय इस भवन में, क्योंकि यह होता रहा है कि सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव पेश होते रहे हैं वह वापस हो जाते रहे। इसलिये अब जो संशोधन आते हैं वह सोच समझ कर लाये जाते हैं। इसलिये मेरा विश्वास है कि यह संशोधन जो महावीर सिंह जी का है १०० रु० का निःसंदेह स्वीकार किया जायेगा। अगर सरकार स्वीकार नहीं करेगी तो मेरी दरख्वास्त आपके जरिये माननीय सदस्यों से होगी कि आपकी पार्टी के लोग जो एक न्याय पूर्वक बात कह रहे हैं उस न्याय पूर्वक बात को स्वीकार न करना इससे बढ़कर अन्याय पूर्ण और कौन बात होगी। हमारे सूबे के १९ लाख जमींदार जो छोटे-छोटे हैं वह आपकी तरफ देख रहे हैं कि हमारी कांग्रेस की सरकार है। यदि आप कुंवर महावीर सिंह जी के इस १०० रू० की बात को स्वीकार करते हैं तो हम बिला लिहाजा इसका समर्थन करेंगे। सोशलिस्ट हैं वह-वह कांग्रेस के हैं इसका लिहाज कोई नहीं है। न्याय पूर्वक बात हो चाहे वह किसी तरफ से कही जाय। मैं विश्वास करता हूं कि जो बात कही गई है, माननीय मंत्री जी उसके ऊपर विचार करेंगे। जो विधेयक आप लाये हैं उसमें इस चीज का संकोच आप क्यों करते हैं। जब इतना काम जमींदारी अबालीशन का आपने कर दिया तो अब अन्त में यह रहम दिली जो छोटे जमींदारों के लिये मांगी जा रही है क्यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं। हम तो बिच्छू के डंक को

[श्री राजाराम शास्त्री]

काटना चाहते हैं उसको मारना नहीं चाहते। मैं जमींदारी का खात्मा चाहता हूं, मगर छोटे-छोटे जमीदारों को मारना नहीं चाहता उनको बरबाद नहीं करना चाहता। मैं क्या हूं अपने दिल में वह भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इसलिये छोटे-छोटे जमींदारों की रक्षा के सवाल पर आप जरा ध्यान दीजिये। अगर इस बात को मान जायेंगे तो सारे सदन की तरफ से आपके इस विधेयक का पूर्ण रूप से समर्थन होगा।

श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को लाने का जो उद्देश्य है उसके साथ सब को पूर्ण सहानुभूति है और मैं भी पूर्णतया उसका समर्थन करता हूं किन्तु दो एक बातों की तरफ माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं जो एम्स ऐन्ड आब्जेक्ट्स (aims and objects) के साथ मेल नहीं खाती हैं। पहली बात तो यह है कि सिक्योर्ड डेट्स (secured debts) ज्यादातर जायदाद से वसूल किये जाते हैं अक्सर कर्जेदार की दीगर जायदाद से वसूल करने का समय निकल चुकता है। ६ वर्ष का समय कर्जा की वसूली का होता है। जब आदमी कर्ज लेता है तो उसके पास काफी जायदाद होती है इसलिये कर्जा देने वाला पूरी मियाद तक रुकता है और जायदाद से वसूल करना चाहता है। आज जो डिक्रीज (decrees) अदालत से दी जाती हैं वह यही दी जाती हैं कि जायदाद से रुपया वसूल कर लिया जाय। इस तरह की डिक्रियां अदालत से होती हैं और इन्हीं डिक्रियों का वह मुस्तहक भी होता है। इस विधेयक की धारा ८ में यह हक दिया गया है कि वह कम्पेनसेशन के रुपयों और रिहैबिलिटेशन ग्रांट (Rehabilitation Grant) के रुपयों से ३/४ ले सकता है। लेकिन यह जो हक दिया जा रहा है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट से भी कर्जा गिरवी का वसूल हो सकता है इससे साहूकार को बहुत बड़ा हक दिया जा रहा है। यहां पर आपका आब्जेक्ट (object) हार जाता है और जो कर्जदार हैं उन पर और बोझ लादा जा रहा है जो मौजूदा कानून में उसको नहीं है मौजूदा डिक्री में उसको यह नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो मकसद इस कानून का है वह विधेयक की दफा के पार्ट बी से जिसके द्वारा रिहैबिलिटेशन ग्रांट से साहूकार रुपया वसूल कर सकता है वह मारा जाता है। आप साहूकार का यहां फेवर कर रहे हैं। आपने जमींदारी अबालिशन ऐक्ट (Zamindari Abolition Act) की धारा ६ से साहूकारों के हक को खतम कर दिया, लेकिन उसके साथ-साथ क्लाज सात में यह रखा है कि जो जमींदार को देना है वह सरकार कम्पेनसेशन से दे सकती है या साहूकार मुआविजे से वसूल कर सकता है कम्पेनसेशन से साहूकार जिसके हम हक दफा ६ के द्वारा ले रहे हैं वह कम्पेनसेशन से वसूल कर लेगा। किन्तु रिहैबिलिटेशन ग्रांट (Rehabilitation grant) वसूल करने का कोई हक जमींदार उन्मूलन कानून द्वारा साहूकार को नहीं दिया गया। तो जमींदारी अबालिशन ऐक्ट जो आपने हाल ही में पास किया उस वक्त आपकी मंशा यह थी कि जमींदारों के ऊपर जो कर्ज है वह कम्पेनसेशन में से वसूल कर लिया जा सकता है। लेकिन तब सरकार की मंशा यह नहीं थी कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट में से भी साहूकार का क़र्ज अदा करना पड़ेगा। उस वक्त तो ख्याल यह था कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो दिया जा रहा है वह वास्तव में रिहैबिलिटेशन ग्रांट ही है। वह इसलिये दिया जा रहा है कि जो छोटे जमींदार हैं जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं है वह उनके पुनर्वास में सहायता के लिये दिया जा रहा है। किन्तु इस विधेयक की दफा ८ के पढ़ने से यह मालूम होता है कि सरकार कम्पेनसेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट जो दे रही है वह दोनों एक ही चीज हैं और उसका नाम भर खाली अलग कर दिया गया है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का गलत ख्याल जो इस विधेयक से पैदा होता है वह सरकार के लिये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस पर विचार करें। जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में केवल कम्पेनसेशन साहूकार को दिया गया है उसको

विधेयक की दफा ८ के जरिये से बदल दिया गया है और रिहैबिलिटेशन ग्रांट को भी साहूकारों के हवाले कर दिया गया है, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस पर विचार करें और हो सके तो दफा ८ 'बी' को बिल्कुल ही हटा दें ताकि ऐसा करने से वह वाक़ई में रिहैबिलिटेशन ग्रांट हो जायेगा और सरकार की जो मंशा छोटे जमींदारों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट देने की है वह पूरी हो जायेगी। दूसरी बात जो में निवेदन करना चाहता हूं वह विधेयक की दफा ९ की बाबत है उसमें लिखा हुआ है "Where a decree to which this Act applies relating to other than a secured debt is excuted by attachment and sale of the bonds granted to the judgement-debtor on account of compensation or rehabilitation grant for his estate, the court excuting this decree shall, notwithstanding anything in any law, enter satisfaction in accordance with the formula given in Schedule II." यह साधारण कर्ज के विषय में है उसके विषय में मुझे यह अर्ज करना है कि इस प्रकार की ग्रांटें अक्सर कर्ज की वसूली से सुरक्षित रक्खी जाती हैं और दफा ६० उसमें लागू कर दी जाती हैं ताकि ग्रांट उस व्यक्ति के प्रयोग में आ सके जिसको वह दी गई है। अच्छा होता यदि रिहैबिलिटेशन ग्रांट (Rehabilitation Grant) के विषय में भी ऐसा ही किया जाता। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मैंने जो कुछ निवेदन किया है वह इसलिये किया है कि माननीय मंत्री महोदय विधेयक की दफा ८ विधेयक के आब्जेक्ट (objects) के अन्दर ला सकते हैं अन्यथा दफा ८ विधेयक के आबजेक्ट को हानि पहुंचाती है।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय चेयरमैन महोदय, मैं मुख्तसर अल्फ़ाज में अपने ख्यालात इस बिल पर जाहिर करूंगा। यह तो वाकया है कि यह बिल जो इस ऐवान में आया है, वह वक्त के तकाजे के साथ आया है और साथ ही खुशी का मसला है। हमारे राजा राम शास्त्री जी और प्रभु नारायण सिंह जी भी हम जबान हैं, हम ख्याल हैं और उन्होंने भी कहा कि दरअसल यह बिल बहुत जरूरी है। इस बात में भी दो राय नहीं हो सकती कि जमींदारी अबालिशन एक बहुत बड़ा मसला था और इस से इस सूबे के रहने वाले बहुत बड़ी तादाद में मुतासिर हुये हैं और उन को काफी नुकसान हुआ है। वह नुकसान ऐसा नहीं है कि मजाक की टोकरी में डाल दिया जाय।

अगर यह कहा जाय कि यह बिल एक ऐसा बिल है जिस के लिये जमींदारों को मिल कर सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहिये।

"To be ungrateful is the unkindest act of humanity" नाशुक्रगुजार होना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, मैं खुद जमींदार हूं और जमींदारों की तरफ से सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं।

हमारे दोस्त कुंवर साहब ने यह फरमाया कि उन को इस बात की परेशानी है कि इस पर ख्याल इधर से जाहिर किया जाय या उधर से जाहिर किया जाय। अगर मैं यह अर्ज करूं तो ठीक है—

'To be guided by the eyes of others is rather misleading. It is always good to consult one's own conseeince and self in such matters".

मेरे ख्याल में जमीर और जमीर की हर्कत से ख्यालात को पढ़े तो ज्यादा मुनासिब होगा। मैं उनके ख्यालात से और दूसरों के ख्यालात से बड़ा इतफाक करता हूं कि रिहैबि-लिटेशन ग्रांट अपनी जगह पर एक बहुत बड़ा महत्व रखती है। वह एक स्टेट का दान है जो किसी कौम को उठने के लिये, संभलने के लिये और सुधारने के लिये दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक ख्याल मफजूल होता है कि क्या यह इन्साफ है कि जिस ने कर्जा दिया है

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

उसको बिलकुल अलग कर दिया जाय। मेरे ख्याल में दिल को सकून नहीं मिलता है। इस से में अपने दिल में परेशानी महसूस करता हूं, लेकिन गवर्नमेंट के साथ इतफाक इस वजह से रखता हूं कि इसमें रिहैबिलिटेशन ग्रांट को शामिल नहीं किया गया है। यह बात यही है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट एक खास असर रखती है। अभी श्री राजा राम शास्त्री जी ने यह फरमाया कि हम जमींदारों के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन छोटे जमींदारों के हामी हैं। जहां तक किसी जमींदार या जमींदार के बच्चे का ताल्लुक है मैं उनकी राय से इत्तफाक नहीं करता हूं, यह तो वही मसल हुई कि सांप को तो मार डाला और सांप के बच्चे को दूध पिलाते हैं और उसकी परवरिश करते हैं। मैं समझता हूं कि यह रास्ता ठीक नहीं है।

मेरे दोस्त ने अभी शिकायत की कि टेनेन्ट की हालत इस कदर नाजुक है, इस कदर खराब है और कर्जे से इस कदर दबे हुये हैं और फिर भी उनका कतई ख्याल नहीं किया गया है। मैं सदाकत के साथ आप से अर्ज करना चाहता हूं कि मैं उनकी राय से, ख्वाह वह इस तरफ के बैठने वाले हों, ख्वाह वह उस तरफ के बैठने वाले हों, कत्तई इत्तिफाक नहीं करता हूं। मैं अपने तजुर्बे से, यह देखता हूं कि काश्तकारों ने अपना ही कर्जा क्या, अपने बाप का कर्जा और अपने दादाओं तक का क़र्जा पे कर दिया है और अगर सोने और चांदी की खरीद को देखने जाना है तो मैं भाई राजा राम साहब और प्रभु नारायण साहब से कहता हूं कि वे मेरे साथ चलें और तब वे इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि लगान में इजाफा न होने की वजह से काश्तकार इस काबिल हो गये हैं कि वे सोना और चांदी खरीद सकते हैं। सोना और चांदी ऐसी चीज है कि जिसको आगे के जमाने में भी ठीक तरह से रक्खा जा सकता है। आज सबसे ज्यादा कपड़ा वही खरीदते हैं जो कि काश्तकार हैं आज जमींदारों का दरवाजा बन्द है, वह खरीदारी नहीं कर सकते हैं और अगर आज करते हैं तो मेरा दावा है कि ६ महीने के बाद यह दरवाजा भी बन्द हो जायेगा। मेरे दोस्त आजाद साहब ने बिलकुल आजादाना बात कही कि जमींदारों ने बिल्कुल बोगस कर्जा लगा लिया है, मैं तो यह कहता हूं कि ससपिशन ब्रीड्स ससपिदशन जैसा कि श्रीमती शिवराजवती नेहरू ने कल स्त्रियों के बारे में कहा है उसके बारे में मुझे महात्मा गांधी जी का ख्याल आता है, इज इट ह्यूमैनिटी मैं इस मसले पर अधिक नहीं कहूंगा किसी पर स्वीपिंग रिमार्क कर लेना बहुत आसान है, लेकिन ऐसी बात नहीं है और यह भी बात नहीं है कि ऐसी मिसालें आपको नहीं मिलेंगी। मैं तो कहता हूं कि ऐसी मिसालें हैं, जहां अच्छे होते हैं वहां खराब भी होते हैं और मैंने तो यह सुना है, पढ़ा है कि अच्छों की संगत में बुरे भी निभ जाया करते हैं। इसके माने यह नहीं हैं कि मैं बोगस ट्रंजैक्शन का मददगार हूं। मैं इस तरह सहायता करने के लिये तैयार हूं तो ऐसी बात नहीं है। मेरे एक भाई ने कहा और वह खासतौर से बुन्देलखंड के बारे में एक बात कही और मेरा उससे क़तई इतिफाक़ है। मैं तो कहता हूं कि बुन्देलखंड ही क्या, किसी और सर्किल में अगर ऐसी बात है तो मल्टीपल इतना लो नहीं होना चाहिये।

कम से कम जैसा कि मेरे दोस्त ने कहा कि २० से कम मल्टिपल की बात बहुत नुक्सानदेह है और मुल्क की बहबूदी के लिये नहीं है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं।

* **श्री केदार नाथ खेतान** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सदन में विधेयक पेश है, उसकी मैं ताईद करता हूं। जो कर्जा जमींदारों पर था उसको माफ करने के लिये हमारी गवर्नमेंट यह बिल लाई। मेरा ख्याल है कि अगर आज यह कर्जा काश्तकारों पर होता, और गवर्नमेंट उसको माफ कर देती, तब भी काश्तकार कर्जा देने के लिये तैयार होते। मैं इस चीज को मानता हूं कि जितने

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

ईमानदार हमारे गरीब लोग हैं। उतनी ईमानदारी हमारे बड़े आदमियों में नहीं है। मैं गवर्नमेंट से यह कहना चाहता था कि जो ६ पर्सेंट सूद लेते है या ५ पर्सेन्ट सूद लेते हैं, अगर उनका कर्जा माफ किया गया है, तो कर्जा उनका भी माफ होना चाहिये जो कि २५, २० या १५ पर्सेंट का सूद लेते हैं मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसमें बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनको कि इससे बहुत नुक्सान होगा। कुंवर साहब ने यह फरमाया कि यह जमींदारों के लिये है, तो मैं उनसे पूंछना चाहता हूं कि यदि उनके लाखों रुपये बाकी होते, और उस वक्त वह उसको छोड़ते तो पता चलता। मैंने कुंवर साहब की केवल इसी स्पीच में देखा है कि उन्होंने ऐसा कहा, पहले उन्होंने अपनी स्पीच में कभी ऐसी बातें नहीं कही थीं। मैं समझता हूं जैसा कि श्री राजा राम जी ने कहा कि कुंवर साहब जो अब तक स्पीच में कहा करते थे वह महज शो ही था। आप महज अब तक बड़े आदमियों और बड़े जमींदारों के लिये ही शायद ऐसी भावनायें दिखलाते थे। मुझे यह कहने में बड़ी खुशी है कि जो छोटे जमींदार हैं वे ही वाकई में काश्तकार हैं, और वे जमींदार बिल्कुल नहीं हैं। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि जितने ऐसे छोटे जमींदार हैं, वे खुद खेत जोतते हैं और वे काश्तकार आसामी भी नहीं हैं। हमारी गवर्नमेंट ने जो बिल रखा है, उसको एक नजर से देखने से पता चलता है कि वाकई बात जो है वह यह है कि जो कम से कम १०० या २५० रुपये के मालगुजार थे, उनके साथ ही इस तरह की रियायत की गई है और ऐसे ही जमींदारों को फायदा हुआ है। अगर यह केवल बड़े २ जमींदारों के लिये ही नहीं रखा गया है, तो मैं इसकी जरूर ताईद करने के लिये तैयार हूं और मैं यह चाहता हूं कि सौ रुपये के काश्तकार के साथ यह रियायत होनी चाहिये। हमारे मिनिस्टर साहब ने उसको साफ नहीं किया। मसलन जैसा जमींदारों से लोग क़र्जा ले जाया करते थे और वह उसके लिये शुगर केन सप्लाई करते थे और उसमें कुछ बाकी भी देना रह जाता था। ऐसे आदमी रुपया ले जाते हैं, तो वह क़र्जा भी इसमें शामिल हो जायेगा। मसलन कोई जमींदार है और जमींदारी एबालिशन से पहले इस तरह का कर्जा लिया गया है, तो उसका क्या होगा। और बहुत से जमींदार ऐसे हैं जो कि पुरनोट लिखते हैं और रुपया ले जाते हैं।

उन्होंने कहीं भी अपनी जमीन मारगेज नहीं रखी तो उनके कर्जे की क्या हालत होगी। जब माननीय मंत्री जी स्पीच देंगे तो मैं आशा करता हूं कि इसका भी वह उत्तर देंगे। मुझे और ज्यादा नहीं कहना है और मैं इसको सपोर्ट करता हूं।

चेयरमैन—कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[कौंसिल १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निज़ामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

श्री मान पाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जमींदारों का ऋण कम करने का विधेयक उपस्थित है। इस पर अनेक माननीय सदस्यों ने बहस करते हुये अनेक भांति के विचार प्रकट किये हैं। सब से पहले कुंवर साहब ने कृतज्ञता का इज़हार किया, फिर असमंजस में पड़े। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वह समय के परे की चीज थी और वे शब्द मैं नहीं कहना चाहता कि उन्होंने क्या कहा अर्थात् कृतज्ञता की बात या उसके विपरीत थी। सरकार एक विधेयक सामने लाई जिसमें कुछ उनके कल्याण की बात सोची, इस पर भी उन्होंने कहा कि कुछ नहीं किया। हमारे मित्र प्रभुनारायण जी ने कहा कि वे साहूकारी का अन्त करने की बात सोचते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से भी नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि थोड़ा इतिहास को देखें। यहीं पर सन् १९२६ में जब जमींदारों का अधिकार था तो उन्होंने क़ानून बनाया था और उस का फल यह हुआ कि उसके बाद जब वे रुपया लेते थे तो उन्हें कहीं ज्यादा रुपया दस्तावेज और कागजों में लिखने पड़ते थे तब रुपया मिलता था। मैं समझता हूं कि आदमियों का साधारणतः बिना साहूकारों

[श्री मान पाल गुप्त]

के काम तो चलता ही नहीं। एक आदमी कोई काम करना चाहता है, और उस काम को करने की उसमें योग्यता है परन्तु धन नहीं है, तब, जब तक धन की सहायता न हो तब तक वह काम नहीं कर सकता। कहीं कोआपरेटिव के जरिये धन की सहायता पड़ती है, कहीं साझा करना पड़ता है। तो वास्तव में साहूकारों की जरूरत तो सारे देश को महसूस होती है। फिर साहूकारों के प्रति यह भावना क्यों? जहां तक ब्याज की बात कही गई हिन्दू शास्त्रों में तो चार आने से लगा कर सवा रुपया तक ब्याज रखा है और यह भी बतला दिया कि उस, अर्थात् कर्ज लिये रुपये से दूने से अधिक तो कभी भी न लेना चाहिये।

वैदिक संस्कृति में तो धन के कर्ज से उऋण होना ही नहीं वरन् अन्य ऋणों से उऋण होना भी परम कर्त्तव्य माना गया है, जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण आदि।

हमारे यहां हिन्दू शास्त्रों में कर्ज के चुकाने की प्रथा थी, हिन्दू शास्त्रों में उसका चुकाना अपना परम कर्त्तव्य मानते थे। आज भी कहा जाता है कि मर्द का खसम कर्ज होता है। मैं आप से कहता हूं कि ऋण को इस प्रकार से खतम कर देना अनुचित है यह थोड़ी सी उन संस्थाओं के आदमियों में और साहूकारों में एक दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया पैदा कर देना है। इसलिये माननीय मंत्री जी इसके ऊपर थोड़ा सा सोचें। सरकार ने यह ठीक किया था। जहां पर सरकार ने वचन दे दिया था उसको पूरा करेगी। जहां पर जमींदारी को नष्ट करके जमीनों को ले लिया है हालांकि उसका भी इतिहास है। इसलिये मैं कुछ न कहकर यह कहता हूं कि किसी प्रकार से उन आदमियों को जिन्होंने रुपया लगाया है उनको वंचित नहीं करना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह बात कही जाय कि उन्हें बिचौलिया का मुनाफा होता था, लेकिन साहूकारों में तो ऐसा नहीं होता था। साहूकारों में रुपया लगाते थे तो कुछ दफा ऐसा होता था कि उनका रुपया मारा जाता था। जो ऐसे व्यवसायी हैं उनको हमें हतोत्साह नहीं कर देना चाहिये। बैंक से रुपया कोई आदमी लेता है तो उनको कर्ज लेने में बड़ी आपत्ति होती है। वहां पर कानून की बड़ी दिक्कतें होती हैं। जैसे हमारे एक मित्र श्री राजा राम जी ने जो बात कही वह उन्होंने स्पष्ट शब्दों में शंका की। एक दिन श्री इंद्र सिंह जी ने इस प्रकार की बात कही थी तो भवन में आपत्ति हुई थी कि इस प्रकार की शंका न करें पर बराबर इस भवन में सरकार के प्रति शंकायें की जाती हैं। श्री महावीर सिंह जी के संशोधन के विषय में इस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। हां, छोटे-छोटे काश्तकारों के साथ कोई रियायत की जाय तो वह उचित भी है। इस प्रकार से साहूकारों का कोई अधिक नुकसान नहीं होगा, जो बड़े-बड़े कर्ज जमींदारों पर हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, उपस्थित विधेयक बहुत ही सामयिक और आवश्यक विषय था। यह भिन्न बात है कि जिस रूप में आज वह पेश किया गया है उसी रूप में हो या उससे कुछ परिवर्तित रूप में हो। मैं जो कुछ अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूं संभव है, कि यह हमारा भ्रम हो, या समझने की कमी हो। परन्तु जैसा समझ में आया मैं निवेदन कर देना चाहता हूं।

किसी विधेयक पर विचार करते समय हमें यह सोचना पड़ता है कि वास्तव में उसका क्या फल होगा और उसी के लिये विधेयक प्रस्तुत भी किया जाता है। वस्तु स्थिति वास्तव में है क्या, उसको भी हमें समझना ही पड़ता है। जमींदार शब्द या महाजन शब्द, हमें इन शब्दों के पीछे पड़ना मुनासिब और उचित नहीं मालूम होता। देखना तो चाहिये कि वह महाजन किस श्रेणी का है। क्या वह खदुक से भी गरीब है या कमजोर है या उससे खुशहाल है। इसका विचार न कर और महाजन के पीछे पड़ें, यह सुन्दर बात नहीं होती। वैसे ही जमींदार शब्द के पीछे पड़ जायं, कोई उचित बात नहीं है। मुझे भली भांति मालूम है।

बहुत से स्थान हैं, जैसे मेरा ही एक गांव है वह किसानों का एक गांव है, उसमें लगभग २ हजार जमींदार परिवार हैं जिनके पास जमीन थोड़ी-थोड़ी है और वह सब जोतते हैं। जमीदारी का खात्मा हो जाने के बाद वहां के लोगों का कोई नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ उनका नाम तब्दील हो गया। जो जमींदार कहे जाते थे वह अब भूमिधर कहे जाते हैं। उनकी स्थिति में कोई अंतर नहीं हुआ। यह भी मुझे मालूम है कि जिन्हें कर्जा दिया गया था, उनमें बहुतों को तकलीफ नहीं है। बहुत से कर्जा देने वाले महाजन ऐसे भी होते हैं, जो अपना पेट काट कर छोटी-छोटी नौकरियां करके, अपना रुपया बचाते हैं और इस तरह से बचा कर कर्जा इसलिये देते हैं, कि यह हमारे लिये आगे चल कर सहारा रहेगा। इसलिये ऐसा करते हैं। मुझे याद पड़ रहा है सन१९३८, ३९ में एक किसान कर्ज राहत ऐक्ट, किसानों और गरीब आदमियों के हित के लिये बना। परन्तु हमारे यहां तो अधिकांश गरीब आदमियों का ही रुपया था और वह बहुत कुछ मारा गया और नुक्सान हुआ। हां, कुछ ऐसे भी जमींदार हैं जिनके पास सौ एकड़ सीर की जमीन है और १०, १२ बीघे ऐसी जमीन रही जिस पर काश्तकार रहे। तो मेरा कहना है कि सिर्फ नाम बदला है उनको कोई हानि नहीं हुई है। अतः मैं डिटेल्स में न जाकर, मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात पर कि इस बिल का उन पर क्या असर पड़ेगा, प्रकाश डालें, ताकि मेरा भ्रम निवारण हो जाय और अगर मेरा ख्याल सही है तो इस पर विचार करें।

श्री वेणी प्रसाद टंडन (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक, माननीय मंत्री जी ने आज हमारे सामने रखा है, इसके सिलसिले में आपने बतलाया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कि जिस समय जमींदारी उन्मूलन का भार गवर्नमेंट ने अपने ऊपर लिया था उस वक्त जमींदारों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनके कर्जे भी उसकी एवज में कम कर दिये जायेंगे। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे सूबे में मौजूदा कर्जे के सिलसिले में कितने ही कानून हैं जिनका फायदा हर कर्जदार उठा रहा है या उठा सकता है। इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट का फायदा जमीदारों ने उठाया, फिर डेट रिडम्पशन ऐक्ट का भी फायदा उठाया। जब इस तरह के कानून हमारे प्रदेश में लागू रहे हैं तो फिर डेट रिडक्शन बिल की क्या आवश्यकता थी। इस संबंध में जो तरीका या फारमूला डेट रिडक्शन का माननीय मंत्री महोदय ने रखा है उसमें भी इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट के उसूलों को लागू किया है। मेरी समझ में नहीं आता कि इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट से जब हर कर्जदार को फायदा पहुंच चुका है तो फिर फरदर रिडक्शन (कमी कर्जा) क्यों दिया जाय। जमींदारी उन्मूलन के बाद जमीन की कीमत कम हो गई है, तो क्या यह उचित नहीं है कि इन्कम्बर्ड स्टेट ऐक्ट में ही अमेंडमेंट आता और उसकी कीमत घटा दी जाती।

एक सुझाव तो मेरा यह है और दूसरी बात मुझे फारमूला के सिलसिले में कहना है। इस फारमूले से साहूकारों के बीच मतभेद होगा, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि इसके जरिये से ४ आने से आठ आने की रकम निश्चित की जा सकती है।

इस कानून का नतीजा यह होगा कि किसी साहूकार का आठ आना नुक्सान होगा किसी का १२ आना नुक्सान होगा। सरकार को जब जमींदारों को मदद देनी थी तो यह क्यों किया गया कि किसी को ८ आना दिया जा रहा है और किसी को ६ आना दिया जा रहा है। यह भेदभाव जो पैदा किया जा रहा है इससे आशंका पैदा होने की संभावना है। हमारे साहूकारों के लिये माननीय राजा राम जी ने और प्रभु नारायण जी ने यह कहा कि साहूकार लोग उत्पादन नहीं करते। यह बात तो है। लेकिन वह यह बतलायें कि उत्पादन करने वाले जो लोग हैं उनको साहूकार लोग मदद करते है या नहीं करते? अगर किसी से कर्ज लेकर कोई उत्पादन करता है तो जो व्यक्ति उसको उत्पादन के लिये रुपया देता है वह अगर

[श्री वेणी प्रसाद टंडन]

उसमें से ५ परसेंट ले लेता है तो क्या वह कोई बहुत ज्यादा है? हमारे संविधान में कोई ऐसी बात नहीं है कि ब्याज खाना पाप है। अगर ब्याज खाना पाप होता तो संविधान में लिखा होता कि यह पाप है और कोई किसी से कर्ज न ले और कोई ब्याज न खाये। जब ज़मींदारों पर सख्त मुसीबत पड़ती थी और उसका बगैर रुपये के काम नहीं चलता था तब वह साहूकार के पास जाता था और उससे बड़ी-बड़ी रकमें क़र्ज़ में लेता था। पहिले तो ज़मींदार साहूकारों से रुपया लेकर अपना काम निकालता था और अब साहूकार को यहां पर गाली दी जाती है। यह कौन सी अच्छी बात है।

इस विधेयक के सिलसिले में एक बात की ओर और ध्यान देने की जरूरत है। बहुत से अनसिक्योर्ड डेट्स जो ज़मींदारों ने मार्गेज के अलावा लिया है उसका क़ानून में कोई साफ रास्ता नहीं बतलाया गया है। जिन्होंने प्रोनोट्स में रुपया दिया है उनकी रकम कैसे वसूल होगी? एक सेक्शन में कहा गया है कि अगर बांड्स को अनसिक्योर्ड करारकर दिया जावे तो उनकी बाकी रक़म वसूल समझी जायेगी। अनसिक्योर्ड डेट्स जिसने दिया उसने ज़मींदारों की पोजीशन देखकर कि यह बड़ा ज़मींदार है रुपया कर्ज़ दे दिया। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिये भी पूरी योजना होनी चाहिये कि उनका रुपया कहीं न मारा जाये। उनको मौक़ा दिया जाये कि अगर कम्पेनसेशन से उनका रुपया वसूल होता है तो वसूल किया जाये नहीं तो उनको दूसरे तरीके से दिलाया जाये। जिसके पास और कोई जायदाद नहीं उसका तो कोई सवाल ही नहीं, लेकिन जिनके पास है उनसे रुपया क्यों न वसूल किया जाये? उनमें यह लिखा है कि बांड ही दिया जायेगा। इसके सिलसिले में मुझे यह निवेदन करना है कि साहूकारों ने तो नक़द रुपया दिया है और आज ज़मींदारी उन्मूलन के कारण आप उनको बांड्स दे रहे हैं। उनको अगर आप बांड्स देंगे तो उनका क्या फायदा होगा? जो रुपया आप कर्ज़ का निर्धारित करें उसे आप उनको नक़द दे दें तो अच्छा है। इससे यह होगा कि वह रुपया उत्पादन के काम में आयेगा। क़र्ज़ा देने वाले का ब्याज ही नहीं गायब हुआ बल्कि उसकी असली रक़म भी मारे जाने का अन्देशा है।

क्या इसेका न्याय करेंगे। मेरी समझ में इसमें आप को ध्यान देना चाहिए और उसके लिये विचार भी करना चाहिए कि साहूकारों को बजाय बान्डस के उस रकम को नकद में दे दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का जो सदन में इस समय उपस्थित है स्वागत करता हूं परन्तु स्वागत करने के साथ साथ उसकी आलोचना किये बिना नहीं रह सकता। मैं समझता हूं कि सदन का सदस्य होने के नाते दो चार शब्द उसके बारे में आपके सामने कहूं। इसमें संदेह नहीं कि इस विधेयक को लाकर सरकार ने अपनी विचारशीलता और सहानुभूति का परिचय दिया है। सरकार ने जमींदारी को खत्म किया। सरकार ने अनुभव किया कि उनकी सम्पत्ति के चले जाने से जमींदारों को कष्ट हुआ इसलिये उस कष्ट को कम करने के लिये उनको प्रतिकर दिया। इसके अलावा एक छोटा जमींदार है जिसको इससे अधिक कष्ट हुआ और जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई उसको रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दिया। अब कर्जे के सम्बन्ध में सरकार ने अनुभव किया कि जमींदारी की कीमत कम हो जाने से यह आवश्यक है कि कर्जा भी कम कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस उद्देश्य से जिन जमींदारों पर कर्जा है जिनकी जायदाद की कीमत बहुत कम हो गई है उनको किसी प्रकार की सहायता पहुंचती है। मैंने इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को पढ़ा। उनमें से क्लाज ६ को पढ़ कर मुझे विशेष प्रसन्नता हुई। वक्फ, ट्रस्ट और धार्मिक उद्देश्य की जो चीजें हैं उनका किसी पर कर्जा है तो सरकार ने उसको कम करने का इरादा नहीं किया है। इसमें सरकार ने न्याय का अनुशीलन किया है। और ऐसा करके जनता का बहुत बड़ा उपकार किया है। मंत्री जी ने अपने

भाषण में इस बिल का वर्णन किया है और उन्होंने स्पष्ट रूप से बतलाया कि उनका उद्देश्य क्या है। एक बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि इस बिल की भाषा ऐसी बनाई गई है जो आसानी से समझ में नहीं आती है। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि जितने नियम, अधिनियम और कानून जमींदारी के सम्बन्ध में बने हैं उनकी भाषा, क्लिष्ट बनाई गई है। हमने पुराने कानून को जो लैंड टेन्योर से सम्बन्धित थे, पढ़ा। वे आसानी से समझ में आ जाते हैं। परन्तु इसका आबजेक्ट और रीजन समझ में नहीं आता। दूसरे शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि यह ऐसा लग रहा है जैसा कि मैथमेटिकल रिसर्च का पेपर हो। माननीय मंत्री जी इसके विशेषज्ञ हैं वे समझते हैं कि सदन का प्रत्येक सदस्य इसका विशेषज्ञ है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जब वे उत्तर देने के लिये खड़े हों तो एक वास्तविक केस को लेकर बतलायें कि किस प्रकार से कर्जा कम होगा और कितने जमींदारों को इससे मदद मिलेगी। मैं समझता हूं कि ५० फ़ीसदी सदस्य इस सदन में ऐसे हैं जो इसकी व्याख्या नहीं कर सके। इसलिये हम चाहते हैं कि एक उदाहरण देकर समझायें कि कितना कम होगा और कितनी सहायता मिलेगी। कानून को सरल तथा स्पष्ट होना चाहिये।

आप को याद होगा और उपाध्यक्ष महोदय, आप ने इतिहास में पढ़ा होगा कि फ्रान्स में राज क्रान्ति हुई और जमींदारियां छिन गईं। जब क्रान्ति असफल हुई और देश की शासन व्यवस्था बिगड़ गई तब नेपोलियन ने राज्य की शक्ति अपने हाथ में ली। उसने कानून बनाने के लिये एक कमीशन नियुक्त किया। उसने कमीशन के सदस्यों से कहा कि देखो--

"Men have bowels, the law hath not."

इसका अर्थ यह है कि आदमी की आंतों से तो मल निकल जाता है परन्तु कानून की आंतों से मल नहीं निकलता है। इसलिये कानून स्पष्ट होना चाहिये। नेपोलियन कानून तो नहीं जानता था परन्तु बार बार कानून के ज्ञाताओं से कहता था :--

"I want to legislate not for the abstract man but for the ceparisian of actual flesh and blood."

इसका अर्थ है कि मैं किसी काल्पनिक व्यक्ति के लिये कानून बनाना नहीं चाहता। वरन् वास्तविक पेरिस निवासियों के लिये। इसलिये शब्दों पर बहस करना सिर्फ कानून का उद्देश्य नहीं है। क़ानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे जनता का कल्याण हो, देश का फ़ायदा हो, मैं समझता हूं कि इसी दृष्टिकोण से कानून बनाया जाता है। जमींदारी उन्मूलन का भी यही उद्देश्य है कि ग़रीब जनता को सुख मिले और जमींदारों को भी किसी प्रकार का कष्ट न हो। छोटे जमींदारों के लिये रिहैबिलिटेशन ग्रांट की व्यवस्था की गई है। मंत्री जी ने जो कुछ कहा उससे कुंवर साहब को संतोष नहीं हुआ। यह ठीक भी है कि जिसका एक लाख रुपये का मुनाफा जाता रहे उसकी परेशानी बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन फिर भी मैं कुंवर साहब के धैर्य और सहनशीलता की प्रशंसा करता हूं। इस सदन में कुंवर साहब ने दो बातें कहीं, एक तो मंत्री जी के कहने के अनुसार उन्होंने स्वीकार कर ली परन्तु दूसरी को नहीं माना। मुझे दुःख है कि इस समय कुंवर साहब सदन में उपस्थित नहीं है।

एक सदस्य--लीजिये कुंवर साहब आ गये।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--इसमें कोई शक नहीं कि कुंवर साहब सदा सत्य को ढूंढ़ते रहते हैं। दूसरी बात उन्होंने यह कही किइस बिल से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हमारे मित्र श्री राजा राम शास्त्री और श्री प्रभु नारायण सिंह जी और अन्य सदस्यों ने इस सदन में जमींदारों के अत्याचार का वर्णन किया और साहूकारों के विषय में भी बहुत कुछ कहा। मैं तो

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

समझता हूं कि जमींदारों के अत्याचारों का विस्तृत वर्णन करना एक असंगत सी बात है। जब जमींदार ही खत्म हो गये तो उनके अत्याचार भी समाप्त हो गये। अगर आप इतिहास को देखें तो बहुत से लोगों ने अत्याचार किये हैं। कहावत है :—

"The greatest champion of liberty ends by being a tyrant."

जो स्वतंत्रता का समर्थक होता है वही सब से बड़ा ज़ालिम बन जाता है। जमींदारों के अत्याचारों का वर्णन करने से अब कोई लाभ नहीं। इस तरह महाजनों के दुष्कर्मों का वर्णन करना भी निरर्थक है। बहुत समय व्यतीत हुए थिओडोर मौरीसन नामक अलीगढ़ कालिज के अध्यक्ष ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल आर्गेनाइजेशन (Industrial organisation) में लिखा था कि बनिया मदद तो देता है परन्तु उसकी मदद विनाशकारी होती है। यह बात सत्य नहीं थी। महाजन हमारे राज्य में कई प्रकार के हैं। बनिया इन सब में नरम होता है। मारवाड़ी साहूकार होता है। मारवाड़ी साहूकार को हमारे जिले में अठवरिया कहते हैं। वह एक के आठ लेता है, दूसरे साहूकार होते हैं भूमिहार। कहते हैं कि भूमिहार के पल्ले जो पड़ जायेगा, तो फिर उससे बचना कठिन होता है। उसका ऋण एक पुश्त में क्या सात पुश्त में भी नहीं चुक सकता है। पूर्वी जिलों में खत्रियों के यहां भी लेन-देन होता है और वह भी सूद लेने में किसी से कम नहीं है। दूसरे प्रकार के लोग भी लेन-देन करते हैं। कोई साढ़े १२ रुपया सैकड़ा सूद लेता है कोई २५ रुपया सैकड़ा लेता है। और कोई ५० और ७५ रुपये सैकड़े तक भी सूद लेता है और कहीं कहीं पर तो इससे भी अधिक ब्याज लिया जाता है। जरूरत के समय ब्याज देना ही पड़ता है। हमारे मित्र बेणी प्रसाद टंडन जी ने, जो कि साहूकारों के समर्थक है बताया कि साहूकार अच्छे होते हैं। परन्तु वास्तव में ऐसा कम देखा जाता है। बाइबिल में कहा गया है कि

"Interest is the breed of barren metal".

कुरान शरीफ़ ने भी ब्याज की निन्दा की है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मुसलमानों के लिये सूद लेना हराम समझा गया है। परन्तु आज कल समय ऐसा आ गया है कि सूद लिये बिगैर काम नहीं चलता। यह बातें तो उस समय कही गई थीं जब कि समाज साधारण था, सीमित था। आज की तरह बड़े बड़े स्केल पर व्यापारिक लोग नहीं थे और उस समय इतने रुपये की जरूरत नहीं पड़ती थी लेकिन आज के समाज में हमें रुपये की जरूरत पड़ती है और उसके लिये हमको साहूकारों के पास जाना पड़ता है। इसमें साहूकारों का भी कार्य बड़ा सराहनीय है। वह भी बड़ा त्याग करते हैं। अपना पेट काट कर इतना रुपया जमा करते हैं और आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। साहूकारों का भी समाज में स्थान है। उनके प्रति हमें घृणा, द्वेष या ईर्षा का भाव नहीं रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि सरकार ने कर्जा देने वालों की सुविधा के लिये उपाय निकाल कर एक बहुत न्याय का काम किया है और उनके लिये जो कुछ भी किया गया है उसके लिये मैं उसका धन्यवाद करता हूं। सूद के मामले में आप देखेंगे कि साहूकार ही नहीं, इम्पीरियल बैंक में आप जाइये तो वहां क्या होता है। अपने डिपोजिट में से रुपया लेने जाइये तो ६ परसेंट सूद मांगते हैं। इसको आप क्या करेंगे। अपने ही जमा किये हुये रुपयों में से अगर रुपया लेने जाते हैं तो सूद मांगते हैं। इससे ज्यादा और क्या जुल्म हो सकता है। परन्तु सूद का लेना भी जरूरी है और क़र्जा लेना भी जरूरी है। क़र्जा के बिना कोई समाज चल नहीं सकता है। मैं तो समझता हूं कि साहूकारों की सुविधा के लिये यह बिल पेश किया गया है। मगर इसमें भी त्रुटि है। जितने भी अब तक सदन के अन्दर भाषण किये गये हैं उनमें यही सिफ़ारिश की गई है, और हमारे समाजवादी मित्रों ने और अन्य मित्रों ने भी यही कहा है कि छोटे जमींदारों का इसमें विशेष ध्यान रखना चाहिये। सरकारी पक्ष से

श्री प्रताप चन्द्र आजाद जी ने भी कहा कि छोटे जमींदारों को अधिक सहायता मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि कोई भी सदस्य इस सदन में ऐसा न होगा जो कि इस बात से सहमत न हो कि छोटे जमींदारों को सहायता मिलनी चाहिये।

मंत्री जी ने जो प्रतिकर को पुनर्वास अनुदान से मिलाया है कर्ज के वास्ते तो वह ठीक न होगा। जैसा कि श्री राजाराम जी ने बतलाया कि इन दोनों में सरकार को भेद करना होगा। प्रतिकर तो एक प्रकार से जमींन की क़ीमत है जो कि सरकार ने नियत की है। आपने जो बाजार में कीमत थी, वह कीमत भी उनको नहीं दी है, आप नहीं दे सकते थे और आपने समझा कि जनता के हित के लिये इतना ही देना इस समय उपयुक्त है या आपने निश्चय किया कि जिस भूमि को आपने लिया है यही उसकी उचित कीमत होगी, कम हो या ज्यादा हो तो इससे तो कोई वास्ता नहीं है।

आपने जो रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट दिया है वह क्यों दिया? जब इसके लिये हाई कोर्ट फैसला हो गया तभी आपने यह दिया। जब चारों तरफ से आवाज आई कि डिसक्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये, तब आपने ऐसा किया। छोटे जमींदारों में लाखों आदमी ऐसे जो कि इससे परेशान थे और उनको सुविधा पहुंचाना राष्ट्र का कर्तव्य है। हमारे देश में २० लाख जमींदार हैं और उनमें से १९ लाख ८६ हजार ऐसे हैं जो कि ५० तक मालगुजारी देते हैं। आप देखेंगे कि जो छोटे जमींदार हैं उनकी ही संख्या बहुत बड़ी है और उन्हीं की सुविधा के लिये आपने रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट की व्यवस्था की है। इससे आपका उद्देश्य यह था कि उन जमींदारों को फिर कोई भी कारोबार करने में सुविधा होगी। और उनके लड़के जो अब तक अखाड़े में कुश्ती लड़ा करते थे। और गाय भैंस का दूध घी खाते थे वे किसी भी काम में लग जायेंगे।

श्री चरण सिंह—कोई उनकी भैंसें थोड़े ही छीनी गई हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—भैंसें नीलाम हो जायंगी। मैं यह कह रहा था कि छोटे जमींदारों को सुविधा पहुंचाने के लिये ही गवर्नमेंट ने रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट देने की व्यवस्था की है और इसके लिये मैं समझता हूं कि प्रत्येक मनुष्य सरकार का आभारी है कि सरकार ने इस पर विचार किया और उन बुरी स्थिति वाले जमींदारों के लिये इस तरह का काम किया। अब उससे कर्ज वसूल होने की जो बात है, वह मैं समझता हूं ठीक नहीं है। दोनों तरफ से यह कहा गया है कि सरकार इस बात पर विचार करेगी। जो इस समय तजवीज है उस पर अमल करने से जो रिलीफ आप देना चाहते हैं वह नहीं के बराबर हो जायेगी और यदि आप प्रतिकर और पुनर्वास अनुदान दोनों मिला देंगे। कुंवर साहब तो बड़े आदमी हैं, उन पर किसी का क़र्जा नहीं है परन्तु बड़े जमींदारों का ३/४ कर्ज में चला जायेगा। केवल १/४ उनके पास रहेगा। तो यह क्या मदद हुई। आप दोनों को मत मिलाइये और आप एक ऐसी रक़म निश्चित कीजिये जो कि देने वाला भी ठीक समझे। जैसा कि कहा गया कि सौ रुपया २५० रुपये या ५०० रुपये हों। आजाद साहब ने २५० रुपये कहा और मैं समझता हूं कि २५० रुपये ही ठीक है। इतना भूमिकर देने वालों के साथ साथ यह रियायत कर दी जाय। इस सदन में लोगों ने कई विचारधाराओं का वर्णन किया। और साहूकारों के बारे में भी कहा। परन्तु मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि समय अब प्रगतिशील है। निजी सम्पत्ति पर बराबर आक्रमण हो रहा है। निजी सम्पत्ति पर ही नहीं बल्कि आपके परिवार पर भी राष्ट्र का अधिकार हो जायगा और आपसे कहा जायेगा कि इतने बच्चे से ज्यादा आप पैदा न करें। वे भी फिर आपके नहीं हो सकेंगे। आपका रुपया भी फ्रीज कर दिया जायेगा। अब समय ऐसा आ रहा है और मंत्री जी को भी कुछ वर्षों के बाद यह मालूम हो जायेगा।

श्री चरणसिंह—वह समय नहीं आने वाला है?

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—आप यूनीवर्सिटी में आइयेगा तब आपको पता लगेगा, आप तो यहां बैठे हुये हैं, इसलिये ऐसा कह सकते हैं। वहां आपको पता चलेगा कि क्या विचार-धारा इस समय काम कर रही है। इसके लिये हम सब को तैयार हो जाना चाहिये। पुरानी बातों को दोहराने में समय नष्ट न करना चाहिये। सरकार ने छोटे जमींदारों पर दया की है। मैं आशा करता हूं कि जो नियम अथवा अधिनियम बनाये जायंगे उनमें उनके हितों का ध्यान रक्खा जायगा। अब एक बात कह कर मैं समाप्त करूंगा और वह बात विशेष कर मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि उन्होंने जो सहानुभूति का परिचय दिया है उसके लिये हम उनका धन्यवाद करते हैं। अब जमींदार लोग भी इतना अवश्य समझें कि वे भी राष्ट्र के ही एक अंग हैं। वे भी इस देश के नागरिक हैं हमें भी उनके साथ सहानुभूति दिखानी चाहिये। इससे समाज का हित होगा। कुंवर साहब को जो आश्चर्य हो रहा है वह मैं समझता हूं बहुत जल्द दूर हो जायेगा अब सरकार ऐसी नीति का अवलम्बन नहीं करेगी जिससे उनको किसी प्रकार का कष्ट हो।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फ़र्स्ट रीडिंग पर काफ़ी बहस हो चुकी है, मैं इस पर क्लोजर मूव करना चाहता हूं।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस इस विधेयक के विचार करते समय हुई वह काफ़ी लम्बी चौड़ी हुई और दिलचस्प भी हुई आखरी लमहे में मैं मुख्तसरन जो नुक्ते उठाये गये हैं या आलोचना की गई है उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। माननीय गुरु नारायण जी जिस वक्त खड़े हुये तो उनका यह कहना था कि मुझ को आम तौर पर यह शिकायत रहती है कि जमींदार साहबान ने किसी भी गवर्नमेंट की कोशिश के लिये जो उसने जमींदारों के लिये हकूक दिये या हकूक छोड़ दिये उनके लिये धन्यबाद नहीं दिया। मैं सोच रहा था कि आज हमको मुबारकबाद मिलने वाला है लेकिन वह अल्फाज उनकी जबान पर आये ही थे तभी उनके अन्दर जो साहूकारा था वह उन पर हावी हो गया और वह अल्फाज बीच में ही रह गये। पहली शिकायत यह है। उनको यह भ्रम हुआ कि १० हजार वालों का कर्जा कम करने का इसमें कोई प्राविजन नहीं है। ऐसा तो शुरू ही से नहीं जब से यह बिल असेम्बली में पेश हुआ था और जब यहां आया तो कोई भी तफ़रीक जमींदारों के बीच नहीं की गई है और और जमींदारों का कर्जा खत्म करने की कोशिश की गई। खैर, वह छोटी सी शिकायत थी लेकिन सबसे बड़ी मेरी शिकायत यह है कि वह इस विधेयक को पढ़ कर नहीं आये हैं जैसा कि वह लैन्ड सप्लीमेंन्ट्री बिल पर वह नाराज हो गये थे और उन्होंने कुछ कहा नहीं था और किन्हीं कारणों से उस समय वह जवाब नहीं दे पाये थे आज वह बात नहीं है। २ या ३ मसलों पर बहस हुई। एक तो यह कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट से कर्जा वसूल नहीं होना चाहिये और वह जमींदारों के लिये महफूज छोड़ देना चाहिये। इस विषय पर खासतौर से माननीय इसरसिंह जी ने इस बात पर बहुत बल दिया कि कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन दो चीजे हैं। अब हम जमींदारी अबालीशन लैन्ड रिफ़ार्म ऐक्ट बना चुके हैं और हमने उसमें पुनर्वासन अनुदान और प्रतिकर में विवेक किया है और फिर एकदम से इस बात को भूल जायें और दोनों चीजों को मिलायें तो इस से जनता में गलतफ़हमी पैदा हो सकती है कि गवर्नमेंट अपनी बातों पर या अपने उसूलों पर कायम नहीं रहती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेनसेशन में एक टेक्निकल अन्तर है और वह हम को कानूनी मजबूरियों की वजह से करना पड़ा। छोटे लोगों को जो ज्यादा कम्पेनसेशन दिया जा रहा है, उस का नाम पुनर्वासन अनुदान है और बाकी पक्की आय का अठगुना तक उस का नाम हमने कम्पेनसेशन रखा है। अगर सब को एक रक़म देने का निश्चय होता तो

यह उलझन न पैदा होती। हालांकि आमतौर से राय यह थी कि छोटे मध्यवर्तियों को ज्यादा प्रतिकर मिले या उनका गुनक ज्यादा हो बनिस्बत बड़े जमींदारों के। अगर इस बात को मान कर हम कम्पेनसेशन का मुख्तलिफ मल्टीपुल रखते तो उस में कानूनी अड़चन थी। मैं मिसाल के तौर पर बताता हूं कि मसलन महाराज बलरामपुर का किसी गांव के एक खेवट में आधा हिस्सा है और उसी गांव में रहने वाले किसी छोटे जमींदार का उसी खेवट में १/१५ हिस्सा है जब महाराज बलरामपुर को हम कम्पेनसेशन देते उनकी आय का अठगुना और दूसरे जमींदार को हम वही जमीन देते, हस्ब हैसियत उनको हम देते २५ गुना तो हमारे संविधान का अनुच्छेद १३ या १४ है, उसके बिलकुल विपरीत पड़ता। इन इक्वेलिटी बिफोर दि आई आफ ला (Inequality before the eye of law) हो जाती जिसको हम किसी प्रकार डिफेंड नहीं कर सकते थे। बिहार की गवर्नमेंट ने अपने जमींदारी एबालोशन ऐक्ट में इसी प्रकार किया था कि उसका नाम कम्पेनसेशन रखा और गुनाँ छोटे बड़े के हिसाब से कम व बेश रखा। लिहाजा पटना हाईकोर्ट ने बिहार जमींदारी अबालीशन ऐक्ट को इसी बिना पर अवैध करार दिया। जब कि आपके हाईकोर्ट के सामने पेश किया गया तो हमारी तरफ से जवाब यह था कि कम्पेनसेशन की रकम हम पक्की आय का दसगुना सबको दे रहे हैं इसके ऊपर १० से लेकर २० गुना तक जो हम दे रहे हैं वह कम्पेनसेशन नहीं है, उसके वह कानूनन मुस्तहक नहीं हैं, उनके साथ हम रियायत कर रहे हैं। हम उनको रिहैबिलिटेशन दें या न दें। वह कानून में इन्टाइटल्ड नहीं हैं। अगर इन्टाइडिल्ट हैं तो केवल अपनी आय के अठगुने के हैं। उसको हाईकोर्ट ने माना और हमारे बिल को वैध करार दिया। संविधान के अनुसार अगर न होता और सुप्रीम कोर्ट में फिर बहस होती, उस वक्त इसका नतीजा क्या होता यह मैं नहीं कह सकता। इतनी बातें जो हमारे सामने आ गई उनको मैं साफ कहना चाहता हूं। लेकिन इस टेक्निकल डिफरेंस को जरूर मान लें कि रिहैबिलिटेशन और कम्पेनसेशन बिल्कुल अलाहदा है। क्या वह उस असामी मफरूज की जायदाद नहीं है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस वक्त पुनर्वासन के लिये सहायता मिल रही है तो उसके खिलाफ कर्जख्वाह डिग्री क्यों नहीं प्रोसीड करता है। जिस तरह से दफा ७ के अन्दर कुछ चीजें मुसतस्ना कही गई हैं कि उनकी कुर्की नहीं हो सकती है। किसानों को छोड़कर वे कुर्क कर सकते हैं। उसके पुनर्वासन के लिये वह कितना जरूरी क्यों न हो इस बात को हम भूल जाते हैं। लिहाजा जो दलीलें पुनर्वासन के खिलाफ हैं वे ये हैं कि उसको बिलकुल महफूज कर दिया जाय और कर्जख्वाह उससे न ले सके। तो यह थोड़ी सी भ्रम पर आधारित है अस्टेट के खिलाफ प्रत्येक को प्रोसीड करने का अख्तियार होना चाहिये। माननीय इन्द्र सिंह ने जमींदारी एबालीशन ऐक्ट का हवाला दिया। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में लिखा है रेंट सेस लेने का जो ख्याल है उसमें कर्जे का जिक्र नहीं है, "अदर ड्यूज" लब्ज है। उसमें डेट नहीं आता है उस टाइम का सेस रेंट जो है वह प्रतिकर से वसूल होता है कर्जे का जिक्र नहीं है। यह कहना कि रेट की डिग्री जिसकी है वह पुनर्वासन से न ले सकें तो यह भी इससे नतीजा नहीं निकल सकता है। जमींदारी एबालीशन ऐक्ट की धारा ७ में क्या लिखा है। उससे कोई एताला जी निकाली नहीं जा सकती है। रही बात १०० रुपया से कम मालगुजारी की, तो जो संशोधन पेश किया गया है उसमें पुनर्वासन अनुदान ही नहीं बल्कि प्रतिकर है। मुझे इस बात को देखकर खुशी हुई कि सदन के चारों तरफ से इस बात की आवाज उठाई गयी है। अगर सारी बातें सदन के सामने आ जायं तो सदन हमारे साथ होगा। छोटे आदमियों के साथ हमदर्दी करना यह हर मनुष्य का धर्म है और यह होना चाहिये। तो उस अवस्था में हम सब लोगों की एक राय है। बहुत से लोगों की राय है कि उनका प्रतिकर महफूज रहे लेकिन क्यों इस पर विचार किया जाय। इसका मतलब यह है कि १०० रुपया की मालगुजारी पर जो कर्जा है उसको वसूल न किया जाय। क्यो वसूल किया जाय। इसका मतलब यह होगा कि जितने भी कर्जाख्वाह होंगे और साहूकार होंगे उनका रुपया जब्त होगा जबकि हर जमींदार को हम कुछ न कुछ दे रहे हैं। जैसा एक मित्र

[श्री चरणसिंह]
कह रहे थे और इसके खिलाफ बहुत दलीलें आयी हैं कि जमींदारों और साहूकारों को एक लेबिल पर रखा नहीं गया है।

इसमें शक नहीं कि जमींदारों के खिलाफ ज्यादा बातें हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो जमींदारों और साहूकारों को एकसां समझते हैं। ज्यादा अन्तर उनमें नहीं है। लेकिन दोनों की तौल करनी पड़े तो जमींदारों का पलड़ा भारी होगा। तो जब हम ऐसे जमींदारों की जमींदारी खतम नहीं कर सकते, जिन्होंने १८५७ में मुरादाबाद में फलां काम करने के उपलक्ष में जमीन पाई थी, उस गवर्नमेंट की सेवा करने के बदले में पायी थी, उनको जब हम मुआवजा दे रहे हैं तो फिर साहूकारों ने क्या कसूर किया है जो उनका रुपया एक कलम जब्त कर दिया जाय। छोटे छोटे जमींदारों के साथ हमदर्दी हो मुझे तसलीम है। मगर उन लोगों ने क्या कसूर किया है। अगर आप ऐसा करते कि बड़े बड़े जमींदारों या छोटे ही जमींदारों की कहते कि मालगुजारी बिल्कुल जब्त हो तो कुछ बात समझ में आती। लेकिन वह तो समझ में बात नहीं आती है। जब छोटे जमींदारों को मुआविजा दे रहे हैं तो जिन लोगों ने कर्जा दिया है वह भी तो कुछ न कुछ पाने के मुस्तहक होते हैं। फिर आप कहते हैं कि कैसे कर्जख्वाह और साहूकार एकसां होंगे। अगर कुंवर साहब माफ करेंगे तो मैं कहूंगा कि आप कर्जख्वाहों और साहूकारों की फेहरिस्त लेकर देखिये। आप देखेंगे कि हर एक गांव में उन लोगों का एक दूसरे पर कर्जा है। किसी भी गांव में जाकर देखिये। एक किसान ने दूसरे किसान को कर्जा दिया है। जो कर्जा लेने और कर्जा देने का पेशा नहीं करते। बल्कि किसी साल ईख की फसल लग गई तो कुछ रुपया निकल आया और वह रुपया अपने पड़ोसी को जरूरत पड़ी तो दे दिया बिना कुछ लिखाये या कभी कभी दस्तावेज लिखा कर रुपया दे देते हैं। वह सब खेती करते हैं। हाथ फैल गया तो छोटा मोटा कर्जा दे दिया। बहुत से किसान रेहन लिखाते हैं। अपने पड़ोसी को रुपया देकर उसका बीघा दो बीघा खेत लिखा लिया। आप चाहते हैं कि उसका रुपया खतम हो जाय तो यह कोई जंचने वाली बात नहीं है। फिर कर्जे के लेने की बात है। यह मैं मानता हूं कि हमारे किसानों की हालत खास कर पूर्वी जिलों के और इस साल तो पश्चिमी जिलों में भी बनिस्बत पिछले सालों के कुछ बदतर है। फिर भी आज कर्जा बहुत कम है। रजिस्ट्री और रेहननामों के आंकड़ों को अगर आप जाकर देखें, नीलाम और कुरकी के आंकड़ों को देखें तो साबित होगा कि कर्जे बहुत कम लिये गये हैं। कम से कम जो छोटे लोग गांव के हैं। उनके ऊपर कर्जा बहुत ही कम है क्योंकि सन् ३६ में जो कांग्रेस मिनिस्ट्री थी उसने एक डेट रिडम्पशन ऐक्ट बनाया था, उससे फिर उसके बाद ही इन्फलेशन आया, यानी किसानों की जो पैदावार थी उससे उनको पैसा ज्यादा मिला। रियल वैल्यू भले ही बढ़ी हो या न बढ़ी हो, मगर पैसा उनके पास काफी बढ़ गया। लगान या आबपाशी का जो देते थे वह तो उतना ही रहा। मगर सेविंग दूनी हो गई और कर्जा बहुत बेबाक हो गया। कर्जा हुआ हो तो इस साल या पिछले साल थोड़ा बहुत लोगों पर हुआ होगा और इसका सबूत यह है कि आप दीवानी में चले जाइये वहां जाकर वकीलों से पूछिये तो वह कहेंगे कि वहां नालिशों का या दस्तावेजों का वह नम्बर नहीं है जो और सालों में हुआ करता है तो कर्जा कम की एक बात है। दूसरी बात यह है कि कर्जा लेने और देने वाले अमूमन वही हैं जो काश्त करते हैं और जिनका पेशा काश्तकारी ही है न कि मनीलेंडिंग बिजनेस। तीसरी बात यह है, इसको मैं पहले भी कह चुका हूं कि आखिर सौ की ही क्यों लिमिट रखी जाय क्यों न ढाई सौ की रखी जाय। आखिर मनीलेन्डर्स ने क्या कसूर किया है। जब आप हर जमींदार को मुआविजा दे रहे हैं, देने या न देने के मसले में दो राय है और हर मसले पर दो राय हुआ करती है, लेकिन हमने तय किया है कि मुआविजा दिया जाय तो जब उनको मुआविजा दिया जा रहा है तो यह युक्ति संगत नहीं है कि साहूकारों का कर्जा न दिया जाय और जमींदारों को मुआविजा दिया जाय।

शैड्यूल बैंक्स की बात कही गई। कहा गया कि उनका कर्जा नहीं घटाया गया। कुंवर साहब को शिकायत थी कि क्यों नहीं उनका कर्जा घटाया गया और इसके न होने

की वजह से जमींदारों को कुछ सुभीता नहीं हो रहा है। आमतौर पर शेड्यूल बैंक्स बहुत कम कर्ज के बिल की बात तीन चार साल से चल रही है। इस बीच मुझे एक या दो बैंक्स की बात याद है जिन्होंने इस बात की कोशिश की कि वह इस कानून की जद से महफ़ूज़ कर दिये जायं यानी उनका कर्ज़ा दिलाया जाय और उसे न घटाया जाय। इससे मालूम होता है कि आमतौर पर बड़े बैंक्स जमींदारों को कर्ज़ा नहीं देते हैं और यही दो एक बैंक्स हैं जिन्होंने कर्ज़ा दिया, लिहाजा कुंवर साहब को इस पर कोई चिन्ता न करनी चाहिये। शेड्यूल बैंक्स की जो बात है वह यह है कि वह मनी लैंडिंग का काम नहीं करते बल्कि यह सब्सी-डेयरी हैं और अगर किन्हीं एक दो बैंक्स ने कर्ज दिया है तो अगर वह घटाया गया तो डिपा-जिटर्स को नुक्सान होगा। इस तरह से बैंक्स के नुकसान होने से डिपाजिटर्स को जरूर नुक्सान होगा। इसीलिये हमने शेड्यूल बैंक्स को इस बिल के आपरेशन से मुबर्रा रखा है।

बहुत देर तक मैं सुनता रहा लेकिन साहूकारों के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। टंडन साहब ने जरूर कुछ कहा है। जहां तक कांग्रेस गवर्नमेंट का संबंध है वह सब की है। हम आंख मीच कर या एक आंख बन्द करके काम नहीं कर सकते और यह मुनासिब भी नहीं है। जो बात उचित है वही करना चाहिये। जहां तक हो सके काम भी हो जाय और खून भी न निकले, यह हमारी कोशिश है। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर शिक़ायत किस बात की की जाती है। सिद्धांत यह है कि जिसकी वजह से यह बिल आया कि जमींदारों की स्टेट ली गई उनकी पेइंग कैपेसिटी (Paying capacitiy) कम हुई। हमारे बिल का उसूल यह है कि जिस क़दर जिस हद तक उनकी पेइंग कैपेसिटी कम हुई है उसी हद तक कर्ज भी कम कर दिया गया है। अब आप यह चाहते हैं कि जमींदारों की पेइंग कैपेसिटी तो थोड़ी सी कम हुई लेकिन उसका कर्ज बिलकुल ही माफ कर दिया जाये। तो जिस क़दर आप की पेइंग कैपेसिटी कम हुई है उसी क़दर आपको रिलीफ भी मिलना चाहिये। यह कर्ज हमने किसी उसूल की बिना पर कम किया है। इसमें जमींदार और मनी लेंडर किसी को शिक़ायत नहीं होनी चाहिये। जमींदारी खत्म की गई वह टाइम की मांग थी। हमने जमींदारों से कहा कि आप थोड़ी सी सैक्रीफाइस कीजिये। और उसी हद तक हम मनीलेंडर्स से भी कहते हैं कि वह भी थोड़ी सी कुरबानी करें। लेकिन यह नहीं हो सकता कि हम जमींदारों को तो कंपेनसेशन दें और मनीलैंडर्स से कहें कि तुम कर्ज बिलकुल ही छोड़ दो। उनका सब का सब जब्त कर लें। यह जो इनकम्बर्ड स्टेट ऐक्ट का मल्टिपल मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ है उसका मतलब यह है मिसाल के लिये आप बदायूं जिले को ले लीजिये। बदायूं में २० गुना इनकम्बर्ड स्टेट पर है तो वहां पर एक तिहाई हुआ और इलाहाबाद में ४० गुना है तो वहां पर पांचवां हिस्सा होगा। लिहाजा दोनों जगह बिला वजह डिसक्रिमिनेशन हो जायेगा। जो जायदाद बदायूं की है उसकी हैसियत के लिहाज से वहां पर कर्ज़ा दिया गया है मान लीजिये कि इलाहाबाद में ४० गुना दिया गया तो उसके माने यह हैं कि वहां पर उसकी हैसियत से ज्यादा दिया गया है अगर दोनों जगह एक रकबा लीजिये तो मान लीजिये कि २० बीघा बदायूं में और २० बीघा इलाहाबाद में जायदाद है, तो बदायूं में २० बीघे पर ६० रुपया कर्ज दिया गया और इलाहाबाद में १०० रुपया दिया गया है तो वहां पर एक तिहाई होगा और दूसरी जगह पांचवां हिस्सा होगा। इसलिये डिसक्रिमिनेशन नहीं होता है।

सिम्पिल डेट्स का जिक्र किया गया। सादे कर्जे के मुत्तालिक़ उसमें एक खंड दिया हुआ है। खंड ६, उसमें यह है कि आपका कर्ज़ा दस्तावेज की बिना पर है या हैसियत की बिना पर है। अगर उसकी डिग्री हो गई है तो आपका कर्ज वसूल हो जायेगा, मैं मिसाल देकर समझाने को कोशिश करता हूं। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद इत्तिफाक से इस वक्त यहां पर नहीं है वह कहते थे कि दो चार कंक्रीट मिसाल दी जायं तो ज्यादा समझ में आ जाय। मान लीजिये कि ढाई हजार कर्ज़ा है और वह भी सिम्पिल मनी डिक्री का है। अब एक जमींदार को जिस पर यह कर्ज़ा है उस को अनुदान और प्रतिकर दोनों मिलाकर ४ सौ मिलते हैं। उस पर ढाई हजार रुपये को डिग्री हो गयी। तो वह आदमी जिस का कर्ज़ा है वह किसी भी जायदाद पर चाहे भूमिधर की हो या कोई कारखाना हो, वह वसूल कर सकता है। लेकिन अगर अनुदान और

[श्री चरण सिंह]

प्रतिकर से वसूल करना चाहे तो ४ सौ रुपये के प्रतिकर और अनुदान पर तीन चौथाई की शर्त रहेगी। लेकिन जिस जिले का वह आदमी रहने वाला है वहां का मल्टीपल अगर ३२ है तो उस को १६ तो जेजाको मिल जायेगी। अगर वह किसी ऐसी जगह का रहने वाला आदमी है जहां का मल्टीपल ४० है तो कर्जा एक बटा पांच होना चाहिये और उन का प्रतिकर तथा अनुदान ४ सौ पर ले लें इस का पांच गुना कर दो हजार हो जाता है तो इसमें अभी पांच सौ बाकी रहेगा। यह सिर्फ उस रूप में है जब अनुदान और प्रतिकर के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग करना चाहे क्योंकि उसकी हैसियत तो घट गई है। जब जमींदारी की कीमत घट गयी है तो वह कैसे उस पर ढाई हजार वसूल कर सकता है। श्रीमती तारादेवी अग्रवाल ने प्रश्न किया था और जिस को मैंने अपनी इब्तदाई तक़रीर में भी साफ कर दिया था लेकिन उस को मैं फिर दोहराना चाहता हूं। बात सीधी है कि इस बिल की मंशा यह है कि किसी स्टेट पर या जिसे हम आस्थान भी कहते हैं उसके लिये भूमि व्यवस्था अधिनियम में यह कहा है कि जिस कदर जमीन की कीमत घटी है उस क़दर कर्जे में भी कमी कर दी जायेगी। जितने रुपये उस की जायदाद के हिस्से में आते हैं उस हिस्से में से इतनी कमी की जायेगी, मसलन एक कारखाना है और उसकी कीमत ५० हजार रुपये है। जिस का यह कारखाना है उस का एक गांव में खेवट भी है और उस की कीमत १५ हजार रुपये मल्टीपल हैसियत से आ जाती है तो ये दोनों मिलाकर ६५ हजार हो जाते हैं। इस ६५ हजार में मानलीजिये २६ हजार कर्जा है। डेट जो है वह सेक्योर है तो इस २६ हजार कर्जे का मतलब है कि २० हजार रुपया फैक्ट्री पर हुआ और ६ हजार रुपया खेवट पर हुआ जिसकी कीमत १५ हजार रुपये है। अब मान लीजिये इस १५ हजार के खेवट पर अनुदान और प्रतिकर दोनों मिल गये और वह ४० हजार रुपया है। तो इस ४० हजार में जो जमींदार पर कर्जा आया वह केवल ६ हजार ही आया।

अब मैं एक बात अपने माननीय मित्रों से कहना चाहता हूं। यह बात गौर करने की है। अगर कम्पेनसेशन और रिहैबिलेटेशन ग्रांट, जितना कर्जा आया है उस से ज्यादा है तो जब यह बिल ऐक्ट बन जायेगा उस के मातहत यह ६ हजार रुपया उस ४० हजार रुपये से वसूल नहीं हो सकता। वह ६ हजार में से घट गया। मान लीजिये वहां १ बटा पांच है तो वह ८ हजार हो गया। ऐसी सूरत में कर्जा जरूर घटेगा। अभी श्री महावीर सिंह जी की एक तरमीम आगे आने वाली है जिस के अनुसार १ बटा ५ कर्जा हर जगह हो जायेगा। यदि अनुदान और प्रतिकर उससे ज्यादा भी है तब भी वह कर्जा उससे पूरा वसूल नहीं होगा। वह फिर १ बटा ३ घटाया जायेगा और १ बटा ५ किया जायेगा। तो श्रीमती तारा देवी अग्रवाल ने जो प्रश्न उठाया था, उसका जवाब यह है कि जो २६ हजार का कर्जा था वह २६ हजार घटाया नहीं जा रहा है बल्कि वह ६ हजार बड़ा क्योंकि २० हजार तो फैक्टरी पर पड़ा और ६ हजार खेवट पर पड़ा। ६ हजार रुपये जो लैन्ड के जिम्मे आये थे उसमें से घटा है। अब मान लीजिये किसी खेवट पर अनुदान और प्रतिकर ८० रुपया आया और उस पर अदालत में ६ हजार रुपया कर्जा करार दिया गया तो वह उसका १/५ हो कर केवल १२ सौ ही रह जायेगा। वह वसूल भी हो सकता है। लेकिन उस को प्रतिकर और अनुदान केवल ८० रुपये ही मिले हैं तो वह ६० रुपये ही ले सकता है। तो इतनी चीज हो गई है।

यह मैं समझता हूं कि मेरी कुछ ग़लत कहने की आदत हो गई है लेकिन वह आदत किसी आधार पर है। गवर्नमेंट और उसकी पार्टी जो काम करती है वह बहुत समझदारी के साथ काम करती है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि यहां की सरकार ने जमींदारों के साथ जिस उदारता का बरताव किया वह शायद और कहीं पर नहीं हुआ। हम जो उसूल बनाते हैं वह देश के फ़ायदे के लिये ही बनाते हैं। हम भी देश का फ़ायदा चाहते हैं। वास्तव में जो अनलैंडेड प्रापरटी है उसको घटा नहीं रहे हैं। मैंने हर माननीय सदस्य के सवाल के जवाब को देने की कोशिश की। हो सकता है कि कुछ रह गया हो तो मैं उसको

आइन्दा तकरीर में जवाब देने की कोशिश करूंगा। डा० ईश्वरी प्रसाद इस समय इस सदन में मौजूद नहीं हैं वरना मैं उनकी बात का भी जवाब दे देता। उन्होंने जो बात कही वह बिलकुल निर्मूल है। यहां पर कोई कालेज और स्कूल नहीं है जहां पर गैर-जिम्मेदार लड़कों की बातें हों। यहां पर जो काम होता है वह जिम्मेदारी के साथ होता है। हम महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर बराबर चलते हैं। १५ साल के बजाय ६ साल बैक नम्बर हो जाय, मैं तो समझता हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिये कई मिसालें अंग्रेजी में दी गईं। यहां पर च्यांगकाई शेक का भी जिक्र किया गया। उन्होंने जो क़दम उठाया था वह दूसरा था। हमारे यहां लेजिस्लेचर है, कांस्टीट्यूशन है, जैसा कि डिमाक्रेसी में होना चाहिये। यहां पर इतिहास से कोई संबंध नहीं है कि किसने क्या किया है। हमारी सरकार तरक्कीयाफ्ता है और ठीक रास्ते पर चलती है। मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने विचार करने के लिए पेश किया है उस को यह सदन स्वीकार करेगा।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई०के उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड २

परिभाषायें :

२--विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में :--

(क) "देय धनराशि (amount due)" का तात्पर्य उस धनराशि से है जो, यदि यह अधिनियम पारित न होता तो, देय होती;

ऐक्ट १०, १८९७।

(ख) "केन्द्रीय सरकार" का वही अर्थ है जो जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १८९७, की धारा ३ में "सेंट्रल गवर्नमेंट" को दिया गया है;

(ग) "कोर्ट आफ वार्ड्स" का तात्पर्य यू० पी० कोर्ट आफ़ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२, के अधीन संघटित कोर्ट आफ वार्ड्स से है।

(घ) "डिक्री" का वही अर्थ है, जो उसे कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८, में दिया गया है;

ऐक्ट ५, १९०८।

(ङ) "डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होगा" का तात्पर्य ऐसी डिक्री से है जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व अथवा पश्चात् ऐसे वाद में दी गई हो जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो (a suit to which this act applies);

(च) "ऋण (debt)" का तात्पर्य किसी भी ऐसे ऋण (advance) से है जो नक़द या वस्तु के रूप में दिया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई भी ऐसा संव्यवहार (transaction) है जो वास्तव में (in Substance) ऋण के रूप में हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऊपर कहा गया कोई ऐसा ऋण (advance) जिसका १ जुलाई, १९५२ को या उसके बाद अस्तित्व हुआ हो, अथवा जो निम्नलिखित को देय हो, ऋण नहीं है--

(१) केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार;
(२) स्थानिक अधिकारी (local authorty);

(३) शेडयूल्ड बैंक;
(४) सहकारी संस्था (co-operative society), तथा
(५) वक्फ़, न्यास (trust) या निर्बन्ध (endowment) जो केवल दानोत्तर अथवा धर्मोत्तर हों।
(६) व्यक्ति, यदि ऋण उसकी ओर से कोर्ट आफ वार्ड्स द्वारा किसी संरक्षित व्यक्ति को दिया गया हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ ।

(छ) "दानोत्तर", "आस्थान", "प्रतिकर", "पुनर्वासिन अनुदान" तथा "धर्मोत्तर" का वही अर्थ है जो उन्हें क्रमशः १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम में दिया गया है और प्रतिकर के अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा २९ के अधीन देय अन्तरिम प्रतिकर भी है।

(ज) "स्थानिक अधिकारिकी" के अन्तर्गत कैन्टूनमेंट बोर्ड भी है;

(झ) "बन्धक" का अपने अनुरूप पदों सहित वही अर्थ होगा जो ट्रान्सफर आफ् प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, में "mortgage" को दिया गया है और उसके अन्तर्गत ऐसा भार भी है जिसकी परिभाषा 'charge' के रूप में उक्त ऐक्ट की धारा १०० में की गई है;

(ञ) "बन्धककर्ता (mortgagor)"—
(१) के अन्तर्गत, यदि बन्धक किसी संयुक्त हिन्दू परिवार के प्रबन्धक अथवा कर्ता के रूप में अथवा प्रतिनिधि के रूप में निष्पादित किया गया (executed) हो, तो सभी सहभागी (co-parceners) अथवा वे व्यक्ति जिनका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया गया है, भी हैं; और
(२) का तात्पर्य, यदि बन्धककर्ता के अधिकार, आगम तथा स्वत्व फ़रीक़ैन (parties) के कृत्य अथवा विधि के व्यापार (operation of law) से, दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में संक्रामित हो गये हों तो ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों से है;

(ट) किसी आस्थान में मातहतदार (under-proprietor)" "अदना मालिक (sub-proprietor), ठेकेदार अवध का पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी (permanent lessee in Avadh) या दवामी काश्तकार (permanent tenure holder) के स्वत्व के बन्धक के सम्बन्ध में "स्वामी (proprietor)" का तात्पर्य धारा ३ और ४ और अनुसूची १ में, उक्त आस्थान के, यथास्थिति, मातहतदार, अदना मालिक, ठेकेदार, पट्टेदार दवामी या इस्तमरारी या दवामी काश्तकार से है;

(ठ) "शैडयूल्ड बैंक" का वही अर्थ है जो रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया ऐक्ट, १९३४, में उसे दिया गया है;

(ड) "सुरक्षित ऋण (secured debt)" का तात्पर्य किसी आस्थान अथवा किसी आस्थान तथा दूसरी अचल सम्पत्ति के बन्धक द्वारा सुरक्षित ऋण से है;

(ढ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है;

(ण) "वाद जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है" का तात्पर्य किसी ऋण से सम्बद्ध वाद अथवा व्यवहार (suit or proceeding) से है चाहे उक्त ऋण सुरक्षित हो अथवा अन्यथा; और

(त) "संरक्षित व्यक्ति" का अर्थ वही होगा जो शब्द "वार्ड (award)" का यू० पी० कोर्ट आफ वार्ड्स ऐक्ट, १९१२, की धारा ३ की उपधारा (३) में किया गया है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। खं० ३२ के उपखंड (ङ) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (ङङ) बढ़ा दिया जाय :—

(ङङ) "पुनर्वासिन अनुदान" का तात्पर्य किसी ऐसे पुनर्वासिन अनुदान से है जो १९५० के उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार २५० रुपये से अधिक सालाना मालगुज़ारी देने वाले ज़मींदारों को दिया गया हो।"

हम यह चाहते हैं कि खंड दो निकाल दिया जाय। इसके निकाल देने से मतलब साफ हो जायगा। मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री चरणसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैं अभी अर्ज़ कर चुका हूं कि मैं तक़रीबन सारी बातें ही इस सिलसिले में कह चुका हूं, लेकिन एक बात कहने से रह गई है। अच्छा हुआ कि इस संशोधन के जवाब में उसको कहने का मौका मुझे मिल गया और वह यह है कि जो छोटे मध्यवर्ती हैं उनके पास सीर और खुदकाश्त ज्यादा है और बड़े मध्यवर्ती के पास सीर और खुदकाश्त अपेक्षतया पूरी है और छोटों के पास अपेक्षतया ज्यादा है और जितना ही सीर और खुदकाश्त ज्यादा है उतना ही प्रतिकर और अनुदान उनको कम मिलेगा। तो जितना प्रतिकर मिला, उससे उनका कर्ज़ा बेबाक हो जायेगा। जैसे कि कोई ६० बीघे का मालिक है और ५९ बीघे का मुआविजा मिला तो फिर आपको क्या मिला, आपको तो कोई मुआविजा नहीं मिला और ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिय वह रकम ज्यादा हो जाती है और जो अनुदान है वह भी केवल अनुमान की ही बात है, कुल कितन आंकड़े बैठेंगे यह कहना भी मुश्किल है, लेकिन आदमी जितना छोटा है उतना ही उसको प्रतिकर कम मिलेगा, लिहाजा उसका क़र्ज़ा उतना ही माफ़ है। इसलिये कोई अन्देशा नहीं है। फिर मैं अर्ज़ करता हूं कि वह चीज खंड ८ (२) में दी हुई है और किसी चीज से वसूल हो ही नहीं सकेगी। मान लिया जाय कि ६० बीघा है और वह सारी जमीन सिक्योर्ड है और मान लिया जाय कि किसी ऐसे बेवकूफ साहूकार ने ६ हजार का कर्जा दिया या ६ हजार की डिक्री हुई और वह १२ सौ की रह गई या मान लिया जाय कि ३० हजार की डिक्री हुई और वह ६ हजार रह गई तो उससे हम क्या लगायें। जो ६ हजार का भूमिधर हुआ सिर्फ पुनर्वास अनुदान या प्रतिकर ही ले सकता है। पहले तो यह था कि वह ६० बीघा का नीलाम कर सकता था, लेकिन अब वह उसका नीलाम नहीं कर सकता है। सिर्फ उसको अनुदान या प्रतिकर ही मिलता है, उससे ही वह काट सकता है। क्योंकि ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट की जो दफा ७३ है, उसके मुताबिक उसको राइट्स हैं कि वह क़र्ज़ा ले सकता है

[श्री चरण सिंह]

और जो मुआविजा मिले या उसका जो पुनर्वास अनुदान या प्रतिकर मिले तो उससे ही उस कर्ज की अदायगी हो सकती है। अब मान लिया जाय कि उसको एक रुपया मिला, १० मिला या १०० मिला या जितना भी मिला, वह उसे ले सकता है। जमीन जो पहले नीलाम हो जाती थी, तो आज जमीन का नीलाम नहीं हो सकता है क्योंकि वह भूमिधर हो गया है और उसका मुआविजा ही वह ले सकता है। मगर इसमें रिहैबिलिटेशन का प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसके डिटेल की तीन-चार चीजें हैं। एक आदमी का अधिकार होता है हस्तान्तरण करने का, जमीन का इस्तेमाल करने का, या इस्तेमाल न करने का या बुरी तरह से इस्तेमाल करने का। यह चार प्रोपराइटरशिप की किस्में हैं, यानी सदुपयोग, दुरुपयोग, अनुपयोग और हस्तान्तरण। दुरुपयोग इस रूप में हो सकता है कि जमीन को लीज पर उठाना और सदुपयोग के रूप में यह आता है कि सेल्फ कल्टीवेशन जो करता है वह सदुपयोग होता है। सदुपयोग एग्रीकल्चर के लिये ही नहीं बल्कि नान एग्रीकल्चरल परपज के लिये भी कर सकता है। इसका अधिकार उसको पहले से ही रहा है।

जमींदार नहीं हो सकता है तो जमींदार और भूमिधर में यह फर्क है। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब जमींदार और भूमिधर में कोई फर्क नहीं है, वही लैंड लार्डिज्म है, लेकिन वह अब लैंडलार्ड नहीं है बल्कि लैंड ओनर हैं और पहले जब कि जमींदारी खत्म नहीं हुई थी तो उनकी जमींन नीलाम हो जाती थी, आज जमींदारी ख़त्म हो गई है। जमींन उसके ही पास रहेगी और वह भूमिधर कहलाने लगे और पुनर्वास अनुदान जो ३/४ मिला तो वही वह ले सकता है और जमींन को नहीं ले सकता है। तो इस नुक्ते निगाह से अगर देखा जाय तो कोई नुक़सान नहीं हो रहा है, उल्टे लाभ ही हो रहा है और इतना फायदा हो रहा है जितना हम सोचते हैं कि हमारे और आपके जेहन में नहीं है। इसलिये इसके बाद यह बिल्कुल अनावश्यक है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो राय ज़ाहिर की, उससे यह मालूम होता है कि छोटे जमींदारों का इससे फायदा होगा, तो जहां तक फायदे का सवाल है, तो यह तो हम पहले से ही इस बात को समझ कर इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और चूंकि इससे छोटे जमींदारों का भी फायदा होने वाला है....

श्री चरणसिंह—मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपको और आपके मित्रों को यह बात मालूम है कि वह जमींन नीलाम हो जायेगी। मगर मैं आपको एक नई बात बतलाना चाहता हूं और वह यह है कि उसकी जमींन नीलाम नहीं होती है। जब इस तरह से हो जायेगा तो उसको क्या नुक़सान होगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि किसी खास हद तक लोगों को पूरी जमीन हम देना चाहते हैं। चूंकि हमारे मंत्री महोदय की वैसी राय है तो उस राय का क्या किया जाय। अपनी राय रखने का हक सबको है और मैं समझता हूं कि मंत्री जी ने अपनी राय दी है और उन्होंने जो बात कही है यदि उसका जवाब दिया जाय तो उसके लिये एक बड़ी तक़रीर देनी पड़ती है। मैं इस समय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं और मंत्री जी से ही क्या, बल्कि सदन के सामने यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो इससे छोटे जमींदारों को बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाये। तो यह बात सिर्फ छोटे जमींदारों की भलाई के लिये ही होगी और इस बात का ख्याल रखते हुए मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिल्कुल वाजिब है और मंत्री जी को इसको मान लेना चाहिये।

श्री चरणसिंह—मुझे अफसोस है और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मेरे न मानने से वे नाराज़ न हो जायें।

डिप्टी चेयरमैन——प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (ङ) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (ङङ) बढ़ा दिया जाय :—

(ङङ) "पुनर्वासन अनुदान" का तात्पर्य किसी ऐसे पुनर्वासन अनुदान से है जो १९५० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार २५० रुपये से अधिक सालाना मालगुजारी देने वाले जमींदारों को दिया गया हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जमीलुर्रहमान किदवई (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)——

Sir, I beg to move that in sub-clause (*f*) lines 3 and 4 of clause 2 the words "an advance" be substituted *for* the words 'and advanced."

श्री चरणसिंह——मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन——The question is that in sub-clause (*f*) lines 3 and 4 of clause 2 the words "an advance" be substituted *for* the words "and advanced".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर महावीर सिंह——उपाध्यक्ष जी, आपकी इजाजत से मैं श्री ज्योति प्रसाद जी के प्रस्ताव को पेश करना चाहता हूं।

Sir, I beg to move that in sub-clause (*f*) (v) of clause 2 the word "purposes" be replaced by "purpose".

श्री चरणसिंह——मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन——The question is that in sub-clause (*f*) (v(of clause 2 *for* the word "purposes" the word "purpose" be substituted.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन——प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

डिक्री देते समय ऋण का कम करना।

३——(१) किसी विधि अथवा अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख्य (document) में किसी बात के होते हुए भी सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध किसी ऐसे वाद में जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता है, न्यायालय, देय धनराशि के अवधारित होने पर, किन्तु डिक्री देने से पूर्व यहां पर आगे लिखे के अनुसार कार्यवाही करेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति (mortgaged property) में केवल आस्थान ही हो और उक्त आस्थान १९५० ई० उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो न्यायालय,

(क) यदि एक ही बन्धककर्ता हो, जो ३० जून, १९५२ ई० को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था, अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र (formula) के अनुसार देय धनराशि को कम कर देगा;

(ख) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों, और उनमें से सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ ई० को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी थे तो

(१) यदि बन्धक पत्र (mortgage deed) में ऋण के लिए उनका अपना-अपना उत्तरदायित्व निर्दिष्ट किया गया है, उनके अपने दायित्व के अनुपात में (in the ratio of their liability) देय धनराशि को उक्त प्रकार के अधिकारी बन्धककर्ताओं में विभाजित कर देगा, अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अपने-अपने अंशों के अनुपात में; और

(२) देय धनराशि के उक्त प्रकार विभाजित होने के बाद प्रत्येक बन्धक कर्ता के लिये विभाजित धनराशि को अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार कम कर देगा।

(३) जब बन्धक की गई सम्पत्ति अंशतः उक्त प्रकार का आस्थान हो और अंशतः उक्त प्रकार के आस्थान से भिन्न दूसरी सम्पत्ति हो, तो न्यायालय दोनों सम्पत्तियों पर देय धनराशि को ट्रांसफर आफ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२ की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग-अलग विभाजित करेगा, मानों वे सम्पत्तियां दो ऐसे विभिन्न व्यक्तियों की थीं जिनका पृथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार रहा हो और—

(क) देय धनराशि के उक्त प्रकार से विभाजित होने के पश्चात् निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—

(१) यदि केवल एक ही बन्धककर्ता था जो ३० जून, १९५२ को उक्त आस्थान के स्वामी के रूप में अधिकारी था तो उपधारा (२) के खंड (क) में लिखी रीति के अनुसार आस्थान द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा मानों वह उक्त आस्थान पर भारित (charged) ऋण हो, तथा

(२) यदि दो या अधिक बन्धककर्ता हों और उनमें से सभी या एक से अधिक बन्धक किये हुये आस्थान के ३० जून, १९५२, को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो यदि बन्धक पत्र में उनका अपना-अपना उत्तर-दायित्व निर्दिष्ट हो तो उनके दायित्व के अनुपात में आस्थान द्वारा देय धनराशि को बन्धककर्ताओं में विभाजित कर देगा अन्यथा उक्त आस्थान में उनके अंशों के अनुपात में; और

(ख) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो न्यायालय अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धक कर्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

श्री कुंवर महावीर सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (१) में शब्द "किन्तु" निकाल दिया जाय और आगे लिखे शब्दों के पहिले शब्द "यहां पर" और पीछे शब्द "के" निकाल दिये जायें।

श्री चरण सिंह—मैं चाहता हूं कि शब्द "किन्तु" रहे और अलफाज "यहां पर" और "के" निकाल दिये जायें।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में से शब्द "यहां पर" और "के" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर महावीर सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड २ (ख) १ में शब्द "उक्त प्रकार के अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उन अधिकृत" रख दिये जायं।

श्री चरणसिंह--मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड २ (ख) १ में शब्द "उक्त प्रकार के अधिकारी" के स्थान पर शब्द "उन अधिकृत" रख दिये जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर महावीर सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड २ (ख) में शब्द "बाद" के स्थान में शब्द "पश्चात्" रखा जाये।

श्री चरणसिंह--मुझे स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड २ (ख) में शब्द "बाद" के स्थान में शब्द "पश्चात्" रखा जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभु नारायण सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (३) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (४) बढ़ा दिया जाये।

(४) यदि बंधक दी गई संपत्ति में बंधककर्ता (martgagee) व उसके कुटुम्ब का स्थायी निवास (permanent residence) भी सम्मिलित हो तो न्यायालय उक्त निवासस्थान को किसी भी अन्य विधि के रहते हुये भी ऋण के देय धनराशि व डिक्री के अभिप्राय से मुक्त कर देगा।

इस संशोधन के लाने का मतलब यह है कि जमींदार का परमानेंट रेजीडेंस जो उसका निवासस्थान है वह कम से कम डिक्री से मुक्त होना चाहिये। इस सिलसिले में केवल यह बात कहना है कि सरकार तो बड़ी न्यायप्रिय है और खासतौर से जमींदारों के साथ बड़ी हमदर्दी रखती है इसलिए मैं आशा करता हूं कि कम से कम जो जमींदारों के परमानेंट निवासस्थान हैं वह तो उनके लिये छोड़ देगी। यह बात सही है कि देहात में एग्रीकल्चरल रिलीफ़ ऐक्ट के मुताबिक़ जो खेत के मकान होंगे वह जरूर छूट जायेंगे लेकिन यह हो सकता है कि कोई आदमी वहां पर न रह कर किसी ऐसी जगह पर रहता हो, जहां खेत न हों।

श्री चरणसिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधन तो जो कुछ है वह तो है ही, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरे मित्र वकालत और पैरवी भी करते जाते हैं और साथ ही साथ उलाहना भी देते हैं। जमींदारों के साथ मुझे हमदर्दी है इसमें शक नहीं, आज कुंवर गुरु नारायण जी इसको मानें या न मानें। खैर, इसमें ग़लतफहमी हुई। इस संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। दफा सात जाब्ता दीवानी के मातहत उसका रहायसी मकान और मकानात जो कि किसान के कब्जे में बहैसियत काश्त हों वह पहले से भी कुर्क नहीं हो सकते। सन् १९४६ ई० में जब गवर्नमेंट आई उस समय मैं दीवानी की वकालत करता था। मैंने देखा कि साहूकार किसान के मकान को आड़ करा लिया करता था, मारगेज करा लिया करता था, क्योंकि सेक्शन ६० में सादे कर्ज की डिक्री की इजराही में ही

[श्री चरण सिंह]

वह मुस्तसना हो सकता था। और सेक्शन साठ में यह लिखा है कि अटैचमेंट से बरी होगा। लेकिन आज मारगेज की डिगरी होती है उसमें अटैचमेंट नहीं होता। उसमें एकदम सेल होता है। लिहाजा साहूकारों ने यह तरकीब की कि उन्होंने किसानों के मकानों को मारगेज करा लिया। सेक्शन ८ का मंशा जो फायदा देने का था उससे वह लोग महरूम हो गए। इसलिये हमने सन् १९४७ में यह तहरीक की कि अगर मकान उसका मारगेज भी हो जाये तब भी उसका सेल नहीं हो सकता। लिहाजा हमने यह अमेंडमेंट कर दिया कि रहायश के मकानों के अलावा भी जिन मकानों की उसको बहैसियत किसान के जरूरत पड़ती है मसलन जहां वह चारा रखता है या अपने जानवरों को बांधता है वह भी मुस्तसना पहले से थे और अब आड़े कब्जे में मुस्तस्ना होंगे। और यही नहीं, अगर शहर के अन्दर भी वह किसान रहता है तो वहां भी मुस्तसना रहे। फिर कौन सा मकान रहे। आप चाहते हैं कि जो खेती नहीं करते हैं वे मुस्तसना रहें। मैं समझता हूं कि यह इसकी मंशा है। फिर सवाल यह है कि वह खेती नहीं करता है तो उसको मुस्तसना नहीं होना चाहिये।

श्री प्रभु नारायण सिंह—स्थाई इससे निकल जाता है।

श्री चरणसिंह—यह भी नहीं है कि सौ फीसदी खेती करते हों बल्कि यह है कि वह अधिकतर खेती करता हो।

श्री प्रभु नारायण सिंह—जो सजेशन माननीय मंत्री जी ने दिया है, उससे मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

डिप्टी चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४ व ५

डिक्री देने के पश्चात् ऋण न्यून करने का अधिकार।

४—(१) कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर, १९०८ या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी कोई भी न्यायालय, जिसने सुरक्षित ऋण से सम्बद्ध डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होगा, दी हो, डिक्रीदार (decree-holder) अथवा वाद-ऋणी (judgement-debtor) द्वारा प्रार्थना-पत्र दिये जाने पर आगे बताई हुई रीति के अनुसार कार्यवाही करेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

(२) यदि बन्धक की गई सम्पत्ति जो डिक्री द्वारा भारित हो (charged under the decree), केवल आस्थान ही हो और उस आस्थान को १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन हस्तगत कर लिया गया हो तो, न्यायालय—

(क) यदि केवल एक ही ऐसा वाद-ऋणी हो जिसे आस्थान के स्वामी होने का अधिकार प्राप्त हो, १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा और तब उसे अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार कम कर देगा;

(ख) यदि दो या दो से अधिक वाद-ऋणी हों जिनमें सभी या एक से अधिक ३० जून, १९५२ को बन्धक किये गये आस्थान के स्वामी होने का अधिकार रखते थे;

(i) १ जुलाई, १९५२ को देय धनराशि का हिसाब लगायेगा;

(ii) उक्त प्रकार अधिकार रखने वाले वाद-ऋणियों के बीच धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना-अपना दायित्व निर्दिष्ट हो, उनके दायित्व के अनुपात से अन्यथा उक्त आस्थान में क्रमशः उनके अंशों के अनुपात से विभाजित करेगा, तथा,

(iii) जब देय धनराशि उक्त प्रकार से विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार प्रत्येक वाद-ऋणी के लिये धनराशि को कम कर देगा।

(३) यदि डिक्री द्वारा भारित सम्पत्ति अंशतः आस्थान हो और अंशतः आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति हो तो न्यायालय,

(क) १ जुलाई, १९५२, को देय धनराशि अवधारित करेगा और उसको ट्रांसफर आफ़ प्रापर्टी ऐक्ट, १८८२, की धारा ८२ में उल्लिखित सिद्धान्तों के अनुसार अलग-अलग दोनों सम्पत्तियों पर विभाजित करेगा मानों कि डिक्री ऋण हो और वह दो सम्पत्तियां ऐसे दो व्यक्तियों की हों जिनका पृथक तथा भिन्न स्वत्वाधिकार हो, तथा

(ख) आस्थान के सम्बन्ध में देय धनराशि का हिसाब लगाये जाने के पश्चात् न्यायालय निम्नलिखित कार्यवाही करेगा—

(i) यदि एक ही वाद-ऋणी हो जो उक्त आस्थान का ३० जून, १९५२, को स्वामी के रूप में अधिकारी था तो अनुसूची १ में दिये हुये सूत्र के अनुसार उसे कम कर देगा,

(ii) यदि दो या अधिक वाद-ऋणी हों और उनमें से सब को या एक से अधिक उक्त आस्थान के ३० जून, १९५२, को स्वामी के रूप में अधिकारी रहे हों तो उनके बीच देय धनराशि को, यदि डिक्री में उनका अपना अपना दायित्व निर्दिष्ट हो तो, उनके दायित्व के अनुपात में उस प्रकार विभाजित करेगा अन्यथा उनके अपने अपने अंशों के अनुसार, तथा

(iii) जब देय धनराशि इस प्रकार विभाजित हो जाय तो अनुसूची १ में दिये हुए सूत्र के अनुसार प्रत्येक बन्धककर्ता द्वारा देय धनराशि को कम कर देगा।

बन्धककर्ता अथवा वाद ऋणी को अलग-अलग इकाई समझा जायगा।

५—धारा ३ तथा ४ के प्रयोजनों के निमित्त प्रत्येक बन्धककर्ता अथवा वाद-ऋणी जिसका इन धाराओं के अनुसार आस्थान पर अधिकार रहा हो, पृथक्-पृथक् इकाई (unit) समझा जायगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि संयुक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति की दशा में कोई भी पिता पुंजातीय वंशानुक्रम में पुसंतति (male lineal descendants in the male line of descent) सहित, जहां तक संयुक्त सम्पत्ति का सम्बन्ध है, यदि पिता १ जुलाई, १९५२ को जीवित था, एक इकाई समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—८ अगस्त, १९४६ को या इसके बाद कोई बटवारा होने पर भी, परिवार संयुक्त समझा जायगा।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ व ५ बिल के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

कम किये गये धनराशि के लिए डिक्री।

६—(१) देय धनराशि के धारा ३ के अधीन कम हो जाने पर, न्यायालय निम्नलिखित की डिक्री देगा—

(क) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (क) के अधीन मामलों (cases) में इस प्रकार कम की गयी धनराशि के लिए,

(ख) उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिये, जो उसके अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए कम की गयी धनराशियों के जोड़ (aggregate) के बराबर हो,

(ग) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) के उपखंड (१) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिए जो, आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन कम की गयी धनराशि के जोड़ के बराबर हो, तथा

(घ) उक्त उपधारा के खंड (क) के उपखंड (२) के अधीन मामलों में ऐसी धनराशि के लिए जो आस्थान से भिन्न अन्य सम्पत्ति पर देय धनराशि तथा उक्त उपखंड के अधीन प्रत्येक बन्धककर्ता के लिए कम की गयी समस्त (aggregate) धनराशि के जोड़ के बराबर हो,

(२) उपधारा (१) के खंड (ग) और (घ) के अनुसार तैयार की गयी डिक्री में, बन्धक किये गये आस्थानों के सम्बन्ध में प्रत्येक बन्धककर्ता के विषय में कम की गयी धनराशि भी अलग-अलग दिखायी जायगी।

श्री कुंवर महावीर सिंह—Sir, I beg to move that in sub-clause (2) of clause 6 "(b)" be substituted for "(c)" occurring between the words "clauses" and "and (d)".

श्री चरणसिंह—जो छपाई की गलती है, उसको मैं स्वीकार करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in subclause (2) of clause 6 "(b)" be substituted for "(c)" occurring between the words "clauses" and "and (d)."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ६ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

डिक्री की अदायगी।

७—जब धारा ४ के उपबन्धों के अधीन और उसके अनुसार देय धनराशि कम कर दी जाय तो इस प्रकार कम की गयी डिक्री के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि सभी प्रयोजनों और अवसरों के लिए उसके कम किये हुए अंश का यथावत् भुगतान हो चुका है।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ७ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ८

प्रतिकर की धनराशि तथा पुनर्वासन अनुदान से ऋण वसूल किया जाना।

८--(१) किसी अनुबन्ध लेख्य अथवा समय विशेष पर प्रचलित विधि में (agreement document or law for the time being in force) कोई बात होते हुए भी किन्तु उपधारा (२) के उपबन्धों के अधीन सुरक्षित ऋण के सम्बन्ध में किसी ऐसे वाद में दी गयी डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त होता हो।

(क) जहां तक बन्धक किये गये आस्थान के प्रतिकर का सम्बन्ध है, उक्त प्रतिकर की धनराशि की तीन-चौथाई तक ही निष्पादित (execute) हो सकेगी, तथा

(ख) उक्त डिक्री या समय विशेष पर प्रचलित किसी विधि के अधीन डिक्रीदार को प्राप्त प्रत्येक अन्य साधन के अतिरिक्त और उन पर विपरीत प्रभाव डाले बिना, बन्धक किये हुए आस्थान के सम्बन्ध में देय पुनर्वासन अनुदान के विरुद्ध भी अनुदान के तीन चौथाई भाग तक निष्पादित की जा सकेगी।

(२) किसी विधि में किसी बात के रहते हुए भी बन्धक किये हुए आस्थानों के सम्बन्ध में धारा ३ या ४ के अधीन यथास्थिति बन्धककर्ता या वाद-ऋणी के विषय में कम की गयी धनराशि ऐसे आस्थानों के सम्बन्ध में ऐसे बन्धककर्ता या वाद ऋणी को देय प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान में से ही विधिपूर्वक वसूल की जा सकेगी अन्यथा नहीं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (१) के भाग (क) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :--

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे नीचे मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के प्रतिकर का १/४ ही इस सम्बन्ध में निष्पादित हो सकेगा।"

यह संशोधन जो मैंने रखा है, इसका मतलब यह है कि जो ढाई सौ रुपये तक मालगुजारी देते हैं उनके प्रतिकर की रक़म जो होगी उसका १/४ कर्ज के रूप में लिया जा सकेगा। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के सिलसिले में यह कहा कि ऐसी हालत बहुत ही कम होगी जिसमें छोटे जमींदारों के कोई विशेष नुक़सान की बात हो इससे तो उन्हें बहुत ही लाभ होगा। जहां तक लाभ की बात है, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। लेकिन केवल इतना चाहता हूं कि उनको पूरा-पूरा लाभ अपने संशोधन के जरिये दिलाऊं। हमारी अपनी राय है। जिस समय जमींदारी अबालीशन कमेटी की बैठक चल रही थी, उस वक्त जो हमने राय जाहिर की उसका मतलब हर समय कहा था कि छोटे-छोटे जमींदारों को अधिक से अधिक रक़म पुनर्वासन के रूप में मिले जिससे वह अपनी जिन्दगी को ठीक तरह से चला सकें। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि छोटे जमींदारों की जो प्रतिकर की रक़म है वह भी एक तरह से उनके लिये पुनर्वासन की रक़म समझी जानी चाहिये। अपनी व्यवस्था करने के लिये जो रक़म पुनर्वासन के नाम से मिलेगी वह इतनी काफ़ी नहीं होगी जितनी वह समझी जाती है। इसी के साथ-साथ सवाल यह उठता है कि आखिर न्याय का प्रश्न उठाया जाता है न्याय की जहां तक बात है वह अपनी जगह पर है। न्याय एक ऐसी वस्तु है जिससे कह देने के बाद फिर कोई बात कहने को नहीं रह जाती है।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

लेकिन हम तो इस वक्त यह न्याय समझते हैं कि मुल्क की बहबूदी को ध्यान में रखते हुये जो भी कार्य किया जाय, उसी को हम न्याय समझते हैं और हम इस बात को समझते हैं कि उत्पादन के कार्यों में जो यह छोटे जमींदार आज काश्तकार के रूप में लगे हुये हैं और जो मेहनत करके आज देश का धन बढ़ा रहे हैं, उनको जितनी भी सहूलियत दी जा सके, दी जाय। हमारे पास आंकड़े नहीं हैं कि हम बता सकें कि छोटे जमींदारों पर कितना क़र्ज़ है लेकिन इसके साथ-साथ हम इस बात को महसूस करते हैं कि देहातों में उन्होंने ही कर्ज़ा दिया है, जो खेतिहर हैं। इस बात को मंत्री जी ने कहा है लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। यह चीज कुछ स्थानों पर हो सकती है लेकिन मैंने इस बात को भी देखा है कि खेती का काम करते हुये भी वह बड़ा मनी-लेंडिंग का काम करते हैं और १४ रुपया देकर २० रुपया तक कमाते हैं। ऐसी हालत में हम इस बात को महसूस करते हैं कि यदि रुपया आज उनके पास अधिक है, साहूकारों की बात छोड़ भी दीजिये, यदि दूसरों की बात है जिनसे मुल्क की खेती में उन्नति हो सकती है तो उनको इस तरह की राहत मिलनी चाहिये जिससे मुल्क की दौलत बढ़ सके।

हमारी सरकार का नुक्तेनजर जो भी हो, लेकिन अभी मंत्री जी ने कहा कि उन्हें हर वर्ग के साथ न्याय करना है, उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने जितनी अक्लमंदी बरती, उतनी किसी ने नहीं बरती। हर सूबे का उन्होंने मुकाबिला किया तो जब अक्लमंदों अक्लमंदों में मुकाबिला है तो फिर किसको ज्यादा अक्लमन्द कहा जाय और किसको कम कहा जाय, लेकिन हम इस बात को समझते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया उससे हमारे सूबे की बहबूदी नहीं हुई है, हमारे सूबे की उन्नति नहीं हुई है। इस बात का इजहार हमने सैकड़ों मौक़े पर और हर तरह से किया है, लेकिन यह दूसरी बात है कि उसकी सुनवाई हो या न हो, लेकिन हम फिर भी यह कहना चाहते हैं कि उत्पादन के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिये यह जरूरी है कि छोटे जमींदारों को आज राहत मिले। उसके सिलसिले में जो मैंने मांग रखी है कि २५० रुपये या इससे कम मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के पुनर्वासन अनुदान की रक़म से कोई विधि-पूर्वक वसूली न की जाय। इसको माना जाय। अगर यह भी हमारी सरकार नहीं मानती है, तो फिर कोई रास्ता नहीं है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे बताये रास्ते पर आप चलते तो मुल्क को अच्छी तरह उठा पाते। इसलिये आज मुल्क की बहबूदी के लिये यह जरूरी है कि जो उत्पादन करने वाले हैं उन्हें अधिक से अधिक सहायता पहुंचाई जाय जिससे मुल्क का अनाज और दौलत बढ़ सके।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कि अभी हमारे मित्र प्रभु नारायण सिंह जी ने रखा है जिसके द्वारा उन्होंने मांग की है कि एक बटा चार ही केवल काटा जाय कम्पेनसेशन से, क़र्ज की अदायगी में, न कि ३/४, और ३/४ जमींदार के लिये बच जाय तो उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमान, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब यह संशोधन हमारे समाजवादी भाइयों की तरफ से आया। मुझको तो यह विश्वास भी हो गया कि वाक़ई आप लोग समाजवादी हैं। और उस पर पूरे तौर से विश्वास रखते हैं। मार्क्स का सिद्धांत था कि जो देश की वेल्थ है चाहे वह इंडस्ट्रियल हो या ऐग्रीकल्चरल हो वह कुछ लोगों के पास न एकत्रित होने पावे और अगर वह कुछ लोगों के पास एकत्रित हो जाती है तो वह वर्किंग क्लास के लिये मिनास (menace) साबित होती है इसके साथ ही साथ जब उन लोगों से वह दौलत ले ली जाये तो वह लोग भी कामन पीपुल में गिने जाने चाहिये और फिर उन लोगों को भी वही सहूलियतें मिलने लगती हैं जो कि कामन पीपुल को मिलनी चाहिये। ऐसी हालत में जो आपने यह संशोधन रक्खा है तो वह आपने अपने सिद्धांतों के मुताबिक ही रक्खा है। अब जब कि जमींदारों से जमींदारी ले ली गई उनकी वेल्थ

उनके पास से चली गई तो फिर अब हमको उनके साथ वही व्यवहार करना चाहिये जो कि कामन पोपुल यानी प्रोलोटेरियट (Prolitariat) के साथ होता है। ऐसी हालत में आपने इस संशोधन को सोशलइज्म के बसूलों के मुताबिक ही रक्खा है। इससे हम समझते हैं कि आपने यह समझकर कि जमींदारों की हालत क्या है और वह अब कामन पीपुल में आ गये हैं और अब उनकी हालत वह नहीं है जो पहिले थी इसीलिये आपने इसको रक्खा है। आपका यह जो विचार है मैं उसको सराहना करता हूं और मुझे बहुत खुशी हुई कि इन भावनाओं से प्रेरित होकर आपने इसको रक्खा है। अब जहां तक हमारी कांग्रेस हुकूमत की बात है तो वह भी कहते हैं कि वह भी सोशलइज्म में विश्वास करते हैं। ऐसी हालत में वह मार्क्स की आइडिआलोजी को भी मानते हैं तो कोई वजह नहीं है कि आप इस संशोधन को स्वीकार न करें। अगर आप इसको नहीं स्वीकार करते हैं, जिस भावना से प्रेरित होकर जिसे हमारे समाजवादी भाइयों ने इस संशोधन को रक्खा है, तब तो फिर मैं यह कहूंगा कि न तो आप सोशलइज्म में विश्वास करते हैं न कम्युनिज्म में विश्वास करते हैं। बल्कि आप विंडिक्टिवइज्म (vindictivism) में विश्वास करते हैं। ऐसी हालत में यह जो संशोधन है वह बहुत ही उचित है उसमें कोई आपत्ति कम से कम इस विचारधारा के मानने वाले को हो ही नहीं सकती। आशा है कि सरकार इसको मंजूर करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक कभी-कभी मुझको यह ख्याल हो जाता था श्री राजा राम शास्त्री और श्री प्रभु नारायण जी को देख कर कि शायद ये लोग सोशलइज्म में कुछ विश्वास रखते हैं। लेकिन कुंवर गुरु नारायण जी की बात सुनकर मुझे कुछ शक पैदा होने लगा है कि आया मेरा ख्याल कहां तक सही था। खैर, यह दूसरी बात है कि उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा था और कहां तक उनको मंजूर था या नहीं था। यह जो संशोधन पेश किया गया, इसके बारे में मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं और अब कोई नयी बात नहीं है केवल एक पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि २० रुपया कर्जा है तो ४ रुपया ही उसका १/५ होगा और फिर इस ४ में से एक रुपया वसूल नहीं हो सकता क्योंकि २५ फ़ीसदी इसमें से छोड़ना है तो २० रुपये में केवल ३ रुपये ही वसूल हो सकते हैं। अब आप कहते हैं कि १/४ कर्जा वसूल किया जाय। यह कहां तक न्यायसंगत बात है इसको स्वयं संशोधन पेश करने वाले की न्याय बुद्धि पर मैं छोड़ देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो पहले कर्जे की वसूलयाबी होती थी तो उसमें जायदाद नीलाम होती थी, लेकिन अब जायदाद नीलाम नहीं होगी। केवल जो मुआविजे की बात है, उसके ३/४ के वसूल करने की बात कही गई है। जिस बिना पर मैंने पहले विरोध किया था उसी बिना पर मैं इसका विरोध करता हूं।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ८ के उपखंड (१) के भाग (क) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय --

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे नीचे मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के प्रतिकर का १/४ ही इस संबंध में निष्पादित हो सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं। खंड ८ के उपखंड (१) (ख) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जाय :—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे कम मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों का पुनर्वासन अनुदान इस कार्य के लिये निष्पादित नहीं हो सकेगा"।

इस संबंध में मैं इस सदन में काफी बातें कह चुका हूं।

श्री चरणसिंह—प्वाइंट आफ आर्डर सर, जो मंशा श्री प्रभुनारायण जी की पहले संशोधन से थी वही इस संशोधन से है यानी २५० रुपये से कम मालगुजारी देने वालों को जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट दी जाय, वह रिहैबिलिटेशन ग्रांट न समझी जाये, उसी को उन्होंने यहां पर दूसरे शब्दों में रखा है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन पेश किया है वह बिलकुल ही दूसरी चीज है। पहले संशोधन में सिर्फ डेफिनीशन की बात कही गई और इसमें क्लाज में संशोधन के लिये कहा गया है। एक में तो डेफिनीशन और दूसरे में संशोधन की बात कहना बिलकुल अलग सी बात है। मैंने अपनी पहली स्पीच में बहुत कम कहा। अगर मैंने पहले कुछ कहा होता तो शायद मंत्री जी का हृदय परिवर्तित हो सकता था।

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो तर्क पहले था वही हू-बहू इसमें भी है। उसको यहां पर दूसरे शब्दों में बदल कर रखा गया है।

डिप्टी चेयरमैन—इसी तरह का संशोधन पहले अस्वीकार हो चुका है इसलिये मैं अब इसकी अनुमति नहीं देता हूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ८ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध बढ़ा दिया जायः—

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे कम मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के पुनर्वासन अनुदान की रक़म से कोई विधिपूर्वक वसूली नहीं की जा सकेगी।"

श्री चरण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, पहले संशोधन में यह था कि निष्पादित नहीं की जा सकेगी और अब यह है कि वसूली नहीं की जा सकेगी दोनों का एक ही मतलब है और इसमें और उसमें कोई भेद नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो हमारे ऊपर बाइंडिंग हो गई है लेकिन मैं यह समझता हूं कि यहां पर जो संशोधन रक्खा गया है वह अपनी जगह पर बिल्कुल वाजिब है। अब चूंकि संशोधन पर कहीं पर डिस्कशन नहीं हो सकता तो ऐसी बात नहीं है। संशोधन ऐसी सूरत में रूल आउट करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अभी तक तो जहां संशोधन का सवाल है तो जो विधेयक की क्लाज २ है उसके विश्लेषण करने की बात है और उसको डेफिनीशन इसमें दी गई है। दूसरे इस संशोधन में यह है कि २५० रुपये से अधिक मालगुजारी देने वाले जो मालगुजार हैं उनको इस डेट बिल से बिलकुल अलग कर दिया जाय। और पुनर्वास अनुदान की डेफिनीशन के बाद ही यह संशोधन दिया गया है। अगर संशोधन में कोई बात ऐसी हो कि जो डेफिनिशन में रह गई हो तो क्या इसके माने यह हैं कि इसके लिये संशोधन आना ही नहीं चाहिये था। आप चीज को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मैं समझता हूं कि जो खंड २ है वह डेफिनीशन की क्लाज है और दूसरी जगह वह अमेंडमेंट की शक्ल में आया है।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मेरे दोस्त ने दलील दी कि परिभाषा में यह रक्खा रहे और यह संशोधन की परिभाषा में भी रक्खा रहे कि २५० रुपये से अधिक मालगुजारी देने वाले जमींदारों का रिहैबिलिटेशन ग्रांट नहीं माना जायेगा तो इसका जिक्र तो क्लाज ८ में आता है। इसकी मंशा तो यह हुई कि २५० रुपये से कम की हालत में रिहैबिलिटेशन ग्रांट न हो तो फिर इसमें कोई फर्क नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो दलील आपने यहां दी है वही वहां भी दी है। सबसे पहली बात तो यह है कि आर्ग्यूमेंट्स कैसे ऐडवांस किये जा सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप गौर फरमायें तो जो संशोधन आपने अभी ओवर रूल किया है उसमें भी यही बात है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे नीचे

मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के प्रतिकर का १/४ ही इस संबंध में निष्पादित हो सकेगा।" और यहां यह कहते हैं कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि २५० रुपये या इससे कम मालगुजारी देने वाले भूतपूर्व जमींदारों के पुनर्वासन अनुदान की रक़म से कोई विधिपूर्वक वसूली नहीं की जा सकेगी।"

एक में यह चाहते हैं कि एक्जीक्यूट नहीं किया जायेगा और दूसरे में यह चाहते हैं कि रियलाइज नहीं किया जायेगा। तो इनमें क्या फर्क है, इससे बेकार सदन का समय नष्ट होता है।

डिप्टी चेयरमैन—यह संशोधन आउट आफ आर्डर है। क्या श्री प्रभु नारायण जी इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। यदि मंत्री जी ऐसा समझते हैं कि इस सदन का समय बहुत कीमती है और उनके ऊपर ही इसकी जिम्मेदारी है और हम लोग यहां बेकार बैठे हुये हैं, तो यह कहां तक उचित है। उनको किसी चीज को सोच-समझकर कहना चाहिये।

श्री चरण सिंह—मैं आपकी इजाजत से यह कहना चाहता हूं कि जो दलील एक बार कही जा चुकी है, उसको दुबारा रिपीट करने से सदन का समय खराब होता है इसमें नाराज होने की क्या बात है।

डिप्टी चेयरमैन—आपके तीनों संशोधन बिल्कुल मिलते हुये से हैं और वह सिर्फ दूसरे लफ्जों में रख दिये गये हैं लिहाजा मैं इसकी सम्मति नहीं देता हूं।

प्रश्न यह है कि खंड ८ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न यह उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९ व १०

बन्धों के विरुद्ध असुरक्षित ऋण के संबंध में डिक्रियों का निष्पादन।

९—सुरक्षित ऋण को छोड़कर अन्य ऋण से सम्बद्ध कोई डिक्री जिसके विषय में यह अधिनियम प्रवृत्त हो, वाद ऋणी को उसके आस्थान के विषय में प्रतिकर अथवा पुनर्वासन अनुदान के रूप में दिये गये बन्धों (.bonds) की कुरकी या नीलाम द्वारा निष्पादित की जाय तो डिक्री को निष्पादन करने वाला न्यायालय, किसी विधि में किसी बात के होते हुये भी, अनुसूची २ में बताये हुये सूत्र के अनुसार अदायगी प्रमाणित कर देगा।

भरण पोषण की वृत्ति

१०—आवश्यक परिवर्तनों के साथ इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसे गुजारा या भरणपोषण की वृत्ति (Maintenance Allowance) की बकाया की वसूली की डिक्री या वाद में, जिनमें कोई भी आस्थान अकेले या अन्य सम्पत्ति सहित बन्धक किया गया हो, अथवा किसी विधि, डिक्री, अनुबन्ध (agreement) अथवा लेख्य के अन्तर्गत अन्य किसी प्रकार से भारित हो, उसी प्रकार लागू होंगे मानों गुजारा या भरणपोषण की वृत्ति ऋण हो और धारा ३, ४ और ५ के प्रयोजनों के लिये इस प्रकार बन्धक की हुई या भारित सब अचल सम्पत्ति बन्धक की हुई सम्पत्ति समझी जायगी।

स्पष्टीकरण—पद "भरणपोषण की वृत्ति" (Maintenance Allowance) के अन्तर्गत अवध स्टेट्स ऐक्ट, १८६९ की धारा २४ अथवा यू० पी० इस्टेट्स एक्ट, १९२० की धारा १३ के अन्तर्गत "annuity" (वार्षिक वृत्ति) भी है।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ९ और १० इस बिल के भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

नियम बनाने के अधिकार

११—इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के निमित्त पूर्व प्रकाशन के बाद राज्य सरकार नियम बना सकती है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ११ के अन्त में शब्द "और उसे लागू करने के पूर्व सदन के सम्मुख रखा जायेगा और स्वीकृति ली जायेगी" बढ़ा दिये जायें।

इसमें जो खंड ११ है, उसमें यह है कि "इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के निमित्त पूर्व प्रकाशन के बाद राज्य सरकार नियम बना सकती है" तो उसके बाद मेरे ये शब्द बढ़ा दिये जायं। मेरा जो संशोधन है उसका तात्पर्य है कि उसको लागू करने के पूर्व सदन के सामने स्वीकृति के लिये रखा जायेगा। यह संशोधन मैंने इसीलिये रखा है कि इसके संबंध में जो नियम बनेंगे तो उसमें सिर्फ सरकार अपने को ही उसके लिये महदूद रखती है और जो विरोधी पार्टियों की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से बात होती है, उनको सरकार नहीं देखती है, इसलिये इस संशोधन का जो मुख्य तात्पर्य है वह यही है कि नियमों को लागू करने के पूर्व उसको स्वीकृति के लिये सदन के सम्मुख रखा जायेगा। जो नियम बनायें जायें वे सदन के सामने आने चाहिये और फिर सदन से वे पास किये जायेंगे। मैं समझता हूं कि यह संशोधन बिल्कुल वाजिब है और यह मान लिया जायेगा।

श्री चरण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस संशोधन का मुझे विरोध करना होगा। इसका कारण यह है कि इसमें शायद एक, दो नियम ही बनेंगे और वे नियम भी ऐसे नहीं होंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण हों। जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की तरह इसमें नहीं हैं बल्कि इसमें इस तरह से व्यवस्था की गई है कि वे विधान मंडल के सामने रखे जायें। लिहाजा वे विधान सभा से भी स्वीकार किये जायेंगे और विधान परिषद् के सामने भी यह बात आयेगी। तो जहां ऐसी बातें हैं कि दूरगामी का ज्यादा असर हो, उसके लिये कोई एतराज नहीं है। लेकिन यह नियम जो होगा बहुत सीधा सादा है और यदि वह हाउस के सामने आयेगा तो समय ही नष्ट होगा और उससे कोई फ़ायदा न होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—जो मैंने संशोधन रखा है, उसमें मैं यह चाहता हूं कि हाउस का यह ट्रेडिशन बन जाय कि जो नियम बनें वह हाउस के सामने आयें। यहां पर कोई कंट्रोवरसी का सवाल उठता नहीं है ऐसी हालत में तो यह २ मिनट में ही दोनों हाउसेज से पास हो जायेगा इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे हाउस के सामने आना चाहिये।

श्री चरण सिंह—मुझे अफसोस है कि मैं कनविन्स्ड नहीं हूं।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ११ के अन्त में शब्द "और उसे लागू करने के पूर्व सदन के सम्मुख रखा जायेगा और स्वीकृति ली जायेगी" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची १

१—धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट (refered to) ऋण की कमी के लिये सूत्र (formula)

$$X = \frac{D \times 8}{ME}$$

२—उक्त सूत्र में

(१) "X" का अभिप्राय धारा ३ और ४ में अभिदिष्ट कम की गयी धनराशि से है।

(२) "D" का अभिप्राय

(क) यदि बन्धककर्ता (mortgagor) या वाद ऋणी (Judgement-Debtor) बन्धक किये हुये आस्थान के स्वामी के नाते एकाई के रूप में (in one unit) अधिकारी रहा हो, तो यथास्थिति निम्नलिखित में अभिदिष्ट धनराशि से है:—

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (क), अथवा

(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (१), अथवा

(३) धारा ४ की उपधारा (२) का खंड (क), अथवा

(४) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (ख) का उपखंड (१), तथा

(ख) यदि उक्त बन्धककर्ता या वाद-ऋणी एक से अधिक हों तो यथास्थिति, निम्नलिखित में अभिदिष्ट प्रत्येक बन्धककर्ता या वाद-ऋणी को विभाजित धनराशि से है,

(१) धारा ३ की उपधारा (२) के खंड (ख) का उपखंड (१), अथवा

(२) उक्त धारा की उपधारा (३) के खंड (क) का उपखंड (२), अथवा

(३) धारा ४ की उपधारा (२) और (३) के खंड (ख) के उपखंड (ii)।

(३) "ME" का अभिप्राय यू० पी० इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट, १९३४ के अधीन आस्थान के मूल्य अवधारण के लिये गुणक (multiple) से है और जब कोई बन्धककर्ता या वाद ऋणी ऐसे दो या उससे अधिक आस्थानों का स्वामी के रूप में अधिकारी हो जिनके लिये उक्त अधिनियम के अधीन भिन्न गुणकों की व्यवस्था की गयी हो, तो ऐसे आस्थानों के संबंध में गुणकों का औसत जिसकी गणना नियत रीति से की जायगी;

किन्तु सदैव यह प्रतिबन्ध है कि जहां उक्त अधिनियम के अधीन ME ४० से अधिक हो तो वह ४० के बराबर समझा जायगा।

श्री कुंवर महावीर सिंह—Sir, I beg to move that in Schedule I, in the proviso the following words be added *after* the words "to be equal to 40."

"and where it is less than 20 it shall be deemed to be equal to 20".

श्रीमान् जी, जिस समय बहस हो रही थी उस समय मैंने काफी दलीलें इस पर दी थीं और मैं आशा करता हूं कि उनको समझकर यह संशोधन मंजूर किया जायगा। जहां ४० मैक्जीमम रखा गया है तो उस जगह २० रखने में कोई नुकसान न होगा। बल्कि उन प्रदेशों को फ़ायदा होगा जो वाकई गरीबी के दरवाजे पर अपना भाग्य खटखटा रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन को रखता हूं।

श्री चरणसिंह—मुझको यह संशोधन मंजूर है और कारण यह है कि हमारे प्रदेश में बहुत से जिले ऐसे हैं जहां मल्टीपल बहुत कम रखा गया है, किसी जगह १३ है जैसे बदायूं जिले में एक दातागंज तहसील है वहां १३ है, सहारनपुर और बिजनौर में करीब १४ है और बुन्देलखंड में १६ है तो ऐसा करने से २।३ या १/२ होगा।

इसलिये जहां हमने अपर लिमिट रक्खी कि ४० से ज्यादा न होगा वहां जरूरी है कि नीचे भी हम एक सीमा बांध दें इसलिये यह संशोधन है कि २० से कम न हो। ४० और २० के बीच में जिले की स्थिति के मुताबिक २४, २५, २७, २८ कुछ भी हो सकता है। यह संशोधन हमें स्वीकार है।

डिप्टी चेयरमैन—

The question is that in Schedule I, in the proviso the following words be added *after* the words " to be equal to 40."

" and where it is less than 20 it shall be deemed to be equal to 20."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि संशोधित अनुसूची १ इस बिल का भाग बनी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची २

(देखिये धारा ६)

बेचे गये बन्ध (bond) में अंकित मूल्य के प्रत्येक रुपये के लिये, ऐसी धनराशि जो उसकी $\frac{ME}{8}$ होगी।

उक्त सूत्र में ME का तात्पर्य वही होगा जो उसका अनुसूची १ के पद २ की मद (३) में है।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि अनुसूची २ इस बिल का भाग बनी रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

१९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जिन जमींदारों के आस्थान हस्तगत किये गये हैं उनके ऋणों को कम करने के लिये

विधेयक

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१।

यह आवश्यक है कि उन जमींदारों के ऋणों को कम करने (scaling down) की व्यवस्था की जाय जिनके आस्थान १९५० ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अधीन हस्तगत किये जा चुके हैं;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का अधिनियम, १९५२, होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्तावना और खंड १ इस बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश जमींदारों का ऋण कम करने का विधेयक जैसा कि इस परिषद से संशोधित हुआ है, पारित किया जाये।

(इस समय ४ बजकर २७ मिनट पर, चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में यह बिल हमारे सामने थर्ड रीडिंग में आया है और जिन संशोधनों को मान लेने पर यह बिल पूर्ण हो सकता था, खासतौर से २५० रु० मालगुजारी देने वाले छोटे जमींदारों के पुनर्वासन अनुदान को यदि कर्ज से बाहर कर दिया जाता तो इस बिल की शक्ल काफी अच्छी हो जाती। इसमें कोई शक नहीं है लेकिन बिल की जो मौजूदा सूरत है उसमें भी जमींदारों को काफी राहत मिलेगी। हां, यह जरूर है कि जितनी राहत मिलनी चाहिये उतनी न मिलेगी। यह कहना तो कुछ ठीक नहीं मालूम होता है कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेनसेशन में एक टेकनिकल अंतर है। जब से जमींदारी अबालीशन का सवाल उठा तब से हमने इस बात को रखने की बराबर कोशिश की कि रिहैबिलिटेशन ग्रांट और कम्पेनसेशन देने का एक आधार होना चाहिये और इसीलिये हमने यह मांग की थी कि छोटे जमींदारों को अधिक से अधिक रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिलनी चाहिये। ऐसी शक्ल में जब यह बिल सामने आया तो हमने इस बात को महसूस किया कि जितने रिहैबिलिटेशन ग्रांट छोटे जमींदारों को मिलना चाहिये उतनी रिहैबिलिटेशन ग्रांट तो तभी हो सकती थी जब उनके कम्पेनसेशन की रकम उस से छोड़ दी जाती और इस हालत में जब मैं इसे देखता हूं तो यह महसूस करता हूं कि आज यह जरूरी था कि जमींदारों को जो पुनर्वासन दिया जाने वाला है उस को डेट से महरूम कर दिया जाना चाहिये था। न्याय और अन्याय की बात तो हुआ ही करती है। अन्याय की रोकथाम तो होना ही चाहिये। आज समाज में छोटे जमींदार की एक हैसियत होने जा रही है और वह हैसियत एक खेतिहर की होने जा रही है। ऐसी हालत में उसे जितनी भी सहूलियत दी जाये वह मुल्क और समाज की बहबूदी और कल्याण के लिये ही होगा। यह कहना कि आपने कम्पेनसेशन के मामले में बराबर जमींदारों की मुखालिफत की आज कैसे जमींदारों के साथी हो गये। हमने छोटे जमींदारों के बारे में कहा था। आज भी हम इस बात को कहते हैं कि जहां हम पहले थे आज भी वहीं हैं। हमारे कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं और इसी सूरत में वह इस बिल की शक्ल में है। कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट जिन जमींदारों को मिलने वाली है उनमें से अगर २५० रुपया मालगुज़ारी देने वाले जमींदार यदि डेट से अलग हो जाते हैं तो इस बिल की शक्ल बहुत अच्छी हो जाती। बहरहाल, बिल की शक्ल जो कुछ भी है इस हालत में, मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री चरणसिंह--अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि माननीय प्रभू नारायण सिंह ने बिल का समर्थन करते हुये साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें कहीं जो वास्तविकता से बहुत दूर हैं। आप बराबर इस बात पर ज़ोर देते हैं कि २५० रुपया तक मालगुजारी देने वालों को इससे राहत मिलनी चाहिये। मैंने इसका जवाब दिया था और उनको भी दो दफा बोलने का मौका मिला। १९४० ई० के बाद एग्रीकल्चर क्राइसेस में ऐसा हुआ कि कर्ज में कमी हो गयी। नालिशें आज कम हैं, कुरकी कम हैं, नीलाम कम हैं। लिहाजा कर्ज की कमी हुई। दूसरी बात जो कर्जा देने वाले आदमी हैं वे प्योर लैन्ड ओनर्स नहीं हैं। मामूली किसान को कर्जा देता है। कहीं पर कम हैं और कहीं पर ज्यादा हैं। किसान किसान को देता है। गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर में एक एक बीघे की रेहन पूर्वी जिलों में है। रेहन क्या है। जो बड़े आदमी होते हैं वे ही रेहन नहीं लेते हैं। जो खेतिहर का रेहन लेगा वह खेतिहर होगा। लिहाजा आप चाहते हैं कि जो २५० रुपये से कम मालगुजारी देता है उसका कर्जा कम्पेन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट से काटा जाय तो यह ठीक नहीं है। जब कर्जदार की जमीन को सरकार ने ले लिया तो उनको भी कर्ज़ा रिफंड करना चाहिये।

[श्री चरण सिंह]

कर्जा हमने १/५ कम कर दिया। फिर आप कहते हैं कि २० फीसदी कम करने के बाद ५ फीसदी और छोड़ दिया जाय। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या वजह है कि १०० में से १५ रुपया भी नहीं लिया जा सकता। जब ५०० में से हमने १०० कम कर दिये जिसमें से ७५ ही वसूल हो पायेगा फिर कहना कि ढाई सौ से कम वालों को बिलकुल ही छोड़ दिया जाय, समझ में नहीं आता है। एक रुपया मालगुजारी देने वाला जमींदार अगर जमीन लगान पर देता है तो वह शोषक है वैसे ही जैसे २,००० रु० मालगुजारी देने वाला शोषक है। अध्यक्ष महोदय, बराबर दलील इस पर दी जाती है मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों छोड़ दिया जाय। यह तो सिवाय इसके कि प्रोपैगन्डा का प्लैटफार्म तैयार किया जाता है और कोई बात इस त्रिरह की नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिये जमींदारी खत्म न हुई होती तो १०० बीघा जो सीर उसकी थी वह तो कायम रह जाती इसलिये कि उसको वह साकितुल हो जाती। महाजन केवल खेवट पा जाता। आज क्या होगा। आज यह होगा कि १०० बीघा जो खुदकाश्त है वह उसके पास रह जाती है। घर का घर आ जाता है। हमने यह किया कि मुआविजा और आमदनी से जो वसूल हो जाय उसका ३/४ तक तो दिया जाय। यानी १२५ में से १०० बीघा की खुदकाश्त है सिर्फ २५ बीघा का इन्टरमिडियरी वह होता है। खंड ८ में साफ दिया है। इस हद तक डिग्री इजराय महदूद रहेगी। मैं अब अधिक कुछ और नहीं कहना चाहता। इन शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव पेश करता हूं।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने के विधेयक को, जैसा कि, संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक

श्री मोहन लाल गौतम—मैं श्रीमान् की आज्ञा से सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

चेयरमैन—अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ४ बज कर ४० मिनट पर दूसरे दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

लखनऊ;
२९ अक्टूबर, १९५२।

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३ एल० सी०—१९५३—८५०

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

गुरुवार, ३० अक्तूबर, १९५२

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (६०)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
इन्द्र सिंह नयाल, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कुंवर महावीर सिंह, श्री
केदार नाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
खुशाल सिंह, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
निजामुद्दीन, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
परमात्मा नन्द सिंह, श्री
प्यारे लाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद असलम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम नन्दन सिंह, श्री
राय बजरंग बहादुर सिंह, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
वीरभान भाटिया, डाक्टर
बेणी प्रसाद टंडन, श्री
व्रज लाल वर्मन, श्री (हकीम)
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शांति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराज वती नेहरू, श्रीमती
शिव सुमरन लाल जौहरी, श्री
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थेः—

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)
श्री सैयद अली ज़हीर, (न्याय मंत्री)
श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)

प्रश्नोत्तर

१-३—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—स्थगित ।

४-५—श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—[वर्तमान बैठक के पांचवें सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १०-११ के रूप में रक्खे गये ।]

विलीन काशी राज्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के रुपयों की वापसी

६—श्री राम नन्दन सिंह—(क) क्या स्वायत्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विलीन काशी राज्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों का ४७०११ रुपया आठ आना, जो सरकार के पास जमा है, उन ग्राम सभाओं को दे दिया गया ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)—(क) जी नहीं ।

(ख) इसमें कुछ वैधानिक कठिनाई उपस्थित हो गई है जिस पर शासन विचार कर रहा है ।

श्री राम नन्दन सिंह—ग्राम पंचायतों को रुपया देने में कौन सी वैधानिक कठिनाई हो गयी है ?

श्री मोहन लाल गौतम—यह रुपया उन ग्राम पंचायतों का है जो बनारस राज्य की थीं और वह रुपया सरकारी खजाने में जमा था। जब वह स्टेट मर्ज हुई तो वह रुपया भी सरकारी हिसाब में जमा हो गया। पंचायत राज को ट्रांसफर करने में वैधानिक कठिनाई है जिस पर कार्यवाही हो रही है ।

श्री राम नन्दन सिंह—कब तक आशा की जाती है कि वह रुपया दिया जायेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—मैं प्रयत्न करूंगा कि जल्द से जल्द इसका फ़ैसला किया जाय ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री ने जो कहा है उससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि सरकार अभी कोई टाइम लिमिट फिक्स करने की स्थिति में नहीं है ?

श्री मोहन लाल गौतम—जैसा मैंने इसमें कहा कि हम टाइम टेबिल उस समय बना सकेंगे जब लेजिस्लेचर से यह बिल पास हो जायेगा। इससे पहले यह हमारे क़ाबू से बाहर की चीज है। वह तो लेजिस्लेचर के हाथ में है। जब तक लेजिस्लेचर क़ानून पास न कर दे तब तक ऐसा टाइम टेबिल बनाना मुश्किल है ।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि लेजिस्लेचर से पास होने के बाद कितना समय लगेगा यानी कितने दिनों में यह हो जायेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—इन इलेक्शन के लिये हमने एक अलग मुहकमा खोल दिया है जो सब तैयारी कर रहा है। वह भी कार्य शुरू हो रहा है और यह बिल भी पास हो जायेगा तब हम यह देखेंगे कि वह मुहकमा किस हद तक काम कर चुका है, तभी तय किया जायेगा ।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतलायेंगे कि यह बात कहां तक ठीक है कि उन्होंने फ़रवरी में इलेक्शन करने की बात जनता में कही है ?

श्री मोहन लाल गौतम—वह जो प्रेस कान्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो बातें हुई उसका लोगों ने यह मतलब निकाला है। अखबार में जिस तरह की चीज छपी है वह बात बिल्कुल इस तरह से नहीं है। हो सकता है कि फरवरी में ही इलेक्शन हो जायं लेकिन जो बात मैंने कही थी वह यह थी कि चूंकि मार्च में बजट सेशन होगा, इसलिये मार्च में इलेक्शन कराना कठिन है तो यदि इलेक्शन फरवरी में न हुये तो अप्रैल या मई में होंगे।

म्युनिसिपल और टाउन एरिया कमेटियों के चुनाव

७—श्री कन्हैया लाल गुप्त—सरकार राज्य में म्युनिसिपल और टाउन एरिया कमेटियों के चुनाव को कब तक कराने का विचार रखती है?

SRI KANHAIYA LAL GUPTA:—When do the U. P. Government intend to hold elections to Municipal and Town Area Committees in the State ?

श्री मोहन लाल गौतम—सरकार इन चुनावों को यथासंभव शीघ्र कराना चाहती है और जैसे ही म्युनिसिपल बोर्डों तथा टाउन एरियाओं से संबंधित संशोधन बिल विधान सभा और विधान परिषद् द्वारा पास कर दिये जायेंगे, इनके निर्वाचन का कार्यक्रम दिया जा सकेगा।

SRI MOHAN LAL GAUTAM:—Government want to hold the elections as soon as possible, and we will be able to give the time-table of elections of the Municipal Boards and the Town Areas as soon as the amending bills relating to them have been passed by the Legisltature.

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मौजूदा बोर्ड जो अब आखिरी एक्सटेन्शन के मातहत काम कर रहा है, वह एक्सटेन्शन कब खत्म होगा?

श्री मोहन लाल गौतम—जैसा कि समाचार पत्रों में निकला है कि वह ३० अप्रैल सन् १९५३ ई० को खत्म हो जायेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इलेक्शन करने की बात कही जा रही है उसमें सारे म्युनिसिपल बोर्ड हैं, या कुछ बोर्ड अवैध भी हैं?

श्री मोहन लाल गौतम—इस समय लगभग १० बोर्ड सुपरसीड हैं, उनमें से ५,६ के एलेक्शन नहीं होंगे, बाकी ११९ के करने का इरादा है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन करने का इरादा नहीं है उसका कोई विशेष कारण है?

चेयरमैन—इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

प्रदेश के पंचायत राज्य निरीक्षकों की संख्या-वृद्धि

आदि संख्या ५१ ता० ९-१०-५२

८—श्री परमात्मा नन्द सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार प्रदेश के पंचायत राज्य निरीक्षकों की संख्या बताने की कृपा करेगी?

(ख) इनमें कितने स्नातक अर्थात् ग्रैजुएट है?

श्री मोहन लाल गौतम—(क) स्थानापन्न पंचायत निरीक्षकों को सम्मिलित करते हुये ४३० पदों पर पंचायत निरीक्षक कार्य कर रहे हैं।

(ख) २२८।

९—श्री परमात्मा नन्द सिंह—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुयोग्य और अच्छा काम करने वाले पंचायत राज इन्स्पेक्टरों को आगे तरक्की के क्या क्या रास्ते और अवसर हैं?

(ख) इन ग्राम पंचायत निरीक्षकों के शिक्षण के अन्त में दीक्षान्त भाषण देते हुये क्या प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने ऐसी आशा दिलायी थी कि अच्छा काम करने वालों को तहसीलदारी और डिप्टी कलेक्टरी तक में चुना जा सकेगा ?

श्री मोहन लाल गौतम--(क) सुयोग्य और अच्छा काम करने वाले पंचायत निरीक्षकों को सहायक जिला पंचायत अफसरों के रिक्त पदों पर पदोन्नति गत वर्ष दी जा चुकी है।

(ख) इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री के दीक्षान्त भाषण* के संबंधित भाग का उद्धरण संलग्न है।

श्री परमात्मा नन्द सिंह--क्या सरकार कुछ सहायक पंचायत अफसरों की जगह और बढ़ाने का इरादा कर रही है ?

श्री मोहन लाल गौतम--जैसा कि माननीय सदस्य को मालूम है कि हर जिले में एक सहायक पंचायत अफ़सर होता है, क्योंकि जिले नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिये अफ़सरों के बढ़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

१०--**श्री परमात्मा नन्द सिंह**--(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी आज्ञा दे रखी है कि ग्राम पंचायत निरीक्षक यदि किसी दूसरे पद के लिये अर्जी दे तो उनकी अर्जी तब तक आगे न बढ़ायी जाय जब तक कि वे इन्स्पेक्टरी से इस्तीफा न दे दें ?

(ख) यह आज्ञा कब जारी हुई और किसने किया ?

(ग) क्या सरकार ने इस आज्ञा को रद्द कर दिया है या कुछ बदल दिया है ?

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस आज्ञा को रद्द करना या बदलना चाहती है ?

श्री मोहन लाल गौतम--

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के मुख्य तीर्थ स्थानों को आदर्श बनाने की योजना

११--**श्री (हकीम) ब्रज लाल वर्मन** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार काशी, प्रयाग, अयोध्या, मथुरा, बृन्दावन, हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों को आदर्श बनाने की कोई योजना बना रही है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना बनाने का इरादा रखती है ?

श्री मोहन लाल गौतम--(क) सरकार ने नगरों और ग्रामों को सुधारने के लिये एक नगर और ग्राम नियोजन विभाग की स्थापना की है। इस विभाग ने काशी तथा प्रयाग को आदर्श बनाने के लिये योजनायें (Master plans) बनाकर उनको कार्यरूप में परिणत करने के लिये स्थानीय इम्प्रूवमेंट ट्रस्टों को दे दिया है। हरिद्वार की इसी प्रकार की योजना अभी बनायी जा रही है। अयोध्या, मथुरा तथा बृन्दावन के लिये अभी कोई योजना नहीं बनी है परन्तु मथुरा में दो आवासिक उपनियमों के निर्माण का मानचित्र बन चुका है ?

(ख) प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में ही इस भाग का उत्तर भी निहित है। ये योजनायें भिन्न-भिन्न नगरों के लिये क्रमशः बनेंगी।

श्री हकीम ब्रज लाल वर्मन--क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस योजना की कब तक बनने की आशा है ?

श्री मोहन लाल गौतम--यह कहना बहुत मुश्किल है। काम बराबर हो रहा है।

---

*भाषण के लिये देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ १३८ पर

श्री हकीम ब्रज लाल वर्मन—क्या पंचवर्षीय योजना के अन्दर उसके बन जाने की आशा है ?

श्री मोहन लाल गौतम—इसका उत्तर में पहले दे चुका हूं।

आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट को संशोधित करने के विषय में जानकारी की प्रार्थना

श्री कुंवर गुरु नारायण—Sir, I have read in the press that there is a move to amend the Agra University Act. An Ordinance is going to be issued by the Governor. So I wanted to know about it. Generally Ordinances are issued when the House is not in session.

चेयरमैन—You cannot ask anything of any kind at any time. This matter is not on the agenda. I do not think we can take up anything which is not on the agenda.

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक

***श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम** (वित्त मंत्री)—जनाबवाला, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

जिस रोज कि पहली बैठक शुरू हुई थी तो मैंने उस वक्त यह अर्ज कर दिया था कि यह बिल ऐसा है कि जिसमें बहुत थोड़ा वक्त लगेगा और वह इसलिये कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कि कंट्रोवर्सियल हो और जिससे कि इसमें ज्यादा देर लगने की तवक्को हो। अब यह बिल हाउस के सामने पेश है। इसके अलावा जो दूसरे बिल हैं जिनमें कि कुछ अमेंडमेंट आये हैं, तो मेम्बरों के लिये इस बात का मौका होगा कि वह चाहें तो आज ही इसको खत्म कर देंगे। यह बात मैं इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि ताकि हर मेम्बर को इसमें आसानी हो। इसके अलावा मेम्बरान को मौका होगा कि वे अपने संशोधन आसानी से पेश कर सकते हैं। यह प्रस्ताव जो कि मैंने पेश किया है, उससे कई अमेंडमेंट्स हैं और जो उसमें पहली तरमीम है उसका तो इस हाउस के अन्दर तज़किरा आ चुका है जब कि यह बिल पहले पेश हो रहा था तो कुंवर साहब ने एक अमेंडमेंट दिया था, उसमें इसके मुतालिक उन्होंने यह कहा था कि जो बिक्री कर लगाये जाते हैं, वह मौकूफ़ हो जायें। तो मैंने उस वक्त यह अर्ज किया था कि इस बिल के ज़रिये से सेल्स टैक्स में यह तरमीम आ रही है, चुनान्चे यह वही चीज़ है। मैं हर एक तरमीम को और इस मूल ऐक्ट की दफ़ाओं को साथ-साथ पढ़कर समझा दूंगा कि यह तरमीम क्या है और कैसे इसकी ज़रूरत महसूस हुई है और किस जगह पर यह तरमीम आई है और उसमें क्या चीजें थीं और इस तरमीम के बाद क्या पोजीशन हो जायेगी। जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि इस मूल ऐक्ट का जो सेक्शन २ है जिसमें कि लफ्ज की डैफिनिशन दी गई है उसमें ही 'डी' क्लाज के अन्दर गुड्स की डैफीनिशन दी हुई है और वह इस तरह से है :

'Goods' means all kinds of moveable property other than actionable claims, stocks, shares or securities, and includes electrical energy and every material, article and commodity, whether or not to be used in construction, fitting out, improvement or repair of immovable property ;"

तो इसमें जो असली एनर्जी है उसको निकाला जा रहा है। कम से कम इस संशोधन के मुताल्लिक मुझे तो यह तवक्को है कि इसमें कोई बहस की बात नहीं है और मेरे ख्याल

---

*मंत्री ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम]

से इसके मुताल्लिक कोई मुखालिफत भी नहीं है। अब जो उसका दूसरा अमेंडमेंट है उसको पढ़ने से असली पोजीशन मालूम हो जाती है। मूल ऐक्ट का जो सेक्शन तीन है वह इससे ताल्लुक रखती है और इसके मातहत जो इसकी लाइबिलिटीज़ आती हैं वह किस तरह से इससे ताल्लुक रखती हैं, वह इसमें दिया हुआ है। अब जो इसमें प्रोविजो है उस प्रोविजो के नम्बर ४ में यह सब दिया हुआ है और फिर बिजली के ऊपर जो टैक्स उसके जरिये से लगता था तो इसमें उसको भी साफ कर दिया गया है। वहां से उसको निकाला जायेगा क्योंकि इससे पहले जो था वह इसके अन्दर रखा हुआ है और यह भी उसके अन्दर निकल जायेगा इसके बाद तीसरे सेक्शन में जो बात है, उसमें इस अमेंडमेंट के जरिये से एक नया प्रोविजो जोड़ दिया गया है। वह प्रोविजो इसमें लिखा हुआ है:

"Provided further that if the amount prescribed under clause (ii) of the preceding proviso is reduced during an assessment year, the tax payable as aforesaid by a dealer shall be computed as follows:"

यानी इसके बाद अगर मैं इसको पढ़ूंगा तो मालूम हो जायेगा कि इस ऐक्ट में यह मुकर्रर किया गया है कि कितना बिक्री कर पर टैक्स लगा और उसकी लिमिट मुकर्र की गई है। उसको अगर घटाया गया है, तो उसके घटाने के बाद, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, वह पहले बतला दिया गया है कि वह उस हिस्से का है जो कि इसके घटाने के बाद आयेगा, उसमें उसी तरीके से हिसाब होगा, इसमें है:

"Provided further that if the amount prescribed under clause (ii) of the preceding proviso is reduced during an assessment year, the tax payable as aforesaid by a dealer shall be computed as follows: that is to say,

(*a*) on the turnover relateable to the period previous to the reduction, as though the amount had not been reduced, and

(b) on the remainder as though the reduced amount had been in force on all material dates."

इससे पहले की जो बात है, उसके लिये इस हिसाब से लगाया गया है और उसमें तरमीम नहीं हुई है। इसके बाद जो है उसमें इस हिसाब से लगाया गया है कि उसमें तरमीम हो गई है। अब इसे समझने से पहले आप यह देखें कि जो इस ऐक्ट की मूल दफा है उसके अन्दर क्या है?

"Subject to the provisions of this Act, every dealer shall pay on turnover in each assessment year a tax at the rate of 3 pies a rupee"

इसके पढ़ने के बाद यह समझ में आ जायेगा। यह दफा कहती है कि जो टैक्स लागू होगा इस कानून से, तो उसमें एक शख्स दूसरे के हाथ बेचे और वह दूसरा तीसरे के हाथ बेचे और इस तरह से वह चलता रहे और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जायेगा और इसके आगे जो है वह कहती है कि:

Provided that—

(i) "the state Government may, by notification in the official Gazette, reduce the rate of tax on the turnover of any dealer or class of dealers on or on the turnover in repect of any goods or class of goods"

अब मैं इसमें दूसरी जगह पढ़ता हूं जो कि सुनने के लायक है:—

(ii) "a dealer whose turnover in the previous year is less than Rs. 12,000 or such larger amount as may be prescribed shall not be liable to pay the tax under this Act for the assessment year:"

इसके मातहत यह लिमिट मुकर्रर है कि जिसकी बिक्री साल भर में १२ हजार के ऊपर है यह टैक्स लगेगा और उससे नीचे के ऊपर नहीं लगेगा। तो हमारे सामने जो यह बात है, इसके

लिये अमेंडमेंट नहीं है। तो यह १२ हजार की बात है और इस लिमिट के ऊपर ही वह टैक्स लगेगा। यह जगह मुस्तकिल है और क़ानून में लिखा है कि १२ हजार से कम बिक्री पर टैक्स नहीं लगेगा और जब तक यह क़ानून है और तरमीम नहीं होती है उस वक्त तक घट नहीं सकता है, लेकिन उसके आगे जो अलफाज़ है, 'सच लार्ज एमाउन्ट' उसमें २ चीजें रखी गई हैं, एक तो १२ हजार कम से कम या १५ हजार के बीच में, जो कानून मुकर्रर कर दे। गवर्नमेंट ने १२ हजार और १५ हजार के बीच मुकर्रर किया है। अब जो वसूल होता है वह १५ हजार और उसके ऊपर वसूल होता है। १२ और १५ हजार के बीच की जो रकम है उसके बढ़ाने और घटाने का सवाल है, लेकिन १२ हजार से नीचे जाने का कोई सवाल उठता नहीं है। यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि इस मजमून पर एक अमेंडमेंट आगे है और मैं समझता हूं कि वह ग़लतफहमी पर है। जो आज कानून है उसमें १२ हजार से नीचे हम जा नहीं सकते हैं। यह हक़ बेशक है कि १२ और १५ हजार के बीच में गवर्नमेंट कोई रकम कर दे। जो गवर्नमेंट ने नोटीफिकेशन के जरिये मुक़र्रर किया है अगर उसको विदड्रा कर लिया जाय तो १२ हजार की रकम रह जायेगी और आइन्दा जमाने के लिये और जो गुजर चुका है, उसमें एक आदमी का हिसाब कैसे लगाया जायगा और टैक्स कैसे लिया जायेगा, इसके लिये एक प्रोवीज़न जो दिया गया है। नई पोजीशन कायम नहीं की जा रही है, बल्कि पोजीशन कानून की जैसी थी वैसी ही रहेगी, सिर्फ उसके साथ जो कमी थी उसको ही पूरा किया गया है, लिहाजा उस प्रोविजो को मैंने पढ़ कर सुनाया है। इस अमेंडमेंट के जरिये यह अख्तियार लिया गया है।

अब उसका एक सेक्शन ३ (ए) मूल ऐक्ट का है, वह है सिंगिल प्वाइन्ट, जो हर बिक्री पर लिया जायेगा और मल्टीपिल प्वाइन्ट का मतलब यह है, मसलन ४ फिगर्स हैं, तो एक या २ या आखरी तो उसमें किसी के ऊपर भी लगाया जा सकता है। मैं अर्ज करता हूं कि प्रिंसिपल जो इस ऐक्ट का है वह यह है कि जो टैक्स लगे वह मल्टीपिल प्वाइन्ट से लगे और सिंगिल प्वाइन्ट कैसे हो सकता है, यह ३ (ए) में दिया हुआ है।

"Single point taxation (1) Notwithstanding anything contained in section 3, the state Government may, by notification in the official Gazette, declare that the proceeds of sale of any goods or class of goods shall not be included in the turnover of any dealer except at such single point in the series of sales by successive dealers as may be prescribed."

In section 3 the State Government may by notification in the official Gazette declare that the proceedings.....

इससे गवर्नमेंट को यह अख्तियार होगा कि जितने टर्नओवर हैं उनमें किसी एक को मुकर्रर कर दे और वह टैक्स देने को प्रेस्काइब कर सकती है।

अब इससे जो मैं पढ़ रहा हूं, यह कापी सन् १९५० ई० से भी शायद पहले की थी। सन् १९५० ई० में इसमें एक तरमीम हो गई थी। इस वक्त जो हम तरमीम कर रहे हैं, वह तो इस तरह से मेम्बरान पढ़ेंगे, प्रेस्क्राइब लफ्ज के बजाय, "दि स्टेट गवर्नमेंट में स्पेसीफ़ाई' यह अलफाज इसमें लिखे जावेंगे। तो बात यह है कि प्रेस्काइब करना रूल्स के जरिये से ऐक्ट में होता है। हमेशा यह लफ्ज आता है और उसमें डेफ़िनिशन में यह लिख दिया जाता है। वह रूल्स गजट में छप जाते हैं, उनके मुताल्लिक़ कोई एतराज करना चाहे, तो एतराज कर सकता है। इन एतराजात को कंसीडर करके गवर्नमेंट रूल्स बनाती है। यह मामला क्या है, यह मामला यह है कि हम गवर्नमेंट की तरफ़ से एक आसानी पैदा करते हैं, पब्लिक के लिए, वह यह है कि मल्टीपुल प्वाइन्ट्स जो टैक्स थे उनको हम सिंगिल प्वाइन्ट करें यानी ५ बिक्रियों में से उन पर किसी एक बिक्री पर टैक्स मुकर्रर कर दिया जाये। इसमें हम यह कर दें कि प्रेस्काइब्ड इन दि नोटीफ़िकेशन। तो यह पब्लिक के लिए भी अच्छी बात है और जो थोड़ी सी देर इस काम को करने में लग जाती है उससे भी बचा जा सकता है। यह एक सीधा रास्ता पब्लिक के फेवर का अच्छा काम करने का है। यह तरमीम इसी मक़सद से की गई है। एक और तरमीम जो इसमें है, वह यह है :

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

"In clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Principal Act the words "electrical energy" for industrial purposes shall be *omitted*"

यह सेक्शन में दिया हुआ है कि लफ्ज, जहां जहां आया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के मुताल्लिक़ है, वह सब इसके अन्दर से निकाल दिए जायें। इसके बाद क्लाज़ ६ है। इसमें है—

"In sub section (2) of section 23 of the Principal Act."

जो मूल ऐक्ट है, उसकी जो दफ़ा २३ है, उसका अमेंडमेंट और अमेंडमेंट का मक़सद यह है कि एक तो हुआ सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, और एक गवर्नमेंट आफ इंडिया का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इन दोनों के बीच में अक्सर इनफारमेशन एक्स्चेंज करने की जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट आफ इंडिया के इनकम टैक्स ऐक्ट में यह तरमीम हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आफ इंडिया के आफ़िसर्स आपस में इनफ़ारमेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी तरह की हम भी तरमीम कर रहे हैं जिससे हमारी स्टेट के आफ़िसर्स गवर्नमेंट आफ इंडिया और दूसरी स्टेट से इनफारमेशन एक्स्चेंज कर सकेंगे।

अभी तक सेक्शन २५ का जो प्रिन्सिपल ऐक्ट है वह बिजली के मुताल्लिक़ है। ऐज फार ऐज आई रिमेम्बर उसकी इबारत पढ़ने की जरूरत नहीं है। वह बिजली के मुताल्लिक़ है उसको भी निकाल दिया गया है। इसके जरिये से इस वक़्त कोई ऐसी बात नहीं हो रही है कि उसको ज्यादा बहस में लिया जाय। मेरा मतलब यह नहीं है कि मेम्बरान साहब इस पर बहस न करें। जरा राइट प्वाइंट आफ व्यू पर निगाह रखकर बहस करें कि कहां तक वह माक़ूल है ? मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अर्ज किया है वह मेम्बरों की समझ में आ गया होगा। मैं देखूंगा, अगर कुछ बाकी रह गया होगा, तो बाद में अर्ज कर दूंगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सेल्स टैक्स अमेंडमेंट विधेयक अभी माननीय वित्त मंत्री ने इस भवन के सम्मुख रखा उसके सम्बन्ध में अपना विचार रखना चाहता हूं। मैं उम्मीद कुछ और करता था और मुझे आशा कुछ और ही थी। मैंने अखबारों में पढ़ा था अभी दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर्स की कोई कानफ्रेंस बुलाई गई थी और उस कानफ्रेंस के जरिये से इस बात की कोशिश गवर्नमेंट आफ इंडिया कर रही थी कि यूनिफारमिटी सेल्स टैक्स में हर प्रान्त में होनी चाहिये और इस सम्बन्ध में फाइनेंस मिनिस्टर्स की कानफ्रेंस के बाद भी श्री राजगोपालाचारी, जो मद्रास के फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं उनका एक स्टेटमेंट निकला था जिसके जरिये से उन्होंने इतना ही कहा था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बहुत कुछ यूनिफारमिटी की उम्मीद है। जहां तक सेल्स टैक्स का मसला है, यह जो सेल्स टैक्स है, यह जाहिर है कि सेल्स टैक्स सन् ३८ में लगाया गया था। सन् ३८ में इस प्रकार का सेल्स टैक्स लगाने का जो अभिप्राय था, उसमें एक बात यह भी थी कि प्राहीबिशन स्कीम लगाने को कहा गया था। यह मुनासिब समझा गया था कि इस सेल्स टैक्स के जरिये से गवर्नमेंट की जो कुछ रेवेन्यू घट गई है प्राहीबिशन से उसमें उनको कुछ थोड़ी सी रिलीफ मिल जायगी। लेकिन उस वक़्त जब यह सेल्स टैक्स लगाने का विचार हुआ तो यह एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि सेल्स टैक्स कोई मेजर आइटम होगा सोर्स आफ़ रेवेन्यू का। क्योंकि उस वक़्त यह भी सोच लिया गया था कि सेल्स टैक्स लक्जरी के ही ऊपर लगाया जायेगा, जिन्दगी के इसेन्शियल चीजों के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं लगाया जायेगा। बहरहाल, उसके बाद वार (war) हुई, वार में रेवेन्यू की आवश्यकता थी और उसका परिणाम यह हुआ कि सेल्स टैक्स इसेन्शियल और नान इसेन्शियल हर एक कमोडिटी के ऊपर लगाया जाना शुरू हो गया। लेकिन हमारा प्रान्त जो है उसने और प्रान्तों की बनिस्बत नान इसेन्शियल चीजों पर भी सेल्स टैक्स कमी के साथ

लगाया। मद्रास और ट्रावनकोर में तो तमाम इसेन्शियल कमोडिटीज पर भी सेल्स टैक्स लगाया गया। इन्टर स्टेट्स ट्रेड जो इस टैक्स द्वारा बैन थी कि इन्टर स्टेट्स ट्रेड के संबंध में सेल्स टैक्स न होना चाहिये, उसमें भी तमाम प्रदेश ने इन्टर स्टेट्स ट्रेड पर सेल्स टैक्स चार्ज करना शुरू किया। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर भी सेल्स टैक्स लगना शुरू हो गया। ऐसी हालत में मैं कहना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स के लगाने की जो मन्शा थी वह मन्शा ही बिल्कुल फ़ारफ़ीट हो गई। मैं इस बिल का विरोध तो नहीं करता हूं, लेकिन मैं माननीय फ़ाइनेन्स मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करूंगा कि चूंकि इस संबंध में विचार हो रहा है, मुमकिन है कि कुछ और तब्दीलियां हों सेन्टर से और उसके अनुसार फिर आपको भी तब्दीलियां करनी पड़ें तो आप थोड़े दिन के लिये ठहर जायं तो ज्यादा अच्छा होगा। जहां तक इस सेल्स टैक्स का संबंध है, मैं बतलाना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूशन के २८६ आर्टिकल के मातहत वहां इसका वायलेशन हो रहा है, उसको मैं श्रीमान् की आज्ञा से पढ़कर सुना देना चाहता हूं :-

"(1) No law of a State shall impose or authorise the imposition of a tax on the sale or purchase of goods where sale or purchase takes place.

(a) outside the State, or

(b) in the course of import of goods into or export of the goods out of the territory of India."

आउट आफ़ इट्स टेरीटरी, सेल्स टैक्स लगाना किसी भी प्रदेश को इस कांस्टीट्यूशन के मातहत अधिकार नहीं है। लेकिन किस सूरत में अधिकार ऊपर बतलाई हुई दफ़ा से है, वह भी मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देता हूं:—

"EXPLANATION:—For the purposes of sub-caluse (*a*) a sale or purchase shall be deemed to have taken place in a State in which the goods have actually been delivered as a direct result of such sale or purchase for the purpose of consumption in that State notwithstanding the fact that the general law relating to the sale of goods, the property in the goods, has by reason of such sale or purchase passed in another State."

इसके माने यह भी हुये कि प्रान्त के लोगों के कन्जम्पशन के लिये सेल्स टैक्स वस्तुओं पर नहीं लिया जाय पर अगर अभिप्राय तिजारत का है तो लिया जायेगा। मैं एक कांकरीट इक्जाम्पुल लेकर इसको बतलाना चाहता हूं। मसलन् अलीगढ़ के लाक अगर यह गवर्नमेंट विन्ध्य प्रदेश की गवर्नमेंट को बेचती है तो अगर वह कन्जम्पशन के लिये बिकता है तब तो कोई अधिकार नहीं है कि गवर्नमेंट किसी दूसरे स्टेट के ऊपर सेल्स टैक्स लगा सके लेकिन अगर दूसरी स्टेट इस परपज के लिये यहां से आर्टिकिल्स लेती है कि वह यहां से लेकर किसी दूसरी स्टेट को बेच दे तो उस हालत में एक प्रदेश की गवर्नमेंट को अधिकार होगा कि वह सेल्स टैक्स दूसरे प्रदेश से वसूल कर सकती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो सेल्स टैक्स लिया जाता है वह इस वक्त उन चीजों पर ही नहीं लिया जाता है जो चीजें कन्जम्पशन के लिये ली जाती हैं बल्कि उन चीजों पर भी लिया जाता है जिन पर कानूनन न लेना चाहिये। इसके अलावा मैं यह बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट ने जो प्राविजन अपने सेल्स टैक्स में सन् १९४८ ई० में रखा है उसमें उन्होंने निहायत होशियारी के साथ इसको बचाने की कोशिश की है और वह सेक्शन २ इस तरह से है—

"Notwithstanding anything in the Indian Sales of Goods Act, 1930, or any other law for the time being in force, the sale of any goods,

(ii) which are purchased or manufactured in the United Provinces by the producer or manufacturer thereof, shall wherever the delivery or contract of sale is made be deemed for the purpose of this Act to have taken place in the United Provinces."

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

इसके माने यह है कि अगर किसी चीज की बिक्री का कन्ट्रेक्ट हो गया तो गवर्नमेंट को राइट होगा कि वह सेल्स टैक्स लगा सकती है यह बात गोल कर दी गयी कि जो चीज बिकेगी वह प्रदेश के कन्जम्प्शन के लिये भी नहीं अथवा इसेंशियल कमोडिटी तो नहीं है। यह चीज इस ऐक्ट में दी हुई है लेकिन अगर कान्सीट्यूशन की धारा २८६ को हम देखें तो मालूम होगा कि वह प्रदेशीय ऐक्ट की धारा २८६ के बिल्कुल विपरीत है। हम देखते हैं कि यह जो गवर्नमेंट आफ़ इंडिया का एक्सप्लेनेशन है:—

It is not clear whether it is for consumption or for sale to any other State.

श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—On a point of order, जो माननीय सदस्य अपनी स्पीच दे रहे हैं वह इर्रेलेवेन्ट है। जो अमेंडमेंट हाउस के सामने है उससे यह प्रश्न नहीं उठता।

चेयरमैन—प्वाइन्ट आफ़ आर्डर उठाते समय आप स्पीच नहीं दे सकते।

श्री इन्द्र सिंह नयाल—मुझे यह कहना है कि माननीय सदस्य इर्रेलेवेन्ट स्पीच कर रहे हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—

As far as discussion of the amendments-tothe bill are concerned, the discussion has to be confined only to the amendment, and the whole law should not be discussed. Out of deference to the wishes of my friend I did not want to say anything but now that a point of order has been raised, it seems to me that what Mr. Guru Narain is saying is not at all relevant to the amending Bill.

इस वक्त तो जितनी भी बहस मैंने सुनी वह इर्रेलेवेन्ट है। जितनी भी तक़रीर अब तक की गयी है उससे मालूम होता है कि वह अमेंडमेंट पर नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—(स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—The policy of the sales tax is under discussion.

चेयरमैन—यह बात तो स्पष्ट है कि जो बिल इस वक्त पेश है उसी के संबंध में कुछ बातें कही जा सकती हैं। कुंवर साहब इसका ध्यान ज़रूर रखें।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान्, मैं तो यह समझता हूं कि मैंने बिल के बाहर तो कोई बात नहीं कही। मैं तो यह कह रहा हूं कि जो कांस्टीट्यूशन है और जो हमारा सेल्स टैक्स विधेयक है वह बिलकुल ही एक दूसरे से फ़र्क़ करते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—इसमें अगर कोई अनकांस्टीट्यूशनल बात है तो आप उसको बतलाइये। अमेंडमेंट की बाबत बतलाइये।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान्, मैं उसी की बाबत कह रहा हूं........

चेयरमैन—यह जो मूल सेल्स टैक्स ऐक्ट है उसकी वैधानिकता पर आप बहस न करें। इस वक्त जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत है अगर उसको आप अवैधानिक समझें तो उस पर कहें। सरकार की सेल्स टैक्स की जो नीति है उस पर निर्णय देने का अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को है। इस वक्त जो विधेयक सदन में पेश है उसके बारे में आप कहें।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान्, मुझे अफ़सोस है कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा था जो कि सेल्स टैक्स से संबंध न रखती हो, इस बिल से संबंध न रखती हो। मैं दो चीजों

की तरफ़ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि यह जो सेल्स टैक्स है वह लागू है आज इंटर स्टेट ट्रेड ऐक्ट पर और उन चीज़ों पर भी जो कि इसेंशल हैं फार दि लाइफ़। यह दोनों चीज़ें कांस्टीट्यूशन में वर्जित कर दी गयी हैं। इसेंशल चीज़ें फ़ार दि लाइफ़ और इंटर स्टेट ट्रेड के ऊपर यह सेल्स लागू कानूनन नहीं हो सकता है। इससे हम भारत के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं..........

चेयरमैन—You should confine yourself to the actual amendments embodied in the Bill.

श्री कुंवर गुरु नारायण—इसके बाद जहां तक इंटर स्टेट ट्रेड ऐक्ट और इसेंशल वस्तुओं पर न लागू होने का सवाल है, वह तो हो चुका। लेकिन इस विधेयक के संबंध में मैंने एक संशोधन रखा है और वह संशोधन इस आशय का है। डिफ़रेंट स्टेट्स जो हैं उन्होंने अपने-अपने टर्नओवर फिक्स किया है फ़ार दि परपज़ आफ़ टैक्सेशन मसलन आसाम में ५ हज़ार रखा गया है तो हमारे उत्तर प्रदेश में १० हज़ार रखा गया है। सेक्शन ३ यू० पी० सेल्स टैक्स ऐक्ट का जो अब है उसमें यह कहा गया है कि जो पिछले साल का यानी मिसाल के तौर पर १९५०-५१ का अगर किसी का टर्नओवर १२ हज़ार रहा हो तो उस पर सेल्स टैक्स असेस किया जाय अगर वह १९५२-५३ में कम हो। इस सेक्शन में मैंने एक संशोधन रखा है जब वह आयेगा। तब उस पर बहस करूंगा। लेकिन मैं यह समझता हूं कि इस सेल्स टैक्स ऐक्ट की धारायें हमारे कांस्टीट्यूशन की धाराओं का वायलेशन करती हैं।

चेयरमैन—जो संविधान की अवहेलना की बात आप कहते हैं तो क्या वह मूल ऐक्ट से भी हो रही है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—इस से भी हो रहा है।

चेयरमैन—आप का कहना है कि जो मूल ऐक्ट है उस के द्वारा आप की राय से संविधान की अवहेलना हो रही है तो इस वक्त उस पर बहस नहीं की जा सकती है। इसके लिये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिये।

श्री कुंवर गुरु नारायण—जो कुछ मुझे कहना था वह मैंने कह दिया, अब श्रीमान् की आज्ञा नहीं है तो कुछ नहीं कहूंगा और बैठता हूं।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने है, वह ख़ास तौर से सेल्स टैक्स को अमेंड करने के लिये है। मैं कुछ ऐसा महसूस करता हूं कि जब कोई बिल सदन के सामने हो तो उसके ऐसे माने होते हैं कि उस बिल पर भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन चूंकि अध्यक्ष महोदय, आप की ऐसी रूलिंग है इसलिये मैं इस अमेंडिंग बिल के संबंध में ही कहूंगा। फाइनेन्स मिनिस्टर महोदय ने जिस समय इस बिल को सदन के सामने रखा उन्होंने उस संशोधन पर भी ग़ौर किया जो संशोधन इस बिल के सिलसिले में यहां पर हमारी तरफ़ से दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इन संशोधनों को ध्यान में रखते हुये माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने जो तक़रीर की, इस सिलसिले में उन्होंने इस बात को साफ़ करने की कोशिश की कि शायद ये अमेंडमेंट कुछ ग़लतफहमी से आ गये हैं या न समझने की वजह से आ गये हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि शायद यह उन की ग़लतफहमी रही हो। जो अमेंडमेंट इस बिल के जरिये हमारे माननीय मंत्री जी करना चाहते हैं और खासतौर से सेक्शन ३ में जो कि ओरिजिनल ऐक्ट का है तो उस सेक्शन ३ (२) में एक प्रोविजो जोड़ने की बात है। इसके संबंध में कहना चाहता हूं कि सेक्शन ३ का खंड २ जो है वह इस तरह है।....

"A dealer whose turnover in the previous year is less than Rs. 12,000- or such larger amount as may be prescribed shall not be liable to pay the tax under this Act for the assessment year."

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

इसके साथ ही साथ यह प्रोविजो जोड़ने की बात है—

"Provided further that the amouunt prescribed under clause (ii) of the previous proviso is reduced during an assessment year the tax payable as aforesaid by a dealer shall be computed as follows:—

that is to say,

(*a*) on the turnover relateable to the period previous to the reduction, as though the amount had not been reduced, and

(*b*) on the remainder as though the reduced amount had been in force on all material dates."

इसके बाद जो दफ़ा ३ में प्रोविजो दिया हुआ है उस में साफ़ तौर से इस बात को कहा गया है कि १२ हजार रुपया या १२ हजार से कम रक़म इस सेल्स टैक्स में नहीं रखी तो इस ऐक्ट के मुताबिक़ सरकार को इस बात का हक़ होगा कि वह दफ़ा २४ के मुताबिक़ इस ऐक्ट में नियम बना सकती है। दफ़ा २४ में दिये गये नियमों के बनाते वक्त सरकार रूल ७ के मुताबिक़ इस बात को तय करे की १२ हजार रुपये की जगह वह १५ हजार रुपये पर सेल्स टैक्स लगाये। मेरे कहने का मतलब है कि जो सरकार प्रेसक्राइब कर दे वह १२ हजार के नीचे नहीं होगा। जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा तो ऐसी सूरत में कोई अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में, मैं समझता हूं कि जो प्रोविजो लाया गया है उसके रखने की कोई जरूरत नहीं थी। दफ़ा २४ में आप को हक़ है कि जो नियम आप बनायें वह १५ हजार रुपये की रक़म पर हो। अगर वह रक़म १२, १३ या १४ हजार रुपया हुई तो उसकी वसूली किस प्रकार होगी। मैं समझता हूं कि सरकार के सब लोग अक्लमन्द हैं और उनके जो सलाहकार हैं वह भी अक्लमन्द हैं, इसलिये उन के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। मैं समझता हूं कि जो प्रोविजो जोड़ने की कोशिश की गयी है उससे जो खतरा महसूस होता है, वह खतरा साफ़ है। ऐसी सूरत में जब यह नियम में दिया हुआ है कि सरकार को इस बात पर नियम बनाने का हक़ है, तो मैं समझता हूं कि जो खंड २ रखा गया है उस की कोई जरूरत नहीं है। इस खंड को रखने से जो दिक्क़त महसूस होती है उसको हमारे मिनिस्टर अच्छी तरह से समझ गये होंगे। हमारे मिनिस्टर काफ़ी अक्लमन्द हैं और उनके सलाहकार भी अक्लमन्द हैं, तो ऐसी हालत में सरकार को यह राउंड अबाउट तरीक़ा नहीं अख्तियार करना चाहिये। मैं समझता हूं कि जो मंत्री जी ने कहा वह सही है और मैं उस को सही भी मानता हूं। इस नियम के मुताबिक़ १५ हजार पर जितना सेल्स टैक्स होगा वह १४ हजार पर हो जायेगा, तो यह जो एक हजार रुपये का डिफरेन्स होगा, इसका हिसाब-किताब कौन करेगा? सरकार तो काफी समझदार है उसको कोई ठीक रास्ता अख्तियार करना चाहिये। इसलिये खंड २ जो कि प्रोविजो के रूप में यहा आया है, उस की कोई जरूरत नहीं है।

दूसरी बात जो कि माननीय मंत्री जी ने अपनी तक़रीर के दौरान में कही है, वह दफ़ा ३ (ए) के संबंध में कही है, और उसमें सिंगल प्वाइन्ट टैक्सेशन की बात है। उसमें कहा गया है कि......

"Notwithstanding anything contained in Section 3, the State Government may, by notification in the official gazette, declare that the proceeds of sale of any goods or class of goods shall not be included in the turnover of any dealer except at such single point in the series of sales by successive dealers as may be prescribed."

तो इस संबंध में जो नियम दिये गये हैं उन नियमों के सिलसिले में एक दिक्क़त की बात यह थी कि उसमें सिंगल प्वाइंट पर टैक्सेसन की बात है, तो जहां तक सिंगल प्वाइंट टैक्सेशन की बात है और जो कि टैक्स पे करने वाले हैं, उसके सिलसिले में यह कहा गया कि चूंकि वह इसके

खिलाफ़ नहीं हैं और सभी इस बात के पक्ष में हैं इसलिये मंत्री महोदय ने यह दलील दी है कि उसके सिलसिले में कोई कन्ट्रोवर्सियल बात नहीं है और इसको मान लेना चाहिये। मैं तो ऐसा समझता हूं कि यदि माननीय मंत्री जी इसको थोड़े में और ऐक्सप्लेन कर दें तो हमारा जो शुबहा है वह कुछ दूर हो जाय। मैं समझता हूं कि जहां तक सिंगल प्वाइंट टैक्सेशन का सवाल है वह आवश्यक न होगा और इसके साथ-साथ इस टैक्सेसन की जो वेलूएशन है, जैसे कि एक रुपये पर ३ पैसे लेने का सवाल है, तो उसको ६ पैसे भी वह कर सकती है, यह बात में इन्फार्मेशन के तौर पर जानना चाहूंगा। यदि ऐसी बात है तब तो मैं समझता हूं कि दफ़ा २४ के मातहत जो हक़ मिले हुये हैं लेजिस्लेचर को, कि वह टैक्सेशन कर सके, या जहां सरकार इस तरह से करना चाहती है, तो इसका विरोध कर सके, या इसके पक्ष में अपनी राय दे सके, सब बेकार हैं, लेकिन इस संबंध में मुझे शुबहा है, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि दफा ३ (ए) के सम्बन्ध में जिसको कि यहां दफ़ा ४ के ज़रिये से अमेंडिंग बिल में चेंज करने जा रहे हैं, वह क्यों ऐसा किया जा रहा है, अगर वह इसलिये है कि कुछ चीजों पर मल्टीपिल प्वाइन्ट के हिसाब से आप लेने जा रहे हैं, तब तो हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन यदि इसमें यह सवाल है कि मल्टीपिल प्वाइंट को सिंगल प्वाइन्ट करने जा रहे हैं, तो यह चीज भी डाउट में रहेगी कि ३ पैसे की जगह पर ६ पैसे भी हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि दुबारा बोलते समय माननीय मंत्री जी इस संबंध में अपनी राय जाहिर करेंगे। इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी के सिलसिले में जो सेल्स टैक्स जोड़ने की बात कही गई है, मैं उसका स्वागत करता हूं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैंने जो बात सुनी है उसको मैंने अपनी समझ के मुताबिक़ पहले ही यहां अर्ज कर दिया था। एक तो सेक्शन तीन का जो अमेंडमेंट है उसमें एक क्लाज बढ़ाई गयी है जो कि नई है और जिसका मक़सद यह है कि पिछले जमाने साल के पहले हिस्से में किस तरह से टैक्स लगाया गया और इसके बाद में किस तरह से लागू किया गया है, तो इस बात का जिक्र किया गया है। इसके बारे में मैं अधिक तफ़सील में नहीं जाऊंगा। मैं यह देख रहा हूं कि इसको भी मेरे दोस्त ने यह समझा कि ग़ालिबन यह ग़ैर ज़रूरी है, तो इसकी बाबत मैं यह अर्ज कर दूं कि कानून में १२ हजार की लिमिट रक्खी हुई है यानी जिस किसी की बिक्री १२ हजार रुपया सालाना है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाय, लेकिन गवर्नमेंट को क़ानून ने यह अख़्तियार दिया है कि यह जो लिमिट मुक़र्रर की गई है या इससे कोई ऊंची लिमिट मुक़र्रर करके वह उसे बन्द कर सकती है। मान लिया जाय कि गवर्नमेंट ने १२ हजार की जगह १५ हजार की लिमिट मुक़र्रर कर दी, लेकिन लीगल पोजीशन यह है कि बग़ैर यहां आये हुये या बग़ैर लेजिस्लेचर को कन्सल्ट किये हुये अगर गवर्नमेंट चाहे कि वह १५ हजार को १२ हजार कर दे, तो यह कानून के ज़रिये से कर देगी, उसमें गवर्नमेंट को कोई रुकावट नहीं है। अब १५ हजार को १२ हजार तो वह कर दे, लेकिन इसके बाद वह १२ हजार से ११ हजार नहीं कर सकती है। १५ और १२ के दर्मियान जो फ़रमाया गया है, तो उसको घटाने और बढ़ाने का सवाल है। तो जितना घटाना चाहते हैं उसके लिये तो अख़्तियार है। अगर यह अमेंड न हो तब भी ऐसी बात की जा सकती है। हम इसके लिये एक नोटिफिकेशन कर दें कि १५ हजार के बजाय १२ हजार कर दिया जाय। इसके लिये किसी तरमीम की जरूरत नहीं है। इसमें सवाल यह है कि बजाय घटाने के उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर यह टैक्स पड़ेगा, तो इसके लिये यह जरूरत होगी, तो यही क़ायदा होगा उसके लिये नोटिफिकेशन जारी किया जायगा। और जितना हिस्सा पहले गुज़र चुका है, उसका उसी तरीके से होगा। तो इसमें नियम बनाने का कोई सवाल ही नहीं है और गवर्नमेंट को यह अख़्तियार वैसे ही है। इसके लिये किसी तरह के ला बनाने की जरूरत नहीं है। इसके लिये यह बात है कि अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो उसके लिये कैलक्यूलेशन कैसे हो। तो इस सबके लिये कहना कि यह रडिन्डेन्ट है, ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को जरूरत होगी तो वह ऐसा कर सकती है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—वह तो नियम बना कर हो सकते हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—वह इस तरह से नहीं हो सकते हैं। जो ऐक्ट की बातें पहले से हैं, उनमें नियम नहीं बनाये जा सकते हैं, यदि वे पहले से न हों। तो उनको हम किसी भी रूल से नहीं बना सकते हैं और उसके अन्दर ऐसा कोई क़ायदा नहीं हो सकता है। यह तो सिर्फ़ अमेन्डमेंट की बात है। उसकी और बातों में मुझे जाने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, मैं यह समझता हूं कि वह रिडेन्डेन्ट हो नहीं सकता है। ग़ालिबन एक बात जो कुंवर साहब ने इसमें अपने अमेंडमेंट की कही है, तो उसके मुताल्लिक़ मैंने पहले से ही अर्ज कर दिया है। अगर थोड़ी देर के लिये मान भी लिया जाय कि उनका अमेंडमेंट मंजूर हो गया, तो उसमें यह है कि जो प्रोविजो इस सेक्शन ३ में लिखा है, वह न रहे। यह उनका अमेंडमेंट है। अगर उसको निकाल दिया जाय तो क्या पोजीशन रह जाती है। उसके लिये जो कैलक्यूलेशन करना होगा, उसका क्या तरीक़ा होगा। तो इसके लिये भी गवर्नमेंट जिस तरीक़े से चाहे कर सकती है। मैं तो समझा नहीं कि किसकी बाबत वैसा कहा गया। शायद यह दो बातें कही गई और अगर कुछ कहा गया तो वह मुझे याद नहीं है और अगर कुछ बातें हों तो वे मुझ से पूछी जा सकती हैं।

चेयरमैन—इस प्रकार का संशोधन पेश होगा, तब आप ऐसा कहियेगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह—यदि उसका क्लेरिफिकेशन हो जाय तो शायद हम लोग अपने अमेंडमेंट्स मूव न करें। ३ (ए) के संबंध में दफ़ा ४ जो है, उसके बारे में है, वह क्या है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—उसमें मैंने पूरे तौर से पहले ही बयान कर दिया है। सेक्शन ३ जो है उसमें यह लिखा हुआ है कि हर बिक्री पर टैक्स लगाया जाय। ३ (ए) से यह बात क़ायम की गई है। अगर अब जो यह चाहें कि किसी बिक्री पर टैक्स न लगे, तो हम क्या ३ (ए) के जरिये से उसे कम करेंगे और अगर करें तो करने से पहले उसके ऊपर लफ्ज 'प्रिसक्राइब' लिखा हुआ है। प्रिसक्राइब के माने क्या हैं? उसके माने यह होते हैं कि 'prescribed by rules made under this Act' तो जो ऐक्ट है उसके प्रिसक्राइब होने के लिये रूल मेंकिंग पावर जो गवर्नमेंट को है, उससे हमें वह करना है। मैंने यह कहा कि अगर हम किसी टैक्स को घटाना चाहें, तो उस वक्त इस चीज की जरूरत है। तो रूल उसके लिये अलग बनायें और उसमें दो, तीन महीने का वक्त लगाये, तो उसकी क्या जरूरत है। यह बिल्कुल ग़ैर जरूरी बात है, इसलिये मैं अल्फाज 'प्रेसक्राइब्ड' निकाल कर, 'स्पैसीफाई' लाना चाहता हूं। उसका मतलब यह है कि 'बाई नोटिफिकेशन' गवर्नमेंट यह तय करेगी कि यह टैक्स मल्टीपिल हो या सिंगल हो, या किसी सेल पर उसको मुक़र्रर करे। मसलन एक आदमी है वह किसी के हाथ बेच रहा है और जो खरीदता है वह होलसेलर है। इस तरह से वह आदमी दूसरे आदमी के हाथ बेचता है वह उसे तीसरे के हाथ बेचता है तो किस जगह पर टैक्स उस बिक्री पर लिया जाय? इसके लिये स्पैसीफाई करना होगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह—कितना लगेगा? That is the real point.

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मेरे दोस्त फरमाते हैं कि वह रियल प्वाइंट है। फ़र्ज कीजिये बिक्री कर जो लगा हुआ है, हर एक प्वाइंट पर ३ पाई है और मैं कल एक प्वाइंट पर ६ पाई कर दूं तो उससे किसी का कोई नुक़सान न होगा, और उसे ज्यादा न देना पड़ेगा।

श्री प्रभु नारायण सिंह—अगर आप ९ पाई कर दें तो?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—अनरीजनेबिलनेस, जो ग़ैर सरकारी आदमी हैं, के साथ है, हर एक आदमी ऐसा नामाकूल काम नहीं करेगा।

चेयरमैन—इस प्रकार के प्रश्नोत्तर इस समय सदन में परस्पर एक दूसरे से नहीं किये जा सकते।

प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० (जिसे आगे चलकर "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ के खंड (घ) में से शब्द "विद्युत् शक्ति और" निकाल दिये जायंगे।

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २ का संशोधन।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा ३ में:

(१) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड का उपखंड (४) निकाल दिया जायगा,

(२) वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खंड के पश्चात् निम्नलिखित द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खंड के रूप में जोड़ दिया जायगा :

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ३ का संशोधन।

"प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पूर्वगामी प्रतिबन्धात्मक खंड के उपखंड (२) में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्धारण वर्ष में कम कर दी जाय तो किसी व्यापारी द्वारा देय कर, जैसा कि ऊपर बताया गया है, की गणना निम्नलिखित रीति से की जायगी, अर्थात् :

(क) जिस अवधि के संबंध में कमी की गई हो उससे पहले की अवधि से संबंधित विक्रय धन पर, इस प्रकार मानो उक्त धनराशि कम नहीं की गई थी, और

(ख) शेष अवधि से सम्बन्धित विक्रय धन पर, इस प्रकार मानो कम की हुई धनराशि (reduced amount) सभी महत्वपूर्ण दिनांकों (material dates) पर ऐसी ही थी।"

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं खंड ३ में अपना संशोधन पेश करना नहीं चाहता।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं भी अपना संशोधन इस खंड में पेश नहीं करना चाहता।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनयिम की धारा ३-क की उपधारा (१) में शब्द "जो निर्धारित की जाय" के स्थान पर शब्द "जिसे राज्य सरकार निर्दिष्ट करे" रख दिये जायेंगे और उसके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे।

१९४८ ई० के संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ३-क का संशोधन।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं यह संशोधन मूव करना चाहता हूं :

पंक्ति ३ व ४ के शब्द "और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

स्थान पर रखे गये थे", के स्थान पर शब्द "तथा ऐसे निर्देशन के हेतु, मूल अधिनियम की धारा २४ उपधारा (३), (४), व (५) में प्रयुक्त विधि का पालन करना आवश्यक होगा," रख दिये जायं।

दफ़ा तीन (ए) का प्रश्न है उसका ही संशोधन किया जा रहा है। दफ़ा ३ तो बहुत साफ़ है। इसके संबंध में अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जहां पर मल्टीपुल टैक्सेज़ लगे हुये हैं, एक चीज़ पर, कई स्थान पर टैक्स देना पड़ता है। उस के द्वारा एक ही जगह पर टैक्स लगाने का अधिकार हम सरकार को देते हैं। देखने में यह चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि हमारी सरकार बहुत नेक सरकार है कि चार जगहों पर जो टैक्स लगता है, उस को एक ही जगह पर लगाना चाहती है। लेकिन इस एक्सप्लेनेशन से हमारे दिल में जो शंका थी वह साफ़ हो गई। इसके द्वारा सरकार को यह भी हक़ रहेगा कि कितना टैक्सेशन किसी चीज़ पर वह लगाये। यह एक वाइटल प्वाइन्ट है। इस के सिलसिले में जो दफ़ा २४ के मुताबिक़ नियम बनाने की बात है, उसमें जो ओरीजिनल ऐक्ट है, उस में यह साफ़ किया गया है:

"(3) The power to make rules conferred by this section shall be subject to the condition of the rules being made after previous publication for a period of not less than four weeks.

(4) All rules made under this section shall be published in the Gazette and upon such publication shall have effect immediately as if enacted in this Act.

(5) All rules made under this Act shall be laid for not less than seven ys before the Legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to such modifications as the legislature may make during the ession in which they were so laid."

मैं यह चाहता था कि जो चेंजेज़ हों उन में लेजिस्लेचर को दफ़ा २४ के मुताबिक़ यानी इसके दफ़ा ३, ४ व ५ में जो हक़ इस लेजिस्लेचर को मिले हुये हैं, इसके अन्दर सुझाव देने के, या अमेंडमेंट करने के हक़ लेजिस्लेचर को रहना चाहिये। वह ख़ासतौर से इस वजह से कि देखने में अच्छा लगता है कि कई जगहों पर टैक्स लगते हैं, उनको हम एक ही जगह पर कर देंगे। लेकिन जब हम देखते हैं कि दफ़ा ३ में यह है कि ३ पाई से ज्यादा टैक्सेशन नहीं हो सकता और इस सेक्शन की दफ़ा ३ (ए) में कहा गया है कि दफ़ा ३ का कोई भी बंधन दफ़ा ३ (ए) पर न रहेगा। इस हालत में यह हो सकता है कि ३ पाई की जगह ९ पाई, १२ पाई या १६ पाई लगा दिया जाये, क्योंकि सरकार को डेवलेपमेंट स्कीम्स के लिये रुपये की बहुत जरूरत है। पुराने ऐक्ट के मुताबिक़ इस बात का बंधन रहेगा कि जो रूल्स वह बतायें उनका पब्लीकेशन करें उसके बाद सजेशन आयें, और सजेशन्स के बाद वह टेबुल पर ले किये जायें और यदि लेजिस्लेचर संशोधन करना चाहे तो कर सके और अपनी राय ज़ाहिर कर सके। इसके पास हो जाने पर लेजिस्लेचर को यह हक़ न रहेगा कि वह इस पर विचार कर सके। यह गवर्नमेंट की स्वेच्छा पर है कि वह कितना टैक्स लगाये। अभी कम से कम लेजिस्लेचर इस पर विचार तो कर लेता है और बाहर की जनता की राय इससे प्रकट हो जाती है। वह हक़ जिनको दिया गया है माननीय मंत्री जी ने इतनी ख़ूबसूरती से समझाया कि हम लोगों का दिमाग़ परिवर्तित हो गया था। मैं समझता हूं कि इसके मुताल्लिक़ जो अमेंडमेंट दफ़ा ४ में किया जायेगा, वह भी वाइटल है। इसके उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि इसमें कुछ अन्य साधारण संशोधन करने की आवश्यकता थी। इसको हम बहुत वाइटल समझते हैं। हम इसलिये समझते हैं कि आप कितना लगाना चाहते हैं और कितना लगाने जा रहे हैं, लेजिस्लेचर इस पर विचार करे। इसको भी हम वाइटल समझते हैं। यदि आप की हमदर्दी है, यदि आप तीन महीने नहीं चाहते हैं, तो हमें इन्तहा ख़ुशी होगी। आप चाहते हैं कि दो, तीन महीने का समय न दिया जाय जिससे उसका सिंगिल प्वाइंट हो जाय, लेकिन लेजिस्लेचर को हक़ है कि वह उस पर डिसकशन कर सके। इस

हक़ को आप छीनना चाहते हैं। केवल मानवता के नाम पर आप इतना करना चाहते हैं। जो यह बिल आया है 'वह राउन्ड एबाउट वे' से आया है। उसको देखने से मालूम हुआ कि यह वाइटल संशोधन है। इसलिये हमने समझा कि यह संशोधन बहुत जायज़ है और सदन इस को मान लेगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—जो कुछ हमारे मित्र श्री प्रभु नारायण ने कहा है उसमें मुझे एक तथ्य मालूम होता है। माननीय मंत्री महोदय ने बहुत साफ़ तौर से समझाया कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि किसी तरह से पब्लिक को तकलीफ़ हो। यह गवर्नमेंट इस क़ायदे के ज़रिये इस टैक्स को वसूल करेगी मगर एक बात मुझे मुश्किल मालूम पड़ रही है कि ऐसा न हो कि शायद गवर्नमेंट ने इस पर विचार किया होगा। जब इस क्लाज़ को बनाया है तो गवर्नमेंट की इससे निरंकुश शक्ति नहीं घट जायेगी। मंत्री महोदय ने फरमाया कि प्रेस्काइब का मतलब यह है कि अप्वाइंटेड अथारिटी। आपने फरमाया कि इसमें देर लगती है और इसमें असुविधा होती है। गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर देगी और जल्दी की जायेगी कि काम में किसी प्रकार की ढिलाई न हो। यह टैक्स बढ़ाने की नियत से गवर्नमेंट नहीं कर रही है। अगर गवर्नमेंट ३ पाई का बारह पाई कर देगी तो क्या होगा। स्पेसीफाई का शब्द रखने से गवर्नमेंट आरबिट्रेरी के रास्ते पर तो नहीं बढ़ जायेगी। यह जानने की बात है। अगर गवर्नमेंट कोई नियम बनावेगी तो वह विधान सभा के सामने आयेगा। स्पेसीफ़ाई करने का गवर्नमेंट को अधिकार होगा। इस शक को दूर करने के लिये मंत्री महोदय थोड़ा फिर इस पर प्रकाश डालें कि क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है। इस क्लाज़ के द्वारा तीन पाई की सोलह पाई कर हो जायेगा। स्पेसीफाई करने से वह साफ़ हो सकता है। अगर आप जैसा कहते हैं वैसा है तो इसको स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

***श्री राजा राम शास्त्री** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री प्रभु नारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं इस बात को शुरू में ही स्पष्ट कर देता हूं कि इस कानून के संबंध में ऐसे मौके पर बहस करते हुये जो दलीलें माननीय मंत्री जी ने दीं वास्तव में इसमें जितनी जानकारी होनी चाहिये और जितना अध्ययन होना चाहिये था उतना हमारा अध्ययन नहीं हुआ। लेकिन जो शंकायें इस विधेयक के विषय में और कई बातों से उत्पन्न हुईं और जिन शंकाओं को श्री प्रभु नारायण जी ने पेश किया, उनको मैं जहां तक उनमें त्रुटियां हैं साफ़ कर देना चाहता हूं। मुझे प्रतीत होता है कि इधर कुछ समय से गवर्नमेंट को चूंकि रुपये की ज़रूरत है, उसके लिये कुछ बिल्स भी सदन में आये और नये-नये टैक्स लगाये गये या पुरानों को बढ़ाया गया उससे हमारे दिल में ऐसा ख़्याल हुआ, हो सकता है वह ख़्याल गलत हो, चूंकि इस वक्त गवर्नमेंट को टैक्स की मीनिया हो रही है, इसलिये वह सेल्स टैक्स में जो सुधार कर रहे हैं वह कहीं उस वकालत प्वाइन्ट आफ व्यू से तो नहीं समझाते हैं कि अन्दर ही अन्दर वह टैक्स लगा लें और उसे बढ़ा लें। जब यह ख़्याल होता है तब इस विधेयक को हम दूसरी ही नज़र से देखने लगते हैं। मल्टीप्वाइन्ट के बजाय सिंगिल प्वाइन्ट करने का यह अधिकार, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उसको दे दिया जाय तो क्या इस अधिकार के देने से अभी तक जो जनता पर बोझ था और जगह-जगह पर जो इस टैक्स के ख़िलाफ़ आवाज़ उठती थी, उस बोझ में कुछ कमी पड़ती है। अगर कमी पड़ती है तो बड़ी खुशी है और हर एक सदस्य इसका स्वागत करेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा अगर इस तरह की सुन्दर-सुन्दर बातों के अन्दर कुछ छिपी बातें हैं यानी जनता का वह बोझ कुछ कम नहीं होता तो सदन के मेम्बर भले ही संतुष्ट हो जायं और सरकार बधाई की पात्र हो जाय और गवर्नमेंट के खजाने में रुपया पहुंच जाय, मगर जो जनता के चिंता की चीज है वह तो वैसी ही बनी रही। यह मैं क्यों कहता हूं। मैंने पहली अक्तूबर के समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि सरकार ने नये

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राजा राम शास्त्री]

टैक्सेज और बढ़ा दिये हैं और पुराने में भी इजाफा कर दिया है, कुछ नई चीजों पर भी टैक्स लग रहे हैं। ऐसे मौके पर हम लोगों को शंका हुई कि कहीं दूसरी दफा हुकूमत जो पहले दियासलाई, बीड़ी, सिगरेट आदि चीजों पर जो कि जनता के रोज के इस्तेमाल की चीजें हैं, टैक्स लगाये और फिर उसे बढ़ा दे तो आज कहीं यह सुन्दर-सुन्दर बातें कह कर के फिर वह टैक्स को न बढ़ा दें और दियासलाई का टैक्स भी साथ ही साथ पास न हो जाय।

दूसरी दफा लेजिस्लेचर ने पास कर दिया कि एक रुपये पर एक पैसा सेल्स टैक्स आप लगा सकते हैं, लेकिन ख्याल होता है, जैसा कि आप का ख्याल है कि दूसरे सूबों में काफी टैक्स है, महज इसी सूबे में कम से कम टैक्स है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि दूसरे सूबे में सेल्स टैक्स ज्यादा है और हुकूमत की तबियत आई है कि यहां भी ज्यादा हो, यहां भी मद्रास की तरह ही सेल्स टैक्स हो, और उस बात को आप सीधे न कह कर इस तरह से कर रहे हैं। यह मेरे दिल में शंका है। जो शंकायें हैं वह म आपके सामने रखे देता हूं। इस ऐक्ट की दफा ३ से यह था कि ३ पाई लिया जायगा लेकिन अब जो दूसरी दफा आ रही है उसमें यह लिखा है कि हम उस टैक्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो यह बहुत वाइटल प्वाइन्ट आ गया है। लेजिस्लेचर ने जो हुकूमत के हाथ बांध दिये थे कि इससे ज्यादा टैक्स न लिया जाय तो इस तरह करने से उसके हाथ खुले जा रहे हैं और हम बधाई देते जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने मसला ही इस तरह से पेश किया कि वह इस बात का अधिकार चाहते हैं कि जहां उनको पहले एक पाई टैक्स लगाने का अधिकार था वहां २ पाई और ३ पाई का अधिकार मिल जाय। मैं माननीय मंत्री जी की इसके लिये प्रशंसा हमेशा ही किया करता हूं। सदन में मैंने कई बार उनकी प्रशंसा इसके लिये की है कि वह इस तरह से एक चीज को रखते हैं कि हमारा गला भी कटता जाता है और हम बधाई भी देते चले जाते हैं। तो मुझे इस बात की शंका है।

जब आगे दफा ८ आयेगी तो उसमें लिखा है कि हुकूमत ने जो कारनामे पिछले समय में किया है वह इसकी रू से सब सही हैं। इस सब का मतलब क्या निकलता है। जब मेरी निगाह पहली अक्तूबर पर जाती है जिसमें दियासलाई वगैरह पर टैक्स बढ़ा दिया और २५ दिन रुक न सके, कि लेजिस्लेचर के सामने यह चीज आजाती तो इससे तो यही मालूम होता है कि दफा ८ की रू से आप हर समय अपना ऐक्शन लिगलाइज करना चाहते हैं। २६, २७ अक्तूबर से यह सेशन होने वाला था तो मेरी समझ म नहीं आता कि पहली अक्तूबर से ही क्यों टैक्स बढ़ा दिया गया। पहले तो आपने काम शुरू कर दिया पहली अक्तूबर से और अब उसको आप लिगलाइज करना चाहते हैं हमसे। पहली अक्तूबर को अगर हुकूमत रुक गई होती और कहती कि फलां फलां काम हम करना चाहते हैं तो भवन को मौका होता और वह अपनी राय देता कि किस पर लगाना चाहिये टैक्स और किस पर नहीं, अब तो मजबूरी है। पहली अक्तूबर से तो आपने लागू कर दिया इसलिये कि आप समझते हैं कि जो कुछ आप कहेंगे या करेंगे वह पास तो हो ही जायेगा। हुकूमत समझती है कि चाहे जहां जितनी अन्धेरगर्दी कर ले, वह सब पास हो ही जायगी। इसलिये मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि पास तो वही होगा जो आप चाहेंगे। ऐसी दशा म जो कम से कम असली मंशा है वह तो बतला दिया जाये ताकि हम भी समझें कि आपका मतलब क्या है? इसीलिये मेरे जो दो तीन प्रश्न हैं वह बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहिला तो यह है कि क्या सचमुच इस दफा में जो सारा संशोधन लाया गया है वह यह है यानी उसकी मंशा यह ह कि जो टैक्स पहिले से लगा है उसकी रकम को कुछ बढ़ा दिया जाये। दूसरी चीज यह है कि सचमुच यह जो ऐक्ट है जिसमें आपके हाथ बंधे हुये हैं कि यह जो एक पैसा लगा हुआ है उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो आप इस संशोधन के द्वारा ऐसी ताक़त तो नहीं ले रहे हैं कि ओरिजिनल ऐक्ट को तोड़ कर आप अपनी ताकत

को बढ़ा रहे हों और इसके द्वारा आपको टैक्स बढ़ाने का अख्तियार मिल रहा हो ? तीसरी चीज़ यह है कि पहिली अक्तूबर से जो कुछ भी आपने किया है उस सबको आप लीगलाइज़ करना चाहते हैं क्या ? आपकी मंशा यह तो नहीं है, कि नये ढंग से कानूनी गोरख-धंधों में डाल कर, आप टैक्स तो नहीं बढ़ाना चाहते हैं। सिंगिल टैक्स के नाम पर कहीं आप टैक्स तो नहीं बढ़ाना चाहते हैं? और अगर आपका इन्नोसेन्ट में इरादा है तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बात कहने की नहीं है और इसी लिये पहिले हमने कुछ कहा भी नहीं है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर रोशनी डालें और इन बातों को स्पष्ट कर दें।

श्री इन्द्र सिंह नयाल—अध्यक्ष महोदय, इसमें जो संशोधन दफ़ा ४ विधेयक में रक्खा है, उसका मैं विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कारण कि जो मूल ऐक्ट दफ़ा ४ में है उसके ऐसे माने नहीं लगाये जा सकते हैं जैसे कि राजा राम जी और प्रभु नारायण जी लगाते हैं। यह इस प्रकार है:

"Sec. 3-A. Notwithstanding anything contained in Section 3, the Provincial Government may, by notification in the official Gazette, declare that the proceeds of sale of any goods or class of goods shall not be in cluded in the turnover of any dealer except at such single point in the series of sales by successive dealers as may be prescribed."

टैक्स एक ही स्थान में लगेगा यह नोटिफिकेशन के द्वारा सरकार उपरोक्त धारा के अनुसार पहिले से ही कर सकती थी, केवल किस स्थान में यह टैक्स लगेगा वह इस तरमीम के द्वारा नियमों के बजाय नोटिफिकेशन द्वारा अब हो सकेगा। यह अधिकार सरकार के मूल ऐक्ट में दिये हुये हैं कि एक ही स्थान में टैक्स लगाने पर वह तीन पाई से टैक्स बढ़ा कर छः पाई कर देवें। अतएव श्री राजा राम जी का व्यक्तव्य इस विधेयक में निर्मूल है। टैक्स बढ़ाने या घटाने से इस तरमीम में कोई अन्तर नहीं आता है।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मुझ से गलती हुई कि मैं इस बात को पहले नहीं बतला सका। अगर मैं उसको कह देता तो शायद मेरे दोस्त राजा राम जी को तक़लीफ न करनी पड़ती। शिकायत जो उन्होंने की तो यहां हिन्दुस्तान में हुस्न और इश्क के हिस्से में बहुत बदगुमानी होती रही हैं। शायरों ने इसका बहुत तज़किरा किया है। वह बदगुमानी जो मेरे दोस्त ने यहां ज़ाहिर करवायी उनके लिये शायद कोई चप्टर इस वक्त नहीं था कि उसकी बिना पर वह बदगुमानी की जाय। एक जवाब उसका साफ यह है कि इस रू से कोई अख्तियार गवर्नमेंट नहीं बढ़ा रही है। सिंगिल प्वाइंट टैक्स लगाने का जो उसूल है वह ऐक्ट में खुद मुक़र्रर कर दिया गया है। यह अख़्तियार तो दिया गया है कि इतना लगा सकते हैं। ज़रा आप इस दफा को पढ़ें तो मालूम हो जायेगा। जिस दफ़ा में हम ने अमेंडमेंट किया है उसको पढ़ा जाय तो यह साफ़ हो जायेगा। मैंने उसको पहले नहीं कहा क्योंकि यह बात मेरे ख्याल में नहीं थी। जो टैक्स लगता है चाहे सिंगल प्वाइंट पर हो या मल्टीपिल हो वह तो लेजिस्लेचर मुक़र्रर करता है और उस में चीज़ को स्पेसिफाई करता है। यह तो लिखा हुआ है, मैं कोई और पावर नहीं ले रहा हूं। नोटिफिकेशन के लिये पहले भी कह रखा है और अब भी कह रहे हैं। इससे लिमिट आगे नहीं जा सकती। इस के बारे में पहले भी कह चुका हूं, आप मेरी स्पीच को देख सकते हैं, वह छपी होगी। किसी चोर दरवाजे से डाका नहीं डाल रहा हूं। जितना गवर्नमेंट को लेजिस्लेचर ने अख़्तियार दे रखा है, उसको गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। जहां नये अख़्तियार लेने की जरूरत ह वहां उस अख़्तियार की बात कही जाती है। मैं कोई नया अख़्तियार नहीं मांग रहा हूं। वह बदगुमानी नहीं होनी चाहिये जो मेरे दोस्त कर रहे हैं। डाक्टर साहब पूछ रहे थे, मैं शायद इस बात को भूल गया, लेकिन मक़सद उसका भी यही था। डाक्टर साहब की नज़र में वह हो या नहीं। वह लिमिट तो है ही, उसके बियोन्ड गवर्नमेंट नहीं जा सकती। यों तो कह दिया

[श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम]

जाता है कि सरकार मेजारिटी में है, वह ज़ोर से पास कर सकती है, तो यह हर बात में लागू होता जायेगा। जो रीजनेबिल बात होती है उसके लिये लेजिस्लेचर एक लिमिट लगाता है, उसके ऊपर मैं जा नहीं सकता। मेरे नजदीक इत्मीनान होना चाहिये कि मैं जो कर रहा हूं वह क़ानून के मुताबिक कर रहा हूं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--इसको जो रिट्रासपेक्टिव इफ़ेक्ट दे रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों हुई?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम--नोटिफिकेशन की वजह से हुई है। वह किस्सा मैंने आपको सुना दिया है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि पंक्ति ३ व ४ के शब्द "और उनके संबंध में यह समझा जायगा कि वे सदा से ही उस स्थान पर रक्खे गये थे" के स्थान पर शब्द "तथा ऐसे निर्देशन के हेतु मूल अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (३), (४) व (५) में प्रयुक्त विधि का पालन करना आवश्यक होगा" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ४ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५--८

१९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा ४ का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) में शब्द "औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली" निकाल दिये जायंगे।

१९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २३ का संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा २३ की उपधारा (२) में--

(१) खंड (५) में पूर्ण विराम (Full-stop) के स्थान पर अर्ध विराम (Comma) रख दिया जायगा और उसके पश्चात् शब्द "या" जोड़ दिया जायगा:

(२) खंड (५) के बाद एक नये खंड के रूप में निम्नलिखित जोड़ दिया जायगा:--

"(६) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई कर लगाय जाने या उसके द्वारा लगाये गये किसी कर की उगाही के लिये उसके किसी अधिकारी को उनका प्रकट किया जाना आवश्यक हो।"

१९४८ ई० के संयुक्त प्रांतीय ऐक्ट संख्या १५ की धारा २५ का निकाला जाना।

७--मूल अधिनियम की धारा २५ निकाल दी जायगी।

८—इस अधिनियम के प्रचलित होने के पूर्व मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन किया गया प्रत्येक प्रख्यापन (declaration) या कर-निर्धारण (assessment) लगाया गया कर, की गई कार्यवाही या व्यवहार अथवा प्रयुक्त क्षेत्राधिकार (jurisdiction) के संबंध में यह समझा जायगा कि वह विधिवत् और वैध (good and valid in law) है, मानो धारा ४ द्वारा संशोधित मूल अधिनियम सब महत्वपूर्ण दिनांकों (material dates) पर प्रचलित था।

वैधीकरण (validation

चेयरमैन—प्रश्न यह कि खंड ५, ६, ७ और ८ इस बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना और खंड १

समय समय पर संशोधित संयुक्त प्रांतीय बिक्री-कर ऐक्ट, सन् १९४८ ई० में आगे चलकर दिये हुये प्रयोजनों के लिये और संशोधन करना आवश्यक है;

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

१—(१) इस अधिनियम का नाम "उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) अधिनियम, १९५२" होगा।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह उस दिनाँक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रिएम्बिल और खंड १ इस बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

इस बिल की कापी सब मेम्बरों को मिल गई होगी, उनको मालूम है कि यह एक्ट सन् १९४४ ई० में जारी किया गया था। उस वक्त इलाहाबाद और कानपुर में कुछ ओहदे का जिक्र नहीं किया गया था इसी वजह से इस बिल को इस वक्त लाने की जरूरत पड़ी है। इसके क्लाज २ में जो दिया हुआ है इससे दो बातें होंगी, एक तो यह कि ओहदों को लीगल समझा जायेगा और दूसरे उनको इन्सपेक्शन की पावर दी जायेगी। इसमें कोई खास बात नहीं है, इसलिये मैं समझता हूं कि इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा और सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो इस समय इस सदन के सामने पेश है, मैं समझता हूं कि इस पर किसी भी सदस्य को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन एक बात मैं सरकार से जनाना चाहता हूं। इसके उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है :

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

"It is now proposed to amend the Act in order to give these officers, now to be designated as Chief Fire Officers, definite legal status and powers, both administrative and executive, in order that they may be authorised to act under the Act and the rules made thereunder."

कुछ आफिसर्स ऐसे हैं जिनके लीगल स्टेटस और पावर्स को निश्चित करता है इस ऐक्ट के द्वारा, तो क्या यह आफिसर्स नियुक्त हो गये हैं।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जी हां, अपाइन्ट हो गये हैं और वह गवर्नमेंट के जमाने से चले आ रहे हैं और यह पहले से ही लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर में हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—अगर यह आफिसर्स अप्वाइन्ट हो गये हैं, तो क्या गवर्नमेंट को मालूम है कि वह किस सन् में अप्वाइन्ट हुये हैं?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह तो मैं नहीं बता सकता हूं कि किस सन् में इनका अप्वाइन्टमेंट हुआ था।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—क्या यह पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अप्वाइन्ट हुये थे, या गवर्नमेंट ने इनको डाइरेक्ट अप्वाइन्ट किया है?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—मुझे इसका भी कुछ पता नहीं है।

I have no information whether this service is subject to the approval of the Public Service Commission and as far as the appointment of these officers is concerned, I cannot say definitely without referring to the State records, when they were appointed. But they are working already and is simply because that legal status has to be conferred on them through the enactment of this amendment.

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—जो कुछ माननीय मंत्री जी ने कहा है उसको सुनकर हमारे लिये कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम इस बिल को पास करें। क्योंकि वह आफिसर जिनका कि इसमें उल्लेख है, पहले से ही काम कर रहे हैं और पहले से ही सरकार की सर्विस में हैं।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है केवल अभी जो सवाल डाक्टर साहब ने किये हैं और जिसकी बाबत माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि वह निश्चित सूचना देने में असमर्थ हैं, मैं समझता हूं कि सदन की जानकारी के लिये यह बहुत ही जरूरी है, इसलिये माननीय मंत्री जी इस विषय में सूचना हासिल कर लें कि आया जो तीन आफिसर्स लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद में हैं वह पब्लिक सर्विस कमीशन के मार्फत अप्वाइन्ट हुये हैं या गवर्नमेंट ने उनको डाइरेक्टली अप्वाइन्ट कर लिया है, और क्या-क्या उनकी क्वालीफिकेशन्स हैं। जब तक यह बातें निश्चित रूप से सदन को नहीं मालूम हो जाती हैं तब तक यह सदन इस बिल के ऊपर अपनी ओपीनियन दे सके, यह मुश्किल सी बात होगी। मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री द्वारा यह बिल पेश किये जाने को था शायद वह हाजिर नहीं हैं इसलिये यह सूचना मंत्री महोदय को, जो इस बिल को पेश कर रहे हैं, पूरी तरह से मालूम नहीं है। इसलिये मैं आपके द्वारा यह दरख्वास्त करूंगा कि अच्छा हो कि हाउस एडजार्न हो जाने के बाद, माननीय गृह मंत्री उपस्थित हों और तब ही इसके बाद इस बिल को लिया जाय। इस सूचना के प्राप्त किये जाने के बिना ही इस बिल पर बहस करना मैं समझता हूं कि गलत होगा।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

श्री सरदार संतोष सिंह (नाम निर्देशित)—क्या मेम्बर साहब यह बता सकते हैं कि जो फायर आफ़िसर्स हैं, उनके लिये किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन्स की जरूरत है और अगर है, तो उनकी कितनी क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिये ?

चेयरमैन—कोई सदस्य किसी दूसरे सदस्य से प्रश्न नहीं पूछ सकता। सदस्यों को हक़ है कि वह अपनी राय किसी बिल के ऊपर चेयर को दे सकते हैं लेकिन प्रश्न दूसरे सदस्य से नहीं पूछ सकते।

श्री सरदार संतोष सिंह—मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके ही द्वारा पूछ रहा हूं मेम्बर साहब से कि क्या उनको यह मालूम है कि ऐसे आफिसर्स के लिये कितनी क्वालिफिकेशन्स की जरूरत है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—कन्हैया लाल साहब ने यह बात कही है कि पहले उनको वह इत्तिला मालूम हो जाय और फिर बिल के ऊपर विचार किया जाय, तो मैं यह कहता हूं कि अगर मेम्बर साहब इसके ख्वाहिस्तगार हैं, तो मैं उन्हें वैसे ही बता सकता हूं। अगर हाउस की राय हो कि जब तक उन्हें यह मालूम न हो जाय कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन से अप्वाइन्ट हुये हैं या नहीं हुये हैं और वह क्वालिफाइड हैं या नहीं, तब तक विचार नहीं होगा, तो मैं उन्हें सरसरी तौर से बता देना चाहता हूं कि अगर यह अप्वाइन्टमेंट अभी हुआ होता, तब तो पब्लिक सर्विस कमीशन का सवाल पैदा हो सकता था, लेकिन जबकि वे पहले से ही काम कर रहे हैं तो उस हालत में यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और फिर भी अगर हाउस की यह राय हो कि इस इत्तिला की वजह से इस ला को रोका जाय और अगर इसको इस वक्त रोकना जरूरी मालूम होता है, तो मैं यही कह सकता हूं कि हाउस फिर बैठे और फिर जो कुछ भी सजेशन्स होंगे या जो कुछ भी वह पूछना चाहते हों, वह सब उनको मालूम हो जायेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—On a point of information, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। मुझे कोई भी एतराज इस बिल के सिलसिले में नहीं है लेकिन जब कोई सूचना मंत्री महोदय से पूछी गई है और यह ठीक तरह से नहीं बता सके, तो मैंने यही जरूरी समझा कि आपके द्वारा सरकार से अर्ज करूं कि जो कुछ सवाल डाक्टर साहब ने उठाये हैं, उनका जवाब इस सदन को निश्चित रूप से मिल सके। जब यह जवाब मिल जायगा तो उसके बाद इसके संबंध में जो कुछ हमें कहना होगा, वह हम कहने की कोशिश करेंगे।

चेयरमैन—यह तरीक़ा बहुत गलत हो रहा है कि बीच २ में एक सवाल पूछा जाय और फिर उसका जवाब दिया जाय और फिर इस तरह से दूसरा सवाल पूछा जाय और उसका जवाब दिया जाय। यह हमारे सदन का तरीक़ा नहीं है। जो मसला पेश है हर सदस्य को यह अधिकार है कि उस पर वह अपनी राय दे और इस तरह से जब सब सदस्य अपनी रायें दे देते हैं तब उन सबका जवाब मंत्री द्वारा दिया जाता है। जो कुछ सवाल यहां पेश है उस पर सदस्यों को अपनी राय देनी चाहिये और मंत्री महोदय तब उसका जवाब देंगे। यह भी नहीं हो सकता है कि जब तक उनका जवाब नहीं दिया जा सकता है, तब तक उस बिल पर यहां विचार न किया जाय और इस तरह से विधेयक पर बहस को रोका नहीं जा सकता। इस प्रस्ताव के बारे में जो कुछ कहना हो वह कहा जाय।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मुझे मेम्बरों के राइट्स ऐन्ड प्रिविलिजेज के बारे में कहना है। गवर्नमेंट कुछ इनफ़ारमेशन नहीं रखती है, तो मेम्बरों को यह कहने का हक है कि उनके पास यह इन्फ़ारमेशन नहीं है जब कि उन्हें इसकी जरूरत है।

चेयरमैन—इस वक्त राइट्स ऐन्ड प्रिविलेजेज (rights and privileges) का सवाल नहीं है। मंत्री महोदय सेक्रेटेरियट के हर डिपार्टमेंट की बातें हर वक्त अपने दिमाग में तो नहीं रख सकते हैं। हमारे नियमों के अनुसार किसी विधेयक के विषय में किसी

[चेयरमैन]

सूचना के न मिलने तक उस पर विचार स्थगित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विचार स्थगित करने के लिये तो सदन में प्रस्ताव करने की जरूरत है। इस प्रकार का प्रस्ताव हर वक्त करने का अधिकार सदस्यों को है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—आपने जो फरमाया वह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यह गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि मिनिस्टर इन्चार्ज जो भी बिल यहां पेश करता है, उसको पूरी इन्फारमेशन रहनी चाहिये। इस वक्त तो वह मिनिस्टर हैं नहीं लेकिन फिर भी उनको इससे संबंधित सब कागजात यहां भेज देना चाहिये था।

The Minister Incharge of the subject should provide this information. We are asked to define the legal status and the duties and functions of the fire service officers. We have the right to know what their qualifications are ? Why they were appointed and how they were appointed ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—मैं आपकी इजाजत से एक बात यह अर्ज कर दूं कि जब मेम्बरों को कई रोज से मालूम था कि यह बिल आने वाला है, तो इस तरह की इन्फारमेशन कई दिन पहले भी मांगी जा सकती थी।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—किस तरह से मांगी जाती ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—लिख करके, इस तरह से एक बहुत गलत ट्रेडिशन कायम हो जाता है कि एक सवाल पूछा जाय और फिर उसका जवाब दिया जाय और जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलता है, तब तक दूसरी बात हो न हो सके।

चेयरमैन—I cannot allow making of questions and answers across the floor.

श्री परमात्मानन्द सिंह—क्या मैं दो लफ्ज कह सकता हूं ?

चेयरमैन—आप बिल के बारे में बोलिये।

श्री प्रेम चन्द शर्मा (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो यह फायर सर्विस (अमेन्डमेंट) बिल रखा है, उसमें सिर्फ यह है कि जो आलरेडी आफिसर्स काम कर रहे हैं उनका स्टेटस लीगेलाइज किया जाय और उनको अधिकार दिये जायं कि वह मकानों में जा सकें और इन्टरी लीगल हो तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिये यह जरूरी हो कि वह पब्लिक सर्विस कमीशन से पास है या नहीं मैं समझता हूं कि यह सब्जेक्ट बिल का नहीं है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—जनाबवाला, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक को पारित* किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कोर्ट के लिये दो सदस्यों के चुनाव का प्रस्ताव

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—Sir, I beg to move that the Legislative Council do elect in such manner and on such date as the Chairman may direct, two members to serve on the Court of the Allahabad University.

---

*बिल के लिये देखिये नत्थी 'ख' पृष्ठ १३९–१४० पर।

चेयरमैन—The question is that the Legislative Council do elect in such manner and on such date as the Chairman may direct, two members to serve on the Court of the Allahabad University.

(The question was put and agreed to)

चेयरमैन—क्या माननीय मंत्री जी बता सकेंगे कि सदन की अगली बैठक कब होगी ?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—हम लोग तीसरी तारीख से बैठेंगे ।

चेयरमैन—माननीय सदस्य नामीनेशन्स ४ तारीख को १२ बजे तक सेक्रेटरी को दे दें ।

सदन का कार्यक्रम

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—जो म्युनिसिपैटीज (अमेंन्डमेंट) बिल इन्ट्रोड्यूस हो चुका है, वह ३ तारीख को लिया जायेगा ।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—श्रीमान् जी, कल छुट्टी और उसके बाद १ और २ तारीख को छुट्टी है तो ३ दिन रहना पड़ेगा, मैं समझता हूं कि ६, ७ या ८ तारीख से लिया जाय, तो क्या हर्ज होगा ।

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम—५ तारीख से यहां काम शुरू होने वाला है और हम लोग उसमें लगे होंगे, इसलिये हम बैठ नहीं सकेंगे और इसलिये हमने ३ तारीख रखी है ।

चेयरमैन—इस समय एक ही बिल है । तीसरी चौथी को शायद समाप्त हो जायगा ।

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैंने यह दरियाफ्त करना चाहा था कि प्रेस में यह न्यूज है कि आगरा यूनिवर्सिटी का एक ऐक्ट है गवर्नमेंट उसको अमेंड करना चाहती है उसके लिये गवर्नर साहब आर्डिनेंस ईशू करने जा रहे हैं । चूंकि कौंसिल आजकल इन-सेशन है, तो मैं समझता हूं बजाय इसके आर्डिनेंस ईशू किया जाय इस विषय में कौंसिल को कन्सल्ट किया जाय । मैं जानना चाहता हूं कि इसमें गवर्नमेंट को क्या आपत्ति हो सकती है ।

श्री राजा राम शास्त्री—मैंने कुछ शार्ट नोटिस क्वेश्चन्स इसी विषय पर गवर्नमेंट के पास भेजे थे । गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब आया है, मैं पढ़े देता हूं । वह इस प्रकार है :

The Education Minister regrets that he is unable to answer short notice questions as the above matter is being confidentially considered by Government at this stage."

चेयरमैन—प्रथा यह है कि समाचार-पत्रों में जो कुछ छपता है उसके बारे में सदन में इस तरह से प्रश्न नहीं किये जाते जैसा कि राजा राम जी ने कहा कि उन्होंने अल्पसूचक प्रश्न इसके बारे में दिये थे । अल्पसूचक प्रश्नों के लिये नियमों के अन्तर्गत सरकार को अधिकार है कि अगर जवाब दे सके तो दे और न देना चाहे तो न दे । इन प्रश्नों का उत्तर न दिये जाने पर अगर आप चाहें तो एडजार्नमेंट मोशन मूव करें या और कोई तरीका अख्तियार करें ।

श्री कुंवर गुरु नारायण—श्रीमान् अब पोजीशन बिलकुल क्लियर हो जाती है कि यह कांफीडेन्शल नेचर का है ।

चेयरमैन—इस पर इस समय बहस नहीं की जा सकती ।

कौंसिल तारीख ३ को ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(कौंसिल की बैठक दिन के १ बजकर ५ मिनट पर ३ नवम्बर, १९५३, को दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।)

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ,
३० अक्तूबर, १९५२ ।

नत्थी 'क'

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा पंचायत राज निरीक्षकों के शिक्षण शिविर में दिये गये दीक्षान्त भाषण का उद्धरण:—

"मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक सेवाभाव से प्रेरित हो कर अपने कर्त्तव्यों को पूरा करेंगे और सरकार से तब आप आशा कर सकते हैं कि आप अगर अच्छी तरह से सेवाभाव से और निस्वार्थ भाव से काम करेंगे तो आप में से जो अच्छा काम करने वाले हैं उनकी उन्नति और तरह से स्वयं ही होगी। वह तहसीलदार भी शायद हो सकेंगे और डिप्टी कलेक्टर भी हो सकेंगे। ऊंची ऊंची पदवियों को पा सकेंगे, यदि वे अपने कार्य से इस बात को सिद्ध कर देंगे कि वे सेवाभाव से प्रेरित हो कर अपनी परवाह न कर के जनता के हित में अपने को खपाने की शक्ति रखते हैं। अपनी उन्नति का मार्ग भी यही होता कि यदि आदमी अपने स्वार्थ की परवाह न करे तो स्वयं उसका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है।"

नत्थी 'ख'

उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) विधेयक, १६५२

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १६४४, में संशोधन करने के निमित्त

यू० पी० ऐक्ट ३, १६४४।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे, यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १६४४ में संशोधन करना आवश्यक है, अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

यू० पी० ऐक्ट ३ १६४४।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश फायर सर्विस (संशोधन) अधिनियम, १६५२ होगा।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

२—यू० पी० फायर सर्विस ऐक्ट, १६४४ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ४ में शब्दः

"(1) Fire Station Officers, (2) Fire Station Second Officers,
(3) Leading Firemen, and (4) Drivers and Firemen"

यू० पी० ऐक्ट ३, १६४४ की धारा ४ का संशोधन।

के स्थान पर निम्नलिखित रक्खे जायं:

"(1) Chief Fire Officers,
(2) Fire Station Officers,
(3) Fire Station Second Officers,
(4) Leading Firemen and Drivers, and
(5) Firemen".

३—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जायः—

यू० पी० ऐक्ट ३ १६४४ की धारा ५ का संशोधन।

"Superintendence, Powers and Functions.

5. (1) The superintendence and control of the U. P. Fire Service shall vest in the Inspector General of Police, and subject to the general control of the Inspector General of Police, and the District Superintendent of Police within the area of his jurisdiction.

(2) The State Government may appoint such officers as it may think fit to assist the Inspector General of Police and the Superintendent of Police in the discharge of their duties.

(3) Subject to the provisions of sub-sections(1) and (2), the Chief Fire Officer, Fire Station Officers and Fire Station Second Officers shall exercise such administrative powers and perform such administrative functions as may be prescribed".

४—मूल अधिनियम की धारा १६ के बाद निम्नलिखित नई धारा १६–ए के रूप में रख दी जायः

यू० पी० ऐक्ट ३, १६४४ में नई धारा १६-ए का रक्खा जाना।

Power to Search Premises.

19-A. (1) The Chief Fire Officer or any officer authorized by the Superintendent of Police in this behalf may enter and inspect any land, premises or building for the purpose of determining

whether the precautions against fire required to be taken on such land, premises and buildings under any law for the time being in force have been so taken.

(2) If any person voluntarily obstructs, offers any resistence to, or impedes or otherwise interferes with any Officer acting in the course of his duty under sub-section (1), he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine up to Rs. 500 or with both."

उद्देश्य और कारण

राज्य में इस समय तीन रीजनल फायर आफिसर्स हैं जो क्रमशः लखनऊ, कानपुर तथा इलाहाबाद में नियुक्त हैं। किन्तु फायर सर्विस ऐक्ट में उक्त स्थानों की कोई व्यवस्था नहीं है। अब यह प्रस्ताव है कि उक्त ऐक्ट को इस प्रकार संशोधित कर दिया जाय जिससे कि उक्त अधिकारियों को जो अब चीफ़ फायर आफिसर्स कहलायेंगे वैध प्रस्थिति (लीगल स्टेटस) तथा प्रशासकीय एवं कार्यकारी अधिकार प्राप्त हों और वे उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बने नियमों के अधीन कार्य करने के लिये अधिकृत हों। प्रस्तावित विधेयक में उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये इमारत तथा भूमि के निरीक्षण के निमित्त भी व्यवस्था की गयी है।

सम्पूर्णानन्द
गृह मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ४ एल० सी०—१९५३—८५०।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

सोमवार, ३ नवम्बर, १९५२

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५४)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
उमानाथ बली, श्री
एस० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
केदारनाथ खेतान, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तमदास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभुनारायणसिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
राम लखन सिंह, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
व्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शांति देवी, श्रीमती
शांति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शांति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री
हरगोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:—

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हरगोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)
श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)

प्रश्नोत्तर

१-३—श्री राम नन्दन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) —स्थगित

केन कैनाल डिवीजन, बांदा में हिसाब-किताब में देरी

४—श्री कुंवर महावीर सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)—(क) क्या यह ठीक है कि केन कैनाल डिवीज़न, बांदा में उस पेशगी रुपये का जो कि वहां के चपरासियों आदि को सन् १९५० और १९५१ ई० में रेल और लारी के किराये के लिये दिया गया था हिसाब-किताब नहीं हुआ बावजूद इसके कि टी० ए० बिल बहुत पहिले कैश (Cash) कर लिये गये थे?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि यह जनसाधारण का रुपया इतने समय तक कहां रक्खा रहा और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की?

4—**Sri Kunwar Mahavir Singh** (Legislative Assembly Constituency) (*absent*):(*a*) Is it a fact that in Ken Canal Division, Banda some advances made to the menial staff on account of railway and lorry fares in the year 1950 and 1951 were not adjusted inspite of the fact that their T. A. Bills were cashed long before?

(*b*) If so, will the Government state where this public money remained for such a long time and what action did the Government take in this connexion?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)—(क) उस पेशगी रुपये का हिसाब-किताब जो कि चपरासियों आदि को सन् १९५० और १९५१ में रेल तथा लारी के किराये के लिये दिये गये थे सम्पूर्णतः ठीक हो गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim (Minister for Finance): (*a*) Advances made to menial staff on account of railway and lorry fares in 1950 and 1951 were duly adjusted.

(*b*) Does not arise.

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो इस में लिखा गया है कि सम्पूर्णतः ठीक हो गया है वह कब ठीक हुआ है?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—वह तो अपने ड्यू टाइम (due time) में ठीक हो गया है।

५—श्री कुंवर महावीर सिंह (अनुपस्थित)—(क) क्या यह ठीक है कि केन कैनाल डिवीजन में इर्रिगेशन मैनुअल आफ आर्डर्स के पैरा ९२ (४) के विरुद्ध खसरों की नकल करने के लिये २,००० रुपया दिया गया है?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि गवर्नमेंट रूल्स की पाबन्दी न करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है?

5—**Sri Kunwar Mahavir Singh** (*Absent*): (*a*) Is it a fact that in Ken Canal Division a payment of about Rs.2,000 on account of copying *Khasras* has been made in contravention of paragraph 92 (4) of the Irrigation Manual of Orders?

(*b*) If so, will the Government state what action has been taken for the non-compliance of the Government rules?

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम----(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim: (*a*) No.

(*b*) Does not arise.

६---श्री कुंवर महावीर सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि प्रश्न संख्या ५ में लिखित खसरे इरिगेशन मैनुअल के अनुसार पूरे नहीं हुए थे जब कि रुपया पूरी दर के हिसाब से दिया गया है?

6—Sri Kunwar Mahavir Singh (*absent*): Is it a fact that the *Khasras* referred to in question no. 5 were not complete as provided in the Irrigation Manual while the payment has been made at the full rate?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim: No.

७---श्री कुंवर महावीर सिंह (अनुपस्थित)---क्या यह ठीक है कि केन कैनाल डिवीजन, बांदा में ग्राम मोरवाल के खसरा बन्दोबस्त की दो कापियां बनायी गयीं और इसके फलस्वरूप इस संबंध में दो कापियों के लिये दो बार रुपया दिया गया?

7—Sri Kunwar Mahavir Singh (*absent*): Is it a fact that in Ken Canal Division, Banda, *Khasra Bandobast* of village Morwal was copied in duplicate and consequently double payment for both the copies was made on this account?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां। इस ग्राम के खसरे की एक नकल बन जाने पर भूल से पुनः बन गई थी और उसके दाम जो लगभग ७ रुपये थे दे दिये गये थे। दूसरी कापी सुरक्षित कर ली गई है और भविष्य में काम आवेगी।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim: Yes, The *Khasra* of this village after having been copied once was again copied due to an oversight and payment which cost about Rs.7 was made.

श्री प्रताप चन्द्र आजाद----इस में जो लिखा हुआ है कि ७ रुपये गलती से खर्च करने पड़े तो मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि यह किस की गलती से हुआ है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--वह तो एक नक़ल के बजाय दो कर दी गई और उसमें ७ रुपये खर्च हो गये। यह ग़लती से हो गया था लेकिन १ के बजाय २ नकल तो बन गई।

८---श्री कुंवर महावीर सिंह (अनुपस्थित)---यदि प्रश्न संख्या ७ का उत्तर हां में है, तो सरकार उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है जो इस प्रकार अधिक रुपया देने का ज़िम्मेदार था?

8—Sri Kunwar Mahavir Singh (*absent*): If the answer to question no. 7 is in the affirmative, what action do the Government propose to take against the authority responsible for this over payment.?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--क्योंकि प्रतिलिपि भूल से बनी थी तथा थोड़े से रुपयों का मामला है किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। विशेषतः ऐसी स्थिति में जब कि यह प्रतिलिपि भविष्य में काम में लाई जा सकती है।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim : As the omission was inadvertant and as the cost involved was small, no action against any authority is called for, especially as the duplicate copy will be of use to the Department.

९--श्री कुंवर महावीर सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह ठीक है कि प्रश्न संख्या ५ में उल्लिखित खसरों में से कुछ की नकल केन कैनाल डिवीजन, बांदा के कुछ मुंशियों ने किया था जब कि उसका ठेका सत्यनारायण लाल को दिया गया था ?

9--Sri Kunwar Mahavir Singh (*absent*): Is it a fact that some of the *Khasras* referred to in question no. 5 were copied by some of the *munshis* of Ken Canal Division, Banda while the so called contract was given to one Satyanarayan Lal?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं, ठेका सत्यनारायण को दिया गया था और उन्होंने अपने ही आदमियों से यह कार्य कराया था।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim: No. The contract was given to Satya Narayan who executed the work by his own men.

महाराजा बनारस का अपने राज्य का सर्वोच्च सत्ताधारी होना

१०--श्री रामनन्दन सिंह (अनुपस्थित)--क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि महाराजा बनारस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के पूर्व और १५ अगस्त, १९४७ ई० के बाद अपने राज्य के सर्वोच्च सत्ताधारी थे ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

११--श्री रामनन्दन सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेशीय सरकार को उनके उक्त काल के किसी भी आदेश पत्र की वैधता पर विचार करने का अधिकार नहीं था और न आज है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

१२--श्री हकीम ब्रजलाल वर्मन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--स्थगित

सूचना विभाग की नियुक्तियां

१३--श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--क्या सरकार सूचना विभाग की नियुक्तियों को राजनैतिक नियुक्तियां मानने का इरादा रखती है ?

13--Sri Kunwar Guru Narain (Legislative Assembly Constituency) Do the Government propose to treat the appointments in the Information Department as of a political nature?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं। परन्तु जिला सूचना अधिकारी और अतिरिक्त जिला सूचना अधिकारियों के पदों पर जो लोग नियुक्त किये जाते हैं उनकी योग्यता

का निर्णय करते समय उनके सार्वजनिक कार्य के अनुभव पर भी ध्यान दिया जाता है जिसमें राजनैतिक अनुभव भी शामिल हो सकता है।

Sri Hafiz Muhammad Ibrahim: No, Sir, but in deciding on the suitability of candidates for appointment to the posts of District Informatin Officers and Additional District Information Officers, their experience of public work, which may also include experience of political work, is also taken into consideration.

Sri Kunwar Guru Narain—Will the Government please let us know if such appointments are outside the scope of the Public Service Commission?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं, यह बात नहीं है। जितना कानून के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये होना चाहिये वह तो हो ही रहा है।

Sri Kunwar Guru Narain: I want to know if these appointments i.e. of District Information Officers and Additional District Information Officers in the Information Department are within the scope of the Public Service Commission.

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां, वह तो है ही। सिवाय उनके, जिनको कंट्रेक्ट पर रखा गया, जैसा कि हर डिपार्टमेंट में है।

आगरा विश्वविद्यालय के उप-कुलपति का चुनाव एक आर्डिनेंस द्वारा स्थगित किये जाने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो एक काम रोको प्रस्ताव आपकी सेवा में भेजा है, अगर आप उसको मान लेने की कृपा करें तो बहुत अच्छा होगा।

चेयरमैन---श्री राजाराम शास्त्री जी ने जो कामरोको प्रस्ताव भेजा है वह यह है---

"एक अत्यन्त आवश्यक और सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिये मैं निम्नलिखित प्रस्ताव आपकी सेवा में भेज रहा हूं। विश्वास है कि आप मुझे इस प्रस्ताव को विधान परिषद् में पेश करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करेंगे।"

यू० पी० सरकार ने आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति के चुनाव को एक आर्डिनेंस निकाल कर स्थगित करके आगरा विश्वविद्यालय के वैधानिक अधिकारों तथा विधान परिषद् के सेशन के दिनों में ऐसा आर्डिनेंस जारी करके परिषद् के अधिकारों की अवहेलना की है, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस अत्यन्त आवश्यक और सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिये आज सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय ताकि सम्मानित सदस्य उस पर विचार कर सकें और सरकार के समक्ष अपने सुझाव पेश कर सकें।

चेयरमैन---इसके मुताल्लिक सब से पहली बात यह है कि प्रस्ताव १० बजकर ४५ मिनट पर आया और हमारे नियमों के अनुसार यह आधा घंटा पहले आना चाहिये। इस प्रस्ताव को आधा घंटा पहले मुझे और लीडर आफ दी हाउस को मिलना चाहिये। सरकार इसके बारे में क्या राय रखती है?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---इसके बारे में मैं तो यह अर्ज करूंगा कि इस प्रस्ताव को कल ही लिया जाय तो बेहतर होगा।

चेयरमैन---अब यह प्रस्ताव कल लिया जायेगा और उसकी ऐडमिसिबिलिटी के सम्बन्ध में कल ही बातचीत हो जायेगी।

श्री राजाराम शास्त्री---इसकी ऐडमिसिबिलिटी के सम्बन्ध में सिर्फ १५ मिनट का ही सवाल है या और भी कोई प्रश्न इसके सम्बन्ध में पैदा हो सकता है।

चेयरमैन---१५ मिनट का प्रश्न कल नहीं उठेगा। अन्य दूसरी बातें हैं उनके बारे में विचार करने का मेरा तात्पर्य है।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक

श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी इस सदन के सामने निवेदन किया था कि यह संशोधन या अमेंडिंग बिल एक खास मतलब को सामने रखते हुए लाया गया है यों तो अगर समय होता तो जो म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट सन् १९१६ है, उसमें जड़मूल से संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि वह काफी पुराना हो चुका है और उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो अभी संशोधित होनी चाहिये। लेकिन इस समय जो जरूरी सवाल हमारे सामने है वह यह है कि अगर सारे म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट को पूरी तरह से संशोधित किया जाय तो उसमें काफी देर लग जायेगी और हम उन म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव जल्दी नहीं कर पायेंगे जिनके चुनाव हुये करीब सात साल के लगभग हो गये हैं। इसके अतिरिक्त जैसे कि मांग है कि इनके चुनाव जल्दी हों तो उस मांग को पूरा करने के लिये या उनका चुनाव जल्दी कराने के लिये ही इस विधेयक का खास हिस्सा संशोधन करने के लिये, इस सदन के सामने लाया गया है। चूंकि म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव कराना बहुत जरूरी हो गया है और वह इसलिये कि उन संस्थाओं और उन नागरिकों के साथ ज्यादती करना होगा अगर इन बोर्डों का जीवन काल हर ६ महीने के लिये हम बढ़ाते चले जायंगे और इस तरह से धीरे धीरे समय बढ़ाने में दिक्कतें भी होती हैं और वह बोर्ड जो कि यह समझता है कि हमारा जीवन सिर्फ ६ महीने के लिये है, कोई नया काम नहीं कर सकता है और न किसी प्रकार की सख्ती ही कर सकता है और इस तरह से उसके ऐडमिनिस्ट्रेशन में ढिलाई आ जाया करती है। म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट जो कि सन् १९४५ में बनाया गया था उसके अनुसार समय समय पर उनका चुनाव-काल बढ़ता गया और इस तरह से उनके ऐडमिनिस्ट्रेशन में धीरे-धीरे सुस्ती आ जाना भी स्वाभाविक है। आज अगर हम इस बात का इन्तजार करते हैं कि पूरा म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट अमेंड हो जाय तो उसमें अधिक समय लगेगा। इसलिये यह विचार किया गया है कि चुनाव जल्दी कराने के लिये जितने भी आवश्यक अमेंडमेंट हैं उनको तुरन्त कर लिया जाय। इसलिये जो इस बिल का मुख्य उद्देश्य है वह चुनावों को जल्दी कराने के लिये और वह तमाम संशोधन करने का है जो कि इस नई परिस्थिति में या नई व्यवस्था में आवश्यक हो गये हैं। इसके साथ ही साथ जो कि बहुत ही आवश्यक विषय समझे गये और जिनकी वजह से म्यूनिसिपैलिटीज के ऐडमिनिस्ट्रेशन में मुहकमे को जो जो दिक्कतें मालूम होती रही हैं उनसे सम्बद्ध थोड़े से संशोधन हैं। इसलिए मैं इसको एक आंशिक और पार्शियल (partial) अमेंडमेंट कह सकता हूं जो कि म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट में है और जो बड़े भारी अमेंडमेंट आगे किसी रोज सदन के समक्ष आयेंगे उस वक्त वे तमाम मसले लिये जा सकेंगे। आज इस सदन के सदस्यों के सामने इतनी ही बात है, इसलिये मेरी पहले से प्रार्थना है कि उसमें जितने विषय रखे गये हैं वे किसी विशेष हद तक सीमित या महदूद रखे गये हैं और जो भी चीजें संशोधन के रूप में सदस्य पेश करना चाहें वे कुछ दिनों

तक इन्तजार करें ताकि जो दूसरा इस सिलसिले में अमेंडिंग बिल आयेगा, उस वक्त हम उसको ले लेंगे। यह जो म्यूनिसिपैलिटीज ऐक्ट सन् १९१६ का है और उसमें १९४८ में कुछ संशोधन हुये थे, तो उसमें कुछ खास बातें थीं जैसे कि इलेक्टोरल रोल, ऐडल्ट फ्रेन्चाइज, और प्रेसीडेंट का डाईरेक्ट इलेक्शन इत्यादि और उसमें नामिनेशन की जगह कोआप्शन था। यहां वे चीजें अभी अमल में नहीं आईं, क्योंकि अभी यहां चुनाव नहीं हुये। यहां पहले चुनाव १९४८ में हुये थे, तो अब वे सब बातें इस बार अमल में लाई जायेंगी और इसीलिये यह अमेंडिंग बिल यहां से पास हो जाना चाहिये। अब इस बिल की जो मुख्य-मुख्य बातें हैं मैं उनको इस सदन के सदस्यों के सामने रक्खूंगा ताकि जो इसमें अमेंडमेंट्स हुये हैं, मुझे आशा है कि वह सब लोगों को मंजूर होंगे। इसलिये मैं बहुत ज्यादा समय भी नहीं लूंगा और इस बिल की जो मुख्य-मुख्य बातें हैं उन्हीं का आपके सामने जिक्र कर दूंगा। चुनाव के सम्बन्ध में यह भी विचार होगा कि हमारा जो असेम्बली का एलेक्टोरल रोल है, उसी को हम एडाप्ट कर लें और जो क्वालिफिकेशन्स म्युनिसिपल बोर्ड की उस वक्त थीं, वे सब हटा दी जायें। यह चीज आज नहीं हो सकती है कि किसी भी एडल्ट को जो असेम्बली या पार्लियामेंट का वोटर हो जाता है, और इस तरह से चुनाव लड़ कर वह भारतवर्ष का भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, तो उसके लिये यह कहा जाय कि वह म्यूनिसिपैलिटी का वोटर नहीं हो सकता, तो यह चीज आज नहीं मानी जा सकती है और यह उचित भी नहीं है। इसलिये दोनों के लिये हमें ऐडल्ट फ्रेन्चाईज को मंजूर करना पड़ेगा और इसके लिये कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहां तक रिजर्वेशन का सम्बन्ध है, तो उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिये रिजर्वेशन है। कुछ रोज हुये मैंने अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि मद्रास हाई कोर्ट के सामने कुछ लोगों ने यह सवाल पेश किया कि स्त्रियों के लिये रिजर्वेशन किसी ऐक्ट में रखा गया है, तो वह ऐक्ट ग़लत है क्योंकि वह सेक्स की इक्वेलिटी को वायलेट करता है। इसलिये इस बिल का जहां तक सम्बन्ध है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है और केवल शेड्यूल्ड कास्ट के लिये इसमें रिजर्वेशन है और किसी के लिये नहीं है। इसमें बहुत से सवाल पैदा हो सकते हैं। फिर हमारे सामने बहुत सी चीजें आ जाती हैं। कहा जाता है कि लेबर का रिप्रेजेन्टेशन हो। इस तरह से जब किसी भी हिस्से की किसी चीज को आप मान लें तो उसमें शुरू करने के बाद बहुत सी दिक्कतें बाद में पेश हो सकती हैं, इसलिये ऐडल्ट फ्रेन्चाईज का सवाल रखना बहुत जरूरी है। इसमें इस तरह से अलग रिप्रेजेंटेशन हो और उनके लिये अलग अलग हिस्से हों, रिजर्वेशन हो, यह बात ठीक नहीं है। इसलिये शेड्यूल्ड कास्ट के अलावा इसमें और कोई रिजर्वेशन नहीं रखा गया है। जिस तरह से यह चुनाव होंगे वह जैसे असेम्बली के चुनाव हुये हैं उसी आधार की नक़ल की गई है। इसलिये इसमें कोई दिक्कत और कन्ट्रोवर्सी का सवाल न होगा। इसके अन्दर एक सवाल यह भी है कि यह एलेक्शन डाईरेक्ट चीफ इलेक्शन आफ़ीसर के मातहत होंगे जिससे किसी पोलिटिकल पार्टी को शिकायत का मौक़ा न हो कि किसी के साथ पक्षपात हुआ है। जो बात और जो मशीनरी असेम्बली के इलेक्शन में थी वैसी ही इसमें इलेक्शन आफ़ीसर से लेकर और दूसरे लोगों की होगी। एक चीफ़ इलेक्शन आफ़ीसर के मातहत चुनाव होगा जिसको सरकार नियुक्त करेगी। बोर्डों की संख्या के सम्बन्ध में जो १९४८ के अमेंडमेंट में की गई थी वह २० से लेकर ८० तक थी अब इस अमेंडमेंट में १५ से ५० कर दिया गया है। जो छोटी छोटी म्यूनिसिपैलिटीज हैं और जिनकी आबादी १५ हज़ार भी नहीं है उसमें १५ की संख्या ही काफ़ी है लेकिन इससे कम करना मुनासिब नहीं समझा गया। यह भी देखने में आता है कि म्यूनिसिपैलिटीज में ५० मेम्बर बैठकर किसी मामले पर वादविवाद करें तो इसमें ५० की संख्या काफी है और इससे ज्यादा मेम्बर अगर कर दिये जायं तो उससे कोई ज्यादा फायदा न होगा ऐसा मेरा ख्याल है। मैं समझता हूं कि म्यूनिसिपैलिटीज में ५० की

[श्री मोहन लाल गौतम]

संख्या काफ़ी होनी चाहिये। म्यूनिसिपैलिटीज के लम्बे चौड़े क्षेत्र नहीं हैं। इसलिये वहां की समस्या को समझने के लिये कोई दिक्कत न होगी जो मेम्बर रह चुके हैं उनको मालूम होगा कि एक वार्ड का जो मेम्बर है वह अपने शहर की हालत को अच्छी तरह से समझता है इस तरह से ५० आदमी काफी होंगे। सन् १९४८ के ऐक्ट में नामीनेशन बदल दिया गया था और कोआप्शन रखा गया था लेकिन इसमें दोनों को उड़ा दिया गया है। अब जो भी मेम्बर बोर्ड के होंगे वह चुने हुये होंगे कोई खास परिस्थिति हो जाय तो दूसरी बात है। यह इलेक्शन के सम्बन्ध में मोटी मोटी बातें हैं। इसलिये मैं इसमें सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं।

एक बात और जो जरूरी इस मुहकमे के अन्दर आई उसके बारे में मुहकमे की राय यह है और मुहकमे को चलाने के लिये वह जरूरी बातें इसमें की गई हैं। म्युनिसिपैलिटी को कम्पोस्ट बनाने का अधिकार दिया गया है। यह सवाल ऐसा है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया अपना फूड प्राब्लम या ग्रो मोर फूड के मसले को हल करने के लिये कोशिश कर रही है और मेरा ख्याल है कि वह इस काम में कुछ मदद भी देगी और मैं समझता हूं कि यदि म्युनिसिपैलिटीज इस काम को करेंगी तो कम्पोस्ट बढ़ेगा और ग्रोमोर फूड में भी आसानी होगी अब एक सवाल और है जिसको सदन के मेम्बरान नये रूप में देखते होंगे हालांकि वह इस तरह से नहीं है। एक इसमें प्रावीजन है मेम्बरों को सस्पेंड करने का। अलग करने का प्रावीजन तो पहले ऐक्ट में है। आज भी गवर्नमेंट को यह अधिकार है कि वह मेम्बरों को अलग कर दे अगर कोई ग़लती वह करें। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया, जैसा कि सब को अनुभव है कि जो भी पब्लिक सर्विस में पोजीशन आकूपाई करता है, जिसको ला (law) ने कुछ प्रोटेक्ट कर दिया है वह अगर ग़लती करें तो उनके खिलाफ तब तक ठीक इन्क्वायरी नहीं हो सकती जब तक कि उनको सस्पेंड न किया जाये। मुझ को इसका कुछ जाती अनुभव है जो कि काफी तल्ख है। मैं मेम्बर जब था उस जमाने में एक मामूली मुलाजिम के खिलाफ़ शिकायत करने के लिए मेरे खिलाफ़ म्यूनिसिपल बोर्ड ने जाली काग़जात तैयार किए और उनको पेश किया। सन् ३६ में जिन छोटे छोटे मुलाजिमान के खिलाफ मैंने रिश्वत की शिकायत की थी और जो डिस्मिस हो गए थे उनका मुक़द्दमा मेरे ऊपर अब तक चल रहा है। जिन मेम्बरों ने मजबूती के साथ, सख्ती के साथ काम किया है, उन आदमियों में से यहां भी चन्द मेरे दोस्त मुझे नजर आ रहे हैं। उनको अनुभव है कि क्या क्या दिक्कतें सामने आती हैं। उनको यह भी मालूम है कि कोई ग़लत काम करने में मैं कभी हिस्सेदार नहीं था, इस वजह से मुसीबतें मुझ पर भी आईं और उस केस में मुझको सजा हो चुकी है लेकिन अपील से मैं उससे बरी हो गया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर हम किसी मेम्बर के खिलाफ इन्क्वायरी करना चाहें, तो उसको सस्पेंड करके ही हम इन्क्वायरी अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसके साथ ही चेयरमैन, और प्रेसीडेंट जो कहलायेंगे उनका भी सवाल है। प्रेसीडेंट को हम आज अलग तो कर सकते हैं लेकिन उसमें यह लिखा हुआ है कि परसिस्टेंट फ़ेल्योर होना चाहिए। हमारे सामने एक ऐसा केस आया जिसमें रुपया ग़बन हो चुका है। उसमें हमारे लीगल एक्स्पर्ट की यह ओपीनियन है कि यह पहला मौक़ा है, वार्निंग भी कभी नहीं दी गई इसलिए उसको अलग नहीं कर सकते। अब मेरे सामने दिक्कत यह आई कि अगर हम पब्लिक मीटिंग में जाते हैं और लोग मुझ से यह कहते हैं कि तुम हमारे रुपये के कस्टोडियन हो, तुमको हमारा रुपया अच्छी तरह से रखना चाहिये। इसके बाद अगर यह कहें कि यह चेयरमैन है इसने रुपया ग़बन किया है और रुपया ग़बन करने के बाद भी यह चेयरमैन मौजूद है तो फिर आप हमारे रुपये के कैसे कस्टोडियन हैं जो कि इसको सजा भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर कोई ग्रास मिसयूज आफ़ पावर्स हो तो हम पहली बार ही चेयरमैन को रिमूव कर

सके जिससे कि अगर हम से कोई कहे कि जिसने ग़बन किया था वह आज भी चेयरमैन कैसे बना हुआ है तो हम उस चेयरमैन को पहली बार ही अलग कर सकें। दूसरी बात यह है कि यदि जरूरत हो तो हम सस्पेंड भी कर सकें। हमने मेम्बरों के बारे में कहा कि उसको सस्पेंड करके ज्यादा अच्छी तरह से इन्क्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यह हो कि चेयरमैन जो प्रेसीडेंट कहलायेगा वह मैट्रिक पास हो या उसके बराबर की परीक्षा पास हो। ऐसा इसमें रखा गया है। टाइम्स आफ इंडिया ने लिखा कि जब पार्लियामेंट के मेम्बर वगैर पढ़े लिखे अक़्ल कर सकते हैं तो चेयरमैन क्यों नहीं कर सकता है। अगर कोई पार्लियामेंट का मेम्बर, असेम्बली का मेम्बर और कौंसिल का मेम्बर हो और वह यह नहीं समझता है कि जो संशोधन आया है उसके क्या माने हैं और वह नहीं जानता कि म्यूनिसिपैलिटी का ऐक्ट क्या है तो वह किसी को नुक़सान नहीं पहुंचा सकता है। पार्लियामेंट के मेम्बर, असेम्बली के मेम्बर तथा कौंसिल के मेम्बर और एक्ज़िक्यूटिव हेड में अन्तर होता है। चीफ़ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर यह नहीं जानता है कि क़ानून क्या है तो कैसे काम चला सकता है। मेम्बर है, तो कुछ हिस्सा लेगा और कुछ नहीं लेगा इस तरह से पार्लियामेंट और असेम्बली का काम चल जायेगा लेकिन अगर प्रेसीडेंट नहीं जानता है कि गवर्नमेंट ने जो सरक्यूलर भेजा है उसके क्या माने हैं तो वह म्यूनिसिपैलिटी के ऐडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला सकता है। सेक्रेटरी अपने मतलब के लिये जो चाहे वह करवा सकता है। यह दिक्क़त हमारे सामने है। आप अगर कोई रास्ता निकालेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक गवर्नमेंट की हिदायत को नहीं समझेगा तब तक कैसे काम चलेगा। अगर आप उसमें कोई दूसरा रास्ता निकालें तो मुझे इसके मानने में कोई एतराज़ नहीं है। पहले इलेक्शन होता था और म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बरों का वह वोट लेते थे। उसमें बहुत से लोग काम करते थे लेकिन अब तो ऐडमिनिस्ट्रेशन से चुना जायेगा इसलिये पब्लिक ओपिनियन इस बात के हक़ में होगी कि वे पढ़े लिखे पेश करें। एकाउन्ट आफिसर रक्खा जाय। बहुत सी म्यूनिसिपैलिटी से शिकायत आती है। उसके सुधारने का रास्ता इतना धीमा है कि वह सुधरता नहीं है। जो सुधारते हैं उससे न तो संतोष हमको है और न आपको है। जब जनता समझती है कि हिसाब में गड़बड़ी है और गड़बड़ी होती है तो इसके माने हैं कि उसका इन्तज़ाम ठीक तरह से नहीं होता है। इसलिये जो हिसाब है उसको ठीक तरह से रखा जाय उसके लिये एकाउन्ट आफ़िसर की नियुक्ति के बारे में एक संशोधन है। सुपरिन्टेंडेंट आफ ऐजूकेशन भी अपने मातहत को रख सके और बरख्वास्त कर सके। एक सवाल जो हमारे सामने आज बहुत बड़ा हो रहा है वह यह है कि आक्ट्राई के बारे में हम क्या करें। आक्ट्राई के बारे में बहुत गड़बड़ बताई जाती है। ऐसी शिकायतें मेरे कानों तक बहुत पहुंचती हैं। मान लिया ४० लाख की आमदनी हुई और उसमें ३० लाख रिफन्ड हो जाता है। अब इस ३० लाख में गड़बड़ी भी बहुत होती है। म्यूनिसिपैलिटी की यह शिकायत है कि यह जो रुपया हमने लिया और रिफन्ड किया तो इसमें चेक करने वालों की तनख्वाहें हम देते हैं, कागज स्याही का खर्च करते हैं और जहां रिफन्ड हुआ वहां भी नोट हुआ तो यह ३० लाख का जो रिफन्ड हुआ इसमें म्यूनिसिपैलिटीज़ का जो खर्च हुआ और ग़बन और बेईमानी भी होती है, वह अलग। इस तरह से यह समस्या आक्ट्राई की हमारे सामने है और इसका मतलब हल करने के लिये क्या चीज है। यह बात सोची गई है कि आक्ट्राई रिफन्ड न हो, इस तरह का कोई तरीक़ा निकाला जाय। इस तरह से यह एक बड़ी स्कीम का हिस्सा है जिसको पूरा करने की कोशिश हम कर सकते हैं।

दूसरी चीज यह है कि सिनेमा हाउसेज, प्लेसेज आफ़ वरशिप के पास न बन सकें। उससे बहुत सी दिक्कतें पैदा होती हैं। प्लेसेज आफ वरशिप भी बहुत जल्दी बन जाते

[श्री मोहन लाल गौतम]

हैं। आपने सुना होगा कि रात रात में मन्दिर और मसजिदें तैयार कर दी गईं। मान लिया कि कोई आदमी सिनेमा बनाने वाला है और उसका कोई दुश्मन है बस रात-रात में वहां मन्दिर या मसजिद बन जाती है तो इस परेशानी को दूर करने का इरादा है लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि हम हर प्लेस आफ वरशिप के पास सिनेमा बनाना चाहते हैं। लेकिन इस तरह की जब दिक्कतें उठती हैं तो जब तक हमारे पास कोई कानूनी अधिकार न हो तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह का अधिकार हमारे पास रहेगा तो बेकार परेशान करने की किसी को गुंजायश नहीं होगी।

एक बात और है, आपको यह अन्दाजा तो होगा ही कि एक टाउन प्लानिंग का मुहकमा गवर्नमेंट के सामने है। हम यह चाहते हैं कि जो कोई टाउन बसे वह एक खास ढंग से बसे। इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है और इसके मुताबिक टाउन बसाये जाने की योजना है, लेकिन इसके यह माने नहीं हैं कि जो टाउन बसे हुये हैं उन्हें खोद कर हम नया बनायेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि आग इस प्लान के मुताबिक ही काम हो ताकि इसकी एक अच्छी शक्ल निकल आवे और चीजें ठीक होती जायं। इसके लिये कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं अब तक।

इसके लिये भी एक एडहाक कमेटी बना दी जाये। इसके लिये हमको कुछ कानूनी अधिकार हों ऐसा इस पर इशारा किया गया है। म्युनिसिपल इम्प्लाईज के बारे में भी एक रूल बनाने के लिये है। इससे यह होगा कि म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो सकता है। एक बात में और कहना चाहता हूं कि इस वक्त म्युनिसिपैलिटीज के जो टर्म्स ह वह चार साल के रक्खे गये हैं। चार साल के बाद अगर गवर्नमेंट चाहे तो वह ज्यादा से ज्यादा दो साल और बढ़ा सकती है। अभी तक ऐसा नहीं था। अभी तक तो यह था कि अगर सरकार चाहे तो वह १० साल तक बढ़ाती चली जा सकती है। इस अमेंडिंग बिल में यह रक्खा गया है कि चार साल के बाद म्युनिसिपैलिटीज का टर्म खत्म हो जायेगा और ज्यादा से ज्यादा अगर गवर्नमेंट चाहे तो वह दो साल और बढ़ा सकती है। ६ साल के बाद तो म्युनिसिपैलिटीज को इलेक्शन करना ही पड़ेगा। यह मुख्य मुख्य बातें है जो इस अमेंडिग बिल में हैं इसमें एकाध बातें हैं जो इस अमेंडिग बिल में कंट्रोवर्सी की हो सकती हैं और मेरा ख्याल है कि सदन अधिकांश बातों पर सहमत होगा। इन शब्दों के साथ में इस अमेंडिग बिल को विचार के लिये इस सदन के सामने पेश करता हूं।

चेयरमैन--श्री राजाराम शास्त्री ने एक संशोधन की सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को एक सेलेक्ट कमेटी के विचारार्थ भेज दिया जाये।

श्री राजा राम शास्त्री--मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को एक सेलेक्ट कमेटी के विचारार्थ भेज दिया जाये।

मैं इस प्रस्ताव को इस लिये पेश करना चहता हूं कि यह विषय काफी महत्व रखता है और इसपर काफी अच्छी तरह से विचार होना चाहिये। माननीय मंत्री जी ने अभी जो भाषण किया उसमें जो बातें उन्होंने पेश कीं उनमें बतलाया कि यह विधेयक क्यों लाया गया है। जहां तक चुनाव करने की बात है उसमें कोई ज्यादा विवाद की आवश्यकता नहीं है। असेम्बली का चुनाव जिस तरीके से हुआ है उसके संबंध में सब लोग जानते हैं। साथ ही साथ माननीय मंत्री जी ने कुछ बातें ऐसी पेश कीं कि मेरा ख्याल है कि उनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में कुछ विवाद हो सकता है और विरोध भी हो सकता है। मेरा ऐसा ख्याल है कि इस विषय के साथ अगर हमें पूरा इन्साफ करना है तो हमको पूरा मौका इसके संबंध में विचार करने का मिलना चाहिये। इसलिये मैं यह कहना चहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को देखते हैं कि जिस दिन यह संशोधन रक्खा गया था उसके बाद तीन रोज की छुट्टी हो गई थी। वह इसलिये हो गई थी कि हम लोग इस पर विचार कर सकें। दो रोज तक आफ़िसेज बन्द

रहे और कितने ही माननीय सदस्य अपने अपने घरों को भी चले गये। इस वक्त ११ बजे से बहस शुरू हो गई। मैं यह महसूस करता हूं कि अगर मंत्री जी को हमें पूरी सहूलियत देना है कि हम भी इसमें संशोधन ला सकें तो इसको सेलेक्ट कमेटी के सामने पेश होना चाहिये। संशोधनों को देखने से मालूम होता है कि जितने भी संशोधन आये हैं वह सब गवर्नमेंट की तरफ से आये हैं। सिवाय सरकारी पक्ष की तरफ से और किसी ने तो शायद अपने संशोधन अभी तक दिये नहीं हैं। एक तो यह मुश्किलात हमारे सामने रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को लाकर हम पर यह इल्जाम लगा दिया जाय कि पहले तो हम लोग शोर गुल मचाते रहे और पब्लिक में सरकार की आलोचना करते रहे कि सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती है और जब सरकार चुनाव करने के लिये बात करती है तो हम डिलेयिंग टैक्टिक्स करते हैं। अध्यक्ष महोदय, में आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरी मंशा कतई ऐसी नहीं है कि चुनाव रोक दिये जायं। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि जो चुनाव किया जा रहा है और नये-नये अधिकार दिये जा रहे हैं या लिये जा रहे हैं ये सब चीजें ऐसी हैं जिस पर विचार होना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप एक विशिष्ट समिति मुकर्रर कर दीजिये और उस का समय एक हफ्ता या इससे भी कम समय रखा जाय तो मुझे एतराज नहीं है। लेकिन मैं महसूस करता हूं और शायद हर मेम्बर इसको महसूस करता होगा। चूंकि आज बहस शुरू हो जायेगी तो बहस हम करेंगे ही और देखने पर मालूम पड़ेगा कि इन्साफ हो रहा है या नहीं यह सब बातें तो होंगी ही, लेकिन हमको मौका अवश्य मिलना चाहिये, क्योंकि सही ढंग से हमें मौका नहीं मिल पाया। इसकी मांग हम सरकार के सामने करते हैं। इसमें आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा यदि सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। यदि आप सात दिन की मियाद ज्यादा समझते हैं तो वह ५ या ६ दिन हो सकता है। लेकिन विशिष्ट समिति में जब जायेगा तो वहां लोगों को मौका मिलेगा।

दूसरी ओर मैं सरकार को विश्वास दिलाता हूं कि विशिष्ट समिति के अन्दर पूरी बहस हो जायगी जिससे संशोधन जो यहां पर आये हैं वे वहीं हो जायेंगे और विरोधी तथा सरकारी पक्ष इस तरह से मिलजुल कर इसे जल्दी पास कर देंगे। माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह एक मामूली बिल है, कोई लम्बी बहस या विरोध का सवाल नहीं है। अगर विशिष्ट समिति में आप ६ दिन खर्च कर दें तो मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि इस सदन में पाइलेट करने में कम समय लगेगा और आप को आसानी होगी। आपकी मंशा से यह पता लगता है कि आज बहस हो जाय और कल संशोधन पेश कर दिये जायं लेकिन यदि सरकार अपोजीशन को साथ लेकर चलती है और जिस नीयत से मैंने प्रस्ताव पेश किया है उस नीयत से काम किया जाय तो इससे मिनिस्टर को स्वयं सहूलियत होगी। इसमें किसी को विरोध नहीं होगा इस गरज से मैंने यह प्रस्ताव पेश किया है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी अवश्य इसे स्वीकार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने प्रस्ताव को सदन के सामने पेश करता हूं।

चेयरमैन---आप की क्या राय है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जो बहस हो रही है, होने दीजिये।

श्री राजा राम शास्त्री---मैंने जो अभी बहस की थी, वह अपने प्रस्ताव पर की थी कि इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि यहां तो बहस पहली रीडिंग पर हो रही है। क्या दोनों चीजें साथ ही साथ चल रही हैं।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनाबवाला, बदकिस्मती से दोनों चीजें साथ ही साथ चलती हैं। जो मोशन पेश हुआ है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और बिल पर साथ ही साथ बहस होती है। यह कोई नई बात नहीं है यह तो मैंने पहले ही कह दिया था।

चेयरमैन---माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा वह ठीक कहा है। दोनों पर साथ ही बहस होगी।

श्री राजा राम शास्त्री--अभी मैंने दोनों पर बहस नहीं की है।

चेयरमैन--इस संबंध में हमारा नियम इस प्रकार है :--

If the member incharge moves that the Bill be taken into consideration, any member may move an amendment that the Bill be referred to a select committee or a joint select committee etc.

तो इस इस समय सदन के सन्मुख मूल प्रस्ताव यह है कि इस विधेयक पर बहस की जाय और उस में यह संशोधन प्रस्तुत किया गया कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भज दिया जाय। यह दोनों साथ ही साथ बहस में लिये जायेंगे। अगर आप को मूल प्रस्ताव पर भी कुछ और कहना है तो कह सकते हैं।

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझ इस बात की खुशी है कि आज कई सालों के बाद माननीय मंत्री जी को एकाएक यह बात महसूस हुई कि म्युनिसिपैलिटीज का चुनाव हो जाना चाहिए। सूबे की जनता बहुत दिनों से इसकी मांग कर रही है। सरकार बहुत दिनों से बराबर जनता को इस बात का विश्वास दिलाती रही है कि चुनाव बहुत जल्द हो जायेगा लकिन फिर भी चुनाव बराबर टलता ही रहा। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संशोधक विधेयक को पेश करके एक तरीके से म्युनिसिपल चुनाव की ओर जनता का ध्यान आर्काषित किया है। मैं माननीय मंत्री जी को एक बार फिर बधाई देता हूं कि उन्होंने समय की आवश्यकता को समझ कर यह विधेयक पेश किया है। इस विधेयक का एक तो यह उद्देश्य है कि चुनाव किस तरीके से हो। दूसरे यह कि किस मौके से लाभ उठाया जाय। क्योंकि वह तो पार्लियामेंट का एक कानून बना और उसके मुताबिक बालिग मताधिकार के आधार पर सारे देश में चुनाव कराया गया और पीपुल्स रीप्रेजेंटेशन का जो ऐक्ट है, उसकी चुनाव के संबंध में जो धारायें हैं, मेरे ख्याल से अक्षरशः करीब करीब वही धारायें इस विधेयक के अन्दर उठाकर पेश कर दी गई हैं। इसके अतिरिक्त मुझे इस संबंध में और अधिक नहीं कहना है, हां रिप्रेजेन्टेशन के सिद्धांत की जितनी बातें हुई, जैसे कि आपने कहा कि महिलाओं को कोई रिप्रेजेन्टेशन सीट नहीं दी गई है, ठीक बात है। इसी प्रकार आपने कहा है कि म्युनिसिपैलिटीज में इस तरह के रीप्रेजेंटेशन का कोई सवाल नहीं रहा है, अब शेड्यूल कास्ट का रीप्रेजेंटेशन रक्खा गया है लेकिन लेबर के संबंध में खास तौर से माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि पहले किसी वक्त में मजदूरों की सीटें मांगी जा रही थीं। यह कहा जा रहा था कि मजदूरों को सीटें मिलनी चाहिये। लेकिन यह कहा गया है कि जहां तक बालिग मताधिकार का हक है उसकी वजह से मजदूरों को अलग से सीट देने का सवाल उचित नहीं है। मेरा तो ख्याल यह है कि रिप्रेजेंटेशन का जो सिद्धांत है वह यह है कि ओयेपेन कम्पीटीशन में अगर कोई वर्ग अपने को कमजोर पाता है जो राजनैतिक दृष्टि से आगे न बढ़ा हो, उसके पास ऐसे साधन न हों कि जिनकी वजह से वह दूसरों का मुकाबिला कर सके, तो उसकी रक्षा के लिये और उसकी प्रगति में सहायता देने के लिये यह रिप्रेजेन्टेशन का तरीका अख्तियार किया जाता है। यह तो ठीक है और मैं भी मानता हूं कि जब बालिगमताधिकार का तरीका हो गया है और हर नर नारी को वोट देने का अधिकार दिया गया है तो उस मौके पर धर्म के नाम पर सब रिप्रेजेंटेशन्स को खत्म किया गया है और इसलिये हर एक वर्ग का रिप्रेजेंटेशन मांगना गलत बात है, चुनाव में लोग भिन्न नहीं रह सकते हैं जिस तरह से जातीयता के नाम पर शेड्यूल्ड कास्ट है और जो ऐसा वर्ग है कि उसको रक्षा करने के लिये इस तरीके से किया गया, तब सचमुच में महसूस करता हूं कि जहां तक विचार धारा का ताल्लुक है, राजनैतिक लड़ाइयों का ताल्लुक है, और राजनैतिक चेतना का जहां तक ताल्लुक है, मैं मानता हूं कि लेबर वर्ग काफी आगे बढ़ा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आजकल के चुनाव हुये और उन चुनावों में घनघोर लड़ाई हुई, तो उस चुनाव में बहुत से साधन ऐसे होते हैं जैसे कि पैसा, और आजकल सबसे बड़ा साधन पैसा है। जिसके पास पैसा नहीं है वह कुछ नहीं कर सकता है। आज हजारों रुपया खर्च होता है, बड़े बड़े आदमी मुकाबिले में खड़े होते हैं तो उनके मुकाबिले में अगर हम यह कहें कि मजदूरों की ट्रेड यूनियन चुनाव की लड़ाई

लड़ें, या दूसरी पार्टीज का या और जो दूसरे चुनाव के साधन हैं, उनका मुकाबला कर सकें तो यह कठिन सी बात है मेरा अपना ख्याल यही है। अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि अब व्यक्तित्व का जमाना नहीं रहा है और मजदूर ट्रेड यूनियन को लड़ना चाहिये तो इसके लिये मैं यह कहूंगा कि उसकी भी मुश्किलें हैं। मैं तो कहूंगा कि मजदूर आज सचमुच राजनैतिक दृष्टि से इतने पिछड़े हुये हैं कि जिसका कोई भी अन्त नहीं है। उसकी राजनैतिक पार्टी इस रूप में नहीं है जैसे कि इंगलैंड में है, जो कि मजदूरों की रक्षा करने के लिए मजदूरों से ही बनी हुई है, तो ऐसी पार्टी को जरूर सामने आ जाना चाहिये। जब इस प्रेसीडेंट पर हम विचार करने लगते हैं तब मुझे पूरी आशा हो जाती है कि सचमुच में इस आम चुनाव में मजदूर व गरीब वर्ग की रक्षा वह कर सकेगा, परन्तु इसमें भी मुझे कुछ संदेह है, इसलिये कि यदि इस समस्या को माननीय मंत्री जी विचार करें, तो मेरा ख्याल है कि मजदूरों की परिस्थिति से उनको यह अच्छी तरह से मालूम हो जायेगा। साथ ही साथ में एक बात और यह भी बतलाना चाहता हूं कि देश के अन्दर आज ट्रेड यूनियन बहुत पीछे है और अगर उनको भी कुछ अधिकार हो और वे भी अपने नुमाइन्दे चुनाव में नहीं ला सकेंगे, तो उनकी रक्षा करना और उनके नुमाइन्दे म्युनिसिपैलिटीज में रखे जायें तो ज्यादा अच्छा होगा। मेरा अपना ख्याल है कि यदि ऐसा हो जाये तो हमारे लिये यह अधिक हितकर है।

साथ ही साथ मैं इस बात का भी विचार रखता हूं कि इस बिल के अन्दर और सब चीजें जैसी हैं, वे तो उचित हैं ही, लेकिन जैसा कि मेम्बरों को और प्रेसीडेंट को सस्पेंड करने और उनको अलग कर देने का जो अधिकार दिया है, यह देखना है कि वह सचमुच में कहां तक उचित है। कोई भी प्रेसीडेंट जो कि आम चुनाव से चुनकर किसी म्युनिसिपैलिटी का प्रेसीडेंट बनता है, और जनता का उस पर पूरा विश्वास है, और जिस तरीके से आम चुनाव में वोट लेने के बाद, इस तरह से जो हुकूमत बनती है, और उसका यह दावा है कि चूंकि जनता ने हमें वोट दिया है और उसके बल पर और उसके विश्वास पर ही हमने हुकूमत बनाई है, और दूसरी तरफ हुकूमत यह कहती है जिस चीज को वह हितकर समझती है, उसी को करती है, तो इस तरह से दो मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, और वे जो चुने हुये हैं, यह कह सकते हैं कि हुकूमत ने गलत काम किया। इस तरह जो मुश्किल पैदा होती है और माननीय मंत्री जी के भाषण को सुनकर जैसा ज्ञात हुआ कि किसी भी म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेंट को जो कि आम चुनाव से वोट पाकर और जिस पर कि जनता ने विश्वास प्रकट किया, और अगर अपनी दृष्टि से कोई काम करता है और यह समझता है कि उसने सही काम किया, मगर इसके विपरीत हुकूमत समझती है कि उसने गलत काम किया और उसने अपने उस काम से नुकसान पहुंचाया, तो उस समय सरकार उस अधिकार को अपने हाथ में लेगी और उसको सस्पेंड करके निकाल भी देगी। यह बात यदि डेमोक्रेसी में संभव है, तो यह अधिकार किसी भी बालिग मताधिकार पर बनी हुई, जो बाडी है, और यदि म्युनिसिपैलिटी के अन्दर इस तरह से कोई गलत काम करने की वजह से उसको सस्पेंड किया गया या हटाया गया, तो यह चीज तो मुझे पसन्द आई, मगर ऐसी भी चीज डेमोक्रेसी में होती है कि अगर हम यह महसूस करते हैं कि हुकूमत कोई गलत काम करती है और हुकूमत जनता के खिलाफ कोई काम करती है तो उस वक्त भी कोई ऐसा आर्डिनेंस जारी किया जाय और हुकूमत को सस्पेंड किया जाय और तभी इस कानून से जो म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों या प्रेसीडेंट का सस्पेंसन होगा, वह ठीक जंच सकता है। लेकिन जब आपको सस्पेंड करने का सवाल पैदा होता है, तब माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल दूसरों के लिये पैदा हो जाता है, मगर अपने लिये आप कहते हैं कि हमें यहां जनता ने चुनकर भेजा है। मैं कहता हूं कि अगर म्युनिसिपैलिटी के किसी प्रेसीडेंट ने गलत काम किया है, तो वह भी यहां जनता के विश्वास से और उनके द्वारा चुनकर आया है, तो यदि जनता समझती है कि वह अयोग्य है, उसको निकालकर बाहर किया जाय तो उस समय यह बात हुकूमत अपने हाथ में ले लेती है, तो यही बात हुकूमत के लिये भी होनी चाहिये। इस तरह से नागरिकों के बहुमत से सब चीज होना चाहिये।

अब सवाल इसमें यह हो सकता है कि इसके लिये फैसला कौन करे कि उसने सही काम किया या गलत काम किया है। म्युनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट के लिये तो फैसला हुकूमत ने किया

[श्री राजा राम शास्त्री]

है कि उसने गलत काम किया है, मगर जो जनता की मैजारिटी के द्वारा चुनकर प्रेसीडेंट हुआ है, और उसके खिलाफ किसी भी तरह से मिनिस्टर साहब को यह विश्वास हो गया हो कि इस प्रेसीडेंट या चेयरमैन ने गलत काम किया है, तो उस वक्त क्या हो सकता है। अगर उस चेयरमन ने कोई गलत काम किया आपने उसको सस्पेंड कर दिया और निकाल दिया तो उस समय आप की बात चलेगी या म्युनिसिपैलिटीज के जो मेम्बर्स हैं अगर वह कहते हैं कि चेयरमैन ने कोई गलत काम नहीं किया है तो उस वक्त आप की बात चलेगी या उन मेम्बरों की। इसी तरह से यह भी कहा गया कि म्युनिसिपैलिटीज के चेयरमैन को मैट्रीकुलेट होना जरूरी है। अगर मेम्बर अयोग्य है और उसको पता नहीं कि हाउस में आज क्या हो रहा है तो मेरे ख्याल में वह किसी का कोई नुकसान नहीं करता है सिवा इसके कि वह जिस क्षेत्र से चुन कर आया उसका वह सही तौर से प्रतिनिधित्व न करे। मेरे पास भारत का संविधान नहीं है, पता नहीं उसमें किसी राष्ट्रपति के लिये या मिनिस्टर के लिये कोई योग्यता के लिये कोई शर्त रखी गई है या नहीं। मान लीजिये कि म्युनिसिपैलिटी का एक चेयरमैन है वह कोई गलती करता है तो वह जनता को नुकसान पहुंचाता है इसलिये उसको मैट्रीकुलेट होना चाहिये। मैं पूछता हूं कि सरकार ने किसी डिपार्टमेंट के मंत्री को जिसके हाथ में लाखों रुपया दे दिया जाता है, उसके लिये कोई शर्त रखी है या नहीं कि उसका मैट्रीकुलेट होना जरूरी है या नहीं। मेरा ख्याल यह है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस हाउस का एक साधारण सदस्य हूं, मुझे पता नहीं है, अगर कोई गलती हो जाय तो मैं कोई हाउस का नुकसान नहीं करूंगा लेकिन मान लीजिये कोई गलती माननीय मंत्री जी कर बैठते हैं तो वह सूबे का कितना नुकसान कर सकते हैं, करोड़ों रुपया उनके हाथ में है तो मालूम नहीं कि उनके लिये कोई शर्त है या नहीं कि वह मैट्री-कुलेट हो या न हो। अगर मौका आया और यह बिल पास हुआ तो किसी मौके पर मेरी ख्वाहिश यह है कि एक प्रस्ताव इस सदन के अन्दर लाया जाय, जिसमें यह हो कि माननीय मंत्री को बनाने के लिये यह देखना जरूरी हो कि मैट्रीकुलेट है या नहीं यदि मैट्रीकुलेट नहीं है तो कम से कम वरनाक्युलर मिडिल पास होना तो जरूरी है। अगर कोई शर्त नहीं है और वह कोई गलती करता है तो वह देश का कितना नुकसान करता है। मैं इसके पक्ष में हूं कि शर्त होनी चाहिये इसलिये जो प्रेसीडेंट के लिये शर्त रखी गई है वह जरूरी है।

अब दूसरी बात यह है कि अगर गलती करता है तो उसको हटाने की बात है। अगर कोई सदस्य गलती करता है तो उसको हटाया जा सकता है, तो हटाने का अधिकार किसको होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इलेक्टोरेट को यह अधिकार होना चाहिये। अगर जनता यह समझती है कि इसने गलती की है और काम ठीक नहीं कर रहा है, जो उसने चुन कर भेजा है उसको यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसको निकाल सके, इसके लिये सरकार को या किसी और को अधिकार न होना चाहिये। सदन के अन्दर मान लीजिये कोई अयोग्य मेम्बर है और अगर सरकार के हाथ में या मिनिस्टर के हाथ में यह अधिकार दे दिया जाय कि वह किसी को निकाल सकता है मुझे पता नहीं कि सरकार को ऐसा अधिकार है या नहीं कि यदि कोई सदस्य कोई गलती करता है तो मिनिस्टर उसको निकाल सकता है या नहीं, तो जब तक कि वह अपना इस्तीफा न दे। अगर माननीय मंत्री जी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी मेम्बर को जो अयोग्य हो जो असेम्बली, कौंसिल या पार्लियामेंट में हो, निकाल सके, अगर यह हो जाय तो मुझको डर है कि मेरा ही सबसे पहला नम्बर आयेगा कि कोई राजनैतिक गलती मैंने की तो मुझे निकाल दिया जायगा। इस अधिकार को देने में मुझे यह खतरा मालूम होता है। हो सकता है, और मुझे विश्वास है कि अगर माननीय गौतम जी या हाफिज जी के हाथ में यह अधिकार हो और वह मुझे न निकालें लेकिन फिर भी अधिकार देने में डर लगता है। इसलिये मेरा अपना विचार यह है कि जिस क्षेत्र से वह निर्वाचित होकर आया वहां की जनता को यह अधिकार होना चाहिये कि वह उसे निकाल सकें और जिसको चाहें उसको वह वापस बुला लें।

आज सदन के अन्दर पावर्स तो हम सरकार को दे दें लेकिन पार्लियामेंटरी हुकूमत में जो पार्टी इन पावर होती है उसके मेम्बरों का सुबह से शाम तक यही पेशा रहता है कि क्या काम

किया जाय, जिससे हमारी पार्टी ही पावर में रहे। यह पावर देते वक्त अध्यक्ष महोदय, मुझे डर लग रहा है। आज इतनी पार्टी बन्दी हो रही है कि जीवन नरक के समान हो गया है। मैं उदाहरण के लिए एक बात कहना चाहता हूं, और वह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिससे यह चीज स्पष्ट हो जाये कि आज पार्टीबन्दी किस सीमा तक पहुंच गई है। परसों हमारे कानपुर में एक वाक़या हुआ। हमारी पार्टी के एक खास वर्कर के घर में दूसरे पक्ष, अर्थात् कांग्रेस के कुछ लोगों ने रिवाल्वर रखवा दिया और पुलिस से उसके खिलाफ केस चलाने की बात सोची। उसके बाद जब मैंने दरोग़ा जी और सुपरिंटेंडेंट पुलिस से कहा कि चलाइए मुक़दमा, तो अब उसके बाद मामला दबाया जा रहा है, और मुक़दमा नहीं चल रहा है। कहा यह जा रहा है कि फलां आदमी ने इसको रख दिया, केस झूठा है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी आज आप तो बहुत ऊपर उठ गए हैं इसलिये नीचे क्या हो रहा है इसका आपको पता नहीं। हम लोग जो मोहल्लों में रह रहे हैं, हम देखते हैं और महसूस करते हैं कि अगर ऐसे लोग जो यह काम कर रहे हैं कल वही अगर म्युनिसिपैलिटीज या असेम्बलियों में पहुंच जायें और हर तरह से अपने विरोधियों को दबाने की कोशिश करें, मैं यह बात कोई मंत्री जी के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा मतलब यह है कि आज तो मंत्री जी जैसे आदमी इन कुर्सियों पर बैठे हुये हैं लेकिन कल अगर मेरे जैसे आदमी जो पार्टीबाज हैं वह मंत्री बन जायें और गौतम जी म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर बन जायें उस वक्त में यह कहूं कि गौतम जी ने यह ग़लत काम किया है और मुझ राजाराम शास्त्री मंत्री को पूरा अधिकार है कि गौतम जी ने ग़लत काम किया है इसलिए इनको निकाल दूं। आप बताइए कि क्या यह मुनासिब होगा। हम पावर्स तो आपको देना चाहते हैं लेकिन यह चाहते हैं कि पावर्स आप इस तरह से लें कि आज जिस तरह से डेमोक्रेसी की वर्किंग हमारे देश में हो रही है उसमें इस तरह से पावर्स लीजिए जिससे जो पावर को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके भी हाथ बंधे रहें। क्योंकि आज की डेमोक्रेसी में हम देख रहे हैं कि सारा संसार त्रस्त हो रहा है। सत्ता जैसे-जैसे केन्द्रित हो रही है वैसे-वैसे उसका दुरुपयोग हो रहा है। आजादी के नाम पर गुलामी लाई जा रही है। मैं चाहता हूं कि आज जो सत्ता आप लखनऊ और दिल्ली में केन्द्रित कर रहे हैं उसको म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर केन्द्रित कीजिए। अगर कोई उसमें ग़लत काम करता है तो मैं चाहता हूं कि आप इलेक्टोरेट को अधिकार दीजिए, म्यूनिसिपल बोर्ड को अधिकार दीजिए, उनसे कहिए कि तुम्हारा चेयरमैन या कोई सदस्य ग़लत काम करता है उसको निकालो। यह ठीक है और मैं इसका स्वागत करता हूं। जिस तरह से समय निर्धारित कर दिया गया अधिक से अधिक दो साल और बढ़ाया गया। इस चीज की आवश्यकता थी। एक अनन्त काल तक समय बढ़ाते चला जाना ठीक नहीं था। मेरा विश्वास है कि ६ साल के बाद जनता को मौक़ा मिलेगा कि वह आवश्यक चीजों को कर सके। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इम्प्लाईज (employees) के लिये कन्डक्ट रूल्स बना रहे हैं। जहां उनके कन्डक्ट का रूल बनाना जरूरी है उसके साथ यह भी कर सकें और घोषणा कर सकें तो हमारे सारे सूबे में राहत आयेगी। जो सब से अधिक असंतोष आज हमारे सरकारी विभाग में है वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। चाहे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटी हो। इनके अध्यापकों को तीन-तीन और चार-चार महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है। साल भर में हर साल ऐसा होता है कि जब तक अध्यापक अनशन नहीं करता है, हड़ताल नहीं करता है तब तक उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। आज लखनऊ में क्या हो रहा है, कानपुर में कितनी लड़ाई है। वहां डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों की तनख्वाह तीन चार महीने से रुकी हुई है। जब आप चाहें, नियम बनायें तो हुकूमत पहले अपना कन्डक्ट दुरुस्त करे। ठीक समय पर उन लोगों को तनख्वाह मिलनी चाहिये। जब तक समय पर वेतन नहीं मिलता तब तक म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापकों की लड़ाई खत्म नहीं होगी।

[श्री राजा राम शास्त्री]

जितना रुपया इकट्ठा होता है वह लखनऊ में चला आता है। आप कहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपना काम चलायें। जितनी आमदनी देहात में होती है उसका १/४ भाग डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दीजिये। जब आप उनके हाथ में रुपया छोड़ देंगे तो शासन अच्छी तरह से हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कुछ कहा जाता है तो वह कहता है कि गवर्नमेंट को हमने लेटर लिखा है। गवर्नमेंट कहती है कि हमें इससे क्या वास्ता है। हमारे कर्मचारी अनुशासित हों और ठीक तरह से काम करें तो आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पास फंड छोड़ना होगा तो मैं चाहता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री की अच्छी व्यवस्था स्वशासन की तभी होगी, जब कि आप उनके पास कुछ फंड छोड़ेंगे। म्युनिसिपैलिटी के प्रबन्धकों को तनख्वाह तब तक न बांटी जाय, जब तक कि तनख्वाह वहां के अध्यापकों को नहीं मिल जाती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्यूनिसिपल बोर्ड के जो सर्वेसर्वा हैं उनको ऐसा सोचना चाहिये कि जब तक हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों की व्यवस्था अच्छी नहीं हो जायगी तब तक हम अपनी तनख्वाह नहीं लेंगे। मैं चाहता हूं कि इन बातों की तरफ ध्यान दिया जायेगा और सदन के अन्दर विचार किया जायेगा। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं कि यह मसला इतना सीधा नहीं है जितना कि वह सोचते हैं। मैं देखता हूं कि इस भवन में बड़ी-बड़ी बातें मिनिस्टर लेकर आते हैं और हर एक यही कहता आता है कि बहुत सीधा सादा मसला है, बड़ा इन्नोसेन्ट मसला है, इसको पास कर दीजिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब उस पर विचार होने लगता है तो उसमें बहुत बड़ी-बड़ी बातें निकलती आती हैं। इसीलिये मैं अपील करूंगा कि मेरी बात मानी जाय और २, या ४ दिन की मोहलत इस पर विचार करने के लिये दी जाय, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो कोई चुनाव नहीं टले जाते हैं और हर मेम्बर को विचार करने का मौका भी मिल जाता है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने सदन के सामने रखा है उसको सदन स्वीकार करेगा, फिर यह भी बात है कि अगर यह मसला सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाता है तो इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह रिजेक्ट किया जा रहा है। मुझे आशा है कि मेरा प्रस्ताव भवन पास करेगा।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करूं मैं उस प्रस्ताव के सम्बन्ध में जो कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में दिये जाने के लिये पेश हुआ है, कुछ कहना चाहता हूं। मैं श्री राजा राम शास्त्री की इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि यह बिल बहुत अहम है और उस पर विचार करने के लिये थोड़े समय का मौका होना चाहिये किन्तु दूसरी ओर जब हम यह देखते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव बहुत अर्से से मुल्तवी होता चला आया है और मैं समझता हूं कि इससे बहुत दिन पहले ही म्यूनिसिपैलिटीज़ का चुनाव हो जाना चाहिये था तो यह बिल अगर सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाता है तो इसमें कोई सन्देह नहीं है कि चुनाव करने में काफी देर होने की संभावना है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के मिनिस्टर साहब ने अखबारों में ऐलान किया था कि उनकी यह योजना है कि फरवरी के अन्त तक म्युनिसिपल बोर्ड्स के चुनाव हो जायं तो उसके लिये मैं यह समझता हूं कि अगर यह बिल सेलेक्ट कमेटी को जाता है और उसके बाद फिर दोनों हाउसेज में पास होने के लिये आता है तो फिर चुनाव शायद सन् ५३ में भी न हो सकेंगे। इसलिये मैं माननीय राजाराम जी से, जिन्होंने यह प्रस्ताव रखा है, यह निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

जो बिल माननीय स्वशासन मंत्री जी ने पेश किया है उसके लिये मैं समझता हूं कि वह बहुत महत्व पूर्ण है और यदि गौर के साथ इस अमेंडमेंट को पढ़ा जाय तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस विधेयक की बहुत सी बातें और बहुत से संशोधन ऐसे

हैं कि यह कहा जा सकता है कि इस अमेंडमेंट के मानने के बाद, इस बिल को स्वीकार करने के बाद, म्युनिसिपैलिटीज़ में काफी उन्नति होगी। सब से पहली चीज़ जो इस बिल में रखी गई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह यह है कि इम्पार्शियल इलेक्शन और उसके सम्बन्ध में डाइरेक्टर आफ इलेक्शन्स की नियुक्ति की जो योजना इस बिल में रखी गई है, मैं समझता हूं कि वह बहुत बड़ा अहम क़दम है और उस योजना के लिये मेरा अपना विचार है कि वह गड़बड़ी, वह बुराइयां और वह खराबियां जो अक्सर इलेक्शन के सम्बन्ध में हो जाती थीं नहीं होंगी। वह इसलिये होती थीं कि म्यूनिसिपल बोर्ड के आदमी इलेक्टोरल रोल बनाते थे। जब वह तैयार हो जाती थीं तब कोई इलेक्शन आफिसर मुकर्रर होता था उसके पास न तो इतना समय होता था और न उसके पास कोई बिल्कुल समझी बूझी योजना ही होती थी। नतीजा यह होता था कि म्युनिसिपल बोर्ड के आदमियों के द्वारा बनाये हुये इलेक्टोरल रोल के मुताबिक़ काम होता था और उसी के मुताबिक़ चुनाव कराया जाता था। इन रोलों में अधिकतर शहर के बाहर के आदमियों के नाम भी भर लिये जाते थे। जो मेम्बर उस वार्ड से खड़ा होता था वह हजारों आदमियों को जिनके नाम वार्ड में ग़लत भरे होते थे उनके द्वारा वोट डलवाया करते थे। इस तरीक़े से वह आदमी उस वार्ड से मेम्बर बन जाता था। इस बात को दूर करने के लिये एक आफिसर मुक़र्रर कर दिया जायेगा।

दूसरी चीज़ जो इस बिल के अन्दर है वह यह है कि एक आदमी एक ही जगह से वोट दे सकता है। अभी तक म्यूनिसिपल बोर्ड में कोई ऐसा नियम नहीं था। एक आदमी जहां उसकी दूकान होती थी, वह वहां से भी मेम्बर हो सकता था और जहां उसका घर होता था, वहां से भी मेम्बर हो सकता था और इसी तरीक़े से वह ५-५, ६-६ जगहों से मेम्बर हो सकता था। वह वोट तो एक ही जगह से दे सकता था लेकिन मेम्बर वह कई-कई जगह से हो सकता था। वह व्यक्ति ८ या १० जगहों से वोट ले सकता था। जब तक कोई व्यक्ति उसके खिलाफ इस बात की दरख्वास्त नहीं देता था कि इस व्यक्ति ने इतनी जगहों से वोट लिया है तब तक कोई उस पर आब्जेक्शन नहीं होता था। इसलिये यह भी बड़ी अहम चीज़ है कि एक आदमी एक ही जगह से नाम दर्ज कराये। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है हमारे भाई ने कहा है कि मैट्रीकुलेशन रक्खा जाये। यह बात ठीक नहीं है। इसके सम्बन्ध में उन्होंने सलाह दी है कि जब मंत्रियों के लिए शिक्षा की योग्यता नियत नहीं की गई है तब प्रेसीडेंट के लिये भी वह नियत नहीं होना चाहिये। जब मंत्रियों के लिये यह नहीं है कि वह इंट्रेंस पास हों, तब प्रेसीडेंट के लिये भी नहीं होना चाहिये कि वह इंट्रेंस पास ही हो। मुझे भारतवर्ष की किसी भी स्टेट की बात मालूम नहीं है जहां पर कि कोई ऐसा मिनिस्टर हो जो कि इंट्रेंस पास न हो। हां, यह बात जरूर है कि विधान के अन्दर यह लिखा हुआ नहीं है कि मिनिस्टर का इंट्रेंस पास होना जरूरी है। लेकिन किसी भी स्टेट के अन्दर कोई भी मिनिस्टर ऐसा नहीं है जो कि इंट्रेंस पास न हो। हमको किसी बात के हेरफेर में न जाना चाहिये एक सच्चाई यह है कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन इंट्रेंस पास नहीं है तो वह काम नहीं कर सकता है। अगर वह मैट्रीकुलेट नहीं है तो वह इक्जीक्यूटिव आफ़िसर के हाथ में खेलता है और सेक्रेटरी के हाथों में खेलता है। मैंने तो एक मसला भी सुना है कि किसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सेक्रेटरी ने वहां के चेयरमैन साहब के दस्तखत एक अंग्रेजी के लेटर में करवा दिये जिसमें लिखा कुछ था और बतलाया कुछ और ही। जब यहां यह चीज़ चलती है तो मैं यह समझता हूं कि होना तो यह चाहिये था कि जो सिटी म्युनिसिपल बोर्ड हैं जैसे लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, बरेली इत्यादि इनके लिये मेरा अपना ख्याल यह था कि इन सिटी म्युनिसिपल बोर्ड का प्रेसीडेंट कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। क्योंकि इन शहरों में ऐसे बहुत से योग्य व्यक्ति मिल जायेंगे।

[श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद]

जहां की आबादी ३ लाख से ज्यादा है वहां का प्रेसीडेंट जो होगा वह मेरी अपनी राय से ग्रेजुएट होना चाहिए। इन सिटीज़ के अलावा जो दूसरे म्युनिसिपल बोर्ड हैं वहां पर कम से कम मैट्रिक लफ्ज़ होना चाहिये। इसी ढंग से जो मेम्बर हैं उनके लिये यह होना चाहिए कि जो हिन्दी लिखना और पढ़ना जानते हों। मैं समझता हूं कि यह निहायत आवश्यक चीज़ है। हर वक्त यह दलील पेश की जाती है कि असेम्बली और कौंसिल का मेम्बर तो अंगूठा लगाने वाला भी हो सकता है तो क्यों म्युनिसिपल बोर्ड के लिये ही ऐसा किया जा रहा है। यह बात इसलिये ठीक नहीं है क्योंकि असेम्बली और कौंसिल का जहां तक सम्बन्ध है वह तो वाइडर सेंस में हो सकता है कि वह अपनी कान्सटीट्यूएन्सी को ठीक ढंग से रिप्रेज़ेन्ट नहीं कर सकते हैं लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड ऐसा स्थान है जहां पर लोगों के लोकल इन्टरेस्ट होते हैं और एक छोटा सा दायरा उसका होता है। उस दायरे से जो लोग चुन कर जाते हैं वह लोगों के छोटे छोटे इन्टरेस्ट की रक्षा कर सकते हैं ऐसी उनसे उम्मीद भी रखी जाती है कि वे लोग वहां जाकर हमारे इन्टरेस्ट की रक्षा करेंगे। जहां तक असेम्बली और कौंसिल का ताल्लुक है इसके लिये यदि हमारे विधान में रख दिया जाय कि अंगूठा लगाने वाला नहीं हो सकता तो मुझे उसकी भी मुख़ालिफत नहीं होगी। लेकिन यह कहना कि वहां पर भी यह बात नहीं है, इसलिये यहां भी नहीं होनी चाहिये, इसका मैं विरोध करता हूं। इसके अलावा १, २ बातें विधेयक के अन्दर और हैं जो निहायत आवश्यक हैं। एक तो यह है कि जो असेम्बली के इलेक्टोरल रोल हैं वही म्युनिसिपल बोर्ड के लिये भी बनेंगे। असेम्बली के इलेक्टोरल रोल ऐसे होते हैं जो कि इम्पार्शियल अथारिटी के ज़रिये बनाये जाते हैं। मैं समझता हूं कि काफ़ी ध्यान के बाद ये बनाये जाते हैं और लोगों को भी आब्जेक्शन करने का काफी मौका दिया जाता है। जो लोग इसमें होंगे उसके अलावा और भी हो सकते हैं। इससे साबित होता है कि बहुत कम तादाद में ऐसे लोग रह जायेंगे जिनके नाम म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्टोरल रोल में दर्ज न होंगे। अब तक ऐसा होता था कि जिस वार्ड का मेम्बर होता था यदि वह जान ले कि इस एरिया के आदमी मेरे खिलाफ हैं और मुझको वोट न देंगे तो वह उनका नाम उड़ा देता था और उस इलेक्टोरल रोल के अन्दर एक ग्रुप का ग्रुप नहीं होता था। लेकिन अब यह सम्भव नहीं है। यह तो वह दो तीन बातें थीं जो इसके अन्दर अच्छाई की हैं और जिनसे म्युनिसिपल बोर्ड्स के इलेक्शन होने के बाद म्युनिसिपल बोर्ड की काफी तरक्की हो सकती है। एक बात इसमें रिजर्वेशन आफ सीट्स फार शेड्यूल्ड कास्ट है। रिजर्वेशन के बारे में एक बात अर्ज करनी है और वह यह है कि रिजर्वेशन आफ सीट्स सन् ४८ में जो बिल बना था उसमें भी रखा गया था लेकिन जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वह खत्म कर दिया गया।

यह जो नया विधेयक है इस में जो रिज़र्वेशन आफ सीट को खत्म किया गया है यह निहायत ज़रूरी है। मैं समझता हूं कि इसको किसी भी हालत में रखना ठीक नहीं है। सन् १९४६ ई० में जो म्युनिसिपल ऐक्ट बना था उस में रिजर्वेशन आफ सीट की शुरुआत हुई थी। उसी वक्त इस का श्री गणेश हुआ था। मैं समझता हूं कि अब इस तरह से सीट का रिज़र्वेशन ठीक नहीं है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। चूंकि हमारे भारतवर्ष के संविधान के अनुसार यह परम्परा कायम की गई है। लिहाज़ा भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के बाद इसको खत्म कर देना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी के सामने इस सम्बन्ध में एक दो सुझाव और रखना चाहता हूं। मेरी राय में इस बिल में सबसे बड़ी कमी यह है कि सन् १९१६ ई० में इस बिल के अन्दर कुछ योजना बड़े शहरों के लिए बनाई गई थी, उसके बाद सन् १९४८ ई० में भी कुछ योजना बनाई थी, लेकिन अब इसके अन्दर कोई विशेष योजना नहीं है। मैं समझता हूं कि एक अच्छे ढंग से यह संशोधन यहां पर आना चाहिए था। माननीय मंत्री जी के अखबारों के वक्तव्य से मालूम होता है कि लखनऊ और कानपुर में एक कारपोरेशन की योजना बनायी जाय। लेकिन इस के साथ ही साथ मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसके अलावा भी जो बड़े शहर हैं, जैसे बनारस, आगरा, इलाहाबाद और बरेली हैं,

उनमें भी यह योजना लागू होनी चाहिये। जिन शहरों की आबादी ३ लाख और ४ लाख से अधिक हो, में समझता हूं कि वहां पर यह कारपोरेशन की योजना कायम होनी चाहिए। इस के अलावा मैं यह भी अर्ज़ कर देना चाहता हूं कि इस विधेयक में सेविन सीटीज़ के बारे में कोई योजना नहीं रखी गई है।

दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि १५ और ५० की जो तादाद रखी गई है वह ठीक नहीं है। मेरा अपना सुझाव है कि जैसा कि सन् ४८ के ऐक्ट में था कि ज्यादा से ज्यादा ६० होनी चाहिए। मैं तो समझता हूं कि यह भी कम है। मेरा अपना विचार है कि कम से कम २० से लेकर ६० तक होनी चाहिए। यानी बड़े शहरों के अन्दर ६० और जो छोटे-छोटे शहर हैं उनके अन्दर २० की संख्या होनी चाहिए। अब मुझे डिसक्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में कुछ अर्ज़ करना है। डिसक्वालि-फिकेशन के सम्बन्ध में जितनी भी क्लाज़ हैं, मैं उन सब से मुत्तफ़िक हूं लेकिन एक क्लाज़ ऐसी है कि जिससे मुत्ताफ़िक नहीं हूं इसमें एक क्लाज़ ऐसी है कि जिसके अन्दर लिखा हुआ है कि वह आदमी वोट नहीं दे सकेगा या खड़ा नहीं हो सकेगा जो कि पुलिस कस्टडी में हो या जेल के अन्दर अन्डर ट्रायल हो, यह चीज़ मैं समझता हूं कि कुछ मुनासिब नहीं है। म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के समय में या अन्य किसी चुनाव के समय में पार्टीज़ में आपस में मनमुटाव हो जाया करता है और पुलिस को प्रीकाशन के तौर पर उस आदमी को गिरफ्तार करना पड़ता है या कोई आदमी ऐक्सीडेन्टली जेल चला जाता है किसी जुर्म के सिलसिले में, लेकिन उस आदमी का कसूर नहीं है और वह वैसे ही गिरफ्तार हुआ है और जब उसका ट्रायल हुआ तो वह बिल्कुल बेकसूर साबित हुआ और वह रिहा हो जाता है तो इस अमेंडमेंट के ज़रिये से उस आदमी को डिबार किया जाता है कि वह वोट न दे सके या चुनाव में खड़ा न हो सके। मैं तो समझता हूं कि इस के अन्दर इस चीज़ को रख दिया जाय कि जिस आदमी को किसी मामले में जेल हो गई हो तब तो वह वोट नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन कोई आदमी पुलिस कस्टडी में हो या जेल में अन्दर ट्रायल हो, वह वोट न दे सकेगा या खड़ा नहीं हो सकेगा, मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं होगा। मेरा माननीय मंत्री जी से यह सुझाव है कि इसपर पुनःविचार करें तो ज्यादा अच्छा हो।

नो कन्फीडेंस वोट का इस बिल के अन्दर संशोधन के द्वारा हेरफेर नहीं किया गया है। पहले जब कि प्रधान को मेम्बर ही चुना करते थे या जो भी प्रधान चुना जाता था वह मेम्बरों में से ही आपस में से चुन लिया करते थे उस समय तो यह प्रथा ठीक थी लेकिन अब जब कि प्रधान, बालिग मताधिकार के आधार पर चुन कर आ जाय तब इतनी जल्दी और इतनी आसानी के साथ उसके खिलाफ नो कान्फीडेंस का प्रस्ताव आ जाय या पास हो जाय और वह निकाल दिया जाय, मैं समझता हूं कि यह ज्यादा मुनासिब नहीं है। एक मेम्बर असेम्बली का या कौंसिल का अपने क्षेत्र से चुन कर आता है वह अडल्ट फ्रेंचाइज़ के बेसिस पर चुन कर आता है तो मैं यह समझता हूं कि उसके खिलाफ इस सदन के अन्दर या असेम्बली के अन्दर कोई ऐसा कानून नहीं है कि उसके खिलाफ नो कान्फीडेंस का मोशन पास कर दिया जायेगा और जब चेयरमैन भी बालिग मताधिकार के आधार पर चुन कर आयेगा तो जो कोई भी उसको वोट देता है उसका पूरा कान्फीडेंस उसके ऊपर है और इसीलिये वे उसको चुनते हैं। लेकिन मेम्बर अगर किसी अन्य कारणों से चेयरमैन से नाराज हो जायं तो उसके खिलाफ नान कान्फीडेंस का मोशन ले आते हैं और उसको निकाल दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यह ठीक मालूम नहीं होता है। जहां तक मेम्बर्स के ससपेन्शन का सवाल है उसके बारे में थोड़ा सा कहूंगा और वह यह कि जैसाकि श्री राजाराम जी ने कहा कि उनको हटाने की प्रथा नहीं होनी चाहिये। इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूं और वह इसलिये नहीं कि वह चाहे कितना ही बुरा करे, कितना ही इम्बेज़ेलमेंट हो वह वहां से न निकाला जाय उनके कहने का मतलब यह है कि उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि ५ साल का जो टाइम है उसके अन्दर कोई उसको निकालने वाला न हो चाहे उनके दिल में

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

कितनी ही बुराई हो, तो मैं इससे इत्तिफाक नहीं करता हूं कि वह न हटायें जायं। अभी जैसा कि राजा राम जी ने कहा है कि अगर मेंबर नहीं हट सकते हैं तो उनको हटाने की कोई गुन्जाइश नहीं होनी चाहिये।

मैं कहता हूं कि हमारे सामने एक मेंम्बर होता है और उस मेम्बर के मुताल्लिक यह मालूम हो जाता है कि उसके खिलाफ बड़े ग्रेव चार्जेज हैं, तो उसके लिये जो हटाने का प्रावीजन है, वह मैं समझता हूं कि ठीक है, लेकिन सब लोगों को यह मालूम हो जाता है कि फलां मेम्बर या चेयरमैन ने यह इम्बेजलमेंट किया है, और इस तरह से खराबी की है, तो मैं समझता हूं कि उसको उस वक्त तो हटा दिया जायेगा, लेकिन उसको हटाने से पहले ही ससपेंड कर देना मैं समझता हूं कि यह मुनासिब नहीं है, इसलिये कि जनता ने उसको अपना प्रतिनिधि चुना है और जनता के प्रतिनिधि को भी आप उसी तरह से ससपेंड कर देंगे जैसा कि गवर्नमेंट और आफिसरों को करती है, तो मैं समझता हूं कि यह चीज उचित नहीं है। एक और चीज इसमें यह है कि लोगों को यदि यह मालूम हो जाये कि यह आदमी या प्रधान ससपेंड है, तो मेम्बरों या दूसरे लोगों में उसका बहुत खराब रेपुटेशन हो जायेगा और एलेक्टर्स की निगाह में उसकी रेपुटेशन खत्म हो जायेगी। इस तरह से जब वह दुबारा रिइन्स्टेट होता है, और वह फिर प्रेसीडेंट हो जाय, तो उसमें सिर्फ सवाल उसकी पहले वाली रेपुटेशन की ही है। इस तरह से ससपेंड हो जाने से उसकी रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जायेगी। इसलिये मैं समझता हूं कि ससपेंशन वाला क्लाज न तो मेम्बरों के लिये होना चाहिये और न प्रेसीडेंट के लिये होना चाहिये। जहां तक एक्सटैंशन की चीज है, इस विधेयक के अन्दर यह बात है कि म्युनिसिपैलिटी का टर्म ४ साल का होगा और इसके साथ ही साथ इसके क्लाज में यह भी है कि दो साल तक उसमें एक्सटेंशन हो सकता है। मैं समझता हूं कि ये दो साल भी जोड़कर इस तरह से पूरे ६ साल हो जाते हैं और मेरे विचार से एक्सटेंशन एक ही साल का होना चाहिये। कुल मिलाकर ५ साल काफी हैं और एक साल से ज्यादा किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिये। डिसक्वालिफिकेशन के संबंध में जो बात है तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि करों का एरियर किसी पर है, तो वह आदमी न तो खड़ा हो सकता है और न वोट दे सकता है। मैं समझता हूं कि आज बीसों प्रकार के टैक्स हैं, तो उनमें अक्सर ऐसा होता है कि आदमी अपील करता है और इस तरह से ६ महीने, साल भर या डेढ़ साल, उसमें लग जाता है, और इससे अगर यह कर दिया जाय कि फलां आदमी ने टैक्स नहीं दिया इसलिये वह एलेक्शन में खड़ा भी नहीं हो सकता है और वोट भी नहीं दे सकता है, यह मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है। यह होना चाहिये कि अगर किसी आदमी का टैक्स एरियर में म्युनिसिपैलिटी का हो, तो उसके लिये यह होना चाहिये कि खड़ा नहीं हो सकता है और यह चीज मेरे ख्याल से मुनासिब भी है। एक चीज मैं आक्ट्राय के संबंध में अर्ज करना चाहता हूं। उसमें जानवरों के संबंध में यह बात है कि अगर वह कहीं बाहर से म्युनिसिपैलिटी एरिया के अन्दर कन्जंम्पशन या सेल के वास्ते लाये जाते हैं, तो उनको आक्ट्राय देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि यह क्लाज ज्यादा ठीक नहीं है। जानवरों में बहुत से छोटे जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि भेड़ और बकरी और अगर देहात से कोई आदमी एक बकरी लाता है और उसमें एक आना या ६ पैसे रुपये के हिसाब से अक्ट्राय लगता है, तो मैं समझता हूं कि यह चीज ज्यादा मुनासिब नहीं है।

इस तरह जो जानवर देहात से शहर में आयें उनसे आक्ट्राय नहीं लेनी चाहिये। मैं एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। इसके अन्दर एक नया क्लाज बढ़ाया गया है वह यह कि म्युनिसिपैलिटीज की जो प्रोसीडिंग्स हों उसके लिये यह रखा गया है कि उनको किसी हिन्दी के पेपर में छपवाना आवश्यक होगा। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय, मैं आप की इजाजत से यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक छपवाने का संबंध है मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं यह समझता हूं कि बहुत सी जगह उसका दुरुपयोग होता है कुछ अखबार ऐसे होते हैं जो किसी मेम्बर के होते हैं और उसका काम यह होता है, कि वह प्रेसीडेंट और मेम्बरों की बड़ाई ही

छापता रहता है और उसकी तारीफ़ छापता रहता है और वह अगर कोई गड़बड़ी करता है तो कभी आप उस पेपर में न पायेंगे। इस तरह से वह हजार या डेढ़ हजार रुपया की आमदनी कर लेता है। मेरा अपना विचार यह है कि उसके अन्दर यह शब्द रख दिये जायं कि प्रोसीडिंग्स उन अखबारों में छपनी चाहिये जो डी० एम० की एप्रूव्ड लिस्ट में हों। जो पेपर अच्छी स्टैंडिंग के हैं और कोर्ट की नोटिस के लिये वह डी० एम० की एप्रूव्ड लिस्ट में हैं उन्हीं में प्रोसीडिंग्स छपना चाहिये इसलिये मेरा विचार यह है कि जो-जो अखबार छोटे हैं और जिनका सरकुलेशन कम है उनमें प्रोसीडिंग्स नहीं छपना चाहिये। यह मेरा सुझाव था जो मैंने माननीय मंत्री जी की खिदमत में पेश किया। एक बात मैं और कहना चाहता हूं वह यह कि इलेक्शन के संबंध में माननीय राजा राम जी ने यह बात कही कि आज कल जो इलेक्शन होते हैं अगर देखा जाय तो गरीबों और मजदूरों के लिये नहीं है और न वह धनी लोगों के मुकाबिले में फाइट आउट कर सकते हैं यह गरीबों के बूते के नहीं है। मैं उनकी इस बात से इत्तिफ़ाक़ नहीं करता हूं आपने देखा कि पिछली दफा जब इलेक्शन हुये तो बड़े-बड़े राजा महाराजा नवाब व धनी और करोड़पति लोग छोटे-छोटे वालन्टियर्स के मुकाबिले में हार गये तो यह कहना मुनासिब नहीं है। इलेक्शन में वही आदमी जीतता है जिसके साथ पब्लिक ओपीनियन हो। मैं इन शब्दों के साथ इसका समर्थन करता हूं।

*श्री निजामुद्दीन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय चेयरमैन साहब, जो संशोधन मेरे दोस्त श्री राजा राम जी ने पेश किया है इस वक्त सदन के सामने मैं उसका विरोध करने के लिये और जो प्रस्ताव हमारे माननीय मंत्री जी ने यहां रखा है उसकी ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं और मेरा ख्याल है कि छुट्टी होने की वजह से उन्होंने इस अमेंडमेंट को पढ़ा नहीं है अगर वह पढ़े होते तो मेरा ख्याल है कि जो अमेंडमेंट उन्होंने यहां पेश किया है हरगिज पेश न करते। जो अमेन्डमेन्ट इस वक्त मंत्री साहब ने मौके के लिहाज से रखा है वह इतना इन्नोसेंट है (innocent) कि उसमें कोई गुंजाइश ऐसी नहीं है जिसमें कोई संशोधन हो सके। शास्त्री साहब ने जो स्पीच यहां पर दी उससे खुद पता लगता है कि उन्होंने सिर्फ़ एक या दो बातों पर एतराज़ किया। एक तो म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन के रिमूवल के बारे में और दूसरे लेबर के बारे में कि लेबर का भी कोई रिप्रेज़ेन्टेशन होना चाहिये। जहां तक म्युनिसिपैलिटी के प्रेसीडेन्ट के रिमूवल का ताल्लुक है मेरा ख्याल है कि इस की निस्बत जो कुछ उन्होंने कहा, माननीय मंत्री जी वगैरह की पावर पर आक्षेप था। मैं समझता हूं कि अगर वह ग़ौर करेंगे तो शायद वह इस बात पर सहमत होंगे कि अगर कोई कंट्रोल किसी पर न हो, हर शख्श जैसा चाहे वैसा करता चला जाये, आपका रुपया भी गबन करता रहे और ५ वर्ष तक चैयरमैन भी बना रहे और आप उसे रिमूव भी न कर सकें तो यह निहायत बुरी चीज होगी। अगर किसी हेड आफ़ दि डिपार्टमेन्ट्स के कर्मचारी ऐसा काम करते हैं तो उन को निकाल दिया जाता है। अगर उन को निकाला न जाय तो कोई काम ही नहीं हो सकता। राजा राम जी ने सोचा कि कुछ न कुछ एतराज़ होना चाहिए, बस इसी ख्याल से कुछ एतराज़ कर दिया। वैसे शास्त्री जो ही बतायें कि उन्होंने कौन सी बात काबिले एतराज़ कही जिस की वजह से वह समझते हैं कि इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजना जरूरी है। लेबर रिप्रेज़ेंटेशन के बारे में उन्होंने जो कुछ फरमाया, अब आप ही बतायें कि हजारों लेबर आर्गनाइज़ेशन्स है, किस को किस को रिप्रेज़ेन्टेशन दिया जाय। निहायत इन्साफ के साथ बगैर किसी पक्षपात के निहायत अक्लमन्दी से गवर्नमेंट ने इस चीज को रखा है। स्पेशल इन्टरेस्ट जो थे, जैसे प्रोफेसर्स, डाक्टर्स वगैरह, उनको भी उन्होंने उड़ा दिया, महज इस ख्याल से कि अनरेस्ट न हो। इस से पता चलता है कि गवर्नमेंट कितनी इम्पार्शियल है। रह गया शिड्यूल कास्ट का मामला सो मैं समझता हूं कि हर शख्स इस से सहमत होगा कि जो कौम बैकवर्ड है उसको उठाना चाहिये। इससे तो कोई शख्स एतराज़ नहीं कर सकता। मैं अर्ज करूंगा कि शास्त्री जी ने जो यह तरमीम दी है कि सेलेक्ट कमेटी में इसे भेज दिया जाये

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री निज़ामुद्दीन]

वहां से यह जल्द से जल्द पास किया जाये, जो साहबान म्युनिसिपैलिटीज़ में रहे हैं वह जान सकते हैं कि कितनी भी जल्दी की जाय, ५ ६ महीने तो लग ही जाते हैं। आप एक तरफ तो कहते हैं कि बहुत जल्दी इलेक्शन्स हो जाने चाहिये। दूसरी तरफ कहते हैं सेलेक्ट कमेटी में जाय। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हो जाता जैसा कि मंत्री साहब ने कहा कि हम फुल अमेंडमेंट लायेंगे, इसको ओवरहाल करने के लिये, अगर शास्त्री जी भी कुल बिल को ओवरहाल करने के लिये सेलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये कहते तो यह बात मानी जा सकती थी।

एडल्ट फ्रेन्चाइज़ करके तो वह हो जाता। माइनारिटीज़ के लिये भी रिजर्वेशन का प्रबन्ध किया गया है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने इस सदन के सामने कहा। अगर आप उस शख्स को सस्पेंड नहीं करेंगे जिसने इम्बेज़िलमेंट किया है और उसको आप रिमूव करना चाहें तो यह ठीक नहीं है। जिस डिपार्टमेंट में वह रहता है वहां पर जितने काम करने वाले होते हैं वे भी उसकी हेल्प करते हैं। वे बहुत से कागज़ात निकाल लेते हैं और दूसरे कागज़ात रख देते हैं। यदि आप उनको ससपेंड नहीं करते तो जितने कागज़ाति इम्बेजलमेंट के होते हैं वहां पर वह फिर नहीं मिल सकते हैं। उस कागज को हटा दिया जाता है। जहां तक रिमूवल का ताल्लुक है यह निहायत ज़रूरी चीज़ है। कोई आदमी आप के सामने चोरी करता है और उसको सज़ा नहीं दी जाती है तो जनता को नुक्सान होगा। अगर उनको सज़ा नहीं दी जायेगी तो जनता का काम कैसे होगा। कंट्रोल के बगैर दुनिया में ठीक तरह से काम नहीं हो सकता है। आमतौर से म्युनिसिपैलिटी में ऐसा होता है कि अगर कहीं पर इम्बेजिलमेंट होता है तो इम्बेजिलमेंट करने वाले को सज़ा नहीं मिलती है। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि अभी वक्त नहीं है लेकिन जब वक्त मिलेगा तो म्युनिसिपल बोर्ड को ओवरहाल करने के लिये एक अमेंडमेंट लाया जायेगा उसके ऊपर आप सोच विचार कर सकते हैं और गवर्नमेंट को राय दे सकते हैं। मैं तो इस सदन से यही कहूंगा कि आप इस तजवीज़ को जो शास्त्री जी ने पेश किया है, रेजेक्ट कर दें।

इस तजवीज़ से मेरे ख्याल से कोई खास मक़सद हल नहीं होता है इसलिये मेरी राय में इसको रिजेक्ट हो जाना चाहिये।

चेयरमैन--अब कौंसिल २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हुई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कुंवर गुरू नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक को अभी हमारे माननीय स्वशासन मंत्री ने इस भवन के सामने रक्खा है उसके संबंध में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। अभी हमारे मित्र राजाराम शास्त्री जी ने उसके ऊपर यह संशोधन रक्खा कि यह बिल एक सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये। उसका भी मैं समर्थन करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि जब पहिले म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट में संशोधन हुआ सन् ४८ में तो उसके बाद फिर उस समय संशोधन आया, तो बहुत सी चीजें ऐसी जरूर है जिनमें विचार होना आवश्यक है आफिशियल ऐडवाइज जहां तक थी, वह तो माननीय मंत्री जी को सेक्रेटेरियट से मिली हो, लेकिन इत्तिफाक ऐसा है कि अभी समय भी है, गालिबन आखिरी नवम्बर या शुरू दिसम्बर में जब असेम्बली का सेशन हो उसके पहिले इस भवन का सेलेक्ट कमेटी इस बिल पर विचार कर सकती है। अभी कोई ऐसी बात नहीं है कि यह सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द न किया जाये और मैं समझता हूं कि जो राजाराम जी ने प्रस्ताव रक्खा है वह मुनासिब है और उसको मानने में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिये।

जहां तक इस बिल का संबंध है श्रीमान्, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि इस बिल के द्वारा बहुत सी अच्छी अच्छी बातें म्युनिसिपैलिटी के ऐडमिनिस्ट्रेशन में रक्खी गई हैं।

सबसे पहले इसमें जो स्ट्रेंथ थी बोर्ड की १५ से लेकर ८० तक हो सकती थी, उसमें ५० तक रक्खी गई है। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा मेम्बर होने से पार्टीफ़िक्शन होता है और जहां तक पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का सवाल वह तो कम मेम्बर्स में भी हो जाता है। पचास मेम्बर होंगे तब भी पब्लिक रिप्रेजेंटेशन आजायेगा, दूसरी बात जो है, वह है अप्वाइन्टमेंट आफ एकाउन्ट्स आफिसर्स का। अकाउन्ट्स आफिसर्स का एप्वाइन्टमेंट बहुत जरूरी है। म्युनिसिपल बोर्ड में काफी रुपये का गबन हुआ करता है और इस तरीके की बहुत सी बातें आई भी हैं। लेकिन अगर एकाउन्ट्स आफिसर्स हो जाते हैं तो इससे यह जरूर होगा कि जो बात रुपये पैसे के गबन की या इस तरह के व्यर्थ खर्चे की चीज होगी वह दूर हो जायेंगी। लेकिन इसमें जो माननीय मंत्री जी ने रखा है वह शायद इस प्रकार रखा है कि ये अकाउन्ट्स आफिसर्स होंगे लेकिन लाजिमी नहीं होगा कि उनको एप्वाइन्ट किया जाय। यह भी हो सकता है कि इनका एप्वाइन्टमेंट न हो। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अकाउन्ट्स आफिसर्स परमानेंट बेसिस पर इन म्युनिसिपल बोर्ड्स में एप्वाइन्ट किये जायं। इसके अतिरिक्त इसमें जो बोर्ड के एक्सटेंनशन की बात रखी गई है वह भी ठीक है। अभी तक इनका एक्सटेनशन ८ या १० वर्ष तक होता चला जाता है जिसका परिणाम यह होता है कि इस प्रकार से जनता में असन्तोष होता है और ऐडमिनिस्ट्रेशन ढीला पड़ जाता है। यह ठीक नहीं था। अब इसमें रखा गया है कि एक्सटेनशन २ वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके माने होते हैं कि ६ वर्ष में अवश्य किसी भी बोर्ड का चुनाव हो जायेगा। इसके अतिरिक्त इस विधेयक में ऐडहाक कमेटी को एप्वाइन्ट करने की योजना की गई है। उसका भी मैं स्वागत करता हूं और समझता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड का मास्टर प्लान बनाने के लिये इसकी आवश्यकता है आज शहरों में यह होता है कि एक्सटेनशन की कोई स्कीम नहीं होती है, आज शहरों के लिये प्लान की आवश्यकता है ? किसी भी शहर को लीजिये कन्जेशन होता चला जा रहा है। लोग सोचते हैं कि इतने से छोटे दायरे में किस तरह से एक मकान बनाया जाय। इसका नतीजा यह होता है कि उसका असर लोगों की हेल्थ पर पड़ता है जो शुद्ध वायु मिलनी चाहिये, वह नहीं मिलती है।ऐसी हालत में जब हम शहरों का, चाहे छोटे हों या बड़े उनका एक्सटेनशन करते हैं तो यह जरूरी है कि ऐडहाक कमेटी के जरिये सुझाव दिये जायं तो काफी रिफार्म हो सकता है। जहां तक इन चीजों का ताल्लुक है मैं तो समझता हूं इस बिल का स्वागत करना चाहिए लेकिन एक बात मैं जरूर इस समय कहना चाहता हूं। यह है कि जो बोर्डों में आपके एक्जीक्यूटिव आफिसर्स हुआ करते हैं उनको म्युनिसिपल बोर्ड के मातहत न रखा जाय। यह एक सुझाव मैं माननीय मंत्री जी के सामने रखता हूं। म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेटर को आप अप्वाइन्ट करें और इनके अप्वाइंटमेंट तथा डिसमिसल की जिम्मेदारी सरकार पर हो। अगर एक्जीक्यूटिव आफिसर या म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेटर का अप्वाइन्टमेंट इन बोर्ड के जरिये हुआ और बोर्ड के प्रति वे जिम्मेदार हुये तो वे आजादी और ईमानदारी के साथ काम नहीं कर पाते हैं जितना कि उन्हें करना चाहिए और इससे कम में भी नुक़सान होता है। चाहे कोई भी सरकार हो और किसी भी पार्टी की हो वह पार्टी फिकशन को रोक नहीं सकती और वह होकर रहेगा। लेकिन अगर एक्जीक्यूटिव हेड प्रथक है और उसका अप्वाइन्टमेंट किसी बोर्ड के जिम्मे नहीं है तो वह ऐडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा अच्छा चला सकता है बमुकाबिले ऐसे एक्जीक्यूटिव आफिसर्स के, जो कि अपने अप्वाइन्टमेंट और डिसमिसल के लिये इन बोर्ड्स पर डिपेन्ड करते हैं। माना कि वह सरकार से अपील कर सकते हैं लेकिन फिर भी इतनी उनके हृदय में सही काम करने की हिम्मत नहीं पड़ सकती जब तक वे इन बोर्डों से प्रथक और स्वतंत्र न हों। माननीय मंत्री जी ने उसमें एक चीज और रखी है वह यह कि प्रेसीडेंट का रिमूअल हो सकता है। माननीय मंत्री जी ने बताया

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

कि यदि किसी प्रेसीडेंट के खिलाफ चार्जेज हों तो उसके रिमूवल का सवाल होगा। अब जो इस बिल में धारा रखी गई, उस धारा के अनुसार तो कोई चारा ही नहीं है। आप वार्निंग नहीं दे सकते हैं। वह प्रेसीडेंट अपनी जगह से फौरन हटाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि एलेक्टेड प्रेसीडेंट के लिए यह मुनासिब और उचित चीज नहीं है कि आप उसको इस प्रकार से हटा दें और उसको मौक़ा भी न दें। जहां तक वार्निंग में मौका देने का सम्बन्ध है यह सरकार के हाथ की चीज है। हम उसको महीना, दो महीना या १५ दिन का मौक़ा दे सकते हैं। लेकिन उसको बिल्कुल मौका न दें और एक दम डिसमिस कर दें यह चीज़ उचित नहीं है। इसके अलावा मैं अपनी जगह पर समझता हूं और ईमानदारी के साथ समझता हूं, मुमकिन है कि हमारे बहुत से साथी इससे इतफाक न करते हों कि इसमें कोई न कोई प्राविज़न वार्निंग का चाहिए।

इसके अतिरिक्त एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि आज जो म्युनिसिपैलिटीज़ में खराबियां पैदा हो गई हैं वह इसी कारण से हो गई हैं कि पालिटिक्स की चीजें म्युनिसिपल बोर्ड में चलने लगी हैं। सिविकसेन्स और सर्विस का भाव तो बिल्कुल जाता रहा है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि अगर उसमें कोई पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर है तो आप उसको इन जगहों के चुनाव से अलग कर दें। इससे म्युनिसिपल बोर्ड का सुधार हो जायगा और जो इसमें खराबियां हैं वह दूर हो जायेंगी। जब लोगों में पार्टी बन्दी का भाव पैदा हो जाता है तो इसका नतीजा यह होता है कि जो सर्विस का दृष्टिकोण होता है वह जाता रहता है। मैंने अपना संशोधन रखा है कि कोई भी पोलिटिकल पार्टी का आदमी म्युनिसिपल बोर्ड में नहीं आना चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहता हूं कि इसमें यह भी रखा जाय कि लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट का मेम्बर या असेम्बली का मेम्बर इसका प्रेसीडेंट नहीं हो सकता है। लेजिस्लेचर के मेम्बर म्युनिसिपल बोर्ड में जाते हैं और नतीजा यह होता है कि वहां पर भी पालिटिक्स पैदा करते हैं। इसके अलावा उनको अवकास भी कम मिलता हैं। जितना अवकास उनको मिलना चाहिये उतना नहीं मिलता है। एक बात यह भी रक्खी गई है कि इस विधेयक में कि कम से कम हाई स्कूल तक प्रेसीडेंट के चुनाव के लिये हर व्यक्ति को पास होना चाहिये। मुझे ताज्जुब हुआ जब इस प्रकार कहा गया कि इस विधेयक में माननीय मंत्री की मंशा यह है कि हम ऐसे आदमियों को चाहते हैं जो कम से कम कुछ समझ सकें और वह किसी का शिकार न बन सकें। लेकिन उसके उदाहरण में जो दलील माननीय मंत्री ने दी है उसमें मुझे और भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने यह कहा कि जहां तक लेजिस्लेचर का सम्बन्ध है वहां पर अगर बेपढ़े हो जायं तो वहां भी काम चल सकता है। पर इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि यहां पर पढ़े लिखे होंगे। अभी जैसा कि मेरे भाई राजाराम जी ने कहा कि प्रेसीडेंट आफ इंडिया जो है उसके लिये आज कोई क़ैद नहीं है। मैं तो यह कहता हूं कि यह डेमोक्रेसी की ब्यूटी है कि आप जनता के कामनसेंस पर चुनाव छोड़ दें, जो डेमोक्रेटिक मेथड्स में चुनाव होता है, उसकी खूबसूरती यही है कि जनता को चुनने का हक़ है और जनता के कामनसेंस की परीक्षा है कि वह किसे इस जगह पर भेजना चाहती है। अब रही यह बात कि वह मैट्रिक्यूलेट हो या न हो तो अगर मैट्रिक्यूलेट हुआ और अव्वल नम्बर का बेईमान हुआ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो उस बेपढ़े को बेहद अच्छा समझता हूं जो कि ईमानदारी से काम करता है और अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से समझता है। बजाय इसके कि वह पढ़ा लिखा हो और अव्वल नम्बर का बेईमान हो।

श्री मोहन लाल गौतम—इससे किसको मतभेद है?

श्री कुंवर गुरु नारायण—यही मैं कह रहा हूं। उसमें जो आपने रक्खा कि मैट्रिक्यूलेट होना चाहिये तो उसके माने तो यह हैं कि आपने जो समाज का राइट था उसको उससे वंचित कर दिया। एक तरफ़ तो आपने जनता को अधिकार दिया और दूसरी तरफ आपने जनता से वह अधिकार छीन लिया तो यह कोई उचित बात नहीं है। थोड़ी देर के लिये मान लिया जाय और मैं भी मानता हूं कि हमारे देश में इतने लोग शिक्षित नहीं हैं जितने कि होने चाहिये तो मैं यह कहता हूं कि इस कमी का उत्तर-दायित्व सरकार के ऊपर है। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि इतने लोगों को जल्दी से जल्दी शिक्षित कर सकें तो इसके लिये अगर हम लोगों को आज जल्दी से जल्दी शिक्षा नहीं दे पाते हैं और लोग ऐसे हैं कि जो बिना पढ़े ही सार्वजनिक कामों में अपना कार्य संचालन अच्छी तरह से कर सकते हैं तो कोई वजह नहीं है कि उसको इस चीज़ से डिप्राइव किया जाय। इसलिये मैं इस धारा का विरोध करता हूं। इसके अलावा अगर किसी की यह राय हो सकती है कि वह मैट्रिक्यूलेट होने चाहिये तो किसी की राय यह भी हो सकती है कि वह मिडिल ही हो तो यह ऐसी चीज़ है जो विवाद की है और प्रजातन्त्र के उसूल में नहीं आती है। आप ऐडल्ट फ्रेंचाईज़ करते हैं तो उसमें हर शख्स को आपको अधिकार देना चाहिये और जनता अवश्य ही इस बात को महसूस करती है कि वह ऐसे लोगों को ही चुनेगी जो उस काम के काबिल होंगे चाहे वह शिक्षित हों या न हों। फिर इसके लिये कोई क्वालिफिकेशन शिक्षा का मुक़र्रर करना कुछ उचित नहीं है।

अब यह ज़रूरी है कि सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोगों को कन्सीडर करनी होगी वह यह कि हम हर तरफ़ से इम्प्रूवमेंट तो चाहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड में हर तरफ से इम्प्रूवमेंट हो लेकिन जब तक इनके फाइनेंसेज़ मजबूत नहीं होंगे तब तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। मैं जानता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड्स और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की आज क्या हालत है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का तो चेयरमैन रहने का इत्तिफ़ाक़ मुझे भी १०, १२ साल तक रहा है और मैं कह सकता हूं कि कोई भी डेवलपमेंट स्कीम का कार्य किसी भी बोर्ड में नहीं हो सकता है चाहे वह म्युनिसिपल बोर्ड हो और चाहे वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो जबतक कि उसके फाइनेन्सेज़ की मजबूती नहीं होती है। बहरहाल सरकार टैक्सेज़ के ज़रिये से अपने पास रुपया लेती है तो यह बात आपको ज़रूर करना होगा और निष्पक्षता के साथ आपको सोचना होगा कि आप क्या तरीक़ा इस सम्बन्ध में अख्तियार करना चाहते हैं। मसलन गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू है जैसे कि ट्रांसपोर्ट है। नेशनालाइज़ेशन आफ ट्रांसपोर्ट सरकार ने कर दिया तो इसकी रेवेन्यू म्युनिसिपैलटीज़ को जो मिलती वह न मिलेगी, इसी प्रकार के और अनेकों ज़रिये थे वह स्वयं सरकार ने अपना लिये हैं। तो जब तक सही तरीके से और गम्भीरता के साथ इन प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाता तब तक लाखों रीफार्म आप करें, वह बिल्कुल अधूरा रह जायेगा, अगर म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर पैसा नहीं है। मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने श्री राजाराम जी की स्पीच सुनी कि लेबर को रिप्रेजेंटेशन दिया जाय और उनका भी रिज़र्वेशन हो। मैं आज तक यह समझता था कि जो सिद्धान्त उनके दल के हैं और जिन पार्टीज़ का वह संचालन करते हैं, तो उससे वे रिज़र्वेशन द्वारा पैदा किये गये भेद को बिल्कुल ही हटा देंगे लेकिन जब उन्होंने कहा कि लेबर का रिज़र्वेशन हो, तो मुझे आश्चर्य हुआ जब कि आज मैं समझता हूं कि लेबर का रिज़र्वेशन ज़रूरी नहीं है। हम आज जब सब रिज़र्वेशन को हटा रहे हैं और सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स के रिज़र्वेशन को रख रहे हैं, वह भी इसलिये कि हमारे कान्स्टीटयूशन में यह है कि १५ साल तक उनको इस तरह फैसिलिटी मिलेगी तो उनके लिये हमें ऐसा करना चाहिये। लेकिन लेबर के रिज़र्वेशन का कोई सवाल नहीं है क्योंकि इस समय लेबर के पास जितने ज्यादा वोट हैं, उतने और किसी के पास नहीं हैं।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

तो अब उसूली तौर पर जैसा कि कहा गया कि उनके लिये रिजर्वेशन हो, तो इसमें मुझे आश्चर्य हुआ और यह बात राजाराम जी के मुख से निकली कि लेबर के लिये रिजर्वेशन हो और वह भी उसूली तौर पर, तो मुझे और भी आश्चर्य हुआ। अब तो कोआप्शन प्रथा हटा दी गई है। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि किसी के लिये भी इसमें रिजर्वेशन रखा जाय।

इसके अलावा इस विधेयक के द्वारा म्युनिसिपैलिटीज के एम्पलाइज के सम्बन्ध में रूल्स बनाये जायेंगे जिससे कि उनके स्टैंडर्ड और सैलेरी यानी पे (pay) में जो आज कमी है और फर्क है, वह खत्म हो जायगा और इस तरह से उसको ठीक किया जायेगा, तो इस चीज का तो हम सभी को स्वागत करना चाहिये। मैं इस विधेयक की जनरल बातों का तो हृदय से स्वागत करता हूं लेकिन जो कुछ बातें और सुझाव मैंने यहां पर रखे हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी उन पर ग़ौर करेंगे और यदि इसके लिये सेलेक्ट कमेटी में ग़ौर होता तो और भी अच्छी बात थी। सेलेक्ट कमेटी में विचार करने के बाद इस पर और भी संशोधन हो जाते। इस तरह से दिसम्बर में जब आप सेशन करते और असेम्बली मीट करती तो फिर और भी इम्प्रूवमेंट के साथ इसको लिया जा सकता था। फिर भी मैं आशा करता हूं कि जो चीजें मैंने रक्खी हैं उन पर अवश्य विचार किया जायगा। एक चीज दुबारा जो मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और वह यह है कि हर म्युनिसिपल ऐडमिनिस्ट्रेटर जो एप्वाइन्ट किया जाय तो उनका एप्वाइन्टमेंट और डिसमिसल सरकार के हाथ में हो और यह म्युनिसिपल बोर्ड को नहीं देना चाहिये। अगर आप ऐसा करेंगे तभी म्युनिसिपल डिपार्टमेंट का ऐडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा, नहीं तो उसमें हमेशा पार्टी फ्रिक्शन रहेगा।

दूसरी बात जो मैं और कहना चाहता हूं वह यह है कि इन बोर्डों से राजनैतिक पार्टियों को अलग रहना चाहिये। राजनैतिक पार्टियों से बहुत सी खराबियां पैदा हो जाती हैं। अगर इस चीज की पाबन्दी रहेगी तो म्युनिसिपल बोर्ड में जो सिविक सेंस की भावना है, वह आयेगी और तभी उनका सुधार हो सकेगा। यद्यपि विलायत में ऐसी चीज नहीं है, वहां राजनैतिक पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं इन बोर्डों में भी। पर वहां का जो स्टैंडर्ड है और वहां का जो डिसिप्लिन है, वह दूसरा है। हमारे देश में यह चीज अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है जितनी कि वहां के लोगों में डेवलप्ड है। वहां का जो तरीका, जो स्टैन्डर्ड है वह हमारे देश के लोगों का नहीं है और यह भी है कि हम कम से कम १० या १५ साल तक उस स्टैंडर्ड को ऊंचा भी नहीं उठा सकते हैं, इसलिये मैं यह कहता हूं कि पोलिटिकल पार्टीज पर बैन (ban) कर दिया जाय और असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बर को म्युनिसिपल बाडीज से अलग रक्खा जाय और उनको कोई हक, इन म्युनिसिपल बोर्डों में घुसने का न रहे, वर्ना कोई फायदा तो होगा नहीं और नुक़सान अधिक हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने विचार इस विधेयक पर रखता हूं।

*श्री प्रभुनारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो म्युनिसिपल अमेंडमेंट बिल इस समय सदन के सामने है और उसके सम्बन्ध में जो संशोधन माननीय राजाराम जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। पहली बात इस बिल के सिलसिले में यह कही गई है कि जो इस बिल के पेश करते समय माननीय मंत्री जी ने कही है और यह माना है कि यह बिल खास तौर से इसलिये लाया गया है कि इलेक्शन हुये बहुत

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

दिन हो चुके हैं और उसको जल्द कराया जाय। इस सिलसिले में उन्होंने यह भी कहा कि लोकल बाडीज के सम्बन्ध में ओरियन्टेशन का भी सवाल है। इसे मैं महसूस करता हूं। आज जो बिल इस सदन में लाया जाता है उसको जल्दबाज़ी के नाम पर किसी तरीके से कहा जाता है कि इसको जल्दी पास करना चाहिये और इसके लिये यह वजह है। उस समय दिक्कत सदन की यह हो जाती है कि सदन क्या करे। इलेक्शन का जहां तक सवाल है तो सन् १९४५ में म्युनिसिपैलटीज़ के इलेक्शन हुये और आज सात साल गुज़र गये, सही बात है। कोई इस बात को कह कर जिम्मेदारी नहीं ले सकता है कि हमारी वजह से यह इलेक्शन टाला जाय। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से और सरकार से यह जानना चाहूंगा कि जब १९३७ में कांग्रेस की सरकार बनी उसने सन् १९३८ में एक कमेटी बिठाई जिसके सामने यह पहलू था कि लोकल बाडीज़ के सिलसिले में क्या किया जाय, स्वायत्त शासन का स्कोप कितना बढ़ाया जाय उसके फाइनेंसेज़ और सर्विसेज़ के बारे में क्या किया जाय इसके लिये एक कमेटी बिठाई गई थी जिसके अन्दर इस सदन के माननीय अध्यक्ष महोदय और विधान सभा के माननीय स्पीकर साहब और अन्य माननीय सदस्य भी थे। उसकी रिपोर्ट शाया होकर हमारे सामने मौजूद है। वह पूरी रिपोर्ट कि लोकल बाडीज के सम्बन्ध में क्या होना चाहिये और उसका स्कोप क्या होना चाहिये, फाइनेंसेज़ और सर्विसेज़ के बारे में क्या दृष्टिकोण हो, वह रिपोर्ट हमारे सामने है। मैं समझता हूं कि सन् १९३८ में सरकार ने कमेटी बिठाई थी और सन् १९४६ में दूसरी सरकार आई और वह भी वही कांग्रेस की सरकार आई जो सन् ३७ में थी। सन् ४८ में एक बिल आता है इलेक्शन कराने के लिये छोटे-मोटे अमेंडमेंट के साथ। मैं क्या जान सकता हूं कि जब रिपोर्ट कमेटी के सामने थी उसके बाद सन् ४६ से लेकर ५२ तक सरकार क्यों बैठी रही और आज कहा जाता है कि इलेक्शन जल्दी होना चाहिये। मैं तो घबराता हूं अगर मैं कहूं कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तो फौरन कहा जा सकता है कि विरोधी पक्ष वालों ने कहा है कि सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और इसीलिये इलेक्शन पोस्टपोन कर दिये गये हैं। हमारे सामने यह चीज़ आती है कि जब ४६ से ५२ तक आपकी हुकूमत रही और कमेटी की रिपोर्ट भी रही और सन् ४८ में एक अमेंडमेंट होता है तो उसके बाद पूरा बिल हमारे सामने क्यों नहीं आया?

दूसरी बात यह कहना है कि सन् १९४८ में बिल के अन्दर अमेंडमेंट किया गया था, उस वक्त इलेक्शन्स नहीं कराये गये थे तो क्या उपाध्यक्ष महोदय, यह समझा जाये कि जो पार्टी पावर में है उसे यह खतरा था कि अगर लोकल बाडीज़ का चुनाव करा दिया जाता है और उसमें हमारी हार होती है तो जनरल इलेक्शन्स पर भी असर पड़ेगा, और आज इसलिये इलेक्शन्स कराने की बात होती है कि चूंकि एलेक्शन्स में हमारी जीत हो गई है। फरवरी और मार्च में जो चुनाव हों, मैं नहीं चाहता कि उसकी तारीख किसी तरह से बढ़े। हमें खुशी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि हमारे नये मंत्री जी, जिन्होंने इस कार्य को सम्हाला है, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि अधिक से अधिक मार्च सेशन के बाद अप्रैल-मई में लोकल बाडीज़ के चुनाव हो जावेंगे। मैं समझता हूं कि राजाराम जी ने जो संशोधन रखा है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाये बहुत ही उचित है। अभी असेम्बली के होने में २०-२५ दिन का मौका है। २०-२५ रोज़ इस बिल को बनाये जाने में लग सकते हैं एक कमेटी पहले ही इस मसले पर अपनी राय ज़ाहिर कर चुकी है। हमारे नये देश के अन्दर जो असेम्बली चुन कर आई है उससे एक ऐसा बिल जाना चाहिए जो स्वायत्त शासन में एक तब्दीली पैदा कर सके।

आज जो कानून बना हुआ है वह सन् १९१६, २०, २२ का है जब कि ब्रिटिश हुकूमत हमारे यहां बैठी थी। उपाध्यक्ष महोदय, आज हमें यह महसूस होने लगा है कि यदि इलेक्शन

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

में सरकार हार जाती है तो नया बिल, जिसके लिये वादा किया जा रहा है, सरकार उसे लायेगी या नहीं, इस विषय में संदेह पैदा होने लगा है। इस कमेटी की रिपोर्ट अगर लागू हो जाये तो आज हमारी लोकल बाडीज का नक्शा ही बदल सकता है। सन् १९३८ की बनी हुई कमेटी की रिपोर्ट पर आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई और आज इस मौके पर यह कहना कि चूंकि हम को इलेक्शन्स जल्द कराने हैं, इसलिये इसको पास कर दिया जाये फिर इसके बाद पूरा बिल लायेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। अभी असेम्बली के बैठने में २०-२५ दिन का मौका है इस अर्से में आप दूसरा बिल तैयार कर सकते हैं इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजकर इस पर विचार-विनिमय हो सकता है। सेलेक्ट कमेटी में भेजने से इसकी दिक्कतें दूर की जा सकती हैं और एक ऐसा नया बिल सामने लाया जा सकता है जिससे नई दिशा में हम क़दम उठा सकें। आज जिस हालत में हमारी लोकल बाडीज हैं वह बहुत अच्छी हालत नहीं कही जा सकती। आज इसलिये लोकल बाडीज की हालत अच्छी नहीं है कि इनीशिएटिव लोकल बाडीज के हाथ में नहीं है। हम यह मानते हैं कि जो पुराना ऐक्ट है उससे किसी भी हालत में यह अच्छी तरह से नहीं चलाई जा सकतीं। इस कमेटी की रिपोर्ट में यह बात साफ तौर से लिखी हुई है जिसे मैं पढ़ देना चाहता हूं:—

The functions at present prescribed for district and municipal boards are in our opinion inadequate. To make a full success of local self-Government we have, therefore, suggested a considerable extension in the scope of activities of these local bodies, including the making of provisions for the administration of Civil and Criminal Justice within municipal limits and at the district and tahsil headquarters and the maintenance of a police force. It may be that our proposals may sound alarming to those who have been used to thinking that the scope of local self-Government is confined only to such matters as education, public health, roads, watersupply, sanitation and lighting.

कहने का मतलब यह है कि आज यह कमेटी भी महसूस करती है कि जिस तरह के फंक्शन लोकल बाडीज के हैं उनसे इनीशिएटिव नहीं पैदा हो सकता। हम ऐसी डिसेन्ट्रालाइज्ड लोकल बाडीज का स्वप्न देखते हैं जिसमें कि सत्ता केवल लखनऊ और दिल्ली में ही केन्द्रित न होकर उसकी यूनिट्स डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या म्युनिसिपैलिटीज में होंगी।

मैं इस बात को समझता हूं और यदि आप चाहते हैं कि लोकल मामले और स्थानीय मामले म्युनिसिपैलिटी द्वारा हों तो म्युनिसिपैलिटी को पूरा हक़ मिलना चाहिये। म्युनिसिपल बोर्ड के काम को चलाने के सिलसिले में जितने फाइनेंस की जरूरत हो तो उस फाइनेंस का पूरा प्रबन्ध होना चाहिये। हम देखते हैं कि उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि सेल्स टैक्स का प्रबन्ध म्युनिसिपैलिटी के हाथ में जाना चाहिये। लेकिन आज सेल्स टैक्स के प्रभुत्व को प्राविशियल सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है। आज प्राविशियल गवर्नमट और म्युनिसिपल बोर्ड जो हैं उनका ताल्लुक बतलाया जाता है। इसमें प्राविशियल गवर्नमेंट और म्युनिसिपल बोर्ड का कोआर्डीनेशन रह जाता है। इस तरह से प्राविशियल गवर्नमेंट लोकल बाडीज को ले सकती है इसके सिलसिले में एक कमेटी ने एक बात सुझाई कि लोकल सेल्फ बोर्ड बनना चाहिये। उसमें कोई परमानेंट चेयरमैन न हो, उसमें लोकल बाडीज यूनियन से चुने हुये सात या आठ प्रतिनिधि आयें और एक एक्सपर्ट हों। इस तरह से वे तमाम लोग उसको सुपरवाइज करें। इस लोकल बाडीज का एक नया बिल हो।

जहां तक सेंट्रलाइजेशन की बात है, वहां तक ठीक है। जहां पर पावर डीसेन्ट्रालाइज करने की बात है वहां पर ठीक नहीं है। एक विद्वान ने लिखा है कि जो सेन्ट्रल गवर्नमेंट की टेंडेंसी है वह सेन्ट्रलाइजेशन के ऊपर है। वह ज्यादा से ज्यादा प्राविशियल मामलों में हस्तक्षेप

करना चाहती हूं। इस हालत में जो बिल सदन के सामने पेश है और उसमें जो बातें लखनऊ के सिलसिले में हैं उसमें दो रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन एक ऐसा मसला है जिस पर दो रायें हो सकती हैं। इसी के साथ साथ इस बिल के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिये, कि लोकल बाडीज अच्छी तरह से काम करें, यह आवश्यक है कि यह सवाल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। अभी २५-३० दिन का मौका है इसके बाद लेजिस्लेटिव असेम्बली की बैठक होने जा रही है। इस पर गौर किया जाय तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। इन शब्दों के साथ जो बिल सदन के सामने है मैं उसके मेरिट और डीमेरिट के संबंध में न जाकर, मैं उपाध्यक्ष महोदय, आप के जरिये माननीय मेम्बरों से और माननीय मंत्री जी के जरिये सरकार से इस्तदुआ करना चाहता हूं कि यदि लोकल बाडीज के संबंध में ऐसी पार्टीकुलर बात का कोई कारण नहीं है और जबकि इसके पास कुछ मसाले मौजूद हैं तो आप सेलेक्ट कमेटी की मीटिंग बुलाकर एक नया बिल लायें, जिससे एक नयी जिन्दगी की लहर तमाम शहरों में लाई जा सके।

*श्री सभापति उपाध्याय (नाम निर्देशित)—जो माननीय मंत्री जी ने बिल उपस्थित किया मैं उसका समर्थन करता हूं। इसके विषय में माननीय सदस्य श्री कुंवर गुरु नारायण ने जो सुझाव रखा है मैं उसका भी समर्थन करता हूं। मैं भी देखता हूं कि म्युनिसिपल बोर्ड में पार्टीबन्दी रहती है जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रेसीडेंट को मैट्रीकुलेट होना चाहिये, तो यह भी ठीक है। राज्य में क्या हो रहा है उसका निरीक्षण मेम्बर नहीं करते हैं, इसलिये सदस्यों का कर्त्तव्य होना चाहिये कि वे अपने सारे क्षेत्र की पूरी तरह से जानकारी रखें। यह काम हो सकता है सदस्यों के चुनाव से। जब तक उनके ऊपर कोई निरीक्षक नहीं होगा कि हमारे म्युनिसिपल बोर्ड में क्या काम होता है जब तक उसकी नहीं देखभाल हो सकती है। उसका निरीक्षण सरकार की तरफ से होना चाहिये।

श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन—माननीय उपाध्यक्ष जी, बहुत काफी से ज्यादा अर्सा गुजरने के बाद म्युनिसिपैलिटियों के चुनाव के संबंध में जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी किया है मैं उसका खैरमुकद्दम करता हूं। इसमें और ताखीर करने से बहुत बेचैनी फैल जाती है लेकिन जैसा कि हमारे कुछ मित्रों की तरफ से यह सुझाव रक्खा गया है कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जावे तो मेरा इस संबंध में एक सुझाव है अगर यह मंजूर कर लिया जाये तो दोनों रास्ते ठीक हो जायेंगे। यानी यह कि इलेक्शन का ताल्लुक जिन धाराओं से है वह तो इसी सेशन में पास कर ली जायें। प्लानिंग एकाउन्ट के संबंध में धारायें पास करने के बाद और जो चीजें हैं उनको जब माननीय मंत्री विस्तृत बिल लायेंगे उस समय के लिये मुल्तवी कर दिया जाये। क्योंकि हाई स्कूल पास करने की जो बात रक्खी गई है वह कइ नुक्ते नजर से सही नहीं है। आजाद साहब ने यह जो संशोधन रक्खा है कि वह ग्रेजुएट होना चाहिये तो मैं समझता हूं कि यह बात भी ठीक नहीं है। बहुत से ग्रेजुएट बिलकुल ही अनिभिज्ञ होते हैं। उनसे तो कई हमारे देहाती भाई ही अधिक बतला सकते हैं। बहुत से ग्रेजुएटों से, जब वह नौकरी करने के लिये जाते हैं और उनसे सवाल में यह पूछा जाता है कि वह कौंसिल की बाबत कुछ जानते हैं तो वह कुछ भी नहीं बतला पाते हैं। ऐसी हालत में मेरा यह विचार है यह जो ग्रेजुएट की डिग्री होने की बात कही जाती है वह ठीक नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि इसपर गवर्नमेंट फिर से विचार करे और इस क्लाज को बिलकुल हटा दे। दूसरी बात यह है कि मिनिस्टर को प्रेसीडेंट को सस्पेंड करने का जो अख्तियार दिया जा रहा है वह मेरे ख्याल में बहस की चीज है। दूसरे मुल्कों में काउंटीज और मेयर्स को बहुत कुछ अख्तिआर होते हैं। उनको पुलिस पर अख्तियार होता है। वह मुकदमें भी करते हैं। ऐसी हालत में यह अख्तियार मिनिस्ट्रों को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। इस अख्तियार को अपने हाथ में लेने से सरकार को गुरेज करना चाहिये यह काफी है कि वह उनको बरख्वास्त कर सकते हैं। यह सही है कि जब तक वह व्यक्ति या चेयरमैन अपनी जगह पर बना रहता है तब तक इन्क्वायरी करने में दिक्कत होती है लेकिन जहां तक दिक्कत

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री (हकीम) ब्रजलाल वर्मन]

दूर होती है वहीं पर दूसरी और दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जो नौ बातें बिल में हैं उनमें से एकाउन्ट, कम्पोस्ट और प्लानिंग बनाने की बातें तो मान ली जायें और बाकी भाग को मुल्तवी कर दिया जाये। खासकर म्युनिसिपैलिटीज़ का अहम मसला है यदि आपने ५२ में अमेंडमेंट कर दिया और ६ महीने के बाद आपने यह महसूस किया उसमें कुछ गलतियां रह गई हैं फिर आपको कोई गलती मालूम हुई तो बारबार उस को तरमीम करें इससे अच्छा है कि दो तीन महीने के अन्दर अच्छी तरह से सब बातों को ग़ौरखोज करने के बाद तरमीम मौजूदा ऐक्ट में लायी जाय ताकि सर्वसम्मति से उसको पास किया जाय। एक बात का ख्याल ज़ाहिर किया गया है कि लोकल बाडीज़ में पोलिटिकल पार्टीज़ को हिस्सा नहीं लेने देना चाहिये कि कानून में यह चीज़ लाजिमी नहीं है लेकिन जिन साहब ने यह राय जाहिर की मैं उस पर बहुत अर्से से गौर कर रहा हूं और उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब वक्त आ गया है कि लोकल बाडीज में पोलिटिकल पार्टीज को दखल नहीं देना चाहिये ? मैं इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष जी, आप के ज़रिये गवर्नमेंट से अर्ज़ करूंगा कि मेरी तजवीज़ पर वह ग़ौर करे। इस वक्त सिर्फ उन्हीं क्लाज़ेज़ को पास किया जाय जिनका ताल्लुक इलेक्शन से है और बाकी को अभी स्थगित किया जाय तो मेरा यकीन है कि जिन साहब ने सेलेक्ट कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है वह भी उस को वापस ले लेंगे। इन शब्दों के साथ मैंने अपनी राय ज़ाहिर कर दी है। आशा है सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री श्यामसुन्दर लाल (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)——माननीय उपाध्यक्ष जी, मुझे इस विधेयक में शेड्यूल्ड कास्ट के रिप्रेज़ेंटेशन के प्राविजन के बारे में अर्ज़ करना है। इस समय जो म्युनिसिपल ऐक्ट फोर्स में है उसके मुताबिक म्युनिसिपैलिटियों में नामिनेशन के ज़रिये एक शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिनिधि होता है। प्राविजन इस कारण किया गया था कि चुनाव से शेड्यूल्ड कास्ट का प्रतिनिधि नहीं चुना जा सकता था। जो विधेयक इस समय हाउस के सामने है उसमें उनके लिये प्राविज़न रिजर्वेशन आफ सीट्स आन पापुलेशन बेसिस पर किया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट समाज का सबसे कमज़ोर अंग है। एजुकेशनली, सोशली और इकोनामिकली इनकी हालत बहुत ही बदतर है। इनके रिप्रेज़ेंटेशन का मसला कान्स्टीट्यूएंट असेम्बली में कंसीडर किये जाने पर विधान में उनके लिये रिज़र्वेशन आफ सीट्स पापुलेशन बेसिस पर किया गया है और वही प्राविजन इस विधेयक में लाया गया है। हमारे कुछ माननीय मित्रों ने कहा है कि अब इनको स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। इस पर मुझे कहना है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत फर्क होता है। जो सुविधायें सरकार ने उन्हें शिक्षा और सर्विस इत्यादि के संबंध में दी हैं उनकी हालत बेहतर हो रही है। परन्तु एकाएक रद्दोबदल नहीं हो सकता है इसमें कुछ समय लगेगा। बस्तियों में ये लोग अधिकतर ऐसी जगहों में रहते हैं जहां कि वाटर सप्लाई, सेनीटेशन और लाइटिंग की बहुत ही खराब हालत होती है। इस प्रकार रिप्रेज़ेंटेशन से म्युनिसिपल बोर्ड में इनकी इफेक्टिव वाइस (effective voic) होगी और इसके ज़रिये इनमें सेल्फ रिलाएंस की भावना होगी और ये अपनी हालत की बेहतरी के लिये स्वयं एफर्ट करेंगे। इसलिये इस विधान के अनुसार जो प्राविजन इनके रिप्रेज़ेंटेशन के लिये इस विधेयक में किया गया वह बहुत ही आवश्यक और न्यायानुकूल है और उसके लिये सरकार धन्यवाद की पात्र है। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

* **श्री बद्री प्रसाद कक्कड़** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, इस बात से सब लोग मुत्तफिक हैं कि यह बिल जो इस ऐवान में है वह अपनी जगह पर काफी अहमियत रखता है। दरअसल म्युनिलिपल बोर्ड का इलेक्शन बहुत ही जरूरी था और यह काफी पिछड़ गया था, इस वजह से लोगों में काफी बदगुमानी और बदख्याल पैदा हो गये थे। असल में म्युनिसिपैलिटी ने कोई भी आज़ादी की झलक नहीं देखी थी, मुल्क के आज़ाद होने के बाद उसका भी चुनाव आज़ादाना होगा। इस बिल को पढ़ने के बाद जो नक्शा दिमाग में आता है, वह

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

में एक लफ्ज में अदा कर देना चाहता हूं। गवर्नमेंट के पास बहुत से काम हैं। एक जान और दस बलायें। मैं पेज, ३, ११ और १३ की तरफ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं।

पेज ३ में है कि

Amendment no. 23 (1) (*a*) reads as follows:—"That there has been a failure on the part of the President in performing his duties, give him a warning or remove him from office as the State Government think fit, or"

पेज ११ में है कि—

Amendment of Sec. 73:

73 (2) (*b*) "In the case of an order of dismissal or removal passed by the Education Committee to the State Government."

इन जगहों पर और इन मदों पर गवर्नमेंट को अपने अहल को अमल में लाना पड़ेगा। डीसेन्ट्रलाइजेशन के ऊपर ध्यान देते हुये तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को भी लाजमी है कि वह अपना बोझा कम करे। अगर एजूकेशन कमेटी ने कोई फैसला किसी टीचर के डिसमिसिल वगैरह का किया तो क्या वजह है कि उस फैसले की अपील किसी इन्सपेक्टर आफ स्कूल या डाइरेक्टर और डिप्टी डाइरेक्टर के पास न जाये। यह मैंने एक मिसाल के तौर पर कहा है। अभी एक मौका था जब कि मेरे दोस्तों ने यह कहा कि ६० की तादाद ज्यादा से ज्यादा और २० की तादाद कम से कम म्युनिसिपैलिटीज में के मेम्बरों की होनी चाहिये। दरअसल कोई हार्ड ऐंड फास्ट रूल्स नहीं ख्याल किया जा सकता है या लाइन आफ डिमार्केशन नहीं खींची जा सकती है। मुझे एतमाद होता है कि ८० की तादाद बहुत ज्यादा थी ५० की तादाद काफी माकूल है। मैं इस चीज को इस तरह समझता हूं कि Too many cooks spoil the broth। ५० आदमियों का फैसला किसी शहरी मामले में होना कोई कम अहमियत नहीं रखता है लिहाजा ५० की तादाद निहायत काफी है। हमें जहां वोट के कास्ट करने का मौका आता है उसके बारे में मैं दफा १३ (ई) (३) और दफा (१३) (एफ) (२) की तरफ ध्यान दिलाऊंगा मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि दुनिया में इनकन्सीसटेंसी है। मैं जनाब के रूबरू दफा १३ ई (३) पढ़ता हूं वह इस प्रकार है—

"No person shall vote at a general election in more than one ward and if a person votes in more than one such ward, his vote in all such wards shall be void".

अगर कोई एक से ज्यादे वोट डालता है तो उसके कुल वोट खत्म कर दिये जायेंगे और जहां प्लूरल नम्बर की वोटिंग है उसके सिलसिले में दफा १३ (एफ) (२) इस तरह है—

"If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1), then at the time of counting of votes, not more than one of the votes given by him to such candidate shall be taken into account and all other votes given by him to such candidate shall be rejected as void".

कहने का मतलब यह है कि एक भी वोट इस मौके पर शामिल नहीं होने चाहिये जबकि एक ख्याल को शायेख्याल करते हुये हमने यह कह दिया कि जब एक से ज्यादा कोई वोट देता है तो उसकी वोट नहीं मानी जायेगी तो इस तरह से वह सूरत यहां पर भी आयद होती है और यहां पर भी उसको वोट नहीं माननी चाहिये।

गवर्नमेंट की जानिब से और मेम्बरों की जानिब से यह भी कहा गया था कि कोआप्शन और नामिनेशन की जहां तक बात है इन दोनों को इस बिल में निजाद मिला। जहां तक कोआप्शन का ताल्लुक है, मुझे इससे इत्तिफाक़ है कि कोआप्शन नहीं है, लेकिन नामिनेशन के बजाय उसमें रिनामिनेशन है। इसके लिये मैं सेक्शन ३१ (ए) सब-क्लाज (ए) की

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊंगा। जब नामिनेशन से निजाद हुई तो रिनामिनेशन की कोई जरूरत नहीं है। वह रिनामिनेशन एकजिस्ट करता है आफ्टर नामिनेशन। ससपेन्शन आफ मेम्बर्स ऐन्ड प्रेसीडेंट के बारे में तजकिरा था और उसमें कुछ साहबान का यह ख्याल था कि जो ड्यूरेशन ससपेंशन का है, वह गैर मुनासिब है। मैं भी बहुत हद तक इससे इत्तिफाक़ करता हूं। जब तक केस न बन जाय तब तक मेम्बर या प्रेसीडेंट को मुअत्तिल नहीं होना चाहिये। मैं एक बात यह कहूंगा कि चार्जेज जब फ्रेम किये जाते हैं और उसके बाद उसका ससपेंशन करते हैं तो अगर मिसऐप्रोप्रिएशन हो, तो मेरे ख्याल में उसका ससपेंशन ही क्या, रिमूवल ही कर दिया जाय तो ज्यादा बेहतर हो। लेकिन अगर मिसऐप्रोप्रियेएशन न हो तो ऐसी सूरत में किसी मेम्बर या प्रेसीडेन्ट के खिलाफ जो उसके निकालने की बात हो, तो इस पर मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को जरूर ख्याल करना चाहिये, इसके पहले कि वह उसको ससपेंड कर दे।

चुनाव के सिलसिले में प्रेसीडेन्ट की क्वालिफिकेशन्स का तजकिरा था। इस बिल में यह है कि उसकी क्वालिफिकेशन्स हाई स्कूल होनी चाहिये। हाई स्कूल इसमें क्या अहमियत रखता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। इसमें हाई स्कूल पास की जो क्वालिफिकेशन रखी है, वह काबलियत, उसमें क्या माने रखती है। आजकल हाई स्कूल पास को वैसे क्या काबलियत होती है। मैं समझता हूं कि हमें देखना यह चाहिये कि म्युनिसिपल बोर्ड के प्रेसीडेन्ट को क्या देखना है। उसको देखना है कि सैनेटरी कन्डीशन कैसी है, एजूकेशन कैसी है, स्ट्रीट की लाइट्स का क्या हाल है, इन्हीं सब बातों को उसे देखना है। ऐसी सूरत में उसकी क्या काबलियत होनी चाहिये, मैं समझता हूं कि उसका कैरेक्टर और उसका चरित्र अच्छा होना चाहिये। उसका कैरेक्टर ही मेन चीज है। मैं आपके सामने एक जिन्दा, बल्कि जिन्दा ही नहीं, एक स्वर्गीय नजारा खींचना चाहता हूं। मेरे जिले में जिस वक्त कांग्रेस का सच्चा जोर हुआ था, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव था, श्री मदन लाल स्वर्गीय जो पटवारी थे, दर्जा ४ ही मुश्किल से पास थे, जैसा इन्तजाम और बन्दोबस्त उन्होंने किया, मैं आप से हकीकत से बयान करता हूं कि आज तक किसी ने नहीं किया और आगे के लिये मैं कह नहीं सकता। आज मैं आप से दरियाफ्त करूं चर्चिल ने क्या पास किया, (What is the education of Mr. Churchil) लेकिन आज चर्चिल की काबलियत और फजालत का सिक्का हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनियां में है। मैं स्टालिन की काबलियत के बारे में कहना चाहता हूं आर्थोडाक्स मिशनरी आफ स्कूल ही पास थे इसके अलावा डिग्री वाली कोई काबलियत उनके पास नहीं है और किस तरह से आज भी वह हुकूमत कर रहा है वह रोशन जमाना है। बड़े बड़े आपके पोयेट हुये उन्होंने किस स्कूल में डिग्री प्राप्त की मैं महाराज तुलसीदास जी की मिसाल देता हूं उन्होंने किस हाई स्कूल और किस विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की, लेकिन आज तक उनकी काबलियत का सिक्का जमा हुआ है और उसके पैरलल कोई मिसाल नहीं है। कहने का मतलब यह है कि यह क्वालिफिकेशन मेरे ख्याल में सच्ची अहमियत नहीं रखती है। गवर्नमेंट इस पर गौर करे। यहां पर यह बिल म्युनिसिपैलिटीज को एक ताक़त दे रहा है कि आक्ट्राय वसूल करे। जहां तक कन्जम्पशन का सवाल है मुझे इख्तलाफ नहीं, लेकिन जहां सेल का सवाल है यह गौर तलब होगा कि जो ताजिर सेल के लिये जाते हैं तो कुल चीज सेल नहीं होती है इसलिये उनको रुपया वापस किया जाता है, रिफन्ड किया जाता है, इसलिये जो सूरत पहले थी वह रखनी पड़ेगी और रहनी होगी और अगर नहीं रखी जाती तो ताजिर कौम के साथ एक बड़ी ज्यादती होती है जिससे ताजिर को बहुत बड़ा धक्का पहुंचेगा। सबसे बड़ी चीज म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर गवर्नमेंट को ख्याल करने की जरूरत यह है कि वह देखे कि खुल्लमखुल्ला किस क़दर आक्ट्राय गस्ब की जा रही है। और उस आक्ट्राय से म्युनिसिपैलि-टीज बिल्कुल फायदा नहीं उठा रही हैं। रात के वक्त शाम को सात बजे से स्मगलिंग

की भरमार रहती है। इस क़दर ज्यादा स्मगलिंग होती है कि अल्लामां अल्लामां। इस स्मगलिंग को बन्द करने के लिये गवर्नमेंट को बैरियर्स कायम करना चाहिये। अगर बैरियर्स नहीं कायम होते तो स्मगलिंग और करप्शन का दरवाजा बहुत जोरों से खुला रहेगा और इसके ऊपर आपके आक्ट्राय को चाहे वह जिस क़दर ताकतवार हो कोई कंट्रोल न रहेगा।

हमारे बुजुर्ग दोस्त श्री राजा राम जी ने रिजर्वेशन पर स्तेदलाल किया। अगर उनका ख्याल नहीं है तो मेरा इस तरफ ध्यान भी नहीं है और अगर उनका ख्याल है तो मैं उनसे पूछूंगा कि आप उल्टी गंगा किस तरह से बहाने के लिये तैयार हैं। आपतो रिजर्वेशन के इतने मुखालिफ थे, मैं भी रिजर्वेशन का मुखालिफ हूं लेकिन अब यह आवाज कैसी। जिस वक्त एक रिजर्वेशन की सूरत पैदा होगी उस वक्त तमाम रिजर्वेशन की सूरतें पैदा हो जायेंगी और वह डेमोक्रेसी को ठोकर लगायेंगी। लिहाजा डेमोक्रेसी की बात तो ठीक नहीं। इन शब्दों के साथ मैं दोबारा इस बिल का स्वागत करता हूं।

डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मैंने इस बिल को अच्छी तरह से पढ़ा है और इसका मुक़ाबला सन् १९१६ और ४९ के बिल से किया है। मेरे ख्याल में इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि जहां तक इस तहरीक़ का सवाल है हम सबको इसका स्वागत करना चाहिये। मैं इसका स्वागत इस वजह से करता हूं और तमाम पहलू को देख कर मेरी राय यह है कि This Bill tends to give more democracy, while at the same time it extends Government Control over certain important affairs of the Municipality इन बातों के लिहाज से जब मैं देखता हूं तो बिल को तीन तबकों में डिवाइड करता हूं। पहला तो यह कि गुड फीचर्स इस बिल के क्या क्या हैं। दूसरे डिफेक्ट्स क्या क्या हैं और तीसरे ओमीशन्स क्या क्या हैं। जहां तक ओमीशन्स का ताल्लुक है, मैं पहिले यह कहना मुनासिब समझता हूं कि इसके मुताल्लिक सजेशन्स रखूंगा और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि वह उन सजेशन्स का लिहाज रखेंगे जब कि दूसरा बिल लायेंगे।

श्री राजा राम शास्त्री ने एक अमेंडमेंट के तौर पर तजवीज रखी है। उस तजवीज का विरोध मैं इस वजह से करता हूं कि उससे इलेक्शन में दिक्क़त होगी। जैसा कुंवर गुरु नारायण जी ने कहा कि अभी काफी मौका है सेलेक्ट कमेटी के लिये, वह अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। मगर मैं इस बात के खिलाफ हूं। हमको जो ऐश्योरेन्स मंत्री महोदय ने दिया है वह यह है कि वह जल्दी एक बिल लायेंगे और उस वक्त मौका होगा इस चीज को पेश करने का, जिस पर कि विचार विनिमय किया जायेगा। यह मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि सेलेक्ट कमेटी अपनी माकूल रिपोर्ट छः या सात दिन में दे सकती है। आजकल यह माना गया है कि म्युनिसिपैलिटी अफेयर एक खास चीज है। जहां तक गुड फीचर्स का ताल्लुक है, वह इस बिल में है जब यह बिल सन् १९४८ में आया था तो उस वक्त भी मैंने मुखालिफत की थी, इस बिना पर कि इलिमिनेशन आफ कोआप्शन की जो पार्टी बन गयी है उसके इसमें मेम्बर होंगे। मैं यह मुनासिब नहीं समझता था। मेरे ख्याल में इस गवर्नमेंट ने कुछ मुनासिब तरमीमें पेश की हैं। जहां तक रिजेक्शन का ताल्लुक है, मैं उसकी ताईद करता हूं। मेरा तजुर्बा है कि जहां पर म्युनिसिपल बोर्ड होता है वहां पर अच्छा काम नहीं होता है नतीजा यह होता है कि जो आसानियां म्युनिसिपल बोर्ड को हैं वे नजरन्दाज कर दी जाती हैं। जहां पर प्रापर मेन्टेनेन्स आफ ऐकाउन्ट्स का सवाल है हम लोगों को उसका स्वागत करना चाहिये। प्रापर ऐकाउन्ट्स न होने की वजह से गड़बड़ी मच जाती है। जो असुविधायें हो रही हैं वे किसी से छिपी नहीं हैं। मुझको यह तजुर्बा है कि म्युनिसिपल बोर्ड का ऐकाउन्टेन्ट चेयरमैन के ऊपर हावी हो जाता है। अगर चेयरमैन ऐसा है जो ईमानदारी से दूर रहना चाहता है तो ऐकाउन्टेन्ट की बन आती है और वह सैकड़ों रुपया बना लेता है।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप]

इस ख्याल से मैं समझता हूं कि यह बात जो इस तरमीम में है उसके साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि ऐप्वाइन्टमेंट आफ ऐकाउन्ट आफिसर्स का होना चाहिये। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर गवर्नमेंट इसको भी पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से कराये तो बहुत अच्छा होगा पब्लिक सर्विस कमीशन पार्टी पालिटिक्स से बिलकुल ही अलग है। वहां इसका सवाल नहीं है। अगर यह पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये से कराया जाये तो ज्यादा मुनासिब होगा।

एक बात मैं एक्सटेन्शन की बाबत कहना चाहता हूं। कानपुर बोर्ड का ही एक्सटेन्शन ४ या ५ वर्ष से हो रहा है। तीन चार चैयरमैन तब्दील हो चुके हैं मगर बोर्ड का एक्सटेन्शन होता चला जा रहा है। इसका नतीजा बोर्ड पर बहुत बुरा पड़ता है। अगर कानपुर को कारपोरेशन बनाना है तब तो दूसरी बात है वर्ना उसका इलेक्शन बहुत जल्द होना चाहिये। अगर कारपोरेशन करना है तब तो उसके लिये क़ानून जल्दी लाना चाहिये। पांचवीं बात जो है वह मैं ऐडहाक कमेटी की निस्बत कहना चाहता हूं। जब मैं चेयरमैन था तब हालांकि पावर्स बहुत कम थीं लेकिन इस ऐडहाक कमेटी के जरिये से एक्सपर्टस की राय लेने में आसानी होती थी। यह भी बहुत अच्छी चीज है।

दूसरी बात यह है कि मैं यह देखता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज को यह अख्तियार दिया जाता है कि वह प्लानिंग को कंसिडर करें और उनको डाइरेक्ट करे। यह बहुत जरूरी है। इससे बहुत कुछ दिक्कतें दूर हो जायेंगी। अब मैं कहना चाहता हूं कि जो आबजेक्शनेबुल फीचर्स हैं वह दो तरह की हैं। पहिली तो यह है, कि जिसकी तरफ मैं खास तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि वोट देने का हक़ उस शख्स को नहीं होगा जो इंप्रिजनमेंट में होगा या पुलिस कस्टडी में होगा। पुलिस कस्टडी की बात बहुत वाइड है। दूसरी बात, आर अदर वाइज इम्प्रिजिनेमेंट का जो शब्द है यह भी बहुत वाइड है। इसको लेकर गवर्नमेंट को खतरा न उठाना चाहिये। दूसरी चीज की निस्बत मैं यह कहना चाहता हूं कि एक डिफेक्ट यह है कि अभी तक यह था कि अंग्रेज़ी पेपर्स में पब्लिकेशन आफ रेजोल्यूशन होना चाहिये अब उसके लिये यह हो रहा है कि वह किसी हिन्दी पेपर में भी हो सकता है। बहुत से लोग यह कर सकते है कि अपने रिश्तेदार के जरिये से कोई पेपर निकाल कर उसमें पब्लिकेशन करा सकते हैं। उसके लिये यह होना चाहिये कि पब्लिकेशन उन्हीं पेपर्स में होना चाहिये जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हों। एक बात जो मैट्रीकुलेशन की लियाक़त की बाबत कही गई है उसकी बाबत मुझे यह कहना है कि मेरे तजुर्बे में बहुत से लोग ऐसे आये हैं जो कि पुराने वक्त के छठे दर्जे तक पढ़े हुये हैं मगर वह लियाकत में मैट्रीकुलेशन और ग्रैजुएट को मात करते हैं। अंग्रेज़ी की बाबत तो मैट्रीकुलेशन का तो कहना ही क्या, ग्रैजुएट भी उनका मुक़ाबिला नहीं कर पाते हैं। उसकी जगह पर यह होना चाहिये कि आनेस्ट और कैपेबुल आदमी होना चाहिये। कैपेबुल में उसकी कैपेबिलिटी हर तरह से देखी जा सकती है और जहां तक उसकी आनेस्टी का सवाल है वह तो अनक्वेश्चनेबुल होना चाहिये, नहीं तो वह तरक्की नहीं कर सकते। अब मैं और चन्द बातों की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं। जहां तक रेजोल्यूशन का ताल्लुक है उसके लिये रूल में है कि उसी मीटिंग में पास हो जाना चाहिये और यदि पास न हो सका तो नेक्स्ट मीटिंग में पास हो जाना चाहिये। मगर यह देखा गया है कि इसकी तामील नहीं होती है। उसका नतीजा यह होता है कि ५,६ मीटिंग होने पर वह रेजोल्यूशन पास होता है और वह भी सब्स्टीच्यूट कर दिया जाता है और फिर पास करते हैं। इस हालत पर सरकार का तवज्जह दिलाना चाहता हूं। दूसरा यह है कि बोर्डस का ससपेंशन आप ने अनलिमिटेड पीरियड के लिये रखा है। मेरा ख्याल है कि सुपरसेशन दो साल से ज्यादा नहीं होना चाहिये वैसे एक वर्ष भी ज्यादा है। जब कोई बोर्ड सुपरसीड होता है तो उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये। इसके माने यह नहीं कि आप इनफिनिट पीरियड के लिये ससपेंड रखें।

तीसरी बात मैं ऐप्वाइन्टमेंट के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने पहले भी इस विषय पर जोर दिया था कि बोर्डों की तमाम खराबियां इस वजह से हैं कि वहां ऐप्वाइन्टमेंट चेयरमैन के हाथ में होता है। वहां के क़ानून में है कि वे २५० रुपये तक का ऐप्वाइटमेंट कर सकते हैं और बाद में कन्फर्म कमेटी से करवा लेते हैं। मेरा ख्याल है कि वहां भी ऐपाइन्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन से होना चाहिये। यदि १००, रु० से ज्यादा के लिये ऐप्वाइन्टमेंट पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिये से हो तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो बहुत से ऐसे आदमी आ जाते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड के अफेयर्स को बदनाम करते हैं। जहां तक टेम्पोरेरी ऐप्वाइन्टमेंट का सवाल है, मैंने देखा है कि चेयरमैन जिसको चाहता है उसको टेम्पोरेरी करार देकर ऐप्वाइन्टमेंट कर लेता है क्योंकि टेम्पोरेरी ऐप्वान्टमेंट करने की पावर उसको होती है। क़ानून में यह है कि जब टेम्पोरेरी ऐप्वाइन्टमेंट हो जाता है तो उसके बाद हो जो बोर्ड की मीटिंग हो उसमें इस को रख देना चाहिये। जब ऐप्वाइन्टमेंट हो चुका तो मेरा अपना तजुर्बा है कि ऐप्वाइन्टमेंट होने के बाद बोर्ड की ताक़त नहीं है कि उसकी ख़िलाफत कर सके। इन सब बातों के साथ ही मैं फिर मंत्री महोदय को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वह इस किस्म का बिल लाये हैं जिससे बहुत कमियां दूर हो जायेंगी। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ऐसा वक्त आयेगा कि जिस समय लोगों को अपनी राय देने का मौक़ा आयेगा। जहां तक सेलेक्ट कमेटी का ताल्लुक है उसका मौक़ा इस वक्त ज्यादा मुनासिब नहीं है।

श्री नरोत्तम दास टंडन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, यह जो यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) बिल सन् १९५२ ई०, सुबह से डिसकस हो रहा है, उसके संबंध में मेरे जो विचार हैं उन को मैं आप के सम्मुख रखता हूं। इस बिल में कुछ तो बहुत सी अच्छी बातें हैं, परन्तु इसके साथ ही साथ इसमें कुछ खराबियां भी हैं। इसमें सब से बड़ी खराबी यह है कि सरकार मेम्बर और प्रेसीडेन्ट को हटा सकती है इससे उनकी गरदन हमेशा दबी रहेगी। वह कोई भी काम ऐसा न कर सकेंगे कि जिससे जनता को फायदा पहुंच सके, क्योंकि उनको हमेशा इस बात का डर रहेगा कि कहीं सरकार नाखुश न हो जाय या उनके साथी दुश्मन जिनका असर सरकार में ज्यादा है वह उनकी किसी बात से नाजायज फायदा न उठा लें। मैं समझता हूं कि सरकार को खुद ऐसी कोई पावर नहीं लेनी चाहिये जिससे उसकी बदनामी होने की आशंका हो। एक मेम्बर जिसको जनता ने चुन कर भेजा है, जनता को ही उसके हटाने का पूरा अख्तियार होना चाहिये, परन्तु बिल में ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इलाहाबाद बोर्ड का ८ साल से मेम्बर हूं। इस से पहले जितने भी चेयरमैन हुये, उनमें से कोई भी ऐसे नहीं थे जो लेजिस्लेचर का मेम्बर रहा हो। मैं यह समझता हूं कि उनको अपना काफी समय म्युनिसिपल बोर्ड में देना पड़ता था या इससे पहले इलाहाबाद में बाबू कामता प्रसाद चेयरमैन थे वह १२ बजे म्युनिसिपल बोर्ड में आ जाते थे और शाम के ६ बजे तक काम करते रहते थे। आज कल जो चेयरमैन हैं उन के खिलाफ वोट आफ नो कांफीडेन्स पास होने जा रहा है। बहुमत की राय है कि वह मंजूर भी कर लिया जाय। यह ज़रूर होना चाहिये कि लेजिस्लेचर का मेम्बर लोकल बाडीज़ का मेम्बर नहीं होना चाहिये।

दूसरी बात मैं म्युनिसिपैलिटीज़ के ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि एक्ज़ीक्यूटिव आफिसर का ऐप्वाइन्टमेंट सरकार के ज़रिये से होना चाहिये क्योंकि इससे उनको किसी का भी डर नहीं रहता और वह आज़ादी के साथ काम कर सकता है। अगर वह लोग बोर्ड ही के ज़रिये से मुक़र्रर किये जायेंगे तो नाजायज़ फायदा भी उठाया जा सकता है और इस में बोर्ड की बदनामी होने का डर है। लिहाज़ा मैं इस बात का समर्थक हूं कि इन कर्मचारियों को सरकार को मुकर्रर करना चाहिये। इस तरह से उन कर्मचारियों का स्टेटस भी ऊंचा हो जायगा और उन से अनुचित रूप से कोई फायदा भी नहीं उठा सकेगा।

[श्री नरोत्तम दास टंडन]

दूसरी बात जो इस ऐक्ट में है वह बहुत ही सुन्दर है कि सरकार दो साल से अधिक एक्सटेन्शन नहीं कर सकती है। इस तरह से जनता को भी मालूम हो जायेगा कि जिनको वह चुन कर भेज रही है वह सिर्फ ६ वर्ष के लिये ही अधिक से अधिक हैं इसके आगे मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि प्रेसीडेंट की ऐजूकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें क्यों रक्खी गई है। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि प्रेसीडेन्ट वह आदमी होगा, जो जवान हो। अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा है कि अब पब्लिक इतनी सचेत हो गई है कि वह ऐसे वैसों को वोट देने के लिये तैयार नहीं है वह अब समझने लगी है कि वोट देने का जो अधिकार हमको दिया गया है उससे हम क्या कर सकते हैं। जब पब्लिक में इतनी समझ आ गई है तब प्रेसीडेन्ट के क्वालिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी काबिल होगा पब्लिक उसी को वोट देगी। मुमकिन है कि कोई ऐसा वर्कर हो जिसके पास कोई ऐजूकेशनल क्वालिफिकेशन न हो परन्तु वह बहुत ही योग्य हो तो ऐसी सूरत में पब्लिक उसको भी चुन सकती है। आप जानते हैं और दुनियां जानती है कि डाक्टर सर चिन्तामणि ऐसे व्यक्ति थे कि जो हाई स्कूल भी नहीं थे परन्तु बहुत ही विद्वान् थे। इसलिये मैं इस हाई स्कूल की क्वालिफिकेशन का होना आवश्यक नहीं समझता।

दूसरी बात यह है कि जैसा इसमें कहा गया है कि डिटेन्शन जिसका हो गया या जिसका इम्प्रेजनमेंट हो गया उसको वोट देने का अधिकार नहीं है तो यह उचित बात नहीं है। जब इलेक्शन लड़े जायेंगे और अगर किसी को किसी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत शिकायत हो और वह पुलिस में जाकर रिपोर्ट लिखा दे और अगर उसका किसी दरोगा से इन्फ्लूऐंस हो और अपने इन्फ्लूऐंस से वह उसका डिटेन्शन करा सकता है तो ऐसी हालत में डिटेन्शन या इम्प्रिजेनमेंट के ऊपर वोट देने का अधिकार ले लेना उचित नहीं मालूम होता है।

तीसरी बात यह है कि जो रेजोल्यूशन होंगे वह हिन्दी के अखबारों में ही छपेंगे तो उसके लिये मेरी भी यही राय है कि इस तरह से और भी नये नये अखबार निकलने शुरू हो जायेंगे और उनको रोकने के लिये यह जरूरी है कि जो कलेक्टर के यहां ऐप्रूव्ड लिस्ट हो, बड़ा अच्छा हो, अगर उन्हीं में यह रेजोल्यूशन छापे जायं और जो नये अखबार निकलें उनमें वह न दिये जायं। इस ऐक्ट के पढ़ने से यह पता चलता है कि नामिनेशन अब खत्म कर दिये गये हैं और प्रेसीडेन्ट का भी अब डाइरेक्ट इलेक्शन होगा तो यह भी एक बहुत ही अच्छी चीज है। पहले तो ऐसा होता था कि मेम्बर अपने ही आदमियों में से प्रेसीडेन्ट चुन लेते थे और जिसको चाहते थे निकाल भी देते थे पर अब जनता द्वारा प्रेसीडेंट का चुनाव होगा और इसी तरह जनता को ही प्रेसीडेन्ट के हटाने का अख्तियार होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपनी स्पीच समाप्त करता हूं।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जितना महत्वपूर्ण है वह सब जानते हैं। यह मैं मानती हूं कि इसको पास करके देश का अधिक से अधिक कल्याण ही होगा। परन्तु केवल दो बातें में अपनी सरकार से कहना चाहती हूं। एक तो यह है कि स्त्रियों का जो रिजर्वेशन आफ सीट था उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। इसके अलावा यह कहा जाता है कि हम किसी की भी सीट का रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं। वैसे तो शुरू में भी स्त्रियों का रिजर्वेशन नहीं होता था, यह न तो कोई अलग समाज है और न कोई अलग संस्था है, स्त्रियां तो सभी समाज की हैं और उनको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिये था। इससे यह होता कि थोड़ी बहुत स्त्रियां भी म्युनिसिपैलिटी में पहुंच जातीं। परन्तु आज हमारे मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हम स्त्री पुरुष समान हैं और स्त्रियों को समान ही समझ कर हम उनको रिजर्वेशन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन अभी तो हमारे देश में स्त्री पुरुष को समान नहीं

समझा जाता है। जब असेम्बली और कौंसिल की बात आई तब भी यही कहा गया, जब कि कौंसिल और असेम्बली में हम लोगों का रिजर्वेशन आफ सीट्स था, रिजर्वेशन आफ सीट जरूरी नहीं है और सरकार खुद ही न्याय करके स्त्रियों को स्थान दे देगी। हमारी मांग थी कि हर ज़िला से एक स्त्री आये इस प्रकार ५२ ज़िलों से ५२ स्त्रियों की मांग थी परन्तु ५२ ज़िलों में कुल १५ या १६ असेम्बली और कौंसिल में स्त्रियां हैं। इस तरह से कुल ५२ जगहों में से १५ या १६ जगह स्त्रियों को मिली हैं। क्या इससे इस बात की आशा की जा सकती है कि म्युनिसिपैलिटीज़ में जबकि आज रिजर्वेशन नहीं है, तो कोई भी पुरुष इस तरह से नहीं करेगा कि वह स्त्रियों को जगह दे दे। पहले के पुरुषों में स्त्रियों के प्रति उदारता भी थी मगर आजकल उदारता बिल्कुल नहीं है क्योंकि आज पुरुष समझते हैं कि स्त्रियों ने भी वही स्थान ग्रहण किया है और उनकी निगाह में आज स्त्रियां पुरुषों के ही बराबर आगे बढ़ती चली जा रही हैं तो उनका कहना है कि वे स्त्रियों का उतना साथ नहीं दे सकते हैं जितना कि पहले देते थे। अगर आज रिजर्वेशन आफ सीट्स हमारे लिये न हो तब तो बड़ी मुश्किल हो जायेगी और इसके विपरीत अगर स्त्रियों के लिये रिजर्वेशन आफ सीट्स होता तो स्त्रियों को स्त्रियों से ही लड़ना पड़ता और इस तरह से भी जिसकी हार होती, उसमें स्त्री ही आती, मगर यह बात नहीं है। अगर आज कोई स्त्री खड़ी होती है, तो उसको पुरुष के खिलाफ लड़ना पड़ता है, तो यह भी उसके लिये बड़ा मुश्किल है। इसलिये अध्यक्ष महोदय, इस बात पर मैं विशेष रूप से मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वे इस मामले में स्त्रियों का विशेष ख्याल करेंगे। जहां तक म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों की ईमानदारी की बात है और उनके चरित्र की बात है, तो मैं कहूंगी कि ज्यादा पढ़ी लिखी न होने पर भी एक स्त्री में जितनी ईमानदारी हो सकती है और अगर उसका चरित्र जितना अच्छा हो सकता है, उतनी ईमानदारी और उतना अच्छा चरित्र किसी पुरुष का नहीं हो सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं कि वे इस बात पर गौर करें। एक बात जो मैं कहना चाहती हूं वह यह है कि आजकल सिनेमा इस कदर बनते चले जा रहे हैं कि उनका कुछ पूछना ही नहीं। ऐसा मालूम होता है कि जितना लोगों के पास पैसा है और उनकी जितनी आमदनी है, वह सब वे सिनेमा बनाने में खर्च कर रहे हैं। यह मैंने माना जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि इस तरह से नहीं होना चाहिये, मगर आजकल लोग सिनमा भी मंदिरों के पास बनाने लग गये हैं और सिनेमा वाले इतने होशियार होते हैं कि वे यह कहने लगते हैं कि यहां पर मंदिर नहीं है। इस तरह से मंदिरों के पास सिनेमा बनने लगे हैं और आजकल जगह २ पर यह हालत पैदा होगई है और इस तरह से सिनेमा बनते हैं, तो वहां पर चारों ओर चाट वाले, पान, बीड़ी और सिगरेट वाले मूंगफली वाले और दुनियां भर के लोग बैठे रहते हैं और इस तरह से जो लोग वहां एकान्त में ईश्वर की पूजा करने के लिये मंदिर में जाते हैं उनको इन सब चीजों से बहुत असुविधा होती है। इन्हीं दो बातों की तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। इन चन्द बातों में इस प्रस्ताव का ध्यान दिलाना चाहती हूं और इन चन्द बातों के साथ मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करती हूं।

* श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक जो कि सदन के सामने है मैं सबसे पहले यह आवश्यक समझता हूं कि श्रीयुत राजा राम शास्त्री ने जो प्रस्ताव सदन के सम्मुख उपस्थित किया है कि इस बिल को पास करने के पहले इसको एक विशिष्ट समिति के सिपुर्द कर दिया जाय, तो उसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जो यहां पर प्रस्तुत किया गया है, वह एक बहुत ही स्वागत करने योग्य वस्तु है।

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

आज सारा प्रांत कई वर्षों से उसकी बाट देख रहा था और हमारे माननीय मंत्री जी उसके लिये बधाई के पात्र हैं कि आखिर एक दिन आया कि उन्होंने इसको प्रस्तुत करने की कृपा की। परन्तु जब यह बिल इतना महत्वपूर्ण है, वहां यह भी कहे बिना नहीं रहा जाता कि जितनी चीजों की आशा इससे की जाती थी वह इसमें नहीं पाई जाती हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के सदस्यों को भलीभांति विदित है कि म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि संस्थाएं ऐसी हैं जो नागरिक अधिकारों की मूल हैं। यही पहली संस्थायें हैं जहां हम अपने नागरिकों के प्रति और समाज के प्रति कर्तव्यों को अदा करने का सबक सीखते हैं। जो विधेयक इन संस्थाओं को चला रहा था वह पुराना हो गया था और लम्बे अरसे से यह महसूस किया जा रहा था कि इसमें परिवर्तन होना चाहिये। सन् ३७ में कांग्रेस सरकार के आने के बाद सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की जिसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। दुर्भाग्य से यह सरकार उस समय खत्म हो गई और सन् ४६ में वापस हुई। उस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक सन् ४८ में आंशिक रूप से प्रस्तुत किया गया कि इस विधेयक के प्राविज़न लागू किये जायेंगे और नये बोर्ड बनेंगे। दुख की बात यह रही कि कमेटी, कांग्रेस सरकार ने ही बिठाई और उसकी रिपोर्ट होने पर भी पूरी तरह से विधेयक को नहीं बनाया और इतने सालों तक म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को टाला, और स्थगित रखा। जब माननीय राज्यपाल महोदय ने अपना भाषण इस सदन में दिया है तब यह बात कही गई थी कि म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन बिल्कुल टाले नहीं जायेंगे और जल्द ही एक विधेयक इस सिलसिले में प्रस्तुत किया जायेगा, तो इतने दिन बाद एक विधेयक आता है और वह भी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है लंगड़ी और लूली दशा में, यह अफसोस की बात है। सन् ४८ में विधेयक बनाया था और तब से इलेक्शन टलते आ रहे हैं और एक मई से सरकार वादा करती आ रही है कि इलेक्शन जल्द होंगे। इतना होते हुये भी जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह भी अधूरा है। यह तो मैं नहीं समझता कि सरकार अपने को किस प्रकार प्रशंसा की पात्र समझती है और अपने में संतुष्ट हो पाती है, लेकिन जितना मैंने देखा है मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार के पास इतना सेक्रेटेरियेट है और इतना अरसा हो जाने के बाद भी वह एक कम्प्लीट बिल हाउस के सामने क्यों नहीं रख पाती। आज जरूरत पर मंत्री महोदय को यह कहना पड़ा कि बिल बहुत ही अधूरा है और बहुत जल्द हम दूसरा बिल लायेंगे जो कि सम्पूर्ण होगा। मैं नहीं जानता कि वह दूसरा बिल कितने अर्से के बाद इस सदन में प्रस्तुत कर सकेंगे।

अब मैं श्री राजा राम शास्त्रीजी के प्रस्ताव के संबंध में कुछ निवेदन करूंगा। श्री राजा राम जी ने प्रस्ताव किया है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये। मेरे माननीय भाई श्री आजाद साहब ने और माननीय श्री निजामुद्दीन साहब ने अपनी तक़रीरें करते हुये कहा कि यह बहुत ग़ैर जरूरी प्रस्ताव है। यह बिल बड़ा इन्नोसेंट है। इसके अन्दर ऐसी चीजें नहीं हैं जिनकी आलोचना की जा सके। माननीय आजाद साहब ने कहा कि अगर आप इसको सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करते हैं, तो इलेक्शंस बहुत जल्द न हो सकेंगे हालांकि राजा राम जी ने यह आश्वासन दिलाया है कि सेलेक्ट कमेटी बहुत थोड़े अर्से के अन्दर, अधिक से अधिक एक हफ्ते के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देगी। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि इलेक्शंस सन् ५४ तक के लिये टल जायेंगे। मेरी समझ में नहीं आता कि यह दलील कहां तक ठीक है। आप इतने दिन से इस बिल को न लाये, जनता इतने दिन से इस बिल की मांग कर रही थी मगर आप नहीं लाये तब तक तो कोई बुराई की बात नहीं हुई और अगर आज यह सदन यह मांग करता है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाये जिससे इस भवन के सदस्य इस पर अच्छी तरह से विचार कर सकें और जो बहुत सी चीजें इस में रह गई हैं उनको इनकारपोरेट किया जा सके और गलतियां ठीक की जा सकें तो कहा जाता है कि सन् ५३ तक फिर इलेक्शंस न हो सकेंगे।

में नहीं समझता कि यह मनोवृत्ति कहां से आती है। लेकिन निष्पक्ष रूप से कोई भी व्यक्ति अगर इन सारी बातों पर गौर करे तो मैं समझता हूं कि किसी को भी यह स्पष्ट हो जायेगा कि यह मनोवृत्ति निष्पक्ष मनोवृत्ति नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक यह दलील दी जाती है कि यह इन्नोसेंट बिल है, और इसमें कोई भी ऐसा प्राविज़न नहीं है जिससे जनता को नुक्सान पहुंच सके तो मैं यह अर्ज करूंगा कि आज़ाद साहब ने खुद ही इस बिल के ज्यादातर प्राविज़न्स पर एतराज किया है। यह बात दूसरी है कि अगर कांग्रेस पार्टी के सदस्य इस बिल की आलोचना करें, इस पर एतराज करें तो उसे एतराज न समझा जाये और अगर अपोजीशन के सदस्य किसी चीज पर भी एतराज करें तो उसे गैर जरूरी एतराज समझा जाये। उन्होंने खुद कई ऐसी चीजें बतलाई कि वह चाहते हैं कि इन पर ज्यादा गौर किया जाये। श्री राजा राम जी ने बार-बार इस बात को कहा है कि अगर हम इसे सेलेक्ट कमेटी को देते हैं तो इसके अन्दर जो बहुत सी गलतियां हैं वह दूर हो जावेंगी और आसानी से बिल पास हो सकेगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत जो सजेशन है और सहानुभूति के साथ इस पर विचार किया जाना चाहिये। अभी डा० बृजेन्द्र स्वरूप साहब ने अपनी तक़रीर में कई बातें ऐसी बताईं जो इस बिल के अन्दर रखी जानी चाहिये थीं, और जो नहीं रखी गई। जो ओमीशंस उन्होंने बतलाये उन पर अभी विचार किया जाना चाहिये। अगर हम यह ख्याल करें कि इन ओमीशंस पर विचार करने की जरूरत इसलिये नहीं है कि सरकार नया बिल लाने वाली है तो यह भी माकूल बात नहीं है।

सरकार के सेक्रेटेरियेट में जो अभी तक काम करते रहे हैं उनसे हरगिज इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह दूसरा बिल बहुत जल्दी ला सकती है। उस अमेंडमेंट की बिना पर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में रिफर किये जाने से रोकना, जनता के साथ अनुचित व्यवहार होगा। जिन सज्जनों ने पिछली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की रिपोर्ट को पढ़ने की कोशिश की है उनको मालूम है कि उस कमेटी ने बहुत जोर दिया है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो फंकशन इस वक्त है वह बहुत हद तक सीमित है उसको बढ़ाना चाहिये। हमारे मुल्क की तरक्की के लिये एक बुनियादी चीज है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ायें और उनके ऊपर बहुत सी चीजें छोड़ दें। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जैसे काटेज इंडस्ट्री और एजूकेशन। ये चीजें हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी से ताल्लुक रखती हैं। चूंकि उन्होंने सिपारिश की है अगर ये चीजें बोर्ड के अन्दर दे दी जाती हैं तो हमारा जीवन सुखी हो सकता है। खास तौर से इस सूरत में जरूरी है कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। वहां इन बातों के ऊपर विचार किया जाय। यह बात बहुत आवश्यक है और यह बहुत बहस तलब नहीं है। सेलेक्ट कमेटी जो सिपारिश करे वह इस बिल के अन्दर इनकारपोरेट की जा सकती है। यह बिल जो हाउस के अन्दर है इससे मुफीद बिल आ सकता है। अभी परसों की बात है मैं एक कांग्रेस पार्टी के सदस्य के साथ बैठा हुआ था और बातें कर रहा था। उनमें से एक सज्जन ने कहा कि बहुत सीधे स्वभाव से कि समझ में नहीं आता कि हम इस गुलामी को कहां तक मार पाये। ज्यादा से ज्यादा अहम बिल जो कि हमारी रोजमर्रा की जिन्दगी से ताल्लुक रखता है वह हाउस के अन्दर आ जाता है और पार्टी के अन्दर नहीं आता है। पार्टी का जो कुछ भी उसूल हो वह इस सदन के लिये और कम से कम हमारे लिये कोई ऐसी बहस और मुबाहिसे की चीज नहीं है। मेरा हक़ नहीं है कि मैं उसको छेड़ूं और उस पर अपना विचार प्रकट करूं।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय मेम्बर जो कुछ कह रहे हैं वह प्राइवेट बात है और इर्रेलेवेन्ट है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—मैं जो कुछ कह रहा हूं वह सेलेक्ट कमेटी को रेफर करने से ताल्लुक रखता है। मैंने जो कुछ कहा है वह एक ऐसी चीज है जो इस सदन के सदस्यों से ताल्लुक रखती है। मैं नहीं जानता कि वह इर्रेलेवेन्ट है। यदि ऐसा है और

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]
आप उसे इर्रेलेवेन्ट क़रार दें तो मैं उसको यहीं खत्म करता हूं। यहां पर स्थिति ऐसी है कि मेम्बरों को खुद इस हालत पर विचार करने का मौका नहीं मिलता है। सेलेक्ट कमेटी में यह बिल रेफर कर दिया जाय तो जरूर मौका मिल सकेगा। मैं इस बिल के प्राविजन के ऊपर कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं।

पहली बात सेक्शन नाइन के अन्दर कही गयी है कि किसी भी बोर्ड के अन्दर मेम्बरों की तादाद १५ से कम और ५० से ज्यादा न हो। यह अच्छी चीज है। श्रीमती शिवराजवती ने कहा है कि उसके अन्दर स्त्रियों को अलग से प्राविजन होना चाहिये। स्त्रियों के लिये प्राविजन करना खास नुक्तयेनजर से जरूरी है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि स्त्रियों की मांग का मामला मद्रास गवर्नमेंट से आ गया है। मद्रास हाई कोर्ट के सामने ऐसी चीज आ गयी है इसलिये शायद उन्होंने सोचा है कि ऐसा कोई प्राविजन न किया जाय जिससे कोई दिक्कत हो जाय। शायद इसलिये उन्होंने प्राविजन नहीं किया। अगर ऐसी बात है तब तो लाचारी है और कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई लाचारी नहीं है तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इस बात पर विचार करने का कि अभी तक जो फर्स्ट, सेकेन्ड और थर्ड क्लास की म्युनिसिपैलिटीज हैं उनमें वीमेन मेम्बर के रखने का जहां तक ताल्लुक है उसको इसी प्रकार चलने दिया जाय या नहीं, क्योंकि अभी तक हमारी स्त्री समाज की ऐसी स्थिति नहीं है कि वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ कर आ सकें। म्युनिसिपैलिटीज ही एक ऐसा रास्ता है जिसमें वह आदमियों के साथ बैठ कर काम कर सकती हैं और आगे बढ़ने के लिये कोशिश कर सकती हैं। अगर उनको नहीं रखा जाता है और यह चीज खत्म कर दी जाती है तो, उनके लिये बोर्ड में आना बहुत मुश्किल हो जायेगा। बोर्ड में बहुत से ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें मिडवाइव्ज वगैरा काम करती हैं और उनके लिये औरतें जितनी अच्छी तरह से सलाह दे सकती हैं, मर्द उतनी अच्छी तरह से नहीं दे सकते हैं। इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि उनके रखने के लिये प्राविजन किया जाय। यह बहुत इम्पार्टेंट है।

दूसरी बात यह है कि यह तादाद तो फिक्स की गई, इसके लिमिट्स तो बतलाये गये हैं लेकिन यह नहीं बतलाया गया कि किस म्युनिसिपल बोर्ड में कितने मेम्बर्स हैं तथा सरकार किस प्रकार से इस बात को तय करेगी। इसमें हो सकता है कि बहुत ही आरबीट्रेरी ढंग से तादाद मुक़र्रर की जाय और वह प्रोपोरशन में न हो। इसलिये यह अच्छा होता कि अगर इस सेक्शन के अन्दर यह भी बतलाया गया होता कि किस तरह से डिफरेन्ट क्लासेज में या डिफरेन्ट साइजेज में रेगुलेट किया जायगा।

इसके बाद दूसरी चीज यह है कि बोर्ड की लाइफ का ऐक्सटेन्शन, सातवें क्लाज के अन्दर दो साल का रखा गया है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसको एक साल की होना चाहिये क्योंकि मैं यह नहीं देखता हूं कि दो साल रखने की क्या जरूरत महसूस हो रही है। हमें मालूम है कि अमेरिका के प्रेसीडेन्ट का एक टर्म मुकर्रर है और उसी के अन्दर हमेशा इलेक्शन हो जाया करता है। अभी जब लड़ाई चल रही थी तो वहां पर एडल्ट सफरेज की बेसिस पर इलेक्शन हुआ था। मेरे ख्याल में ऐसी कोई सूरत नहीं मालूम होती है कि २ साल का एक्सटेन्शन रखा जाय, अगर जरूरत हो तो उसे एक वर्ष के लिये रखा जा सकता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि क्यों २ साल का रखा जा रहा है।

इसके बाद मैं माननीय मंत्री का ध्यान ६ पृष्ठ पर १३ (डी) में सब-क्लाज (ए) की तरफ आकर्षित करूंगा।

श्री मोहन लाल गौतम—यह जेनरल डिस्कशन है। क्लाजवाइज तो कल होगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अभी हम अमेंडमेंट ला नहीं पाये हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी हम अमेंडमेंट्स नहीं दे पाये।

श्री मोहनलाल गौतम--जब यह क्लाज आयेगा तब उस पर डिस्कशन हो जायेगा। अभी आप जेनरल डिस्कशन कर लीजिये।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--लेकिन मुझे तो जहां तक याद है कि मिनिस्टर साहब ने कहा था कि क्लाज बाई क्लाज डिस्कशन होना चाहिये।

श्री मोहन लाल गौतम--मैंने प्वाइंट बाई प्वाइंट कहा है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--इसमें जो डिसमिस्ड गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसक्वालिफाई किया गया है वह रीजनेबुल नहीं है। वह बेचारा गवर्नमेंट सर्विस से तो गया ही, साथ ही सिटिजनशिप के राइट्स भी खो बैठता है। इसके अन्दर यह कहा गया है कि २७ और ४१ के अन्दर जो डिसक्वालिफाई होंगे, तो और जगह तो कोई मियाद रक्खी भी गई है कि कोई व्यक्ति ४ या ५ साल के लिये डिसक्वालीफाई होगा, लेकिन वह बेचारा गवर्नमेंट सर्वेंट हमेशा के लिये डिसक्वालीफाई हो जाता है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति बृटिश टाइम में डिसमिस हो गया हो तो वह अब भी जब कि हमारी अपनी गवर्नमेंट है तब भी वह डिसक्वालीफाई ही रहेगा।

दूसरी चीज यह है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेट को भी डिसक्वालीफाई किया गया है। मैं नहीं समझ सका कि उनको क्यों डिसक्वालीफाई किया गया है। उनके लिये यह हो सकता था कि वह अपनी म्युनिसिपैलिटी की हद तक मुकदमें नहीं कर सकते। दूसरी एक बात है जिसकी बावत काफी कहा गया है कि मेम्बरों का हिन्दी पढ़ना लिखना जरूरी समझा गया है। यह है तो अच्छी बात लेकिन जब तक लिट्रेसी प्रोग्रेस अच्छी नहीं है तब तक उसके हिसाब से अभी तीन या चार साल इसको नहीं लाना चाहिये था। जब लिट्रेसी ड्राइव अच्छा हो जाता तब इसको लाते तो ठीक था। एक बात यह है कि जो आजकल हमारे नौजवान पढ़कर निकलते हैं उनसे हमारे बुजुर्ग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो कि म्युनिसिपैलिटीज के मेम्बर्स रह चुके हैं उनकी सूझ बूझ, उन नये ग्रेजुएट नवजवानों से कहीं अच्छी है। पार्लियामेंट या असेम्बली के अन्दर अगर यह कहा जा सकता है कि वह ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि वह अपनी कांस्टीट्यूएन्सीज को अच्छी तरह से न रिप्रेजेन्ट कर पायें और यह ज्यादा खतरनाक बात नहीं होगी। इसी तरह से यह भी हो सकता है कि म्युनिसि-पैलिटीज का वह मेम्बर ज्यादा खतरनाक नहीं साबित हो सकता जो कि पढ़ा लिखा न हो क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यह हो सकता है कि वह अपने वार्ड को जहां से वह चुन कर आया है ठीक तरह से रिप्रेजेन्ट न कर सके। जब तक हमारी लिट्रेसी परसेंटेज बहुत कम है कम से कम तब तक के लिये यह मुल्तवी हो जाना चाहिये।

इसके बाद मैं दूसरी चीज डिसक्वालीफिकेशन के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि १३ (ई) के (५) में यह है कि अगर कोई पुलिस की कस्टडी में है तो वह मेम्बर नहीं हो सकता है। यह बहुत से लोगों के लिये नुकसानदेह बात है। मैं इस बात को जानता हूं कि आजकल जो इलेक्शन होते हैं उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ बहुत ही ग़लत प्रोपेगन्डा करती है। अभी अभी माननीय राजाराम जी ने जो बातें कही हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। हमें यह बात मालूम होती है कि हमारे यहां बहुत से ऐसे आदमी हैं जिनकी आत्मा के विरुद्ध अगर काम होता है तो वह किसी हद तक कुछ भी करने के लिये तैयार हो जाते हैं। परन्तु बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गलत बातों के खिलाफ सत्याग्रह या आंदोलन करते हैं तो उनको जेल में भेज दिया जा सकता है। ऐसे लोगों को कम से कम मौका दिया जाय कि वे इस इलेक्शन में भाग ले सकें। अगर यह क्लाज यहां पर रहेगी तो उनके खिलाफ पड़ेगा और फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के लोगों के प्रति किसी तरह से आफिशियल्स के साथ मिल कर उनको कस्टडी में ला सकते हैं। अगर इस

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

सेंटेन्स (sentence) को हटा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा। इस के बाद जहां पर क्लाज १३ (१) में प्राविजन किया गया है कि अगर किसी मेम्बर की वैकेन्सी होती है तो उसका एक साल के अन्दर टर्म डिटरमिन होगा और वह पूरी नहीं की जा सकती। पहले एक साल के बजाय ६ महीने का पीरियड था, मैं नहीं जानता कि यह एक साल का क्यों किया गया है जब कि दो साल तक आप बोर्ड की लाइफ को एक्सटेन्ड करने जा रहे हैं। जब वह जानते हैं कि एक साल या ६ महीने के अन्दर इलेक्शन होने वाले हैं तो फिर क्या होगा। जब वह देखते हैं कि किसी दूसरी पार्टी का मेम्बर इस वक्त वहां पर जोर में है तो इलेक्शन को टाल देते हैं। नतीजा यह होता है कि कितने ही साल तक के लिये सीट खाली पड़ी रहती है। मुझे अपने शहर के अन्दर की बात मालूम है। तीन चार साल तक सीटें इस तरह से खाली रही हैं। इससे बड़ा भारी नुक्सान होता है। जनता चाहती है कि हमारा अच्छा आदमी बोर्ड में जाये, लेकिन वे नहीं चाहते हैं कि यह आदमी जाये इसलिये इलेक्शन नहीं करवाते हैं और इस तरह से सीट खाली पड़ी रहती है। इसलिये मेरी राय है कि इसमें ६ महीने का वक्त रखा जाय तो ठीक होगा। इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। चेयरमैन की क्वालीफिकेशन के बारे में भी कहा गया है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में जो कुछ कहा है उसमें कुछ तथ्य न हो, यह बात नहीं है। जिन लोगों ने कहा कि यह गैर जरूरी है, मैं उनसे इत्तिफाक नहीं करता हूं। इसलिये कि चेयरमैन का काम ऐडमिनिस्ट्रेटिव है। यदि वह निरक्षर होता है तो बहुत खराबी हो सकती है लेकिन जो क्वालीफिकेशन हाई स्कूल की रखी है वह ठीक नहीं है। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि इसके एक्वेविलेन्ट की क्वालिफिकेशन भी हो सकती है। मैं तो यह समझता हूं कि इसके बजाय यह कर दिया जाय कि अगर किसी खास केस में सरकार समझती है कि इसकी क्वालीफिकशन पूरी नहीं है तो उसको परमिट कर सकती है। इतनी ताक़त सरकार अपने हाथ में रख ले तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट अपने हाथ में हाईस्कूल या एक्वेविलेन्ट चीज को रखना चाहती है। लेकिन इससे यह होगा कि जो लोग न तो हाईस्कूल पास हैं या न उनके पास इसके एक्वेविलेन्ट का ही सार्टिफिकेट है वे इससे महरूम हो जायेंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह क्लाज अमेंड किया जाना चाहिये ताकि सरकार ऐसे लोगों को भी परमिट कर सके जो कि इसके लायक़ हों। अब इसके बाद चेयरमैन के ससपेन्शन का सवाल आता है, इसके लिये इसमें एक क्लाज है। माननीय मंत्री जी ने इसके लिये एक उदाहरण भी दिया है कि एक शख्स इम्बेजिलमेंट करता है और वह उस वक्त तक नहीं पकड़ा जाता है जब तक कि वह दो या तीन दफा तक इम्बेजिलमेंट न कर ले। इस तरह की भी खराबियां हो सकती हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बातें ठीक नहीं हैं उन को दूर ही करना चाहिये। जहां तक पावर का सवाल है उसके बारे में यह भी कहा जाता है कि उसका मिसयूज भी हो सकता है। एक तो बात यह है कि आज कल पार्टीबन्दी का भी बहुत जोर है। निर्दोष चेयरमैन को भी सजा मिल सकती है। आज कल एम० एल० ए० और एम० एल० सी० का युग है, वह लोग सरकार के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। वह लोग मिनिस्टर साहब के आसानी से कान भर सकते हैं। ऐसी सूरत में निर्दोष आदमी को भी सजा मिल सकती है। अगर यह कहा जाय कि ससपेंशन कोई सजा नहीं तो मैं इस बात को भी नहीं मानता हूं। जहां तक मुझे याद है क्लासीफिकेशन आफ कंट्रोल ऐंड अपील रूल्स में दिया हुआ है कि ससपेंशन भी एक सजा है। ससपेंशन से उस आदमी की इज्जत भी नहीं रहती है, जनता में काफी बदनामी हो जाती है और लोग उसको एक खराब निगाह से देखने लगते हैं। इसलिये ऐसी हालत में कोई दूसरा तरीका निकालना चाहिये। इसमें अगर कोई ऐसा प्राविजन हो सकता है कि ससपेंशन न किया जाय तो उन लोगों के साथ न्याय होगा। इसके बाद मैं यह भी कहूंगा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में ले जाने की जरूरत है। सरकार को ऐसा

तरीका अख्तियार करना चाहिये जिससे जनता का फायदा हो और उसको किसी तरह की कठिनाई न पड़े। मैं आशा करता हूं कि सरकार हर बात को देखभाल कर, करेगी ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो। सरकार जो पावर बोर्ड को दे उसका भी प्रयोग ठीक तरह से हो।

एक बात माननीय निजामुद्दीन साहब ने कही थी कि सस्पेन्शन अगर नहीं होगा तो नतीजा यह होगा कि चेयरमैन पर कन्ट्रोल नहीं रहेगा और फिर वह किसी की भी परवाह नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बोर्ड में जो इम्बेजिलमेंट की शिकायतें हुईं उनमें से ९० परसेन्ट केसेज छूट गये। यह बात जो उन्होंने कही है वह खुद ही इस सस्पेन्शन के खिलाफ हैं। इसका मतलब यह है कि सौ में से ९० चेयरमैन को अगर ससपेन्ड कर दिया गया होता जो कि निरपराध होते और उनकी हालत यह होती कि उनको खामख्वाह ही दंड दिया जाता तो उनकी जो दलील है वह स्वयं ही सस्पेन्ड न करने के पक्ष में है। इसके बाद प्रोसीडिंग्स को अखबारों में छापने की बात हुई। यह मैं कहता हूं कि बहुत ही सुन्दर विचार है लेकिन यह भी कहा गया कि नये अखबार न निकाले जांय और ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स उनके ऊपर नहीं छापी जायेंगी। बोर्ड की प्रोसीडिंग्स छपने से जनता को काफी फायदा होगा और उसको भी बोर्ड के विचार मालूम होते रहेंगे और दूसरी तरफ मेंबरों को भी डर रहेगा कि वह कोई गलत बात न कर बैठें। इसमें यह लिखा हुआ है कि लोकल पेपर में प्रोसीडिंग्स निकाली जायं या जो भी उचित समझा जाय उसमें निकाली जायं। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। एक बात यहां पर और अर्ज करूंगा और वह यह है कि अब तक ऐसे नियम थे और जो सन् १९१६ का ऐक्ट है उसके मातहत एक्जीक्यूटिव आफिसर्स को छोड़ कर बाकी जो दूसरे प्रकार के आफिसर्स हैं जिनका कि सेक्शन २७ में जिक्र किया गया है उनको बोर्ड ऐसे रेजोल्यूशन से पनिश कर सकता था लेकिन अब २८ (२) के अन्दर और ६९ (२) जो ठीक किया गया है, उसके अन्दर गवर्नमेंट ने सारी ताकत अपने पास ले ली है। सेक्शन २७ के अन्दर जिन आफिसर्स का जिक्र किया गया है उनकी बाबत बोर्ड जो कुछ भी रेजोल्यूशन करे उसके खिलाफ अपील अब सरकार सुन सकेगी और बोर्ड का जो भी डिसीशन है उनको आल्टर कर सकेगी। मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी चीज है जो कि बोर्ड की वर्किंग को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है, उसका नतीजा यह होगा कि जितने भी आफिसर्स हैं अगर बोर्ड उनको किसी प्रकार भी सजा देती है तो वह सब्जेक्ट टू रिवीजन आफ गवर्नमेंट है जिसका बहुत बुरा नतीजा होता है। अगर कोई आफिसर यह समझता है कि उसकी अथारिटी बोर्ड नहीं है तो वह बहुत दफा बोर्ड के कन्ट्रोल में ठीक तरह से नहीं रहेगा। बाकी एक्जीक्यूटिव आफिसर्स के लिये जो प्राविजन था वह ठीक था लेकिन उसकी भी ज्यादा अच्छी शकल इनक्वायरी कमेटी के अन्दर बतलाई गई है और वह यह थी कि कुछ कैडर आफ सर्विस की ट्रांसफरेबिलिटी होनी चाहिये यानी वह एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर किये जा सकें। मैं समझता हूं कि वह एक ऐसा प्रावीजन था जो कि बहुत जरूरी था। अगर यह किया गया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। अब मैं कुछ म्युनिसिपल इम्प्लाईज एसोसियेशन का अध्यक्ष होने के नाते और कुछ दिनों से इस बात का तजुर्बा रखते हुये यह कहना चाहता हूं कि म्युनिसिपल इम्प्लाईज की क्या क्या मुसीबतें हैं। ऊंचे से ऊंचा म्युनिसिपल इम्प्लाई किस प्रकार से अपनी नौकरी की बाबत डर में रहता है और किस प्रकार, पार्टीबाजी के अन्दर पड़ कर वह अपना काम नहीं कर पाता है तो इसका इलाज ट्रांसफरेबिलिटी आफ सर्विस है। उनको यह मौका देना कि वह गवर्नमेंट के पास अपील कर सकते हैं तो इसका नतीजा यह होगा कि वह बोर्ड के कन्ट्रोल में नहीं रह सकता है।

इसके बाद एक, दो, बातें कह कर मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगा। एक बात यह है कि एनीमल्स पर जो कि बाहर से शहर या बस्ती में आते हैं, उन पर आक्ट्राय लगेगा। मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात पर विचार करे कि इससे, जो जानवर किसी हाट

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]
या मेले में आते हैं, उन लोगों के लिये कितना नुकसान हो सकता है। मेरा ख्याल यह है कि इसमें जो यह प्राविज़न रखा गया है, तो इस तरह से उन लोगों के लिये जो कि जानवर लाते हैं, बड़ी मुश्किलें पैदा हो जायेंगी क्योंकि वे लोग अपने जानवर बहुत दूर दूर से लाते हैं और अगर वहां वे उनको न बेच सके, तो ऐसी हालत में भी उनको आक्ट्राय देना पड़ेगा और जबकि उसे देने में वे काफी एतराज़ करेंगे और इस तरह से बहुत मुश्किलें पैदा हो जायेंगी। इस निवेदन के बाद मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और सब बातों के लिये सरकार को बधाई दूंगा। उसने ऐडहाक कमेटी के बिठाने का अधिकार लिया है, तो वह बहुत अच्छी बात है और उनसे निश्चित सिफारिशें होंगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि यह बिल अगर सेलेक्ट कमेटी में जाता तो वह इस पर अपनी ऐसी सिफारिशें करती जो कि इस बिल के उपयोग को और भी बढ़ा देते और इसकी वजह से मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा प्रबन्ध बहुत आसानी से किया जा सकता था।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो विधेयक सदन के सामने रखा गया है, सब लोगों ने उसका स्वागत किया है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा विश्वास था और कुछ लोग ऐसी आशा रखते थे कि स्थानीय स्वशासन विभाग में इसके द्वारा कुछ रेडीकल चेन्जेज़ होंगे और कुछ लोग यह भी आशा लगाये थे कि ट्रैफिक आदि की जो भी चीजें हैं, उनमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट होंगे और कुछ सुझाव रखे जायेंगे। कुछ का ख्याल यह भी था कि इससे ऐडमिनिस्ट्रेशन में काफी सुधार होंगे। माननीय मंत्री महोदय ने इसके बारे में यह बतलाया है कि इसके लिये जो कुछ भी आवश्यक और बड़ी तरमीमें होंगी, उसके लिये फिर यहां एक बिल लाया जायेगा और वह माननीय सदस्यों के सामने आयेगा। तब सदन को यह अधिकार होगा कि वह उस पर अपने संशोधन रखे। इसमें जो बात सेलेक्ट कमेटी की बाबत कही गयी कि इसको वहां भेजा जाना चाहिये, तो मैं कहता हूं कि माननीय सदस्यों को इसके लिये काफी समय मिला है कि वे इस पर यदि चाहते तो अपने संशोधन रख सकते थे और उनका यह कहना कि अधिक समय भी नहीं मिला, गलत है। वे जो कुछ भी तरमीम अपने ख्याल से उचित और आवश्यक समझते थे उसको इतने समय में ला सकते थे और उनकी दलील इस मामले में आज सही नहीं उतरती है क्योंकि उनको ३ दिन का समय मिला और इस विधेयक पर यदि वे चाहते तो संशोधन ला सकते थे। माननीय सदस्य यह नहीं कह सकते हैं कि उनको संशोधन देने का समय नहीं मिला इसलिये इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय और उन्होंने समय के अभाव के कारण यहां संशोधन पेश नहीं किये। मैं कहता हूं कि यह तो आज फर्स्ट रीडिंग चल रही है और यदि वे चाहते तो आज भी अपने संशोधन १० बजे तक दे सकते थे। जैसा कि आज फर्स्ट रीडिंग हो रही है तो वे कल को भी अपने संशोधन ला सकते हैं और इस तरह से सेलेक्ट कमेटी में जो बात होती वे यहां अपने संशोधन द्वारा उसको पेश कर सकते हैं और माननीय मन्त्री जी अवश्य ही उन पर विचार करेंगे। इस बिल को इस वक्त सेलेक्ट कमेटी में रखने की जो बात है वह उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात जो सदन में वादविवाद का विषय बनी, वह यह है कि इस में जो प्राविज़न किया गया है कि प्रेसीडेन्ट के लिये मिनिमम क्वालिफिकेशन कर दी जाय, तो मैं समझता हूं कि जहां तक इस का सम्बन्ध है, इसमें सिवाय एक माननीय मेम्बर के और सभी ने चाहे वह ट्रेजरी बेन्चेज की तरफ से हों या अपोज़ीशन की तरफ से हों, इस बात का विरोध किया है कि कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन उसके लिये प्रिसक्राइब कियी जाय।

(इस समय ४ बजकर २५ मिनट पर चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा--जैसा कि अपना उसूल रहा है और योग्यता का एक पैमाना है, उसमें यह ध्यान दिया गय है कि एक व्यक्ति की समाज के प्रति कितनी सेवा है और जनता के लिये कितनी सेवा की है

न कि उसकी ऐकेडेमिक क्वालीफिकेशन क्या है। यह एक खास पैमाना था और आज भी बहुत से ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो काबिल हैं और उनकी ऐकेडेमिक क्वालीफिकेशन ज्यादा नहीं है बहुत से लोगों ने उदाहरण पेश किये हैं उनकी बराबरी कोई नहीं कर पाया है। मुझे स्मरण है कि संविधान बनते समय एक सदस्य ने कहा था कि माननीय सदस्य लेजिस्लेचर के लिये कोई क्वालीफिकेशन नियत कर दी जाय उस पर माननीय प्रधान मन्त्री जी ने कहा था कि हम इस तरह की कोई क्वालीफिकेशन प्रिस्क्राइब न कर सकेंगे, हमारा ध्येय यह है कि हम देखें कि किसने कितनी ज्यादा सेवा जनता और समाज की है। इस पर एक माननीय सदस्य ने मज़ाक के तौर पर यह रखा था "Do you mean to say that this Parliament should be a body of idiots." इस पर माननीय प्रधान मन्त्री ने कहा "If the electorates so desire it should be a body of idiots and its leader should be the greatest idiot" यह उनकी भावना का प्रतीक है। क्वालीफिकेशन का मतलब यह है कि किसकी कितनी सेवा है। क्वालीफिकेशन का मैं भी विरोध करता हूं उस पर एक दलील दी गई कि जो अंग्रेज़ी पढ़े लिखे नहीं होते हैं वह ग़लतफहमी में दस्तखत कर देते हैं। मैं समझता हूं कि हमारी राज्यभाषा हिन्दी हो चुकी है इसलिये अंग्रेज़ी का प्रश्न नहीं उठता है।

एक चीज इसमें है वह अक्ट्राय के सम्बन्ध में कहा गया है कि ऐसा होता था कि रिफन्ड-एबिल आक्ट्राय थी तो उसमें काफी रुपया जमा होता था, मान लीजिये ३५ लाख जमा हुआ और रिफन्ड हुआ ३० लाख तो इस तरह से यह होता था कि कागजात की कार्यवाही होती थी और एकाउन्ट्स वगैरह और आडिट वगैरह का खर्च देना होता था और कोई खास फायदा नहीं होता था। इसमें एक प्राविज़न यह भी रखा गया है कि प्लेसेज़ आफ वर्शिप के नजदीक सिनेमा हाउसेज नहीं बनाये जायेंगे। इसमें एक दलील दी गई कि एक प्लेस है वर्शिप की लेकिन सिनेमा वाले कहते हैं कि नहीं है और सिनेमा बन जाता है तो इस तरह से कोई रोक नहीं सकता है। मैं समझता हूं कि अगर कोई ऐसा केस आ जाय तो ग़ौर कर लिया जाय और इस तरह से अमेन्डमेन्ट करना उचित नहीं है। माननीय सदस्य श्री गुरुनारायण जी ने सस्पेन्शन और रिमूवल के सम्बन्ध में कहा है कि उनको वार्निंग और एक्सप्लेनेशन के सम्बन्ध में मौका दिया जाय मैं समझता हूं कि जो पहले का अमेन्डमेन्ट है उसमें यह साफ है कि एक्सप्लेनेशन लिया जायेगा और उनके साथ अन्याय नहीं किया जायेगा। श्री राजा राम जी ने मजदूरों के रिजर्वेशन के बारे में कहा, मैं समझता हूं कि विधान में यह नहीं है इसलिये वह नहीं हो सकता है, एक बात और कही गई है, वह यह है कि स्त्रियों के रिज़र्वेशन के बारे में यह भी नहीं हो सकता है। चेयरमैन या प्रेसीडेन्ट के चुनाव के बारे में कहा गया है कि पोलीटिकल पार्टीज़ का कोई हाथ नहीं होना चाहिये। मैं इससे सहमत नहीं हूं। इन्डिपेन्डेन्ट कैंडीडेट्स के बारे में प्रधान मन्त्री जी ने कहा है कि उनका कोई ध्येय नहीं है, उनकी क़ौम एक निकम्मी क़ौम है। आज का ज़माना पोलीटिकल पार्टीज़ का है। एक बात एक्ज़ीक्यूटिव आफिसर्स के लिये है कि उनकी सर्विस प्राविन्शियल हों। यह दरअसल सोचने वाली चीज़ है और कई एक सुझाव दिये भी गये हैं और माना भी गया है। लेकिन इस मौजूदा अमेन्डमेन्ट में ऐसा नहीं आया है। मैं इस बात की आशा करता हूं कि इस तरीक़े का कोई विधेयक सरकार की तरफ से अवश्य आयेगा और उनकी सर्विसेज़ प्राविन्शियलाइज़ की जायेंगी। इन शब्दों के साथ जो विधेयक हाउस के सामने रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं और सेलेक्ट कमेटी की बाबत जो प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं।

श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चंद शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं। भाई राजा राम जी ने कुछ बातें कही हैं जिन में दो एक बातों की चर्चा मैं करूंगा। उन्होंने बताया है कि सन् ४६, ४७ की सरकार ने और सन् ३७, ३८ की सरकार ने म्यूनिसिपैलिटीज़ के अन्दर सुधार करने के लिये एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन रिपोर्टों के बावजूद भी उनमें उल्लिखित बातों का ख्याल नहीं किया गया और जल्दी में यह विधेयक ला दिया गया। उसके विषय में मुझे यह निवेदन करना है कि सेलेक्ट कमेटी समय को देखते हुये रिपोर्ट तैयार करती है। लेकिन समय इतनी तेजी से आगे बढ़ता जा

[श्री विश्वनाथ]

रहा है कि कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि पीछे दी हुई रिपोर्टों का बहुत ज्यादा ख्याल न किया जाये। मुझे दो तीन बातें इस विषय में याद हैं कि सन् ३७, ३८ की कांग्रेस सरकार ने टेनेन्सी ऐक्ट बनाया था उसमें ढाई सौ तक के मालगुजारी में सीर सुरक्षित रखी गई थी लेकिन आज जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था बिल में क्या हुआ है यह आप सभी को भली भांति मालूम है। फिर सन् ४८ में जो सेलेक्ट कमेटी बनी थी उसने बड़ी लम्बी रिपोर्ट लिखी। परन्तु आज आप देखें जो ऐक्ट बना है उसमें और उस रिपोर्ट में कितना बड़ा अन्तर है। अतः दिन प्रति दिन समय बदलता है, तथा जनता का रुख बदलता है और शासन का अनुभव जैसे-जैसे बढ़ता जाता है उसी तरह से वह रिपोर्ट पीछे पड़ती जाती है। भाई राजा राम जी ने मजदूरों की बात कही कि मजदूरों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित होना चाहिये। उसके विषय में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पहली कठिनाई तो वह है जैसा कि पूर्व वक्ता महोदय ने बतलाया है भारतीय विधान की बात लेकिन अगर उस को थोड़ी देर के लिये ग़ैर जरूरी भी मान लिया जाये तो भी हर म्युनिसिपैलिटी में वर्गीकरण करना कि कौन-कौन मजदूर हैं, बड़ी मुश्किल बात है। इस में भी विवाद है कि शारीरिक तथा बौद्धिक मजदूरों में कौन-कौन लोग आ सकते हैं। इस दृष्टिकोण से जन-संख्या के समय गणना नहीं हुई थी जिससे उनकी संख्या के अनुपात से सीट सुरक्षित की जा सके। आज देश में अनेक जाति तथा सम्प्रदाय सम्बन्धी झगड़े, हर दिशा में देश को कमजोर और भ्रष्ट बना रहे हैं, इसी प्रकार समस्वार्थ के लोगों का अलग वर्गीयकरण करना, उसी प्रकार घातक सिद्ध होगा जिस तरह आज के दिन देश की विभिन्न जातियां तथा उप-जातियां जो कभी इसी आधार पर संगठित थीं; घातक और विनाशक सिद्ध हो रही हैं तथा देश में यह अत्यन्त जटिल और भयानक परिस्थिति उत्पन्न कर दी है। वर्ग संघर्ष में यद्यपि आज दिन कुछ लोग विश्वास करते हैं परन्तु यह वास्तव में विनाशात्मक है। इस लिये अगर आप चाहें कि उनके लिये प्रतिनिधित्व हम रिजर्व कर दें तो यह उचित नहीं मालूम देता। एक तो वर्षों से हम देखते रहे हैं, विधान सभा में देखा और यहां भी विचार होता रहा है कि शीघ्र से शीघ्र चुनाव हों और दूसरी तरफ सेलेक्ट कमेटी बैठाकर उस में विलम्ब कर दिया जाये, शायद यह दो तरह की बातें समझ में नहीं आतीं कि किस मक़सद से कही जाती हैं। जब कि स्वायत्त शासन मन्त्री ने साफ साफ बतलाया है कि बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें किया जायेगा और इसके लिये विचार विनिमय हो रहा है। शीघ्र ही उसके लिये भी विधेयक उपस्थित किया जायेगा, और आज जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिये ही यह विधेयक उपस्थित किया गया है।

अतः सेलेक्ट कमेटी की बात कहना असंगत मालूम देता है। भाई राजा राम तथा और कुछ सदस्यों ने जो मुल्तवी के विषय में कहा है वह उचित होते हुये भी आज की स्थिति में असामयिक है। मैं तो उस विचार धारा का आदमी हूं कि आज देश का जैसा नैतिक स्तर है उसको देखते हुये हमारे देश में अधिनायकवाद कुछ दिन के लिये जरूरी था और देश में बहुत से आदमी ऐसे हैं जो इस विचार धारा के हैं। वे समझते हैं कि यदि आज देश में अधिनायकवाद होता तो जो सुधार हुआ है उससे आगे हुआ होता, हम काफी आगे बढ़े होते। जब किसी देश का नैतिक स्तर ऊंचा नहीं होता है तो उस समय की जो जनता होती है वह ऐसा सोचती है जैसा कि मैंने बतलाया है। मैं मानता हूं कि शासन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। आप देखते हैं कि हो भी रहा है। पंचायत राज और म्यूनिसिपल बोर्ड कायम हैं। शासन का विकेन्द्रीयकरण तेजी से किया जा रहा है। परन्तु साथ ही साथ इनमें जो खराबियां हैं उसको हमारे सोशलिस्ट भाई जोर जोर से कहते हैं। वह कहते हैं कि काफी छानबीन के साथ विकेन्द्रीयकरण हो और यह भी कहा गया कि ऊपर से देख रेख हो, जिनकी ग़लती और खराबी दिखाई दे उनको मुअत्तल कर दिया जाय। जांच के समय मुअत्तल किये बिना समुचित जांच का होना कहीं कहीं कठिन होता है, अतः यह अधिकार लेना ठीक है। एक भाई ने बतलाया है कि एक्जीक्यूटिव आफिसर की नियुक्त सरकार से हो। कहीं कहीं पर मैं देखता हूं कि सेक्रेटरी भी पार्टीबाजी के दल दल में पड़कर अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। कही कहीं मैं देखता

हूं कि जो सेक्रेटरी मुत्फन्नी नहीं होता है वहां के लोगों को अपने चंगुल में फंसाकर नहीं रख सकता या गलत काम को न करके सिर्फ अपने कर्त्तव्य पालन का ही ख्याल रखता है, वह सदस्यों की पार्टी बाज़ी का शिकार बना दिया जाता है और इस तरह से उसकी जिन्दगी बर्बाद कर दी जाती है। कहीं कहीं मैं देखता हूं कि वे बहुत ही मुत्फन्नी हैं, चलते पुरजे हैं, वहां के अधिक से अधिक सदस्यों को अपने जाल में फंसाये रखते हैं और अपने मतलब के लिये गर्हित कार्य भी करते हैं। जब ऐसी स्थिति है तो सरकार को इनको अपने हाथ में लेना चाहिये और इनकी नियुक्ति के तरीके में रद्दोबदल करना चाहिये। साथ ही इन्हें बर्खास्त करने का अधिकार भी सरकार को अपने हाथ में कुछ दिन के लिये लेना चाहिये।

एक बात मुझे और कहनी है। मेरे चन्द भाइयों ने जैसा कि बतलाया है कि हवालातियों को राय देने से वंचित करना अनुचित है। इसके लिये मेरा भी यही ख्याल है।

इसके अलावा एक बात मैं बड़े ज़ोरदार शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। मैट्रिक की शिक्षा की क़ैद प्रेसीडेन्ट के लिये रखी गई है। यह पढ़ कर मुझे आश्चर्य हुआ। आज जब कि हमारे देश का एक भिन्न तथा योग्य समुदाय इस बात का समर्थन करता है कि हमारे देश की आधुनिक परीक्षा प्रणाली को ही समाप्त कर दिया जाय, तब यहां पर इस बात के लिये क़ैद कर देना कि मैट्रिक का प्रमाण-पत्र प्रेसीडेन्ट के लिये जरूरी है यह कम आश्चर्य में डालने वाली बात नहीं है। मैं पूछता हूं कि क्या जो शिक्षा और परीक्षा अब है वह सत्यता, संगठन इत्यादि गुणों को देती है। मैं कह सकता हूं कि हरगिज़ नहीं देती है। विद्या क, ख, ग, घ और ए, बी, सी, डी के ज्ञान से सम्बन्धित नहीं है बल्कि विद्या एक भिन्न वस्तु है और लिखना पढ़ना एक भिन्न वस्तु है। विद्योपार्जन करने के अनेक साधनों में यह भी एक साधन मात्र है। यह शिक्षा जो आजकल दी जा रही है यह वास्तव में विद्या नहीं है और इस चीज़ को लेकर आज देश में एक तूफान मचा हुआ है। आज लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन किया जाय, ताकि इसमें जो खराबी है वह न रहे और वास्तव में विद्या प्राप्त हो। जब तक ऐसा प्रश्न है, ऐसी बात है और शिक्षा की योग्यता इस बात पर निर्भर नहीं करती है तब तक मैट्रिक की क़ैद लगाना शायद ठीक नहीं है। इसलिये जरूरी है कि इसमें संशोधन हों। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

चेयरमैन—क्या माननीय मन्त्री जी इसका जवाब देना अभी पसन्द करेंगे या कल देंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—अगर आज बहस समाप्त हो चुकी है तो मैं कल उत्तर दूंगा।

चेयरमैन—अब कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल ४ बजकर ४८ मिनट पर ४ नवम्बर को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई।)

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
३ नवम्बर, १९५२

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ६ एल० सी०—१९५३—८५०।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

मंगलवार, ४ नवम्बर, १९५२

—:o:—

[उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।]

उपस्थित सदस्य (५६)

अब्दुल शकूर नज़मी, श्री
अम्बिका प्रसाद वाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान क़िदवाई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तमदास टण्डन, श्री
निज़ामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्यारेलाल श्रीवास्तव, डाक्टर
प्रताप चन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद वाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राजाराम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
रामकिशोर रस्तोगी, श्री
रामकिशोर शर्मा, श्री
राम लगन सिंह, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
लाल सुरेश सिंह, श्री
विश्वनाथ, श्री
वीर भान भाटिया, डाक्टर
व्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार सन्तोष सिंह, श्री
सैयद मुहम्मद नसीर, श्री
हृदय नारायण सिंह, श्री
हयातुल्ला अन्सारी, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:—

श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)
श्री गिरधारी लाल (निर्माण मंत्री)
श्री मोहनलाल गौतम (स्वशासन मंत्री)

प्रश्नोत्तर

बरेली-हलद्वानी रोड पर गवर्नमेंट रोडवेज की बसें

सं०	तारीख	
१	७-१०-५२	१—श्री इन्द्र सिंह नयाल (स्थानीय संस्थाएं, निर्वाचन क्षेत्र) (अनुपस्थित)—वह कौन से उपाय हैं जिनके जरिये सरकार बरेली-हलद्वानी रोड पर गवर्नमेंट रोडवेज के कन्डक्टरों द्वारा टिकट बेचे जाने को रोकती है?

Original no	date	
1	7-10-52	1. **Sri Indra Singh Nayal**:—(local authorties constituency) (*Absent*) What are the measures by which the Government checks the sale of tickets by Government roadways conductors on the Bareilly-Haldwani Road?
२	७-१०-५२	२—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार ने कोई ऐसा अफसर नियुक्त किया है जो सड़क पर इधर-उधर घूमे और अचानक जांच करके यह मालूम करे कि आया कन्डक्टरों ने जो किराये का रुपया मुसाफिरों से वसूल किया है वह सब ठीक तरह से रसीद की किताब में चढ़ गया है या नहीं?
2	7-10-52	2. **Sri Indra Singh Nayal** (*Absent*)—Has the Government appointed any officer to move about on the road to make surprise checks to see whether the fare realised by the conductors from the passengers has been duly and fully credited in the receipt book or not?
३	७-१०-५२	३—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कन्डक्टर और ड्राइवर उन मुसाफिरों को जो बरेली और हलद्वानी के दरमियान रास्ते में रोडवेज की बसों पर चढ़ते हैं, टिकट न देकर या कम फासले का टिकट देकर, बहुत बड़ी रकम पैदा करते हैं?
3	7-10-52	3. **Sri Indra Singh Nayal** (*Absent*)—Is the Government aware that the conductors and drivers earn a large amount of money by not issuing tickets or by issuing tickets for a lesser distance to the passengers who pick up the roadways buses at casual points in between Bareilly and Haldwani?
४	७-१०-५२	४—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—यदि प्रश्न ३ का उत्तर हां में है, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करने का इरादा रखती है?
4	7-10-52	4. **Sri Indra Singh Nayal** (*Absent*):—If the answer to question no. 3 is in the affirmative do the Government intend to make enquiries in this connexion.
५	७-१०-५२	५—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—उपरोक्त नाजायज बातों या इसी प्रकार की नाजायज बातों के होने की संभावना को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है?
5	7-10-52	5. **Sri Indra Singh Nayal** (*Absent*):—What steps does the Government propose to take to check the aforesaid mal-practice or to check any likelihood of a mal-practice of the aforesaid nature ?
६	७-१०-५२	६—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—बरेली-हलद्वानी और हलद्वानी-अल्मोड़ा सड़कों पर सन् १६४६, १६५०, व १६५१ ई० में क्रमशः कितने (क) व्यक्ति, (ख) जानवर, मोटर दुर्घटनाओं से (१) मर गये और (२) जखमी हुये?
6	7-10-52	6. **Sri Indra Singh Nayal** (*Absent*):—How many (*a*) human beings and (*b*) cattle were (i) killed and (ii) injured by motor accidents on the Bareilly-Haldwani and Haldwani-Almora cart roads in 1949, 1950 and 1951 respectively?

मा० सं० तारीख

७—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—उपरोक्त मोटर दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में सन् १९४९–१९५०, व १९५१ ई० में क्रमशः कितने ड्राइवरों का चालान किया गया ? ७ ७-१०-

Original no. d

7. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*):—How many drivers were challaned for the aforesaid motor accidents in 1949, 1950 and 1951 respectively? 7 7-10

८—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—(क) उपरोक्त दुर्घटनाओं में फंसे हुये एस कितने ड्राइवर हैं जिनका चालान नहीं हुआ ? ८ ७-१०-

(ख) उनके चालान न करने के क्या कारण थे ?

8. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*):—(*a*) How many of the drivers involved the aforesaid accidents were not challaned ? 8 7-10

(*b*) What were the reasons for not challaning them?

९—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—चालान किये गये ड्राइवरों में से कितनों को सजा मिली और कितने छूट गये ? ९ ७-१०-

9. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*):—How many of the drivers challaned were convicted and how many acquitted? 9 7-10

१०—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—हल्द्वानी-काठगोदाम रोड पर एक गवर्नमेंट रोडवेज बस से हाल ही में कितने व्यक्ति मर गये ? १० ७-१०-

10. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*):—How many persons were killed by a Government Roadways bus on the Haldwani-Kathgodam Road recently? 10 7-10

११—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—उस दुर्घटना के कारण क्या थे ? ११ ७-१०-

11. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*)—What were the reasons for the accident? 11 7-10

१२—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या प्रश्न ६ में उल्लिखित दुर्घटनायें इसलिये हुईं कि ड्राइवर मोटरों को चलाते समय शराब पिये हुये थे ? १२ ७-१०-

12. Sri Indra Singh Nayal(*Absent*)—Were many of the accidents referred to in question no. 6 due to the drivers being drunk at the time of driving? 12 7-10

१३—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—मोटर दुर्घटनाओं के इस बढ़ते हुये भय को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ? १३ ७-१०-

13. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*)—What steps does the Government propose to take to check the growing menace of motor accidents? 13 7-10

१४—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या सामान के भार का कोई ऐसा परिमाण नियत है जिसे एक मोटर ट्रक को बरेली–हल्द्वानी रोड पर ले जाने की इजाजत है ? १४ ७-१०-

14. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*)—(*a*) Is the there a limit to the wight of goods that a motor truck is allowed to take on the Bareilly-Haldwani Road? 14 7-10

(*b*) If so, what is the maximum weight fixed?

१५—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि बरेली-हल्द्वानी रोड पर जो मोटर ट्रकें चलती हैं उन पर आम तौर से हद से ज्यादा बोझ लदा होता है ? १५ ७-१०-

15. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*)—Is it a fact that the motor trucks driving on the Bareilly-Haldwani Road are usually overloaded? 15 7-10

१६—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—सन् १९५१ ई० में बरेली-हल्द्वानी रोड पर ट्रकों द्वारा हद से ज्यादा बोझ लादने के कितने मामले पुलिस द्वारा पकड़े गये ? १६ ७-१०-

16. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*)—How many cases of over-loading were checked by the police on the Bareilly-Haldwani Road during the year 1951? 16 7-10

१७—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—सन् १९५१ ई० में बरेली-हलद्वानी रोड पर हद से ज्यादा बोझ लादने के कितने मामले चालान किये गये?

17. **Sri Indra Singh Nayal** (*Absent*)—How many cases of over-loading on the Bareilly-Haldwani Road were challaned during the year 1951?

१-१७—**श्री हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम** (वित्त मंत्री)—आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है। प्राप्त होने पर उत्तर दिया जायगा?

Sri Hafiz Mohammad Ibrahim (Minister for Finance)—Necessary information is being collected and the questions will be answered when the same is available.

१५ अगस्त को प्रदर्शन

१८—**श्री पन्ना लाल गुप्त** (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि जहानाबाद, जिला फ़तेहपुर में १५ अगस्त को वहां के मुसलमानों ने काले झंडे का जुलूस निकाला और पब्लिक मीटिंग की?

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की?

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)—(क) जी हां।

(ख) प्रदर्शन के नेताओं के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। मामला अदालत में चल रहा है।

फ़तेहपुर ज़िले में चोरियों और डकैतियों की संख्या

१९—**श्री पन्ना लाल गुप्त**—क्या सरकार कृपा करके यह बतलायेगी कि फ़तेहपुर ज़िले में इस साल कितनी डकैतियां व चोरियां हुईं और कितने का पुलिस ने पता लगाकर चालान किया और इनमें से कितनों को सज़ा हुई?

श्री हर गोविन्द सिंह—मांगी हुई सूचना इस प्रकार है :

डकैती—सन् १९५२ में अभी तक १० डकैतियां हुई हैं जिनमें से ३ का पता लगा कर चालान किया जा चुका है और अभी तक इनके मुक़दमे अदालत में चल रहे हैं।

चोरी—अभी तक सन् १९५२ में कुल ५६९ चोरी की वारदातें हुईं जिनमें से ७० का पता लगा कर चालान किया जा चुका है, और १२ आदमी अभी तक सज़ायाब हुये हैं।

नैनीताल में बन्दूक के लाइसेंसदारों से ज़बर्दस्ती चन्दा वसूल किया जाना

२०—**श्री इन्द्र सिंह नयाल** (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि सन् १९३९-४५ ई० के युद्ध में जिला नैनीताल में बन्दूक के लाइसेंसदारों से ज़बर्दस्ती या और किसी तरह से लड़ाई का चन्दा वसूल किया गया था?

20. **Sri Indra Singh Nayal** (*Absent*)—Is it a fact that during the war of 1939—45 subscription for the war was raised forcibly or otherwise from the holder of gun licences in the Naini Tal District?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द (गृह मंत्री)—इस प्रकार की कुछ शिक़ायतें सरकार के पास आई थीं पर यह नहीं कहा जा सकता था कि वह कहां तक ठीक थीं, क्योंकि जिला के सम्बन्धित पत्रावलियां नष्ट हो चुकी थीं।

Dr. Sampurnanand (Home Ministre)—A few complaints of this nature were no doubt received by Government but it could not be said definitely as to what extent these allegations were true as district records in this connexion had since been weeded out.

२१—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि जिन लोगों ने चन्दा देने से इन्कार किया, उनके लाइसेंस जब्त कर लिये गये और उनकी बन्दूकें बेच दी गईं ?

21. **Sri Indra Singh Nayal**—(*Absent*): Is it a fact that the licences of those who refused to pay the subscription were forfeited and their guns sold?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कृपया प्रश्न संख्या २० का उत्तर इस सम्बन्ध में देखिये।

Dr. Sampurnanand—Reply to question no. 20 may please be seen in this connection.

२२—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार उन लाइसेंसों की संख्या बताने की कृपा करेगी जो नैनीताल जिले में इस प्रकार मंसूख किये गये। उनके नाम क्या हैं जिनके लाइसेंस मंसूख किये गये और किस वर्ष वह मंसूख किये गये ?

22. **Sri Indra Singh Nayal**—(*Absent*)—If so, will the Government please give the number of licences thus cancelled in the Naini Tal District and also the names of the persons whose licences were cancelled and the year when the same was cancelled ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता ?

Dr. Sampurnanand—Question does not arise.

२३—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि प्रश्न नं० २२ में उल्लिखित लोगों ने उपरोक्त चन्दे को इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सिद्धान्तों और नीतियों के अनुसार देने से इन्कार किया था ?

23. **Sri Indra Singh Nayal** (*Absent*)—Is it a fact the persons referred to in question no. 22 refused to pay the aforesaid subscriptions in accordance with the principle and policies of the Indian National Congress ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

Dr. Sampurnanand—Question does not arise.

२४—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या उपरोक्त लोगों में से कुछ ने ऐसी प्रार्थनायें की थीं कि उनको सरकारी खर्चे पर वैसी ही बन्दूकें वापस कर दी जायं ?

24. **Sri Indra Singh Nayal**—(*absent*) Did several of the aforesaid persons apply for the restoration of similar guns to them at Government expenses ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, सरकार के पास कुछ ऐसे प्रार्थना-पत्र अवश्य आये थे जिनमें लड़ाई में चन्दा न देने के कारण जब्त किये गये हथियारों को वापस करने की प्रार्थना की गई थी और प्रत्येक को उचित रूप से विचार किया गया।

Dr. Sampurnanand—Yes. Government did receive a few applications in which request had been made for restoration of firearms alleged to have been forfeited to Government on their refusal to contribute to the war fund and each case was decided on merits.

२५—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या यह ठीक है कि उपरोक्त प्रार्थना-पत्रों पर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ?

25. **Sri Indra Singh Nayal**—(*Absent*) Is it a fact that no orders have yet been passed in the aforesaid applications ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

Dr. Sampurnanand—No.

२६—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस बात के लिये तैयार है कि बन्दूकों की वापसी के प्रश्न को राजनीतिक पीड़ितों के मुआवजे के आधार पर माने ?

26. Sri Indra Singh Nayal (*absent*)—Is the Government prepared to treat the question of restoration of guns on the basis of compensation for political suffering ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

Dr. Sampurnanand:— yes.

२७—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो क्यों ?

27. Sri Indra Singh Nayal (*absent*)—If not, why ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

Dr. Sampurnanand—Question does not arise.

२८—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या नैनीताल जिले में सन् १९३९-४५ में बन्दूकों के लाइसेंस राजनीतिक कारणों से मंसूख किये गये थे ?

28. Sri Indra Singh Nayal (*Absent*):—Where licenses of guns in the Naini Tal District 1939-45 on political grounds ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां, ऐसा मानने का आधार है।

Dr. Sampurnanand:—Yes, there is reasons to believe so.

२९—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या सरकार लाइसेंसों की संख्या बताने की कृपा करेगी जो इस प्रकार रद्द किये गये थे और उनके नाम क्या हैं जिनके लाइसेंस रद्द किये गये ?

29. Sri Indra Singh Nayal (*absent*)—If so, will the Government please give the member of licenses thus cancelled and the names of persons whose licenses were thus cancelled ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इसका विवरण देना सम्भव नहीं है, क्योंकि जिला नैनीताल के इस सम्बन्ध के रिकार्ड नष्ट किये जा चुके हैं।

Dr. Sampurnanand—It is not possible to furnish these details as the district records in this connexion have since been weeded out.

३०—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—उपरोक्त लाइसेंसों और बन्दूकों में से कितनों को कांग्रेस सरकार ने वापस किया ?

30. **Sri Indra Singh Nayal** (*absent*)—How many of the aforesaid license and guns were restored by the Congress Government?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस सम्बन्ध में ठीक सूचना जिला में रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण नहीं दी जा सकती है जैसा कि प्रश्न संख्या २९ के उत्तर में बताया गया है। जहां तक बंदूकें वापस करने का सवाल है ४ बन्दूकें सरकारी मालखाने के जब्त किये हुये हथियारों में से उन व्यक्तियों को उनके हथियारों के एवज में दी गई हैं जिनके हथियार स्वतन्त्रता के आन्दोलन में जब्त किये गये थे और २ व्यक्तियों को बीस बीस रुपये हर्जाना दिया जा चुका है।

Dr. Sampurnanand—The correct information in this connection cannot be supplied due to non-availability of records as pointed out in reply to question no. 29. So far as the question of restoration of guns is concerned, four have been ordered to be given to the persons concerned from forfeited and confiscated stocks in Government malkhanas in lieu of their firearms, forfeited from them in connexion with the country's struggle for freedom, and two persons have been given Rs.20 each as compensation for their weapons.

३१—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—क्या सरकार उनमें से बाकी को वापस करने को तैयार है ?

31. Sri Indra Singh Nayal (*absent*)—Is the Government prepared to restore the rest of them ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार प्रत्येक प्रार्थना-पत्र को उचित रूप से विचार करने को तैयार है।

Dr. Sampurnanand—Government are prepared to consider each case on merit.

३२—श्री इन्द्र सिंह नयाल (अनुपस्थित)—यदि नहीं, तो क्यों ?

32. Sri Indra Singh Nayal (*absent*)—If not, why ?

प्रा० सं० ३ ३३ ७-१०-

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्रश्न नहीं उठता।

Dr. Sampurnanand—Question does not arise.

चेयरमैन—मैंने एक बार पहले भी माननीय सदस्यों का इस तरफ ध्यान आकर्षित किया है कि सवाल पूछने वाले सदस्य का कर्तव्य होता है कि वह प्रश्नों के समय पर यहां उपस्थित रहे, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर देने में सरकार का काफी पैसा खर्च होता है तथा वक्त लगाया जाता है। जो मेम्बर सवालों का जवाब चाहते हैं जिस वक्त जवाब दिया जाता है उस वक्त उनको यहां पर रहना चाहिये।

आगरा विश्वविद्यालय के उपकुलपति का चुनाव आर्डिनेंस द्वारा स्थगित किये जाने के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव

चेयरमैन—श्री राजाराम शास्त्री का कल एक एडजार्नमेंट मोशन पेश हुआ था और उस वक्त यह तय हुआ था कि वह आज लिया जायगा। इसकी एडमिसिबिलिटी के बारे में अगर सरकार को कुछ कहना है तो हम लोग को सुन लें तभी उसके बाद में निर्णय देंगे।

*श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं जनाब से अर्ज करूंगा कि मैंने मूवर से सुना नहीं है कि वह क्यों जरूरी है।

†श्री राजाराम शास्त्री (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—श्रीमान् जी, पहले मैं बतला दूं कि क्यों मैं इसे पेश करना चाहता हूं तो फिर मिनिस्टर साहब को भी सहूलियत हो जायगी।

चेयरमैन—मामूली तौर से इस समय बहुत बहस नहीं होती है। लेकिन जब एक निश्चित, आवश्यक और जनहित के लिये महत्वशाली विषय पर बहस करने के लिये एडजार्नमेंट मोशन की सूचना दी जाती है तो मुझे यह देखना होता है कि यह एक उचित विषय है या नहीं। अगर कोई आर्डिनेंस जारी किया जाता है तो वह वाह्य रूप से (*pirma facie*) निश्चित और आवश्यक विषय होता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—हमारे रूल में है कि कौन अर्जेन्ट मामला होता है। जहां तक इस मामले का सवाल है तो इसके बारे में आर्डिनेंस जारी हो चुका है। अब उसका डिस्कशन आज हो या कल हो मगर उसके लिये मुझे यह मालूम होता है कि कोई अर्जेन्सी बाकी नहीं है। अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसको रोकने के लिये अर्जेन्सी हो सकती है लेकिन यह बात तो खत्म हो चुकी है।

मैं चाहता हूं कि जो बहस हो वह कल हो जाय, दो तीन दिन के अन्दर बहस हो जायगी। यह मामला जरूरी है या नहीं है इस पर भी बहस हो जायेगी। यह कोई ऐसा मैटर भी नहीं है।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि यह कोई अर्जेन्ट मैटर नहीं है तो मैं इस तरफ आप का

*मंत्री जी ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

†सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राजा राम शास्त्री]

ध्यान दिलाना चाहता हूं। २८ तारीख को मैंने सरकार से एक सवाल के जवाब में पूछा तो उसने २९ तारीख को मुझे जवाब दिया कि मामला कांफीडेंशल है। वह मैं अंग्रेजी में पढ़ना चाहता हूं।

The Education Minister regrets that he is unable to reply to the short notice questions nos. 1 to 4 proposed to be asked by Sri Raja Ram Shastri as the above matter is being confidentially considered by Government at this stage.

२९ तारीख को सरकार ने यह जवाब दिया और ३० तारीख को हमारे हाउस का सेशन हो रहा था तो हमको उस मामले पर विचार करने का मौका देना चाहिए था।

चेयरमैन—मैं समझता हूं कि इस विषय पर चर्चा की जा सकती है।

श्री हर गोविन्द सिंह—अभी तो म्युनिसिपल बिल चल रहा। है उसके बाद इसको लिया जा सकत है।

चेयरमैन—एक तो यह है कि सब पेपर मेम्बर की टेबिल पर रख दिये गये हैं, उस मामले पर विचार किया जा सकता है और इस बिल को भी पास किया जा सकता है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—Just after the present Bill which is under discussion.

चेयरमैन—मैं समझता हूं कि काफी वक्त है।

श्री राजाराम शास्त्री—जो बिल आया है उस पर भी बहस हो सकती है।

चेयरमैन—आप उस आर्डिनेंस पर विचार करने के लिय जो मेज पर रख दिया गया है, एक अलग मोशन भी मूव कर सकते हैं और इस विषय पर जो बिल प्रस्तुत किया जायगा उसके सिलसिले में भी जो कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं। अब चूंकि आपको ४ दिन के भीतर यह मौका मिल जायेगा कि आप उसके बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हों कह सकते हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि इस वक्त हाउस का समय इसमें न लिया जाय तो अच्छा हो। यों तो वह डैफिनिट मेटर आफ अर्जेंट पब्लिक इम्पार्टेन्स (Definite matter of urgent public importance) है परन्तु इसके ऊपर आर्डिनेंस पर बहस करने के लिये प्रस्ताव के पेश होते वक्त भी बहस हो सकती है।

श्री हर गोविन्द सिंह—I think it is the ruling from the Chair that it is a definite matter of the public importance.

चेयरमैन—The House can proceed to consider the ordinance.

चूंकि इस आर्डिनेंस पर बहस करने के प्रस्ताव पर विचार हो सकता है, इसलिये मैं इसे हाउस के ऊपर ही छोड़ता हूं कि वह इस प्रस्ताव पर बहस करे या आर्डिनेंस पर बहस करे।

श्री राजाराम शास्त्री—क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये उसी समय प्रस्ताव पेश कर दूं।

चेयरमैन—ऐसा नहीं, बल्कि आप नोटिस दे दें।

श्री राजा राम शास्त्री—तो फिर इसके लिये क्या मुझको टाइम देना पड़ेगा?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम—इसके लिये यह जरूरी होता है कि पहले नोटिस देना पड़ता है, इसलिये टाइम का तो कोई सवाल इसमें नहीं पैदा होता है।

सन् १९५२ ई० का उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक

श्री मोहनलाल गौतम (स्वशासन मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि इस सदन के सभी सदस्यों ने मेरे इस अमेंडिंग बिल का हृदय से स्वागत किया है और जिस उत्साह से इस सदन में इस बिल का स्वागत हुआ और जो विश्वास इस समय प्रकट किया गया, इस बात पर कि म्युनिसिपैलिटीज़ का चुनाव जल्दी होगा तथा जो दो चार शब्द मेरे लिये इस सम्बन्ध में कहे गये, उन सब के लिये मैं इस सदन को और सदन के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। सलेक्ट कमेटी का जहां तक सम्बन्ध है वह तो श्री राजाराम जी ने पेश किया था और कुछ और सदस्यों ने भी उसका समर्थन किया था लेकिन मेरा अनुमान है कि श्री राजाराम जी अब उतने उत्साह से सलेक्ट कमेटी का मोशन नहीं चाहते हैं, जितना कि कल सुबह चाहते थे। वह इसलिये कि उनको अब अपने सभी संशोधनों को पेश करने का मौक़ा मिल गया है और जो प्रश्न वह इस सदन के अन्दर उठाना चाहते थे और जो संशोधन पेश करना चाहते थे, वह पेश हो सकेंगे और उन पर विचार हो सकेगा। मेरा ख्याल है कि अब समय मिल जाने पर वह सलेक्ट कमेटी के लिये बहुत ज्यादा जोर नहीं देंगे और मेरा ख्याल है कि सलेक्ट कमेटी को रिफर किये जाने की बात ग़लतफ़हमी पर भी आधारित है। क्योंकि जब श्री प्रभु नारायण जी ने उसका समर्थन किया तो उन्होंने इस आधार पर समर्थन किया कि सलेक्ट कमेटी को यह रिफर कर दिया जाय और जो १९३८ में एक कमेटी बनी थी और जिस कमेटी ने कुछ सिफारिशें उस समय की थीं, जिसके अध्यक्ष महोदय आप भी एक सम्मानित सदस्य थे, तो उस कमेटी की सिफ़ारिशों को मिला कर एक नया बिल पेश हो सके और इस सदन में उस पर विचार हो, इसी ख्याल से श्री प्रभु नारायण जी ने उस सलेक्ट कमेटी के रिफरेंस का स्वागत किया था और समर्थन किया था और इसी तरह की कुछ बातें श्री कन्हैयालाल जी ने कहीं और उन सब के उत्तर में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सलेक्ट कमेटी को जब आप कोई चीज भेज दें तो आप यह बात मान लेते हैं कि जो उसके फन्डामेंटल प्रिन्सिपल हैं वे हमको स्वीकार हैं और सलेक्ट कमेटी का काम यह है कि वह उन बुनियादों को ले। तो इस बिल में जितना भी घटाने, बढ़ाने और उसकी भाषा इत्यादि को ठीक करने की बात है और उसके अंदर जो कमी है, उसको पूरा करना है, तो वे सब बातें तो फिल इन दि गैप की तरह हुई। लेकिन उस सेलेक्ट कमेटी को इसमें घटाने और बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है और उसके लिये फिर हाउस के सामने लाना पड़ता है। इसलिये जब इतनी ही सीमित हद और दायरे तक उसको रखा जाता है और जो कि इस बिल में पहले से है, तो मेरा अन्दाज़ यह है कि इसके लिये जो समर्थक कल थे और वह चाहते थे कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय, वे भी अब अपने समर्थन में ढीले पड़ जायेंगे और जो भी बातें कल उन्होंने इसे सलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये उठाई थी और जो कुछ भी उनका मक़सद था तो वे शायद अब इस बात को मान लेंगे कि उसमें जो थोड़ा सा सवाल है वह इसको ठीक करने का है वह वहां जाकर चेंज नहीं हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि इस ज़रा सी बात के लिये यह सदन इसको ज्यादा समय तक रोकने के लिये तैयार नहीं है और इस बिल में जितनी भी बातें हैं और यहां उनको कहा गया है तो उनमें से अधिकांश बातों का समर्थन बड़े उत्साह से किया गया है और हर ओर से उसका स्वागत किया गया है और जितनी भी चुनाव की चीज़ें हैं उसमें कुछ भी परिवर्तन करने की और सुझाव रखने की इच्छा किसी भी सदस्य को नहीं रही। यह ज़रूर है कि इसमें जहां तक संख्या की बात है वह ५०, ६० या ४०, २० और १५ तक करने को कुछ सदस्यों ने कहा है और थोड़ा सा इसको संशोधित करने का सुझाव किया है। बाकी जितने प्रावीजन्स हैं जिनमें कि इलेक्शन का सम्बन्ध है और खास कर जिसके लिये यह बिल लाया गया है, उसका सब लोगों ने स्वागत किया और उसमें किसी तरह के मतभेद की गुंजाइश भी नहीं थी और उन सारी चीज़ों में जो चुनाव के नियम बने हैं तो

[श्री मोहनलाल गौतम]

वह उसी आधार पर बने हैं जिनको कि सब पहले से मान चुके हैं और उन्हीं आधार पर चुनाव पिछली बार हुआ था। इसलिये इसमें मतभेद की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इसके और भी हिस्सों का सबने स्वागत किया और इसके लिये जो अमल की बात होगी और इसके समर्थन की जो बात है, उसका सदस्यों ने जिस उत्साह से स्वागत किया, वह तो कल प्रकट ही हो गया और उसके लिये मैंने उनको धन्यवाद भी दे दिया है। जहां तक इसकी और धारायें हैं उनमें भी जैसा कि हमारे डाक्टर वृजेन्द्र स्वरूप साहब ने कहा और उसमें उन्होंने लगभग ५, ६ चीजों की ओर ध्यान दिलाया और कहा कि वे ठीक हैं और सभी सदस्यों ने उन बातों पर कोई मतभेद नहीं प्रकट किया। उनमें एक एकाउन्ट्स आफिसर का भी सवाल था और एक्सटेंशन उसमें सिर्फ दो साल के लिये है, तो इन चीजों का भी स्वागत सदन ने किया। अब सवाल रह जाता है उन २ या १ चीजों का जिन पर मतभेद है। सब से ज्यादा विरोध इस सदन में जिस बात का हुआ है और उसका कुछ लोगों ने समर्थन भी किया है वह मैट्रिक वाली शर्त है जो प्रेसीडेन्ट्स के लिये रखी गई है जैसा कि मैंने कल कहा था कि अब प्रेसीडेंट जनरल एलेक्शन से चुने जायेंगे और उनको वोटर्स के सामने आना पड़ेगा इसलिये चाहे वह व्यक्ति हो या किसी पार्टी का नामीनी हो उन सब को ख्याल रखना पड़ेगा कि जिसको हम खड़ा कर रहे हैं वह प्रेसीडेंट का काम चला सकता है या नहीं, उसमें काबिलियत है या नहीं, चाहे वह इन्टरेन्स पास हो या न हो ऐसा न हो जैसे आज कल कहा जाता है कि अनपढ़ लोग यह गड़बड़ करते हैं और वह समझते भी नहीं हैं कि कहां दस्तखत करना है तो ऐसी बातें न हो सके। पहले तो मेम्बरों की राय का ही सवाल था प्रेसीडेंट के लिये और अब तो जेनरल एलेक्शन होगा। पहले एक आदमी की राय पर ही अगर वह अड़ जाता था तो वह उसका एक ही वोट ऐसा होता था जिससे झंझट आ जाता था और भी कई कारण हो सकते थे लेकिन अब जनरल एलेक्शन से आयेंगे, इसलिये वह बातें अब न उठेंगी। मैं समझता हूं कि इस पर भवन को विचार करने का मौका आयेगा और मुझे भी इस पर जिद नहीं करना है। एक बात वृजेन्द्र स्वरूप जी ने तथा और भी कई लोगों ने कही कि जो लोग पुलिस कस्टडी में हों या जेल खाने में हों उनको राय देने का अधिकार नहीं दिया गया इस पर उन्होंने आपत्ति उठाई। यह धारा मैंने उसी आधार पर रखी है जो असेम्बली के चुनाव के सिलसिले में है, इसलिये मेरा विचार है कि इस पर कोई झंझट न होना चाहिये। इसमें एक दिक्कत एडमिनिस्ट्रेटिव प्वाइंट से भी हो सकती है अगर मौका दिया गया कि जो लोग पुलिस कस्टडी में हैं वह अपनी राय दें सकें तो उनको पुलिस कस्टडी में लाना होगा और वोट देना होगा तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को काफी डिफ़ीकल्टी हो जाती है। इसलिये मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह कोई नई धारा नहीं है और जो असेम्बली एलेक्शन की धारा है वही यहां पर रख दी गई है। जहां तक हिन्दी पत्र में छपने की बात है इस बात से मैं सहमत हूं कि किसी साहब ने एक पत्र निकाला उसमें जिम्मेदारी और ग़ैरजिम्मेदारी से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया और म्युनिसिपैलिटी के अधिकारियों को चिन्ता हो गई और उन्होंने उसको कुछ इश्तहार और प्रोसीडिंग्स छापने के लिये दे दी और फिर वह पत्र उसकी तारीफ़ करने लगे। इससे मेरा ख्याल यह है कि जनरलिज्म का नाम ऊंचा नहीं होता है जनरलिज्म से मेरा भी सम्बन्ध रहा है और अब भी है लेकिन मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें खुद आपस में जनरलिस्ट की ट्रेड यूनियन्स तै कर ले और ऐसी चीजों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिये। इसलिये इसको इसमें कैसे रखा जाय यह सोचने की बात है। अब सवाल यह है कि इसमें क्या होना चाहिये। अब जो कल तमाम बहस हुई उसमें यह बात कही गई है कि यह बिल अधूरा है और इसमें यह होना चाहिये जैसा कि मैंने कल कहा था कि इसमें चुनाव सम्बन्धी धारायें हैं और कुछ जो जरूरी धारायें हैं वह इसमें हैं यह पूर्ण बिल नहीं है एग्जास्टिव बिल आगे आयेगा।

इसलिये बहुत सी चीजें जो इस सदन के सदस्यों ने कही हैं उन पर विचार करूंगा और जो अभी आगे आने वाला अमेंडिंग बिल होगा उसमें जो भी चीजें उचित समझी जायेंगी उनको स्थान देने का प्रयत्न किया जायेगा। इसलिये बहुत सी बातों का उत्तर देकर में सदन का समय नष्ट न करूंगा।

एक चीज इसके सिलसिले में श्री राजाराम जी ने बहुत जोर से कही और मैं भी यह समझता हूं कि उन्होंने बहुत माकूल बात कही कि जब तक लोकल बाडीज के फाइनेन्सेज अच्छे नहीं होंगे तब तक लोकल बाडीज अच्छी तरह से नहीं चल सकतीं। लेकिन जो उन्होंने रास्ता बतलाया है वह शायद बहुत ज्यादा सोचे बिना ही बता दिया है। हमको इस पर बहुत ज्यादा विचार करना होगा। लोकल बाडीज पूरा टैक्स लगाती हैं या नहीं, जितना टैक्स लगाती हैं वह असेस होता है या नहीं, जो असेस होता है वह रियलाइज होता है या नहीं, जो रियलाइज होता है वह खर्च ठीक से होता है या नहीं, इस सब पर हमको विचार करना होगा।

एक सवाल श्रीमती शिवराजवती जी ने भी उठाया है और उसको दूसरे स्वरूप में श्री राजाराम जी ने भी कहा कि रिजरवेशन हो। रिजरवेशन के बारे में मैंने कल ही कहा था कि यह कांस्टीट्यूशन को देखने की बात है कि वह कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि इससे मुकदमे बाजी हो रही है। इस समय एडल्ट फ्रेन्चाइज के समय में कोई खास रिजरवेशन नहीं है, और यह आशा की जाती है कि सब लोग मिल कर काम करेंगे। मजदूरों की तो काफी संख्या है, मैं समझता हूं कि उनके प्रतिनिधि अपने क्षेत्र से काफी चुने जायेंगे। जहां तक चुनाव का ताल्लुक है, जो श्री राजा राम जी ने दलील दी थी वह तो रिजरवेशन के बाद भी लागू होती है। जैसा कि एलेक्शन में पैसे वाले ही चुने जा सकते हैं, अगर रिजरवेशन भी होता है तब भी चुनाव का खर्च तो होगा ही। इसलिये वह तो कामन फ़ैक्टर हैं हां, यह ठीक है कि कुछ हद तक वह लिमिटेड हो जाता है रिजरवेशन के बाद। इस मुश्किल को दूर करने के लिये तो इकनामिक डेमोक्रेसी का रास्ता ही ठीक रास्ता है। रिजरवेशन का रास्ता सरल भले दिखलाई दे लेकिन असली रास्ता यह नहीं है। सर्विसेज के बारे में जो प्रोवीजन है वह खास वजह से रखा गया है। हम लोगों ने और डिपार्टमेंट ने सर्विसेज के लिये कुछ रूल्स आफ़ कंडक्ट बनाये थे। उसमें यह भी था कि कोई बोर्ड का इम्प्लाई, बोर्ड के लिये नहीं खड़ा हो सकता। यह चैलेंज हो गये हाईकोर्ट में और यह फैसला हुआ कि चूंकि ला में कोई प्रावीजन नहीं है इसलिये इस तरह के रूल्स गवर्नमेंट नहीं बना सकती। जो ख्याल जाहिर किया गया है कि इम्प्लाईज की हालत सुधारने के लिये उनकी सिक्योरिटी आफ सर्विस होना चाहिये। मेरा ख्याल है कि वह इस अमेंडमेंट का उद्देश्य नहीं है। यह ठीक है कि अगर सर्विसेज आनेस्ट नहीं हैं, सिक्योरिटी नहीं है तो भी लोकल बाडीज नहीं चल सकतीं। वह एक लम्बा प्रश्न है और बाद में इस पर बहस होगी। आक्ट्राय के बारे में जो अमेंडमेंट आया है, जो बिल में प्रावीजन है वह बहुत महत्व रखता है। इसलिये जैसा कि मैंने कल कहा कि चुंगी के संबंध में बड़ी शिकायतें हैं। टर्मिनल टैक्स का जहां तक संबंध है वह सेन्ट्रल का विषय है। उसमें हमको गवर्नमेंट आफ इंडिया से मंजूरी लेना पड़ेगी। तो हम सोच रहे हैं कि एक ऐसा सरल रास्ता निकाला जाय जिसमें टर्मिनल टैक्स की जो बातें हैं वे न आयें। उसके लिये थोड़ा सा यहां पर प्रावीजन रखा गया है। इसकी शक्ल तैयार हो रही है। अभी एक सबसे बड़ा सवाल है उसको मैं भी देखता हूं। वह है सस्पेनशन आफ़ मेम्बर्स का। जहां तक उनके रिमूवल का संबंध है इसके लिये गवर्नमेंट को अधिकार है। कुछ साल पहले यह अधिकार म्यूनिसिपल बोर्ड को भी था और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को भी था। जहां तक प्रेसीडेंट के रिमूवल का संबंध है उसके बारे में भी मैं कह चुका हूं। बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं जो कि यहां पर रखी जा सकती हैं। अगर पब्लिक सर्विसेज में कोई गलती करता है तो उस गलती को दूर करने की व्यवस्था होनी चाहिये। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत है तो मामूली तौर पर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है और उसके सिलसिले में इन्क्वायरी होती है। जो भी सजा हो। चाहे वह डिसमिस हो या और कोई सजा उसको मिले। एक साहब ने कहा कि सस्पेनशन होने से उसकी बदनामी होती है। अगर किसी आदमी के बारे में शिकायत है कि

[श्री मोहनलाल गौतम]

उसने रुपया गबन किया है तो उसका सस्पेन्शन होना जरूरी है तथा उसकी इन्क्वायरी ठीक तरह से होनी चाहिये। हमारे डिप्टी चेयरमैन साहब ने मिसाल दी कि सस्पेंशन जरूरी है और न्याय के लिये आवश्यक है कि तहकीकात अच्छी तरह से हो तो जिसने गबन किया है या कोई दूसरी गलती की है उसको सस्पेंड कर दिया जाय। आप देखेंगे कि आसानी से यह अधिकार इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आप समझते हैं कि न्याय जरूरी है तो आज की गवर्नमेंट चाहे किसी की हो और कल कोई दूसरी हो। आज की गवर्नमेंट को कोई अख्तियार नहीं देना चाहते हैं और कल के लिये कोई दूसरी चीज सोचें तो यह दूसरी बात है। अगर आप चाहते हैं कि इन्तजाम ठीक हो तो क्या आप का कहना ठीक है? यह इनहेरेन्ट है। तमाम मेम्बरों को रिमूव करने का अख्तियार है, तो रिमूव करने से कौन सी ईमानदारी की खास जरूरत हो जायगी। इसलिये इसमें ईमानदारी बेईमानी का सवाल ही नहीं उठता है। यहां एक बड़ा सैद्धांतिक सवाल उठाया गया है और वह यह है कि वह एलेक्टेड मेम्बर्स हैं इसलिये उनको यह अधिकार दे दिया जाय कि कोई उनको हटा न सके और उनके ऊपर कोई सुपरविजन न हो। श्री राजाराम जी को एक गलतफहमी यह हुई कि वह यह समझते हैं कि जब एक दफा मेम्बर चुना गया तो उसको कोई हटा नहीं सकता है चाहे वह काम करे या न करे, चाहे बेईमानी करता रहे या गबन करता रहे लेकिन वह हट नहीं सकता है। इसका उत्तर एक सदस्य ने कल दिया था कि पिछली बार पार्लियामेंट के एक सदस्य को हटाया गया था। क्योंकि उन्होंने किसी काम के लिये रुपया ले लिया था जो कि एक पार्लियामेंट के मेम्बर के लिये शोभा नहीं देता है। जब डिमोक्रेसी के अधिकार होते हैं तब कुछ चेक्स ऐन्ड बैलेन्सेज जरूरी हैं। डिमोक्रेसी में कोई एक्सटर्नल अथारिटी कुछ चेक्स ऐन्ड बैलेंसेज रखती है। डिमोक्रेसी में कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो रिमूव न किया जा सके। प्रेसीडेंट आफ इंडिया को रिमूव किया जा सकता है, चीफ मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है, पार्लियामेंट के मेम्बर्स को रिमूव किया जा सकता है, लेजिस्लेचर्स के मेम्बर को रिमूव किया जा सकता है। किस रास्ते से वह रिमूव किये जा सकते हैं या उनको कौन रिमूव करे यह दूसरा सवाल है लेकिन यह समझ लेना कि जो एक दफा चुना गया है वह ५ साल तक या ४ साल तक चलता रहे चाहे वह काम करे या न करे, चाहे वह बेईमानी करे या गबन करे तो यह बिलकुल गलत उसूल होगा। इसलिये इस बात पर बहस हो सकती है कि कौन उसको रिमूव करे और किस तरीके से करे। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सिद्धांत के रूप में उठाया गया वह गलत है। जब वह क्लाज आयेगा तो उस पर बहस हो सकती है। इस तरह से मैंने उन मोटी मोटी बातों का उत्तर दे दिया जो यहां पर उठाई गई हैं। मैं फिर एक बार सदन के उन सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस अमेंडेड बिल का स्वागत किया है लेकिन मैं एक बात श्री कन्हैयालाल जी से निवेदन करना चाहता हूं। उन्हें कुछ लोगों की मनोवृत्ति अच्छी नहीं दिखाई देती है। मुझे मालूम नहीं कि उनके ऐसा कहने में आब्जेक्टिव फैक्टर था या सब्जेक्टिव फैक्टर था। मैं ज्यादा इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कई बार मनुष्य खुद ही अपनी विचारधारा का शिकार बन जाता है और उसको तब सभी लोग गलत दिखाई देते हैं।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—मेरा मोटिव्ज पर अटैक नहीं है।

श्री मोहन लाल गौतम—शब्द आपके यह थे "मनोवृत्ति निष्पक्ष नहीं दिखाई देती है।" यहां तो हिन्दी के विद्वान और विदुषी बैठे हुये हैं वह इसका मतलब बतलायेंगे लेकिन श्री कन्हैयालाल जी का जो ट्रेंड था वह तो काफी कड़ा था। वह इस बात को जाहिर कर रहा था जैसे उनको संसार में किसी का विश्वास नहीं है। वह सब को ईमानदारी से दूर समझते हैं। सिक्रेटेरियेट के संबंध में जो उन्होंने कहा उसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जितनी जानकारी मुझको इस बारे में है वह तो मैं कह नहीं सकता लेकिन अगर वह इस

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

हाउस के सदस्य न होते तो उत्तर देते। मैं खुश हूंगा कि अगर कोई गलत चीज मेरे साम लाई जाय और मैं उसकी जांच करूं।

मैं उनकी जांच करूं तो उत्तर दूं। यह तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले ५-४ महीने से देख रहा हूं और मैं अपने सिक्रेटेरियट से खुश हूं। इसका मुझे अभिमान है कि वह अच्छी तरह से काम कर रहा है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--मैंने सिक्रेटेरियट के बारे में जो कुछ कहा था उसका अवश्य आशय केवल इसलिये था कि इस बिल को देरी से लाया गया। मैं केवल यही शिकायत करना चाहता था और कोई दूसरी बात नहीं थी।

श्री मोहन लाल गौतम--ठीक है, इसका उत्तर मैं इस समय सदन के सामने नहीं दे रहा हूं। कन्हैया लाल जी को समझा दूंगा। किस प्रकार से बजट के प्रयोजन को देखना पड़ता है। रूमींदारी से जो समस्यायें उत्पन्न होती हैं उनमें हजारों लाखों आदमियों का प्रश्न होता है उसकी वजह से समय लग जाता है। इतना मैं कह सकता हूं कि सिक्रेटेरियट पूरी कोशिश करता रहा और जितनी जल्दी हो सका सदन के सामने यह बिल लाया गया।

श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—Is the secretariat a personal property of the Hon'ble Minister.

चेयरमैन--I disallow this.

श्री मोहन लाल गौतम--अब इसलिये मैं यह समझता हूं कि जो बिल मैंने आपके सामने रक्खा उस बिल में जो क्लाज़ हैं उसमें अधिकांश सदस्य उनको सपोर्ट करते हैं। एलेक्शन भी आप चाहते हैं कि जल्दी हो। कोई सदस्य इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता कि एलेक्शन में देरी हो इसलिये मैं इसको सेलेक्ट कमेटी के सामने रखना उचित नहीं समझता हूं और चाहता हूं कि यह बिल कंसिडर किया जाये।

चेयरमैन--पहिले संशोधन सदन के सामने रक्खा जायेगा।

प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक को विशिष्ट समिति के सुपुर्द किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

२--यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट, १९१६ (जिसे यहां आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ८ की उपधारा (१) में खंड (j) के बाद निम्नलिखित नया खंड ( ) के रूप में बढ़ा दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ८ का संशोधन।

"(ff) making arrangements for preparation of compost manure from nightsoil and rubbish."

श्री राम लगन सिंह (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—Sir, I beg to move that in clause 2, line 1, *substitute* the figure 7 *for* figure 8 and in lines 3 and 4 *substitute* (*cc*) *for* (*jj*).

बिल का क्लाज़ दो जो है वह मैन्योर के बारे में है। आज कल हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या गल्ले की है और गल्ला अधिक पैदा करने के लिये यह आवश्यक

[श्री राम लगन सिंह]

है कि हम अधिक से अधिक मैन्योर पैदा करें, और यह स्पष्ट है कि कम्पोज्ड मैन्योर सब से अच्छी मैन्योर मानी जाती है। सेक्शन ७ का म्युनिसिपल ऐक्ट जो है। वह बोर्ड के मैनडेटरी फ़न्कशन्स को डिफाइन करता है। जो फंक्शन बोर्ड को करने जरूरी हैं वह सेक्शन ९ ले आउट करता है। मैं इस अमेंडमेंट के जरिये मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस कम्पोस्ट को म्युनिसिपल बोर्ड के मैनडेटरी फंकशन्स में कर दें।

*श्री प्रभु नारायण सिंह (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार का एक संशोधन मैंने भी दिया था। लेकिन चूंकि श्री राम लगन सिंह जी का संशोधन उस से मेल खाता है इसलिये मैं अपनी राय इस के संबंध में इसी वक्त जाहिर कर देता हूं। जैसा कि श्री राम लगन सिंह जी ने कहा कि सेक्शन ८ जो है वह मैनडेटरी है वह बोर्ड के डिसक्रेशन पर उसके फंकशन देता है। हम समझते हैं कि जब इस बिल में संशोधन किया जा रहा है तो यदि इसमें मैनडेटरी का प्राविजन न रखा गया तो यह उचित नहीं किया गया है। जहां तक नाइट स्वायल और रबिस की खाद बनाने का सवाल है वह ऐसा सवाल हो गया है कि आज म्युनिसिपैलिटी के अन्दर मैनडेटरी का तरीका रखा जाना चाहिये। जहां तक उत्पादन का सवाल है उससे काफ़ी मदद मिल सकती है। इसके साथ साथ काफ़ी बड़ी रकम भी बढ़ायी जा सकती है। अभी हम लोगों ने सुना कि सौराष्ट्र की एक महुआ म्युनिसिपैलिटी ने काफ़ी रुपया इस काम से कमाया है। हमारे यहां यह होता है कि इलाहाबाद म्युनिसिपैलिटी को छोड़ कर, जहां कि यह चीज थोड़ी बहुत है हालांकि वहां भी पूरे तौर से नहीं होती है, अधिकांश म्युनिसिपल बोर्ड इस को खड़े या तालाब पाटने के काम में लाते हैं जब कि इस से काफी फ़ायदेमन्द चीज हो सकती है। हमारे यहां तो इस पर कुछ खर्च नहीं किया जाता है लेकिन जापान में लोग मेहतरों से पैसे देकर इस चीज को लेते हैं। ऐसी हालत में जो संशोधन श्री राम लगन सिंह जी ने रखा है उस को माननीय मंत्री जी को मान लेना चाहिये। प्राविंशियल सरकार की तरफ़ से हर म्युनिसिपैलिटी के लिये इस तरह की स्कीम बनानी चाहिये। म्युनिसिपैलिटियों में यह काम जल्द से जल्द शुरू किया जाय और इसके साथ ही यह ध्यान देना चाहिये कि यह चीज मैनडेटरी प्राविजन में रखी जाय नहीं तो बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड ऐसा नहीं करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस संशोधन को मान लें।

श्री मोहन लाल गौतम—मुझे इसके सिद्धांत को मानने में कोई एतराज नहीं है लेकिन कुछ प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं इसलिये इस समय स्वीकार नहीं कर सकता।

*श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में कम्पोस्ट के बारे में कहा गया है। यह जो कम्पोस्ट का कूड़ा है वह किस की सम्पत्ति है इसके बारे में आजकल एक स्ट्रगल चल रहा है। म्युनिसिपल बोर्ड उस को अपने हाथ में कर रहे हैं। मेरी यह प्रार्थना है कि इस को बनाते समय यह ध्यान दिया जाय कि यह भंगियों की सम्पत्ति है और म्युनिसिपल बोर्ड इसको न ले।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इसमें जो प्रैक्टिकल दिक्कतें आयेंगी तो वह कौन सी दिक्कतें हैं।

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस संशोधन को मानने में कुछ प्रैक्टिकल कठिनाई है तो हम उन कठिनाइयों को जानना चाहते हैं कि वह कौन-सी कठिनाई है जिसकी वजह से आप इतने महत्वपूर्ण संशोधन को मानने से मजबूर हैं। साथ ही साथ मैं

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

यह भी कहना चाहता हूं कि अभी श्री पूर्ण चन्द्र जी ने जो बातें कही हैं उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये, क्योंकि एक नये संघर्ष होने का डर है। यह जो नाइट स्वायल होती है तो मेहतर समझते हैं कि यह उनकी सम्पत्ति है और म्युनिसिपैलिटी समझती है कि यह उनकी सम्पत्ति है। मैं समझता हूं कि इस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिये। माननीय मंत्री जी को कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिस से यह संघर्ष न हो।

चेयरमैन—माननीय मंत्री के अंतिम उत्तर देने से पहले अगर किसी सदस्य को बोलना हैं तो बोल सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जहां तक कम्पोस्ट बनाने का सवाल है वह एक बहुत ही अच्छा कार्य है और यह जितना हो सकता है होना चाहिये। इस संबंध में जो दिक्कतें आयें उनको दूर करना चाहिये इसी पर विचार करते हुये यह संशोधन रखा गया है। जहां तक कम्पोस्ट बनाने का सवाल है वह कोई भी म्युनिसिपैलिटी बना सकती है। लेकिन इस की पूर्ति करना ज्यादा तर ग्रो मोर फूड कम्पेन और गवर्नमेंट आफ इंडिया की है। सब से पहले म्युनिसिपल बोर्ड के सामने जो दिक्कतें हैं वह यह है कि उस की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। इसके लिये उम्मीद है कि गवर्नमेंट आफ़ इंडिया आर्थिक सहायता देगी। जब उस को वहां से आर्थिक सहायता मिल जायेगी तो वह अपना कार्य अच्छी तरह से कर सकेगी। हमारी राज्य सरकार के पास इतना धन नहीं है कि वह इस को चला सके। म्युनिसिपैलिटीज की आर्थिक अवस्था अच्छी न होने की वजह से वह अपने स्कीम को अच्छी तरह से नहीं चला सकती है। इस वजह से श्री राम लगन जी ने जो संशोधन पेश किया है उसको मैं मंजूर नहीं करता हूं।

मुझे इस बात का दुख है कि इन्हीं कठिनाइयों की वजह से जो संशोधन श्री राम लगन जी ने पेश किया है वह माकूल होते हुये भी मुझे अस्वीकार करना पड़ रहा है।

चेयरमैन—The question is that in clause 2..........

श्री राम लगन सिंह—श्रीमान् जी, मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

चेयरमैन—अब चूंकि प्रश्न उपस्थित हो चुका है इसलिये आपके इस चीज के पेश करने में काफ़ी देर हो गई है। इसलिये यह प्रस्ताव अब वापस नहीं लिया जा सकता है।

चेयरमैन—The question is that "In clause 2, line 1, *substitute* the figure 7 *for* figure 8 and in line 3 and 4 *substitute* (*cc*) *for* (*j*)."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और निम्नलिखित विभाजन के पश्चात् अस्वीकृत हुआ)

पक्ष में ६

श्री कुंवर गुरु नारायण
श्री नरोत्तम दास टंडन
श्री प्रभु नारायण सिंह
श्री बी० पी० वाजपेयी
श्री राजा राम शास्त्री
श्री हृदय नारायण सिंह

विपक्ष में ३५

श्री अब्दुल शकूर नजमी
श्री उमानाथ वली
श्री कन्हैया लाल गुप्त
श्री मानपाल गुप्त
श्री मौलाना मोहम्मद नसीर
श्री राना शिवअम्बर सिंह

[चेयरमैन]

श्री जगन्नाथ	श्री राम किशोर
श्री ज्योति प्रसाद	श्री राम किशोर शर्मा
श्रीमती तारा अग्रवाल	श्री राम लगन सिंह
श्री निजामुद्दीन	श्री रुकनुद्दीन खां
श्री निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी	श्री लालता प्रसाद सोनकर
श्री प्रताप चन्द्र आजाद	श्री लाल सुरेश सिंह
श्री प्रसिद्ध नारायण अनद	श्री विश्वनाथ
श्री प्रेमचन्द्र	श्री शांति स्वरूप अग्रवाल
श्री परमात्मानन्द सिंह	श्रीमती शांति देवी अग्रवाल
श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार	श्रीमती शांति देवी
श्री बद्री प्रसाद कक्कड़	श्रीमती शिवराजवती नेहरू
श्री बशीर अहमद	श्री शिवसरन लाल जौहरी
श्री अब्दुल मजीद	श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद
श्री महमूद असलम खां	श्री सरदार संतोष सिंह
	श्री एम० जे० मुकर्जी

श्री राजाराम शास्त्री—जैसा कि, माननीय अध्यक्ष जी, आप ने कहा है कि जो मेम्बर सवाल पूंछते हैं और वह रहते नहीं हैं तो इस तरह से सदन का समय बरबाद होता है इसी तरह से जो प्रस्तावक महोदय हैं और वह अपने संशोधन पर खिलाफ़ राय देते हैं तो इस तरह से वह सदन का समय ही बरबाद करते हैं।

चेयरमैन—जब चेयरमैन खड़ा हो तो किसी अन्य सदस्य को नहीं खड़ा होना चाहिये। दूसरी बात यह है कि हर सदस्य को अपने संशोधन के पक्ष में या विपक्ष में वोट देने का अधिकार है। यह उसकी आत्मा जाने, उसकी तबियत जाने, कि वह क्यों वोट दे रहा है।

प्रश्न यह है कि खंड २ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

यू० पी० ऐक्ट, २, १९१६ में नई धारा ८-ए का बढ़ाया जाना।

३—मूल अधिनियम की धारा ८ के बाद निम्नलिखित नई धारा ८-ए के रूप में रखी जायः—

Definition 8-A. In this Chapter unless there is anything repugnant in the subject or context—

XL 111 of 1950

(*a*) "Assembly Rolls" mean the electoral rolls prepared for the Assembly constituencies under and in accordance with the provisions of the Representation of the People Act, 1950;

(*b*) "Director of Elections (Local Bodies)" means an officer appointed by the State Government in this behalf by notification in the Official Gazette."

(*c*) "election" means an election to fill a seat on a Board;

(*d*) "elector" in relation to a ward means a person whose name is for the time being entered in the electoral roll of that ward;

(*e*) "Order" means an Order published in the official *Gazette* or in the manner prescribed;

(*f*) "Scheduled Castes" mean the castes specified in the constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 ; and

(*g*) "Ward" means a ward provided by Delimitation Order under section 11-B.

श्री प्रभु नारायण सिंह--खंड ३ में प्रस्तावित नई धारा ८ के उपखंड ए को एए लिखा जाय और उससे पहले निम्नलिखित खंड ए के रूप में जोड़ दिया जाय—

"3(*a*) "Local Self-Government Board" means a borad having the powers of supervision and control over local boards and consisting of :—

(*i*) A whole time salaried President who should be a public man with considerable experience of local Self-Government to be appointed by Government;

(*ii*) Four members to be elected by the Legislative Assembly;

(*iii*) Two members to be elected by the Legislative Council;

(*iv*) Six representatives of district and municipal boards to be appointed by Government for the first term and thereafter to be elected by unions of district and municipal boards which should be organised by the Local Self-Government Board, and

(*v*) Eight nominees of Government including the following experts;
(1) The Inspector General of Civil Hospitals;
(2) The Director of medical and public Health services;
(3) The Supreintending Engineer, Public Health Department;
(4) The Chief Engineer, Buildings and Roads;
(5) The State Town Planning Officer;
(6) The Director of Education.

Explanation—All elections to the Local Self-Government are to be held by single transfer vote.

इसमें एक नई डिफ़नीशन जोड़ी जा रही है। लेकिन लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट बोर्ड का मतलब क्या होगा और भी कई संशोधन के प्रस्ताव इस तरह के हैं।

मैं ऐसा महसूस करता हूं कि जिस तरीके से पुराना म्युनिसिपैलिटीज़ ऐक्ट हमारे सामने है उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि उससे हमारे स्वायत्त शासन की डिगनिटी जो कायम रहना चाहिये वह नहीं रह पाती। पुराने ऐक्ट के अनुसार बृटिश शासन काल में सुपरविजन का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर को दिया गया था। सन् १९१६ के ऐक्ट के मुताबिक जो ऐक्ट कि अब भी बरकरार है उस में आज भी उसी तरीके की धारायें हैं जिससे आज भी सुपरविज़न और कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और ऐसे लोगों के हाथ में है। पहली बात तो अध्यक्ष महोदय में यह समझता हूं कि स्वायत्त शासन जो कि एडल्ट फ्रैंचाइज़ के आधार पर चुने जाते हैं उन के अधिकारों पर आफ़ीशल वर्ग की तरफ़ से ऐसा कंट्रोल न होना चाहिये जो ऊपर से लादा हुआ मालूम हो। इसीलिये मैंने यह सुझाव रखा कि म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरवाइज करने के लिये एक लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट बोर्ड बनाना चाहिये, जिस का प्रेसीडेंट होल टाइम हो। इसके साथ ही साथ उसमें असेम्बली और कौंसिल के कुछ मेम्बर्स हों, म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुने हुए प्रतिनिधि हों और साथ ही ऐसे एक्सपर्ट्स भी हों जो कि स्वास्थ्य के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में, एजूकेशन के मामले में, प्लानिंग के मामले में तथा अन्य मामलों में अच्छा ज्ञान रखते हों। एक सवाल हमारे सामने यह भी है कि प्राविंशियल गवर्नमेंट और लोकल बाडीज का क्या कोआर्डिनेशन हो। हम यह महसूस करते हैं कि आज के युग में जब हम इस बात को सोचते हैं कि अधिक से अधिक पावर्स डिसेन्ट्रलाइज्ड हों तो हम इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जो प्राविन्शियल और सेंट्रल प्लानिंग का काम है वह प्राविन्शियल और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। लेकिन साथ ही साथ जब सीधे म्युनिसिपल बोर्ड बनेंगे उन के

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

सिलसिले में यह जरूरी हो जायेगा कि जो प्राविन्शियल कार्य हम उचित समझें कि म्युनिसिपैलिटीज़ करें उन का कोआर्डिनेशन एक दूसरे से होना चाहिये। इसलिये भी एक कमेटी की जरूरत है जो कि इस तरह के प्लानिंग और कोआर्डिनेशन को कर सकें। इसके सिलसिले में कुछ बात याद रखने की जरूरत है। जैसा कि अभी सवाल उठा।

*श्री शांति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—आन प्वाइन्ट आफ़ आर्डर, मुझे निवेदन यह करना है कि दूसरी धारा में यह अमेंडमेंट इस अधिनियम के जो सामने आ रहा है, नहीं रहता है। इससे यह हो जाता है कि उस मुख्य ऐक्ट का जिस में अमेंडमेंट करने के लिये यह अधिनियम लाया जा रहा है और जो अधिनियम हमारे सामने है उसमें यदि कोई अमेंडमेंट लाया जाता है तो वह इसलिये कि इसकी मंशा से बहुत दूर न हो जाये। यह जो अमेंडमेंट लाया जा रहा है उससे इसके संबंध में कोई बात नहीं रहती बल्कि उससे बिल्कुल दूर हो जाता है जो कि इस अधिनियम की मंशा में नहीं है।

चेयरमैन—जो मूवर साहब हैं क्या वह बतला सकते हैं कि इस संशोधन का मूल अधिनियम और इस विधेयक से क्या संबंध है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—अधिनियम से यह संबंध है कि जहां पर गवर्नमेंट शब्द आया है उसकी जगह पर हम लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट बोर्ड रखना चाहते हैं। उस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड को हमने इक्सप्लेन किया है। जो अमेंडमेंट है वह इससे संबंधित है।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—आप का जो अमेंडमेंट है वह आउट आफ़ आर्डर है।

चेयरमैन—आप कोई दूसरी बात कहना चाहते हैं या वही बात जो पहले कही गयी है।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—मैं वही बात कहना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम—यह एक ऐसा बड़ा सवाल है जो कि इस अमेंडमेंट बिल से ताल्लुक नहीं रखता है। उसको बैक डोर से लाने की कोशिश की जाती है। अगर मैं इस अमेंडमेंट को मान लूं तो यह कैसे फ़ंक्शन करेगा। केवल स्टेट गवर्नमेंट की जगह यह बोर्ड बना दिया जाय तो बगैर इसकी ड्यूटी डिफ़ाइन किये यह फ़ंक्शन कैसे करेगा। इस बिल की क्या शक्ल होगी। उनकी राइट और ड्यूटी क्या होगी। यह इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि जिसके ऊपर काफ़ी विचार करने की आवश्यकता है इसलिये यह आउट आफ़ आर्डर है। अगर इसको मंजूर कर लिया जाय तो गवर्नमेंट के काम में बाधा पड़ेगी।

चेयरमैन—यह वैधानिक आपत्ति उठाई गयी है कि यह संशोधन बिल के स्कोप के बाहर है। उसके जवाब में मूवर साहब ने कहा है कि और धाराओं के संबंध में गवर्नमेंट की जगह पर लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट बोर्ड रखा जाय तो वह जायज़ है। इसलिये उसको यहां रखने के लिये उसको यहां पर डिफ़ाइन करना जरूरी होगा। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाय तो बिल का स्वरूप भयंकर होगा। बिल का स्वरूप क्या होगा इसको सदस्यों को समझना चाहिये। इसको समझ कर वे वोट देंगे। बिल का स्वरूप ठीक होगा या नहीं होगा इस प्रकार की आपत्ति अवैधानिक है।

अब सवाल यह है कि इसमें एक ऐसी संस्था का समावेश करना विधेयक के स्कोप के भीतर है या नहीं। जो बिल है उसमें एक ऐसी बाडी को इंट्रोड्यूज करना इस बिल के स्कोप के बाहर है। मैं इसलिये इस अमेंडमेंट की इजाज़त नहीं दे सकता।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष जी, यह हो सकता है इसके संबंध में और वही सवाल उठाया जाय। २४ दफ़ा जो आ रही है उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट एकाउन्ट आफ़िसर

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

को नियुक्त करे। मेरा कहना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन नियुक्त करे। मैंने तो केवल इसको डिफनीशन के लिये ही पेश किया है दफा २४ में जहां गवर्नमेंट ने यह लिखा है कि वह एकाउन्ट्स आफिसर नियुक्त करेगी तो मेरा कहना है कि वह नियुक्त करने के बजाय पब्लिक सर्विस कमीशन से हो। तो उसको डिफाइन करने के लिये ही मैंने इसको पेश किया है।

चेयरमैन—क्या आप एकाउन्ट्स आफिसर की नियुक्ति के लिये यह चाहते हैं कि उस की नियुक्ति किसी नई संस्था के द्वारा हो या आप यह चाहते हैं कि इग्जिस्टिंग पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हो।

श्री राजा राम शास्त्री—मैं चाहता हूं कि इसकी नियुक्ति के लिये एक बाडी हो उसी को डिफाइन करने के लिये मैंने यह रखा है।

चेयरमैन—आप इस बात को छोड़ दीजिये। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि आप नियुक्ति किसी वर्तमान संस्था द्वारा चाहते हैं या नई संस्था से चाहते हैं।

श्री राजा राम शास्त्री—मेरी मंशा तो नई बाडी के लिये ही है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—गवर्नमेंट ने एक एकाउन्ट्स आफिसर नियुक्त करने की बात रखी है। यह इट सेल्फ एक नया आइटेम है। हम चाहते हैं कि एक नई बाडी से एकाउन्ट्स आफिसर की नियुक्ति हो।

चेयरमैन—राय तो हर एक आदमी अपनी रखता है लेकिन काम होगा मेरी राय के साथ। इसलिये मैं यह समझता हूं कि आप किसी नई बाडी द्वारा एकाउन्ट्स आफिसर की नियुक्ति के लिये नई संस्था बनाने के संबंध में संशोधन नहीं रख सकते हैं। आप इसको या तो वर्तमान कमीशन के द्वारा करा सकते हैं या बोर्ड के द्वारा लेकिन नई संस्था स्थापित करके इस विधेयक का स्कोप नहीं बढ़ा सकते हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब एक नया एकाउन्ट्स आफिसर नियुक्त होने जा रहा है तो यह एक नया आइटेम होगा जो अब तक ऐक्ट में नहीं था इसलिये यह भी सजेशन हो सकता है कि एक नई बाडी द्वारा उसकी नियुक्ति हो।

चेयरमैन—जब एक दफा रूलिंग हो गई तो बात खत्म हो जाती है। अगर आप को कुछ कहना है तो मेरे चेम्बर में मुझसे मिल सकते हैं।

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ९ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय :—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ९ का संशोधन।

Normal composition of the Board.

9. Except as otherwise provided by section 10, a board shall consist of—

(*a*) a President : and

[खंड ४]

(*b*) the elected members who shall not be less than 15 and more than 50 as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, specify.

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड ५ और ६

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा ९-ए का बढ़ाया जाना। Reservation of seats for Scheduled Castes.

५--मूल अधिनियम की धारा ९ के बाद निम्नलिखित नई धारा ९-ए के रूप में रक्खी जाय :--

9-A. (1) Seats shall be reserved for Scheduled Castesi n each board.
(2) The number of seats reserved under sub-secton(1) shall bear as nearly as may be the same proportion to the total number of seats on the board as the population of the Scheduled Castes in the municipality bears to its totalpop ulation as determined at the last census held under the provisions of the Indian Census Act. 1950.

यू० पी० ऐक्ट, २ १९१६ की धारा १० का संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा १० के वर्तमान प्रतिबन्धात्मक वाक्य के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय :--

"Provided that the provisions of this section shall not be applicable to a municipality which was already constituted under this Act on the day immediately preceding the commencement of the U. P. Municipalities (Amendment) Act, 1948, unless the municipality is one which, the State Government are satisfied, is subject to substantial seasonal variation of night population."

चेयरमैन--धारा ५ के संबंध में श्री गोबिन्द सहाय ने एक अमेंडमेंट दिया है क्या वह यहां मौजूद हैं?

एक सदस्य--नहीं है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ५ व ६ इस बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७

७--मूल अधिनियम की धारा १० के बाद निम्नलिखित नई धारा १०-ए के रूप में रक्खी जाय :--

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ में नई धारा १०-ए का बढ़ाया जाना

10-A. (1) Except as provided in sections 31, 32-A or 47-A every board shall continue for 4 years from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted :

Provided that the State Government may, by notification in the official *Gazette* extend from time to time the term of all or any board,

so, however, that the total extension does not in the aggregate exceed two years.

(2) The term of a board shall begin from the date of notification issued in pursuance of section 13-G that the board has been constituted.

श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद—मैं अपना संशोधन मूव नहीं करना चाहता।

श्री प्रभु नारायण सिंह—इसमें चूंकि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात आई है इसलिये मैं इसको मूव नहीं करना चाहता हूं। इसके बाद एक प्रताप चन्द्र आजाद का है शायद वह मूव करें।

श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—मैं इसको मूव नहीं करना चाहता।

श्री प्रभु नारायण सिंह—जो प्रताप चन्द्र आजाद ने अमेंडमेंट रखा था उसी के कुछ रूप में मेरा भी संशोधन है। मेरा संशोधन इस तरह से है:—

Sir, I beg to move that in the last line of the amended Section 10-A the words "One year" be *substituted for* "two years".

मैं चाहता हूं कि दो साल के स्थान पर एक साल का समय कर दिया जाये। यह जो संशोधन है मैं समझता हूं कि सदन के अधिकांश सदस्यों की यह राय है कि यह समय एक साल का कर दिया जाये। इसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह साफ तौर से कह दिया गया है कि बोर्ड का कांस्टीट्यूशन ४ साल के लिये होगा इसके बाद आगे चल कर यह कहा गया है कि यदि गवर्नमेंट उचित समझे तो बोर्ड का जीवन बढ़ाया जा सकता है और वह दो साल तक का हो सकता है मैं समझता हूं कि दो साल का समय जरूरत से ज्यादा है। यदि इक्सटेंशन की आवश्यकता पड़ ही जाती है तो उसको छः महीने का एक्सटेंशन दिया जाये और फिर अगर जरूरत समझी जाये तो छः महीने का समय और बढ़ा दिया जाये। लेकिन साल भर से ज्यादा पावर देना मैं उचित नहीं समझता। पहले तो मंत्री महोदय ने ही सरकार के ऊपर दो साल का अंकुश लगाया है। उन्होंने यह वाजिब समझा कि अगर सरकार के ऊपर अंकुश न लगाया जायेगा तो शायद यह समय बढ़ता ही चला जाये। लेकिन मैं समझता हूं कि दो साल का समय भी ठीक नहीं है। जब आप दो साल का प्राविजन बनाते हैं तो होता यह है कि जितने का प्राविजन होता है उससे बढ़ जाया करता है तो उससे यह होगा कि समय दो साल से भी अधिक लग जायेगा। इसलिये मैं यह उचित समझता हूं कि दो साल के बजाय एक साल का ही समय रक्खा जाये तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री सत्यप्रेमी उपनाम हरिप्रसाद—इस धारा में मेरा भी एक संशोधन है जो इस संशोधन के पहिले है।

चेयरमैन—मैंने पहले आपका नाम पुकारा था शायद आप उस समय नहीं थे। अब उसको बाद में ले लिया जायेगा।

श्री मोहन लाल गौतम—जो संशोधन दो साल के बजाय एक साल को करने के लिये रक्खा गया है उसमें कोई खास दिक्कत तो नहीं है लेकिन यह देखने में आता है कि कई बार इस प्रकार की कठिनाइयां आ जाती हैं जो कि चुनाव करने में लगभग असंभव सा हो जाता है। जिस प्रकार से यह अमेंडिंग बिल बनाया गया है उसमें यह विचार धारा है कि चार साल का बोर्ड का जीवन काल हो और उसके बाद एलेक्शन किया जाये। यह एक सिद्धांत रूप में चलना चाहिये। अगर एक्सटेंशन किसी का होता है चाहे वह ६ महीने का हो या एक साल का हो जब तक कोई विशेष परिस्थिति नहीं होगी तब तक इक्सटेंशन नहीं होगा। यह विचार धारा इस बिल में रक्खी गई है। कई बार इस तरह की दिक्कतें आ गई हैं कि जहां चुनाव करना लगभग असंभव है तो इस चीज को सामने रख कर आखीर में यह डिसक्रेसनरी पावर सरकार को दी

[श्री मोहन लाल गौतम]

गयी है। इसमें बहुत सी बातें आ जाती है अगर दो साल तक की मियाद है तो इसके माने यह नहीं हैं कि हर बोर्ड ६ साल तक रहेगा ही। ऐसी बातें हमारे दिमाग में नहीं हैं। एक और भी बात है कि किसी बोर्ड को सरकार एक्सटेंड नहीं करना चाहती है लेकिन परिस्थिति ऐसी हो जाती है और उस जगह की मांग होती है तो ऐसा करना पड़ेगा। यदि किसी स्थान में अकाल पड़ गया और उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का इलेक्शन कराना है तो लोग कहेंगे कि जितना रुपया इस में खर्च किया जा रहा है उतना भूखों को बांट दिया जाय। तो हमेशा सरकार इस का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसमें जनता की मांग हो सकती है और सदन की मांग हो सकती है कि इस वक्त इलेक्शन न कराये जायं। इसलिये हम ने ज्यादा से ज्यादा २ साल रखा है। मैं चाहता हूं कि आप इस को वापस ले लें क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि जनरली ऐसा नहीं करेंगे कि हर बोर्ड की लाइफ ६ साल की हो। तो जहां तक उन के अश्योरेंस का सवाल है में समझता हूं कि आगे चल कर उन के मंत्रित्व काल में यह चीज हमें देखने को मिलेगी कि आया इन पर अमल हो रहा है या नहीं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो उन्होंने दूसरी बात स्थानीय परिस्थिति की कही है कि कभी उस से भी चुनाव कराना कठिन हो जाता है और उन्होंने इसका एक उदाहरण भी दिया कि यदि किसी इलाके में सूखा पड़ गया तो म्युनिसिपल बोर्ड का चुनाव कराना मुश्किल होगा।

श्री मोहन लाल गौतम--मैंने म्युनिसिपल बोर्ड नहीं डिस्ट्रिक्त बोर्ड कहा था।

श्री प्रभु नारायण सिंह--खैर उदाहरण के तौर पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ही कहा हो तो ऐसा भी हो सकता है कि जब ये दो साल भी खत्म हो जायं और उस समय ऐसी हालत हो तो उस वक्त यदि इलेक्शन स्थगित कराने हों उसके लिये हाउस हमेशा तैयार रहेगा और किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि एक साल का समय काफी है। यदि ४ साल के बाद इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाय तो ६ महीने पहले एक्सटेंड करना चाहिये और फिर ६ महीने और करना चाहिए इससे ज्यादा नहीं होना चाहिये।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि "प्रस्तावित प्रतिबन्धात्मक वाक्य की प्रथम पंक्ति ५ में शब्द "two" के स्थान पर शब्द "one" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ७ की पंक्ति २ का शब्द "रक्खा" शब्द "रक्खी" से बदल दिया जाय।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ७ की पंक्ति २ का शब्द "रक्खा" शब्द "रक्खी" से बदल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ७ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ८

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ११ और १३ से १७ तक का निकाला जाना।

Delimitation of wards.

८--मूल अधिनियम की धारा ११ और १३ से १७ तक निकाल दी जायें।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ८ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

९—मूल अधिनियम की धारा ११ के बाद निम्नलिखित नई धारायें ११-ए से ११-सी तक, १२-ए से १२-एच तक और १३-ए से १३-के तक रक्खी जायें।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की नई धारायें ११-एसे लेकर ११-सी तक और १२-ए से लेकर १२-एच, १३-एसे लेकर १३-के तक का रक्खा जाना।

DELIMITATION

11-A. (1) For purposes of elections to a board there shall be wards provided by Order under section 11-B.

(2) The representation of each ward shall be on the basis of population of that ward as ascertained at the last census and shall as far as possible be in the same proportion as the total number of seats for the municipality and its population."

Delimitation order.

11-B. (1) The State Government shall, by Order, determine—

(*a*) the wards in which each municipality shall be divided for purposes of elections to the board ;

(*b*) the extent of each ward ;

(*c*) the number of seats allotted to each ward ; and

(*d*) the number of seats, if any, reserved for the Scheduled Castes.

(2) The draft of the Order under sub-section (1) shall be published for objections for a period of not less than 15 days and a copy of the same shall be sent to the board or boards concerned for comments.

(3) The State Government shall consider any objections and the comments filed under sub-section (2) and the draft Order shall, if necessary, be amended, altered or modified accordingly and thereupon it shall become final.

Amendment of Delimitation Order.

11-C The State Government may, after consulting the board concerned, by a subsequent Order, alter or amend the final Order under subsection (3) of section 11-B.

ELECTORAL ROLLS

Elections on the basis of adult suffrage.

12-A. Except as provided in section 10, the election of the members of a board shall be on the basis of adult suffrage.

12-B. (1) There shall be an electoral roll for every ward which shall be prepared in accordance with the provisions of this Act under the supervision of the Director of Elections (Local Bodies).

(2) The Electoral Registration Officer shall, for purposes of preparation of the electoral rolls for the ward, adopt the Assembly rolls relatable to the area comprised in the said ward and publish the same in the manner prescribed, and upon its publication it shall, subject to any alteration, addition or modification made under or in accordance with this Act, be the electoral rolls for the ward prepared in accordance with this Act.

Act XLIII of 1950.

(3) Where any addition, omission, alteration or other amendment is made under the Representation of the People Act, 1950, or the Rules framed thereunder, in the Assembly rolls relatable to the area of the ward, a similar amendment shall be made in the corresponding electoral roll of the ward.

Qualification for electors.

12-C Subject to the provisions of section 12-D, every person who is qualified to be registered in the Assembly electoral roll relatable to the area comprised in the ward or whose name is entered therein shall be entitled to be registered in the electoral roll of the ward.

Disqualifications for registration in an electoral roll.

12-D (1) A person shall be disqualified for registration in an electoral roll if he is disqualified for registration in the Assembly rolls.

(2) The name of any person who becomes so disqualified after registration shall forthwith be struck off the electoral roll of the ward in which it is included;

Provided that the name of any person struck off the electoral roll of a ward by reason of disqualification under sub-section (1) shall forthwith be reinstated in that roll if such disqualification is, during the period such roll is in force, removed under the provisions of this Act or under any other law authorising such removal.

Registration to be in one ward and in one place.

12-E (1) No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one ward in the same municipality.

(2) No person shall be entitled to be registered in the elctoral roll for any ward more than once.

Electoral Registration Officers.

12-F The elctoral roll for each ward shall be prepared by an Electoral Registration Officer who shall be such officer of the State Government or of a local authority as the State Government may designate or noominate in this behalf.

Annual revision of electoral rolls.

12-G The electoral roll for each ward shall be revised every year in accordance with the provisions of this Act.

Order re-electoral rolls.

12-H. The State Government may, by Order, make provisions in respect of the following matters concerning the electoral rolls, namely,—

(*a*) the date on which the electoral rolls first prepared and subsequently prepared under this Act shall come into force and their period of operation;

(*b*) the correction of any existing entry in the electoral rolls on the application of the elector concerned ;

(*c*) the correction of clerical or printing errors in the electoral rolls ;

(*d*) the inclusion in the electoral rolls of the name of any person—

(i) whose name is included in the Assembly rolls for the area relatable to the ward but is not included in the electoral roll of the ward or where name has been wrongly included in the electoral roll of some other ward ; or

(ii) whose name is not so included in the Assembly rolls and who is otherwise qualified to be registered in the electoral roll of the ward;

(*e*) annual revision of the eectoral rolls;

(*f*) custody and preservation of the electoral rolls; and

(*g*) generally for all matters relating to the preparation and publication of the electoral rolls.

Conduct of Elections

General Elections.

13-A. Except as provided in section 31 or 31-A there shall be a general election to a board before the expiry of the term or extended term, as the case may be, of the board under section 10-A on such date or dates as the State Government may, by notification in the official *Gazette*, appoint in that behalf.

Conduct of elections to be supervised by the Director of Elections (Local Bodies).

13-B The Director of Elections (Local Bodies) shall supervise the conduct of elections under this Act.

Qualifications for membership of the Board.

13-C A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat on a board unless—

(*a*) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes he is a member of any of these castes and is an elector for any ward in that municipality ;

Diaqualifications for member ship.

13-D A person, notwithstanding that he is otherwise qualified, shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of a board if he—

(*a*) is a dismissed servant of the State or Central Government and is debarred from re-employment therein,

(*b*) is debarred from practising as a legal practitioner by orde of any competent authority, or

(*c*) holds any place of profit in the gift or disposal of the board, or

(*d*) is disqualified under section 27 or 41, or

(*e*) is disqualified under section 146 of the Representation of the People Act, 1951.

(f) is in the service of the State or the Central Government or any local Authority, or is a District Government Counsel or an Additional or Assistant District Government Counsel or an Honorary Magistrate or an Honorary Munsif or an Honorary Assistant Collector ;

(*g*) is unable to read and write Hindi or at least one of the regional languages of the State ; or

(*h*) is in arrears in the payment of any tax or other dues in excess of one year's demand to which section 166 applies, or

(*i*) is suffering from leprosy, or

(*j*) is an undischarged insolvent :

Provided that in cases of (*a*) and (*b*) the disqualification may be removed by an order of the State Government in this behalf.

Right to vote.

13-E. (1) No person who is not, and except as expressly provided by this Act, every person who is for the time being entered in the electoral roll of any ward shall be entitled to vote in that ward.

(2) No person shall vote at an election in any ward if he is subject to any of the disqualifications referred to in section 12-D.

(3) No person shall vote at a general election in more than one ward and if a person votes in more than one such ward, his votes in all such words shall be void.

(4) No person shall at any election vote in the same ward more than once, notwithstanding that his name may have been registered in the electoral roll for that ward more than once, and if he does so vote, all his votes in that ward shall be void.

(5) No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise, or is in the lawful custody of the Police.

Method of voting.

13-F. (1) In plural member wards every elector shall have as many votes as there are members to be elected, but no elector shall give more than one vote to any one candidate.

(2) If an elector gives more than one vote to any one candidate in contravention of the provisions of sub-section (1), then, at the time of counting of votes, not more than one of the votes given by him to such candidate shall be taken into account and all other votes given by him to such candidate shall be rejected as void.

Order regarding conduct of elections.

13-G. The State Government may by Order, make provision with respect to the following matters concerning conduct of elections, that is to say—

(*a*) issue of notifications for general elections ;

(*b*) the appointment, powers and duties of Returning Officers, Assistant Returning Officers, Presiding Officers and Polling Officers and clerks ;

(*c*) appointment of dates for nomination, scrutiny, withdrawal and polling ;

(*d*) the manner of presentation and the Form of nomination paper, the requirements for a valid nomination, scrutiny of nomination, and withdrawal of candidature ;

(*e*) appointment and duties of election agents, polling agents and counting agents ;

(*f*) procedure at general elections including death of candidate before poll, procedure in contested and uncontested elections, special procedure at elections in wards where seats are reserved for Scheduled Castes ;

(*g*) identification of voters ;

(*h*) hours of polling,

(*i*) adjournment of poll and fresh poll ;

(*j*) manner of voting at elections ;

(*k*) scrutiny and counting of votes including recount of votes and procedure to be followed in case of equality of votes and declaration of results ;

(*l*) the notification of the names of the members elected for the various wards of a municipality and the due constitution of the board ;

(*m*) return or forfeiture of deposits :

(*n*) manner in which votes are to be given by the Presiding Officers, Polling agents or any other person who being an elector for a ward is authorized or appointed for duty at a polling station at which he is not entitled to vote;

(*o*) the procedure to be followed in respect of the tender of vote by person representing himself to be an elector after another person has voted as such elector;

(*p*) the safe custody of ballot boxes, ballot papers and other election papers, the period for which such papers shall be preserved and the inspection and production of such papers; and

(*q*) generally on all matters relating to conduct of elections.

Bye-elections.

13-H. (1) Subject to the provisions of sub-section (2) and section 13-1, when the seat of a member elected to a board becomes vacant or is declared vacant or his election is declared void, the District Magistrate shall, in consultation with the board, by a notification in the official *Gazette*, call upon the ward concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this Act and of the Rules and Orders made thereunder, shall apply, as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

(2) If the vacancy so caused be a vacancy in a seat reserved in any such ward for the Scheduled Castes, the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the Scheduled Castes.

Certain casual vacancies not to be filled.

13-I. Where a vacancy occurs on a board by reason of death, resignation, removal or avoidance of an election of an elected member and the term of office of that member would, in the ordinary course of events, have determined within one year of the occurrence of the vacancy, the stat Government may direct that the vacancy be left unfilled until the next general elections.

Electoral Offences.

13-J. (1) The provisions of sections 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135 and 136 of Chapter III of part VII of the Representation of the People Act, 1951 shall have effect as if—

(*a*) the references therein to an election were a reference to an election held under this Act;

(*b*) for the word "constituency" the word "ward" had been substituted;

(*c*) in section 130 for the words "100 yards" the words "25 yards" had been substituted; and

(*d*) in sections 134 and 136 for the words "by or under this Act or under the Representation of the People Act, 1950 (XLIII of 1950)," the words "by or under the U. P. Municipalities Act, 1916," had been substituted.

(2) If the Director of Elections (Local Bodies) has reason to believe that any offence punishable under section 129 or 134 or

under-clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 of the said chapter has been committed in reference to any election to a board, it shall be the duty of the Director of Elections (Local Bodies) to cause such enquires to be made and such prosecutions to be instituted as the circumstances of the case may appear to him to require.

(3) No court shall take cognizance of any offence punishable under section 129 or under section 134 or under clause (*a*) of sub-section (2) of section 136 unless there is a complaint made by order of or under authority from the Director of Elections (Local Bodies).

Jurisdiction of Civil Courts.

13-K. (1) No Civil Court shall have jurisdiction—

(*a*) to entertain or adjudicate upon any question whether any person is or is not entitled to be registered in an electora roll or record ; or

(*b*) to question the legality of any action taken by or under the authority of an Electoral Registration Officer of or any decision given by any authority appointed under this Act, for the revision of any such roll ; or

(*c*) to question the legality of any action taken by or any decision given by the Returning Officer or by any other officer appointed in this Act in connection with an election.

(2)No election shall be called in question except by an election petition presented in accordance with the provisions of this Act.

श्री प्रभु नारायण सिंह—श्रीमान् जी मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित धारा (11-B) में खंड २ की पंक्ति में अंक व शब्द " 15 days " के स्थान पर शब्द" one month " रख दिये जायं।

यह जो सेक्शन है वह खासतौर से इसलिये है कि स्टेट गवर्नमेंट हर एक म्युनिसिपल बोर्ड के कितने वार्डस हों इसका फैसला करेगी, उस वार्ड का क्या एक्सटेन्ड हो, उसमें कितनी सीट्स हों उसका भी फैसला करेगी। इसके साथ ही साथ शेड्यूल कास्ट के लिये जो रिजर्वेशन आफ् सीट्स है उस का भी फैसला करेगी। इस आर्डर में लोगों को १५ दिन के अन्दर आब्जेक्शन, यदि कोई करना चाहे तो, करने का अधिकार है ।

इसके अन्दर जो यह १५ दिन का समय रखा गया है यह बहुत ही थोड़ा समय है, क्योंकि इतने थोड़े से समय के अन्दर लोगों को अपना अब्जेक्शन पेश करने में बड़ी दिक्कत होगी। इस के साथ ही साथ इसमें सीट के रिजर्वेशन का बटवारा भी होगा जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, अगर उसमें किसी बात की जरूरत पड़ी तो यह १५ दिन का समय बहुत ही थोड़ा है इसलिये मैं समझता हूं कि एक महीने का समय रख दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं समझता हूं कि १५ दिन का समय बहुत ही थोड़ा है इसलिये इसको बढ़ा दिया जाय जो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सीट के बटवारे का संबंध है वह उसमें बहुत ही साफ् कहा गया है और उसी के आधार पर यह रखा गया है अब इसमें हेर फेर की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें देर करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि

ज्यादा देरी करना अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में १५ दिन का समय बहुत काफ़ी है इसलिये समय को बढ़ाने की कोई खास जरूरत नहीं है, इसलिये इस संशोधन को मैं मंजूर नहीं कर सकता हूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानता हूं कि माननीय मंत्री को इलेक्शन के मामले में काफी तजुर्बा है, लेकिन इन सिलसिले में हम लोगों को जो परेशानियां होती हैं उन का भी ध्यान रखना चाहिये। कौंसिल और असेम्बली में तो जल्दी मालूम हो जाता है वह आंकड़े ले सकते हैं। लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये यह १५ दिन का समय बहुत ही थोड़ा है, इसलिये इस समय को बढ़ा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा (11--B) में खंड २ की तीसरी पंक्ति में अंक व शब्द "15 days" के स्थान पर शब्द "one month" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन क्लाज़ ९ में पेश करना चाहता हूं :--

In the proposed section 13-D——

Delete the word "or" towards the end of (*c*) and add the following new paragraph (*cc*):

"(*cc*) Provided he relinquishes such place of profit within seven days of the acceptance of his nomination paper and proves to the satisfaction of the Returning Officer that he has done so, the disqualification under (*c*) shall not apply to him."

श्रीमान् जो नई धारा १३ (डी) है उसके सी में यह लिखा हुआ है holds any place of profit in the gift or disposal of the Board। तो कोई डेफिनिशन नहीं दी गई है कि यह जो प्राफिट है, वह किस किस्म का प्राफिट होगा और तब वह शख्स डिसक्वालिफ़ाइ किया जायगा। इसका परिणाम ऐसा होता है कि अगर डैफ़िनीशन दी होती कि फलां फलां किस्म के प्राफिट अगर होल्ड करता है तो साफ होता लेकिन अगर रिटर्निंग आफ़िसर के ऊपर ही बिल्कुल छोड़ दिया जाता है तो उसका नतीजा यह होगा कि उसमें अननेसेसरी डिले व लिटीगेशन होगा। इसलिये यह चीज़ जरूरी थी कि प्राफ़िट्स की डैफ़िनीशन दी होती कि किन किन किस्म के प्राफ़िट होंगे जिन से वह डिसक्वालिफाइ हो जाता है तब तो कुछ ठीक था। लेकिन तो प्राफ़िट्स की कोई डैफ़िनेशन नहीं दी हुई है और यह चीज बिल्कुल वैग रक्खी गई है। इसका परिणाम यह होता है कि फिल्मजी ग्राउन्ड पर नामिनेशन पेपर खारिज होंगे और अननेसेसरी वेस्ट आफ एक्सपेंडीचर होगा। इसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधन पेश किया है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना कहता हूं कि इससे मेरे संशोधन से इतना हो जायेगा कि ७ दिन पहले हर शख्स को अधिकार होगा कि वह उस जगह से जिनका कि वह प्राफ़िट होल्ड करता है अपना इस्तीफा दे दे और टु दि सैटिस्फैक्शन आफ रिटर्निंग आफ़िसर वह इस चीज को साबित कर दे कि ऐसा नहीं है। इसी चीज को दुरुस्त करने के लिये ही यह संशोधन है और उसमें माननीय मंत्री जी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, श्री गुरु नारायण जी ने जिस परेशानी से बचने के लिये यह संशोधन रक्खा है, मेरा ख्याल है कि इससे और ज्यादा परेशानी इस संशोधन में पेश कर दी हैं। होल्ड्स ऐनी प्लेस आफ़ प्राफ़िट के बाद समझ में यह नहीं

[श्री मोहन लाल गौतम]

आया कि रिटर्निंग आफ़िस को क्या दिक्कतें उसमें पेश हो सकती हैं और उससे बचने के लिये उन्होंने पूरा अधिकार रिटर्निंग आफ़िसर को दे दिया है। उसमें उन्होंने यह रक्खा है कि टू दी सैटिस्फ़ैक्शन आफ़ रिटर्निंग आफ़िसर डेट हो है ज डन सो। एक ठेकेदार है तो इसके अन्दर यह रेलान कर दिया गया है। उसके पास और कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वह अलग न ले और अलग लेना मेरे ख्याल से जरूरी नहीं है। वह अपने नाम से भी ठेका ले सकता है और बेनाम से भी ले सकता है जो ठेकेदार मेम्बर हो जाय वह किन्हीं और नाम से ठेका लेता है और अगर उसके पास पैसा है तो उसको परमिशन भी मिल जाती है कि मेम्बर होने के बावजूद भी वह ठेकेदार हो सकता है। हम ऐसी मिसाल जानते हैं कि वह मेम्बर होने पर भी ठेका करते हैं तो यही सभी चीजें हैं जिनसे वह बचना चाहते हैं। यह जो प्राविजन रक्खा गया है कि होल्ड्स ऐनी प्लेस आफ प्राफ़िट, तो इसकी आवश्यकता थी और जितने भी इलेक्शन के रूल्स हैं उनमें भी यही रक्खा गया है। इसलिये जिस परेशानी से आप बचना चाहते हैं तो आपका जो संशोधन है उससे और भी परेशानियां पैदा हो जायेंगी। इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं और दरख्वास्त करता हूं कि मूवर साहब अपने संशोधन को वापस लेलें।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तो बड़ा ताज्जुब हुआ यह सुन कर जो कुछ मंत्री महोदय ने कहा क्योंकि मैं समझता था कि कोई बड़ी बात इस संशोधन के विपक्ष के लिये बतलाई जायेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैं समझता था कि ऐसी बात बतलाई जायेगी जिससे कि प्राफ़िट की डेफ़िनिशन क्लियर हो जाये और इसके विपरीत माननीय मंत्री ने यह कहा है कि इस संशोधन को मान लेने से तो परेशानी और भी बढ़ जायेगी और उन्होंने इसके लिये सिर्फ़ एक ठेकेदार का एक्जाम्पुल दिया है। इसमें सिर्फ एक ठेकेदार ही की चीज नहीं हो सकती है बल्कि और भी बहुत सी बड़ी चीजें हो सकती हैं। जब तक प्राफ़िट की डेफ़िनिशन साफ़ नहीं होगी। जो बिलकुल वेग है। मेरा संशोधन कहता है कि ७ दिन पहले हर शख्स इस्तीफ़ा देता है रिटर्निंग आफ़िसर के सामने उसको साबित करता है, तो इसमें बहुत कम स्कोप नामजदगी का पर्चा खारिज होने का रह जाता है और उसको हटाने के लिये बल्कि कोई चान्स नहीं है। अब मान लीजिये कोई प्रेस का प्रोप्राइटर है और कोई लोकल बाडी है और उस प्रेस के प्रोप्राइटर से किसी बोर्ड ने छपाई का काम लिया और पहले से लेते रहे हैं, तो आप उसके लिये उस समय कह सकते हैं जब कि वह म्युनिसिपल इलेक्शन के लिये खड़ा हो, कि यह छपाई का काम करता है, इसलिये यह नहीं खड़ा हो सकता है। तो इसके लिये यदि वह यह साबित कर सकता है कि वह खड़ा हो सकता है, तो एक हफ्ता पहले उसे बोर्ड के काम से हटने का भी उसको इतना मौका मिलना चाहिये। तो वह खड़ा हो सकता है या नहीं, यह चीज साबित होनी चाहिये और मेरा संशोधन स्वीकार नहीं होगा तो यह चीज साबित नहीं होगी। तो इसमें यह चीजें साफ़ होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो इससे बहुत परेशानी हो जायेगी। और जो मैं ने संशोधन पेश किया है, उससे लोगों को परेशानी नहीं होगी और यह चीज भी साफ़ हो जायेगी। इसमें प्लेस आफ़ प्राफ़िट की डेफ़िनिशन नहीं है इसलिये मैंने यह उचित समझा कि इस संशोधन को रखूं। पहले आपने यह चाहा था कि हर शख्स रिटर्निंग आफ़ीसर के पास सबूत दे दे कि यह उसका सबूत है और अगर वह उसे मंजूर करे तो उसको माना जाय और अगर नहीं तो इसमें इन्टरप्रिटेशन दूसरे तरह के हो सकते हैं। मान लीजिये कि तीन महीने पहिले किसी अन रजिस्टर्ड ठेकेदार ने ठेका ले लिया और इस पर कोई फरीक साबित करता है कि तुम खड़े नहीं हो सकते हो क्योंकि तुमको फिर काम मिलेगा। तो फिर बतलाइये कि क्या होगा अगर माननीय मंत्री जी मेरा यह संशोधन मंजूर नहीं करते हैं तो लोगों के इलेक्शन और नामजदगी यां फ़िल्मजी ग्राउन्ड्स पर खारिज होंगी। तो यह पता नहीं चलता है कि किस किस्म का प्लेस आफ़ प्राफ़िट बिल की धारा में आता है और किस किस्म का नहीं आता है।

चेयरमैन—The question is that—

In proposed section 13-D—

Delete the word "or" towards the end of (*c*) and add the following new paragraph (*cc*) :

"(*cc*) Provided he relinquishes such place of profit within seven days of the acceptance of his nomination paper and proves to the satisfaction of the Returning Officer that he has done so, the disqualification under (*c*) shall not apply to him."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं आपकी आज्ञा से खंड ९ में यह संशोधन करना चाहता हूं:—

Sir, I beg to move tha—

In the proposed section 13-D :

Add the following new paragraph immediately after (f) :

(f) "Is a member of any political organization or a member of any State Legislature or Parliament."

श्रीमन्, यह जो संशोधन है म्युनिसिपैलेटीज के चुनाव में कान्टेस्ट करने के लिये किसी भी सदस्य को चाहे वह पार्लियामेंट का हो, स्टेट लेजिस्लेचर का हो या किसी भी पोलीटिकल आर्गनाइजेशन का हो यह संशोधन डिबार करता है और इसीलिये यह रक्खा गया है। श्रीमन्, यह जो संशोधन है देखने में ऐसा मालूम होता है कि यह इम्प्रैक्टिकेबिल है एबसर्ड है नहीं होना चाहिये लेकिन मैं यह समझता हूं कि यह होना चाहिये और यह भी सही है कि आज कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहां इन चुनावों में पोलीटिकल पार्टीज़ को मौका न हो कि वह अपने यहां पार्टीसिपेट न करती हों। लेकिन आज जो हालत मैं अपने देश की देखता हूं तो यह ख्याल पैदा होता है कि जब तक स्वतंत्रता संग्राम चलता रहा तब तक तो जिस तरह से काम होता रहा वह ठीक था लेकिन उसके बाद आज ऐसी हालत है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि जो सेवा का काम ह वह ठीक तरह से हो सकेगा। तजुर्बा यह है और होता यह है कि पोलीटिकल पार्टीज संस्थाओं को कैप्चर कर लेती हैं और दलबन्दी पैदा हो जाती है और जो सेवा करने का भाव है वह खत्म हो जाता है और नतीजा यह होता है कि काम सफ़र करता है। मुझे भय है कि कहीं यह संस्थायें जो केवल सेवा के लिये ही है वह पोलीटिकल पार्टीज की लड़ाई के अखाड़े न बन जायं। इसलिये इस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि कम से कम अधिक समय के लिये नहीं तो जब तक आपके यहां शिक्षा की कमी है और राष्ट्र का चरित्र ऊंचा नहीं हो जाता है यानी ८ या १० साल के लिये इसको मान लीजिये और उसमें राजनैतिक पार्टियों का किसी प्रकार का दखल न हो और अगर आपने दखल देना बन्द न किया तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा।

मैंने इस संशोधन के द्वारा यह प्रार्थना की है कि पार्लियामेंट, या स्टेट लेजिस्लेचर के मेम्बर्स म्युनिसिपैलिटीज में इलेक्शन सीक न कर सकें। इसका मुख्य कारण यह है कि ज्यादातर मेम्बर्स को फुर्सत नहीं होती कि वह अपने कार्यों की देख-रेख कर सकें। कोई पार्लियामेंट का मेम्बर है, तीन चार महीने का सेशन होता है, तो होता यह है कि उन्होंने अपने किसी प्रभावशाली व्यक्ति को जिले में एलेक्ट करा दिया और उसी के प्रभाव में काम करने के लिये वाइस प्रेसीडेंट करा दिया। अब होता यह है कि प्रेसीडेंट साहब तो बाहर बैठे रहते हैं और उनकी ग़ैरहाजिरी में वाइस प्रेसीडेंट साहब काम करते रहते ह।

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

इस तरह से काम सफ़र करता रहता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम म्युनिसिपल बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करें तो बहुत जरूरी है कि राजनैतिक दलों को इनमें जगह न दें। इसी भावना से प्रेरित हो कर मैंने इस संशोधन को रखा है। मैं जानता हूं कि आज जो हमारे देश की हालत है, हमारे देश की जो मारेलिटी है वह इतनी ऊंची नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। इसलिये अगर हम आठ दस वर्ष तक रुक जायेंगे और इसमें भाग न लेंगे तो हमारी म्युनिसिपैलिटीज भी सुधर जायेंगी और जो आदमी रियल सर्विस करने के उद्देश्य से आते हैं उनको मौक़ा मिलेगा कि वह इन जगहों पर पहुंच सकें।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मेम्बर ने जो संशोधन रखा है, मुझे उसको पढ़ कर बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं यह समझता हूं कि आज के संसार में शायद कोई भी कांसश और पढ़ा लिखा आदमी ऐसा न मिलेगा जो किसी न किसी पार्टी का मेम्बर न हो। खुद संशोधन रखने वाले जो माननीय मेम्बर हैं वह भी किसी न किसी पार्टी के मेम्बर हैं। अगर यह शर्त हम लगा दें तो मेरा ख्याल है कि हिन्दुस्तान में तो म्युनिसिपल बोर्ड की मेम्बरशिप के लिए चुनाव लड़ने के लिए हमको कोई आदमी न मिलेगा। हमको हिन्दुस्तान के बाहर से या और कहीं से आदमी लाने पड़ेंगे। इसके अलावा जो कुंवर साहब ने कहा कि पालियामेंट या किसी लेजिस्लेचर के मेम्बर को भी म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन में खड़े होने न देना चाहिए। म समझाता हूं कि यह डिस्क्वालीफ़िकेशन एक नई चीज होगी। बहुत सी डिस्क्वालिफ़िकेशन्स तो इसमें हैं ही जैसे पनिश्मन्ट मिला हो या पुलिस कस्टडी में हो लेकिन यह नई डिस्क्वाली-फ़िकेशन लगाई जाये तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल अजीब सी बात होगी। इसे नहीं होना चाहिये। अगर किसी जगह की जनता किसी कौंसिल या पालियामेंट के मेम्बर को म्यूनिसिपैलिटी के लिए खड़ा करना चाहती है तो मैं समझता हूं कि उनके ऊपर कोई बैरियर नहीं होना चाहिये। अब रही समय की बात, कुंवर साहब ने कहा कि समय उन्हें नहीं मिलता तो यह तो ऐसी बात है कि जो आदमी हरदिल अजीज होते हैं वह अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर थे और कौंसिल के भी हो गए तो वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से रिजाइन करवाये यह हो सकता है कि मेम्बर होने के बाद अगर कोई समझे कि उन्हें दो जगह पर काम करने के लिये समय नहीं मिलता है तो उसमें से एक जगह से रिजाइन कर दे। लेकिन जो हमारे कुंवर साहब न फ़रमाया ह वह एक अजीब सी बात है और अनुचित बात है।

चेयरमैन—सदन की बैठक दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[सदन की बैठक १ बज कर २ मिनट पर स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन कुंवर गुरु नारायण ने डिसक्वालिफ़िकेशन्स के सम्बन्ध में रखा है उस संशोधन को देखने से ऐसा मालूम होता है कि शायद उनकी यह मंशा है कि समाज की रचना वही कर सकता है जो किसी सामाजिक दर्शन को नहीं मानता है या उनके पास कोई सामाजिक दृष्टिकोण नहीं है। हम ऐसा महसूस करते ह कि यह संशोधन कुंवर गुरु नारायण ने इस परेशानी में रखा है कि कांग्रेस में वह शामिल नहीं होना चाहते, सोशलिस्ट पार्टी से उनको कुछ घबराहट है और ऐसी हालत में जो पुरानी पार्टी है वह म्युनिसिपैलिटी बोर्ड पर कब्जा नहीं कर सकती है तो इन्हीं सब बातों को देखते हुये शायद उन्होंने यह संशोधन रखा है। ऐसी हालत में कुछ ऐसा मालूम होता है कि जो संशोधन इस समय आया वह बिना इस बात को ख्याल किये हुये

आया कि उनके जो पुराने तजुर्बे रहे हैं, उन्होंने म्युनिसिपल बोर्डस् और डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् में क्या क्या ग़ज़ब ढाये, उसकी एक लम्बी कहानी है जिसको मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता हूं, किस तरह से म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन चुने जाते थे, किस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन चुने जाते थे, किस तरह से पैसा खर्च किया जाता था। इन सब बातों का विना ख्याल किये हुये ही उन्होंने यह संशोधन रखा है। अगर यह सवाल ले ही लिया जाय कि जो व्यक्ति किसी पोलिटिकल पार्टी का मेम्बर हो वह न जाय तो मैं पूछता हूं कि क्या फिर इस तरह के बोर्ड्स बहुत अच्छे बोर्ड्स हो जायगे। हम तो ऐसा महसूस करते हैं कि अब मुल्क के अन्दर एक ऐसी हालत पैदा हो गई है कि जिसमें लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था के अन्दर पोलिटिकल पार्टीज जो किसी कार्यक्रम में विश्वास रखती है, ऐसे कार्यों को अपने हाथ में लें जिसमें वह अधिक से अधिक अच्छी तरह से ड्राइव कर सकें। कुंवर गुरुनारायण जी ने यह दलील दी है कि दुनिया के मुल्कों में ऐसी बात नहीं है कि पोलिटिकल पार्टीज हिस्सा न लें लेकिन हमारे मुल्क में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि पोलिटिकल पार्टीज हिस्सा लें। यह दूसरी बात है कि पोलिटिकल पार्टीज से यह कहा जाय कि जो वह कहते हैं उसको पूरा करें इन्डीविजुवल्स के लिये यह सवाल उठता है कि चार वर्ष के लिये चुने गये और मुमकिन है सेकेन्ड टाइम में वह जायं या न जायं लेकिन अगर कोई पोलिटिकल पार्टी आती है तो उसके सिलसिले में यह होना चाहिये कि चार साल के लिये जो कार्यक्रम दिया उसको पूरा करें। चार साल के बाद उनको यह कहना पड़ता है कि क्या क्या काम उन्होंने किया। अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ी की तो फिर उन्हें चुने जाने का अधिकार नहीं है। आज ऐसी बात मालूम पड़ती है कि यदि आज की हालत में कुछ रद्दोबदल हो और आने वाले मुल्क में दो बड़ी पार्टीज के रूप में पोलिटिकल डेमोक्रेसी देश की होगी ऐसी हालत में यह सवाल सीधा है कि जो कार्यक्रम बतलाये जायंगे उन सवालों को बहुत दिनों तक टाला नहीं जा सकता है। उसमें अवसरवादिता की गुंजाइश नहीं है। इस माने में जो यह बात कही गई कि यदि कोई व्यक्ति पोलिटिकल पार्टीज का मेम्बर है तो वह म्युनिसिपल बोर्ड के लिये डिसक्वालीफ़ाइड है। प्रेसिडेंटशिप के लिये डिसक्वालीफ़ाइड है। साथ ही साथ यह बात कही गई कि असेम्बली और पार्लियामेंट के मेम्बरों को म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के लिये नहीं खड़ा होना चाहिये तो इसके लिये मैं समझता हूं कि हर एक पोलिटिकल पार्टी इस बात का ध्यान रखती है कि वह उस आदमी को जो इस प्रकार असेम्बली का मेम्बर होता है उसको म्युनिसिपल बोर्ड के लिये नहीं खड़ा किया जाता है जब तक कि उस व्यक्ति की सेवाओं की कोई खास आवश्यकता नहीं पड़ती है, और अगर इस शान में वह व्यक्ति खड़ा किया जाता है तो वह चुन कर आ जाने पर म्यूनिसिपल बोर्ड के लिये अच्छा ही साबित होता है। वह उसके स्तर को अपने अनुभवों से ऊंचा ही उठाने की कोशिश करता है। मैं समझता हूं कि जो संशोधन कुंवर गुरु नारायण जी ने रक्खा है वह बिल्कुल मौजूं नहीं है। और इसको बिलकुल रिजेक्ट कर देना चाहिये। आज के युग में इस बात को सोचना भी मेरी समझ में ठीक नहीं है।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री गुरु नारायण जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है सचमुच में मैं उसको ठीक तरीके से समझ नहीं सका। मैं भी बहुत कुछ प्रभु नारायण जी की बात से सहमत हूं। आज प्रभु नारायण इस बात को इसलिये रख रहे हैं, क्योंकि वह महसूस करते हैं कि जिस विचारधारा के आधार पर उन्होंने यह कहा है कि कोई राजनैतिक पार्टी इसमें हिस्सा न ले यह असंभव है। जिन लोगों ने खुद पार्टियां बनाई कई बार चुनाव लड़े अभी तक असेम्बली के मेम्बर बने रहे और वहां भी पार्टियां बनाये रहे, वही आज इसलिये यह कहें क्योंकि आज वह अकेले हैं यह ग़लत है। अगर आज वह एक ही की जगह पर दस होते तो ऐसा न कहते। राजनैतिक विचार के लोग अपने सिद्धान्त पर लड़ते हैं। आज अगर हम हार जाते हैं तो

[श्री राजाराम शास्त्री]

इसके माने यह नहीं हैं कि हम हिम्मत हार कर ऐसे प्रभाव लाना शुरू कर दें कि कोई पोलिटिकल पार्टी म्युनिसिपल चुनाव में हिस्सा ही न ले। अगर आज हम हार जाते हैं तो हमें फिर से अपने सिद्धान्तों के वास्ते लड़ना चाहिये। क्योंकि उसमें हम जनता का हित समझते हैं। हो सकता है कि कोई जमाना ऐसा आये कि जब ऐसा राज्य स्थापित किया जा सके जब कि किसी पार्टी का राज्य न हो लेकिन आज कल के डेमाक्रेसी के युग में सिवाय इसके कोई चारा नहीं है कि बिना किसी राजनैतिक पार्टी के काम किया जा सके। हां, यह हो सकता है कि किसी राजनैतिक पार्टी में कोई खराबी हो और उसका कार्यक्रम अच्छा न हो तो हम उससे कहें कि तुम्हारा कार्य देश की भलाई के लिये नहीं हो रहा है। यह बात तो हम कह सकते हैं। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति स्वायत्त शासन में हिस्सा न ले यह चीज बिल्कुल गलत है। सचमुच में कुंवर साहब ने इस संशोधन का नम्बर एफ या जी रखा होता तो जैसा उसका नाम है वैसा कन्टेन्ड ठीक नहीं है। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि यदि वह संशोधन मान लिया जाय तो जो आजकल डेमोक्रेसी का आधार है वह बिल्कुल टूट जाता है। मैं यह मानता हूं कि वास्तव में जो राजनैतिक पार्टियों की वर्किंग है उससे हमको बहुत निराशा होती है चाहे कांग्रेस पार्टी हो या सोशलिस्ट पार्टी हो। जब मेरे दिल में यह ख्याल होता है कि प्रत्येक चीज को पार्टी निगाह से सोचने लगते हैं चाहे सत्य बात कही गई हो तो इस प्रकार की कमी जरूर है। हमारी पार्टी राइट और दूसरा रोंग की जो भावना है वह बिल्कुल ग़लत है। यदि दूसरी पार्टी के विचार कितने ही अच्छे क्यों न हों लेकिन वह खराब हैं और अपनी पार्टी के विचार चाहे कितने ही खराब हों परन्तु वे ठीक हैं। यह भावना बहुत ही खराब है। जब हम किसी पार्टी के वर्किंग को देखते हैं कि कितना वह समाज में काम करते हैं तो एक बात की अवश्य निराशा होती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि चूंकि हमारा देश अभी आज़ाद हुआ है और चूंकि सदियों से हम गुलाम रहे इसलिये हमारा राजनैतिक चरित्र गिर चुका है। हमें इसकी शिक्षा नहीं मिलती है और शिक्षा के ही रूप में सदाचार बढ़ता जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसी सरकार होती है वैसा ही जनता का मारेल होता है लेकिन जैसी जनता होती है वैसी ही सरकार मिली है। आज यह कहना कि सरकार आसमान से टपक पड़ी है यह ग़लत बात है। हम जिस समाज से निकल ह उस समाज में केवल किसी व्यक्ति को दोष देन से काम नहीं चलेगा। हमारे समाज में जो आज जनता की विचारधारा ह उसस ही प्रभावित हो कर वह चलती है। इसलिये मेरे दिल में यकीन हो गया है कि एक तरफ लगातार कोशिश करते हैं कि हुकूमत ग़लत काम न करे और सही तरीके अख्तियार करे क्योंकि यह उसका उत्तरदायित्व है कि वह जनता को सही चलाये लेकिन साथ ही साथ जनता का भी आचरण ठीक नहीं है। इसको राजनैतिक शिक्षित नहीं कहा जाता। वे डेमोक्रेसी की भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे जब तक आप और हम जो आज हुकूमत का स्वरूप है उसको न बदल दें। स्वशासन ही ऐसी जगह है जिससे जनता शिक्षित होगी। एडमिनिस्ट्रेशन करने का एक तरीका वहां पर आता है। हमारा ख्याल है कि देहातों में जो ग्राम पंचायतें, डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् और म्युनिसिपल बोर्डस् हैं यदि इनकी आधार शिला मजबूत होगी तभी तो लखनऊ और दिल्ली की हुकूमत को शक्ति मिल सकती है। अगर ये कमजोर रहे तो ऊपर की हुकूमत सही ढंग से नहीं चल सकती। तो मैं वास्तव में स्वायत्त शासन को बहुत महत्व देता हूं। मैं समझता हूं कि अच्छे से अच्छा आदमी इसमें जाये। मैं महसूस करता हूं कि आज कल राजनैतिक पार्टियों में जो लड़ाई है उससे समाज में कितने ही ऐसे व्यक्ति हैं जो राजनीति से दूर हटते जा रहे हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग स्वतंत्र खड़े होते हैं अगर वह हुकूमत को मजबूत करना चाहते हैं और देश का नक़शा बदलना चाहते हैं तो मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को चुन लेना चाहिये कि उसको किस राजनतिक पार्टी में जाना है। ऐसे लोगों का कोई भी स्थान नहीं है जो किसी भी पार्टी से संबंध

नहीं रखते हैं। मैं साफ साफ कह देना चाहता हूं कि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं जो न कांग्रेस में हैं और न सोशलिस्ट में हैं और न हिन्दूमहासभा ही में हैं। वह लोग एक लुढ़कते हुए ढेले की तरह से हैं। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि राजनैतिक पार्टी चाहे ग़लत हो या वही हो, एक पार्टी में रहना चाहिए। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि लोकल बाडीज का मेम्बर असेम्बली और पार्लियामेंट का मेम्बर नहीं हो सकता है। जहां तक खराबियों का सवाल है वह राजनैतिक पार्टी में भी रह कर दूर की जा सकती हैं लेकिन सारी व्यवस्था को बदल देने के ख्याल को मैं ठीक नहीं समझता हूं। मुझे कुंवर साहब से पूरी हमदर्दी है लेकिन मैं उनके इस संशोधन को ठीक नहीं समझता हूं। मैं तो समझता हूं कि अगर वह हिन्दुस्तान महासभा में ही रहते तो ज्यादा अच्छा होता। यह तो आरफन की तरह से मनोवृत्ति है। मेरे ख्याल में यह संशोधन ठीक नहीं है इसलिये इसका मान लेना ठीक नहीं है।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, जो अमेंडमेंट इस वक्त कुंवर साहब ने पेश किया है उसके तीन मकसद हैं। एक तो पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन की मुखालिफत, दूसरे यह कि स्टेट या पार्लियामेंट का मेम्बर म्युनिसिपैलटीज का मेम्बर नहीं हो सकता है। मुमकिन था कि मैं उनके इन दोनों ख्यालातों की ताईद करता लेकिन मैं पोलिटिकल आर्गेनाईजेशन की मुखालिफत को नहीं मानता हूं। यही एक आजादी का मकसद है और चिह्न है। पोलिटिकल आर्गेनाईजेशन ही पोलिटिकल पार्टी की ग्रोथ है। अगर एक शख्स इन्डीविजुअल ढंग से म्युनिसिपैलटीज में आता है तो उसकी कोई स्कीम नहीं होती है और न अपना उसका कोई इरादा ही होता है।

लिहाजा इंडीविजुअल के लिये ऐसी कोई भी जगह नहीं होनी चाहिये और यह बड़े दुख की बात है कि आपका पोलिटिकल आर्गेनाजेशन से इस कदर इख़तलाफ है। आप भी ईश्वर चाहेगा तो जल्द ही किसी पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन में तशरीफ ले जायेंगे और तब खुद साबित कर देंगे कि नहीं अगर कोई इस प्रकार की संस्था होनी चाहिये तो वह पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन ही है जो म्युनिसिपल, स्टेट और पार्लियामेंट में काम कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अमेन्डमेंट की मुखालिफत करता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम--उपाध्यक्ष जी, मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने मेरा काम बहुत ही हल्का कर दिया है। जो संशोधन पेश किया गया है उसमें लफ्ज पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन है और अगर पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन में पोलिटिकल पार्टीज भी मिश्रित हैं तो यह भी सोचने की बात है कि वह म्युनिसिपल बोर्ड का मेम्बर कैसे हो सकता है क्योंकि वह भी पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन है और इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और तमाम इस तरह की चीजें पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन हैं तो अगर यह सब पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन हैं तो फिर कुंवर साहब की क्या मंशा है। मुझसे पहले बोलने वाले हैं उन्होंने सहुलियत के लिये यह माने लगा दिये कि यह पोलिटिकल पार्टीज का मतलब है। अब अगर उनका मंशा पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन से है तब तो वह बहुत ही एबसर्ड बात कहते हैं। क्योंकि जब वह मेम्बर हो जायेगा तब भी वह पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन में आ जाता है। तो यह पोलिटिकल आर्गेनाइजेशन का सवाल बड़ा टेढ़ा सा हो जायगा। जहां तक पोलिटिकल पार्टीज का मतलब है तो पहले बोलने वाले सभी सदस्यों ने साफ कर दिया है कि वह लोग जिनको कोई विचार-धारा नहीं है जिनका कोई सामाजिक स्तर नहीं है जिनको इसका पता नहीं है कि समाज में कैसे रहें, अच्छा हो या बुरा हो, वह उसमें आसानी पैदा करने के लिये कुछ कर सकता है तब इस तरह से सोचते हुये उनको बहुत हद तक पोलिटिकल पार्टीज में होना पड़ता है। अगर

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री मोहन लाल गौतम]

ऐसा हो भी कि कोई व्यक्ति अच्छा हो और पोलिटिकल पार्टी में न हो और इन तमाम बातों पर विचार भी करता हो तथा जो समाज में सुधार करना चाहता हो और वह इन्डीविजुअल होते हुये किसी भी पोलिटिकल पार्टी में न हो, लेकिन समाज में प्रगति तेजी से लाने के लिये वह दो चार आदमियों को अपने साथ ले लेता है क्योंकि इस तरह के कामों में प्रगति लाने के लिये इन्स्ट्रूमेंट्स की बड़ी आवश्यकता होती है और वह व्यक्तित्व के रूप में उसे प्राप्त होती है तो वही पोलिटिकल पार्टी का रूप धारण कर लेती है। अगर कोई ऐसा हो कि उसकी विचार धारा हो, और समाज का उस पर विश्वास हो तो उसे कुछ लोगों को लेकर काम करने की जरूरत पड़ती है और वही पोलिटिकल पार्टी बन जायेगी ऐसे लोग जो किसी पोलिटिकल पार्टी में न हों तो उनमें बहुत थोड़े ऐसे होते हैं जो कि बहुत ऊंचे दर्जे के हों, बहुत माकूल हों, उनकी विचारधारा अच्छी हो और उनकी धारणा भी अच्छी हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरह के बहुत कम लोग होंगे जो कि म्युनिसिपल इलेक्शन में काम करना चाहते हों। इसलिये उनका यहां पर कोई भी सवाल पैदा नहीं होता है। अब रह जाती है उन लोगों की बात जिनकी विचार धारा ही नहीं है, जिनका कोई संगठन नहीं है ऐसे लोगों के हाथ में लोकल बाडीज का इन्तजाम दिया जाय, ऐसा संशोधन के प्रस्तावक महोदय का ख्याल है। अब अगर वह इसकी रूपरेखा को अच्छी तरह से विचार करेंगे तो खुद ही इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उनका सवाल गलत है और वह खुद इससे सहमत नहीं होंगे। जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वही पार्टी और पार्टीबाजी का सवाल पैदा करते हैं और वह इस तरह की दलील दे सकते हैं। लेकिन पार्टी एक ऐसी चीज है कि जो कोई भी पार्टी में आयेगा वह सब कुर्बानियां कर सकता है और तभी वह ऊंचे आदर्श से रह सकता है। अगर हम सिर्फ पोलिटिकल पार्टियों की कुछ खराबियों को देख कर ही इस नतीजे पर पहुंचते हैं तो यह गलत चीज है। वाकई पोलिटिकल पार्टी तो उन लोगों की देन है जिन्होंने कुर्बानियां की हैं और जिन्होंने ऊंचे आदर्श समाज के अन्दर पैदा किये हैं। इसलिये बहुत से लोगों के लिये यही धर्म है क्योंकि जो समाज में एक परिवर्तन लाना चाहते हैं उन्होंने पार्टीज के रूप में धर्म ग्रहण कर रखा है या उनकी पोलिटिकल पार्टीज ने धर्म का रूप ग्रहण कर रखा है और उनका सबसे बड़ा धर्म यही है तो ऐसे लोगों को अलग करना कहां तक मुनासिब है यह सोचने की बात है और मैं इस से सहमत भी नहीं हूं। इसके साथ ही एक प्रैक्टिकल सवाल भी आता है कि जो आज डेमोक्रेसी का रूप है और जो हमारी डेमोक्रेसी है, उसमें बगैर मेजारिटी के कोई इस तरह का काम नहीं हो सकता है फिर चाहे वह म्युनिसिपैलिटी का हो या किसी और का हो। तो इसमें इन्डीविजुअल कुछ नहीं कर सकता है और चेयरमैन को भी इसमें बहुत सी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं और उसकी समझ में यह नहीं आता है कि कितने उसके पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में होंगे। तो अगर इन्डीविजुअल होंगे तो वह पहले से किसी बात को तय नहीं कर सकता है कि वह भी चेयरमैन के साथ किसी बात में होगा या नहीं। अगर यह बात हो जाय तो क्या कोई भी चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन इस तरह से चल सकेगा। जैसे नमूने के तौर पर फ्रांस की मिसाल हमारे सामने आती है। वहां भी दस, बारह ऐसी पार्टीज हो जाती हैं और इस तरह से म्युनिसिपैलिटीज रोज बनती रहती हैं और बिगड़ती रहती हैं। तो कुंवर साहब इस बात को समझ गये होंगे कि अगर वह इन्डीविजुअल रहता है, तो इस तरह से म्युनिसिपैलिटीज चलेंगी कैसे। मैं यह मान सकता हूं कि अगर उसमें बहुत पार्टीज न हों और उसमें सिर्फ कांग्रेस होती और सोशलिस्ट पार्टी होती तो, हम सबकी यही राय होगी कि उनकी जैसी हालत आज है उससे कहीं अच्छी हालत होती। तो इस तरह से पोलिटिकल पार्टीज का बिल्कुल अलग हो जाना और इन्डीविजुअल का रहना यह बिलकुल भी मुनासिब नहीं है और मैं समझता हूं कि जिस तरह से यह अमेंडमेंट उसको मानने के बाद क्या अवस्था हो सकती है, और इन सब बातों को समझते हुये मैं आशा करता हूं कि श्री कुंवर गुरु नारायण जो इस बात को समझ जायेंगे और अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री कुंवर गुरु नारायण—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन मैंने अभी रखा था उस पर जो वाद विवाद हुआ, उससे मैं ऐसा समझता कि मेरी मन्शा इससे कुछ और है और मेरे माननीय सदस्यों ने इस पर कुछ और ही बहस की। क्या मेरी बात थी और उन्होंने किस तरह से अपने आर्गुमेंट्स दिये हैं। मैंने जिस वक्त संशोधन उपस्थित किया था उस वक्त मैंने साफ़ कहा था कि चाहे कोई भी शख्स हो, मगर जो यह कहता है कि पोलिटिकल पार्टीज़ का ग्रोथ न हो या उनका डेवलेपमेंट न किया जाय, तो हम सब उसके खिलाफ़ हैं। तो यह मैंने नहीं कहा था लेकिन मैंने इतना कहा था कि जब तक हमारे देश की स्थिति जब तक हमारे देश की विचार धारा इतनी नहीं उठ जाती है कि हम निष्पक्ष होकर सही बात को समझ सकें, तब तक हमको इस चीज़ पर विचार करना चाहिये। अब रहा सिद्धांत की बात कि वह क्या हो। तो मैं कहता हूं कि पोलिटिकल पार्टीज़ के क्या सिद्धांत हैं आज सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत में और उनके प्रिन्सिपिल्स में कोई खास भेद नहीं हैं, तो फिर वह अलग अलग क्यों हैं। बहरहाल जब यह बात है तो हमें भी देखना है कि अपने देश को आज वस्तु-स्थिति क्या है। मैं यह बात श्री राजा राम जी से ही जानना चाहूंगा कि उनकी पार्टी के सिद्धांत और कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत में क्या अन्तर है और वह क्यों आज अपनी एक अलग पार्टी बनाये हुये बैठे हैं। लेकिन सच बात यह है कि आज भारत में केवल मुख्य दो सिद्धांत हैं यानी समाज-वाद व साम्यवाद तो मैं उपाध्यक्ष महोदय, कहता हूं कि अब मुल्क के अन्दर केवल दो पार्टीज़ होंगी और उनमें से एक कम्युनिस्ट पार्टी होगी और दूसरी नान कम्युनिस्ट पार्टी होगी और आज जो यह छोटी २ पार्टीज़ हैं जैसे कि जनसंघ, प्रजा पार्टी इत्यादि तो ये सब कहीं की भी नहीं रहेंगी और या तो ये कांग्रेस में मिल जायेंगी और या किसी दूसरे सिद्धांत के हो जायेंगे यानी कम्युनिस्ट। जब वह दृष्टिकोण होगा और जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आयेगी, तब देखना है कि क्या नतीजा होगा। आज सोशलिस्ट और कांग्रेस के एक ही सिद्धांत हैं फिर भी वे एक दूसरे से अलग २ हैं और आपस में लड़ते रहते हैं। तो आज जो वायुमंडल हमारे देश में है और जो डेमोक्रेसी का प्रचार चल रहा है तो पार्टियां आज सिर्फ़ यह चाहती हैं कि जो कुर्सियां हैं वे किसी तरह से सलामत रहें और सबका सिद्धांत है और वही ध्येय है। हर पार्टी का युद्ध होता है और नतीजा यह होता है कि जो जनता की सेवा होनी चाहिये नहीं हो पाती आफ़िस के लिये लोग हर जगह लड़ते हैं। जब तक पोलिटिकल पार्टीज़ का स्तर ऊंचा न हो जाय तब तक उनको इन चुनावों में न जाने देना चाहिये आप इस चीज़ को थोड़े दिनों के लिये ही मान लीजिय मेरे कहने का मतलब यह है कि गांधी जी ने जैसे कहा था कि अब स्वतंत्रता संग्राम के बाद कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिये और कांग्रेस को पार्टी के रूप में नहीं रखना चाहिये तो उसके माने यह नहीं कि अब एलेक्शन नहीं हो सकते और कोई खड़ा नहीं हो सकता और कोई दूसरा तरीका नहीं निकल सकता। मैं तो यह कहता हूं और जो संशोधन मैंने रखा है उसका मंशा है कि जो राजनैतिक पार्टीज़ है वह अपने-अपने सिद्धांतों से कोसों दूर हो गई हैं केवल एक सिद्धांत रह गया है कि कैसे आफिस मिले और पावर की जगहों पर बैठा जाय, इसलिये मैं चाहता हूं कि कम सेकम ऐसी संस्थाओं में जहां सेवा करने का मौका होता है इन दलों को इन जगहों से अलग रखा जाय और इन संस्थाओं को लड़ाई का अखाड़ा न बनाया जाय तो ज्यादा बेहतर होगा। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर भी कटाक्ष किया मैं तो कहना चाहता हूं कि मुझे तो कोई अस्टेशन है नहीं आप लोगों को हो सकता है मैं तो इनडिपेन्डेन्ट हूं और मुझे कौंसिल के चुनाव में भी कांग्रेस का सहयोग प्राप्त हुआ और आप लोगों की भी मदद मुझको मिली लेकिन इस वक्त यह प्रश्न तो है नहीं। प्रश्न तो इस समय यह है कि म्युनिसिपैलिटीज़ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो टोन गिर रही है उसका मुख्य कारण यह है कि आज उसमें दलबंदी हो गई है इसीलिये म चाहता हूं कि इसको इन पोलिटिकल पार्टीज से अलग रखा जाय। अब रहा यह जो कहा गया कि मेम्बर्स जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर्स के हैं वह नहीं हो सकते, मुझे

[श्री कुंवर गुरु नारायण]

मालूम नहीं लेकिन मेरा ख्याल यह है कि कांग्रेस का एक सर्कुलर निकला है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के प्रेसीडेंट हैं उनको हटना पड़ेगा। अपने स्थानों से या तो वह बोर्डों में रहें या लेजिस्लेचर्स में रहें। मैंने तो इसका अर्थ यह लगाया कि या तो आफ़िसर्स का बटवारा चाहते हैं या यह अर्थ है कि दोनों जगह सेवा कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह आदेश कांग्रेस का आफ़िस के बटवारे की वजह से नहीं हुआ है।

श्री मोहनलाल गौतम—सरकार ने नहीं किया है।

श्री कुंवर गुरु नारायण—सरकार ने नहीं किया है तो किसने किया है कांग्रेस की ही तो सरकार है। बहरहाल कान्सटीट्यूशन में तो इस तरह का प्रतिबन्ध है नहीं। लेकिन जहां तक मेरा इम्प्रेशन है वह यह है कि जो पार्लियामेंट के मेम्बर हैं या लेजिस्लेचर के मेम्बर हैं वह प्रेसीडेंट लोकल बाडीज के नहीं रह सकते हैं।

एक सदस्य—पार्टी का सरक्युलर है।

पार्टी को प्रथक करते हैं। पार्टी की हुकूमत से प्रथम यह कैसे हो सकता है। मैं उसको प्रथक नहीं कर सकता हूं। उनका ख्याल था कि मेम्बर रहते हुये ठीक तरह से सेवा नहीं कर सकते हैं। इसलिये जिस स्प्रिट में मैंने यह संशोधन रखा है उसको ग़लत समझा गया मैंने यह कभी नहीं कहा कि इसको परमानेन्टली किया जाय। अब रहा यह कि डेमोक्रेसी के अन्दर पोलिटिकल पार्टीज की ग्रोथ न हो तो मैं कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी के अन्दर बहुत से काम हो रहे हैं जिनको न होना चाहिये था। जैसे विलेज को पावर्स देने का सवाल है विलेज पंचायतें बनाई गई और लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई और उसके साथ-साथ सारे का सारा कंट्रोल ग्राम संस्थाओं से लेकर एक आफ़िसर्स को दे दिया जो कि सरकार का कर्मचारी होगा और लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी का उत्तरदायीत्व उसके प्रति होगा न कि गांव सभा के प्रति (डेमोक्रेसी में तो यह भी शोभा नहीं देता) इस तरह की बहुत सी चीजें डेमोक्रेसी में होती रहती हैं जो कि शोभा नहीं देती। मैंने जो यह संशोधन रखा है वह सुझाव के रूप में रखा है कि अगर आप म्युनिसिपल बोर्ड्स को असली सेवा करने की बाडीज बनाना चाहते हैं तो इनको कुछ समय के लिये पार्टीज का अखाड़ा बनने से बचाइये। इसके बाद एक अमेंडिंग बिल लाकर जब जनता में काफ़ी चरित्र आजाये और आप की पोलिटिकल पार्टीज में राइट टाइप आफ़ मोरैलिटी पैदा हो जाये तब आप इसको बदल सकते हैं। जो कुछ समझा गया, जो मैंने कहा था उसके लिये मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि समझ तो अपनी-अपनी होती है। श्री राजाराम जी ने अपनी तरह से समझा, आपने अपनी तरह से समझा लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि अगर आपने म्युनिसिपैलिटीज को पार्टियों का अखाड़ा बनने दिया तो एडमिनिस्ट्रेशन संभल नहीं सकता।

श्री मोहन लाल गौतम—मुझे इसमें कोई खास बात नहीं कहना है। बस इतना ही मैं प्रस्तावक महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यह समझना कि पोलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो ऐसे इंडिविजुअल आ जायेंगे जो कि बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चला सकेंगे। यह बहुत ग़लत आधार है। यह समझना कि पोलिटिकल पार्टीज हमेशा ग़लत काम करेंगी, उनको कोई जवाब नहीं देना है जनता के सामने और इंडिविजुअल्स बहुत जवाब देही के साथ काम करेंगे ग़लत होगा। पोलिटिकल पार्टीज के सामने एक फ्यूचर होता है उनको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। कोई भी पोलिटिकल पार्टी यह नहीं समझ सकती कि चार साल के बाद हम खत्म हो जायेंगे, वह यह समझते हैं कि हमको चार साल के बाद फिर जनता के सामने आना पड़ेगा और जवाब देना होगा। लेकिन इंडिविजुअल्स के सामने कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। वह

तो यही समझेंगे कि हम चार साल के लिये यहां आये हैं या उसके बाद क्या होगा यह कौन जानता है रहेंगे या जायेंगे ।

डिप्टी चेयरमैन—The question is that in the proposed section 13-D.

Add the following new paragraph immediately *after* (*f*) :

(*ff*) "is a member of any political organisation or a member of any State Legislature or Parliament"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन प्रस्तावित धारा (१३ D) के पार्ट (g) में शब्द 'हिन्दी' के बाद के सब शब्द निकाल दिये जायं। मैं चाहता हूं कि यह क्लाज सिर्फ इतना बना रहे "अनएबुल टु रीड एन्ड राइट हिन्दी" इसका कारण यह है कि बाकी शब्दों को मैं सुपरफ्लुस समझता हूं ।

हमारे स्टेट का जहां तक संबंध है वहां अब कोई दूसरी रिजनल लैंग्वेज नहीं है। हिन्द लैंग्वेज आज हमारे स्टेट की भाषा है इसलिये मैं यह समझता हूं कि हिन्दी के बाद जो शब्द लिखे गये हैं उनको निकाल दिया जाय । इसमें कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय मेरे इस संशोधन को मान लेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—मैं इस संशोधन को मानता हूं कि इसमें हिन्दी के बाद के तमाम शब्द निकाल दिये जायं ।

श्री गोविन्द सहाय—अगर उसमें से कोई हिन्दी जानता है और अंग्रेजी पढ़ सकता है तो उसके बारे में क्या हो सकता है ?

श्री मोहन लाल गौतम—ऐसा कोई-कोई होगा । उसमें हिन्दी आप की रिजनल लैंग्वेज है।

श्री गोविन्द सहाय—जो हिन्दी नहीं जानते हैं उनके बारे में क्या होगा ?

श्री मोहन लाल गौतम—उर्दू के जानने वाले हैं लेकिन उर्दू रिजनल लैंग्वेज नहीं है। आप की जो डिफिकल्टी है वह पूरी नहीं हो सकती है।

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा १३ (डी) के पार्ट (जी) में शब्द हिन्दी के बाद के शब्द हटा दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित धारा १३ (डी) की उपधारा (यच) में पहली पंक्ति में "any tax" के स्थान पर "Municipal tax" कर दिया जाय। यह संशोधन मैंने इसलिये रखा है कि अगर एनी टैक्स के शब्द रखे जाते तो उससे बहुत गड़बड़ होने की संभावना है। यह टर्म बहुत ही वाइडर है और इसमें कई तरह के टैक्स जैसे सेल्स टैक्स वगैरा सभी आजाते हैं। इस तरह से वह डिस्क्वालीफ़ाई हो जाता है जो किसी प्रकार के टैक्स का भी देनदार है। तो इतनी बड़ी भयंकर कन्डीशन लगाना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। फिर इस विधेयक का संबंध म्युनिसिपल बोर्डस से है। इसलिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि एनी टैक्स की जगह म्युनिसिपल टैक्स कर दिया जाय और इसलिये मैंने यह संशोधन रखा है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम--मुझे यह स्वीकार है ।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा १३ (डी) की उपधारा एच में पहली पंक्ति में "any tax" के स्थान पर "municipal tax" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं इसको मूव नहीं करना चाहता ।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--मैं अपना यह अमेंडमेंट मूव नहीं करना चाहता हूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--मैं यह संशोधन रखता हूं कि प्रस्तावित धारा १३ ई के खंड ५ को बदल कर इस प्रकार पढ़ा जाय--

"No person shall vote at any election if he is convicted of a section which comes under the category of moral turpitude."

मैं इस क्लाज से यह समझता हूं कि इसका काफ़ी मिसयूज किया जायगा खास तौर से जो लोग इस बात में, इस सिद्धांत में यकीन करते हैं कि जब तक समाज की आर्थिक विषमता कायम है उसके खिलाफ़ उसका विरोध होना चाहिये और इसी सिलसिले में जब वे विरोध करते हैं तो उनकी मदद के लिये ला ऐन्ड आर्डर के नाम पर सरकार उनकी सहायता करती है। सरकार की कुछ ऐसी मंशा है कि जब मुल्क में लोकतंत्रात्मक हुकूमत बन जाय तो ऐसी हालत में किसी भी अन्याय का मुकाबिला करने में सत्याग्रह की गुंजाइश नहीं रह जाती है । हम इस बात को समझते हैं कि इस मुल्क में अन्याय का मुकाबिला करने के लिये और खास तौर से जब मुल्क में सामाजिक विषमता अपने स्थान पर मौजूद है, सत्याग्रह का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है और उस सिलसिले में बहुत से लोग जेलों में रह सकते हैं और इसी के साथ-साथ यह भी हो सकता है कि इलेक्शन से दो एक दिन पहले १५१ में भी बंद किया जा सकता है । तो ऐसी हालत में यदि यह सब क्लाज रखा जाय जिसमें यदि कोई मेम्बर जेल में कन्फाइन हो तो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। इसका बहुत ही मिसयूज हो सकता है और यह भी हो सकता है कि वहां पर पार्टी इन पावर अपने अपोजीशन को क्रश करने के लिये कर्मचारियों से मिलकर इसका उपयोग करा सकती है । मारेल टरपीट्यूड में तो वह डिस्क्वालिफाई कर दिया जा सकता है।

तो वह डिस्क्वालीफ़ाई कर दिया जाये किसी म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरशिप के लिये किसी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बरशिप के लिये या असेम्बली के मेम्बरशिप के लिये लेकिन केवल यह बात कि कोई भी व्यक्ति अगर वह जेल में हो चाहे वह वहां सत्याग्रह करके ही गया हो या किन्हीं दूसरे आधारों पर गया हो मगर उसका मारल टरपीयूट या नैतिक पतन से कोई खास संबंध न हो, ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि इस सेक्शन में यह जोड़ दिया जाये कि उसका मारेलटरपीचूट के गिरने के संबंध में संटेस हुआ हो । ऐसी सूरत में यह हो सकता है कि कोई आदमी ग़लत तरीक़े से पकड़ा गया हो और जब तक मुकदमे का फ़ैसला नहीं हो जाता है तब तक यह तै भी नहीं होता है कि वह सही पकड़ा गया था या ग़लत पकड़ा गया था । तो ऐसी सूरत में यह एक बहुत वाइड टर्म है कि जो आदमी कस्टडी में हो उसको वोट देने का अख्तियार न होना चाहिये । हो सकता है कि ज्यादतियों की वजह से या कोई पार्टी इन पावर होने की वजह से कुछ धांधागर्दी कर सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिये कि उसका वोट देने का अख्तियार ही न मिले । इसको मैं ग़लत समझता हूं। चाहे वह एक आदमी के वोट देने का सवाल हो चाहे १० के या १०० के। वह सब एक ही इंम्पार्टेंस रखता है। ऐसा भी होता है कि कोई आदमी एक

वोट की वजह से हार जाता है या १० या २० वोट न मिलने के कारण भी हार जाता है। तो एक-एक वोट अहमियत रखता है। इसलिये मैं चाहता हूं कि उसकी जगह पर यह सेक्शन कर दिया जाये।

श्री राजा राम शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रभुनारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं और जो कुछ उन्होंने कहा है मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पर गौर करें। इस १३ ई के पाचवीं धारा में जो यह चीज कही गई है कि अगर वह जेल में है ट्रांस्पोर्टेशन में है लाफुल कस्टडी में है तो वह वोट नहीं दे सकता है। मुझे ऐसा ख्याल है कि पहिले जब हम लोग जेल जाते थे और जेल में रहते हुये भीअगर वोट का मौका आता था तो हमसे वोट लिया जाता था। हम स्वतंत्रता से वोट दे सकते थे। आज हम यह महसूस करते हैं कि जो व्यक्ति जेल में है उस को वोट देने का राइट नहीं है लेकिन क्यों आपने ऐसा सोचा इसकी वास्तविकता हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन मैं जो श्री प्रभुनारायण सिंह जी ने ध्यान आकर्षित किया, सोच रहा हूं कि आजकल के जमाने में जब लोगों की हालत खराब हो जाती है और कितने ही लोग अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुये जेल चले जाते हैं या कोई सत्याग्रह करके जेल चला जाता है तो उस हालत में यह कहां तक सही है। जब पिछली बार देवरिया में सत्याग्रह हुआ था तो ५,६ आदमियों को जेल हो गयी थी और इसी तरह से जब बुलन्दशहर में सत्याग्रह हुआ तो कई सौ आदमी जेल चले गये थे। यह नहीं हो सकता कि किसी जमाने में जब आपने और हमने सत्याग्रह किया और अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी तो उस वक्त आपने उस बात की इज्जत की और आपने उसको देश सेवा का काम समझा तथा उसको प्रतिष्ठा दी। लेकिन आज मैं मानता हूं जो आपका उद्देश्य था वह आज नहीं रहा है। उसका दूसरा इन्टरप्रिटेशन लगा सकते हैं। चुनाव नजदीक आता है राजनैतिक पार्टियों में सरगर्मी शुरू होती है। मान लीजिये इसके पहले कोई सत्याग्रह हुआ और उसमें कई सौ आदमी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुये जेलखाने चले गये हों तो आपके इस कानून के मुताबिक उन व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं रहा। साथ ही साथ मैं यह महसूस करता हूं कि जब चुनाव नजदीक आता है तो राजनैतिक पार्टियों में सरगर्मी होती है। माननीय मंत्री जी और उनके दूसरे साथी मंत्री लोग तो ऊपर ही उपर जाकर भाषण देकर चले जाते हैं लेकिन जो लोग मुहल्लों में रहते हैं वे जानते हैं कि शासन किस तरह से होता है और सरकारी आफिसर इस में किस तरह से दबाये जाते हैं। झूठी रिपोर्ट लिखवाकर कैसे पुलिस से लोगों को गिरफ्तार कराया जाता है। यह सब बातें मिनिस्टर साहब तक नहीं पहुंचती हैं। आप ने आज के ही अखबार में पढ़ा होगा कि हमारी ग्वालटोली में जो हमने अपने राइट की लड़ाई लड़ी थी उसमें कैसी झूठी रिपोर्ट लिखवा दी थी। आपको आश्चर्य होगा कि जितने भी वहां हमारे एक्टिव वर्कर्स थे वे सब गिरफ्तार कर दिये गये और जेलखाने में भेज दिये गये। वे वहां से छूट कर आ गये हैं और उन पर मुकदमा चला। जब उन पर मुकदमा चला तो वहां के मैजिस्ट्रेट ने लिखा है कि ऐसे गवाह पेश किये जाते हैं जो कि पुलिस की तरफ़ से पढ़ाये जाते हैं और सच्चे गवाहों को रोका जाता है। इस तरह की बातों को देख कर मैजिस्ट्रेट ने गुस्से में आकर सब को छोड़ दिया है। अब आप देखेंगे कि पुलिस के लोग किस तरह से दूसरे लोगों के इशारों पर चल कर जेलखानों में बन्द कर देते हैं। जो लोग जेलखानों में बन्द कर दिये जाते हैं भले ही वे दोषी साबित हो जायं वे सब अपने अधिकारों के लिये लड़े इसलिये उनको वोट देने का हक मिलना चाहिये। मैं महसूस करता हूं कि जल्दी की वजह से कोई संशोधन नहीं ला सका लेकिन जो श्री प्रभुनारायण सिंह जी का संशोधन आया है कि जो व्यक्ति इस किस्म का काम करे वह वोट नहीं दे सकता वह ठीक है। मैं चाहता हूं कि १३ डी के आखिर में इतना जरूर जोड़ दिया जाय कि जो मारेल ट्रिजिन्यूट हैं वे कनविक्ट नहीं बन सकते। मुझे इस बात का पूरा अन्देशा है और शर्म भी लगती है लेकिन जो सत्य बात है वह कहना चाहता हूं इसमें मैं किसी पार्टी

[श्री राजा राम शास्त्री]

का नाम नहीं लेता। लेकिन जो आजकल राजनैतिक पार्टियां हैं उनमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कुछ इस तरीके के लोग भी आ गये हैं जो पुलिस की निगरानी में रहे हैं या जो कातिल और गुन्डे माने जाते हैं वे आजकल राजनैतिक पार्टियों का जामा पहन रहे हैं।

आज भी देखेंगे कि मोहल्लों में ऐसे लोग सेक्रेटरी बने हुये हैं जिनका लाठी का जोर है तो यह चीज राजनीति में होती है। मैं आपसे कहता हूं कि यह लोग दूसरे लोगों को परेशान करते हैं, किसी ने चरस या गांजा या रिवालवर रख दिया और पुलिस से मिलकर उसको पकड़वा दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह की हरकत हो सकती है। ऐसा कनडीडेट भी म्युनिसिपैलिटीज के लिए खड़ा हो सकता है। अगर एलेक्शन में ऐसी चीजें न हों तो मैं समझता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भला आदमी खड़े हो कर देखे, उसकी अवश्य जीति होगी। ऐसे लोग जो गुन्डे हैं और राजनीतिक पार्टी के प्रभाव से लड़ते हैं उनको कन्डीडेट नहीं बनाना चाहिये। एक तरफ तो सरकार को यह चीज करनी चाहिये कि जो ऐसे लोग हैं उनको टिकट नहीं दिया जायेगा। तो अवश्य ही शान्तिमय ढंग से चुनाव हो सकेंगे ऐसे लोग राजनैतिक पार्टी का सहयोग लेकर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को विश्वास दिलाता हूं कि अगर वह ऐसे खतरनाक व्यक्तियों का सहयोग नहीं करेंगे तो देश का बहुत ही लाभ होगा। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी श्री प्रभुनारायण जी के संशोधन को स्वीकार करेंगे।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, श्री राजाराम शास्त्री जी ने जिन उसूलों को पेश किया है मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि इस क्लाज के रखने का क्या मन्तव्य है। अगर सरकार की यह मंशा है कि एक आदमी जो खराब है और उसको किसी जुर्म में सजा हो चुकी है और वह जेलखाने में है तो उस को वोट देने की आज्ञा न दी जाय, तो मैं समझता हूं कि कुछ हद तक ठीक भी है। लेकिन अगर किसी का पोलिटिकल जुर्म है और उस को गिरफ्तार किया जाता है और उस को आम इलेक्शन में वोट देने के अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह नागरिक की आजादी पर आघात है। मैं तो समझता हूं कि सरकार का उद्देश्य स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इंग्लैंड में तो नागरिकों की स्वतंत्रता का बहुत ख्याल रक्खा जाता है। यदि कोई व्यक्ति हैबीअस कापर्स ऐक्ट के अनुसार किसी जज के पास प्रार्थना पत्र ले जाय तो वह उसे स्वीकार करना पड़ेगा। छुट्टी में भी वह इंकार नहीं कर सकता। यदि करेगा तो उस पर ५०० पौंड प्रतिदिन जुर्माना होगा। यह नागरिक की आजादी का आदर्श है। हमारी सरकार को कोई ऐसा कार्य न करना चाहिये जिससे नागरिक की स्वतंत्रता में किसी प्रकार की बाधा उपस्थित हो और उसके अधिकार छीने जायं। हमारे देश में अभी ऐसी दलबन्दी नहीं हुई हैं अभी हम लोग इलेक्शन की विधि को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। अगर वहां पर यह हुआ कि जैसे शास्त्री जी हैं और उन्हें वोट ज्यादा मिलने की सम्भावना है तो चलो बन्द कर दो। किसी तरह से वारन्ट आ गया और उनको बन्द कर दिया गया। जब तक किसी को सजा नहीं हुई है तब तक वोट देने का अधिकार होना चाहिये। मेरे ख्याल में इस क्लाज का दुरुपयोग हो सकता है और इससे नागरिक की स्वतंत्रता को बड़ा आघात पहुंच सकता है। दूसरी बात आप राजनैतिक वातावरण में देखते हैं, हमारे मंत्री जी कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं उनको सब मालूम है कि ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि किसी को सत्याग्रह करना पड़े और वह जेल में भेज दिया जाय। सत्याग्रह करना कोई ऐसा जुर्म नहीं है और वह चोरी, डकैती वगैरह जैसे घोर अपराधों में नहीं आता है। तब ऐसे व्यक्ति को वोट से वंचित रखना ठीक नहीं है। इसलिये जो संशोधन आपके सामने है वह बहुत जरूरी है और माननीय मंत्री जी को उसे मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री मोहन लाल गौतम--उपाध्यक्ष जी, यह सदन सिद्धांत रूप में यह स्वीकार कर चुका है कि जो म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव होंगे, वह असेम्बली के चुनाव के आधार पर होंगे और उनके इलेक्टोरल रोल भी वही होंगे तथा जो नियम हैं वह भी वही होंगे, इस चीज़ को सिद्धांत के रूप में मान चुके हैं। मेरा ख्याल है कि यदि रिप्रेज़ेन्टेशन आफ़ पीपुल्स ऐक्ट, १९५१ की ६२वीं धारा की उपधारा ५ को देखा जाय तो इसमें एक एक लब्ज़ वही है जो कि इसमें है और वह यह है:--

"No person shall vote at any election if he is confined in a prison whether under a sentence of imprisonment or transportation or otherwise or is in the lawful custody of the police."

और यही लफ्ज़ इसमें भी है जिसके बारे में इस वक्त जवाब हो रहा है तो अगर वोटर लिस्ट एक ही हुई और फिर जैसे कि नियम होंगे वह अगर दो किस्म के हो गये तो फिर वोटर लिस्ट भी दो दो बनानी पड़ेंगी और फिर जो आधार अभी तक था उसमें बदलाव करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जो कि असेम्बली में वोट नहीं दे सकता था वह फिर म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन में वोट दे सकेगा और इस तरह से अपने आधार के अनुसार यह चीज़ बिल्कुल अलग हो जायेगी। मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि जब यह प्रोविज़न किया गया और जो पिछले बड़े-बड़े चुनाव हुए, जो कि इस वक्त पहले पहल इस देश में हुये और जैसा कि इतिहास के पंडित कहते हैं कि इतना बड़ा चुनाव संसार के इतिहास में अभी तक नहीं हुआ, तो उस वक्त किस प्रकार और किस तरह को ज्यादतियां हुई और इतने बड़े चुनाव में कितने लोगों को वोट से बंचित रखने के लिये गिरफ्तार किया गया। गवर्नमेंट के बारे में जो ऐसा विचार करते हैं कि उसने ऐसा किया हो तो वह बहुत ही संकुचित विचार के लोग हैं और इस वक्त यह ख्याल किया जा रहा है कि असेम्बली और पार्लियामेंट के चुनाव के समय में जो दिलचस्पी सरकार की थी उससे कम इसमें दिलचस्पी रक्खेगी और पक्षपात करेगी तो यह बात भी निराधार है। जब हम इतना बड़ा भारी चुनाव कर चुके हैं और जब यह बिल पेश किया गया था तो उस वक्त ला मेम्बर डाक्टर अम्बेदकर थे और मैं उनके अब तक के कामों से कह सकता हूं कि वह गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहते और न उन्होंने गवर्नमेंट के पक्ष में कोई इस तरह का बिल बनाया है जिससे कि गवर्नमेंट मज़बूत बनने जा रही हो, वे भी कांग्रेस के खिलाफ़ लड़े थे फिर भी उनका कोई संकेत नहीं है कि जो प्राविजन रक्खा गया है वह किसी के खिलाफ था। इसलिये यह तो सदस्यों का एक भ्रम है और उनकी यह बात कोई ज्यादा वज़न नहीं रखती है। क्योंकि हम उसके नियम पास कर चुके हैं और एक बड़ा भारी इलेक्शन भी कर चुके हैं और इस प्रकार का कोई दुरुपयोग उसमें नहीं हुआ। इसलिये मैं यह आशा करूंगा कि इसको छोड़ न दिया जाय और जिस तरह से पीपुल्स रिप्रेजेन्टेटिव ऐक्ट में है, उसके आधार पर यह रखा हुआ है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दलील माननीय मंत्री जी ने रखी वह दलील मुझे उचित नहीं मालूम होती। मैंने तो यह सोचा था कि इसमें एक बहुत बड़ी कमी है और उस कमी की तरफ ध्यान आकर्षित करने के बाद माननीय मंत्री जी इसको क़बूल कर लेंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी ने अपनी राय ज़ाहिर करते हुये कहा कि जो इलेक्टोरोल इसके लिये हैं, तो ये वही हैं जो कि असेम्बली कांस्टीट्यूएन्सी के लिये रोल बने थे और उसी को म्युनिसिपैलिटीज़ रोल्स में भी माना जायेगा। तो ऐसी सूरत में यदि इस सिद्धांत को मान लिया जाय क्योंकि फिर से रोल्स बनने में काफ़ी दिक्क़त पैदा होगी और उन्होंने नये रोल्स के तैयार करने में जो बात कही है, उसके लिये भी अपना ख्याल ज़ाहिर किया। तो इतना कहने के बाद भी जो दलील उन्होंने दी या जो मेरे संशोधन के खिलाफ़ कहा तो वह शायद इस वक्त वजह से भी हो कि विरोधी पक्ष की तरफ़ से वाजिब सुझाव नहीं लाये जाते या उनकी यही मनोवृत्ति है कि उनके सुझावों को स्वीकार ही न किया जाय। तो जहां तक रोल्स का सवाल है, तो उसके लिये उन्होंने कहा कि असेम्बली के रोल्स पहले से तैयार हैं और नये तैयार करने में उनको तीन, चार महीने लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि ला फ़ुली यह हो जायेगा। तो कुछ

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

ऐसे लोग भी होंगे जो कि ज़मानतों पर हों, तो उनके लिये "एट दि निक आफ दि टाइम" यह बात हो सकती है। यदि दो दिन पहले वह गिरफ्तार होता है, तो क्या होगा। माननीय मंत्री जी ने यह सवाल उठाया कि पहले इतने बड़े चुनाव के सिलसिले में कोई इस तरह की दिक्कत पैदा नहीं हुई। लेकिन मैं उनको कैसे यक़ीन दिलाऊं कि किस तरह की परेशानियां और कठिनाइयां हम लोगों के सामने आई हैं, उन को यहां पर अब ज़िक्र करना भी उचित नहीं है और उनको मैं कहना भी नहीं चाहता हूं लेकिन मैं यह ज़रूर कहूंगा कि उनके आफ़ीशियल्स ने मिलिट्री या दूसरे तरीक़े से किस तरह लोगों को परेशान किया और लोगों को गिरफ्तार करने का आर्डर करवाया। मगर वह बाद में इस वजह से गिरफ्तार नहीं हुये कि उसका बुरा असर उनके इलेक्शन में हो सकता था। इसमें सवाल यह है कि एक आदमी का वोट ख़राब होता है तो इससे यह भी गुंजाइश है कि आइन्दा भी उनका वोट ख़राब हो जाय। पिछली बातों को देखने के बाद तो हमें यह विचार करना होगा कि हम जो कानून बनाते हैं उस से किसी किस्म का ख़तरा तो नहीं रह जाता है। ऐसी सूरत में जो मंत्री महोदय ने दलील दी है वह मुझे उचित नहीं मालूम हुई। दूसरी बात जो कही गयी वह डाक्टर अम्बेदकर के बारे में कही गयी कि वह बहुत ही योग्य और अनुभवी व्यक्ति थे और उन्होंने यह कानून बनाया था।

श्री मोहन लाल गौतम--यह मैंने नहीं कहा।

श्री प्रभु नारायण सिंह--मंत्री जी ने यह नहीं कहा तो शायद उन्होंने रूल्स बनाने के सिलसिले में कहा हो कि उनसे बहुत मदद मिलती थी और उन्हीं के द्वारा रूल्स बनाये जाते थे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति जो रूल्स बनाता है या कोई भी सरकार जो रूल्स बनाती है, तो यह भी उसमें होता है कि वह उसको तब्दील कर सके। उसमें तब्दील हो सकती है। आज हमारे यहां क्लासेज हैं, असमानता है वर्ग संघर्ष है और इस तरह की कई बातें हैं, और इसमें कई ऐसे भी लोग हैं जो कि समझते हैं कि उनके लिये सत्याग्रह करना वाजिब है। तो इसमें तो पूरे मुल्क का सवाल हो जाता है। आप लोग उनको अधिकारों से वंचित करना चाहते हैं, यह उचित नहीं है।

यह सेंट्रल रूल है और प्राविन्शियल गवर्नमेंट उसको तब्दील नहीं कर सकती तब तो मैं सरकार से अपील करता और माननीय मंत्री जी से अपील करता कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अपील की जाय कि इसमें तरमीम की जाय। इसमें तो वह बात है नहीं यहां तो आपको अधिकार है कि आप इसको मानें या न मानें। जब यह सदन के सामने बात आई है तो इसमें हम संशोधन भी कर सकते हैं इसलिये जो दलील के रूप में माननीय मंत्री जी ने बात कही वह मेरी समझ में नहीं आई क्योंकि एलेक्ट्रल रोल तो पहले से तैयार हो जायेंगे और अगर किसी का नाम नहीं है तब तो उसके वोट देने का सवाल ही नहीं उठता है तब ऐसी हालत में मैं यह वाजिब समझता हूं अगर किसी का नाम नहीं है तो वह १० रुपया जमा करा के अपना नाम लिखवा लेगा लेकिन इससे आप को कोई परेशानी न होगी और जो सुझाव मैंने रखा है वह वाजिब है। अगर कोई बात ऐसी हो जो लोकतंत्र की व्यवस्था में दिक्कत पैदा करने वाली हो, या उसको कुचल रही हो और उसको ठीक करने के लिये कोई संशोधन विरोधी पक्ष की ओर से लाया जाय तो उसको मानने के लिये सरकार को गुरेज़ न करनी चाहिये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र तभी प्रतिष्ठित हो सकता है जब पार्टी इन पावर के पास यह मनोवृति हो कि वह वाजिब बातों को माने और उस पर अमल करने की कोशिश करे, नई ट्रेडीशन कायम करने की कोशिश करे। मैं समझता हूं कि मेरा जो प्रस्ताव है वह ऐसा है कि इसको मानने में किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। यह दूसरी बात है कि सरकार इसको न माने। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि सरकारी पक्ष के बहुत से सदस्य इस बात से सहमत हैं और उन्होंने जब अपनी राय ज़ाहिर की थी तो उस समय उन्होंने यह ज़ाहिर किया था कि यह बात न होनी चाहिये और इसको निकाल दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि उनके अन्दर डेमोक्रेटिक टेन्डेंसी अधिक होने से उन्हें इस प्रकार की विचार धारा रखनी पड़ी। मैं समझता हूं कि जो उचित बातें हों उनकी ओर

सरकार को ध्यान देना चाहिये केवल टेक्नीकल बातों को ही कह कर एक बात को नहीं ख़त्म कर देना चाहिये। जहां मौलिक अधिकार मारे जाते हों वहां उनकी रक्षा होनी चाहिये। विदेश में तो इसकी ओर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसे बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। जब ऐसे संशोधन सरकार की ओर से नहीं स्वीकार किये जाते हैं तो सरकारी पक्ष की मनोवृत्ति में भी शंका होने लगती है हालांकि मैं यह बात नहीं कह सकता जब तक कि कोई सबूत न हो। लेकिन शंकायें तभी होती हैं जब ऐसे-ऐसे अमेंडमेंट नहीं माने जाते हैं। ऐसी सूरत में जो एक मौलिक बात होती है, जब कानून को बनाया जाता है, उस मौके पर देखा जाता है कि इसके मिसयूज़ होने की गुंजाइश है या नहीं। इसी कसौटी पर कानून को कसा जाता है और अगर इस कसौटी पर कानून खरा नहीं उतरता तो कानून को ऐसा बनाया जाता है जिसमें इस कसौटी पर वह खरा उतर सके।

श्री मोहन लाल गौतम--उपाध्यक्ष महोदय, भाई प्रभुनारायण जी ने ज़रूरत से ज्यादा जोश में आकर एक व्याख्यान इस पर दिया कि कैसे डेमोक्रेसी चलना चाहिये। लेकिन उन्होंने अपने अमेंडमेंट के इम्प्लीकेशन्स नहीं समझाये। मैंने कहा था कि अगर यह अमेंडमेंट मंजूर होता है तो एलेक्ट्रल रोल्स दूसरे बनाने पड़ेंगे। अमेंडमेंट यह है:--

"No person shall vote election if he is convicted of a section which comes under the category of moral turpitude.

यह नहीं है कि जो मारल टरपीट्यूड में जेलख़ाने में होंगे वह निकलेंगे जो जेलख़ाने से बाहर निकल गये वह भी होंगे, और फिर एक दफ़ा मारल टरपीट्यूड में हो गये क्या वह भी दे सकेंगे। इसलिये दो लिस्ट्स हो जायेंगी और मारल टरपीट्यूड वाले अलग किये जायेंगे। दूसरी चीज यह है कि जिस रोज इलेक्शन्स हो रहे हैं उसी दिन जो जेल या पुलिस कस्टडी में होंगे उनके बारे में यह है। मैंने जैसा कि कहा यह तो असेम्बली के लिये जो रूल्स हैं उन्हीं के मुताबिक है। क्या आप आइन्दा ऐसी लिस्ट बनायेंगे कि कौन-कौन मारल टरपीट्यूड में हैं और कौन-कौन नहीं है और क्या इन सबको अधिकार देंगे। राजाराम जी ने कहा कि जब हम जेल में थे तब भी राय दिया करते थे। जेल में तो मैं भी रहा हूं लेकिन मुझे तो याद नहीं कि मैंने कभी वोट जेल में रह कर दिया हो।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--जिसका नाम लिस्ट पर तो हो लेकिन वह पुलिस कस्टडी में हो उसका क्या होगा?

श्री मोहन लाल गौतम--जिसका नाम लिस्ट में हो और वह पुलिस कस्टडी में हो तो वह भी डिप्राइव होगा वोट देने से। लिस्ट तैयार हो जाने के बाद भी इस तरीके की कुछ चीजें आ सकती हैं जो उसको डिप्राइव कर दें। मैं आपसे कहता हूं कि अगर राय देने का अधिकार भी आप दे दें तो असल में वोट नहीं काउन्ट करता अगर नाजायज़ काम होता है। यह भी नहीं होता है कि हमेशा कांग्रेस की गवर्नमेंट ही दबाव डालती है। जो लोकल इन्फ्लूयेंशल आदमी हैं वह भी दबाव डालते हैं। मैं तो चाहता हूं कि इलेक्शन्स फ़ेयर हों। इसलिये मैं आपसे अर्ज़ करता हूं कि इसको आप इसी तरह से रहने दें। जो असेम्बली में है वही यह है इसमें आपको कोई डिफ़ीकल्टी नहीं होगी। आपने बहुत कुछ हमला किया कि इस तरह से इलेक्शन्स हुये उस तरह से इलेक्शन्स हुये। इस वक्त उस पर बहस करने की जरूरत नहीं राजा राम जी ने यह कहा कि पोलिटीकल पार्टीज में बड़े २ गुंडे आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ज्यादा सकसेसफुल गुन्डे वही हैं जो अब तक सजा नहीं पाये और न जेल गये। वह कांग्रेस में ही आ रहे हों तो यही बात नहीं है। सब पोलिटिकल पार्टीज उनके लिये खुली हुई हैं। राजाराम जी को मालूम है और मुझको भी मालूम है, बहुत सी पोलिटिकल पार्टीज के जरिये से डकैतियां पड़ रही हैं। ऐसे अनडिज़ायरेबुल एलीमेंट्स बाइसे शर्म, हर

[श्री मोहन लाल गौतम]
पोलटिकल पार्टी के लिये हैं। लेकिन इन गुंडों से बचने के लिये कोई रास्ता आप नहीं बतला रहे हैं। इसका तो जवाब जनरल एलेक्टोरेट ही देगा। इस पर बहस काफ़ी हो चुकी है। मैं समझता हूं कि अब इसे मंजूर किया जाये।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा (13-E) के खंड (5) को बदलकर इस प्रकार पढ़ा जाय :

"No person shall vote at any election he is convicted of a section which comes under the category of moral turpitude.

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:--

"प्रस्तावित धारा 13-G(K) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

Provided that the counting of votes will be done after two hours of the polling on the same day and place.

जो सेक्शन १३ (ई) है। जेनरल एलेक्शन के सम्बध में, एप्वाइंटमेंट्स आफ़ डेट, ऐण्ड नामिनेशन के सम्बन्ध में साथ ही साथ काउन्टिग आफ़ एलेक्ट्रोरेट्स के सम्बन्ध में है।

इसका मतलब यह है कि जो नियम सरकार ने कार्उटिंग आफ़ वोट्स के सिलसिले में बनाया है वह कार्उटिंग उस पोलिंग स्टेशन पर हो जाय। पिछले इलेक्शन में जो कुछ हुआ उसको देखने से यह धारणा मज़बूत हो जाती है कि जिन पोलिंग स्टेशनों पर पोलिंग होती है वहींपर पोलिंग हो जाय तो बहुत अच्छा है। अक्सर देखा गया है कि बीच ही में बाक्सेज टूट गये।

उससे हमारी दिक्कतें, हमारी परेशानी बहुत अधिक बढ़ गई। सरकार पर भी बहुत ज्यादा लांछन लगे, बहुत सी जगहों पर वोटों की चोरी हुई। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि वह बातें कहां तक ठीक हुई और कहां तक ग़लत हुई लेकिन यह ज़रूर हुआ कि सरकार पर भी लांछन लगाये गये। हम चाहते हैं कि सरकार इस बात से बरी रहे और उस पर लांछन न लगाये जायें। इसीलिये हमने यह ज़रूरी समझा कि हर पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग के दो घंटे के बाद काउंटिंग कराई जाय और फिर दूसरे दिन रिजल्ट एनाउन्स कर दिया जाय। अभी असेम्बली में यह बिल नहीं गया है इसलिये भी इसको मान लिया जाय तो कोई एतराज़ की बात इसमें नहीं हो सकती है। अन्त में मैं यह चाहता हूं कि काउंटिंग उन्हीं स्थानों पर २ घंटे के बाद हो जानी चाहिये जहां पर वोटिंग होती है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विचार इसमें कुछ कहने का नहीं था लेकिन जो संशोधन हमारे भाई प्रभु नारायण सिंह ने पेश किया मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक लेजिस्लेचर के एलेक्शन का सम्बन्ध है उसके बारे में आपको सब मालूम है। मैं उन बातों में अब नहीं जाना चाहता हूं। उस वक्त तो यह दिक्कत हो सकती थी कि बहुत दूर दूर एरियाज पर पोलिंग स्टेशन्स होते थे और वहां पर अक्सर झगड़े भी हो जाते थे। वहां की सेचुयेशन गवर्नमेंट के बिअग्रान्ड कंट्रोल हो जाती थी। इन्हीं ख्यालात को लेकर यह मुनासिब समझा गया कि केन्द्र में बाक्सेज लाये जायं और फिर काउन्टिग हो। तो वहां तो यह ठीक हो सकता है लेकिन जहां तक म्युनीसिपैलिटी का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि सरकार को कोई अड़चन इस बात में नहीं होना चाहिये कि पोलिंग स्टेशन पर ही दो घंटे के बाद काउन्टिग हो। वहां तो कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है क्योंकि पोलिंग स्टेशन्स म्युनिसिपल एरिया के अन्दर ही होंगे। पिछले जो इलेक्शन्स लेजिस्लेचर के हुये उसमें सरकार को भी यह बात माननी पड़ी कि जो बाक्सेज जिस स्टाइल के सैंक्शन

थे वह भी नहीं दिये गये और यह भी नहीं कहा जा सकता कि बैलट पेपर में गड़बड़ी नहीं हुई। गड़बड़ियां हुई हैं यह तो बिल्कुल खुली हुई बात है लेकिन अब इस पर बहस क्या है कि गड़बड़ी हुई या नहीं हुई। जो कुछ हुआ वह तो हो चुका। लेकिन मैं यह जरूर समझता हूं कि इस बात को देखना चाहिये कि जहां तक बैलेट बाक्सेज का सम्बन्ध है उसमें ऐसा न होना चाहिये कि किसी भी व्यक्ति को कुछ संदेह हो और उसके हृदय में आशंका हो। बैलेट बाक्सेज की सैंक्टिटी को रिजर्व करने को मैं उतना ही महत्व देता हूं जितना कि प्रजातंत्र को ठीक तरीक़े से चलाने को देता हूं। अगर इसकी सैंक्टिटी ख़त्म हो जाती है तो मैं समझता हूं कि लोगों में हिंसात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होने का भय है। बैलट बाक्सेज की सैंक्टिटी को हमें प्रिज़र्व करना चाहिए और इसके प्रति कान्फीडेंस हमको जनता के हृदय में बनाये रखना चाहिये। यह बहुत जरूरी बात है। इसीलिये म्युनिसिपल बोर्ड के सम्बन्ध में जो संशोधन प्रभु नारायण जी ने रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज शहरी एरिया में होती है और वहां यह तरीक़े आसानी से सम्भव हैं।

श्री प्रेम चन्द्र शर्मा (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)-- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी जो यह संशोधन रक्खा गया है और जिसके सम्बन्ध में बड़ी-बड़ी आशंकायें की गई हैं, मैं समझता हूं कि बड़ी ग़लतफ़हमी पर की गई है। यह हमला ग़लत किया गया है। मैं समझता हूं कि प्रान्त में और देश में जहां भी बैलेट बाक्सेज थे सब जगह पर तीन-तीन सील होती थी। इसके बाद कपड़े पर सील होती थी। जहां कहीं भी सील टूटी हुई मिली वहां पर रिपोलिंग कराई गई। यह बात कि बैलेट बाक्सेज में कुछ बेईमानी हो सकती है वही आदमी कह सकता है जिसने कि इसकी बाबत सुना हो और जिसने कि बैलेट बाक्सेज देखे न हों। इस बात का बहुत प्रोपेगंडा किया गया कि यह हुआ वह हुआ लेकिन किसी ने इस बात को साबित नहीं किया कि कोई बैलेट बाक्स टूटा हुआ पाया गया हो। इस तरह का प्रचार तो बहुत हुआ और आपने भी जो बात कही वह प्रचार की बिना पर कही है। यह कहना कि उसी दिन दो घंटे के बाद बैलेट पेपर्स काउंट कर लिये जायं और उनका रिजल्ट बता दिया जाये कैसे संभव हो सकता है। बड़ी बड़ी म्युनिसिपैलिटीज हैं यहां पर चेयरमैनशिप के लिये तीन या चार लाख वोट पड़ेंगे तो यह कैसे मुमकिन है कि वह तीन या चार लाख वोट उसी दिन गिन लिये जायें और रिजल्ट भी आउट कर दिया जाये। तो मेरे ख्याल में जो यह संशोधन रखा गया है वह इम्प्रैक्टिकल है और ग़लत भी है। इसके सपोर्ट में जो भी बातें कही गई वे ग़लत हैं। इन शब्दों के साथ में इसका विरोध करता हूं।

श्री राजा राम शास्त्री--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रभु नारायण सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह मैं जरूर महसूस करता हूं कि ऐसे मौके पर जिस ढंग से बहस हो रही है उसमें कुछ बातें आ गयी जिसमें कि पुराने इलेक्शन की बातें उठायी गई हैं। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि जिस दृष्टि से यह संशोधन पेश किया गया है उस पर ज़रा ग़ौर किया जाय तो मेरा ऐसा ख्याल है कि इस मौके पर जनता के बीच में जायें और लोगों की भावना को सुनें तो मैं यही कह सकता हूं कि सिवाय कांग्रेस पार्टी के जो कि विजयी हुई है तथा जिसकी हुकूमत भी है शायद ही कोई ऐसी राजनैतिक पार्टी होगी जो यह महसूस न करती हो या जहां जनता की आम ख्वाहिश न हो कि अगर वोटिंग का कोई तरीका निकल आये तो ज्यादा अच्छा तरीका हो। मैं जरूर चाहता हूं और मैं यह नहीं कहता कि पिछले इलेक्शन में आम तौर से ऐसी चीज हुई हैं। लेकिन जिस विचार और दृढ़ता की भावना से यह बात कही गयी कि पिछले इलेक्शन में कितनी ही जगहों पर ऐसा वाकया हुआ है कि बैलेट बाक्सेज टूटे हैं। मुझे इसका बड़ा भारी आश्चर्य हुआ और श्री प्रभु नारायण सिंह जी जब जवाब देंगे तो वे स्वयं बतलायेंगे कि जिस सीट से वे पार्लियामेंट के लिये लड़े वहां बाद में १८ जगह पर रिपोलिंग हुआ और वह

[श्री राजा राम शास्त्री]

रिपोलिंग इसी पर हुआ कि बैलेट बाक्सेज टूटे हुये हैं। तो अब यह कहना कि कहीं ऐसा हुआ ही नहीं यह बड़े आश्चर्य की बात है। दूसरी आश्चर्यजनक घटना यह हुई कि यह खबर फैली कि सीलड बाक्सेज भी खुल सकते हैं। हमारे यहां भी एक सरकारी अधिकारी ने मैजिस्ट्रेट के सामने यह बतलाया कि किस तरह से वह बाक्स खुल सकता है। एक तहसीलदार के सामने यह बाक्स खोला गया। मैंने मैजिस्ट्रेट से कहा कि यह क्या तमाशा है। सारे देश में तो यह ढिंढोरा पीटा गया कि ये बाक्स खुल नहीं सकते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपके सामने हम डेमोंस्ट्रेशन देकर खोलना चाहते हैं तो उन्होंने हमको इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बाद मैंने प्रान्तीय सरकार को लिखा लेकिन उन्होंने भी इजाज़त नहीं दी और फिर दिल्ली को लिखा तो उन्होंने जवाब दिया कि प्रान्तीय सरकार को लिखो। लेकिन वह डेमोंस्ट्रेशन नहीं हो सका। मैं नाम नहीं लूंगा परन्तु एक बात ज़रूर आपको बतलाऊंगा और वह यह है कि जिस दिन पोलिंग हो गयी उसके दो तीन दिन तक तो खूब बड़ी धूम रही कि मैं जीत गया लेकिन तीसरे दिन मालूम हो गया कि मैं हार गया हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपको बतलाता हूं कि एक सरकारी आफ़िसर रात के समय मेरे पास आया और कहा कि शास्त्री जी यदि आप कहें तो मैं फ़लानी जगह से बाक्सेज़ तुड़वा दूं तो वहां फिर से रिइलेक्शन हो जायेगा। आप जानते हैं कि इलेक्शन जीतने का हर्ष बड़ा तगड़ा होता है। तबियत में आई कि ऐसा कर दिया जाय क्योंकि हारता हुआ इन्सान जीतने के लिये क्या नहीं कर सकता। इसके अलावा थोड़ी सी वोट का सवाल था। १२ हजार और कुछ दूसरे साहब के आये थे। और ११ हजार और कुछ मेरे आये थे। रात भर मैं इस चीज़ को सोचता रहा कि इसे होने दिया जाय। लेकिन यह बड़े हिम्मत का काम है और मैंने इसे कतई मुनासिब भी नहीं समझा क्योंकि सच बतलाता हूं मुझमें इसके लिये हिम्मत की कमी थी। मान लीजिये कोई बात ऐसी जनता में हो जाय कि शास्त्री जी की स्वीकृति से यह बात हुई है मैं तो जनता में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रह जाऊंगा। विजय और पराजय अलग चीज़ें हैं। लेकिन यह बात करना ग़लत है। मुझे ताज्जुब हुआ कि एक दूसरे सज्जन मेरे पास आये और कहा कि फलां साहब इतना पैसा मांगते हैं, आपकी क्या राय है। उन सज्जन का यह पेशा हो गया था कि लोगों से पैसा लेते थे और ऐसी बातें करते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि अब ऐसी बातें न हों। जनता में कोई ऐसी ख़राब धारणा पैदा होने का मौका नहीं देना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी व्यक्ति की हार और जीत से कोई ऐसी ख़ास बात नहीं पैदा होती है जितना कि इन बातों से परिवर्तन होता है। मैं चाहता हूं कि ऐसा वायुमंडल न पैदा हो जिससे प्रजातंत्र से जनता की आसता उठ जाये। एक पोलिटिकल पार्टी दूसरे की आलोचना करती है, सरकार की आलोचना करती है, लेकिन मैं इस बात को जनाता हूं कि आज आप जिन कुर्सियों पर बैठे हैं उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आप पर है। यह आप का पहला मौका है कि आप ऐसी परम्परा कायम करें जिससे प्रजा का प्रजातंत्र पर पूरा विश्वास हो जाय और प्रजातंत्र राज्य के लिये उसके दिल में एक अच्छी भावना पैदा हो जाय। एक बात मैं और कहना चाहता हूं वह यह है कि एक पोलिंग स्टेशन है, वहां पर दो ढ़ाई हजार की पोलिंग है तो वह दो ढाई घंटे में ख़त्म हो जायगी अगर उसमें दो ढ़ाई घंटे गिनने में और दे दिये जायं तो अच्छा होगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि एक माननीय सदस्य ने यहां तक कहा कि इसमें क्या हर्ज़ है कि अगर बाक्स को बोरे में बन्द कर दिया जाय, लेकिन उनकी बात को न माना गया। मैं तो समझता हूं कि हार और जीत इतना महत्व नहीं रखती है जितना कि जनता का विश्वास कायम रखना होता है। जनता को इस बात का विश्वास होना चाहिये कि हमने जो वोट दिये हैं उनमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। मुझे आज अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि जनता में आज यह भावना पैदा हो गई है कि वोटिंग होते वक्त तो किसी को वोट ज्यादा दिये जाते हैं और वोट की गिनती होते समय किसी की जीत होती है

विजय और पराजय कोई महत्वपूर्ण चीजें नहीं है लेकिन जनता का प्रजातन्त्र पर विश्वास कायम रखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। जहां कहीं भी वोटिंग होती है तो सरकार को इस बात का एलान कर देना चाहिये कि उसकी गणना उसी वक्त होगी, अगर दो ढाई हज़ार की वोटिंग है। ऐसी हालत में मैं माननीय मंत्री जी से यह नम्र निवेदन करूंगा कि किसी व्यक्ति को किसी स कोई शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा। और हर ज़िले के लोगों को विश्वास हो जायगा कि जो नतीजा निकला वह सही निकला और बैलट बाक्स उस वक्त मौजूद थे। ऐसी हालत में माना कि आपकी विजय हुई तो वह जो विजय होगी उस विजय का मारेल असर जनता के ऊपर कई गुना अच्छा होगा बजाय इसके कि लोग बराबर यह महसूस करते चले जायं कि लीजिये साहब इस तरह से यह चीज़ की गई है। तो जो संशोधन पेश किया गया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आम जनता की यही ख्वाहिश है कि इस तरह से काउन्टिंग की जाय और यह स्वाभाविक है कि इस तरह से जनता पर अच्छा असर पड़ेगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस संशोधन को अवश्य स्वीकार करेगा।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन हमारे भाई प्रभु नारायण जी ने पेश किया है मैं तो समझता हूं कि यह बिल्कुल इम्प्रैक्टिकेबल है। उनका यह कहना है कि चुनाव के दो घंटे के बाद ही काउन्टिंग शुरू हो जाय, मैं समझता हूं कि यह किसी तरह से भी सम्भव नहीं हो सकता है। इलेक्शन जब होता है तो क़ायदा यह है कि सुबह ८ बजे से लेकर शाम के ५ या ६ बजे तक पोलिंग होती है और बीच में एक घंटे या दो घंटे का इन्टरवेल होता है, ५, ६ बजे चुनाव समाप्त होता है और दो तीन घंटे बक्सों के ठीक करने में, सील करने में, उनकी सील देखने वग़ैरह में लग जाया करते हैं यह उसकी प्रेक्टिकल साइड है, और इस तरह से ८, ९ बज जाते हैं उनको काम खत्म करने में। अब आप यह उम्मीद करें कि ९ बजे के बाद वहां काउन्टिंग शुरू हो और सुबह चार बजे तक होती रहे तो यह किसी भी सूरत से मुनासिब और मुमकिन नहीं है। श्री राजाराम जी ने यह बताया कि हर पोलिंग पर एक हजार या दो हजार वोटर होंगे तो ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि जो छोटे-छोटे म्युनिसिपल बोर्ड हों उनमें एक हज़ार या दो हज़ार वोट हों, लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो बड़े-बड़े शहर हैं जैसे कि बरेली, इलाहाबाद, वग़ैरह उनमें वोट्स की संख्या कहीं अधिक होगी। मैं अपने ज़िले के बारे में ही कहता हूं। बरेली शहर में वहां की पापुलेशन करीब दो लाख की है तो वहां किस तरह से वोट उसी समय काउन्ट हो सकते हैं।

श्री राजा राम शास्त्री—वहां पोलिंग स्टेशन एक ही नहीं होगा बल्कि कई होंगे।

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—मैं मानता हूं कि ऐसे शहर ज्यादा नहीं होंगे लेकिन फिर भी ४ या ५ हजार से कम एक पोलिंग स्टेशन की वोट नहीं हो सकती हैं अब अगर ४, ५ हज़ार वोटर हो गये तो किसी सूरत से यह सम्भव नहीं हो सकता है कि पोलिंग स्टेशन की वोटिंग की काउन्टिंग उसी समय हो जाया करे। काउन्टिंग के अन्दर जो प्रैक्टिकेबल साइड है उसी को ले लीजिये। काउन्टिंग के अन्दर यह नहीं होता कि बाक्स खोले और गिनना शुरू कर दिया जाय। उसके अन्दर सारी फार्मिलिटी करनी पड़ती हैं, जो एजेन्ट साहब होते हैं उनको दिखाना पड़ता है, सभी के सामने सील को तोड़ना पड़ता है और भी फार्मिलिटीज होती हैं जिन्हें कि पूरा करना होता है। फिर जो इलेक्शन का वातावरण होता है वह बड़ा हेटेड होता है, लोग हजारों की संख्या में जमा रहते हैं और फिर जो पोलिंग स्टेशन होता है वह इतना छोटा होता है कि उसमें सभी लोग आ सकें और शान्ति के साथ वहां पर काउन्टिंग शुरू हो, असम्भव है। जो पोलिंग स्टेशन होते हैं वे या तो छोटी छोटी धर्मशालायें होती हैं या किसी का अपना प्राइवेट हाउस होता है और वहां पर यह काउन्टिंग की जाय इतनी छोटी जगहों में यह सम्भव नहीं है कि इतने आदमियों के बीच में काउन्टिंग

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

शुरू हो। मैं तो समझता हूं कि किसी भी सूरत से यह संशोधन प्रैक्टिकेबल नहीं है। अभी आपने यह कहा कि निष्पक्ष काउन्टिंग होनी चाहिये और बाद में फिर ऐसा हो, वैसा हो, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो हवाला दिया है कि फलां जगह में ऐसा हुआ वह सब बातें निर्मूल हैं और उनके अन्दर कोई सच्चाई नहीं है। जैसा कि अभी भाई राजा राम जी ने कहा कि फलां आदमी ने कहा कि मैं बक्स खोल सकता हूं और देख सकता हूं, तो इस तरह की बातें तो हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं कि कानपुर वाले कहते हैं कि लखनऊ में खोले गये, लखनऊ वाले कहते हैं कि इलाहाबाद में खोले गये और इलाहाबाद वाले कहते हैं कि बरेली में बक्से इस तरह से खोले गये। यह ऐसी बातें हम शुरू से ही सुनते आ रहे हैं और यह बिल्कुल ही निर्मूल हैं।

श्री राजा राम शास्त्री--लेकिन मैं जो कहता हूं वह अपने जिले की बात कह रहा हूं और वह बिल्कुल सही बात है और अपने आंखों देखी बात हम कह रहे हैं।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--मैं कम से कम अपने तजुर्बे से इस बात को भी सही नहीं मानता हूं। जहां तक इलेक्शन का सम्बन्ध है, मैं जनाबवाला यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो भारत के बड़े-बड़े लीडर हैं, जैसे कि श्यामा प्रसाद मुकर्जी आदि उन्होंने भी इस बात को ऐप्रीसियेट किया है कि जितनी निष्पक्षता एलेक्शन के अन्दर भारत में हुई है उतनी शायद कहीं पर भी नहीं हुई है और इतना फेयर इलेक्शन और कहीं नहीं हो सकता है। तो इसमें बड़े बड़े जिम्मेदार आदमी हैं और इस तरह के अधिकार लोगों के पास हैं। वैसे इलेक्शन में इस तरह की बातों को कह देना कि बक्से टूट गये और सील टूट गई, मैं समझता हूं कि बहुत आसान है और ये सब बातें भी वही लोग उड़ाते हैं जो कि इलेक्शन में हार गये हों। इस तरह की बातों को उड़ाना कि बक्से टूट गये या सील टूट गई, यह हारे हुये लोगों का काम है और इस तरह की बातें आज ही क्या हमेशा होती रहेंगी। जहां तक इलेक्शन जीतने का सवाल है मेरा यह विश्वास है कि कांग्रेस ने ९८ या ९९ प्रतिशत चुनाव जीते और जब कि आज भी लोग इसके लिये कहते हैं कि हमने जब कांग्रेस को वोट दिया तो ये लाल टोपी वाले जो थोड़े बहुत हैं, वे असेम्बली और कौंसिल में कैसे आ गये। हमारे भाई राजाराम जी को एक बात का विश्वास नहीं होता कि देहात वालों ने या गांव वालों ने किसे वोट दिया, इसके लिये मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने वोट चाहे किसी को भी दिया हो मगर जब उनसे यह पूछा गया कि उन्होंने किसको वोट दिया है, तो फिर चाहे उन्होंने कांग्रेस को ही वोट क्यों न दिया हो, यह कह दिया कि उन्होंने वोट उन्हीं को दिया है। चाहे वह कांग्रेस के तरफ के ही क्यों न हों, मगर उन्होंने आपसे कह दिया कि वोट आपको ही दिया गया है। मैं अपने यहां की बात बतलाता हूं कि मेरे यहां ८ बजे से चुनाव होने वाला था और दस बजे ही लोगों ने बाजार में इस तरह की खबर उड़ा दी कि कांग्रेस का कैन्डीडेट हार गया। तो जब इस तरह की बातें और अफ़वाह लोग पहले से ही उड़ा देते हैं तो फिर सील टूट गई और बक्स टूट गया आदि बातें तो उनके लिये बहुत साधारण हैं और इलेक्शन में इन बातों पर ज्यादा ध्यान भी नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन में ऐसी बातें होती हैं और होती रहेंगी चाहे फिर इलेक्शन के एक, दो घंटे के बाद ही आप काउंटिंग क्यों न कर लें। तो इसमें समय का कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यह आशा करता हूं कि प्रभुनारायण जी ने जो अपना संशोधन रखा है वे उसको वापस ले लेंगे क्योंकि इलेक्शन के अन्दर ये सब बातें असम्भव हैं।

श्री मोहन लाल गौतम--उपाध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को रखने में श्री प्रभुनारायण जी ने इस बात की कोशिश की है कि बैलट बाक्स पर विश्वास बना रहे और कहीं इस तरह से लोग उसे बदलने का अख्तियार न ले लें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि हर डेमोक्रेटिक स्टेट का यह फर्ज है कि वह इस बात की कोशिश करे कि लोगों पर और जनता पर उसका भरोसा रहे। जो यहां

कुछ बातें कही गई हैं कि बाक्स टूटे और टूट सकते हैं तो इन दोनों बातों में बड़ा फ़र्क है। क्योंकि अगर कोई होशियार जेब काटने वाला कहे कि हम तुम्हारी जेब अभी काट सकते हैं, तो उसके माने यह भी हो सकते हैं कि उसकी जेब काटी गई है। तो यह बहुत मुश्किल है। लोगों ने यह एलान किया है कि हम हार गये और वह हार गये और राजनैतिक पार्टियों में इसी आधार पर प्रस्ताव भी पास किये गये, लेकिन यह बात आज तक समझ में नहीं आई कि इतने हज़ारों वोटों का जो फ़र्क था वह कैसे हुआ। जिस तरह से काम हुआ वोट अलग अलग पड़े वार्ड्स रहे काफ़ी बाक्स इकठ्ठा हुये। उसमें यह कैसे हो सकता है कि हर एक पोलिंग स्टेशन पर बाक्स खुल जायं और दूसरे बक्सों में डाल दिये जायं और यह भी नहीं समझ में आता कि उस वक्त तक यह नहीं मालूम है कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है और कितने वोटों से हार रहा है तो किस तरह से वोट निकाले गये और कैसे दूसरे के बाक्स में डाले गये। यह एक आदमी का काम हो नहीं सकता है। तमाम सरकारी कर्मचारी थे अगर सब की कान्सपीरेसी हो तब भी उनको क्या जेल का डर नहीं था और जो गार्ड थे उनको भी मिलाना होता और यह भी नहीं कहा जा सकता है कि सबके सब कांग्रेस के लिये कोशिश करेंगे। मैं तो यह समझता हूं कि यह एक भ्रम है और सचाई कुछ समझ में नहीं आ सकती है। लोग कह सकते हैं कि बाक्स खुल सकते हैं लेकिन इसके लिये कम से कम कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी और वह काम वर्क आउट किया जाय यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिये मैं यह नहीं समझता कि किसी भी केस में एसा हुआ है, कि किसी का वोट निकाल कर दूसरे में डाल दिया गया हो। यह मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं अगर ऐसा होता तो बड़े-बड़े आदमी हार न जाते। बहुत से मिनिस्टर हार गये। जो मिसाल राजा राम जी ने दी उससे तो और भ्रम होता है। एक साहब आये और उन्होंने कहा कि बक्स खोल सकता हूं, राजा राम जी सीधे-साधे आदमी हैं ईमानदार हैं वह यह नहीं समझ पाये कि वह पैसे लेने आया था और उनकी दलील से यह नहीं साबित होता है कि वह खुले भी। इसलिये इस सिलसिले में जब बहस पार्लियामेंट में हो रही थी तो उस समय जैसा कि एक सदस्य ने कहा कि विरोधी पक्ष के बड़े-बड़े लोग जैसे डा० अम्बेदकर, डा० श्यामा प्रसाद मुखरजी आदि उन्होंने इस की प्रशंसा की कि जो चुनाव हुये हैं वह ऐसे ढंग से हुये हैं कि और कहीं नहीं हुये।

श्री राजा राम शास्त्री—मैंने भी असेम्बली में सरकार को बधाई दी थी।

श्री मोहन लाल गौतम—धन्यवाद, मुझे पूरा विश्वास है कि म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन में आपके हारने की गुंजाइश न रहेगी। आप दूसरी तरफ़ प्रैक्टेकिल साईड देखें एलेक्शन सुबह ८ बजे से शुरू होता है और इन्तजाम करने वाले को सुबह से ही आ जाना पड़ता है और पुलिस वालों को तो कहीं-कहीं रात से ही रहना पड़ता ह क्योंकि झगड़े की संभावना हो जाती है। लोग वोटर्स को सोने ही नहीं देते हैं और पोलिंग शाम को ५ बजे तक होती है और उस समय भी ऐसा होता है कि कुछ लोग देर से आते ह और वह परेशान होते हैं और पूछते हैं कि हमारा वोट लिया जायेगा या नहीं उनम एक तरह का एक्साईटमेंट होता है और वह चाहता है कि हमारा वोट ले लिया जाय। वहां पर आपने बक्सों को अच्छी तरह से महफ़ूज़ रखने और उन को ले जान का जो प्रश्न उठाया है उस के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि उस वक्त वोटर्स मौजूद होते हैं। उन म एक्साइटमेंट मौजूद होता है उस एक्साइटमेंट में लोग तरह-तरह के नामुनासिब काम करने के लिये तैयार होते हैं। उस वक्त अगर वोटिंग हो जाये, तो आफिसर्स कुछ थके होते हैं, पुलिस वाल थके होते हैं, वहां जगह भी कोई ऐसी नहीं है जहां घेरा डालकर आप काम कर सकें। उस वक्त वोटिंग के सिलसिल में झगड़ा हो सकता है, और दूसरे किस्म की गड़बड़ी हो सकती ह। फिर आप कहेंगे कि हम तो जीत रहे थे, कांग्रेस वालों ने झगड़ा करा दिया। इसलिये काउन्टिंग ऐसी जगह पर होना चाहिये जो सुरक्षित हो। वहां कैन्डीडेट्स या उनके एजन्ट्स जा सकते हैं और काउन्टिंग के समय मौजूद रह सकते हैं। जब तक यह न होगा तब तक बैलट बाक्सेज पर विश्वास नहीं रहेगा। राजा राम जी ने कहा कि तीन दिन तक

[श्री मोहन लाल गौतम]

वह जीत रहे थे उसके बाद हारना शुरू किया। मुझे मिसालें मालूम हैं, शायद आपको भी मालूम होगा उपाध्यक्ष महोदय कि एलेक्शन समाप्त होने से थोड़ा पहले ही एक साहबान गले में माला डलवाकर जलूस के साथ यह कहते हुये निकल पड़े कि हम जीत गये और जब काउंटिंग हुई तब मालूम हुआ कि ५० वोट से हार गये। यह भ्रम थोड़ी देर तक पोलिंग के बाद भी रहता है। वाक़या यह है कि आज का वोटर भी इतना होशियार हो गया है कि वह पता भी नहीं देता। सब से कहता है कि हमने आपको वोट दिया है।

इसलिये मैं समझता हूं कि मूवर साहब अपने संशोधन को वापस ले लें। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा था उसका एक ख़ास मक़सद यह था कि काउंटिंग के सिलसिले में जितनी एहतियात बरती जा सके वह बरती जाये। जिस स्थान पर पोलिंग हो उसी स्थान पर दो घंटे के बाद काउन्टिंग हो जाये जिससे कोई शुबहा की गुंजाइश न रहे। इस सिलसिले में जो दलीलें हमको मिलीं उस से यह मालूम हुआ कि सरकारी पक्ष के द्वारा शायद यह समझा गया कि एलेक्शन में वोट्स की बंगलिंग के संबंध में शिक़ायत की है। मैंने शायद यह बात नहीं कही थी। मैंने केवल यह बात कही थी कि पिछले एलेक्शन का तजुर्बा ऐसा है जिससे मालूम होता है कि बक्स टूट जाते हैं, ख़राब होने की वजह से और उसमें बंगलिंग होने की गुंजाइश है। इसके बाद यह सवाल उठता है कि साहब यह जो टूटने की बातें हैं यह सही नहीं है, और इस सिलसिले में बोलते हुये राजा राम जी ने उदाहरण के तौर पर जो बातें बताई, सरकारी पक्ष के एकाध माननीय सदस्यों को शायद राजा राम जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। ख़ैर यह उनकी बात है। वह किसी भी माननीय सदस्य का कहना न करें। वे कोई स्टेटमेंट दें, इस बात का स्टेटमेंट दें कि यह बात ऐसी रही तो हमारे जैसे लोग उसे अवश्य मान लेंगे कि वे एक ज़िम्मेदार व्यक्ति हैं और ज़िम्मेदारी के साथ कुछ कहते हैं। मैं यह ज़रूर कहना चाहता हूं साफ तौर से कि पिछले एलेक्शन में जिस तरह से बाक्सेज बने वे डिफ़ेक्टिव थे और बाक्सेज टूटे। ख़ुद मेरी कान्स्टीट्यूयेन्सी में जिस कान्स्टीटुएन्सी से मैं पार्लियामेंट के लिये खड़ा हुआ था वहां पर कांग्रेस कैन्डीडेट ने शिकायत की कि बाक्सेज टूटे हैं? इस तरह से १८ पोलिंग स्टेशनों पर फिर से पोलिंग हुआ। यह कहना कि बाक्सेज नहीं टूटे लेकिन कांग्रेस कैन्डीडेट के ही कहने से वहां पर ऐसा हुआ। मैंने कभी भी नहीं कहा कि तोड़े गये। हम लोगों ने इसलिये एतराज़ नहीं किया कि कपड़े में बाक्सेज रखे जाते थे और तौलिये में रखकर वे बाक्सेज पहुंचाये जाते थ। उस समय रिटर्निंग आफिसर जो थे उनसे माननीय मंत्री जी बात करें तो उनको मालूम होगा कि किस तरह से बाक्सेज उठाये जाते थे और किस तरह से गिने जाते थे। मेरा कहना है कि बाक्सेज टूटे। वे कैसे टूटे मैं इसको नहीं कह सकता जब कभी इस तरह का सवाल उठा कि बाक्सेज टूटने की वजह से हार जीत हुई तो हमने हमेशा वहां पर कहा कि जनता को जिस तरह से वोट देना चाहिये था नहीं दिया। अपने साथियों और अपने कार्यकर्ताओं को समझाते थे कि यह भावना पैदा हो कि सरकार या सरकार की पार्टी इस तरह की कोशिश नहीं कर सकती है कि बाक्सेज तुड़वाकर उसमें से कुछ बैलेट पेपर निकाल ले क्योंकि इस तरह से जनता का मन डैमोक्रेसी से हट जायेगा। हमारी पार्टी के नेता श्री जयप्रकाश ने कहा था कि एलेक्शन फ़ेयर हुआ है। इसका मतलब यह था कि लोगों का मन और यकीन डैमोक्रेसी से उठने न पावे। इस वजह से कहा। तो हम कहना चाहते हैं कि पिछले एलेक्शन में ऐसी बातें हुईं जिसमें बाक्सेज टूटे। बाक्सेज कैसे टूटे इस बात को देखने के लिये सरकार इन्क्वायरी कमेटी बैठाये। गवर्नमेंट इन्क्वायरी कमेटी बैठाये और वह देखे कि बाक्सेज कैसे टूटे। बाक्सेज हमारी आंखों के सामने टूटे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। पिछले एलेक्शन में जो हार जीत हुई उसको हम मान लेते हैं लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पेचीदे हैं। बाक्सेज के संबंध में हमारी तरफ़ से कोई एलीगेशन नहीं है पिछले एलेक्शन में बाक्सेज टूटे और बैंगलिंग की गुंजाइश हुई थी। उस पोलिंग स्टेशन पर दो घंटे के बाद री काउन्ट किया जाय। हमारा मकसद इस अमेंडमेंट से यह है कि जो नियम बनाये जायं उस सिलसिले में ऐसी एहतियात बरती जाय

[श्री मोहन लाल गौतम]

वह जीत रहे थे उसके बाद हारना शुरू किया। मुझे मिसालें मालूम हैं, शायद आपको भी मालूम होगा उपाध्यक्ष महोदय कि एलेक्शन समाप्त होने से थोड़ा पहले ही एक साहबान गले में माला डलवाकर जलूस के साथ यह कहते हुये निकल पड़े कि हम जीत गये और जब काउंटिंग हुई तब मालूम हुआ कि ५० वोट से हार गये। यह भ्रम थोड़ी देर तक पोलिंग के बाद भी रहता है। वाक़या यह है कि आज का वोटर भी इतना होशियार हो गया है कि वह पता भी नहीं देता। सब से कहता है कि हमने आपको वोट दिया है।

इसलिये मैं समझता हूं कि मूवर साहब अपने संशोधन को वापस ले लें। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह——माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन रखा था उसका एक ख़ास मक़सद यह था कि काउंटिंग के सिलसिले में जितनी एहतियात बरती जा सके वह बरती जाये। जिस स्थान पर पोलिंग हो उसी स्थान पर दो घंटे के बाद काउन्टिंग हो जाये जिससे कोई शुबहा की गुंजाइश न रहे। इस सिलसिले में जो दलीलें हमको मिलीं उस से यह मालूम हुआ कि सरकारी पक्ष के द्वारा शायद यह समझा गया कि एलेक्शन में वोट्स की बंगलिंग के संबंध में शिक़ायत की है। मैंने शायद यह बात नहीं कही थी। मैंने केवल यह बात कही थी कि पिछले एलेक्शन का तजुर्बा ऐसा है जिससे मालूम होता है कि बक्स टूट जाते हैं, खराब होने की वजह से और उसमें बंगलिंग होने की गुंजाइश है। इसके बाद यह सवाल उठता है कि साहब यह जो टूटने की बातें हैं यह सही नहीं है, और इस सिलसिले में बोलते हुये राजा राम जी ने उदाहरण के तौर पर जो बातें बताईं, सरकारी पक्ष के एकाध माननीय सदस्यों को शायद राजा राम जी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। ख़ैर यह उनकी बात है। वह किसी भी माननीय सदस्य का कहना न करें। वे कोई स्टेटमेंट दें, इस बात का स्टेटमेंट दें कि यह बात ऐसी रही तो हमारे जैसे लोग उसे अवश्य मान लेंगे कि वे एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी के साथ कुछ कहते हैं। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं साफ तौर से कि पिछले एलेक्शन में जिस तरह से बाक्सेज बने वे डिफ़ेक्टिव थे और बाक्सेज टूटे। खुद मेरी कान्स्टीट्यूयेन्सी में जिस कान्स्टीटुएन्सी से मैं पार्लियामेंट के लिये खड़ा हुआ था वहां पर कांग्रेस कैन्डीडेट ने शिकायत की कि बाक्सेज टूटे हैं? इस तरह से १८ पोलिंग स्टेशनों पर फिर से पोलिंग हुआ। यह कहना कि बाक्सेज नहीं टूटे लेकिन कांग्रेस कैन्डीडेट के ही कहने से वहां पर ऐसा हुआ। मैंने कभी भी नहीं कहा कि तोड़े गये। हम लोगों ने इसलिये एतराज नहीं किया कि कपड़े में बाक्सेज रखे जाते थे और तौलिये में रखकर वे बाक्सेज पहुंचाये जाते थ। उस समय रिटर्निग आफिसर जो थे उनसे माननीय मंत्री जी बात करें तो उनको मालूम होगा कि किस तरह से बाक्सेज उठाये जाते थे और किस तरह से गिने जाते थे। मेरा कहना है कि बाक्सेज टूटे। वे कैसे टूटे मैं इसको नहीं कह सकता जब कभी इस तरह का सवाल उठा कि बाक्सेज टूटने की वजह से हार जीत हुई तो हमने हमेशा वहां पर कहा कि जनता को जिस तरह से वोट देना चाहिये था नहीं दिया। अपने साथियों और अपने कार्यकर्ताओं को समझाते थे कि यह भावना पैदा हो कि सरकार या सरकार की पार्टी इस तरह की कोशिश नहीं कर सकती है कि बाक्सेज तुड़वाकर उसमें से कुछ बैलेट पेपर निकाल ले क्योंकि इस तरह से जनता का मन डैमोक्रेसी से हट जायेगा। हमारी पार्टी के नेता श्री जयप्रकाश ने कहा था कि एलेक्शन फ़ेयर हुआ है। इसका मतलब यह था कि लोगों का मन और यकीन डैमोक्रेसी से उठने न पावे। इस वजह से कहा। तो हम कहना चाहते हैं कि पिछले एलेक्शन में ऐसी बातें हुईं जिसमें बाक्सेज टूटे। बाक्सेज कैसे टूटे इस बात को देखने के लिये सरकार इन्क्वायरी कमेटी बैठाये। गवर्नमेंट इन्क्वायरी कमेटी बैठाये और वह देखे कि बाक्सेज कैसे टूटे। बाक्सेज हमारी आंखों के सामने टूटे जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। पिछले एलेक्शन में जो हार जीत हुई उसको हम मान लेते हैं लेकिन बहुत से ऐसे सवाल हैं जो पेचीदे हैं। बाक्सेज के संबंध में हमारी तरफ़ से कोई एलीगेशन नहीं है पिछले एलेक्शन में बाक्सेज टूटे और बैंगलिंग की गुंजाइश हुई थी। उस पोलिंग स्टेशन पर दो घंटे के बाद री काउन्ट किया जाय। हमारा मकसद इस अमेंडमेंट से यह है कि जो नियम बनाये जायं उस सिलसिले में ऐसी एहतियात बरती जाय

कि कोई दिक्कत न हो। और किसी को इस माने में कि बैलेट बाक्सेज टैम्पर किये हुए हैं शुबहा न रह जाना चाहिये। अगर बैलेट बाक्सेज के टैम्परविधि के संबंध में शुबहा बढ़ता जायगा तो लोगों का विश्वास डिमोक्रेसी से उठता जायगा। हम भी उस रास्ते के खिलाफ़ हैं जिसके ज़रिये से आज कुछ पार्टीज हुकूमत को हाथ में लेना चाहती हैं और इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि लोगों का विश्वास डिमोक्रेसी से न हटने पावे। चूंकि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है कि वे और उनका डिपार्टमेंट इस बात को सोचेगा कि किस तरह से फ़ेयर एलेक्शन हो सकता है और जो दिक्कतें हैं वह दूर होंगी इसलिये मैं अपना अमेंडमेंट वापस लेता हूं :

डिप्टी चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

डिप्टी चेयरमैन—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड--१०

१०—मूल अधिनियम की धारा २५ में से उपधारा (३) निकाल दी जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २५ का संशोधन।

श्री प्रभु नारायण सिंह—मेरा प्रस्ताव यह है कि खंड १० निकाल दिया जाय।

श्री मोहन लाल गौतम—यह हमने जो अभी क्लाज ९ एक्सेप्ट कर लिया है उसमें इसके लिये १३-एच, में यह प्राविजन हो गया है कि–

13-H (1)Subject to the provisions of sub-section (2) and section 13-I, when the seat of a member elected to a board becomes vacant or is declared vacant of his election is declared void, the District Magistrate shall, in consultation with the board, by a notification in the official Gazette, call upon the ward concerned to elect a person for the purpose of filling the vacancy caused before such date as may be specified in the notification and the provisions of this act and of the rules and order made thereunder, shall apply. as far as may be, in relation to the election of a member to fill such vacancy.

13H (2). If the vacancy so called be a vacancy in any such ward for the Scheduled castes, the notification issued under sub-section (1) shall specify that the person to fill that seat shall belong to the scheduled castes.

तो यह प्रोसेज जो है कि किस तरह से बाई एलेक्शन होगा इसको हमने मंजूर कर लिया है। २५-(३) में यह लिखा है।

"In the event of the court declaring a casual vacancy to have been created, it shall direct the board to take proceedings for filling the vacancy".

तो जहां तक वेकेंसी को फ़िल करने का सवाल है वह १३ एच में आ गया है इसको अगर आप नहीं निकालेंगे तो यह दोनों चीजें नहीं हो सकती है और इस वक्त जो प्रोसेज वेकैन्सी को फ़िल करने का है उसको हम मंजूर कर चुके है इसलिये यह अमेंडमेंट आर्डर में नहीं है।

श्री प्रभु नारायण सिंह--मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

डिप्टी चेयरमैन--क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

यू० पी० ऐक्ट, २, १९१६ की धारा २९ और २९-ए का निकाल दिया जाना।

११--मूल अधिनियम की धारा २९ और २९-ए निकाल दी जायं।

डिप्टी चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड ११ इस बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड १२

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३१-ए का संशोधन।

१२--मूल अधिनियम की धारा ३१ के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय--

Consequences of supersession of board.

31. When a board is superseded under section 30, the following consequences shall follow—

(*a*) all members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination ;

(*b*) such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall, so long as the supersession of the board lasts, exercise and perform so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes, and

(*c*) a fresh board shall be constituted with effect from the date of expiry of the period of supersession as though the term fixed under section 10-A had expired.

श्री प्रभु नारायण सिंह--श्रीमान्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि प्रस्तावित धारा ३१ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

"Provided that the maximum period of the supersession will not be more than six months".

यह जो सेक्शन है इसमें गवर्नमेंट को सुपरसीड की पावर दी जाती है मैं यह कहना चाहता हूं इसके सम्बन्ध में कि जो बोर्ड बनाने की बात है तो जहां तक बोर्ड को अपने हाथ में लेने की बात है उसको गवर्नमेंट को ६ महीने से ज्यादा अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। आज यह हो रहा है कि गवर्नमेंट जब कोई बोर्ड अपने हाथ में लेती है सुपरसीड करती है तो बर्षों तक उसे अपने हाथ में रक्खे रहती है। मैं समझता हूं कि डेमोक्रेसी के तरीक़े से यह बात ठीक नहीं है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जो सुपरसीड किया जाये वह ६ महीने से ज्यादा न किया जाये। यदि कोई बोर्ड मुअत्तिल किया जाता है तो ६ महीने से ज्यादा अधिकार न होना चाहिये कि उसको गवर्नमेंट अपने हाथों में रक्खे। तो इसमें ६ महीने की बन्दिश कर दी जाये।

श्री मोहनलाल गौतम--यह जो अमेंडमेंट मूव किया गया है और जिस जरूरत से यह किया गया है वह मेरे ख्याल में अगर दूसरा सेक्शन भी इसके साथ में पढ़ लिया जाय तो एक हद तक वह बात पूरी हो सकती है। जो बोर्ड डिजाल्व किया जायेगा उसका तो एलेक्शन फ़ौरन करवाया जायेगा। लेकिन कुछ हालतें ऐसी हो सकती हैं कि फ़ौरन एलेक्शन न कराया जा सके और कुछ जांच वग़ैरह करने की जरूरत हो तो उसको सुपरसीड किया जायेगा और ऐसी हालत में ६ महीने काफ़ी नहीं होगा। डिजाल्व करने में तो फ़ौरन ही एलेक्शन कराया जायेगा और सुपरसीड करने में कुछ समय लग जायेगा। तो मेरे ख्याल में श्री प्रभु नारायण जी इसमें ज्यादा जोर न देंगे।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सुपरसीड करने का सवाल है तो बोर्ड उस वक्त सुपरसीड किया जाता है जब इन्तज़ाम करने में कुछ गड़बड़ी होती है। इसलिये इस चीज को समझते हुये कि डिजाल्व करने के बाद फ़ौरन एलेक्शन होगा लेकिन जब सुपरसीड की बात आती है तब आप समझते हैं कि इसके इन्तज़ाम करने में कुछ गड़बड़ी हुई है। इसमें आपको जांच करने की जरूरत है, या कमियों को पूरा करने की जरूरत है। तो मैं इस बात को समझता हूं कि आप ६ महीने के अन्दर पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। तमाम आफ़िशल डिफ़ैक्टस जो हैं वह ६ महीने के अन्दर ऐडमिनिस्ट्रेटर पूरा कर सकता है। अगर आप उस अवधि को और बढ़ाना चाहते हैं तो क्या आप यह समझते हैं कि आपका ऐडमिनिस्ट्रेटर तो उसको पूरा कर सकता है, लेकिन चुना हुआ बोर्ड उसको पूरा नहीं कर सकता है। आप उसकी दिक्क़तों को समझिये और जो दूर करने का सवाल है उसको दूर कीजिये। इसीलिये समझता हूं कि इसको ६ महीने कर दिया जाये।

श्री मोहन लाल गौतम--मेरे ख्याल में अभी तक जो बोर्ड सुपरसीड किये गये हैं उनका नतीजा बेहतर हुआ है। खराब नहीं हुआ है। कितनी ही जगहों पर बोर्ड के सुपरसीड होने के बाद जनता ने उसका स्वागत किया है। कितनी ही जगहों पर जनता ने मांग की है कि हमारे यहां के बोर्ड को सुपरसीड किया जाय इसलिये कि वहां का इन्तज़ाम खराब है वह समझते हैं कि इस तरह से इन्तज़ाम नहीं चलना चाहिए। जहां तक ६ महीने की बात है तो भाई प्रभु नारायण सिंह जी यदि किसी बोर्ड के मेम्बर होते और उनके सामने ये दिक्कतें होतीं तो वह बिल्कुल इस तरह का संशोधन नहीं रखते। अगर कोई बोर्ड इनसोलवेन्ट हो जाय या उस पर लाखों रुपया कर्ज़ा हो जाय और उसको रिफ़न्ड न कर सके तो क्या किया जाय। जब उनसे पूछते हैं कि आपने यह रुपया क्यों वापस नहीं किया तो वह कह देते हैं कि हमारे पास नहीं है। एक बोर्ड ऐसा है जिसने कई हज़ार रुपया जिस मद के लिये वसूल किया उसमें वह खर्च नहीं किया। पानी के लिये ही देखिये जो पानी का इन्तज़ाम करते हैं वह दूसरा है और जो टैक्स वसूल करते हैं वह दूसरा है। बहुत से अनअथाराइज कन्सट्रक्शन कर देते हैं। म्यूनिसिपल बोर्ड के मेम्बर कहते हैं कि इनका बनाना मुश्किल है तो इस तरह से जो चुने हुये मेम्बर हैं वे परेशानी में पड़ जाते हैं। इसी आधार पर हमने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को बनाया है हालांकि वह नामिनेटिड बाडी है।

(इस समय, ४ बजकर २७ मिनट पर, चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

तो इस तरह की दिक्कतें आयेंगी जिनकी वजह से वह ६ महीने में पूरा नहीं हो सकता। या तो डिजाल्व करा के बोर्ड का फिर से इलेक्शन कर दिया जाय या उसको सुपरसीड कर दिया जाय और उसको अच्छा किया जाय। इन बातों को देखते हुये यह अमेंडमेंट ठीक नहीं है और इसको मंजूर नहीं करना चाहिए।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय मंत्री जी ने जो दलील दी है उससे मालूम होता है कि डिक्टेटरशिप से हर जगह काम कर दिया जाय तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है।

श्री मोहन लाल गौतम--आपने पहले इसको पेश किया और उसका जवाब दिया जा चुका है फिर यह दोबारा भी हो चुका है। अब आप तीसरी बार बोल रहे हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--मुझे राइट आफ़ रिप्लाई मिलना चाहिए।

चेयरमैन--हमारे नियमों के मुताबिक यह मिनिस्टर साहब का अन्तिम उत्तर है, यदि वह पहले भी बोल चुके हों। पहले आपने इसे मूव किया है उसके बाद फिर आपने जवाब दिया है इसके बाद आप नहीं बोल सकते हैं।

प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा ३१ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

"Provided that the maximum period of the suprsession will not be more than six months."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजा राम शास्त्री--मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि धारा ३१ पर कुछ कहना हो और यदि संशोधन गिर गया हो तो फिर उसके बाद कह सकते हैं या नहीं।

चेयरमैन--इसमें प्रक्रिया यह है कि अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोई खंड़ न रखा जाय तो उसके खिलाफ वोट दे सकते हैं। जब यह खंड सदन के सामने उपस्थित किया जायगा तो इसके विरुद्ध वोट दे सकते हैं। संशोधन पेश होने के बाद आप पूरे खंड पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। उस पर तो डिस्कशन हो चुका है। अब तीसरी पढ़त में आप अपनी राय दे सकते हैं। इस वक्त आप संशोधन पर ही बहस कर सकते हैं। खंड पास किया जाय या न किया जाय इस पर आप केवल वोट दे सकते हैं।

प्रश्न यह है कि खंड १२ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३१ में संशोधन

१३--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३१-ए के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय--

consequences of dissolution of board.

31-A. When a board is dissolved under section 30, the folllowing consequences shall follow—

(*a*) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) where the State Government so directs, the Prisedent also, shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their elegibility for re-election or renomination: and

(*b*) the election or nomination of the members or the President, as may be necessary, shall be held or made, as the case may be,

(i) in a case referred to in sub-clause (i) of clause (*a*) above as though there had been casual vacancies and

(ii) in a case refered to in sub-clause (ii) of clause(a)

(*b*) above as though the term of the board fixed under section 10-A had expired.

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय मंत्री जी ने जो दलील दी है उससे मालूम होता है कि डिक्टेटरशिप से हर जगह काम कर दिया जाय तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है।

श्री मोहन लाल गौतम--आपने पहले इसको पेश किया और उसका जवाब दिया जा चुका है फिर यह दोबारा भी हो चुका है। अब आप तीसरी बार बोल रहे हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--मुझे राइट आफ़ रिप्लाई मिलना चाहिए।

चेयरमैन--हमारे नियमों के मुताबिक यह मिनिस्टर साहब का अन्तिम उत्तर है, यदि वह पहले भी बोल चुके हों। पहले आपने इसे मूव किया है उसके बाद फिर आपने जवाब दिया है इसके बाद आप नहीं बोल सकते हैं।

यू० पी० २, की धा और का दिया

प्रश्न यह है कि प्रस्तावित धारा ३१ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

"Provided that the maximum period of the suprsession will not be more than six months."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

यू० ८ २, १ बार का र

श्री राजा राम शास्त्री--मैं यह जानना चाहता हूं कि यदि धारा ३१ पर कुछ कहना हो और यदि संशोधन गिर गया हो तो फिर उसके बाद कह सकते हैं या नहीं।

चेयरमैन--इसमें प्रक्रिया यह है कि अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि कोई खंड न रखा जाय तो उसके खिलाफ वोट दे सकते हैं। जब यह खंड सदन के सामने उपस्थित किया जायगा तो इसके विरुद्ध वोट दे सकते हैं। संशोधन पेश होने के बाद आप पूरे खंड पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। उस पर तो डिस्कशन हो चुका है। अब तीसरी पढ़त में आप अपनी राय दे सकते हैं। इस वक्त आप संशोधन पर ही बहस कर सकते हैं। खंड पास किया जाय या न किया जाय इस पर आप केवल वोट दे सकते हैं।

प्रश्न यह है कि खंड १२ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १३

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३१ में संशोधन

Consequences of dissolution of board.

१३--मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३१-ए के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय--

31-A. When a board is dissolved under section 30, the folllowing consequences shall follow—

(*a*) all members of the board—

(i) but not the President, or

(ii) where the State Government so directs, the Prisedent also, shall on a date to be specified in the order vacate their respective offices but without prejudice to their elegibility for re-election or renomination: and

(*b*) the election or nomination of the members or the President, as may be necessary, shall be held or made, as the case may be

(i) in a case referred to in sub-clause (i) of clause (*a*) above as though there had been casual vacancies and

(ii) in a case refered to in sub-clause (ii) of clause (*a*)

(*b*) above as though the term of the board fixed under section 10-A had expired.

श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन ३२ को मूव नहीं करना चाहता हूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन यह है कि प्रस्तावित धारा ३१ (A) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य लगा दिया जाय—

"Provided that fresh elections will be held within six months".

इसमें मैं यह चाहता हूं कि बोर्ड के डिजाल्व होने के ६ महीने के बाद चुनाव हो जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें माननीय मंत्री जी को कोई दिक्कत मंजूर करने में नहीं होगी। यह बोर्ड के सुधार के सिलसिले में ही कहा गया है कि बोर्ड के डिजाल्व होने के ६ महीने के बाद नया चुनाव होना चाहिए।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में कुछ भ्रम है इसलिये मैं धारा ३१–ए को पढ़ देना चाहता हूं।

"In a case referred to in sub-clause (ii) of clause (a) above as though the term of the board fixed under section 10-A had expired".

१०–ए–में दिया हुआ है कि जब बोर्ड का टर्म खत्म हो तो नया चुनाव हो। इसमें ६ महीने का सवाल ही नहीं उठता है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो बोर्ड के डिजाल्व होने के बाद दो साल का टाइम रखा गया उसके क्या माने हैं। उसके बाद नया एलेक्शन होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—इसके दो तरीके हैं एक तो वह है जो कि सुपरसीड हुये और बहुत से उसमें हटा दिये गये और दूसरे ऐडमिनिस्ट्रेटर हुये। डीजाल्व के माने यह हैं कि ज्यों ही बोर्ड डिजाल्व हो फौरन ही इलेक्शन हो जायें ताकि दूसरा बोर्ड आ सके और उसका चार्ज ले सके और जिस वक्त डिजाल्व होगा उस वक्त ही इलेक्शन की तारीख मुक़र्रर होगी।

श्री प्रभु नारायण सिंह—यदि वह एक्स्पलेनेशन हो जाय उस चीज का जो कि १३ (१) (बी) में दिया हुआ है इलेक्शन भी हो सकते हैं और नामिनेशन भी हो सकते हैं तो इसमें दोनों बातें रक्खी गई हैं। अब यदि नामिनेशन की बात है तब तो मुझे अपने एमडमेंट वापस करने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर इलेक्शन की बात है तो क्या उसमें नामिनेशन का सवाल भी पैदा हो सकता है अगर यह बात है तो मैं अपना अमेंडमेंट प्रेस करूंगा।

श्री मोहन लाल गौतम—जहां नामिनेशन है वहां नामिनेशन होगा और जहां इलक्शन है वहां इलेक्शन ही होगा। नामिनेशन तो पापुलेशन के बारे में है वह तो दूसरी चीज है और वह नैनीताल वग़ैरह जैसे इलाकों के लिये ही है।

श्री प्रभु नारायण सिंह—तब मैं अपना अमेंडमेंट वापस लेता हूं।

चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि यह संशोधन वापस लिया जाय ?

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १३ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १४-१६

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३४ का संशोधन।

१४—मूल अधिनियम की धारा ३४ की उपधारा (४) में—

(१) शब्द और संख्या "sub-section (1)" के स्थान पर शब्द और संख्या "sub-section (1), (1-A) or (1-B)" रख दिये जायं; और

(२) शब्द "said" और "to" के बीच में शब्द "sub-section" के स्थान पर शब्द "sub-sections" रक्खा जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३५ का संशोधन।

१५—मूल अधिनियम की धारा ३५ की—

(१) उपधारा (१) में शब्द "enactment" और "the" के बीच में शब्द "or in carrying out any order made or direction issued by the State Government in exercise of any power conferred by this Act or any other enactment" रख दिये जायं।

(२) उपधारा (२) में :

(क) शब्द "performed" और "with in" के बीच में शब्द "or the order or direction is not carried out" रख दिये जायं; और

(ख) शब्द "duty" और "shall" के बीच में शब्द "or executing the order or direction" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३८ का संशोधन।

१६—मूल अधिनियम की वर्तमान धारा ३८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय—

Term of office of members elected or nominated to fill casual vacancies.

"38. The term of the office of a member elected or nominated to fill a casual vacancy shall be for the remainder of his predecessor's term of office."

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १४, १५ और १६ बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४० का संशोधन।

१७—मूल अधिनियम की धारा ४० में—

(१) उपधारा (१) के खंड (बी) के शब्द और संख्या "sub-section (3) of section 14" के स्थान पर शब्द और संख्या "sections 12-D and 13-D" रक्खे जायं; और

(२) उपधारा (४) के बाद नई उपधारा (५) के रूप में निम्नलिखित रक्खा जाय—

"(5) TheState Government may place under suspension a member, *agantsi* whom proceeding under sub-sections (3) and (4) has been commenced, until the conclusion of the enquiry and any member who has been so suspended shall not so long as the order of suspension continues to remain in force, be entitled to take part in any proceedings of board or otherwise perform the duties of a member."

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा १७ में मैं जो संशोधन पेश करना चाहता हूं वह इस तरह से है :—

"प्रस्तावित उपधारा (५) की पंक्ति (१) में शब्द "may" और "Place" के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"If so desired by the majority of the board concerned".

इस संशोधन को पेश करने का मेरा अभिप्राय यह है कि यदि किसी बोर्ड के किसी मेम्बर को उसकी किसी गलती के कारण दंडित करने के लिये उसे सस्पेंड करने का सवाल पैदा होता है तो मुझे यह मालूम होता है कि गवर्नमेंट यह पावर अपने हाथ में लेना चाहती है। बोर्ड को चाहे यह बात मालूम हो चाहे न मालूम हो कि उसके किसी मेम्बर ने कोई कसूर किया है और उसे दंड दिया जाय लेकिन लखनऊ में सरकार को और उसके विभागों को पता चल जाता है कि वे उसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग शुरू करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि सचमुच बोर्ड के अन्दर अगर कोई खराबी होती है तो उसका उत्तरदायित्व बोर्ड को ही लेना चाहिये। ताकि मेम्बर को यह महसूस हो जाय कि उसने फलां ग़लती की है और उसके लिये उसको सस्पेंड होना पड़ा। इसके अलावा जो म्युनिसिपल बोर्ड है वह भी उन गल्तियों पर विचार करे और विचार करने के बाद अगर वह मुनासिब समझता है कि वास्तव में हमारे मेम्बर ने कोई ग़लती की है और उसके खिलाफ कोई ऐक्शन होना चाहिये। अगर यह नहीं होता तो मुझे अंदेशा है कि इस तरह की और चीजों के बारे में किन्हीं चीजों का दुरुपयोग तो न होने लग जाय। पार्टीबंदी होती है और सभी जगह होती है। मैं मानता हूं कि प्रजातंत्रवाद में क्या गल्तियां हो सकती हैं और मैं यह भी मानता हूं कि मेम्बरों की आदर्श भावनायें नहीं हैं लेकिन गलती होने का जो जिक्र है उसका होना भी स्वाभाविक है जैसे कि और बातों में कहा जाता है। इस तरह से कोई म्यूनिसिपल बोर्ड का मेम्बर ग़लती करता है और वहां का इन्तजाम अच्छा नहीं है, तो उसको चाहे कोई भी बात कहनी या करनी हो, तो मैं समझता हूं कि सब से ज्यादा मजबूत अथारिटी उसके लिये म्यूनिसिपल बोर्ड ही है और उसी को यह अधिकार पहले मिलना चाहिये कि वह उस मेम्बर का सेन्सर करे। वह इस बात का जवाब दे कि उसने फलानी गलती की है और उसके बाद जब मामला साफ हो जाय तब उस पर ऐक्शन होना चाहिये। अगर ऐसा नहीं है तो आज एक चीज बनती चली जाती है और लोग गल्तियों पर गल्तियां करते चले जाते हैं और फिर कहा जाय कि उसमें सुधार तो किये जा रहे ह, तो इस तरह से सुधार नहीं हो सकते हैं। इस तरह से उसका दुरुपयोग होगा। अगर ऐसी स्थिति हो जाय जसा मन कहा तो दुरुपयोग नहीं हो सकता है। यह बात इसलिये मैं कहता हूं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि दिमाग़ में यह भावना लोगों के आती जाती है कि डेमोक्रेसी का बहुत सी जगहों पर ठीक कार्य नहीं हो पा रहा है और अगर उसकी जगह पर वहां डिक्टेटरशिप नियुक्त कर दिया जाय तो ठीक है। इसको मुख्य मंत्री ने भी कहा है और दूसरे कई मंत्रियों ने भी कहा है कि जब इन्तजाम एक हाथ म दिया जाता है, तब अच्छा भी हो सकता है और कइयों के हाथ में इन्तजाम हो जाने से उसका ठीक पालन भी नहीं हो सकता है। अगर आप इसको मानते हैं तो मैं कहता हूं कि एक रोज यह बात हो सकती है और आज जो १८ मंत्रियों के हाथ में जो शासन ह, वह एक के हाथ में हो, तो वह बहुत हद तक सुधर सकता है। तो आपने यह भी देखा होगा कि डिक्टेटर भी इसी दुनिया म बनते ह और डिक्टेटर कोई पैदाइशी नहीं बनते हैं। तो कहने को बहुत सी बातें कही जा सकती हैं हर चीज को यहां अलग अलग भावना से प्रदर्शित किया जाता है। डिक्टेटर के लिये भी कहा जाता है कि हमने जब से डिक्टेटर नियुक्त किया, तब से इन्तजाम ठीक हो गया। हमारे प्रजातंत्र के लिये आज क्या तरीक़ा होगा। जब माननीय

[श्री राजा राम शास्त्री]

मंत्री जी यह चाहते हैं कि वे सब अधिकार अपने हाथ में लें और किसी भी मेम्बर के खिलाफ कोई शिकायत हो या उसने कोई ग़ल्ती की हो, तो वे उसको सस्पेंड कर दें। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहता हूं कि वे मेरे संशोधन को क्यों नहीं मानते हैं जब कि मैं कहता हूं कि म्यूनिसिपल बोर्ड के अन्दर यह मसला पेश हो और वहां के मेम्बरों को तय कर लेने दिया जाय कि वे उसका ससपेंशन करना चाहते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से पहले जब वह उनके हाथ में रहे, उसके पश्चात् आप उसको अपने अधिकार में ले सकते हैं। आखिर वह चीज़ आपके सामने होती है तो उसके होने से यह होता है कि बोर्ड के मेम्बरों को यह मौका मिलता है कि वे उस काम को ठीक तरह से जिम्मेदारी को समझते हुये करें।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, श्री राजा राम जी पहले तो यह विश्वास करते थे कि जो बात क्रान्तिकारी है वह ठीक है और अब वह डिक्टेटरशिप की बात में विश्वास करते हैं और डिक्टेटर शिप की अब आपकी ख्वाहिश हुई है। लेकिन जो संशोधन उन्होंने पेश किया है कि जो मैजोरिटी अगर तय करे तो ही यह होना चाहिये। यह बात ठीक है कि अगर किसी के ख़िलाफ इन्क्वायरी होती है और अगर मैजोरिटी को वह मंजूर न हो, तब उसको मंजूर नहीं किया जा सकता है। मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि उसमें म्यूनिसिपल बोर्ड की मैजोरिटी हो। जिस रोज एक मेम्बर को हटा कर मैजोरिटी यह कहती है कि उसको डिफेन्ड किया जाय, तो उस वक्त तक वह सस्पेंड कर दिया जाय। मेरा ऐसा ख्याल है यदि श्री राजा राम जी किसी म्यूनिसिपल बोर्ड में रख दिये जायं तो शायद वह ऐसे विचार न रखेंगे। मेजोरिटी भी उसमें इनवाल्व हो और दूसरे मेम्बर भी हो सकते हैं मेजोरिटी की राय उस वक्त मांगना जिस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हो, हो सकता है कि चेयरमैन भी इसमें इन्वाल्व हो और दूसरे मेम्बर भी हो सकते हैं अगर उस वक्त मैजारिटी के वोट पर रख दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि अन्याय होगा। अब एक भ्रम है राजा राम जी को, वह दुरुपयोग शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं मैं बताता हूं कि पहले शिकायत आयेगी उसके बाद इस्क्रूटनी होगी, चार्जशीट बनेगी, एक्सप्लेनेशन मांगा जायेगा और उसके जवाब को देखा जायेगा उसके बाद देखा जायेगा कि वह निकाला जा सकता है या नहीं। मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट में कई एक केसेज़ चल रहे हैं जिसमें लोगों ने कहा कि हमको ग़लत निकाला गया है लेकिन जब जजेज फाइल को देखते हैं तो उनको मालूम होता है कि ठीक निकाला गया है इसलिये इल्हाम शब्द का जैसे प्रयोग यहां किया गया है उस पर ही कोई काम नहीं किया जायेगा। यह ग़लतफहमी न हो कि किसी रिपोर्ट के आने पर वह निकाल दिया जायेगा बल्कि उसको भी अधिकार है कि वह अपनी ओर से लड़ सके और यह प्रेक्टेकेबिल भी नहीं है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय मंत्री जी ने सही सवाल उठाया है, और उनकी आशंका भी सही है। मैं डिक्टेटरशिप ही के खिलाफ रहा हूं परन्तु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि माननीय मंत्री जी को कब से डिक्टेटरशिप से प्यार पैदा हो गया है। मैं यह बात साफ कहना चाहता हूं कि जब तक माननीय मंत्री जी सोशलिस्ट पार्टी में थे डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे और मेरा अब विश्वास हो गया है जब से मैंने दुनियां की और पार्लियामेंट्स की वर्किंग को देखा है और साथ ही डिक्टेटरशिप को देखा है उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि मैं महसूस करता हूं कि डिक्टेटरशिप की भावना ग़लत है और यह दूर होना चाहिये, और यह भावना मैंने ही यहां रखी है इसलिये मैं चाहता हूं कि यह भावना पैदा न होने पाये। साथ साथ माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेजोरिटी ही कोई ग़लत काम न कर बैठे तो मैं कहना चाहता हूं कि इस नये बिल के मुताबिक हो सकता है। प्रेसीडेंट आम पब्लिक से चुना जायेगा, कोई भी आदमी आ सकता है। मेजोरिटी सब की हो सकती है एक बात अच्छी है तो दूसरों के लिये भी हो सकती है और खराब है

[श्री राजा राम शास्त्री]

मंत्री जी यह चाहते हैं कि वे सब अधिकार अपने हाथ में लें और किसी भी मेम्बर के खिलाफ कोई शिकायत हो या उसने कोई ग़ल्ती की हो, तो वे उसको सस्पेंड कर दें। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहता हूं कि वे मेरे संशोधन को क्यों नहीं मानते हैं जब कि मैं कहता हूं कि म्यूनिसिपल बोर्ड के अन्दर यह मसला पेश हो और वहां के मेम्बरों को तय कर लेने दिया जाय कि वे उसका ससपेंशन करना चाहते हैं या नहीं। मेरे ख्याल से पहले जब वह उनके हाथ में रहे, उसके पश्चात् आप उसको अपने अधिकार में ले सकते हैं। आखिर वह चीज आपके सामने होती है तो उसके होने से यह होता है कि बोर्ड के मेम्बरों को यह मौका मिलता है कि वे उस काम को ठीक तरह से जिम्मेदारी को समझते हुये करें।

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, श्री राजा राम जी पहले तो यह विश्वास करते थे कि जो बात क्रान्तिकारी है वह ठीक है और अब वह डिक्टेटरशिप की बात में विश्वास करते हैं और डिक्टेटर शिप की अब आपकी ख्वाहिश हुई है। लेकिन जो संशोधन उन्होंने पेश किया है कि जो मैजोरिटी अगर तय करे तो ही यह होना चाहिये। यह बात ठीक है कि अगर किसी के खिलाफ इन्क्वायरी होती है और अगर मैजोरिटी को वह मंजूर न हो, तब उसको मंजूर नहीं किया जा सकता है। मैं इस बात से इत्तिफाक करता हूं कि उसमें म्यूनिसिपल बोर्ड की मैजोरिटी हो। जिस रोज एक मेम्बर को हटा कर मैजोरिटी यह कहती है कि उसको डिफेन्ड किया जाय, तो उस वक्त तक वह सस्पेंड कर दिया जाय। मेरा ऐसा ख्याल है यदि श्री राजा राम जी किसी म्यूनिसिपल बोर्ड में रख दिये जायं तो शायद वह ऐसे विचार न रखेंगे। मेजोरिटी भी उसमें इनवाल्व हो और दूसरे मेम्बर भी हो सकते हैं मेजोरिटी की राय उस वक्त मांगना जिस वक्त प्रोसीडिंग्स चल रही हो, हो सकता है कि चेयरमैन भी इसमें इन्वाल्व हो और दूसरे मेम्बर भी हो सकते हैं अगर उस वक्त मैजारिटी के वोट पर रख दिया जायेगा तो मैं समझता हूं कि अन्याय होगा। अब एक भ्रम है राजा राम जी को, वह दुरुपयोग शब्द का दुरुपयोग कर रहे हैं मैं बताता हूं कि पहले शिकायत आयेगी उसके बाद इस्कूटनी होगी, चार्जशीट बनेगी, एक्सप्लेनेशन मांगा जायेगा और उसके जवाब को देखा जायेगा उसके बाद देखा जायेगा कि वह निकाला जा सकता है या नहीं। मैं आपको बताऊं कि हाई कोर्ट में कई एक केसेज चल रहे हैं जिसमें लोगों ने कहा कि हमको ग़लत निकाला गया है लेकिन जब जजेज फाइल को देखते हैं तो उनको मालूम होता है कि ठीक निकाला गया है इसलिये इल्हाम शब्द का जैसे प्रयोग यहां किया गया है उस पर ही कोई काम नहीं किया जायेगा। यह ग़लतफहमी न हो कि किसी रिपोर्ट के आने पर वह निकाल दिया जायेगा बल्कि उसको भी अधिकार है कि वह अपनी ओर से लड़ सके और यह प्रेक्टेकेबिल भी नहीं है इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय मंत्री जी ने सही सवाल उठाया है, और उनकी आशंका भी सही है। मैं डिक्टेटरशिप ही के खिलाफ रहा हूं परन्तु मुझे आश्चर्य इस बात का है कि माननीय मंत्री जी को कब से डिक्टेटरशिप से प्यार पैदा हो गया है। मैं यह बात साफ कहना चाहता हूं कि जब तक माननीय मंत्री जी सोशलिस्ट पार्टी में थे डिक्टेटरशिप के खिलाफ थे और मेरा अब विश्वास हो गया है जब से मैंने दुनियां की और पार्लियामेंट्स की वर्किंग को देखा है और साथ ही डिक्टेटरशिप को देखा है उसके बाद इसमें कोई शक नहीं कि मैं महसूस करता हूं कि डिक्टेटरशिप की भावना ग़लत है और यह दूर होना चाहिये, और यह भावना मैंने ही यहां रखी है इसलिये मैं चाहता हूं कि यह भावना पैदा न होने पाये। साथ साथ माननीय मंत्री जी ने कहा कि मेजोरिटी ही कोई ग़लत काम न कर बैठे तो मैं कहना चाहता हूं कि इस नये बिल के मुताबिक हो सकता है। प्रेसीडेंट आम पब्लिक से चुना जायेगा, कोई भी आदमी आ सकता है। मेजोरिटी सब की हो सकती है एक बात अच्छी है तो दूसरों के लिये भी हो सकती है और खराब है

तो दूसरों के लिये भी हो सकती है। अगर यह कहा जाय कि इस सदन के अन्दर किसी एक पार्टी की मैजोरिटी है और वह सदैव ही ग़लत काम करती जायेगी तो यह सही न होगा। बताइये यह सदन है इसमें एक पक्ष की खास तौर से मेजोरिटी है आप जो चाहें वह कर सकते हैं और दूसरी बात किसी की नहीं मानी जाती है लेकिन फिर भी इस सदन में जो एक या दो मेम्बर इस तरफ हैं उनकी ऐसी धारणा है कि यदि कोई ग़लत काम मेजोरिटी करेगी तो वह उसको ज़ाहिर कह सकते हैं और कोई भी मेजोरिटी क्यों न हो वह बात सामने ज़रूर आ जायेगी और मेम्बर उससे डरेगा। जिस तरीक़े से यहां यह कहा जाता है कि विश्वास कीजिए मेजारिटी अक्ल से काम करती है, उसी तरीक़े से यह हो सकता है कि म्यूनिसिपल बोर्ड की मेजारिटी भी अक्ल से काम करे।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १७ की उपधारा (५) की पंक्ति १ में शब्द में "may" और "place" के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं :

"if so desired by the majority of the board concerned."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १७ विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८–२०

१८—मूल अधिनियम की धारा ४१ में से शब्द "Co-option" निकाल दिया जाय। *यू०पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४१ का संशोधन।*

१९—मूल अधिनियम की धारा ४२ निकाल दी जाय। *यू०पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४२ का निकाल दिया जाना।*

२०—इस अधिनियम और किसी और विधान में जो समय विशेष पर प्रचलित हो, शब्द "Municipal Commissioner" के स्थान पर "municipal member" रखे जायं। *शब्द "Municipal commissioner" के स्थान पर शब्द "municipal member" का रखा जाना।*

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड १८, १९ और २० इस बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २१

२१—मूल अधिनियम की धारा ४३ की उपधारा (४) में शब्द 'years के बाद शब्द "and has passed the High School Examination or any other equivalent examination so declared by the State Government" रख दिये जायं। *यू०पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४५ का संशोधन।*

श्री राजा राम शास्त्री—मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि धारा २१ की चौथी पंक्ति में शब्द "Government" के बाद शब्द "or possesses suitable experience of municipal or similar work of public service" बढ़ा दिये जायं।

इसमें जो क्वालिफिकेशन्स रखी गई हैं वह "हाई स्कूल इग्जामिनेशन और एनी अदर इक्वीलेन्ट इग्जामिनेशन" हैं...

श्री मोहन लाल गौतम—अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं निवेदन कर दूं ताकि भवन का समय बच जाय कि हाई स्कूल की जो शर्त ह उसके सम्बन्ध में कुंवर गुरु नारायण जी ने जो अमेंडमेंट किया है वह मुझे मंजूर है। वह उसे मूव कर व।

श्री राजा राम शास्त्री—मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

चेयरमैन—क्या सदन की अनुमति है कि संशोधन वापस लिया जाय।

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस लिया गया।)

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २१ निकाल दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई तकरीर करने की तो जरूरत नहीं है, मुझे बड़ी खुशी है कि जो संशोधन है उसे मंजूर किया गया है। धारा २१ जो है बिल्कुल डिलीट कर दी जाय जो प्रेसीडेंटशिप के लिये मैट्रीकुलेशन पास की शर्त रखी गई है उसके लिये मैंने संशोधन रखा है कि यह कैद हटा दी जाय। हमें मालूम हुआ ह कि शायद गवर्नमेंट इस मूड में है कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी। लेकिन मुझे दुःख एक बात का जरूर हुआ, वह मैं कहना चाहता हूं कि एक गवर्नमेंट के मेम्बर साहब मेरे पास आये और उन्होंने कहा कि आप इसे मूव न कीजिये और उसको मूव करने का मौक़ा दीजिये। मुझे नहीं मालूम कि विरोधी पक्ष का सुझाव मानने में गवर्नमेंट शर्माती क्यों है। इसमें तो आप की ही प्रतिष्ठा बढ़ती है। फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो अपना ही मूव करके मंजूर कीजिये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री मोहन लाल गौतम—जहां तक मुझे मालूम है गवर्नमेंट का कोई मेम्बर इसके लिये नहीं गया।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २१ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

खंड २२

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४७-ए का संशोधन

२२—(१) मूल अधिनियम की धारा ४७-ए की उपधारा (४) में से (१) शब्द "Co-opted" और "Co-option" निकाल दिये जायं और (२) शब्द "take place" के स्थान पर शब्द "be held or made, as the case may be, as though there had been casual vacancies" रख दिये जायं।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २२ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड—२३

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४८ का संशोधन

२३—मूल अधिनियम की धारा ४८ में—

(१) उपधारा (२) में—

(क) खंड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय—

"(*a*) that there has been a failure on the part of the President in performing his duties, give him a warning or remove him from office as the State Government think fit, or"; और

(ख) खंड (बी) में—

(१) उपखंड (१) में शब्द और संख्या "sub-section (3) of section 14" के स्थान पर शब्द और संख्या "section 12-D and 13-D" रखे जायं;

(२) उपखंड (v) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (vi) के रूप में रखा जाय—

"(vi) guilty of gross misconduct in the discharge of his duties"; और

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप में रक्खी जाय—

"(3) The State Government may place under suspension a President against whom action is proposed under sub-clause (vi) of clause (*b*) of sub-section (2) until the proceedings are over and where a President has been so suspended he shall not for so long as the order of suspension continues be entitled—

(*a*) to exercise the powers or perform the duties of President imposed upon him by or under this Act or any other enactment for the time being in force; and

(*b*) to take part in any proceedings of the board".

श्री कुंवर गुरु नारायण—मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

Delete sub-clause (*a*) of clause 23.

मैं यह मानता हूं कि इस में जो क्लाज है उससे प्रेसीडेंट रिमूव हो सकता है बिना किसी प्रकार की वारनिंग दिये। जब कभी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो, जब प्रेसीडेंट को हटाना हो तो उसके लिये वारनिंग देने की जरूरत है इसलिये मैंने संशोधन किया है। मैं समझता हूं कि इस पर कोई ज्यादा वाद-विवाद नहीं होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—इस प्रश्न पर कल काफ़ी बहस हो चुकी है। मैंने भी कल एक मिसाल दी थी वह यह कि एक जगह यह साबित हो गया था कि म्यूनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन रिश्वत लेता है और हमारे कानूनी मशविरों की यह राय हुई कि चूंकि पहले वारनिंग नहीं हुई है इसलिये हम उसको अलग नहीं कर सकते हैं। अब जहां तक अलग करने का सम्बन्ध है यह बात ठीक है। अलग चेयरमैन उस समय किया जाना

[श्री मोहन लाल गौतम]

चाहिये जब काफी उसके खिलाफ वजूहात हों। अब और ज्यादा जरूरी होगा क्योंकि वह जनरल बाडी से चुना हुआ होगा। जब इस प्रकार की चीज है और कोई रिश्वत ले रहा है। कोई साहब चेयरमैन हैं और उनके खिलाफ कोई शिकायत आये और यह मालूम हो कि उन्होंने बेईमानी की है फिर भी आप अपने आप को देखें, पहली वार्निंग दें। दो चार दफा रिश्वत लेने का मामला चलता है और एक दफा पकड़ा जाता है तो उसको वार्निंग दे दें। अगर उसके बाद फिर पकड़ा जाय तो उसका रिमूवल हो तो इसको सदन नहीं चाहता है। जो पहला लफ्ज था वह इन परसिस्टेंस आफ फेल्योर का है वह इसमें से निकल गया है। उसका रिमूवल भी हो सकता है और उसको वार्निंग भी हो सकती है। अगर निकाल दिया गया तो पहले जो हालत थी वही हालत रहेगी। जो दिक्कतें मैंने सदन के सामने पेश की हैं उनको हल करने का रास्ता हमारे सामने नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि कुंवर गुरु नारायण जी अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री राजा राम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष जी, श्री गुरु नारायण जी ने जो संशोधन पेश किया है वह काफी महत्वपूर्ण है। इस तमाम विधेयक का आधार यह है कि अब बालिग मताधिकार पर चुनाव होंगे और बालिग मताधिकार के आधार पर बहुमत से चुना हुआ व्यक्ति प्रेसीडेंट हुआ करेगा। अब सवाल यह है कि अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि प्रेसीडेंट कोई ग़लती करता है तो उसको वार्निंग देकर रिमूव किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि अभी तक जिस तरह से धांधली चल रही है उसका अब जमाना खत्म हो गया। अब हमारे वर्क करने का सेट अप दूसरा है। इन सब बातों को देखते हुये मेरा ख्याल यह है कि आज कल के जमाने का कोई भी प्रेसीडेंट जो सारे शहर के बहुमत का कमाण्ड करता है और जनता की मेजोरिटी से प्रेसीडेंट चुना जाता है तो यह गवर्नमेंट के लिये इतना आसान न बना देना चाहिये कि यहां से फरमान भेज दिया गया और वह रिमूव कर दिया गया। हमारा ख्याल है कि यह बहुत बड़ी ताकत गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है। मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के हाथ में यह ताकत न होनी चाहिये कि वह प्रेसीडेंट को जब चाहे निकाल दे। यह चीज कहने में बहुत सरल मालूम देती है लेकिन मैं बड़े ही अदब से कहना चाहता हूं और मेरा ऐसा ख्याल है कि यह जो आम जनता द्वारा चुने हुये प्रेसीडेंट होंगे वह ऐसे होंगे जैसा कि आज तक का आपका तजुर्बा है कि किस तरह से म्यूनिसिपल बोर्ड में धांधली हुआ करती है। अब जो पार्टियों का संगठन होगा उसमें मेरा ख्याल है कि जो जनता के प्रतिनिधि होंगे वह बहुत ही सजग होंगे। अब व्यक्तिगत चुनाव का जमाना नहीं रहा। अब तो अगर किसी पैसे वाले को कोई बात करनी होगी तो वह राजनैतिक पार्टी को लेकर भले ही आ जाय। हमारा ख्याल है कि अब राजनैतिक पार्टी आ सकती है। इन्डीविजुयल्स नहीं आ सकते हैं। तो जो प्रतिनिधि जायेंगे वह स्वतः ही जागरूक होंगे। इसलिये मैं आशा करता हूं कि गवर्नमेंट इस तरह की ताकत हाथ में न लेगी।

श्री कुंवर गुरु नारायण--अभी मुझे भी कुछ कहना है तो क्या कल के लिये यह रखा जायगा या आज ही हो जायगा।

चेयरमैन--इस संशोधन पर वाद-विवाद तो कम से कम आज ही खत्म होना चाहिये अभी १० मिनट तक और हम बैठ सकते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन अभी इस भवन के सम्मुख है, मैं समझता था कि उसमें ऐसी कोई विवाद की बात नहीं होगी जिसके कारण मंत्रिमंडल को इसको मंजूर करने में कोई कठिनाई हो। अभी राजा राम शास्त्री नेकहा किपहले जो चेयरमैन हुआ करते थे और अब जो होंगे उनमें

बहुत अन्तर हो गया है। उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी, उसका प्रभाव कुछ दूसरा था और आज हमारा देश स्वतंत्र है और उसका वातावरण दूसरा है। तो ऐसी हालत में वह एक बात दूसरी थी और यह बात दूसरी हुई। प्रेसीडेन्ट को वार्रानिग भी न दी जाये और फौरन ही गवर्नमेन्ट बगैर वार्रानिंग दिये हुये अपनी राय कायम करके फौरन ही बरखवास्त कर दे यह अनुचित है। जहां तक समय का सम्बन्ध है उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि उसको ६ महीने का समय दिया जाये बल्कि उसको १५ दिन की नोटिस देकर गवर्नमेंट उसको डिसमिस कर सकती है। लेकिन उसको अधिकार होना चहिये कि जिस व्यक्ति को जनता ने विश्वास देकर अपना प्रतिनिधि चुना है उसको अपनी बात कहने का मौक़ा देना चाहिये। किसी प्रकार से सरकार के पास यह खबर आई कि उसने ऐसी गड़बड़ी कर दी है तो एकदम से उसको हटा दिया जाये तो इसका नतीजा यह होगा कि बाज लोग बग़ैर कसूर के किसी प्रेसीडेंट की शिकायत कर देंगे कि उसने यह ग़लती की है और उसकी बिना पर उसको हटा दिया जायेगा ऐसी हालत में उसको एक्सप्लेनेशन देने का मौक़ा भी होना चाहिये ताकि वह अपनी बात को कह सके और हो सकता है कि उसकी बात सुनने के बाद ऐसा मौका ही न आये कि वह हटाया जाये। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि यह बात अपनी जगह पर महत्व रखती है और इसीलिये मैं इसको प्रेस करना चाहता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम---मैं यह समझता हूं कि यह अमेंडमेंट कुंवर गुरु नारायण जी ने किसी ग़लतफ़हमी की वजह से रक्खा है। उनका यह ख्याल है कि हम वार्रानिग दे दें और फिर १५ दिन के बाद उसको हटा दें। वार्रानिग दें और उसको मौक़ा दें कि वह अपना एक्सप्लेनेशन दे सके। तो यहां तो कोशिश यह है कि अगर किसी व्यक्ति की शिकायत आती है तो उसको वार्रानिग दी जाती है और अगर उसके बाद भी वह फेल करता है तब उसके खिलाफ चार्जशीट फ्रेम की जाती है और तब उसको मौका दिया जायेगा। अगर एक बार आप उसको वार्रानिग देते हैं तब कैसे उसको आप १५ दिन के बाद रिमूव कर सकते हैं। उसके तो जब बाद में नये क़सूर होंगे, उनके जवाब होंगे तब वह रिमूव किया जा सकेगा। इसलिये यह एक्सप्लेनेशन की यह बात तो नहीं है। अभी इस वक्त जो पोज़ीशन है वह तो काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि पहले तो आप कहते हैं कि पहिली मर्तबा तो उसको वार्रानिग दी जाये। फ़र्स्ट स्टेप में तो उसको वार्रानिंग दी जाये। जब कई बार वह रिश्वत ले चुके तब उसको वार्रानिग दी जाये और फिर जब कई बार रिश्वत ले तब उसको रिमूव करें। यह पोज़ीशन है। जहां तक इसका संबंध है कि राजा राम जी ने कहा कि गवर्नमेंट को ऐसी पावर नहीं होनी चाहिये कि उसको हटाया जा सके तो यह तो बात ही दूसरी है। मूवर साहब का ऐसा मंशा नहीं है कि उसको हटाया न जा सके बल्कि उनका मंशा यह है कि उसको किस तरह से हटाया जाये। इस बात को तो वह मानते हैं कि हटाया जा सकता है। तो वह हटाया तो जा सकता है लेकिन कंडीशन्स का सवाल है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि काम ठीक से चले और जो शिकायतें आयें उनको दूर किया जा सके तो मैंने तो पहले भी कह दिया है कि चार्जशीट फ्रेम होगी और वह एक्सप्लेनेशन देगा। ऐसे कई केसेज हाई कोर्ट में भी गये और वहां से प्रेसीडेंट जीत भी गये। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसका दुरुपयोग होगा।

चेयरमैन---प्रश्न यह है कि खंड २३ का उपखंड (ए) विधेयक का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कुंवर गुरु नारायण---श्रीमान् जी, मैं इस पर विभाजन चाहता हूं।

चेयरमैन---लेकिन इस पर तो राय ली जा चुकी है।

सदन का कार्यक्रम

श्री कुंवर गुरु नारायण--कल क्या बिजनेस होगा यह हमें बतला दिया जाय।

चेयरमैन--यह बिल तो लिया ही जायेगा और इसके अलावा अगर वक्त रहेगा तो जो विधेयक गवर्नमेंट प्रस्तुत करना चाहे वह लिया जायेगा।

श्री हर गोविन्द सिंह--कल आगरा यूनीवर्सिटी बिल लिया जायेगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--इसमें ४८ घंटे की नोटिस की जरूरत होती है इसलिये यह परसों लिया जाय और कल बाकी दिन में नान आफिशियल काम लिया जाय।

इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट के लिए चुनाव

चेयरमैन--पहले तो मुझे यह घोषणा करनी है कि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट के लिये दो नामजदगियां आई हैं। एक श्री निजामुद्दीन साहब की है और दूसरी श्री प्रताप चन्द्र आजाद की है। सिर्फ यही दो नामिनेशन आये हैं इसलिये मैं घोषित करता हूं कि श्री निजामुद्दीन और श्री प्रताप चन्द्र आजाद इलाहाबाद यूनीवर्सिटी कोर्ट के मेम्बर चुने गये।

आगरा यूनीवर्सिटी (पूरक) विधेयक, १९५२ ई०

श्री हर गोविन्द सिंह--मैं आपकी आज्ञा से आगरा यूनीवर्सिटी (पूरक) विधेयक सन् १९५२ ई० को पुरःस्थापित करता हूं।

सदन का कार्यक्रम

चेयरमैन--इस बिल का इन्ट्रोडक्शन (Introduction) हो गया है। अब सवाल यह है कि अगर कल म्युनिसिपैलिटी बिल पूरा हो जाने के बाद समय मिले तो क्या सदन आगरा यूनीवर्सिटी बिल को लेना पसन्द करेगा। वह कल के एजेन्डा पर रहेगा और अगर सदन पसन्द करेगा तो वह लिया जायेगा और यदि पसन्द नहीं करेगा तो नहीं लिया जायेगा।

श्री कुंवर गुरु नारायण--नान आफिसियल डे कब रहेगा। यदि माननीय मंत्री कल ही कार्य खत्म कर दें तो परसों क्या होगा।

चेयरमैन--हम लोगों के नियम के अनुसार बृहस्पतिवार नान आफिसियल डे है अगर बृहस्पतिवार को सदन की बैठक होती है तो नानआफिसियल बिजनेस लिया जायेगा। अगर नहीं होती है तो फिर नहीं लिया जायेगा। अगर कल ही काम खत्म हो जाय और सदन यह तय करे कि परसों न बैठना चाहे तो नहीं लिया जायेगा। अगर सदन तय करे तो परसों नानआफिसियल बिजनेस लिया जायेगा। सब सदन के ऊपर निर्भर है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं माननीय लीडर आफ दि हाउस से कहना चाहता हूं कि इस यूनीवर्सिटी बिल को परसों लिया जाय और कल नान आफिशल डे हो जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। हम लोगों को भी बिल पर विचार करने के पहले काफी मौका मिल जायेगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आज म्युनिसिपलटी बिल है पहले इसको समाप्त कर दिया जाय, इसके बाद यूनीवर्सिटी बिल लिया जाय क्योंकि उसमें कोई खास बात नहीं है। इसलिये उसमें कोई खास तैयारी की भी जरूरत नहीं है, जैसा कि कुंवर साहब ने कहा कि इसमें तैयारी की जरूरत है।

चेयरमैन—इस बात पर बहस नहीं हो रही है।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक पेश हुआ है अगर उस पर किसी माननीय सदस्य को संशोधन देने हों तो वह कब दें।

चेयरमैन—वह उसी वक्त दे सकता है।

श्री राजा राम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात में यह कहना चाहता हूं कि जो २४ घंटे का रूल है उसी के मुताबिक यह बिल क्यों न लिया जाय।

चेयरमैन—यह बिल परसों ही लिया जायेगा। कल यूनीवर्सिटी बिल पर पहले बहस होगी उसके बाद जो वक्त रह जायेगा उसमें अगर कोई माननीय सदस्य अपना नान आफिशल रिज्योल्यूशन पेश करना चाहेंगे तो उस पर डिसक्शन होगा।

कौंसिल कल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(कौंसिल की बैठक ५ बजकर १५ मिनट पर ५ नवम्बर को ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।)

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
नवम्बर ४, १९५२

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ५ एल० सी०—१९५३—८५०।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

बुधवार ५ नवम्बर, १९५२

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५१

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरु नारायण, श्री
कृष्ण चन्द्र जोशी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलउर्रहमान क़िदवई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलू राम, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निज़ामुद्दीन, श्री
निर्मल चन्द्र चतुर्वेदी, श्री
पन्ना लाल गुप्त, श्री
पूर्ण चन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रताप चन्द्र आज़ाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
मानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
राम किशोर शर्मा, श्री
रुक्नुद्दीन खां, श्री
लल्लू राम द्विवेदी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
वंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
वीर भान भाटि[illegible]
व्रज लाल व[illegible]
शांति दे[illegible]
शांति दे[illegible]
शांति स्वरूप अग्र[illegible]
शिवराजवती नेह[illegible]
श्याम सुन्दर ल[illegible]
सत्यप्रेमी [illegible]
सभापति [illegible]
सरदार [illegible]
सैयद [illegible]
हया[illegible]

निम्नलिखित मंत्री

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम (वित्त मंत्री)
श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)

प्रश्नोत्तर

बरेली कालेज, बरेली में विभिन्न फीसों का लिया जाना

आ० सं० १
तारीख
१५-१०-५२

Education Minister

१—श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—(क) क्या यह सच है कि बरेली कालेज में इन्टरमीडियेट क्लासों में मासिक शुल्क के अतिरिक्त बिल्डिंग फीस (building fees) भी ली जाती है जब कि बिल्डिंग फीस लेना बोर्ड आफ इन्टरमीडियेट तथा हाई स्कूल के नियमों के विरुद्ध है ?

(ख) यदि यह सच है तो सरकार इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)—(क) यह सत्य है कि बरेली डिग्री कालेज के इन्टर कक्षाओं के विद्यार्थियों से एक रुपया मासिक बिल्डिंग फीस ली जाती है। माध्यमिक शिक्षा परिषद का फीस के नियमों से कोई संबंध नहीं है।

(ख) शासन ने डिग्री कालेजों में उक्त फीस लेने की विशेष आज्ञा अस्थायी रूप से दे रक्खी है, इसलिये उक्त कालेज के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४७ में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई ऐसा आदेश निकाला था जिसमें बिल्डिंग फीस लेना नाजायज करार दिया था ?

श्री हर गोविन्द सिंह—यह जवाब तो दिया गया है कि यह किसी नियम के विरुद्ध नहीं जाता है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—मेरा कहना यह है कि सन् १९४७ में शिक्षा विभाग ने एक सरकुलर निकाला था जिसमें कुछ फीसें निर्धारित की गई थीं और कुछ को नाजायज करार दिया गया था ?

श्री हर गोविन्द सिंह—किन संस्थाओं के बारे में यह था ?

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—हाईस्कूल और इन्टरमीडियेट क्लासेज के बारे में ?

श्री हर गोविन्द सिंह—बरेली कालेज सरकारी नहीं है वह तो आगरा यूनिवर्सिटी के नीचे है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—लेकिन बरेली कालेज में जो हाईस्कूल और इन्टर क्लासेज हैं उनका संबंध तो आगरा यूनिवर्सिटी से नहीं है ?

श्री हर गोविन्द सिंह—२७ अप्रैल, १९४५ में यह सरकुलर निकला कि आगरा यूनिवर्सिटी के जो अफिलियेटेड कालेज हैं वे अपने यहां यह फीस लगा सकते हैं।

आ० सं० २
तारीख
१५-१०-५२

२—श्री प्रताप चन्द्र आजाद—(क) क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली कालेज में छात्र शुल्क (tution fees) के अतिरिक्त और कौन कौन सी फीस ली जाती है और इनमें से कौन कौन सी फीस बोर्ड आफ इन्टरमीडियेट तथा हाई स्कूल के नियमों के विरुद्ध है ?

(ख) क्या सरकार के पास इस संबंध में बरेली कालेज के विद्यार्थियों का कोई प्रस्ताव आया है जिसमें उन्होंने इस प्रकार की फीस के विरुद्ध सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है ?

(ग) यदि हां, तो सरकार ने उस संबंध में क्या कार्यवाही की ?

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) मासिक शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त बरेली डिग्री कालेज के प्रत्येक विद्यार्थी से निम्नलिखित अन्य फीसें भी ली जाती हैं :--

		रु० आ० पा०	
(१)	महंगाई फीस	०--८--०	प्रतिमास
(२)	बिल्डिंग फीस	१--०--०	"
(३)	पुस्तकालय	१--०--०	वार्षिक
(४)	गेम्स	६--१२--०	"
(५)	कामनरूम तथा मेगजीन फीस	२--८--०	"
(६)	यूनियन फीस	२--०--०	"
(७)	पंखा फीस	१--८--०	"

जैसा ऊपर कहा गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद् का फीस के नियमों से कोई संबंध नहीं है। उपर्युक्त फीसों में कोई फीस किसी सरकारी नियम के विरुद्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि जो ७ फीस आपने लिखी हैं उनके अलावा एक इमर्जेन्सी फीस भी ली जाती है?

श्री हर गोविन्द सिंह--इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--क्या माननीय मंत्री इसकी सूचना जानने की कोशिश करेंगे?

श्री हर गोविन्द सिंह--यदि माननीय सदस्य इस के संबंध में प्रश्न पूछने का कष्ट करेंगे तभी सूचना एकत्रित की जायेगी।

सेंट्रल एजूकेशन मिनिस्ट्री की सिफारिशें

प्रा० स० १३
तारीख
१५-१०-५२

३--श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--(क) सेंट्रल मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन की हाल की सिफारिशों, कि अध्यापकों को वेतन के सरकारी स्केलों का दिया जाना प्राइवेट स्कूलों और संस्थाओं को सहायता देने में एक शर्त रखी जाये, को अमल में लाने के लिये सरकार क्या कार्रवाई करने का इरादा रखती है।

(ख) क्या सरकार "स्केल्स आफ पे आफ प्राइमरी ऐन्ड सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन स्टेट्स इन इंडिया, १९५१" के प्रकाशन में की गयी सिफारिशों में से किसी को भी अमल में लाना चाहती है? यदि हां, तो वह कौन सी है?

O. N. 13
Date
15-10-52

3. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**—(teachers Consti tuency) (*a*) What steps do the Government intend to take to implement the recent recommedations of the Central Ministry of Education that adoption of Government scales of pay for teachers should be recorded as one of the conditions for grants in-aid to private schools and institutions ?

(*b*) Do the Government intend to give effect to any of the recommendations made in the Publication "Scales of pay of Primary and Secondary School Teachers in States in India, 1951" ? If so, what are they ?

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को राजकीय स्कूल के अध्यापकों वाले वेतन-क्रम देना संभव नहीं है, परन्तु यह सुझाव कि स्वीकृत वेतन-क्रम को लागू करना सहायता देने की एक शर्त समझी जाय, पहले से ही कार्यान्वित कर दिया गया है। सरकार से अनुदान लेने के लिये सरकार द्वारा स्वीकृत अनिवार्य वेतन-क्रम लागू करना अनुदान देने की एक शर्त रक्खी गयी है।

(ख) कोई और सुझाव नहीं दिया गया है। उल्लिखित प्रकाशन में जो सुझाव हैं वे केन्द्रीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय की संस्तुति नहीं कही जा सकती। अतएव यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Sri Har Govind Singh:—(a) It is not possible to adopt Government scales of pay for aided School teachers but the alternative suggestion of making the adoption of approved scales of pay one of the conditions for grant-in-aid has already been implemented by making the adoption of Mandatory Scales of pay approved by Government, a condition for continunce of grant-in-aid.

(b) No other suggestions have been made and as the suggestions in the publication are not recommendations of the ministry of Education the question does not arise.

आ० सं० १४ तारीख १५-१०-५२

४--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--क्या एडेड सेकेंडरी स्कूलों के अध्यापकों को छुट्टी के मामले में वह ही विशेषाधिकार हैं जो कि सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को प्राप्त हैं। यदि हां, तो क्या सरकार इसके लिये कार्रवाई करने का इरादा रखती है कि यह पालिसी सब स्कूलों में समान रूप से अमल में लायी जाय ?

O. N. 14 Date 15-10-52

4. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**:—Are the teachers in Aided Secondary Schools entitled to the same leave privileges as those in Government Schools? If so, do the Government intend to take steps to see that this policy is uniformly carried out in all the schools?

श्री हर गोविन्द सिंह--मामला विचाराधीन है।

Sri Har Govind Singh:—The Matter is under consideration.

श्री कन्हैयालाल गुप्त--इस संबंध में सरकार अपना फैसला कब तक देगी ?

श्री हर गोविन्द सिंह--यह कहना बहुत मुश्किल है। मामला विचाराधीन है और जितनी जल्दी हो सकेगा किया जायेगा। कोई दिन निश्चित नहीं किया जा सकता है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--सरकार के सामने क्या दिक्कतें हैं जिन कारणों से सरकार को फैसला करने में देरी हो रही है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--यह तो एक बहुत बड़ा ब्योरा हो जायगा। अगर माननीय सदस्य मेरे पास आयें तो मैं उनको बतला दूंगा।

आ० सं० १५ तारीख १५-१०-५२

५--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--(क) क्या यह ठीक है कि इस प्रदेश के बहुत से हायर सेकेंडरी स्कूलों में अध्यापकों को वह वेतन नहीं दिया जा रहा है जो सन् १९४७ ई० में लाजिमी तौर पर निश्चित किया गया था ?

(ख) क्या यह ठीक है कि कुछ मामलों में अध्यापकों को उस रकम से कम दिया जाता है जिसके लिये वह वेतन रजिस्टर पर अपने हस्ताक्षर करते हैं ?

(ग) यदि हां, तो ऐसे अध्यापकों की संख्या क्या है ?

(घ) सरकार ने इस प्रकार कम वेतन देने वाली संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की है और इस प्रदेश से इस प्रकार के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाना चाहती है।

5. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**: (*a*) Is it a fact that in many Higher Secondary Schools in this State teachers are not being given the pay scales as mandatorily fixed in the year 1947 ?

O. N. 15
Date
15-10-52

(*b*) Is it also a fact that in some cases teachers are paid lesser amounts than what they are requierd to sign on the pay register ?

(*c*) If so, what is the number of such teachers ?

(*d*) What action has the Government taken against such defaulting institutions and what steps do the Government propose to take to root out this corrupt practice from the State ?

श्री हरगोविन्द सिंह--(क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है।

Sri Har Govind Singh: (*a*) The information is being collected.

(*b*) " "

(*c*) " "

(*d*) " "

६--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--(क) हायर सेकेंडरी स्कूलों को सहायता देने के लिये क्या आधार रक्खा गया है।

प्रा० सं० १६
तारीख
१५-१०-५२

(ख) क्या यह ठीक है कि ऐसी संस्थाओं को जो पुरानी हैं और जिनमें विद्यार्थियों और अध्यापकों की अधिक संख्या है, नयी और छोटी संस्थाओं की अपेक्षा कम रकमें मिलती हैं ?

(ग) क्या सरकार का वर्तमान तरीके में सुधार करने का कोई विचार है ?

6. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** : (*a*) What is the basis for grant-in-aid as given to Higher Secondary Schools ?

O. N. 16
Date
15-10-52

(*b*) Is it a fact that older institutions with greater number of students and teachers receive lesser amounts in comparision to newer and smaller institutions ?

(*c*) Do the Government have any idea of rationalizing the present systom ?

श्री हरगोविन्द सिंह--पैरा ३७७ एजुकेशन कोड के आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है ?

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ग) जी हां।

Sri Har Govind Singh : (*a*) The Higher Secondary schools are given grants-in-aid according to para. 377 of the Education Code.

(*b*) The information is being collected.

(*c*) Yes.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो जवाब पढ़ा गया है वह भिन्न था इसलिये क्या माननीय मंत्री जी उसको फिर पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री हर गोविन्द सिंह--पैरा ३७७ एजुकेशन कोड के आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान दिया जाता है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्रांट-इन-एड सिस्टम को रिवाइज करने के लिये जो कमेटी बैठी थी उसकी रिपोर्ट पर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—वह रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है । सरकार उसकी देखभाल कर रही है कि उस पर कितना धन व्यय होगा ।

अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिये सेनीटोरियम के संबंध में सरकार की योजना

आ० सं० १७
तारीख
१५-१०-५२

७—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) सरकार अपनी इस योजना, कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिये सेनीटोरियम स्थापित किया जाय, को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

(ख) उस कमेटी का क्या विधान होगा जो इस योजना को चलायेगी ? क्या इस कमेटी में इस बात को देखने के लिये कि इस योजना से उन्हीं लोगों को लाभ होता है जिनके लिये वह बनायी गयी है, अध्यापकों और विद्यार्थियों का भी प्रतिनिधित्व होगा ?

(ग) इस योजना के लिये आर्थिक रेकरिंग और नान-रेकरिंग तखमीने क्या हैं और उस पर होने वाले खर्चे को बरदाश्त करने के लिये क्या रकमें रखी गयी हैं ।

O. N. 17
Date
15-10-52

Education Miniter

7. **Sri Kanhaiya Lal Gupta** : (*a*) What steps the materialization of their scheme of establishing a sanatorium for the teachers and the students ?

(*b*) What will be the constitution of the committee that will run the scheme? Will the teachers and students have a representation on it to ensure that in reality those people benefit by the scheme for whom it was meant ?

(*c*) What are the financial recurring and non-recurring estimates of the shceme and the provisions to cover the expenditure ?

श्री हर गोविन्द सिंह—(क) क्षय रोगियों की चिकित्सा के लिये शासन निम्नलिखित स्थानों पर लगभग ३०० बेड्स (Beds) की व्यवस्था करने का विचार कर रही है । इन में से ७५ प्रतिशत बेड्स (Beds) अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के लिये सुरक्षित रक्खें जायेंगे:—

(१) ५० बेड्स गेठिया, नैनीताल में;

(२) ६४ कस्तूरबा टी० बी० क्लिनिक, लखनऊ में;

(३) ४६ बेड्स लाजपत राय हस्तपाल, कानपुर में;

(४) २९ बेड्स डाकपथर, देहरादून में, और

(५) १०० राज्य के पूर्वी भागों में ।

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये किसी समिति के नियुक्ति का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है । इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) अनावर्तक व्यय का तखमीना लगभग १५ लाख रुपया है, जो इस योजना के लिये एकत्रित धन से वहन होगा । आवर्तक व्यय का तखमीना पहले वर्ष में सात लाख रुपया (आवर्तक) का है, जो शासन के चिकित्सा विभाग की ओर से वहन होगा ।

Sri Har Govind Singh : (*a*) Government propose to establish 300 beds for T. B. patients at the following places. Out of these 75 per Cent. beds will be reserved for teachers and students:

(1) 50 beds at Gathia, Nainital;

(2) 64 in Kasturba T. B. Clinic, Lucknow;

(3) 46 at Lajpat Rai Hospital, Kanpur;

(4) 29 at Dakapthar (Dehara Dun), and

(5) 100 beds in a sanatorium to be established in the eastern part of the State.

(*b*) The question does not arise as it has not yet been proposed to constitute a committee to run the Scheme.

(*c*) Non-recurring cost of the entire scheme is estimated to be about 15 lakhs which will be met out of the collected funds. The recurring cost of the scheme, to be met by Government in the Medical Department is estimated at Rs.7 lakhs in the first year.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार राज्य के पूर्वी भागों में नये सेनेटोरियम बनाने का इरादा रखती है ?

श्री हर गोविन्द सिंह--इसके संबंध में प्रयत्न किया जा रहा है। अगर संभव हो सकेगा तो किया जायगा। इसके संबंध में कोई निश्चित बात नहीं कही जा सकती है कि क्या योजना है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार को यह बात ज्ञात है कि इस सेनेटोरियम के लिये जो चन्दा अध्यापकों और विद्यार्थियों से उगाया गया था उस समय जिला अधिकारियों ने इस बात का वायदा किया था कि इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये ऐसी समितियां होंगी जिनमें उनके प्रतिनिधि होंगे ?

श्री हर गोविन्द सिंह-- संभव है कि ऐसा हो, लेकिन मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है परन्तु मैं समझता हूं कि ऐसी समितियां कोई अधिक कार्य नहीं कर सकती हैं।

[तारां]० सं० १८ तारीख [१]-१०-५२

८--**श्री कन्हैया लाल गुप्त**--उत्तर प्रदेश के स्कूलों के बारे में क्या सरकार निम्नलिखित सूचना देने की कृपा करेगी :--

(१) स्वीकृत हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या जिनमें :

(क) कक्षा ११ है, और

(ख) कक्षा ११ नहीं है,

(ग) इम्दादी, और

(घ) गैर इम्दादी।

(२) कुल गैर सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूलों में निम्नलिखित प्रकार के अध्यापकों की संख्या :

(क) पोस्ट-ग्रेजुएट टीचर जो इन्टर क्लासों को पढ़ाते हैं,

(ख) ग्रेजुएट टीचर जो इन्टर क्लासों को पढ़ाते हैं,

(ग) ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर,

(घ) ट्रेन्ड अन्डर ग्रेजुएट टीचर,

(ङ) जे० टी० सीज०

(च) सी० टीज०,

(छ) अनक्वालिफाइड--(क) हेड्स और (ख) असिस्टेंट मास्टरों की संख्या जो (अ) एक वर्ष से कम काम कर रहे हों और (ब) एक वर्ष से अधिक काम कर रहे हों ?

S. No. 18
Date
15-10-52

8. Sri Kanhaiya Lal Gupta; Will the Government please supply the following information regarding the schools in Uttar Pradesh:

(i) The number of recognised Higher Secondary Schools having (*a*) Class XI, (*b*) without Class XI, (*c*) Aided, (*d*) Unaided ?

(ii) The number of following categories of teachers in all non-Government Higher Secondary Schools :

(*a*) Post-Graduate teachers teaching Inter classes,

(*c*) Trained Graduate teachers,

(*d*) Trained under-graduate teachers,

(*e*) J. T. Cs.,

(*f*) C. Ts.,

(*g*) The number of unqualified (*a*) Heads, (*b*) Assistant Masters working for (i) less than one year (ii) more than one year ?

श्री हर गोविन्द सिंह—

(१) (क) सूचना एकत्रित की जा रही है।				(i) (a) The information is being collected.
(ख) " " " "				(b) " " " "
(ग) " " " "				(c) " " " "
(घ) " " " "				(d) " " " "
(२) (क) सूचना एकत्रित की जा रही है।				(ii) (a) " " " "
(ख) " " " "				(b) " " " "
(ग) " " " "				(c) " " " "
(घ) " " " "				(d) " " " "
(ङ) " " " "				(e) " " " "
(च) " " " "				(f) " " " "
(छ) " " " "				

श्री कन्हैयालाल गुप्त—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या ८ के (१) (२) में जो यह कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है वह सूचना कब तक मिल जायगी ?

श्री हर गोविन्द सिंह—जो सूचना मांगी गई है उसके एकत्रित करने में डिपार्टमेंट को काफी समय लग सकता है और जिस प्रकार की सूचना चाहिये उसमें जितना भी समय लगेगा, कम ही होगा ।

प्रत्येक वर्ष एल० टी० पास करने वालों की संख्या

प्रा० सं० १९
तारीख
१५-१०-५२

९—श्री कन्हैया लाल गुप्त—(क) एल०टी०किये हुये लोगों की वास्तविक संख्या क्या है जो कि प्रत्येक वर्ष ट्रेनिंग कालेजों से पास होकर निकलते हैं और राजकीय स्कूलों की वार्षिक मौजूदा जरूरतें क्या हैं ?

(ख) क्या सरकार जे० टी० सीज० के संबंध में उपरोक्त सूचना देने की कृपा करेगी ?

S. No. 19
Date
15-10-52

9. Sri Kanhaiya Lal Gupta : (*a*) What is the real number of L. Ts. the training colleges produce every year and what is the present annual requirement of the State Schools ?

(*b*) Will the Government supply the above information regarding J. T. Cs.

श्री हर गोविन्द सिंह--

(क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) " "

Sri Har Govind Singh: (a) and (b) The information is being collected.

असन्तुष्ट अध्यापकों की अपीलें

ता० सं० २०
तारीख
१५-१०-५२

१०--श्री कन्हैया लाल गुप्त--हायर सेकेंड्री स्कूलों के ऐसे असन्तुष्ट अध्यापकों की संख्या क्या है जिनकी दादरसी के लिये अपीलें (क) ६ महीने या (ख) एक वर्ष से अधिक सरकार या आर्बिट्रेशन बोर्ड के सामने पड़ी हुई हैं ?

O.N.20
Date
15-10-52

10. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**:--What is the number of aggrieved Higher Secondary School teachers whose appeals for redress are lying with the Government or Aribitration Board for more than (*a*) six months, (*b*) one year

श्री हर गोविन्द सिंह--सूचना एकत्रित की जा रही है।

Sri Har Govind Singh: The information is being collected.

बोर्ड आफ़ हाई स्कूल ऐण्ड इन्टरमीडियेट एजुकेशन, उत्तर प्रदेश द्वारा परीक्षकों की नियुक्ति

ता० सं० २१
तारीख
१५-१०-५२

११--श्री कन्हैया लाल गुप्त--(क) क्या यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों से बोर्ड आफ़ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडियेट एजुकेशन, यू० पी० ने कुछ ऐसे परीक्षकों को नियुक्त किया है जो कि इस प्रयोजन के लिये उपयुक्त योग्यता नहीं रखते हैं और जिन्होंने नियमों के अधीन इसके लिये कभी भी प्रार्थना-पत्र नहीं दिया ? (देखिये बोर्ड का रिजोल्यूशन सं० १६, दिनांक २० दिसम्बर, १९४३ ।)

(ख) यदि हां, तो सन् १९५२ ई० में ऐसे परीक्षकों की संख्या क्या थी और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करना चाहती है जो इस अनियमितता के लिये जिम्मेदार थे ?

(ग) क्या सरकार सन् १९५३ ई० की परीक्षाओं के लिये अयोग्य परीक्षकों की जगह पर योग्य परीक्षकों को रखने के लिये प्रभावपूर्ण कदम उठाने का इरादा रखती है ?

O.N.21
Date
15-10-52

11. **Sri Kanhaiya Lal Gupta**:--(*a*) Is it a fact that for the last several years many examiners have been appointed by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh who are not qualified for the purpose and who had never even filed their applications for it as required under rules (*vide* resolution no. 16, dated December 20, 1943 of the Board) ?

(*b*) If so, what was the number of such examiners during the examinations for the year 1952 and what action do the Government intend to take against those responsible for the irregularity ?

(*c*) Do the Government intend to take effective steps to replace unqualified examiners by those qualified for the examinations of 1953 ?

श्री हर गोविन्द सिंह--(क) अयोग्य व्यक्ति कोई नियुक्त नहीं किये गये। ऐसे व्यक्ति अवश्य नियुक्त किये गये जिन्होंने आवेदन-पत्र नहीं भेजे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Sri Har Govind Singh:--(*a*) No unqualified persons have been appointed. Such persons have, however, been appointed who did not apply for it,

(*b*) Question does not arise.

(*c*) Question dose not arise.

श्री कन्हैया लाल गुप्त--क्या सरकार यह अनुचित नहीं समझती कि कुछ ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं जिन्होंने आवेदन-पत्र नहीं दिया था, जब कि इस प्रकार के आवेदन-पत्र दिया जाना आवश्यक है?

श्री हर गोविन्द सिंह--बहुत से ऐसे सम्मानित व्यक्ति होते हैं जो आवेदन-पत्र नहीं देते हैं, इसलिये ऐसे व्यक्तियों का नियुक्त होना कोई अनुचित नहीं है।

श्री कन्हैया लाल गुप्त-क्या सरकार को मालूम है कि बोर्ड के नियमों के अन्तर्गत केवल विशेष व्यक्ति ही नियुक्त किये जा सकते हैं, जब कि कुछ साधारण व्यक्तियों को भी एक्ज़ामिनर नियुक्त किया गया है?

श्री हर गोविन्द सिंह--ऐसा तो मुझे मालूम नहीं है, शायद माननीय सदस्य को मालूम होगा परन्तु इतना अवश्य है कि यह बिना आवेदन-पत्र के ही नियुक्त हुये हैं।

श्री कन्हैया लाल गुप्त-- यदि ऐसे नियम बहुत बड़ी संख्या में प्रस्तुत किये जा सकें तो क्या सरकार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये तैयार है?

चेयरमैन--इस तरह के हाईपोथेटिकल क्वेश्चन (hypothetical questions) नहीं पूंछे जाने चाहियें, इसलिये मैं इस प्रश्न को पूछने की आज्ञा नहीं देता।

उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज़ (संशोधन) विधेयक, १९५२-(जारी)

खंड २३

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४८ का संशोधन।

२३--मूल अधिनियम की धारा ४८ में--

(१) उपधारा (२) में--

(क) खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय--

"(a) that there has been a failure on the part of the president in performing his duties, give him a warning or remove him from office as the State Government think fit, or"; और

(ख) खंड (बी) में--

(१) उपखंड (१) में शब्द और संख्या "sub-section (3) of section 14" शब्द और संख्या के स्थान पर "sect ion21-D and 13-D" रखे जायं।

(२) उपखंड (v) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (vi) के रूप में रखा जाय।

"(vi) been guilty of gross misconduct in the discharge of his duties"; और

(२) उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा (३) के रूप में रक्खी जाय:–

"(3) The State Government may place under suspension a President against whom action is proposed under sub-clause (vi) of clasue (*b*) of sub-section (2) until the proceedings are over and where a President has been so suspended he shall not for so long as the order of suspension continues the entitled—

(*a*) to exercise the powers or perform the duties of a President imposed upon him by or under this Act or any other enactment for the time being in force ; and

(*b*) to take part in any proceedings of the board,,.

***श्री राजा राम शास्त्री** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय:

"Provided that any suspension or removal will take place only when demanded by the mojority of the board concerned".

इसके संबंध में मुझे ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि मैंने इस संबंध में कल काफ़ी कह दिया है। इस वक्त सिर्फ़ यह चाहता हूं कि कल जो बहस श्री गुरुनारायण जी के संशोधन पर हो रही थी कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ में पावर ले ली है, तो अगर बाई मेजारिटी आफ़ वोट म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ़ शिकायत करते हैं तो उसमें भी चेयरमैन को जवाब देने का मौक़ा रहना चाहिये। पहले सरकार जांच करके मालूम कर ले कि वास्तव में इसके खिलाफ़ कार्य करना जरूरी है और अगर साबित हो जाता है कि उसका वाक़ई कसूर है तभी उसके खिलाफ़ कार्यवाही की जानी चाहिये। कहीं उसके साथ भी सरकारी कर्मचारियों वाला बर्ताव न हो कि जिसने चाहा और जब चाहा निकाल दिया। इसी से संबंधित मेरा यह संशोधन है।

श्री मोहन लाल गौतम (स्वशासन मंत्री)—इस पर कल काफी बहस हो चुकी है जैसा कि श्री राजा राम जी ने कहा व जो दलील उन्होंने दी है मैंने उसका भी जवाब दे दिया है और वह सदन के सामने है। जहां तक बोर्ड की मैजारिटी का सवाल है, उसको हमेशा यह अधिकार है, और यह कोई नई चीज नहीं है। इसके अलावा जो अधिकार इस अमेंडमेंट में दिये गये हैं और जिसका जिक्र कि इस अमेंडमेंट में है उसको अगर गवर्नमेंट उचित समझे, तभी हो सकता है और तभी वह हटाया जा सकता है। यह दोनों चीजें वैसे साथ ही साथ चल सकती हैं और जहां तक राजाराम जी की बात का संबंध है वह तो विधान में है ही। इसलिये मैं समझता हूं कि इस अमेंडमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है।

***श्री प्रभु नारायण सिंह** (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब देते हुये कहा कि यह तो विधान में पहले से है ही, तो मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि अगर आज जेनरल एडेल्ट फ्रैन्चाईज से चुना हुआ प्रेसीडेंट होगा, तो उस पर अगर वोट आफ़ नो कान्फीडेंस (vote of no Confidence) रखा जायेगा, तो उसमें बोर्ड के मेम्बरों के लिये क्या होगा। क्योंकि इस समय मैं समझता हूं कि ऐसा कोई प्रावीजन इस बिल के अन्दर नहीं है कि उस पर वोट आफ़ नो कान्फीडेंस बोर्ड का रह सकता है। इस चीज का प्रावीजन नहीं है। यदि यह प्रावीजन इस बिल में है, तो इसके साथ ही साथ यह बात और भी साफ़ तौर से हो जाती है जबकि विधान में यह दिया हुआ है। तो इसके होने के बाद यह बात जरूरी हो जाती है कि जब कोई आदमी एडेल्ट फ्रैन्चाईज और जिम्मेदार लोगों से चुनकर वहां आया है और बोर्ड के पास यह पावर हो, तो यह चीज और भी अच्छी हो जाती है। तो इसके लिये इतना ही आवश्यक है कि यदि वह प्रावीजन इस बिल के अन्दर है कि वह वोट आफ़ नो कान्फीडेंस से हटाया जाना है,

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

तो राजा राम जी ने जो प्रस्ताव रखा है, इससे यह बात और भी मजबूत हो जाती है। यदि यह बात होगी तो वहां जो बोर्ड का बहुमत है, उसके द्वारा यह बात होगी और आज जो प्रेसीडेंट चुना हुआ है और वह एडेल्ट फ्रेन्चाईज़ से वहां आया है, तो जब तक उन मेम्बरों की ऐसी राय नहीं हो जाती है, तब तक उसकी डिगनिटी डिफेम नहीं होनी चाहिये और बोर्ड की जब राय हो तभी उस पर ऐक्सन लिया जाना चाहिये। जहां तक जेनरल एलोक्ट्रेट और चुनाव की बात है और उसमें जो बोर्ड के प्रेसीडेंट होने की बात है, तो वह पहले भी जेनरल एलोक्ट्रेट से होता था और इसी तरह से जो अब प्रेसीडेंट होंगे वे भी जेनरल एलोक्ट्रेट और चुनाव से होंगे जो प्रेसीडेंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के होते थे उनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अन्दर चुनाव द्वारा चुना जाता था। आजकल थोड़े से ऐसे प्रेसीडेंट हो गये हैं जिनके केस में ऐसा न हुआ हो। कुछ को बोर्ड ने चुना हुआ है, लेकिन जो अन्य बोर्ड हैं उनमें जनरल चुनाव किया गया था। खैर यह चीज किसी तौर से भी हो, मैं यहां उस पर बहस नहीं करता, लेकिन इसके लिये और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का वह प्रेसीडेन्ट हो जब तक कि उनकी पावर सेपरेट न करदी जायें। तो इस चीज़ को भी मेजारिटी के पास जाना चाहिये और मैजारिटी का उस पर कान्फीडेंस होना जरूरी है। इसलिये आज तक जो भी कानून है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मामले में, वह बिना मैजारिटी के, इस तरह का नो कान्फीडेंस मोशन पास नहीं कर सकती है। अगर मेजारिटी नो कान्फीडेंस पास करे तो चेयरमैन हटाया जा सकता है। अगर म्यूनिसिपैलिटीज़ के चेयरमैन के विरुद्ध मेजारिटी नो कान्फीडेंस का प्रस्ताव करती है तो वह भी हटाया जा सकता है। जिस बात के लिये यह अमेंडमेंट है वह प्रावीजन तो पहले से ही मौजूद है। म्यूनिसिपल बोर्ड का चेयरमैन जिसको अब प्रेसीडेंट कहेंगे गवर्नमेंट हटा सकती है। पहले तो मेजारिटी हटा ही सकती थी, लेकिन इसके अलावा अगर फेल्योर आफ़ ड्यूटी एन्ड ग्रास मिसकन्डक्ट हो, तो ऐसी हालत में गवर्नमेंट हटायेगी। यह प्रावीज़न अलग है। जैसे एक बोर्ड है और उसका एक चेयरमैन है। नाम मैं नहीं लूंगा वाक्ये के तौर पर कहता हूं। वह रिश्वत लेता है और स्टाफ़ के लोग उसके खिलाफ लिख कर भेजते हैं और कहते हैं कि अगर इन्क्वायरी की जाय तो हम लोग उस रिश्वत को साबित कर सकते हैं। अब जब उसके खिलाफ़ तहकीक़ात की जाती है तो मुलाज़िमान को हिम्मत नहीं है कि चेयरमैन के खिलाफ़ गवाही दे सके और जब तक कि उसको अख्तयार रहता है वह अपना कागज ठीक कर लेता है और गड़बड़ी भी करता है। यह भी देखने में आया है। मेजारिटी में ऐसा होता है कि चेयरमैन के हटने से म्यूनिसिपल बोर्ड का ऐडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाता है। और जब वह चुना जाता है अगर हटा दिया जाय, तो कुछ मुरव्वत भी होती है वह फिर खड़ा नहीं होता है इसलिये तमाम बातों को देखने से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सिर्फ मेजारिटी ही पर डिपेंड रहना काफी नहीं है। इसलिये २ बातें रखी गई हैं। फेल्योर आफ़ ड्यूटी एन्ड ग्रास मिसकन्डक्ट ऐसा न होगा कि किसी साहब ने मिनिस्टर साहब से कह दिया और वह किसी पार्टी फीलिंग के कारण हटा दिया जायेगा। मैं कल भी कह चुका हूं कि बहुत से मामले हाई कोर्ट में पेश हो चुके हैं और फ़ाईल्स देखी जा चुकी है और जितने केसेज़ हुये सब बहाल रहे इसलिये आप समझ लीजिये कि जो प्रोसेस है वह ठीक है और इस अमेंडमेंट से कोई फ़ायदा न होगा। इन शब्दों के साथ मैं इसको अपोज़ करता हूं।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि खंड २३ के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिया जाय :

"Provided that any suspension or removal will take place only when demanded by the majority of the board concerned."

श्री प्रभु नारायण सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित धारा ४८ की प्रस्तावित उपधारा (३) के अन्त में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाय :

"*Explanation*—The proceedings of inquiry shall be finished within 3 months of the date of suspension and a fresh election if necessary, be held within the next three months."

मैं चाहता हूं कि दफ़ा २३ जो इस अमेंडिंग बिल में है, उसके दूसरे हिस्से में यह एक्स-प्लेनेशन बढ़ा दिया जाय। दफ़ा २३ खासतौर से ओरीजिनल ऐक्ट की दफा ४८ है। इस सिलसिले में मैं यह चाहता हूं कि इस ससपेंशन की जो इन्क्वायरी हो वह तीन महीने के अन्दर खत्म हो जाये। और साथ ही साथ यदि यह साबित हो जाये कि सस्पेंशन किया जाना चाहिए तो इस फ़ैसले के तीन महीने बाद ही चुनाव भी हो जाना चाहिए। यह संशोधन मैंने इसलिए रखा है कि ऐसा अक्सर देखा जाता है। एकाध उदाहरण भी मेरे सामने हैं कि जब एकाध चेयरमैन के ऊपर नो कांफीडेंस पास हुआ तो उसको गजट करने में करीब तीन महीने या चार महीने की देर लगी। मेरे कहने का यह मतलब नहीं है कि हमारे माननीय मंत्री जी की वजह से उसमें देर लगी। यह सम्भावना हो सकती है कि यह चीज़ मिनिस्टर की एबिलिटी और इन्टेग्रिटी पर डिपेन्ड करे कि वह कैसे मसले को डिस्पोज़ आफ़ करता है लेकिन इसके साथ ही कोई न कोई प्रतिबन्ध जरूर होना चाहिये कि इन्क्वायरी जल्द से जल्द समाप्त हो जाये। नहीं तो कोई प्रतिबन्ध न होने की वजह से सालों इन्क्वायरी चलती रह सकती है। यदि सालों इन्क्वायरी चलती रहती है तो वह बोर्ड जिसका चेयरमैन सस्पेंड होता है वर्षों तक दूसरा प्रेसीडेन्ट प्रतिष्ठित करने से महरूम रहेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन्क्वायरी तीन महीने के अन्दर खत्म हो जाये और यदि फैसला यह होता है कि उसको हटा देना चाहिये तो जिस तारीख को यह फैसला होता है उसके तीन महीने के अन्दर चुनाव हो जाना चाहिये।

श्री मोहन लाल गौतम—जहां तक इन्क्वायरी को तीन महीने में खत्म करने की बात है, वैसे तो यह बड़ी सीधी-सादी बात मालूम पड़ती है लेकिन इससे बड़े खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। अगर किसी एक्यूज्ड को मालूम हो कि कानून यह है कि तीन महीने के बाद इन्क्वायरी खत्म हो जायेगी तो इसका बहुत बुरा नतीजा निकल सकता है। अगर उस एक्यूज्ड ने डिलेइंग टैक्टिक्स की और हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया और तीन महीने में इन्क्वायरी खत्म नहीं हुई तो कितने अच्छे तरीक़े से आपने उस एक्यूज्ड को मौक़ा दे दिया कि चाहे जितने सीरियस चार्जेज उसके खिलाफ़ हों फिर उसके खिलाफ़ इन्क्वायरी नहीं हो सकती। और एक दफ़ा इन्क्वायरी करने के बाद फिर दोबारा इन्क्वायरी कर सकेंगे या नहीं, यह भी सोचने की बात है। मेरा ख्याल है कि नहीं कर सकेंगे। किसी वजह से अगर इन्क्वायरी नहीं हुई और डिलेइंग टैक्टिक्स उसने इस्तेमाल किया तो आप उसको बरी कर देते हैं और फिर आपके हाथ कट जाते हैं और आप उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। मैं इस बात से सहमत हूं कि इन्क्वायरी अगर हो तो जल्द से जल्द हो। कोई आदमी अगर सस्पेंड हो तो यह न हो कि वह वर्षों तक सस्पेंड ही रहे। कोई आदमी अगर सेट साइड हुआ है तो चुनाव भी जल्द से जल्द हो जाना चाहिये। पिछली बातों को अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि कितने ही प्रेसीडेंन्ट्स ने इस्तीफ़ा दिया है, उनके इस्तीफ़ा देने के बाद ही कितनी जल्दी चुनाव हुये हैं, शायद हफ्ते दो हफ्ते में चुनाव हो गये हैं। अगर कोई खास मिसाल उनके सामने हो तो मैं यह कह सकता हूं कि अगर देर होती है तो देर न होना चाहिये लेकिन इस तरीक़े पर बंधन लगाने से बहुत सी खराबियां हो सकती हैं।

श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—इन्फ़ारमेशन के तौर पर मैं यह

श्री मोहन लाल गौतम—आप इनफ़ारमेशन नहीं दे रहे हैं। आप तो अपनी राय दे रहे हैं।

श्री प्रभुनारायण सिंह—जहां माननीय मंत्री जी निर्णय की बात कहते हैं कि इन्क्वायरी जल्दी से जल्दी खत्म कर देनी चाहिये। यदि सचमुच वे इससे इत्तफ़ाक करते हैं तो इस समय आर्डिनरी कोर्स में इस अमेंडमेंट को मंजूर कर लें तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। मंत्री जी ने जो कुछ कहा उसको मैं ठीक समझता हूं। यदि मेरे शब्द बढ़ा दिये जायं और इस संशोधन को मान लिया जाय तो मंत्री जी को लाभ ही होगा।

श्री मोहन लाल गौतम—इससे मुकदमेबाजी बढ़ सकती है और कोई दूसरा इससे फायदा नहीं होगा।

चेयरमैन—The question is that the following explanation be added after the propsed sub-section (3) of section 48.

"*Explanation*—The proceedings of enquiry shall be finished within three months of the date of suspension and a fresh election, if necessary, be held within the next three months".

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २३ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २४

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ५७ का संशोधन।

२४—मूल अधिनियम की धारा ५७ में उपधारा (२) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा २–ए के रूप में रखी जाय :

"(2-A) Every board shall, if so required by the State Government employ in addition to or in place of the Accountant, an Accounts Officer nominated by the State Government either separately local or jointly with one or more than one board or any other authority on the terms and conditions as may be prescribed by the State Government from time to time."

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—I beg to move that in the proposed section (2-A), line 1 and 2, *Delete* the words "If so required by the state Government" and in lines 2 and 3 *delete* the words "or in place of."

श्रीमान् जी, इस संशोधन के रखने का मेरा अभिप्राय यह है कि सरकार ने एकाउन्ट्स आफिसर रखने के लिये निश्चय किया है। एकाउन्ट्स आफिसर म्यूनिसिपल बोर्ड रखे। सरकार ने जो यह धारा संशोधित की है उसमें उन्होंने यह लिखा है कि हर बोर्ड एकाउन्टस आफ़िसर रखेगा। तो मेरे कहने की मंशा यह है और मैं समझता हूं कि सरकार ने जो यह एकाउन्ट्स आफ़िसर को रखने के लिये जो क़दम रखा है वह बहुत ही ठोस कदम है। म्युनिसिपैलिटीज़ में जो बहुत सी गड़बड़ी होती है और भ्रष्टाचार होता है वह रुक सकता है। मैं चाहता हूं कि जब सरकार ने एकाउन्ट्स आफ़िसर रखने के लिये निश्चय किया है तो फिर यह चीज़ हटा दी जाय कि सरकार कहीं पर रखे और कहीं पर न रखे। मैं चाहता हूं कि यह कम्पलसरी कर दिया जाय। इससे बोर्ड का काम अच्छा होगा जो गबन होता रहा है उससे छुटकारा मिल जायेगा। इसमें और कोई विशेष बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम--जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है, उन्होंने इस बात को मान लिया है कि एकाउन्ट्स आफिसर की जरूरत है। जो हिसाब में गड़बड़ी होती है वह इससे दूर हो जायेगी। प्रश्न इस समय इतना ही है कि क्या इस समय एक साथ में कानून पास करके तमाम बोर्डों को कह दें कि हर एक बोर्ड एकाउन्ट्स आफिसर रखे। जिस तरह से आपने संशोधन को रखा है वह यह है कि मजबूरन सब को रखना पड़ेगा। लेकिन एकाउन्ट्स आफिसर वहीं रखा जा सकता है जब तक गवर्नमेंट जरूरी न समझे। हर एक म्यूनिसिपल बोर्ड की आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं है। एकाउन्ट्स आफिसर को हर जगह रखने की बात की जायेगी तो या तो बहुत थोड़ी तनख्वाह वाले हो जायेंगे या वे सब रख नहीं पायेंगे। वह चीज जो माननीय गुरु नारायण जी चाहते हैं कि वहां का हिसाब किताब बेहतर हो तो मैं चाहता हूं कि उसका रास्ता निकाला जाय। इरादा यह है कि कुछ म्यूनिसिपल बोर्ड्स में शुरू में एकाउन्ट्स आफिसर रक्खे जायें और उनका तजुर्बा देखा जाय और फिर दूसरे म्यूनिसिपल बोर्ड की आर्थिक अवस्था देख कर जहां-जहां जरूरी समझा जाय वहां एकाउन्ट्स आफिसर रख दिये जायं। उद्देश्य वही है कि एकाउन्ट्स सही हों। अगर कुंवर गुरुनारायण जी के संशोधन को हम मंजूर कर लेते हैं तो मुसीबत और मुश्किल हो जायगी। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इसको मंजूर नहीं कर सकता।

श्री कुंवर गुरु नारायण--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अभी विचार माननीय मंत्री ने प्रकट किये हैं मैं तो एकाउन्ट्स आफिसर से यह मतलब समझा था कि एकाउन्ट्स आफिसर इन म्यूनिसिपल बोर्ड्स के एकाउन्ट्स को सुपरवाइज करेंगे और एकाउन्टेंट तो होंगे ही। यह चीज तो इस धारा में लिखी हुई है कि एकाउन्ट्स आफिसर रखे जायंगे। यह चीज साफ तौर से इसमें दी हुई है कि ज्वाइन्टली या सेपरेटली म्यूनिसिपल बोर्ड्स द्वारा रखे जायंगे। पर यह कोई अनिवार्य नहीं है कि हर म्यूनिसिपल बोर्ड्स में एकाउन्ट्स आफिसर रखे ही जायं लेकिन एकाउन्ट्स आफिसर का तात्पर्य मैं यह समझा कि वह एकाउन्ट्स के सेक्शन को सुपरवाइज करेंगे। यह मैं अभी तक समझा था। मैं चाहता हूं कि एकाउंट्स आफिसर हर हालत में जरूर रखे जावें। मैं समझता हूं कि यही उद्देश्य भी इन एकाउन्ट्स आफिसर्स के रखने का है। बहरहाल, मेरा यह सुझाव है फिर जैसा आप उचित समझें, करें।

श्री मोहन लाल गौतम--एकाउन्ट्स आफिसर की जितनी जिम्मेदारी कुंवर गुरुनारायण ने समझी है, उससे वह कुछ अधिक है। यह भी हो सकता है कि बड़ी-बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज में एकाउन्ट्स आफिसर रखे जायं और छोटी में न रखे जायं। लेकिन एकाउन्ट्स आफिसर, जो खर्च करने की बात है, उसको देखेगा और अगर चेयरमैन भी किसी में कुछ खर्च करता है तो इस पर भी वह राय जाहिर कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि करीब-करीब वह एक एकाउन्टेन्ट की ही जिम्मेदारी लेता है और सिर्फ सुपरविजन का ही काम उसका नहीं रहता है। इसलिये मैं इसको मंजूर नहीं करता हूं।

चेयरमैन--The question is that in the proposed section (2-A), line 1 and 2, the words "if so required by the State Government". be deleted and in lines 2 and 3 the words "or in place of" be deleted.

... (प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजा राम शास्त्री--Sir, I beg to move that in the proposed section (2-A) line 2 the words "in consultation with the board concerned" be inserted between the words "Government" and the word "employ."

चेयरमैन--यह अपने संशोधन का एक भाग प्रस्तुत कर रहे हैं पूरा संशोधन नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं।

श्री मोहन लाल गौतम--मेरा तो यह ख्याल है कि यह अमेंडमेंट आउट आफ आर्डर है क्योंकि इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जिक्र है। आधा हिस्सा है और आधा नहीं है तो इस तरह का अमेंडमेंट मूव नहीं किया जा सकता है।

चेयरमैन--मैंने कल यह रूलिंग दी थी कि इस विधेयक में किसी नई व्यवस्था का आयोजन नहीं किया जा सकता। जहां तक उसका ताल्लुक है वह विधेयक के स्कोप के बाहर है लेकिन किसी संशोधन का अगर कोई हिस्सा विधेयक के स्कोप के अन्दर हो तो उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिये इसमें से जितना प्रस्तुत किया जा सकता है वह प्रस्तुत किया जा रहा है।

श्री हर गोविन्द सिंह--Does it mean that we can break the amendment in two parts, accept the one and leave the other ?

चेयरमैन--We can break the amendment in two parts. If the Chair has ruled that one part is out of order, it does not mean that the other part also becomes automatically out of order. If, of course, it is so joined that one part cannot be seperated from the other, then the other part would also become out of order. Does the Minister mean that the two parts cannot be taken seperately ?

श्री हरगोविन्द सिंह--Sir, I think the amendment stands as a whole and cannot be taken in parts. If the mover had meant that any amendment can be broken into parts, he should have given notice of two amendments.

यू० । २, १ धारा संशो

चेयरमैन--If an amendment relates to one caeuse, then a number of items that relate to that particular clause can be added in one amendment and it is quite within the competence of the House to accept one part and reject the other. It is not necessary that the amendment should be accepted as a whole and a part can be accepted.

श्री मोहन लाल गौतम--If that is your order, Sir, that the House can accept a part of the amendment and reject the other part of the amendment, would you put the amendement before the House for voting in parts separately, or would you put the to entire amendment before the House. How can the House accept a part and reject the other, unless the Chair puts the amendment in parts.

चेयरमैन--It is within the competence of the Chair to put any amendment in the manner it thinks best. If necessary, the Chair can divide the amendment before putting it before the House.

श्री राजाराम शास्त्री--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे यह मौका मिला कि मैं अपने पहिले संशोधन को पेश कर सकूं।

मैं यह चाहता हूं कि शब्द "Government" और "employ" के बीच में शब्द "in consulation with the board concerned" जोड़ दिया जाये। इस संशोधन को पेश करने का मेरा मतलब यह है कि एकाउन्ट्स आफिसर जो गवर्नमेंट नामिनेट (नियुक्त) करेगी उसकी बाबत इस तरह की संभावना हो सकती है कि गवर्नमेंट किसी को एकाउन्ट्स आफिसर नामिनेट करती है और बोर्ड उसको ठीक नहीं समझता तो ऐसी हालत में एकाउन्ट्स आफिसर को किस का कान्फीडेंस गेन करने की जरूरत है म्युनिसिपल बोर्ड का या गवर्नमेंट का। अगर एकाउन्ट्स आफिसर को बोर्ड में काम करना है तो म्युनिसिपल बोर्ड का कान्फीडेंस गेन करना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा आभास होता है कि कई जगहों पर इक्जीक्यूटिव आफिसर के बारे में झगड़ा हो चुका है। म्युनिसिपल बोर्ड नहीं चाहता है कि यह

आफ़िसर रखा जाय लेकिन सरकार उसको रखना चाहती है तो इस तरह से दोनों में झगड़ा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि जो एकाउन्ट्स आफ़िसर आप रखना चाहते हैं उसके बारे में यह सुविधा हो कि आप उसको बोर्ड की सलाह से रक्खें। मैं यह नहीं कहता कि सरकार उस को न रक्खे लेकिन जिस बोर्ड में रखा है उसकी राय की भी जरूरत है। मेरा संशोधन स्पष्ट है वह माननीय मंत्री जी की समझ में आ जायेगा और वह इसे स्वीकार भी करेंगे।

श्री मोहन लाल गौतम—यह जो एकाउन्ट्स आफ़िसर को अप्वाइन्ट करने का मकसद है और जिस के बारे में श्री कुंवर गुरु नारायण जी काफी बोल चुके हैं उस का मतलब ही खत्म हो जायेगा अगर राजाराम जी का संशोधन मंजूर हो जाये। यद्यपि उन के संशोधन का एक हिस्सा आउट आफ आर्डर हो गया लेकिन उनके ख्याल से ऐसा जाहिर होता है कि वह सेलेक्टेड बाइ दि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पब्लिक सरविस कमीशन (selected by the local self-Government Public Service Commission) से चाहते हैं। वह बोर्ड के ऊपर उसका सेलेक्शन रखना चाहते हैं। जब आप बोर्ड को सलेक्शन की फाइनल अथारिटी देते हैं तो बोर्ड उसको किसके वास्ते सलेक्ट करेगा। ऐसा करना ग़लत होगा। जब बोर्ड को यह अधिकार रहेगा तो बोर्ड जिसे चाहता है उसी का नाम सजेस्ट करेगा क्योंकि हमारे देखने में आया है कि बोर्ड में सिफारिश सिर्फ उन लोगों की होती है जिन को वह जानते हैं या जो उस शहर के होते हैं। जब इस तरह से अप्वाइंटमेंट बोर्ड के हाथ में हो जायेगा तो जो खराबी वह दूर करना चाहते थे, नहीं हो सकती इसलिये मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन राजाराम जी ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूं कि आज यह चीज साफ तौर से है कि पब्लिक सरविस कमीशन के बारे में यह दृष्टि कोण बन चुका है कि उसे इम्पारशियल होना चाहिये। इसलिये यहां भी हम चाहते हैं कि वह पब्लिक सरविस कमीशन से अप्वाइन्ट किया जाय। चूंकि इस अमेंडमेंट का कुछ हिस्सा आउट आफ आर्डर हो गया है लेकिन हम जरूर महसूस करते हैं कि यदि पब्लिक सरविस कमीशन से अप्वाइन्टमेंट की बात मान ली जाय तो मैं समझता हूं कि राजाराम जी भी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे। यदि आप इसे नहीं मानते हैं तो यह संशोधन जरूर मान लेना चाहिये कि बिना बोर्ड की राय के किसी तरह से अप्वाइन्टमेंट नहीं होना चाहिये।

श्री निजामुद्दीन (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय चेयरमैन साहब, राजा राम साहब ने जो संशोधन पेश किया है मेरा ख्याल है कि इस में दो दिक्कतें हैं। पहला यह कि जिस परपज के लिये यह आफिसर मुकर्रर करना है वह चला जाता है। जैसा कि ऊपर आ चुका है कि जहां पर जरूरत होगी वहीं यह आफिसर रखा जायेगा। उस के माने यह हैं कि जिस बोर्ड की हालत पर कुछ शक होगा या उसकी हालत खराब हो गयी हो और वहां का अकाउन्ट ठीक न हो रहा हो और गड़बड़ी हो रही हो तो ऐसी जगह पर उस की जरूरत पड़ेगी। वहां पर ऐसा आफिसर रखा जायेगा जो जाकर उस बोर्ड की हालत को देख सके। अगर आप बोर्ड से मशविरा करते हैं तो उसका नतीजा यह होगा कि जो सरकार का मकसद है वह नहीं हो सकता। ऐसी हालत में वे कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा आफिसर हमारे यहां रखा जाय जो कि खर्चे को देखें। तो जो चीज शास्त्री जी इस कानून में रखना चाहते हैं उस की जरूरत नहीं है। जब आप समझते हैं कि वह बिलकुल इन्डीपेंडेंट हो और किसी के पक्ष में न हो तो यह शर्त लगाना गलत है। माना कि वहां का चेयरमैन नहीं चाहता है कि ऐसा आफिसर रखा जाय लेकिन सरकार उस को रखना चाहती है तो इससे यह मतलब निकलता है कि अकाउन्ट्स आफिसर न रखा जाय। ऐसी सूरत में मैं कहूंगा कि आप ने जो यह संशोधन "in consultation with the board concerned" रखा है, गलत है।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, में माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो संशोधन पेश हुआ उस का उद्देश्य यह है कि सरकार उसको नामिनेट करे। हमारा मंशा यह था कि सरकार उसको नामिनेट न करे बल्कि कोई दूसरी ताकत उसको नामिनेट करे तो फैसला ज्यादा इम्पार्शल होगा। इसके लिये यह कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन इस काम को करे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर उसको कोई दूसरी ताकत करेगी तो ज्यादा अच्छा फैसला दे सकेगी।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि प्रस्तावित उपधारा (२) की पंक्ति २ में शब्द "Government" और शब्द "employ" के बीच शब्द "in consultation with the Board concerned" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २४ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २५–२७

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६०-बी का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा ६०-बी में से शब्द "Education" निकाल दिया जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६४ का संशोधन।

२६—मूल अधिनियम की धारा ६४ में शब्द "Executive officer" के बाद एक कामा जोड़ दिया जाय और उसके बाद शब्द "Accounts officer" रखा जाय।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६८ का संशोधन।

२७—मूल अधिनियम की धारा ६८ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"(1) A Board may, by special resolution, and if so required by the State Government, shall, appoint the principal officers of its technical departments such as Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Water Works Engineer, Assistant Water Works Engineer, Electrical and Water Works Engineer, Assistant Electrical and Water works Engineer qualified Overseer or Sub-Overseer and also Secretary and Superintendent or Lady Superintendent of Education."

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २५, २६ और २७ बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ६९ का संशोधन।

२८—मूल अधिनियम की धारा ६९, धारा ६९ की उपधारा (१) के रूप में परिगणित की जायगी और उसके बाद निम्नलिखित उपधारा (२) के रूप में जोड़ दिया जाय:

"(2) The State Government may suspend any officer appointed under sub-section (1) of section 68 pending decision of an appeal and may alter, amend or vary the order of the board."

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष महोदय, में प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित उपधारा (२) निकाल दी जाय।

इस धारा में यह कहा गया है कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड समझता है कि किसी आफिसर ने ग़लती की है तो उसको किसी प्रस्ताव के ज़रिये से या किसी और ज़रिये से दंड दे सकते हैं। किन्तु गवर्नमेंट फिर से यह पावर लेना चाहती है कि वह चाहे तो उसके हुक्म को बदल सकती है, संशोधित कर सकती है और जैसा चाहे कर सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका परिणाम यह होगा कि जो बोर्ड के आफिसर होंगे, उनकी निगाह बोर्ड की अपेक्षा सरकार की तरफ़ ज्यादा रहेगी। ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं कि अगर म्युनिसिपल बोर्ड ने अपने किसी आफिसर को दंडित किया और सरकार की तरफ से कोशिश होती है कि नहीं, हम इस आर्डर को बदलते हैं, तो निश्चित बात है कि सरकारी आफिसर यह समझने लगेगा कि उसको पूरा अधिकार है और फिर वह बोर्ड के हर मामले में दखलअन्दाजी करना शुरू कर देगा।

दूसरा इसका परिणाम यह होगा कि जब सरकार को अधिकार होगा तो आफिसर जिसको कि दंडित किया गया है वह बोर्ड की कोई परवा न करके सरकार के पास दौड़ धूप करेगा और फिर अगर कोई बात बोर्ड और सरकार के बीच में पैदा हो गई तो ऐसे मौके पर सरकार सारी ताकत अपने हाथ में लेना चाहती है और इस तरह से बोर्ड के हाथ से ताकत निकल जाती है। अगर बोर्ड को दंडित करने का अधिकार नहीं रहेगा तो इससे कोई अच्छी भावना आप नहीं पैदा करेंगे। इस बात को देखते हुये मुझे यह कहना है कि जहां पर सरकारी डिपार्टमेंटों का सवाल आता है तो डिपार्टमेंट अगर किसी आफिसर को सजा देता है तो हम लोग डिमांड करते हैं कि उस मसले को अदालत के सामने पेश किया जाय, वहां तो सरकार यह कहती है कि सरकारी कर्मचारियों के बीच में और सरकार के बीच में हम किसी के फैसले को मानने के लिये तैयार नहीं हैं और जो जजमेंट सरकार ने किया है वह ठीक ही किया है। लेकिन अगर बोर्ड अपने किसी आफिसर को दंडित करना चाहता है तो उसके लिये हुकूमत पावर अपने हाथ में करना चाहती है। मैं समझता हूं कि यह तरीका उचित नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर सरकारी कर्मचारियों को दंडित करने के लिये वही व्यवस्था रखिये जैसे कि लेबर वगैरह में इस ऐक्ट को देखने से मुझे यह मालूम पड़ता है कि सरकार ऐसा महसूस कर रही है कि जो ऊंचे बोर्ड हैं, उनकी ताकत अधिक से अधिक अपने हाथ में सीमित कर दिया जाय और इतने से ही ऐडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो जायेगा। लेकिन आप यकीन मानिये, इससे जितनी भी ऐसी संस्थायें हैं, वह शक्तिहीन हो जायेंगी। अगर इसी प्रकार उनकी ताकत छिनती चली जायेंगी। इस तरह के संशोधन करने से भी उनका प्रबन्ध अच्छा नहीं होगा। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि यह दफा निकाल दी जाय।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस है कि श्री राजाराम जी ने या तो धारा को अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है या अगर पढ़ा है तो वह समझे नहीं हैं। इसमें यह चीज नहीं है कि गवर्नमेंट डिसमिस करने का अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है। जो सवाल है वह यह है कि बोर्ड ने किसी के खिलाफ कार्यवाही की तो उसकी अपील सरकार के पास आयेगी जैसा कि अब भी होता आया है और वही चीज कन्टीन्यू करेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस चीज को माननीय सदस्य अपने दिमाग से निकाल दें कि सरकार पावर्स को रिजर्व करना चाहती है। अपील सुनने की जो पावर अभीतक सरकार को है वह अपील सुनने की पावर ज्यों की त्यों मौजूद रहेगी सिर्फ इतना है कि इस चीज में जो अपील आई है कि किस बिना पर बोर्ड में सजा मिली है तो उतने समय के लिये सरकार ससपेंड कर सकती है। मसलन वाटर वर्क्स के हेड क्लर्क के खिलाफ अपील आई, तो अगर गवर्नमेंट उचित समझती है कि उसको ससपेंड रक्खा जाय ताकि वह कोई कागजात वगैरह इधर से उधर न कर दे और किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो जाय तो जब तक उसका फैसला होता है सिर्फ उतने देर तक के लिये सरकार ने ससपेंड करने का अधिकार लिया है और यह उचित ही है। बाकी जितनी बातें हैं वह पहले की तरह से जारी रहेंगी। इसलिये मैं समझता हूं कि प्रस्तावक महोदय अपना संशोधन वापस ले लें तो ठीक हो।

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि हुकूमत जितनी पावर अपने हाथ में ले रही है, मंत्री जी को वह कम ही मालूम पड़ रही है। इतना समझते हुये भी वह हम को बता रहे हैं कि हम इसको समझे नहीं हैं। मान लिया जाय कि अपील आपके पास आई और आप उस पर विचार कर रहे हैं, तो जब तक उस पर फैसला न हो जाय और पावर आपके हाथ में है कि आप चाहे तो उसे बदल दें, आल्टर कर दें या उसमें अमेंडमेंट कर दें और जिस तरह से चाहें उस पर फैसला कर सकते हैं। तो जब अपील हो रही है और उस पर सुनवाई हो रही है, तो उस वक्त यह बात करना मुनासिब नहीं है यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मैं आपके सामने यह बतलाना चाहता हूं कि बाद में इसका क्या असर पड़ सकता है। आपके हाथ में जब ऐसी पावर होगी कि अपील हो और उसकी सुनवाई हो, तो फिर उसपर इन्फिलूएन्स डालने की कोशिश की जायेगी। मान लीजिये किसी मौके पर कोई चीज आई और माननीय मंत्री जी किसी के फैसले में इन्ट्रसटेड हैं और म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर ऐसा समझते हैं, तो वह ठीक से नहीं हो सकता है। इस तरह से बीच में पावर लेने से आप किसी चीज को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और अपने हाथ में और भी पावर्स इस किस्म की ले सकते हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—हम इस तरह से पावर नहीं ले रहे हैं, यह आपको गलतफहमी हो गई है।

श्री राजा राम शास्त्री—अगर यह पावर्स आपके अन्दर पहले से हैं, तो इसमें फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या है। जिस वक्त अपील हो रही है, सुनवाई हो रही है, तो उसके बीच में आप पावर न लें। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अपील के बीच में आप कोई चीज घटाना और बढ़ाना चाहें, यह तो मुझे मुनासिब नहीं मालूम होता है। जो इस तरह की छोटी संस्थायें हैं, अगर आप उनकी ताकत मानते हैं और आपने उनको अधिकार दिया है तो उनकी ताकत को फिर आप मत लीजिये। अगर किसी ने गलती की है तो उसको दंडित करने का और सजा देने का अधिकार और इस तरह की पावर उन्हीं के हाथ में होनी चाहिये। अगर आप अपने हाथ में यह पावर लें लेगे तो यह बहुत गलत काम होगा।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड २८ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २९

२९—मूल अधिनियम की धारा ७३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७३ का संशोधन
Appointment etc. of servants on the educational establishment

"73. (1) The power to appoint, grant leave of absence, punish, dismiss or control any servant on the educational establishment of the board—

(*a*) on or drawing a salary not exceeding Rs.40 p.m. or in a city Rs.50 p.m.;

(*b*) on or drawing a salary exceeding Rs 40 p.m. but not exceeding Rs.50 p.m. or in a city Rs.50 p.m. but not exceeding Rs75 p.m.,and

(*c*) any other servant other than the Superintendent or Lady Superintendent of Education,

shall be exercised—

(i) in the case of (*a*) and (*b*) above by the Superintendent or Lady Superintendent of Education, as the case may be, and where there is no such Superintendent or Lady Superintendent, by the Education Committee Subject to such conditions or restrictions as may be imposed by the board:

Provided that in the case of appointments of employees under clause (*b*), where these powers are to be exercised

by the Superintendent or Lady Superintendent, all such appointments shall be subject to the approval of the Chairman, Education Committee;

(ii) in the case of (*c*) above by the Education Committee of the board subject to such conditions or restrictions as the board may by resolution imposed in his behalf.

(2) An-appeal—

(*a*) in the case of an order of dismissal or removal or any other punishment passed by the Superintendent or Lady Superintendent shall lie to the Chairman of the Education Committee;

(*b*) in the case of an order of dismissal or removal passed by the Education Committee to the State Government; and

(*c*) in the case of an order of any other punishment passed by the Education Committee to the Prescribed Authority.

(3) The appeal shall be presented within one month of the date on which the order of punishment is communicated to the person in respect of whom the order has been passed."

श्री प्रताप चन्द्र आजाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धारा २६ में निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं:

"In the proposed Section 73—

(1) in sub-clauses (i) and (ii) of sub-section (1) the word "Chairman" shall be inserted *between* the words "the" and "Educaion".

(2) for the existing sub-section (2) the following shall be substituted—

(2) An appeal—

(*a*) in the case of an order of dismissal or removal or any other punishment passed against servants mentioned in clauses (*a*) and (*b*) of sub-section (1)—

(i) by the Superintendent or Lady Superintendent, to the Chairman, Education Committee;

(ii) by the Chairman, Education Committee to the President of the Board;

(*b*) in the case of an order of dismissal or removal passed against servants mentioned in clause (*c*) of sub-section (1) by the Chairman, Educaion Committee, to the State Government; and

(*c*) in the case of an order of any other punishment against servants mentioned in clause (*c*) of sub-section (1) by the Chairman, Education Committee to the prescribed authority."

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन में इस क्लाज में करना चाहता हूं, वह यदि देखा जाय तो बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। इस संशोधन में मैंने यह रखा था कि जो यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया था, उसके अन्दर ४० रुपये तक के एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लाईज की बात है। जो म्यूनिसिपल बोर्ड के एजूकेशन डिपार्टमेंट के इम्प्लाईज हैं और जो ४० रु० या ४० रु० से लेकर ५० रु० तक या ५० रु० से लेकर ७५ रु० तक वेतन पाने वाले हैं उनका अपौइन्टमेंट, छुट्टी, पनिशमेंट आदि का अख्तयार जो था वह सुपरिन्टेंडेण्ट और लेडी सुपरिटेंडेंट के हाथ में था और जहां यह लोग न हों वहां यह अधिकार एजूकेशन कमेटी को दिया गया है। एजूकेशन कमेटी १० या १२ मेम्बरों की एक जमात होती है।

[श्री प्रताप चन्द्र आज़ाद]

अक्सर देखा यह गया है कि कोई आदमी ग़लती करता है और उसको पनिश करने का सवाल आता है और चेयरमैन एजूकेशन चाहता है कि इसको पनिश किया जाय। लेकिन होता यह है कि मेम्बरों को कनवेस किया जाता है और २ या ४ मेम्बरों को कनवेस करने के बाद चेयरमैन एजूकेशन नाक़ाबिल बना दिया जाता है कि वह कोई पनिशमेंट दे सके इसलिये इसमें जहां पर एजूकेशन डिपार्टमेंट लिखा है मैंने चेयरमैन कर दिया है जिससे चेयरमैन इम्पारशियली किसी इम्प्लाई को जो ग़लती करता है उसको पनिश कर सके। इस सम्बन्ध में मैं यह अर्ज करना चाहता हूं और जहां तक मुझे मालूम है, मैं अपने ज़िले की एक मिसाल देता हूं। एजूकेशन डिपार्टमेंट में एक योग्य मास्टर थे, सब से ज्यादा सीनियर थे उनका जब कनफरमेशन का सवाल आया और हेडमास्टर की जगह का सवाल आया तो प्रोपेगेन्डा उस मास्टर के खिलाफ मेम्बरों के बीच किया गया और जो जूनियर मास्टर था उसको हेडमास्टर बना दिया गया हालांकि उसको चेयरमैन भी चाहता था और इन्सपेक्टर आफ़ स्कूल्स भी चाहते थे। इस तरह से जो सीनियर था उसके बजाय जूनियर मास्टर हेडमास्टर बना दिया गया। इसलिये मैंने यहां चेयरमैन का शब्द बढ़ाया है। दूसरी बात यह है कि जो अपील का सम्बन्ध है उसमें यह रखा गया है कि एजूकेशन डिपार्टमेंट डाइरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को की जायेगी और म्युनिसिपल बोर्ड को छोड़ दिया गया है इसलिये मैंने इसमें यह कर दिया है कि जहां पर अपील सुपरिंटेंडेंट और लेडी सुपरिन्टेंडेंट को होगी वहां पर चेयरमैन एजूकेशन कमेटी कर दिया जाय और क्लाज ए, बी के सम्बन्ध में ऐसा कर दिया है जहां चेयरमैन एजूकेशन कमेटी है वहां पर जहां इम्प्लाइज एजूकेशन डिपार्टमेंट को चेयरमैन कमेटी डिसमिस करे वहां उनकी अपील प्रधान बोर्ड को जाय। वहां पर सेक्शन १०० में जो दूसरे नौकरान आते हैं उनके सम्बन्ध में यह कर दिया गया है कि अगर चेयरमैन एजूकेशन कमेटी के ज़रिए से उनको पनिशमेंट मिलता है तो उसकी अपील स्टेट गवर्नमेंट से कर सकते हैं और दूसरे किस्म के पनिशमेन्ट के आर्डर, डिस्मिसल और रिमूवल के अलावा, अगर चेयरमैन एजूकेशन कमेटी पास करें तो उसकी अपील प्रस्काइब्ड अथारिटी के पास की जा सकती है। प्रेस्काइब्ड अथारिटी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कमिश्नर या जिसको मिनिस्टर साहब या लोकल सेल्फ़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नामिनेट करे, होगी। यह मैंने इसलिए कर दिया है जिससे नाजायज दबाव और बेजा असरात डालकर जो बातें हो जाती हैं वह न हो सकें। यह अमेंडमेंट मैंने इसलिए किया है कि जो आदमी मिसयूज करता है उसको पनिशमेंट और जो अच्छा काम करता है उसको प्रमोशन मिले। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी मेरे संशोधन को जरूर मानेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--इस रूप में मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

चेयरमैन--The question is that "In the proposed section 73—

(1) in sub-clauses (i) and (ii) of sub-section (1) the word "Chairman" shall be inserted *between* the words "the" and "Education".

(2) *For* the existing sub-section (2) the following shall be substituted—

(2) An appeal—

(*a*) in the case of an order of dismissal or removal or any other punishment passed against servants mentioned in clauses (*a*) and (*b*) of sub-section (1)

(i) by the Superintendent or Lady Superintendent, to the Chairman, Education Committee;

(ii) by the Chairman, Education Committee to the president of the Board;

(*b*) in the case of an order of dismissal or removal passed against servants mentioned in clause (*c*) of sub-section (1) by the Chairman, Education committee, to the State Government; and

(*c*) in the case of an order of any other punishment against servant mentioned in clause (*c*) of sub-section (1) by the Chairman, Education Committee to the prescribed authority."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २९ बिल का भाग बना रहे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३०--४५

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७४ का संशोधन।

३०--मूल अधिनियम की धारा ७४ में (१) शब्द "on" और अक्षर "a" के बीच में शब्द "or drawing" रक्खे जायं, और

(2) शब्द "Subject in the case of dismissal or removal to an appeal to the State Government which must be presented to the State Government within one month of the date upon which the order of dismissal or removal is communicated to the person in respect of whom the order is made"

के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय--

"Provided that an appeal shall lie—

(*a*) in the case of dismissal or removal, to the State Government; and

(*b*) in the case of any other punishment, to the Prescribed Authority;

and shall be presented to the State Government or the prescribed authority, as the case may be, within one month from the date on which the order appealed against is communicated to the person concerned."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ७६ का संशोधन।

३१--मूल अधिनियम की धारा ७६ में--

(१) खंड (ए) और (बी) में शब्द "servant" के बाद शब्द "on" के स्थान पर शब्द "or drawing" रख दिये जायं;

(२) शब्द but और each के बीच में आये हुये शब्द "in such case" निकाल दिये जायं; और

(३) शब्द "punishment" के बाद कामा रक्खा जाय और उसके बाद शब्द "in respect of servants mentioned in clauses (*a*) and (*b*) above" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ९३ का संशोधन।

३२--मूल अधिनियम की धारा ९३ में--

(क) शब्द "the Superintending Engineer, Public Health Department" के स्थान पर शब्द "Chief Engineer, Local Self-Government Engineering Department" रख दिये जायं, और

[खंड ३२]

(ख) शब्द "the Director of Public Health or Assistant Director of Public Health" के स्थान पर शब्द "The Director of Medical and Health Services or the Assistant Director of Medical and Health Services" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २ १९१६ की धारा ९४ का संशोधन।

३३--मूल अधिनियम की धारा ९४ की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रक्खा जाय :--

"(3) Every resolution passed by a board at a meeting, shall, as soon the reafter as may be, be published in a local paper published in Hindi and where there is no such local paper, in such manner as the State Government may, by general or special order, direct."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १२८ का संशोधन।

३४--मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (१) में वर्तमान खंड (viii) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(viii) an octroi on goods or animals brought within the municipality for consumption, use or sale therein;"

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १८०-ए का संशोधन

३५--प्रतिबन्धात्मक वाक्य को छोड़ कर धारा १८०-ए की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दी जाय--

"(1) Notwithstanding anything contained in this Act or any bye-law made thereunder, the construction of, or any addition to, any building of public entertainment or any addition there to shall not, except with the previous approval of the State Government, be sanctioned by a board, if the site of, or proposed for such building is—

(*a*) within a radius of one furlong from—

(i) any residential institution attached to a recognised educational institution such as a college, a high school or girls school, or

(ii) a public hospital with a large in-door patient ward; or

(iii) an orphanage containing one hundred or more inmates; or

(*b*) in any thickly populated residential area which is either exclusively residential or reserved or used generally for residential as distinguished from business purposes; or

(*c*) in any area reserved for residential purposes by any housing or planning scheme or otherwise under any enactment"

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २८२ का संशोधन।

३६--मूल अधिनियम की धारा २८२ की उपधारा (१) में शब्द "the Director of public Health" के स्थान पर शब्द "the Director of Medical and Health Services" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २९६ का संशोधन।

३७--मूल अधिनियम की धारा २९६ की उपधारा (२) में खंड (बी) के बाद नए खंड (सी) के रूप में निम्नलिखित रखा जाय--

"(c) for the appointment of an *ad hoc* committee to advise the Board—

(i) on the preparation of a master plan for the municipality and its execution; and

(ii) on the lay out of public streets, residential and non-residential areas."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २९७ का संशोधन।

३८--मूल अधिनियम की धारा २९७ की उपधारा (१) में--

(१) खंड (जी) के मद (१) में शब्द "Chairman" के स्थान पर शब्द "President" रख दिया जाय।

(२) खंड (के) में शब्द "the" और शब्द "period" के बीच में शब्द "conditions of service including" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३०१ का संशोधन।

३९--मूल अधिनियम की धारा ३०१ में शब्द "Commissioner" के स्थान पर शब्द "Prescribed Authority" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३२७ का संशोधन।

४०--मूल अधिनियम की धारा ३२७ में शब्द "in his division" के स्थान पर शब्द "within his or its jurisdiction" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची १ का संशोधन।

४१--मूल अधिनियम की अनुसूची १ में--

(१) स्तम्भ १ में से संख्या १३ और स्तम्भ २ में से उसके सम्बन्ध में इन्दराज निकाल दिया जाय;

(२) स्तम्भ २ में धारा ६८ के सामने वर्तमान इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय;

"To appoint Civil Engineer, Assistant Civil Engineer, Electrical Engineer, Assistant Electrical Engineer, Water Works Engineer, Assistant Water Works Engineer, Electrical and Water Works Engineer, Assistant Electrical and Water Works Engineer, qualified Overseer or Sub-Overseer, Secreatary, Suprintendent or Lady Superintendent of Education."

(३) धारा २११ और २१७ (१) (ए) के सामने के इन्दराजों के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय--

"212-A. To control and regulate the construc tion of any building or street and drains beyond municipal limits, upto a distance of two miles."

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची २ का संशोधन।

४२--मूल अधिनियम की अनुसूची २ में--

(१) धारा ७५ और ७६ के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराजों में से शब्द "permanent" और "inferior" के बीच में आया हुआ शब्द "and" निकाल दिया जाय;

(२) धारा २०३ (३) के सम्बन्ध में इन्दराज निकाल दिया जाय; और

[खंड ४२]

(३) धारा २०४ के सामने दूसरे स्तम्भ में इन्दराज के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाय--

"To receive application for permission to lay out and make a street."

यू० पी० ऐक्ट २, १६१६ की अनुसूची ७ का संशोधन

४३--मूल अधिनियम की अनुसूची ७ में--

(१) स्तम्भ १ में संख्या "9(1)" के स्थान पर संख्या "9" रख दी जाय;

(२) स्तम्भ १ में संख्या "16(2)' के स्थान पर संख्या "13-D" रख दी जाय;

(३) स्तम्भ २ में शब्द "Sub-Section' के स्थान पर शब्द "Section" रख दिया जाय;

(४) धारा 13-D और २२ से सम्बद्ध इन्दराज के बीच में 13-I के सामने नये इन्दराज के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय--
"13-I to direct that a casual vacancy be left unfilled till the next general elections."

(५) धारा ३४ (२) के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराज में शब्द "Commissioner" के स्थान पर शब्द "Prescribed Authority" रख दिये जायं।

(६) धारा ४० (२) के सामने दूसरे स्तम्भ के इन्दराज में शब्द "under clause (d), (e) or (f) of sub-section(1)" के स्थान पर शब्द और संख्या "under clause (c), (d) or (e) of sub-section (I)" रख दिये जायं;

(७) स्तम्भ १ में संख्या ५७ और ५८ के बीच में संख्या और अक्षर 57(2-A) रख दिये जायं और उसके सामने स्तम्भ २ में निम्नलिखित इन्दराज रक्खा जाय--

"To nominate Accounts Officers and to lay down the terms and conditions of their service."

(८) धारा ६०-ए और ६५ के सामने के इन्दराजों के बीच में निम्नलिखित नया इन्दराज रखा जाय--

"60-B. To direct that in any municipality the Principal Officers of the Electrical, Public Works, and Water Works Department shall with reference to their departments exercise the power under clause (*e*) of sub-section (1) of section 60;"

(९) धारा ७३ और ७४ के सामने के इन्दराज में शब्द "President" के बाद शब्द "or Chairman, Education Committee" रख दिये जायं, और

(१०) धारा ३२७ और ३३७ के सामने के इन्दराजों के बीच में निम्नलिखित नया इन्दराज रखा जाय--

"336-A. To direct that during the transition period, the Act shall have effect subject to certain adaptations, alterations and modifications."

४४—मूल अधिनियम की अनुसूची ८ में--

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की अनुसूची ८ का संशोधन

(१) धारा १५८ (२) के सामने तीसरे स्तम्भ में शब्द और संख्या "Rs.100" के स्थान पर शब्द और संख्या "Rs.500" रख दिये जायं;

(२) धारा २४८ के सामने तीसरे स्तम्भ में शब्द और संख्या "Rs.20" के स्थान पर शब्द और संख्या "Rs.50" रख दिये जायं।

अनुकूलन

४५--(१) कठिनाइयों को विशेषकर ऐसी कठिनाइयों को जो मूल अधिनियम के उपबन्धों से इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों पर संक्रमण होने से सम्बन्धित हो दूर करने के लिये राज्य सरकार आज्ञा द्वारा निर्देश कर सकती है कि उक्त प्रकार से संशोधित मूल अधिनियम इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक बाद के बारह मास की अवधि में ऐसे अनुकूलन के साथ सप्रभाव होगा जैसा वह उचित और आवश्यक समझे, चाहे वह अनुकूलन परिष्कार के रूप में हो अथवा घटाने या बढ़ाने के रूप में।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गई प्रत्येक आज्ञा जितना शीघ्र हो सके राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि खंड ३० से ४५ तक बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रस्तावना व खंड १

कुछ प्रयोजनों के निमित्त यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को संशोधित करने का

यू० पी० ऐक्ट, २, १९१६।

विधेयक

कुछ प्रयोजनों के निमित्त, जो यहां पर आगे चल कर प्रतीत होंगे यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ को संशोधित करना आवश्यक है; अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है--

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६।

१--(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) अधिनियन, १९५२ होगा।

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(२) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

श्री सत्य प्रेमी उपनाम हरि प्रसाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १ के आदि में (१) से प्रथम "१" बढ़ा दिया जाया

चेयरमैन—यह छपाई की ग़लती है। यह सचिवालय में ठीक की जा सकती है।

प्रश्न यह है कि प्रीयेम्बुल और खंड १ बिल का भाग बने रहें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय, इस समय आप की आज्ञा से मैं इतना निवेदन कर दूं कि मुझे इस बिल से जैसा इस समय वह इस भवन में संशोधित हो चुका है, बहुत संतोष है। यह एक ऐसा जरूरी अमेंडिंग बिल था जिसके लिये मैं इस कोशिश में था कि जल्दी से जल्दी इस भवन के सामने आये ताकि यह भवन उस पर अपनी राय दे सके और म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव जल्दी हो सके। इस भवन ने बहुत सहानुभूति पूर्वक इसमें सहयोग दिया है और मुझे इस बात को कहने में संकोच नहीं है। जब कभी बातें संशोधन के रूप में इस भवन में आयीं वे अपने अपने विचार से बहुत अच्छी तरह से और साफ तौर से रखी गयी थीं। जहां कहीं मतभेद होता है तो उसमें कोई नियम का सवाल नहीं है बल्कि विचारने का भेद हो सकता है मैं सदन के सभी सदस्यों को इसके लिये धन्यवाद देता हूं। संशोधन छोटे मोटे हुये और उस पर बहुत विचार हुआ। अभी एक संशोधन रखा गया था जिसमें मैट्रिक की शर्त थी, वह हटा दिया गया है। उसका श्रेय कुंवर गुरु नारायण जी के अमेंडमेंट को है। कम से कम यह साबित हो गया कि अगर अपोजीशन कोई माकूल बात कहे तो उसको हमें मंजूर करने में हरगिज हिचकना नहीं चाहिये। कुंवर गुरु नारायण जी ने जब इस अमेंडमेंट को रखा था तो मैं कह सकता हूं कि तमाम लोगों में से कुछ ही लोग इसके पक्ष में थे कि यह शब्द रहे लेकिन अधिकांश सदस्य जो बोले थे, वे इसके विरोधी थे। उन्होंने इस संशोधन को रद्द कर दिया। दूसरा संशोधन एज्यूकेशन के इम्प्लाइज के एपौइंटमेंट और डिस्मिसल के बारे में था। वह भी मंजूर हो गया है। बाकी जो छोटे मोटे अमेंडमेंट हुये उनका जिक्र यहां पर करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से यह जो संशोधित अमेंडिंग बिल सदन के सामने है उसके लिये मैं प्रार्थना करता हूं कि वह पारित किया जाय।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--श्रीमान् अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। परन्तु जिस दिन माननीय मंत्री जी ने यह बिल सदन में उपस्थित किया था मैं यहां नहीं था इसलिये दो चार बातें बिल के विषय में अवश्य कहूंगा। यह बिल का तृतीयवाचन है, लम्बी चौड़ी बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी ने यह बताया है कि किस परिस्थिति में यह बिल इस सदन के सामने लाया गया है। बिल को मैंने पढ़ा है। बिल में जो संशोधन हुये हैं वह अधिक नहीं है, दो तीन संशोधन सरकार ने स्वीकार किये हैं, जब कि ६० संशोधन दिये गये थे। इससे मालूम होता है कि मंत्री जी को विशेषतया ख्याल परिस्थिति का है। बिल की जैसी रूप रेखा आरम्भ में थी क़रीब-क़रीब वही अब है। बिल को जब मैंने पहले पहल पढ़ा तो मुझको यह ख्याल हुआ कि लोकल सेल्फ विभाग में इस बिल के सिद्धान्त पर अधिक विचार नहीं किया गया और न इस परिस्थिति का ख्याल रक्खा गया कि हमारा देश किस हालत में है। अब हमारा देश स्वतंत्र है। इस बिल के पढ़ने से यह मालूम होता है कि वही अंग्रेजी जमाने की शैली क़ायम रखी गई है। कौमा फुलिस्टाप आदि में ही संशोधन किया गया है। कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन इसमें नहीं किया गया जिससे नागरिक जीवन का स्तर ऊंचा उठता या जिससे बोर्ड और अच्छी तरह से काम करते। मैं समझता हूं कि मंत्री जी के विभाग में सिद्धान्त रूप से इस प्रश्न पर अधिक विचार नहीं किया गया और जो संशोधन इस बिल में किया गया है वह बहुत ही मामूली है।

स्वायत्त शासन विभाग के दो लक्ष्य हुआ करते हैं। एक तो यह कि जनता को शिक्षा दे कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट किस तरह की होती है और दूसरी बात यह है कि हमारे नागरिक जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करें। मैं देखता हूं कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं रक्खी गई है कि जिससे नागरिक जीवन ऊंचा उठ सके या स्वायत्त शासन विभाग और अधिक अच्छी तरह से

काम कर सके। यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई कि मंत्री जी ने कहा कि यह एक खास कारण से बिल लाया गया है और वह कारण है कि हमको जल्दी ही म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव कराना मेरी समझ में इस बिल पर दो तरह से विचार किया जा सकता है। चूंकि यह बिल अभी असेम्बली जाने को है और इसके पश्चात् मंत्री जी एक दूसरा बिल लाने वाले हैं तो मैं इस बात को आवश्यक समझता हूं कि दो चार विचार आपके सामने रख दूं। पहला विचार सिद्धान्त का है। हमारी गवर्नमेंट ने एक कमेटी नियुक्त की थी जिसका नाम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी था। उसमें नौकरियों की बाबत बहुत कुछ कहा गया था परन्तु बिल को पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कि मंत्री जी के विभाग ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। म्यूनिसिपल बोर्ड्स का कर्तव्य क्या है। १९१६ से जो चीज चली आ रही है वही अब भी कायम रखी गई है। इसमें संशोधन हमको करना पड़ेगा। दूसरी बात सरविसेज की है। लोकल सेल्फ कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि म्यूनिसिपल सरविसेज में एक बहुत ही अहम तब्दीली होनी चाहिये। उसने इन्टर चेन्ज यानी अदल-बदल के लिये कहा था। इसकी भी कोई व्यवस्था बिल में नहीं की गई है। आज भी बोर्डों में पुरानी रीति से काम हो रहा है। पदाधिकारी अकारण ही पदच्युत कर दिये जाते हैं। सीक्योरिटी आफ़ टैन्योर पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

मैं समझता हूं कि इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि सरकार म्यूनिसिपल सर्विसेज को अधिक सुरक्षित बनाये जिससे लोग काम दिलचस्पी से करें और उनके काम में एफ़ीशियेन्सी अर्थात् मजबूती आ सके। तीसरी बात फाइनेंस की है। फाइनेन्स के बारे में मैं समझता हूं कि बिल्कुल ही विचार नहीं किया गया। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने एक इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त की थी १९४८ में, और उसने यह सुझाव बोर्डों के सुधारने के लिये रक्खा था कि इन की आय बढ़ानी चाहिये, और यह भी कहा था कि गवर्नमेंट जो नियंत्रण रखती है टैक्सेज लगाने की शक्ति पर, वह ठीक से कार्यान्वित नहीं होता, उसको ठीक से करना चाहिये बोर्ड्स को टैक्स लगाने की आजादी देना चाहिये जिससे उन्हें अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान हो। गवर्नमेंट चाहे तो यह कर सकती है कि उनके टैक्सेज की मिनिमम और मैक्सिमम तादाद नियत कर दे। उनका कहना यह था कि --

"So far as powers of taxation were concerned the Provincial Government did not, as a rule, grant wider powers as recommended by the Decentralization Commission and endorsed by the Government of India in their Resolution of 16th May 1918. Generally every fresh proposal for taxation, for reduction or abolition of an existing tax continued to be subject to previous sanction of the Provincial Government."

और उन्होंने अपने शब्दों में यह कहा था--

"The position, therefore, to day is that in matters of finance the control of the Provincial Governments over local bodies is very substantial."

मेरा कहना यह है कि आर्थिक समस्या महत्व रखती है। आप रोज देखते हैं और अखबारों में पढ़ते हैं कि तमाम बोर्डों की दशा खराब हो रही है। इसके बारे में गवर्नमेंट को अधिक विचार करना चाहिये और जो गवर्नमेंट की फाइनेंस कमेटी थी उसकी सिफारिशों पर अधिक ध्यान देना चाहिये। चौथी बात नियंत्रण और निरीक्षण की है। मेरे मित्र प्रभु नारायण जी ने अपने संशोधन के द्वारा यह सुझाव दिया था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड बनाया जाये और वह लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की देख भाल करे और उसकी निगरानी भी किया करे। यह सुझाव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी ने भी दिया था। उसने कहा था कि इस प्रकार का एक बोर्ड लखनऊ में स्थापित होना चाहिये। इसके द्वारा बोर्डों का निरीक्षण होना चाहिये। जब मंत्री जी नया बिल लायें तब यह बतलाने की कृपा करें

[डाक्टर ईश्वरी प्रसाद]

कि लोकल सेल्फ बोर्ड लखनऊ में बन सकेगा या नहीं। और उसके बनने से कुछ अच्छाई की आशा है या नहीं। यह सिद्धान्त की बात है जो विचार करने के योग्य है। मंत्री जी ने बतलाया कि यह बिल बहुत अच्छा है और मैं उनसे सहमत हूं कि इसमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हैं। जैसे एकाउन्ट्स आफ़िसर्स की नियुक्ति, चुनाव जल्दी कराने की बात, यह सब बातें ऐसी हैं जिनके लिये मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। परन्तु बिल में दोष भी हैं जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दो एक मोटी मोटी बात मैं कहना चाहता हूं। मैंने मंत्री जी को सुना और धाराओं को ग़ौर से पढ़ने के बाद मुझे यह मालूम होता है कि प्रवृत्ति सरकार की इस समय केन्द्रीयकरण की ओर है। मंत्री जी ने कहा कि हमारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह हमको मजबूर करती हैं कि हम संशोधनों को स्वीकार न करें। वह क्या परिस्थिति है उसको मंत्री जी बतलायेंगे। प्रतिदिन हम देखते हैं कि म्यूनिसिपल बोर्ड सुपरसीड हो रहे हैं। कानपुर बोर्ड की सुपरसीड होने की तैयारी हो रही है। यहां सरकार की आंखों के नीचे लखनऊ का म्यूनिसिपल बोर्ड सुपरसीड कर दिया गया है। क्या गवर्नमेंट समझती है कि स्वायत्त शासन में जनतंत्र का सिद्धान्त असफल हो रहा है। तो क्या इसका उपाय सरकार ने अधिकाधिक मात्रा में केन्द्रीयकरण ही समझा है। उसको रोकना पड़ेगा। जहां तक मैं समझता हूं सरकार को यह आभास रहा है कि ये संस्थायें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। इसलिये हमको ऐसा करना चाहिये। आप इस बात पर विचार करें कि केन्द्रीय करण से क्या इस बीमारी का उपाय हो सकता है। जैसा कि आपने कहा और जैसा कि कई धाराओं से प्रकट होता है कि सरकार की शक्ति बढ़ेगी। आपने इस विधेयक में अध्यक्ष और सदस्य दोनों को हटाने और मुअत्तिल करने की व्यवस्था की है। जब अध्यक्ष जनता द्वारा चुना जायेगा तो जब आप उसको हटायेंगे या ससपेंड करेंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बोर्ड के शासन कार्य में कठिनाई होगी। मेम्बर को भी ससपेंड करना खराब है इससे उनके आत्म-सम्मान को आघात पहुंचेगा। बेहतर तो यह है कि अगर कोई चेयरमैन या प्रेसीडेंट कसूर करता है, घूस लेता है या ऐसा ग़लत कार्य करता है जिससे बोर्ड की प्रतिष्ठा में बट्टा लगता है तो उसको आप शीघ्र अलग कर दीजिये लेकिन उसको मुअत्तिल करना ठीक न होगा। धारा ६७ और ६८ में भी संशोधन किये गये हैं। मैं समझता हूं कि वे भी ठीक नहीं हैं।

टेक्निकल आफ़िसर के बारे में हमारे मित्र राजाराम जी ने आपका ध्यान आकर्षित किया है। कुछ आफ़िसरों को नियुक्त किया जायेगा। सरकार के कहने से बोर्ड इनको नियुक्त करेगा और फिर सरकार को उन्हें ससपेंड करने का भी अधिकार होगा। लेकिन जब अपील की जायगी और उसमें जो आर्डर म्यूनिसिपल बोर्ड का होगा उसमें रद्दोबदल भी करने का अधिकार होगा। हमने ऐसा कहीं सुना नहीं कि जब अपील आपके यहां है तो उसके बीच में कैसे रद्दोबदल हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन ठीक नहीं है। शिक्षा के सम्बन्ध में जो धारायें इसमें रखी गई हैं वह भी अनुचित हैं। अध्यापकों का सम्मान मंत्री जी ने इस प्रकार किया है कि जो ७५ रुपया तक वेतन पाने वाले हैं उनको बरखास्त करने का अधिकार सुपरिन्टेंडेंट और लेडी सुपरिटेंडेंट को दे दिया जायगा।

श्री मोहन लाल गौतम—ऐसा नहीं है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—कुछ अध्यापक ऐसे होंगे जिनका इसमें वर्णन है और कुछ ऐसे नौकर हैं जो शिक्षा विभाग में काम करते हैं उनको सुपरिटेंडेंट और लेडी सुपरिटेंडेंट

बरख्वास्त कर सकेंगे। इसको मैं ठीक नहीं समझता। सुपरिंटेंडेंट और लेडी सुपरिटेंडेंट बोर्ड में ऐसे होते हैं कि वे किसी भी अध्यापक के दबाव में आकर बरखास्त कर सकते हैं। अध्यापन की उचित व्यवस्था होनी चाहिये और अध्यापकों की सुरक्षा का पूर्ण उपाय वांछनीय है।

दूसरी बात मैं चुंगी (octroi) के बारे में कहना चाहता हूं। इसका जिक्र अभी तक किसी मेम्बर ने नहीं किया है। इसके सम्बन्ध में यह है कि यह टैक्स रखने के काबिल नहीं है। इसके बारे में बहुत कुछ विचार हो चुका है। सन् १९०८ में हमारी गवर्नमेन्ट ने एक कमेटी नियुक्त की थी उसमें कहा गया था :

(1) Abolition of octroi in those towns in which it would be replaced by direct taxation, for instance by a tax on circumstances and property. ....आवश्यक है।

इसके बाद १९२४-२५ में एक इंडियन टैक्सेशन इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त हुई। उसने भी कहा कि—

"Octroi and terminal tax in the form in which they are so far levied in India offend against all cannons of justice their collection and the system of refunds usually form an essential feature of octroi and put the person paying the tax to a great amount of inconvenience."

Sir Joseph Stamp summed up as follows:—

"In my judgment both theoritically and on the result of experience, no country can be progressive that relies to any extent upon octroi.

"The declared policy of U. P. Government was to abolish octroi but ever since terminal tax became a central subject, this policy has been thwarted and octroi is resuming its former place of importance in local finances."

कमेटी ने अन्त में यह कहा कि चूंकि स्थिति इस प्रकार की है कि इसे जारी रखना पड़ेगा परन्तु प्रबन्ध नये प्रकार से होना चाहिये। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इन बातों पर गौर करें और देखें कि कौन सी खराबी है और उसको दूर करने की क्या कोशिश हो सकती है। इसके अलावा मैं सिनेमा के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। सिनेमा के लिए यहां पर जो कानून बना है वह उचित नहीं है। इसमें आपने २२० गज के फासले पर सिनेमा बनाने की इजाजत दी है। मैं इसको ठीक नहीं समझता हूं। मेरठ में एक जगत टाकीज है जो शिक्षा संस्था के निकट है वहां पर लड़के खाली घंटे में जाते हैं। सिनेमा एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव लड़कों पर अच्छा नहीं पड़ता है। इन पर सरकार को अधिक नियंत्रण लगाना चाहिये। यह भी देखना चाहिये कि एक नगर में जनसंख्या के हिसाब से कितने सिनेमा गृहों की आवश्यकता है।

स्वायत्त शासन के कला-विज्ञान सम्बन्धी कर्तव्य भी हैं। प्रसिद्ध पुरुषों के व्याख्यानों द्वारा नागरिकों के ज्ञान की वृद्धि कराना भी उसका ध्येय होना चाहिये। इस सम्बन्ध में हमें इंगलैण्ड की संस्थाओं से शिक्षा मिलती है। वहां अनेक उपायों से नागरिक जीवन के आदर्श उत्कृष्ट करने की चेष्टा की जाती है। यही हमारे देश में होना चाहिये। मुझे पूर्ण आशा है कि अब जो मंत्री महोदय दूसरा बिल प्रस्तुत करेंगे वह व्यापक होगा और उसमें इन सब बातों का समावेश होगा जो आज इस सदन के सम्मुख कही गई हैं। स्वायत्त शासन की स्कीम ऐसी होनी चाहिये जिससे जनता को लाभ हो। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गोविन्द सहाय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा इस बिल पर बोलने का नहीं था और न कोई मेरे में इस पर बोलने का इतना उत्साह ही था। मैंने यहां पर जो कुछ सुना उसके सुनने के बाद मेरे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि मैं भी कुछ कहूं। मैंने इस बिल को

[श्री गोविन्द सहाय]

काफी गौर से पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने यह महसूस किया कि यह बिल काफी निरस है। इस बिल को पढ़ने से मैंने यह जरूर महसूस किया है कि मंत्री महोदय ने बहुत जरूरी तरीके से यह महसूस किया है कि चुनाव हो जाना चाहिए। अन्दरूनी तरीके से पार्टी ने भी इस बात पर जोर दिया है कि अब चुनाव हो जाने चाहिये। चूंकि मंत्री जी ने वादा किया है कि अब चुनाव होने चाहिए इसलिए अब वह पूरा कर रहे हैं। अपने वादे को पूरा करने के लिए और चुनाव कराने के लिए आप यहां पर यह बिल लाये हैं। बिल में सिर्फ अगर मगर पुट और बट वगैरा में ही सरकार ने संशोधन किये हैं जिस पर कोई बहस नहीं हो सकती है। चूंकि हर चीज को देखने का एक नजरिया होता है, अगर उस नजरिये से इस बिल को देखा जाय, जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह नीति थी कि वह जितना हो सके उतनी ताकत अपने हाथ में ले ले, वही हालत आज हमारी सरकार की हो रही है। हमारे मंत्री महोदय, एक बहुत अच्छे वकील भी हैं, काफी तजुरबेकार हैं, इसलिये वह इस बिल को जिस ढंग से लाये हैं, उसके लिये मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। लेकिन जहां तक बिल का ताल्लुक है, हम यह समझ कर आगे चले थे कि जिस लीडरशिप के हाथ में आज मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी है, जिसके हाथ में मुल्क आगे जाता है उसके साथ-साथ उसकी जिम्मेदारी यह भी है कि वह मुल्क के लोगों को भी आगे ले जाय। मैंने आनरेबिल मिनिस्टर साहब की स्पीच सुनी और उसको सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आज के लीडर शिप का मकसद इस मुल्क को क्लासलेस सोसाइटी बनाना है और इस मुल्क को डेमोक्रेसी की तरफ ले जाना है और इस देश को डेमोक्रेसी को कामयाबी पर पहुंचाना है। कुदरतन मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनके जितने भी अमल होंगे, जितने भी कारनामे होंगे और जितने भी रवैये होंगे, उन सब का एक ही मकसद होगा कि लोगों में जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिये, उनको जम्हूरियत की तरफ ले जाने के लिये और उनको अपनी जिम्मेदारी को अहसास कराने के लिये एक ही रास्ता है और वह रास्ता सेन्ट्रलाइजेशन का अपनाया जाना है। मैं तो यह कहूंगा कि भले ही आप अपनी कसरत राय से इस बिल को पास कर लें लेकिन जो इसका बुनियादी असर होगा वह यह होगा कि आप उन तमाम मकसदों को, जिसकी रूपरेखा आपने दिखाई है, उनको अपने ही पैरों के नीचे रौंद रहे हैं। जब मैं यह सुनता हूं कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी का तजुर्बा हो रहा है और उसी तजुर्बे की बिना पर पहला एलेक्शन हो चुका है और अब यह आपका दूसरा इलेक्शन होने जायेगा, तो मुझे ताज्जुब होता है कि यह कैसा डेमोक्रेसी का तरीका अख्तियार किया जाता है। मुझे इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस मुल्क को आगे ले जाने की जिम्मेदारी किस की है, जम्हूरियत को कितने लोग हैं जो हमदर्दी की नजर से देखते हैं। लोगों का यह ख्याल है कि इस किस्म की जम्हूरियत के मुकाबिले में तो डिक्टेटरशिप कहीं अच्छी थी। इस तरह की भावना पैदा कराने की किस की जिम्मेदारी है। इस तरह से आपकी जम्हूरियत निकम्मी साबित हुई। जम्हूरियत में जो सबसे जरूरी चीज है वह यह है कि जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो म्युनिसिपैलिटीज हैं और इसी किस्म की दूसरी संस्थायें हैं उनको किस तरह से तैयार करें। उनको भी कुछ मौका दिया जाता है कि वे अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुये चलें।

जो स्पीच आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने दी है उससे तो मुझे निराशा ही होती है। पहले जब कि श्री ए० जी० खेर, लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे उस वक्त उन्होंने वाटर वर्क्स यूनियन में बोलते हुये कहा था कि गुड गवर्नमेंट ज्यादा जरूरी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से। म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में दलील देते हुये उन्होंने कहा था कि इसमें आई० सी० एस० रूल का होना जरूरी है और दूसरी तरफ अभी एक अखबार में साठ रोज पहले आनरेबिल मिनिस्टर, गौतम साहब की स्पीच मैंने पढ़ी। उसमें यह कहा गया था कि अगर पंचायतें ठीक तरह से अपना काम नहीं करेंगी तो गवर्नमेंट उनको अपने हाथ में ले लेगी। इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि क्या इस तरह से लोगों में सेन्स आफ ड्यूटी पैदा किया जा सकता है, क्या

कानून के जोर पर लोगों में डैमोक्रेटिक भावना का संचार किया जा सकता है। यह है आपका डैमोक्रेटिक तरीका और इस तरह से आप डेमोक्रेसी का तजुरबा करने जा रहे हैं। इस तरह से लोगों में जो तजुरबा इस डैमोक्रेसी का पैदा हुआ है वह यही है कि आज वह कहते हैं कि इस डेमोक्रेसी से तो डिक्टेटरशिप बढ़कर है और अच्छी है। आपका मकसद है कि म्युनिसिपैलिटीज की पावर को इस तरह से खत्म करके आप अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इस तरह से डिसेन्ट्रलाइजेशन का तरीका अपना कर हर चीज को अमल में लाना चाहते हैं। आपको तो चाहिये यह था कि उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी छोड़ देते जिससे वह शहरों की हालत को ठीक करते, वहां के लोगों में पैट्रियाटिक भावना पैदा करते और उनको इस का बिल बनाते कि वह अपने कर्त्तव्य का ठीक ठीक तरह से पालन कर सकते हैं। यह तो उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों के अन्दर इन्सानियत की कूवत पैदा करे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी से महरूम करते हैं तो जो आपका डेमोक्रेसी का तजुरबा है वह कामयाब नहीं हो सकता है। आपका जो तरीका है वह सोशल डैमोक्रेसी का एक बड़ा ही खतरनाक अन्जाम पैदा करता है। मैंने अपना एक अमेंडमेंट पेश करने की कोशिश की थी लेकिन मैं यह समझा था कि उसका नम्बर देर में आयेगा और इसीलिये उसे पेश न कर सका। लेकिन जो मेरा अमेंडमेंट था वह बड़ा ही रीएक्सनरी था, इसको मैं खुद ही कहता हूं और उसमें मुझे हिचक नहीं है। वह मैंने इस लिये पेश करना चाहा था कि आपको मालूम हो जाता कि लोगों के अन्दर आपने एक खराब भावना इस बिल से पैदा कर दी है। मेरा संशोधन सिर्फ इतना ही था कि जहां आपने सिड्यूल्ड कास्ट के लिये रिजरवेशन रक्खा है उसी तरह से मुसलमानों के लिये हो। आप ताज्जुब करेंगे कि मैंने यह कैसा संशोधन पेश किया लेकिन मैंने इसको जानबूझ कर ही रक्खा है। क्योंकि जो आपका तरीका है वह नेशनलाइजेशन पैदा करने का है, उसमें माइनारिटी का विशेष ख्याल रक्खा गया है और इस तरह से नेशनलिज्म के नाम पर आपने कास्ट सिस्टम को बढ़ाया है और इस तरह से लोगों को सोचने का मौका दिया है कि डैमोक्रेसी के अन्दर इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। इस तरह से इन चीजों का क्या परिणाम होगा, वह परिणाम सामने प्रत्यक्ष मौजूद है।

इसके लिये मैंने इसीलिये अमल की बात कही है। इसके अन्दर आपने उन लोगों को नहीं रखा है और आज उन माइनारिटीज में मुसलमान लोग आते हैं। इस कानून से हटकर भी आप उन मुसलमानों के भाव देखिये जो कि इस मुल्क में रहते हैं और मिनिस्टर साहब भी इस चीज को देखते हैं। इसमें एक कम्युनिटी की बात नहीं है, बल्कि व्यवहार की है मगर आप इसमें न जाइयें, और आप अपने तरीके से उनके नेशनलिज्म को भी पैदा नहीं कर पाये हैं। अगर आपको वोट लेने हों, तो इस काम के लिये आपको कई ऐसे आदमी मिल जाते हैं। जिन्ना साहब ने भी पहले इसके लिये कहा था और उसकी वही आवाज थी। आपको देखना यह है कि उसकी आदर्श बातें क्या हैं और इन सब बातों का उसपर क्या असर पड़ता है। आप क्या, सेन्ट्रल क्या स्टेट सबहों में रिजरवेशन डिमांड करते हैं। आप समझ सकते हैं कि मुसलमान उस समय किन हालात में इसपर कैसे राजी हुए थे। अगर आप मुसलमानों के लिये भी इसमें कुछ सीटें रख दें, तो वह किसी एक पार्टी की तरफ नहीं रहेंगे। आप इसको देखें कि यह मेरा सुझाव प्रेक्टिकल हल हो सकता है। कम्यूनिटीज के अन्दर खराबियां होती हैं लेकिन उसके लिये किसी खास को दोष नहीं दिया जा सकता है।

दूसरी बात जो है, वह मैं क्वालिफिकेशन के बारे में कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि वह हिन्दी पढ़ना, लिखना या उर्दू पढ़ना या लिखना जानता हो, लेकिन आपकी राय यह है कि वह हिन्दी पढ़ना ही जानता हो। मैं कहता हूं कि इस तरह से तो लोगों को और भी संदेह हो सकता है और यह मुनासिब भी नहीं है। वह लिट्रेट हो, हिन्दी और उर्दू की जबान समझ लेता हो। जब तक वह हिन्दी और उर्दू न जानता हो, उसके लिये यह हो सकता है। वैसे इसमें कई किस्म के इन्टरप्रिटेशन हो सकते हैं। उसमें काफी लोग गलत समझ सकते हैं। जब माइनारिटी का सवाल होता है, तो हमें किसी की नियत पर शक नहीं करना चाहिये।

[श्री गोविन्द सहाय]

इनको महसूस करते हुये मैं समझता हूं कि हमें देखना चाहिये कि उसमें कितनी काबलियत है और वह किस कदर किसी बात को समझ सकता है। आज हमारे लीडरशिप का कोई मोटो नहीं है और सबकी जिन्दगी बिल्कुल एमलेसली चल रही है और उनमें कोई डेफिनिट एम नहीं है। इस बात को कहने में मुझे कोई भी संकोच नहीं है। जहां तक सेल्फ गवर्नमेंट है तो वह उतनी ज्यादा जरूरी नहीं है उसूली तौर पर भी सेल्फ गवर्नमेंट को गुड गवर्नमेंट में तब्दील किया जा सकता है और गुड गवर्नमेंट की जो बुनियादें हैं वे इसमें लाई जा सकती हैं। वैसे चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, वह गलती करती है। तो इसके लिये गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी से भी कह सकती है कि वह पूर्ण तरीके से सुधरी हुई हो। इसी तरह से मैं कहता हूं कि वे भी अच्छी हो सकती हैं। यदि गवर्नमेंट अच्छी है, तो आपको यह सोचना चाहिये कि नीचे की गवर्नमेंट जो है वह भी अच्छी हो और उसको भी आपको सुधारना है। अगर ऊंचे की गवर्नमेंट अपनी बुराई को दूर कर सकती है तो नीचे की गवर्नमेंट को भी अपनी बुराई को दूर करना चाहिये। इस तरह से एक दूसरे को आपस में समझने का भी मौका मिलता है।

मैं माननीय श्री मोहन लाल गौतम जी को जानता हूं और जहां तक उनकी राजनीतिक विचार धारा है, उसको भी मैं जानता हूं और मैं यह भी मानता हूं कि उनकी जिन्दगी ऐसी है कि वे जिन बातों को मानते हैं उन पर चाहते हैं कि दूसरी जगह भी अमल हो। इसीलिये उन्होंने इस बिल में एक जो क्लाज रखा है, वह यह है कि जो प्रेसीडेंट हो वह हाई स्कूल पास होना चाहिय। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस बात को समझा कि उस जगह पर एक पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति होना चाहिये। इस बात को समझते हुये ही उन्होंने चाहा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को वहां पर होना चाहिये और इसके लिये उन्होंने इस सेक्शन में तब्दीली की और इसको पंत जी ने भी मान लिया। इसके लिये यहां जो भी अमेंडमेंट पेश किया गया वह स्वीकार किया गया। मैं आपकी इस बात में तारीफ करते हुये भी यह कह सकता हूं कि आपने मिनिस्टर होने पर जिस बात का अनुभव किया और जिसे उचित समझा वह किया लेकिन फिर भी आपका यह स्टेप गलत हुआ है। वैसे आप जो कुछ करना चाहें कर सकते हैं। मैं भी आपसे इसके लिये कहूंगा कि आपने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन्स हाई स्कूल की रखी है, तो उसमें देखना यह है कि उसमें काबिलियत क्या और कितनी ह। तो अगर इस तरह से एक जगह के लिये आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन्स हाई स्कूल रखा है, तो मैं कहूंगा कि आप हर जगह के लिये चाहे वह डिप्टी मिनिस्टर्स की जगह हो या दूसरी जगह हो, उनके लिये भी मिनिमम क्वालिफिकेशन्स रखनी चाहिये। एक आदमी जो कि फाईलों को समझता नहीं है, उसको कैसे किसी रेस्पांसिबिल पोस्ट में रख दिया जाता है। तो हमारे यहां जो सरविसेज होनी चाहिये, तो उसके लिये लोगों को भी मजबूत होनी चाहिये। उसकी अक्ल मजबूत होनी चाहिये, तभी वह सरविसेज पर हावी हो सकता है। आप ने इन्ट्रेन्स क्वालिफिकेशन रखी थी एक प्रोग्रेसिव कदम था लेकिन वाक्यात से आप उसको नहीं कर सकते थे इसका मुझे अफसोस है और आप के साथ हमदर्दी है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कोशिश करेंगे और जिन बातों की ओर यहां पर इशारा किया गया है जैसे डा० ईश्वरी प्रसाद जी ने कहा है कि आखिर आप मुल्क को किधर ले जाना चाहते हैं। आपने जम्हूरियत के खिलाफ नफरत पैदा कर दी है, आप के सामने मैं, आदमी लाकर खड़ा कर सकता हूं आप मेरे साथ चलें, मैं दिखलाऊंगा कि हर आदमी यह कहता हुआ नजर आयेगा कि साहब इस राज्य में जस्टिस नहीं हो सकता आज बगैर सिफारिश के काम नहीं हो सकता अगर यह वाक्या न हो तो आप मुझको हाईएस्ट पनिश्मेंट दे सकते हैं। आज की और लीडरशिप के बारे में क्या कहा जा सकता है लीडरशिप इमानदार होनी चाहिये उसकी इमानदारी का असर दूसरों पर भी पड़ता है। आज डेमोक्रसी के केस को ठेस पहुंच गई है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप कोई कदम ऐसा उठायें जिससे मुल्क की तरक्की हो और जो बुराइयां हैं वह दूर हों तो आप का साथ दूंगा और मेरा उससे कोई मतभेद न होगा। इन बातों की ओर मैंने इशारा किया है मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन पर ध्यान देंगे और एक सही बिल लायेंगे।

श्री सरदार संतोष सिंह (नाम निर्देशित)—माननीय चेयरमैन साहब, इस अमेंडिंग बिल पर काफी बहस हो चुकी है मगर मुझे अफ़सोस है कि जिस बात को मैं कहने जा रहा हूं उस बात का जिक्र किसी ने नहीं किया है। इसमें इन्डस्ट्री को किसी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। रिप्रेजेंटेशन (representation) न देना नाइन्साफ़ी करना है क्योंकि हर एक म्युनिसिपैलिटी में वाटरवर्क्स होते हैं और बिजली घर होते हैं उसमें सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट होते हैं, इन्जीनियर्स होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं तो उन पर कोई सुपरवाईज करने वाला नहीं होता है और जो बात वह चेयरमैन से कह देते हैं वह उसको मानना होता है। इसलिये इन्डस्ट्री से ताल्लुक रखने वाला एक आदमी उस बोर्ड में होना चाहिये जो उन बातों की ओर नजर रख सके। मैं मिसाल के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि वाटर वर्क्स का एक इंजीनियर आता है और कहता है कि फलां वाल्व खराब हो गया है और इतने रुपये की जरूरत है और देखा यह गया है कि वह चीज खराब नहीं होती है, पर वह बन सकती है तो इस तरह से एक "वे आफ़ चीटिंग" (way of cheating) है इसलिये यह कहना चाहता हूं कि इन्डस्ट्रीज़ का भी रिप्रेजेन्टेशन अवश्य होना चाहिये। माननीय मंत्री जी को यह करना चाहिये कि वह इंडस्ट्रीज़ को जरूर रिप्रेजेंटेशन दें। अगर वह उनको रिप्रेजेन्टेशन देंगे तो मेरे ख्याल में काफी रुपया म्युनिसिपैलिटी का बच जायगा और आइन्दा म्युनिसिपैलिटी के अन्दर करप्शन होने का जो ख्याल है वह भी हट जायेगा। मुझसे पहले कई साहबान इस मामले पर बोल चुके हैं लिहाजा मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मैं सिर्फ़ इंडस्ट्रीज़ के बारे में कहने के वास्ते उठा था और मुझे उम्मीद है कि मंत्री साहब इस तरफ ध्यान देंगे और जल्द से जल्द इसका भी इस बिल के अन्दर नाम आयेगा।

श्रीमती शिवराजवती नेहरू (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ इस बिल के मातहत कहना चाहती थी वह मैंने पहले आपकी मार्फ़त सरकार से कहा था। अब तीसरी रीडिंग है और मैं इस समय भी आपकी मार्फ़त सरकार से दो चार बातें कहना चाहती हूं। डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब ने कहा है कि इस बिल में परिवर्तन नहीं हुआ है, पहले की तरह ही यह बिल आया है केवल कुछ अगर-मगर का परिवर्तन कर दिया गया है। परन्तु मुझे कहना है कि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन किया गया है। इसमें पहले स्त्रियों को रिप्रेजेन्टेशन दिया जाता था वह अब इसमें नहीं है। अगर मैं इस बात को मानलूं जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा है कि सेन्टर से पास हो चुका है कि स्त्रियों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जायगा तो मेरा ख्याल है कि नामिनेशन देने की मनाही सेन्टर ने की होगी। नामीनेशन जब विधान सभा में होता है तो क्या वजह है कि म्युनिसिपैलिटी से नामिनेशन हटा दिया जाय। यदि आप समझते हैं कि स्त्रियां पुरुषों की समान हो गयी हैं तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। आज भी हमारे देश में स्त्रियों की हालत शिड्यूल्ड कास्ट से भी ज्यादा खराब है और आज अपने पद के लिये इतना ज्यादा संघर्ष है कि जो उदारता पहले पुरुषों में थी वह आज पुरुषों में नहीं है और वह कोई भी स्थान स्त्रियों को देने के लिये राजी नहीं होते। यदि आज सरकार स्त्रियों को टिकट दे भी तो पुरुष न देने देंगे। जहां तक आज पैसा खर्च करने का सवाल है मैं यह कहूंगी कि पैसा भी आपके देश में आज स्त्रियों के पास नहीं है, उनकी कोई निजी सम्पत्ति नहीं होती वह पैसे के लिये भी पुरुषों पर निर्भर करती हैं। उनके कार्यकर्त्ता भी पुरुष ही होंगे। आज स्त्री कार्यकर्त्ता भी नहीं है इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सरकार से यह प्रार्थना करती हूं कि वह इस विषय पर ध्यान दें और स्त्रियों के लिये दो या तीन सीट नामिनेशन के लिये जरूर रखें।

दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय मैं आपकी मार्फ़त यह कहना चाहती हूं जैसा कि गोविन्द सहाय जी ने कहा, कि मुसलमानों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाय क्योंकि उनको रिजरवेशन नहीं दिया गया तो जो हमारी सरकार उनके साथ नाइन्साफ़ी कर रही है उसका वह मुकाबिला नहीं कर सकेंगे। मुझे उनकी यह बात अजीब मालूम हुई। हमारी सरकार ने, जब असेम्बली का चुनाव हुआ, जब सेन्टर का चुनाव हुआ तो कितना न्याय उनके साथ किया कि मुसलमानों को उनकी तादाद से ज्यादा सीटें दीं। हमको इस बात के लिये अपनी सरकार पर गर्व है।

[श्रीमती शिवराजवती नेहरू]

इसलिये सरकार पर यह इलजाम लगाना कि वह अल्प संख्या वालों के साथ किसी किस्म की नाइन्साफ़ी कर रही है या मजहबी लिहाज से कोई भेद भाव कर रही है यह तो सारे देश को भ्रम में डालना है। ऐसी बातें करना देश के लिये नुकसान देह है। वह भी हमारे देश के भाई हैं उनको अपने देश का ख्याल होना चाहिये और ऐसी बातें उनको असेम्बली या असेम्बली के बाहर नहीं कहना चाहिये जिससे हमारे देश में बेचैनी पैदा हो और हिन्दुस्तान की एक बड़ी कम्युनिटी के दिल में ख्याल हो कि हमारी सरकार उनके साथ नाइन्साफ़ी कर रही है। इन चन्द शब्दों को कहने के बाद अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

चेयरमैन—कौंसिल दो बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

[कौंसिल १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गई और २ बजे डिप्टी चेयरमैन (श्री निजामुद्दीन) के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।]

श्री राजाराम शास्त्री—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय म्यूनीसिपल संशोधन विधेयक पर तृतीय वाचन हम कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना कहूंगा कि चाहे कोई संशोधन हम भले ही इस भवन में पास न करा पायें हों लेकिन जो बातें कही गईं उनको वह ध्यान में अवश्य रखेंगे। मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि जो पावर्स आपको दी गई हैं उन पावर्स का आप अपनी पूरी शक्ति के साथ सदुपयोग करने में ही इस्तेमाल करें किसी तरह से उनका दुरुपयोग न होने पावे। इसीलिये कहा जाता है कि अगर ताकत अच्छे हाथों में होती है तो उसका सदुपयोग होता है और अगर बुरे के हाथों में जाती है तो उसका दुरुपयोग होता है। मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी एक अच्छे ख्यालात के व्यक्ति हैं और वह चाहते हैं कि उनके विभाग का सही माने में सुधार हो। हमारी जनता की भी यही भावना है। जो शासन म्युनिसिपल बोर्ड्स का अभी तक हुआ है, उससे जनता परेशान रही है और वह चाहती है कि सही माने में सुधार किया जाय। दूसरी तरफ यह भी धारणा लोगों को होती चली जा रही है कि जनता को अधिकार मिलें और वह स्वयं ही अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे और सही ढंग से चल कर देश की उन्नति करे। मेरा अपना ख्याल यह है कि वह देश का सुधार भी चाहती है और यह भी चाहती है कि अपनी शक्ति से अपना भी सुधार करे। मेरा विश्वास है कि हम सभी इस बात को मानते हैं कि इस देश को बुरी तरफ ले जाने से बचाने का केवल एक ही रास्ता है और वह यह है कि जनता का विश्वास प्रजातंत्रवाद की तरफ बढ़े।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी उस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैंने उस वक्त कहा था कि सरकार इस तरह की ताकत हाथ में न ले कि निर्वासित व्यक्तियों को अपने पदों से हटा दिया जाय। उस मौके पर कुछ लोगों ने हमारी बात का गलत मतलब लिया। इस सदन के सदस्य जब निजामुद्दीन साहब बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि राजाराम जी यह चाहते हैं कि कोई मेम्बर कितना ही नुकसान करे लेकिन उसको सजा न मिलनी चाहिये। मैं समझता हूं कि हमारी यह बात गलत ढंग से समझी गई और गलत ढंग से पेश की गई। मैंने कई बार इस सदन में कहा कि अगर मैं दुनिया में किसी से डरता हूं तो वकीलों से डरता हूं जो सही बात को गलत करते हैं और गलत को सही करते हैं। तो मैं उपाध्यक्ष जी, यह कहूंगा कि मेरी मंशा कतई यह नहीं है कि प्रेसीडेंट या मेम्बर अगर कोई गलती करे तो उसको सजा न देनी चाहिये। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि सजा कौन दे और गलती हुई या नहीं इसका कौन फैसला करे। मेम्बर या प्रेसीडेंट गलती करता है तो जिस बोर्ड का वह प्रेसीडेंट है और मेम्बर है वही बोर्ड ही फैसला करे और सजा देने का अधिकार भी उसी को होना चाहिये। साथ ही साथ में यह भी बिलकुल साफ़ कह दूं कि वैसे तो मैं रिजर्वेशन का

ज्यादा कायल नहीं हूं। मैं जानता हूं कि एक आदमी के पास एक वोट है। उसको खुली आजादी है कि वह जिसको चाहे वोट दे लेकिन मैं मजदूरों के मामले में इसका कायल जरूर हूं मैंने जो मजदूरों की बात उठाई थी उसके बारे में मेरा अपना विश्वास है कि जो अब की चुनाव हुआ उसमें सबसे बड़ी दो तीन बातें सामने आईं। एक तो यह कि साम्प्रदायिकता की जीत नहीं हो सकी और दूसरे पैसे वाले जो यह समझते थे कि वह पैसे के बल पर एलेक्शन जीत लेंगे वह भी इस इलेक्शन में झुक गये। कानपुर में कई लखपती और करोड़पती भी पिछले एलेक्शन में खड़े हुये थे और उनका प्रोपेगेन्डा इतनी जोर के साथ शुरू हुआ कि हम तो घबड़ा गये थे कि कैसे इनके मुकाबिले में खड़ा हुआ जायेगा। तो मैं यह तो नहीं मानता कि पैसे वाले जीत सकते हैं लेकिन खतरा यह है कि जैसा कि प्रजातंत्र देशों में होता है कि पैसे वाले डाइरेक्ट तो नहीं खड़े होते लेकिन वह अपनी पार्टी खड़ी कर देते हैं। वह उस पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं और अक्सर कामयाब भी हो जाते हैं। पूंजीपति दूसरे को मंत्री बनवा देते हैं और उनसे अपना काम करवाते हैं। यह जो कहा गया कि पूंजीपति हार गया, तो वह हार तो जरूर गया लेकिन वह दूसरे दरवाजे से घुस आया। आप यह न समझियेगा कि मैं आपको कह रहा हूं, मैं अपने को भी कह रहा हूं और अगर मैं कांग्रेस को कहूं तो कोई खराब बात नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि यह जो एलेक्शन आयेगा उसमें मजदूर पूंजीपति का मुकाबिला नहीं कर पायेगा। मैं रिजर्वेशन की बात मानता तो नहीं हूं और अगर मैं इस सिद्धांत को मानता होता तो मैं इस आशय का कोई संशोधन भी रखा होता लेकिन मैं चाहता था कि मजदूरों को अगर दो एक सीट रिजर्व कर दी जाती तो ठीक होता। हो सकता है, जैसे मान लीजिये कि कानपुर में चुनाव हुआ और मजदूर जीत नहीं सका तो अगर ट्रेड यूनियन के लिये दो तीन सीटें रिजर्व करदी जातीं तो अच्छा होता। मुझे यह विश्वास है कि अभी मजदूर यूनियन में वह हिम्मत नहीं है कि वह पूंजी वर्ग का मुकाबिला कर सके।

जो श्रीमती शिवराजवती नेहरू जी ने कहा था कि औरतों का भी रिजरवेशन होना चाहिये तो मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं। मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि जितना इक्स-प्लाइटेशन महिलाओं ने आदमियों का किया है उतना किसी ने न किया होगा। मर्द के धन पर, दिमाग पर सभी जगह पर उनकी हुकूमत होती है। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बची जिसको कि इन्होंने नहीं उलटा। फिर भी कहती हैं कि मर्दों ने हमें गुलाम बनाकर रखा। यहां पर जितने माननीय सदस्य हैं वे अधिकांश ऐसे होंगे जो कि हुकूमत का मुक़ाबिला कर सकते हैं लेकिन अपने घरों में उनकी क्या दशा होती है यह सभी जानते हैं। इस तरह कहने का बराबर एक फैशन चल पड़ा है। जब कभी उन को अधिकार मांगना होता है तो कहते हैं कि मरदों ने हमारा शोषण किया है, यह ग़लत बात है। बिना किसी रिजर्वेशन के भी उनकी ताक़त बढ़ी हुई है। आज कोई पार्टी नहीं है कि जिस में इन का हाथ न हो लेकिन क्या होता है कि हजार बार कहने पर भी ये लोग स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं। इसलिये हम पर इस प्रकार का दोष न दिया जाय कि पुरुष हम को खड़ा नहीं होने देते। मैं कहना चाहता हूं कि उनको अब हमारे सहारे खड़ा न होने दिया जाय। इस तरह की मांग करना बिलकुल ग़लत है। यदि स्त्रियां पुरुषों के बल पर इस तरह का अधिकार मांगती हैं तो वह ग़लत चीज है।

इसी तरह श्री गोविन्द सहाय जी की बात पर हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह खुद भी कह रहे थे कि इससे रिएक्सनरी बातें हो सकती हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि माइनारिटी का ख्याल रखना चाहिये लेकिन इसी बात के ऊपर हमारे देश का बटवारा हुआ है। मजहब के नाम पर जब यहां पार्टियां बनीं तो उसका यह नतीजा हुआ कि हमारा देश बंट गया। हम समझते हैं कि हमारे देश के बटवारे के बाद हमारी आंखें खुली होंगी कि भविष्य में हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे गोविन्द सहाय जी इन्कलाबी देश चीन से अभी लौटकर आए हैं। सचमुच में हमें यह आशा थी कि वह इस तरह के संदेश लायें जिस से हम अपने देश को भी आगे चलायें। लेकिन आपको ख्याल होगा कि हिन्दुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान बनाने में काफी हाथ बटाया था। जो उन्होंने कहा कि माइनारिटी को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिये उससे

[श्री राजाराम शास्त्री]

भले ही मुसलमान खुश हो जायं लेकिन देश का भला नहीं हो सकता। हो सकता है कि वोट लेने के लिये रिजर्वेशन किया जाय मगर मैं इसका सख्त विरोध करता हूं कि मुसलमानों के लिये और स्त्रियों के लिये रिजर्वेशन रखा जाय। लेकिन सत्य बात कहने से भी बाज न आऊंगा अच्छा हुआ कि उन्होंने अपना संशोधन इस तरह का सदन के सामने नहीं रखा। अगर वह इसे पेश करते तो कोई मुनासिब बात नहीं होती। मैं माननीय मंत्री से अन्त में इतना जरूर कहूंगा कि आप ने जो रिजर्वेशन की बातें नहीं मानीं हैं वह ठीक किया है। मैं इस को पसन्द करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि अगले १० साल के बाद जो शेड्यूलकास्ट का रिजर्वेशन है वह भी खत्म हो जायेगा। मैं जानता हूं कि थोड़े दिनों के बाद वह भी शक्तिशाली हो जायेंगे। फिर तो न मर्द और न औरत का सवाल होगा और न हिन्दू व मुसलमान का सवाल होगा। जो योग्य होगा और अच्छा होगा, उसको जनता चुनेगी। अभी तो शेड्यूल कास्ट के लिये आर्थिक दृष्टि से रखा गया है।

आखिर में मैं, माननीय मंत्री जी से अपील करूंगा कि आपको इतना जरूर ख्याल रखना होगा कि निर्वाचित प्रेसीडेंट और मेम्बरों को हटाने का जो अधिकार रखा है वह समझदारी से इस्तेमाल किया जायेगा। आपके हाथ में इसके लिये ताकत दी गयी है वह ताकत कोई खराब नहीं है। इसलिये हमें पूर्ण आशा है कि जो कानून हम पास करने जा रहे हैं उसका सदुपयोग होगा। हम निश्चित रूप से आपको बधाई देते हैं कि आपने चुनाव कराने के लिये इस बिल में कहा है। इसके साथ ही साथ इस बात की भी बधाई देते हैं कि आप ने इस सदन में किये गये प्रत्येक क्रिटिसिज्म को अच्छी तरह से टेक अप (take up) किया है।

*श्री हयातुल्ला अंसारी (नाम निर्देशित)—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, मुझे अफसोस है कि इस वक्त जनाब गोविन्द सहाय जी मौजूद नहीं हैं वरना उन्होंने जो कुछ तकरीर की है उससे मैं कुछ फायदा उठाता क्योंकि उनकी तकरीर का आधा हिस्सा उन्हीं के खिलाफ जाता है। उन्होंने साफ-साफ यहां पर कहा कि हमें जो कुछ करना चाहिये वह एक उसूल को मद्देनजर रखकर एक मुसतकबिल, भविष्य को सामने रखकर करना चाहिये। उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दू मुसलमानों की सीट का अलग-अलग रिजर्वेशन होना चाहिये। इस उसूल से दिल में एक बदख्याल पैदा होता है।

"कैसे तीरन्दाज हो सीधा तो कर लो तीर को"

मैं पुरानी बहस को याद दिलाना चाहता हूं जिसमें अलग अलग इन्तखाब होने का जिक्र है। मैं तो समझता हूं कि तादाद के मुताबिक रिजर्वेशन आफ सीट होना चाहिये। इस सिलसिले में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। अब्दुल गफ्फार खां पंजाब की हदसे खड़े हुए, पंजाब की हद पर सिर्फ वही एक घराना था। उनके लिये तमाम फिरकेवाराना बातें हुई और बहुत सी उनके खिलाफ तकरीरें की गई। तरह तरह की बातें उनके खिलाफ कही गई। चूंकि वह पाकिस्तान के करीब था, इसलिये जितनी बातें पाकिस्तान में होती थीं उन सब का गुनाहगार उन्हीं को करार दिया गया, गोया कि वह मुसलमान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। नतीजा यह हुआ कि इन्तखाब हुआ और जो कुछ अन्जाम हुआ वह सबके सामने आया। इसी तरह से यू० पी० में भी लोगों का ख्याल था। सोशलिस्ट पार्टी का भी ख्याल था और लोगों का भी ख्याल था कि जिन सीटों से मुसलमान खड़े हुये हैं वह तो हाथ से गई। यहां पर भी इन्तखाब हुआ और उसका जो शानदार नतीजा हुआ वह सब लोगों ने देखा ही है। मुसलमानों की सीटों का जो कुछ नतीजा हुआ, वह सबके सामने आ ही गया। यहां पर इन्तखाब में दो बातों का डर था एक तो यह था कि जिन सीटों से मुसलमान खड़े हुये हैं, वह हाथ से गई और दूसरे यह डर था कि मुसलमान उम्मीदवारों को जनता वोट भी नहीं देगी। इस इन्तखाब होने के बाद इन सब बातों का सबूत मिल गया है। मैं समझता हूं कि यह जो रिजर्वेशन आफ सीट का सवाल है,

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

वह मुसलसल ग़लत है। श्री गोबिन्द सहाय जी काफी तजुर्बेकार हैं और उन्होंने इस बात को देख लिया है कि लोग इस बात को नहीं देखते हैं कि वह हिन्दू है या मुसलमान है बल्कि पार्टी को देखते हैं कि वह किस पार्टी से ताल्लुक रखता है। वोट हिन्दू या मुसलमान को नहीं दिये जाते हैं बल्कि वोट पार्टी को दिये जाते हैं। जहां भी वोट की फेहरिस्त आती है, तो इस बात को बिलकुल साफ कर दिया है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जो पुरानी सियासत थी, उसमें खौफ़ के अलावा एक बात और भी थी और वह यह कि हम करना क्या चाहते हैं और किस चीज़ को अमल में लाते हैं। यह एक बहुत बड़ा सवाल होता है। इस सिलसिले में मैं मौलाना तुफैल अहमद की बनाई हुई किताब है जिसमें साफ-साफ दिया हुआ है कि किस तरह से इन्तखाब किया जाता है वह मैं उठाकर पढ़ देना चाहता हूं।

"इंगलिस्तान के एक मशहूर लिबरल ख्याल के अंग्रेज मि० विलियम्स फोर्ड ने हिन्दुस्तान की कौंसिलों और असेम्बलियों को देखकर कहा था कि यहां तो वज़ीरों और मेम्बरों का काम यह है कि वह ओहदों और मुनाफे के कामों को आपस में तकसीम करते रहते हैं और उन्हें फिरकेवाराना इन्तखाब में नफेआम्मा के कामों से मुस्तगनी और बेपरवाह कर दिया है। वजह यह है कि मौजूदा हालत में हिन्दू उम्मीदवार मेम्बरी को उस वक्त ज्यादा वोट मिलते हैं जब वह यह जाहिर करे कि वह उनके मजहब और कलचर की हिफाजत के लिये मुसलमानों से लड़ेगा। इसी तरह मुसलमान उम्मीदवार मेम्बर को ज्यादा वोट यह कहकर मिलते हैं कि वह हिन्दू से लड़ेगा। यह हालत इस कदर बढ़ गई है कि उम्मीदवारों की खुशवक्ती से अगर इन्तखाब के करीब कोई हिन्दू मुस्लिम फिसाद हो जाता है तो दोनों का काम आसान हो जाता है। मुख्तसर यह कि वोटरों और मेम्बरों के दरमियान फिरकावाराना या जुदागाना तरीके इन्तखाब की वजह से मुनाफा की तकसीम अमलन इस तरह हो गई है कि अवाम के हिस्से में तो मजहबी इख्तिलाफात को वजह से सर फूटना और इबादतखानों की तौहीन तनज्जुली है और मेम्बरों के हिस्से में जुमलये अक्साम के दुनियाबी मुफावाद आते हैं।"

यह हालत है हमारी सियासत की। मगर पूरे सियासत के माने से तो यह नुक्ते निगाह पैदा होता है और वह यह कि मुसलमान महसूस करता है कि हमको हिन्दू चुनकर लेना है और हिन्दू भी महसूस करता है कि हमको मुसलमान चुनकर लेना है, हालांकि दोनों की अक्सरियत और अक्लियत का मुकाबिला नहीं रह गया है। लेकिन पुरानी जहनियत अभी तक है। यह सियासत तो चलती है और जब यह चली तो हम और बातों को भूल जाते हैं। और वह यह कि हमको किसानों के लिये क्या करना है, गरीब लोगों के लिये क्या करना है, सोसाइटियों के लिये क्या करना है। अगर इस तरीके से देखा जाय तो सब खत्म हो जाता है और अगर उसी तरीके की सियासत चलती रही तो दूसरे अन्दाज से उसका नकशा ही बदल जायेगा। अब जब कि एक तरफ हम कबूल करते हैं कि इलेक्शन हो जायें तो अच्छा होता कि श्री गोबिन्द सहाय जी इसकी तरफ इशारा न करते। बहुत दिलचस्प बात यह है कि बिलकुल तो यह ठीक होता इन्हीं लफ़जों में कहा गया है कि मुसलमानों के लिये सीट रिजर्व की जाय। इसी तरह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट में हिन्दू मेम्बरों ने कहा है कि हिन्दुओं के लिये सीट का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये। वहां आपको मालूम होगा कि हिन्दुओं के लिये रिजर्वेशन आफ सीट्स है क्योंकि वहां उनकी माइनारिटी है और वहां सारी लड़ाई यही है कि यह रिजर्वेशन खत्म किया जाय क्योंकि वह थोड़े से आदमी हैं। वह अगर बोलते हैं तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है इसलिये उनको अलग न रक्खा जाय। आज वहां कसरत है मुसलमानों की और उनकी लड़ाई भी देखने के काबिल है, वहां उनका फिरकेवाराना रंग है, वहां आजकल यह चलता है कि कादियानियों को रिजर्वेशन आफ सीट दिया जाय क्योंकि वह कहते हैं कि इनका मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। मगर वह लड़ रहे हैं कि हमको अलग न किया जाय। तो वहां जो लड़ाई लड़ी जा रही है, उसका ख्याल रखते हुये श्री गोविन्द सहाय जी ने भी बिलकुल उन्हीं अलफाज में कहा है कि मुसलमानों को सीट का रिजर्वेशन दिया जाय। जैसा कि यहां पर कहा गया है कि गवर्नमेंट ने सब अख्तियार ले लिये और वह कर दिया, यह कर दिया, यह सब देखने के बाद एक ऐसा ढंग निकल गया कि सारी सियासत कम्यूनल झगड़े में बंट गयी और गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी।

[श्री हयातुल्ला अंसारी]

एक चीज और कही गई है और वह मेरे दोस्त गोविन्द सहाय जी ने कही है। उन्होंने यह कहा कि मुसलमान जो कांग्रेस के साथ हैं वह शो ब्वाय (show boy) हैं। वह चाहे भले ही इस चीज को कहें कि मुसलमान उस वक्त कांग्रेस में नहीं थे और मुसलमान उसी वक्त कांग्रेस में आये जब कि इनामात बंट रहे थे, लेकिन यह बात ग़लत है। मुसलमान उस वक्त भी कांग्रेस में थे जब कि वे जेलों में गये जब कि उन्होंने तकलीफें सहीं और जब कि उन्होंने हर तरह से कांग्रेस का साथ दिया। तो उनका यह कहना कहां तक ठीक हो सकता है। मुसलमान तीस साल से उसमें हैं और उसकी सियासत में उसने हिस्सा लिया है और अब तक वह उन्हीं के साथ चलती रही है और उसमें काम करती रही है, चाहे वह मुसलमानों की तरफ़ से कम्यूनल करार दे दिये गये हों। बाद में जब मुस्लिम लीग आई तो उसने इन मुसलमानों को भी काम्युनल करार किया। और उन मुसलमानों से हमेशा एख़्तिलाफ़ किया, फिर भी आप ऐसी बातें कहते हैं तो इस तरह से आज मुसलमानों को शो ब्वाय कहना बिल्कुल ग़लत है। यह कोई मामूली बात नहीं है, इससे बहुत बुरा असर पड़ता है और उन मुसलमानों को शो ब्वाय कहना आपकी सरासर ग़लती है। अगर आप इस बात की इन्क्वायरी करेंगे तो यह खुद अपना एक सबूत रखता है। ऐसी बात तो सिर्फ फिरकेवाराना लोग ही कह सकते हैं और आप इस तरह की बात कह कर जबरदस्ती फिरकेवाराना लोगों को भड़काना चाहते हैं और फिरकेवाराना फ़साद को उठाना चाहते हैं। अगर आप एक नज़र से देखिये तो मैं पूछता हूं कि मुसलमानों की सीटें क्यों अलग होनी चाहिये। इस तरह से हिन्दुओं के दिल में और भी बुरी भावना पैदा हो सकती है और उसमें बहुत सी ख़राबियां पैदा हो सकती हैं। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह से चीजें तक़सीम नहीं होनी चाहिये। वैसे दुनियां में बहुत सी चीजें हैं जो कि तकसीम नहीं होती हैं। गंगा नदी आज तक़सीम नहीं हो सकती है, जमुना नदी तक़सीम नहीं हो सकती है। किसी जगह का कल्चर तक़सीम नहीं हो सकता है। इस तरह से और भी बहुत सी चीजें हैं जो कि उगती हैं और जो कि आज बहुत बढ़ी हुई भी हैं, मगर वे भी तक़सीम नहीं हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर आलू तक़सीम नहीं हो सकता है, पपीता तक़सीम नहीं हो सकता है और गुलाब भी तक़सीम नहीं हो सकता है। लेकिन तारीफ़ यह है कि यहां वह चीज भी तक़सीम हुई है। तो जो सही तौर से अपने को फ़िरकेवाराना समझते हैं, वे ही इन चीजों को तक़सीम कर सकते हैं।

आज इसकी सबसे बड़ी मिसाल उर्दू ज़बान की है। वह आज मुसलमानों की ज़बान कहलाई जाती है हालांकि इसके लिये पूरी तवारीख भरी हुई है और उसको देखा जा सकता है कि वह मुसलमानों की ज़बान नहीं है। आज मुसलमानों के यानी उर्दू के सबसे बड़े अख़बार यहां मिलाप और प्रताप हैं। मिलाप के तीन एडीशन निकलते हैं। तो आप इन दोनों अख़बारों का मुकाबला कीजिये तो आपको इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं मिलेगी जिससे पता चले कि यह मुसलमानों के लिये ही है। और दूसरे भी अख़बार हैं, तो इस तरह से उनमें उर्दू की जो बात कही गई है वह रुपये में एक आना के बराबर है। कोई मुसलमान और दूसरे अख़बारों को नहीं पढ़ता है और एक-दो अख़बारों में इस तरह की शिकायतें भी रहती हैं। ये आप नहीं कह सकते हैं कि इन अख़बारों को मुसलमान ही पढ़ते हैं। उसके अन्दर कोई कम्यूनल बातें नहीं होती हैं। तो आज इस तरह की बात को कह देना कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, यह बिल्कुल ग़लत है और इसके लिये तवारीख़ भी देखी जा सकती है। आज तवारीख को देखने के बाद यह कोई नहीं कह सकता है कि उर्दू मुसलमानों की ज़बान है। इस तरह की निगाह लोगों की बदलनी चाहिये और लोगों को यह महसूस करना चाहिये कि वे ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात न कहें। इससे फ़िरकापरस्ती और भी बढ़ सकती है। और लोग यहां पर जो भी बात कहते हैं उसकी पूरी-पूरी तस्वीर नहीं खींचते हैं। इस क़िस्म की चीज से ख़तरा भी पैदा हो सकता है। इस तरह

से जो भी बात यहां कही गई हो उससे मुझे डर होता है कि लोगों को इससे बहुत नुकसान न पहुंच जायें। मुझे अफसोस है कि इस समय वह साहब मौजूद नहीं हैं, नहीं तो मैं उनको बतलाता कि हक़ीक़त में उनकी बहस क्या थी, उन्होंने क्या कहा था और अगर वे उसका सही अन्दाजा लगाना चाहें, तो वे इस बात को देखें कि मैंने क्या कहा है।

श्री प्रतापचन्द्र आज़ाद--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक आज जो कौंसिल ने पास किया है उसे मैं यह समझता हूं कि हमारे राज्य में डेमोक्रेसी का द्योतक है और सही मानी में अगर हम इस बिल के अनुसार शहरों में चुनाव करायें तो मैं यह समझता हूं कि इस बिल के अन्दर वह तमाम चीजें मौजूद हैं जो एक प्रजातन्त्र के उसूल में हो सकती हैं। मैं बिला शक यह कह सकता हूं कि अगर इस बिल को देखा जाय तो मालूम होगा कि यह बिल म्यूनिसिपैलिटीज के अन्दर एक अच्छी खासी क्रान्ति पैदा करता है और पुरानी तारीख को बदलने का एक नया रास्ता दिखाता है। डेमोक्रेसी के अन्दर २, ३, ४ सूरतें हुआ करती हैं और उन पर अगर कोई कानून या बिल पूरा उतरता है तो सही मानी में डेमोक्रेसी वहां कामयाब हो सकती है। पहली सूरत प्रजातन्त्र के लिये यह होती है चुनाव की व्यवस्था इस प्रकार की हो जिससे उसके अन्दर निष्पक्षता की झलक दिखाई दे। इस बिल का जहां तक सम्बन्ध है उसके अन्दर नई चुनाव व्यवस्था है यानी एलेक्टूल रोल बनने से लेकर और जिस एथारिटी के हाथ में यह काम दिया गया है वह काफी निष्पक्ष व्यक्ति के हाथ में दी गई है। दूसरी चीज प्रजातन्त्र की कामयाबी के लिये जरूरी जो होती है वह यह कि बिना किसी जांत-पांत के भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति जो बालिग हो उसको पूरा अधिकार हो कि वह अपनी राय को स्वतंत्रता के साथ इस्तेमाल कर सके। तो मैं यह भी देखता हूं कि इस बिल के अन्दर वह बात भी मौजूद है और रिजर्वेशन आदि जो डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं वह इसमें नहीं है ; जहां तक स्त्री और पुरुषों का सम्बन्ध है वह भी मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है इसलिये कि इन चीजों को अब आप कब तक चलने देंगे कि यह हिन्दू है और यह मुसलमान है, यह स्त्री और यह पुरुष है हमें तो अब ऐसा एटमास-फियर लाना है जिसके अन्दर रह कर हम अपने को एक सोसाइटी महसूस करें। हर औरत और आदमी के एक ही अख्तियार हैं वह जहां चाहे खड़ी हो सकती है और जहां चाहे वोट दे सकती है। किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आदमी खड़ा हो तो औरत वोट न देगी और ऐसा भी नहीं है कि औरत के खड़े होने पर पुरुष वोट न देंगे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह प्रथा अब और अधिक दिनों तक नहीं चलने देना चाहिये।

तीसरी चीज जो डेमोक्रेसी ढांचे के लिये ध्यान में रखने के काबिल है वह यह है कि उस ढांचे के जो कर्मचारी हों उनके जो राइट हों उनकी पूरी रक्षा होनी चाहिये सो भी इस बिल के अन्दर पूरी तरह से मौजूद है। कमेटी का झमेला खत्म करके उसमें भी ऐसा कर दिया है कि जैसा अभी संशोधन में था। कहीं पर सुपरिंटेंडेंट, कहीं पर चेयरमैन एजूकेशन कमेटी, कहीं पर प्रेसीडेंट बोर्ड। इस बात का बहुत ज़ोर दिया गया और वह यह कि हमारे बहुत से साथियों ने कहा कि एक लोकलसेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड बनाना चाहिए और उन्होंने इसकी अहमियत इसलिए और भी ज्यादा जाहिर की कि इस लोकलसेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड के जरिए से जो भी कर्मचारी अपाइन्ट होंगे उनके साथ निष्पक्ष तौर से न्याय होगा। मैं समझता हूं कि म्यूनिसिपल बोर्ड की डेमोक्रेसी और म्यूनिसिपल बोर्ड के अख्तियारात को यह चीज कर्टेल करती है। जब हम म्यूनिसिपल बोर्ड्स को बनाते हैं, जब हम जनता को यह अख्तियारात देते हैं कि अपनी राय से म्यूनिसिपल बोर्ड के प्रधान को चुने, जब हम जनता को यह अख्तियार देते हैं कि वह अपनी राय से मेम्बरों का चुनाव करें उसके बाद हम यह शक करने लगें कि जो जनता द्वारा प्रधान चुना जायेगा या जो मेम्बर चुने गए हैं, उनका जो बोर्ड बनाया गया है वह वहां के कर्मचारियों के साथ पूरे तौर से न्याय नहीं करेगा और उनके साथ अन्याय करेगा तो मैं समझता हूं कि यह चीज डेमोक्रेसी के विपरीत है। जब हम इतने बड़े बोर्ड को चुनकर बैठालते हैं, जिसको सारे शहर की जनता का विश्वास हासिल होता है उस पर हम तुरन्त अविश्वास प्रकट करें और यह कहें कि इसके हाथ बांधने के लिए कोई लोकलसेल्फ

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]
गवर्नमेंट बोर्ड होना चाहिए जो सारे कर्मचारियों की नियुक्ति करे तो मैं समझता हूं कि यह बात मुनासिब न होगी। जो बात ग़रीब अमीर वाली बार-बार कही जाती है उस बात को इतनी बार कहे जाने के बावजूद भी मैं नहीं समझा और आज उन्होंने एक बात और कह दी कि इतने बड़े चुनाव में धन के बल पर लोग चुने जाते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण--मैं समझता हूं कि कोई नई चीज कही जाय, या जो प्वाइन्ट्स डिस्कस होने को रह गए हों उन्हीं को कहा जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। राजाराम जी ने जो कहा उसका जवाब आप दें, गोविन्द सहाय जी ने जो बात कहीं उसका जवाब कोई दूसरे सज्जन दें, तो इस तरह तो बेकार में समय नष्ट होता है।

श्री राजाराम शास्त्री--पहले आप एक नमूने की स्पीच कर दें।

श्री प्रतापचन्द्र आजाद--मैं तो चुनाव के सम्बन्ध में ही बात कर रहा था। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जहां तक एडल्ट फ्रेंचाइज के अन्दर चुनाव का सम्बन्ध है मैं यह समझता हूं कि इसमें रुपया देकर वोट हासिल करना संभव नहीं है। एक शहर में जहां कि दो लाख, तीन लाख वोटर्स हैं, एक प्रधान जो कि तीन लाख वोट हासिल करने के लिए अपना नामिनेशन कराता है चाहे वह किसी पार्टी का हो, चाहे वह कितना ही मालदार क्यों न हो लेकिन मैं समझता हूं कि यह सम्भव नहीं कि तीन चार लाख वोटर्स को रुपया देकर कोई आदमी वोट हासिल करे। तीन चार रुपया प्रति आदमी देकर भी अगर वोट हासिल करे तो भी मैं समझता हूं कि कम से कम १५, २० लाख रुपया अगर खर्च करे तब शायद इस बात का इरादा कर सकता है कि मैं रुपया देकर वोट हासिल करूं। पिछले जो जनरल एलेक्शन हुये उनमें हो सकता है कि दूसरी बहुत सी बुराइयां रही हों लेकिन मेरा अपना यह विचार है कि बुराइयों के साथ किसी भी विरोधी दल के माननीय सदस्य ने यह बात नहीं बताई कि रुपये के लालच से वोटर तोड़े गए। जहां लाखों की संख्या में वोटर होते हैं वहां पर इस प्रकार रुपया पैसा देकर वोट को हासिल करना मैं समझता हूं कि यह चीज सम्भव नहीं है।

मजदूर वाली बात और गरीब वाली बात जिसको अभी श्री राजाराम शास्त्री जी ने कहा था लेकिन उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया है कि उस मजदूर का प्रतिनिधित्व पेश करने के लिये उसके अन्दर क्या होना चाहिये। रिजर्वेशन की बात जहां तक सम्भव है मैं समझता हूं कि यह डेमोक्रेसी के प्रिन्सिपुल के खिलाफ है। मुझे खुशी हुई कि इसको कोआपसेन में नहीं रखा गया है। चाहे वह कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे वह सोशलिस्टों की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट हो। जब कभी नामिनेशन करते हैं तो वे अपने नुक्तये निगाह से करते हैं। मैं बिला शक यह भी कह सकता हूं कि ज्यादातर जो नामिनेशन होते हैं वे उसी पार्टी के होते हैं जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है। इस वजह से फेयर चुनाव और निष्पक्ष एलेक्शन के लिये मैं यह समझता हूं कि यह निहायत जरूरी था। नामिनेशन का जो यह सिस्टम है उसको समाप्त होना चाहिये। माननीय मंत्री जी के भाषण के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि वे बातें जो चुनाव के लिये बनेंगी उनमें आ जायेंगी या जब अगला म्युनिसिपल बोर्ड का बिल पास होगा उसमें पूरा हो जायेगा। एक दो बात ऐसी हैं जिसको मैं सुझाव के तौर पर पेश करना चाहता हूं। मुझे इस प्रकार की पूर्ण आशा है कि रूल्स बनते समय इसको ख्याल में रखा जायेगा। एलेक्शन के सम्बन्ध में हम गरीब और अमीर के भेद को मिटाना चाहते हैं तो हमें एक बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिये। जिस तरह से जनरल एलेक्शन में हुआ कि चुनाव में कोई आदमी सवारी का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तांगा, लारी इस प्रकार की सवारियों का प्रोहीबिशन जनरल एलेक्शन में म्यूनिसिपल बोर्ड का जो एलेक्शन हो, उसके अन्दर एक प्रोसेडयोर बनाना चाहिये कि किसी प्रकार की सवारी कोई कैन्डीडेट न इस्तेमाल करे। जो धनी वर्ग के लोग हैं वे चुनाव में सवारी इस्तेमाल कर

सकते हैं और ग़रीब जनता सवारी इस्तेमाल नहीं कर सकती है। जो सवारी इस्तेमाल करता है वह वोटर्स को जल्दी ला सकता है और जो सवारी नहीं ला सकता है, उसके वोटर बाद में आते हैं इससे उसको नुक़सान पहुंचता है। जब रूल्स और प्रोसेडयोर बनेगा तो उसमें इस बात का ध्यान रखा जायेगा।

पिछले जनरल एलेक्शन में देखा गया कि पालियामेंट और असेम्बली के चुनाव में बैलेट पेपर एक ही स्थान पर मिलता था। अक्सर जो मतदाता थे उन्होंने ऐसा किया कि दोनों बैलेट पेपर एक ही बक्से में डालते थे। बैलेट बाक्स जो थे वे एक ही स्थान पर रखे गये थे इसलिये इस चुनाव में भी यह सम्भावना हो सकती है कि मल्टी मेम्बर्स का आदमी पांच पेपर लाये लेकिन वह ज्यादा पढ़ा लिखा न होने के कारण और ज्यादा समझदार न होने कारण उन तमाम पेपरों को एक ही बैलेट बाक्स में डाल सकता है। इससे गड़बड़ी हो सकती है। मैं सुझाव के तौर पर यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जहां तक हो सके या तो सिंगिल मेम्बर कान्सटीटयूएन्सी बनाई जाय और यदि ऐसा सम्भव न हो तो कम से कम यह जरूर हो कि बैलेट पेपर्स के बक्स इस प्रकार से इतनी दूर-दूर रखे जायं कि एक मेम्बर एक बक्स में एक ही बैलेट डाल सके।

तीसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर जो प्राविजन ससपेन्शन का रखा गया है, मैं माननीय मंत्री जी के भाषण सुनने के बाद यह समझा हूं कि वह जरूर आवश्यक था लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इसका इस्तेमाल उसी हालत में किया जाय जब इसकी बहुत ही ख़ास जरूरत आ पड़े और इसको इस तरह से न बनाना चाहिये जैसा कि रिमूवल का है।

अब आखिर में मैं रिजर्वेशन के सम्बन्ध में कुछ अर्ज करना चाहता हूं। जहां तक श्री गोविन्द सहाय ने रिजर्वेशन के सम्बन्ध में इम्फैसिस की। मैं तो यह समझता हूं कि शायद आज हमारे मुसलमान भाई जो इस हाउस के मेम्बर हैं या इस हाउस के मेम्बर नहीं हैं बाहर हैं उनकी भी अगर राय ली जाय तो मेरा अपना विचार है कि आज हिन्दोस्तान और पाकिस्तान बनने के बाद रिजर्वेशन और सेपरेट एलेक्टोरेट के नतीजे और उनसे होने वाली बर-बादियों को देखने के बाद ९९ फीसदी मुसलमान ऐसे हैं जो एक राय होकर यह कहेंगे कि रिजर्वेशन आफ सीट ही भारत के डुबोने का कारण है। आज हिन्दोस्तान के अन्दर जितनी खराबियां हैं और कम्यूनलिज्म है, यह सारी खराबियां जो अमल में आई उनका कारण सेपरेट एलेक्टोरेट और रिजर्वेशन आफ सीट ही है। श्री गोविन्द सहाय की इस बात को सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन मैं समझता हूं इसमें उनका भी दोष नहीं है। उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी का यह बिल मुझे ऐसा मालूम होता है जैसे एमलेस आदमी को यह नहीं दिखाई पड़ता है कि वह कहां जाय। श्री गोविन्द सहाय के सम्बन्ध में भी मुझे ऐसा ही मालूम पड़ता है। उन्हें आज यह नहीं मालूम होता है कि वह क्या कहें और क्या न कहें। रिजर्वेशन आफ सीट का जब एबालिशन हुआ था तो वह भी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में ही नहीं थे बल्कि गवर्नमेंट पार्टी के एक जिम्मेदार आदमी थे। उस समय इन्होंने इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई। आज मैं इस आवाज के उठने का एक ही कारण समझता हूं। जैसे डूबनेवाले को एक तिनके का ही सहारा होता है उसी तरह से आज वह हिन्दुओं के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर यह आवाज उठा रहे हैं ताकि मुसलमान भाई यह समझें कि आखिर उन्होंने उनके लिये कुछ कहा तो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वह उनको खुश करना चाहते हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि आज मुसलमान भी उस चीज से उतना ही चिढ़ता है जितना हिन्दू। और आज कोई भी आदमी जो समझदार है वह इस बात को नहीं चाहता है कि रिजर्वेशन आफ सीट्स के नाम पर कोई चीज़ बाकी रहे। इसलिये मैं समझता हूं कि यह रिजर्वेशन आफ सीट्स का मसला बिलकुल आउट आफ डेट है। इसलिये मैं समझता हूं कि बिल हर प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्त में मैं आशा करता हूं कि इस बिल के अनुसार जहां तक हो सके जल्द से जल्द चुनाव हो जिससे जो बातें इस बिल के अन्दर रखी गई हैं वह अमली रूप में

[श्री प्रताप चन्द्र आजाद]

आवें। और जो हमारे म्यूनिसिपल बोर्ड हैं वह एक डेमोक्रेटिक म्यूनिसिपल बोर्ड बन सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री प्रभु नारायण सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संशोधनों के बाद जो बिल हमारे सामने आया है, उसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि लोकतंत्र की परम्परा को कायम करने की जो बहुत चर्चा होती रही है इस बिल से उस परम्परा की भावना झलकती नहीं है। जहां तक सवाल इस बात का है कि नया बिल ला करके और तमाम मसलों को हल किया जायेगा जो कि स्वायत्त शासन के सिलसिले में पूर्ण होंगी इसको देखते हुये यदि इस बिल में ऐसे संशोधन हुये होते जिसमें कि केन्द्रीयकरण की जो प्रवृत्ति है वह कम हुई होती तो उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का स्वागत इस माने में भी हुआ होता कि आज एलेक्शन कराने के साथ ही साथ जो यह बिल थोड़ा स्वायत्त शासन की सीमा जो सीमित है उसमें और चाहे नियंत्रण किये गये हों लेकिन लोकतंत्र की भावना को ठेस नहीं पहुंचाया गया। संशोधन जो कि इस बिल में हो सकते थे आसानी से वह नहीं किये गये। आज वह बिल १९१६ की तरह का हमारे सामने है। जिस तरह से कि अंग्रेजों के शासन काल में बोर्डों का नियंत्रण जिला अधिकारियों के हाथ में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के हाथ में, कमिश्नरों के हाथों में रहा है वह अधिकार उनके हाथों में वैसे ही है और उसके साथ ही साथ सरकार नियंत्रण म्युनिसिपल बोर्डों के ऊपर पा रही है बनिस्बत इसके कि स्वायत्त शासन का ख्याल करते हुये लोकतंत्र की परम्परा का ख्याल करते हुये शक्ति को विकेन्द्रीकरण किया गया होता। यह कहा जा सकता है कि जब पूरे बिल को लायेंगे तो उसमें यह सब बातें रहेंगी लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं, बड़े-बड़े परिवर्तनों का ख्याल करते हुये कि छोटे-छोटे परिवर्तन को मान लिया जाता जो कि इस स्वायत्त शासन के सम्बन्ध में लाये गये थे। इस सिलसिले में यह जो बिल हमारे सामने है, उसको देखते हुये उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इतना ही कहना है कि आज सरकार को अधिक से अधिक इस बात की कोशिश करना चाहिये कि जब वह ताक़त अपने हाथ में लेते हैं तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वह कम से कम ताक़त का सेंट्रलाइजेशन करें। मुझे यह बात कहते हुये दुःख होता है कि बनारस के म्यूनिसिपल बोर्ड के सिलसिले में सरकार की नीयत किस तरह की रही है। उससे इस प्रकार की मनोवृत्ति दिखाई पड़ती है कि सरकार की मंशा कहीं ऐसी तो नहीं है कि इस कानून को जिससे शक्ति केन्द्रीयकरण होता है उसका दुरुपयोग है। इसी सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र करना चाहता हूं कि बनारस कांग्रेस कमेटी हर साल म्युनिसिपल बोर्ड के टाउन हाल में प्रदर्शनी करती है। इस सिलसिले में बनारस म्युनिसिपल बोर्ड का बनारस कांग्रेस कमेटी पर २९ सौ रुपया बाकी है। उस के साथ ही साथ बनारस म्युनिसिपल बोर्ड में एक कमरा कांग्रेस कमेटी ने तीन साल से कब्जे में ले रखा है लेकिन आज तक बावजूद कोशिश करने के भी वह कमरा म्युनिसिपल बोर्ड खाली नहीं करा पाया है। अभी कल ही बोर्ड की मीटिंग में जो डिस्कशन हो रहा था वह इस सिलसिले में था कि बनारस में राजनैतिक सम्मेलन होने जा रहा है उसके लिये कांग्रेस कमेटी ने म्युनिसिपल बोर्ड का ग्राउन्ड मांगा है। वहां पर जो इसकी बहस हुई उसको देखने से यह बात मालूम हुई है कि सरकार से इस बात के लिये इजाजत मांगी गई है कि चूंकि कांग्रेस कमेटी ने तीन साल से वह २९ सौ रुपया नहीं दिया है, इसलिये हम को कांग्रेस कमेटी पर मुकद्दमा करने की छुट दी जाय। मैं यह उदाहरण इसलिये दे रहा हूं कि किस तरह से पार्टी के नाम पर केन्द्रीयकरण होते हुये भी ऐसी हकतलफी होती है इस सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि·····।

श्री एम० जे० मुकरजी (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—On a point of order Sir. This is beyond the scope of the Bill। यहां तो कांग्रेस का उदाहरण दे रहे हैं।

डिप्टी चेयरमैन—वह तो आप बोर्ड की पावर के बारे में कह रहे हैं।

श्री प्रभु नारायण सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि इसमें पावर का मिसयूज न हो इसलिये यह कह रहा हूं। मैं बनारस कांग्रेस कमेटी का उदाहरण दे रहा था कि वह हर साल एक नया स्मारक बनाकर इस म्युनिसिपल हाल में छोड़ जाती है। वह तो इस तरह से कार्य करती है लेकिन जब उस पर मुकदमा चलाने के लिये स्वायत्त शासन विभाग से इजाजत मांगी जाती है तो वह इजाजत नहीं मिलती है और उसको हक नहीं दिया जाता है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जिस तरह से नियंत्रण की बात है उसको देखते हुये हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आज जो केन्द्रीयकरण की मनोवृत्ति है उस के लिये यह बिल हमारे सामने है। यदि इस के अन्दर विकेन्द्रीयकरण की मनोवृत्ति होती तो हम समझते कि यह लोकतंत्र का परिचायक है। हमारे माननीय सदस्य यहां पर खड़े होते हैं और इस बिल को लोकतंत्रवाद की आदर्शवादी कसौटी पर कसना चाहते हैं। हमें यह देख करके आश्चर्य होता है। अडल्ट सफरेज से चुनाव होने जा रहा है यह बात ठीक है, इसके साथ ही साथ रिजर्वेशन आफ सीट्स भी नहीं है लेकिन यह इस बिल की खसूसियत नहीं है वह तो १९४८ के बिल में आ गया था। आज जो बिल हमारे सामने है उसमें हम सोचते हैं कि कम से कम जो छोटे-मोटे सुझाव हमने दिये हैं वे मान लिये गये होते तो इस में जो नौकरशाही का इलेक्टोरेट बाडी पर नियंत्रण है वह कम हो गया होता। इसमें सरकार का नियंत्रण है उसकी जगह पर किसी ईम्पार्शियल बाडी का होता जिसमें कि उसके भी प्रतिनिधि होते। यह छोटी सी बात मान ली गयी होती तो हम समझते कि लोकतंत्र परम्परा का ख्याल किया गया है। उसके साथ ही साथ जब हम देखते हैं कि आज किसी भी बोर्ड को सुपरसीड कोने की कोई सीमा नहीं है है तो भी हमें चिन्ता होती है कि लोकतंत्र मर्यादा का कहां ख्याल हो रहा है? इस बिल को देखने से ऐसा मालूम होता है कि जैसा अंग्रेज कहा करते थे कि हिन्दुस्तानी अभी शासन के योग्य नहीं हैं इसलिये वे शासन नहीं दे रहे हैं। जो बहस के सिलसिले में दलीलें दी गयी हैं उनसे यह मालूम होता है कि केन्द्रीयकरण इसलिये कर रहे हैं क्योंकि ये बोर्ड ठीक तरह से चला नहीं सकेंगे। तो यह दलील ऐसी ही है।

इसी के साथ-साथ इस बिल में कुछ कमियों को दूर किया गया है। प्रेसीडेन्ट के संबंध में जो एजुकेशनल क्वालीफिकेशन की बात रखी गयी है वह बहुत ही अच्छी है। उसके लिए जो संशोधन आया है वह बहुत ही अच्छा है चाहे वह कांग्रेस पार्टी के अधिक विरोध की वजह से माननीय मंत्री जी ने इसको माना है या और कोई वजह से माना है। मैं समझता हूं कि यह बात इस बिल में बहुत अच्छी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मैं चन्द बातों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इलेक्शन के रूल्स बनाते वक्त आपको इस बात पर ध्यान रखना चाहिये कि इलेक्शन के संबंध में जो शुबहात और शंकाये पैदा हो गईं उनको दूर किया जाय। वैलेट बाक्स पर लोगों का विश्वास रहे और प्रजातंत्र से भी लोगों का विश्वास न उठे। इसी के साथ-साथ गोविन्द सहाय जी ने रिजर्वेशन आफ सीट के लिए भी कहा। चूंकि अब थर्ड रीडिंग के वक्त इस का कोई सवाल ही नहीं उठता है, इसलिये अब इसका कोई सवाल ही उठाना बेकार है। लेकिन इस के साथ हम यह भी अपना हक़ समझते हैं कि हम भी इस पर अपनी राय जाहिर कर दें। गोविन्द सहाय जी ने जिस तरह से अपनी राय जाहिर की है वह बहुत ही खतरनाक और भयंकर तरीका है। आज मुल्क जिस परिस्थिति और वातावरण में है उसके आधार पर आप मुल्क को कम्युनिज्म की तरफ़ लिये जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि खराबियों को दूर करने के लिये उन्होंने जो यह सीट का रिजर्वेशन बताया है वह ठीक नहीं। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त सोशलिस्ट पार्टी ने इसकी मुखालिफत इस बिना पर की थी कि अगर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान बनता है तो हिन्दू और मुसलमानों में एक जदो-जहद पैदा हो जायगी और धार्मिक आधार पर एक समाजवादी व्यवस्था पैदा हो जायगी। सोशलिस्ट पार्टी ने पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बटवारे का विरोध किया था मैं देखता हूं कि आज फिर इस तरह से रिजर्वेशन आफ सीट के सवाल को पैदा करना किसी तरह से

[श्री प्रभु नारायण सिंह]
भी ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि इस जमाने में वर्ग संघर्ष करना ठीक नहीं है। आज कल इस तरह से नारे लगाने से देश को हानि होने का खतरा है। हर एक का अपना प्रोग्राम होता है और उसी के आधार पर वह चलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कांग्रेस सरकार से इस बात की शिकायत है कि जिस तरीक़े से जनरल इलेक्शन और दूसरे मौकों पर उन्होंने मुसलमानों को इस बात का डर दिखलाया कि यदि तुम कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो तुम मुल्क के साथ गद्दारी करने वाले समझे जाओगे तो इस तरह की जो बातें जाहिर की गई हैं वह न होनी चाहिये थीं। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को भी अपने प्रोग्राम के आधार पर मुसलमान जनता के पास या किसी जनता के पास पहुंचना है और सोशलिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियों को भी इसी आधार पर जनता के पास पहुंचना है तो आज यह रिजर्वेशन का सवाल उठाना उचित नहीं है। यदि मुसलमानों के लिये रिजर्वेशन आफ़ सीट का सवाल उठता है तो कल फिर सिक्खों के रिजर्वेशन का सवाल पैदा होगा और परसों ईसाइयों के रिजर्वेशन का सवाल उठ सकता है। इस तरह से एक अजीबो गरीब शक्ल देश में पैदा हो जायेगी। श्री गोबिन्द सहाय जी हाउस में नहीं है लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य यदि हाउस में अपनी राय जाहिर करे तो उनको समझना चाहिये कि उनकी राय का कितना दुष्परिणाम और व्यवस्था को बदलने की गुंजाइश होगी मैं तो कहता हूं कि वह केवल राय ही नहीं है बल्कि उसका एक भयंकर परिणाम भी हो सकता है अगर हम उनकी जिम्मेदारी को सोचते हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बिल इस सदन के सामने है उसको देखते हुये जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि यह लोकतंत्र की मनोवृत्ति का परिचायक है। माननीय मंत्री जी ने चूंकि यह आश्वासन दिया है कि वह दूसरा अमेंडमेंट बिल इस सदन के अन्दर लाने वाले हैं या दूसरे सदन के अन्दर लाने वाले हैं, मैं अधिक कुछ न कह कर सिर्फ़ उनसे यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार का जो रवैया अब तक रहा है यदि वही रवैया रहा तब तो मुझे उम्मीद नहीं है कि कोई अमेंडमेंट बिल इस संबंध का आयेगा। तब भी कोई एक आध क्लाज को सुधारने की बात होगी और उसमें भी यही कहा जायेगा कि सदन के सामने यह बात रक्खी गई है उसमें इस किस्म की दिक्कत है इसलिये इसको इस वक्त पास कर दिया जाय और फिर दूसरा अमेंडमेंट बिल आयेगा और इसी तरह की दूसरी बातें कही गईं और बेकार का आश्वासन दिलाया गया तो कोई फ़ायदा इससे नहीं होगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि जिस उत्साह से उन्होंने इस कार्यभार को लिया है उससे कम से कम मैं इस खतरे को नहीं समझता हूं कि सन् १९३४ में कमेटी बनाई और उसके बाद सन् १९४० में रिपोर्ट आई और फिर १९४६ में कांग्रेस गवर्नमेंट आई और काफ़ी दिनों के बाद सन् १९५२ में इस सिलसिले का बिल कुछ बदलाव के साथ पेश किया गया तो अगर उस बिल में इसी तरह नौकरशाही की मनोवृत्ति रही तब तो किसी भी माने में इस सदन को वह मंजूर नहीं करना चाहिये। यदि इस इलेक्शन में ज्यादा देर न दी गई होती तो मैं समझता हूं कि मैं कभी भी इस बिल को मानने के लिये तैयार नहीं होता इसलिये इन्हीं आबजर्वेशन के साथ कि यह बिल निकट भविष्य में सामने आयेगा, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

***श्री बद्री प्रसाद कक्कड़** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, निहायत खुशी का मौक़ा है कि ऐवाम के हर दो जानिब से इस बिल की खूबियों का काफ़ी अहसास हुआ और उसके जमीर में अपने ख्यालात के बमूजिब ख्यालात जाहिर किये हैं। मैं यह जानता हूं कि मैं क्या हूं, मैं डैमोक्रेसी का कायल हूं। लेकिन जब दिलोदिमाग पर हरकत देखता हूं तो उनकी हालत अजीब ही दिखलाई देती है, उनके ख्यालात कुछ अजीब रंग रखते हैं, कुछ अजीब ख्याल पैदा करते हैं। जहां तक बद्री प्रसाद कक्कड़ का सवाल है तो वह लोकल इन्स्टीट्यूट्स यानी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड आजादी के बाद रहना या उनके रखने की कोशिश करने पर कतई एतमाद नहीं करता है। क्योंकि यह एक खिलौना था दिल बहलाने का और उस गवर्नमेंट का जिसने हमें गुलामी की जंजीरों में बांधकर बहुत से दिल बहलाने के

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया

खिलौने दिये, तो उनमें जो इन्सटीट्यूशन्स थे, वे ये ही लोकल बाडीज़ थे और उनमें इसी का काम था। हमें इसी के इन्तजाम की कूवत क़रार दे दी गई और हमसे कहा कि तुमको इस बात का मौक़ा है कि तुम अपने मुल्क का खुद इन्तजाम करो। चूंकि उसका गुलामी से ताल्लुक था, लिहाज़ा उससे वे गुलामाना हरकतें पैदा करना चाहते हैं। जब मैं अपने ख्याल की तरफ और ज़माने की हरक़तों की तरफ देखता हूं कि मुझे खुद भी बहुत परेशानी होती है। मैं यह समझा करता हूं कि यह करेप्शन क्यों पैदा होता है और वह भी एक छोटे से ज़िले में हुआ करता है। इसके लिये सिर्फ़ दो दलीलें हैं। उनमें से एक म्युनिसिपैलिटीज़ और दूसरा कलेक्ट्रेट है। इनके यहां तनख्वाहें इतनी कलील होती हैं कि गुज़र होना मुश्किल है और जब तनख्वाहें इतनी कलील होती है, तो नीयत भी उनकी बद हुआ करती है। लेकिन चूंकि मैं डैमोक्रेसी का कायल हूं, इसलिये आज भी यह कहने का अख्तियार रखता हूं कि जिस कदर आज म्युनिसिपैलिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को अपने इन्तजाम करने के लिये अधिकार दिये जा रहे हैं, वे भी बहुत कम हैं और अगर इससे भी ज्यादा हों तो और भी अच्छा और बेहतर है। हालांकि ज़माने की रंगत, रफतार, रंगीनियों और तब्दीलियों का एहसास सब करते हैं और हमें लखनऊ की जिन्दा मिसाल से सबक लेना चाहिये, क्योंकि पारसाल लखनऊ म्युनिसिपल बोर्ड का इन्तजाम मैंने खुद देखा जोकि अब एक आई० सी० एस० के सुपुर्द किया गया है, तो आप देखेंगे कि उसके काम में और उसके इन्तजाम में पहले से बहुत ज्यादा अच्छाई आ गई है। और पहले से कितना ज्यादा अच्छा इन्तजाम हो गया है। लिहाज़ा मुझे इस बात पर एतमाद होता है कि अगर म्युनिसिपैलिटीज़ में कहीं खराबी होती है, तो उनका सुपरसेशन करने के अलावा और कोई दूसरा इलाज नहीं है। मैं इस बात पर कायल हो जाता हूं। मुमकिन है कि कोई दूसरा ऐसा एहसास न करता हो और वह दूसरी राय रखता हो लेकिन उसके लिये मुझे कोई ज़िद नहीं है। अभी मेरे भाई श्री गोबिन्द सहाय जी ने जोकि एक पार्लियामेंटरी सेक्रेट्री पहले रह चुके हैं और जिनके बारे में मैं भी पहले बहुत वाजिब ख्याल रखता था, जो तकरीर की, तो मुझे दो चीजें याद आईं। मैंने जिस वक्त उनकी ज़बान मुबारिक से रिज़र्वेशन की बात सुनी तो तबियत परेशान हो गई। मैं अपनी तकरीर से कोई एजीटेशन नहीं पैदा करना चाहता अगर वह मौजूद होते तो जिस वक्त वह असेम्बली में थे और मैं काउन्सिल में था तो उस वक्त की याद दिलाता और जो स्पीचेज़ दोनों जगहों पर मुस्लिम लीग की तरफ़ से हुई थीं उनको दिखाता जिसका नतीजा पार्टीशन हुआ और जो सब पर रोशन है। एक मिसाल देता हूं रौशन आरा और उसकी गुलामा का एक शेर है। उसकी गुलामा ने कहा—

"अज़ कज़ा आईने चीनी शिकश।"

उसने कहा कि तेरा कीमती आईना फूट गया उसके जवाब में उसने कहा—

"खूब शुद सामान खुद बीनी शिकश"

अच्छा हुआ साज सिंगार का सब सामान जाता रहा। तो आज क्या हो गया इधर हिन्दुस्तान और उधर पाकिस्तान। जनाब ने मालूम नहीं मौजूदा एलेक्शन में देखा या नहीं कि मुसलमानों को किस तरह की दिलशिकनी रही या किस तरह का शाक पहुंचा, पहुंचा तो जनाब को, इसके क्या मानी। मैं अपने ज़िले का एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। ७५ हजार की कांसटीट्एंसी थी उसमें मिनिस्टर अब्दुल रऊफ़ खड़े हुये थे। उसमें तादाद मुसल्मानों की ५ हज़ार की थी जिनके खिलाफ़ फतेहपुर की निहायत बेहतरीन हस्ती थी मैं उसका नाम नहीं लूंगा लेकिन उसमें शिकस्त हुई। अभी हमारी एक सदस्या श्रीमती शिवराजवती नेहरू जी जो औरतों की एसोसियेशन की रूह रूरवां हैं उनके ऐसे ख्याल वाली औरतों के दिल में भी रिज़र्वेशन की बात हो यह समझ में नहीं आता है। कल हुज़ूर, बिल्कुल सच है, मैंने तफ़रीहन दस्तबस्ता उनसे अर्ज किया था कि अब आप लोग परदे से बाहर आ गई हैं तो उन्होंने निहायत खूबी से एक शेर की तरफ़ इशारा किया—

"पूछा जो उनसे आप का परदा वह क्या हुआ।
कहने लगीं कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया।"

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

जनाब, बहुत अच्छा ख्याल उन्होंने मुझे दिलाया। लेकिन मैं उनको शायर इकबाल की जानिब याद दिलाऊंगा। कब्ल इस के कि मैं याद दिलाऊं, मैं बतलाना चाहता हूं कि शोअरा अपने ख्याल में कुछ अजब उमंग रखते हैं और उसकी उमंगों में पहेलियां रहती हैं। उन पहेलियों में आप धोखा मत खाइये। इकबाल साहब फरमाते हैं:—

तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही खुदकशी करेगी।
जो शाख़ नाज़ुक पे आशियां बनेगा नापायदार होगा।

देवियां मुझे माफ़ करें मैं किसी बदगुमानी और बद ख्याली से नहीं कह रहा हूं न उनकी जात पर कोई हमलावर ही हूं लेकिन अपने स्वतंत्र विचार रखते हुये मैं आपके सामने अर्ज करता हूं। आज जो मुल्क में बच्चों की यह दशा है इस की वजह सिर्फ़ इनका कारमंसबी से अलग हो जाना और भूल जाना है।

यह चीजें कुछ ऐसी है जो एक दिमाग़ को हरकत देती हैं और सच्चे विचार की तरफ़ रागिब करती है। आप अपना काम करें और हम अपना काम करें। दुनिया की तरक्की में कम से कम अपने सूबे की तरक्की में शामिल और मशगूल हो जायं। मेरे ख्याल से अगर कुछ भी उनकी दिल शिकमी हुई हो तो मैं माफी का ख्वास्तगार हुंगा। जनाबवाला मेरे भाई साहब कुछ और रिजर्वेशन चाहते हैं लेकिन वह खुद ही कायल हैं।

जनाबआली आक्ट्राय भी अपनी अहमियत रखता है अगर मेरे ख्याल से जनाब मिनिस्टर साहब अपने ख्याल को वाबस्ता करें तो यकीनन इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि छोटे जिलों को सबसे बड़ी उनके बिजनेस में हानि पहुंचती है उस आक्ट्राय की वजह से। इस आक्ट्राय का जितना विजनेस है सब ख़तम कर दिया। ऐसी सूरत में अपने मुशीरकार के ज़रिये से यह कोशिश करना चाहिये कि बिजनेस तरक्की करे। जब बिजनेस तरक्की करेगा तो मुल्क भी तरक्की करेगा। आज इंगलिस्तान अगर इस क़दर ताकत में है तो सिर्फ़ अपनी तिजारत और बिजनेस की बदौलत। आखिर में एक चीज है लैंग्वेज की। मेरे एक दोस्त ने फ़रमाया और मैं भी उसी तरीक़े को इस्तेमाल करते हुये खुद अर्ज़ करता हूं। हमारे सदन का विचार है the language must grow and it should not be enforced upon. इन चन्द शब्दों के साथ में इस बिल का दिल से स्वागत करता हूं।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं इस विषय पर कुछ अपना विचार प्रकट करना चाहता हूं, इसके संबंध में हमने अनेक तकरीरें सुनीं। कुछ ऐसे भावों का प्रदर्शन भी यहां हुआ है। जिनको कि मैं शरारती कह सकता हूं। उसके संबंध में बहुत काफ़ी इस सदन में कहा जा चुका है। मैं तो उसके संबंध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस शरारत की भावना में उनका कोई अधिक दोष नहीं है। यह तो १९१६ के क़ानून का असर है जिसमें अल्प संख्यकों को पृथक निर्वाचन अधिकार देने की गलती की गई थी। इस म्युनिसिपल ऐक्ट के अन्दर मुसलमानों के लिये सेपरेट एलेक्टोरेट का प्राविजन किया गया था उसका जो नतीजा हुआ वह सभी जानते हैं उसके बारे में अधिक कहने की जरूरत नहीं है। उसका नतीजा तो हम आज तक भुगत रहे हैं कितना रक्तपात हुआ, लाखों घर से बेघर हुये और करोड़ों रुपये की सम्पत्ति की हानि हुई। यदि इतने से संतुष्ट न होकर कोई सदस्य इस भवन में उसही शरारती भावना का पुनः प्रदर्शन करे तो उसका नतीजा वही होगा जो हम आज तक भुगत रहे हैं अन्यथा इस विधेयक के संबंध में जो यहां पर कहा गया है उसको दोहरा कर मैं सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। परन्तु एक दो बातें ऐसी हैं जिनके संबंध में मैं अपना विचार रखना चाहता हूं।

प्रेसीडेंट और मेम्बर्स के सस्पेंशन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस अधिकार को डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के प्रतिकूल उस पुरानी अंग्रेजी मेन्टलिटी का प्रदर्शन बताया गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस किस्म के अधिकार हर कानून में मिलेंगे। हम देखते हैं कि हर कानून में कुछ सेफ गार्ड रखे जाते जिनके द्वारा सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण दिया जाता है जिससे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। प्रेसीडेंट व सदस्यों के सस्पेंशन अधिकार भी एक प्रकार का सेफगार्ड है। यदि वह अपने कर्त्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन न करें तो कानून में ऐसी व्यवस्था होनी ही चाहिये कि उनको जांच के दौरान में मुअत्तल किया जा सके। यदि इस प्रकार का प्राविजन ऐक्ट में होता है तो नियमों का ठीक प्रकार से पालन होने की अधिक सम्भावना होती है। इस प्राविजन के न होने का यह नतीजा है कि बोर्डों में अनेक खराबियां चल रही हैं और सुधार का कोई प्रबंध गवर्नमेंट नहीं कर सकी है। इसलिये यह कहना कि यह डेमोक्रेसी के खिलाफ है और हम इस तरह से डेमोक्रेसी का खून करते हैं सर्वथा गलत है सेफ गार्ड जरूरी है। अगर कानून के अन्दर उसके लिये प्राविजन न हो तो ठीक तरह काम चलना मुश्किल हो जायेगा।

दूसरी चीज जिसकी तरफ मैं तवज्जह दिलाना चाहता हूं वह यह है कि हमको यह नहीं समझ लेना चाहिये कि इस प्रस्तावित कानून से हमारे जो म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं उनकी सारी खराबियां दूर हो जायंगी। मुझे तो वाकई उस वक्त ताज्जुब हुआ जब यह विधेयक हाउस के सामने आया, क्योंकि मेरी तो यह धारणा थी कि गवर्नमेंट शायद कोई ऐसा विधेयक लायेगी जिसके द्वारा जितने भी नागरिक जीवन के अंग हैं उन सबको सुव्यवस्थित करने का प्रबंध किया जायगा लेकिन ऐसा मालूम होता है कि इतना समय उनके पास नहीं था कि वह पूरा कानून बना सकते और चूंकि एलेक्शन की जल्दी थी इस लिये यही कानून संशोधन के रूप में रखना पड़ा। जरूरत इस बात की है कि एक पूरा म्युनिसिपल ऐक्ट बनाया जाय जिससे बोर्ड्स की जितनी खराबियां हैं वह दूर की जा सकें। बहुत सी चीजें आज इतनी पुरानी हो गई हैं कि उनको बदलने के सिवाय और कोई चारा नहीं है सब से बड़ी कठिनाई जो आज बोर्ड्स को है वह फाइनेन्सेज की है। केवल दो ही चीजों से बोर्ड्स को आमदनी होती है एक आक्ट्राई और दूसरा हाउस टैक्स। इसके अलावा और भी छोटे-छोटे टैक्सेज हैं जिनसे कुछ आमदनी हो जाती है लेकिन मेन इन्कम का सोर्स आक्ट्राई और हाउस टैक्स है। इन दोनों से इतनी आमदनी नहीं होती है कि बोर्ड्स का काम ठीक प्रकार चलाया जा सके। जहां तक आक्ट्राई का संबंध है, बहुत सी आय तो आक्ट्राई रिफंड की शक्ल में निकल जाती है। इसलिये हमें देखना है कि बोर्ड्स के फाइनेंसेज का इंतजाम ठीक कैसे हो। हाउस टैक्स और आक्ट्राई के अलवा आय के और भी साधन होने चाहिये। इन्टरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स का भी एक हिस्सा बोर्ड्स को मिलना चाहिये। जो राज्य सरकार को म्युनिसिपल रकबे से प्राप्त होते हैं। वेहिकिल्स टैक्स का प्राविजन तो कानून में है लेकिन उसके साथ-साथ यह भी लिखा है कि मोटरों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। यह किस आधार पर रखा गया है वह मैं नहीं समझ पाया। इस प्राविजन को पढ़ कर सुनाने की जरूरत नहीं है परन्तु यह तीन चार चीजें हैं जिनको अगर ठीक तरीके से देखा जाय तो बोर्ड्स उनके पाने के हकदार हैं। यह भी देखने की जरूरत है कि और क्या जरिये बोर्ड्स की आमदनी के हो सकते हैं।

साथ ही और भी अनेक बातें हैं जिनका जिक्र दफा ७ और ८ में किया गया है। बोर्ड्स के कर्त्तव्य तो बहुत लम्बे-चौड़े हैं लेकिन उनको पूरा करने के लिये बोर्ड्स के पास साधन कहां है। इसलिये इन कर्त्तव्यों को निर्धारित करने में यह देखना चाहिये कि बोर्ड्स को किस चीज को प्रायर्टी देना चाहिये। आज जो सबसे बड़ा प्राब्लम म्युनिसिपैलिटीज के सामने है वह गरीबों को मकान प्रोवाइड करने की है। गरीबों के रहने का प्रबंध कैसे किया जाये जो कि आज बड़ी तकलीफ में रहते हैं। मैं

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

अपने शहर की बाबत कह सकता हूं कि वहां पर सोहराबगट इत्यादि अनेक ऐसे स्थान है जहां पर गरीब लोग रहते हैं और ज्यादातर लेबर क्लास वहां पर रहती है। उस एरिया में न तो सफाई का ठीक इन्तजाम है न गलियों में खरन्जे हैं और न वहां पर लालटेनें जलती हैं और सबसे बड़ी शहर की आबादी उन्हीं हिस्सों में रहती है। हमारी तवज्जह शहर की सिविल लाइन्स की तरफ तो जाती है, वहां पर जाती है जहां पर बड़े-बड़े लोग रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं, लेकिन उन गरीब लोगों के रहने की जगहों की तरफ कतई नहीं जाती। हमको जहां अपने बोर्ड्स के फंक्शन नियत करने हैं वहां हमको देखना होगा कि किस चीज को प्रायर्टी देना है। इसी तरह से बेकारी (unemployment) अनइम्पलायमेंट की प्राब्लेम है। एजूकेशन की प्राब्लेम छोटे उद्योग-धंधों की समस्या है जो छोटी-छोटी काटेज इंडस्ट्रीज शहरों में है उनको भी सहायता देना है, उनको सुविधायें भी देनी है। मैं यह नहीं कहता कि बोर्ड छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज स्वयम् कायम करे, उसमें पैसा लगाये लेकिन वह कुछ सुविधायें तो दे ही सकते हैं। जैसे खादी है करघों का उद्योग है और दूसरी तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं। हमारे यहां एक इंडस्ट्री है जिसमें कैंचियां और रेजर्स बनाये जाते हैं। वह इतनी विस्तृत इन्डस्ट्रीज है जिसके १५-२० हजार आदमी काम करते हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज को तो सहायता दी ही जा सकती है। उनको कई तरह से सहायता पहुंचाई जा सकती है। परन्तु कानून में इस के लिये कोई प्राविजन नहीं है। इसको भी हमको देखना होगा मैं आपका ज्यादा वक्त न लेकर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सरकार जल्द से जल्द इस १९१६ के पुराने ऐक्ट को नया रूप दे। उसमें अभी तक २१ अमेंडमेंट पैबंद की तरह से लग चुके हैं जैसे कि पुराने कपड़े में जगह-जगह पैबन्द लगे रहते हैं वही इस ऐक्ट की शकल हो रही है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट एक मुकम्मिल कानून बनाये जिसमें सारी चीजों को सामने रक्खे और तब ही अपने नागरिक जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह से यह बिल यहां प्रस्तुत हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिये। कानून का मसविदा पहिले से पब्लिस होना चाहिये ताकि लोग अपनी राय दे सकें, यह बतला सकें कि उनकी मांग क्या है। प्रस्तावित कानून को देख कर वह बता सकें कि उसमें क्या तरमीम और होनी चाहिये। अगर ऐसा मौका हो तो अच्छे-अच्छे सुझाव हो सकते हैं। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि नये बिल को तैयार करके इसको पहिले पब्लिस किया जाये और पब्लिक और बोर्ड्स की राय मांगी जाये। सब लोकल बाडीज की ओपीनियन मांगी जाये तो शायद ऐक्ट बनाने में अधिक सुविधा हो, और भी अनेक बातें हैं जिनके संबंध में कुछ कहना चाहता था लेकिन इस वक्त थोड़ी ही बातें कहूंगा। लोकल बोर्ड की सर्विस के मुताल्लिक भी यह एक प्रश्न है कि उनकी सिक्योरिटी का क्या इंतजाम हो। इन सर्विसेज की जरूर सिक्योरिटी होनी चाहिये। हम रोजाना देखते हैं कि बोर्ड के चेयरमैन इक्जीक्युटिव आफिसर और वाटर वर्क्स के सुपरिन्टेन्डेन्ट इत्यादि में झगड़ा चलता रहता है। चेयरमैन के दिल में जो आता है वह सुपरिन्टेन्डेन्ट इत्यादि जैसे बड़े कर्मचारियों को ससपेंड कर देते हैं फिर वर्षों तक झगड़े चलते हैं। चेयरमैन तथा इक्जीक्यूटिव आफिसर में भी कसमकस चलती रहती है। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिनके कारण हमें सर्विसेज के बारे में भी गौर करना होगा कि उनकी सिक्योरिटी कैसे हो। आया वह सर्विसेज प्राविंशलाइज की जायं या उनका कोई दूसरा ऐसा इंतजाम हो कि वे एक बोर्ड से दूसरे बोर्ड में ट्रांसफर हो सकें। यह सब चीजें ऐसी हैं जिनका नये कानून बनाते वक्त ध्यान रखना होगा। अब मैं आप का अधिक समय न लेकर सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि गवर्नमेंट अब नया म्युनिसिपल बिल बनाने में जल्दी करे। साथ ही जो कारपोरेशन का बिल वह बनाना चाहती है उसको भी साथ-साथ रख दें ताकि दोनों को सामने रख कर ठीक राय निश्चित हो सके। यह भी देखना होगा कि कहां-कहां और किन स्थितियों में कारपोरेशन कायम हो सकता है। अभी तक तो जो प्रपोजल है वह कानपुर और लखनऊ में कारपोरेशन बनाने का है। वह कोई

सीक्रेट चीज नहीं है। हो सकता है कि उस कारपोरेशन की क्या पावर हो और अन्य क्या प्राविजन उसमें हों यह सीक्रेट हो सकता है। लेकिन यह बात तो सभी जानते हैं कि सरकार लखनऊ और कानपुर में कारपोरेशन बनाने का इरादा रखती है। खैर इस बात को छोड़ दीजिये कि किस शहर में कारपोरेशन बनाना चाहिये। अगर कारपोरेशन व म्युनिसिपल बिल साथ-साथ आ जाय तो दोनों की रूप रेखा हमारे सामने होगी और उस वक्त यह समझने में दिक्कत नहीं होगी कि कारपोरेशन और म्युनिसिपैलिटी मे कितना अन्तर है अतः मेरा सुझाव है कि यदि सरकार उचित समझे तो ऐसा जरूर करे। इस बिल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि उससे हाउस का समय व्यर्थ नष्ट होगा।

श्रीमती तारा अग्रवाल (नाम निर्देशित)--माननीय उपाध्यक्ष जी, वास्तव में मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी क्योंकि महिलाओं के लिये बहिन शिवराजवती नेहरू ने काफी कह दिया था इसलिये मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं थी। किन्तु आज जिस तरह पूर्व वक्ताओं की स्पीचों को सुनकर नारी जाति के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया मेरा जी हुआ कि अवश्य चन्द शब्द कहूं। जिस प्रकार से इस हाउस की विचारधारा है और माननीय सदस्यों की राय है उस से यह जाहिर हो जाता है कि वास्तव में नारियों को अधिकार देने के लिये कितने लोग समर्थक हैं। जो लोग विधान को बनाने वाले हैं और वे लोग जो कि कानून को बनाने वाले हैं जब उनके सामने नारियों के अधिकार का प्रश्न आता है तो इस तरह से नारियों की मजाक करते हैं। वह बराबर इस तरह की भावना व्यक्त करते हैं जिससे मालूम होता है कि वास्तव में वह नारी को क्या समझते हैं। यदि वे क्षण भर के लिये नारी की भावना में हो कर के विचार करें तो उन को मालूम होगा कि नारी की वास्तविक स्थिति क्या है। आज ही नहीं बल्कि पिछले एलेक्शन के नामिनेशन और रिजर्वेशन के ऊपर श्री राजा राम शास्त्री जी ने मुखालिफत की है उसको में कुछ ठीक नहीं समझती हूं। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह से संविधान में किसी तरह का अन्तर करना वाजिब नहीं है। अगर आप रिजर्वेशन और नामिनेशन में कोई अन्तर नहीं चाहते हैं तो उसी तरह से लाल टोपी और गांधी टोपी में भी कोई अन्तर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के अन्तर से जनता की भावना और विचार धारा बदलती रहती है। कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड की जो हालत है उस हालत को देखकर मैंने मंत्री महोदय से सलाह की थी कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लिये यह आवश्यकता समझी जाती है कि रिजर्वेशन आफ सीट हो, उसी तरह से आज महिलाओं के लिये सीट को रिजर्वेशन की जरूरत है। शेड्यूल कास्ट में यह बात समझी जाती है कि वह लोग अशिक्षित हैं, उन को समाज में बराबर लाने का प्रयत्न किया जाता है। मैं आप को विश्वास दिलाती हूं कि उसी प्रकार से आज महिलाओं की भी हालत है। महिलाओं की मेजारिटी पहले दो परसेंट अधिक थी परन्तु अब आप लोगों के शाप से एक परसेंट कम हो गई है। महिलायें किसी तरह से भी पुरुषों से वोट देने में कम नहीं हैं लेकिन फिर भी उनको मौका नहीं दिया जाता है। आप देखें कि इस इलेक्शन में ४३१ सीट असेम्बली में हैं और ७२ सीट हमारे यहां कौंसिल में हैं। कौंसिल की बात तो छोड़िये, यहां पर महिलाओं की कुछ तादाद भी है परन्तु असेम्बली में ४३१ मेम्बरों के बीच में केवल ११ महिलायें ही हैं। मैंने वहां की बहिनों से बात चीत करी तो मालूम हुआ कि बहुत संघर्ष के बाद हम को यह सीटें मिली हैं। जिस तरह से आज समाज में महिलाओं के लिये भावनायें हैं। उसी प्रकार से हमारे बड़े-बड़े नेताओं की भी भावनाएं हैं। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि आज भी हमारे समाज की भावनायें स्त्री समाज के लिये ऐसी हैं। अब भी समाज स्त्री जाति को एक अच्छी दृष्टि से नहीं देखती है। मैं माननीय मंत्री जी से इस बात की प्रार्थना करूंगी कि महिलाओं का क्वापशन होना चाहिये

[श्रीमती तारा अग्रवाल]

और उसमें कम से कम तीन से लेकर १० महिलायें होनी चाहिये। कानपुर में जो म्युनिसिपल बोर्ड है वहां की शिक्षा संस्था में जब अध्यापकों के वेतन का सवाल आता है तो वहां पर जो एक महिला है उस को वेतन लेने में बहुत कठिनाई पड़ती है। जहां बोर्ड में रुपया आया वहां पुरुषों को पहले बंट गया और जब महिलाओं का सवाल आया तो यह कहा गया कि कल जब रुपया आयेगा तो महिलाओं को दे देंगे। क्योंकि वह जानते हैं कि अगर पुरुषों को नहीं देते हैं तो हो सकता है कि एक संघर्ष पैदा हो जायेगा किन्तु महिलाएं तो सीधी सादी हैं, दब्बू हैं, और अगर उनको दो तीन महीने भी न देंगे तो उनसे किसी प्रकार के आंदोलन का भय नहीं है। यह हालत तो जब है कि जब वहां अभी केवल एक ही महिला सदस्या है।

छात्राओं की शिक्षा के संबंध में मैं यह कहती हूं कि जब तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व बोर्डों में नहीं रहेगा तब तक उनकी शिक्षा का ठीक-ठीक इन्तजाम करना असम्भव-सा हो जायेगा। जो छात्रायें हैं वही कल को स्त्री होंगी तो उनकी जो भी भावनायें होंगी वह छात्राओं के हित के लिये होंगी लेकिन जो पुरुषों की भावनायें होती हैं वह सिर्फ अपने ही लिये होती हैं और अपने ही हित को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि राजा राम जी ने बड़े जोरदार शब्दों में अपनी परेशानियां बयान की हैं। उससे तो यही मालूम होता है कि वास्तव में राजाराम जी अपने घर में गुलाम की जिन्दगी बिता रहे हैं। उनकी स्त्री एम० ए० पास हैं और सब तरह से काबिल हैं। मैं तो यह कहती हूं कि अगर आज राजा राम जी कुछ भी न करें तो अपनी स्त्री के वेतन पर ही अपनी जिन्दगी बसर कर सकते हैं फिर वह किस तरह से कह सकते हैं कि उनको परेशानियां होती हैं। मैं नहीं समझ पाती कि इस तरह की भावनायें किस तरह से माननीय सदस्यों के दिल में पैदा हो जाती हैं। मैं तो समझती हूं कि अपने घर के अन्दर आज यदि आप नौकर रखें तो उस नौकर के लिये भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमने घुड़क दिया या उसको तेज नजर दिखलाई तो फौरन घर से चला जायेगा और अगर चला गया तो घर का काम सब पड़ा रह जायेगा। लेकिन स्त्री के लिये यह भावना होती है कि अगर उसको छोड़ दिया या उसको मारेंगे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। क्योंकि वह समझते हैं कि स्त्री की जिन्दगी केवल उनके रोटी कपड़े पर ही निर्भर है और अगर हम निकाल देंगे तो यह रोटी कपड़ा भी नहीं माँग सकती है। तो आज स्त्रियों की जो स्थिति है वह समाज के विधान पर निर्भर ह राज्य के विधान पर नहीं। इन तमाम बातों को देखते हुये यह मालूम होता है कि विधान बनाने वाले केवल थोड़े से पुरुष ही ठेकेदार हैं और उन्होंने अपने हित के लिये ही विधान बनाया है। मैं तो यह कहती हूं कि ८० वर्ष का बृद्ध १२ वर्ष की बालिका से शादी कर सकता है लेकिन उसके ऊपर तो कोई प्रतिबन्ध नहीं है और अगर कहीं १२ वर्ष की बालिका बिधवा हो जाती है तो समाज के अन्दर उसके लिये कोई चारा नहीं है और उसका कोई भी लिहाज विधान के अन्दर नहीं है। जब कि उसकी यह दशा समाज में है और विधान में है तो बगैर रिजर्वेशन के स्त्रियां बोर्ड में अपना प्रतिनिधित्व पा सकें। मैं समझती हूं कि यह बिल्कुल असंभव है। इसके लिये चाहे हमें पार्लियामेंट में पुकार करनी पड़े कि स्त्रियों के लिये भी कानून में कुछ परिवर्तन किये जायं या उनके लिये रिजर्वेशन का सवाल रक्खा जाय जब तक आप लोगों की भावनायें नहीं तब्दील होती हैं या महिलाओं को जब तक शिक्षा नहीं दी जाती है और सभी महिलायें जब तक शिक्षित नहीं हो जाती हैं ताकि वह अपने अधिकारों को समझ सकें, तब तक मैं समझती हूं कि यह असंभव सी बात है कि उनका कोई भी प्रतिनिधित्व समाज में हो सकता है।

एक बात और कह कर मैं अपनी स्पीच खत्म करूंगी। हमारे भाई कक्कड़ साहब का कहना है कि हमारी महिलाओं को गृह के कार्य में दक्ष होना चाहिये और उनको उसी में अपना कर्त्तव्य

समझना चाहिये। मैं उनसे पूछती हूं कि अगर हम भी आप की तरह इस कौंसिल भवन में बैठी हुई हैं किन्तु इसके साथ ही अपने घर का कार्य भी करती रहती हैं और अपने बच्चों का लालन-पालन भी करती हैं और उसमें भी अपनी जिम्मेदारी को समझती हैं तो इसमें उनको क्या आपत्ति हो सकती है? हम अपने घर का कोई भी इन्तजाम हो, उसको पूरा करने के लिये भी तैयार रहती हैं और जो घरों के अन्दर बच्चों का लालन-पालन है उसको भी पूरा करती रहती हैं, और बाहर के कार्य में भी हिस्सा लेती हैं तो भी पुरुषों को सन्तोष नहीं होता है। मुझे अफसोस होता है कि इतना करने पर भी जब किसी के पुत्र को मिस्टर फलां का पुत्र है कहकर पुकारा जाता है तो उस समय हम लोगों की क्या दशा होती है, मगर फिर भी हमको उस बात की तनिक भी चिन्ता नहीं रहती है और हम उसमें भी गर्व अनुभव करती हैं।

श्री मोहन लाल गौतम—मलाबार में स्त्री का नाम लेकर ही पुत्र को बतलाया जाता है।

श्रीमती तारा अग्रवाल—यह हो सकता है जो कि मंत्री महोदय ने कहा है। लेकिन मैं कहती हूं कि किसी स्त्री का नाम पुकारने में भी मिसेज अग्रवाल कहा जाता है। मैंने एक बार इसके लिये कहा कि आप मुझे तारा अग्रवाल कह कर पुकारिये। हमको अपने नाम से भी वंचित रक्खा जाता है और उसकी जगह पर भी पुरुष का ही नाम लिया जाता है। तो जब आज इस तरह की भावनायें लोग रखने लगे हैं और महिलाओं को इस दृष्टि से देखते हैं, तो हम लोगों की उन्नति कैसे हो सकती है? किसी लेखक ने इसी के बारे में स्त्री की प्रशंसा करते हुये यह लिखा था कि स्त्री पृथ्वी है और पृथ्वी लाखों के चोटों से कुचली जाती है, मगर वह फिर भी उनको हटा कर दूर नहीं कर देती है बल्कि वह सब को अपने में समेट लेती है और उनका स्वागत करती है। मैं ये सब बातें इस लिये कह रही हूं कि आज पुरुषों के हृदय में नारी के प्रति जो भावनायें हो गयी हैं, वे दूर हो जानी चाहिये। आज जो विधान बनाया गया है, उसमें भी नारी और पुरुष का कोई भेद नहीं रखा गया है। इसी तरह से विधान बनाने वाले को दोनों को सेपरेट नहीं करना चाहिये और जहां तक हो सके पुरुषों को नारी का सपोर्ट करना चाहिये। इन्हीं भावनाओं को ख्याल में रखते हुये आज कोई बिल बनाना चाहिये जिससे कि नारी के अधिकारों पर कुठाराघात न हो। मेरी बहिन शिवराजवती नेहरू ने ठीक बात कही कि आज पुरुष यह सोचने लगे हैं कि स्त्रियां भी हम लोगों की जगहों पर काम करने लग गई हैं, इसलिये अब उनमें कोई खास भेद नहीं होना चाहिये। यह बात मैंने पिछले इलेक्शन में देखी। जब किसी जगह के लिये कोई स्त्री खड़ी होना चाहती थी तो उस जगह पर पुरुष को खड़ा कर दिया गया और यह कह दिया गया कि उनके खड़े होने से हारने की सम्भावना है और वे स्त्रियों को कन्धे पर उठा कर कहां तक ले जाते फिरेंगे। ऐसी भावनायें आज पुरुषों में नहीं होनी चाहिये। क्योंकि आप चाहते हैं कि चाहे उस जगह पर एक अंगूठा लगाने वाला आ जाय, मगर एक पढ़ी लिखी, एम० ए० या बी० ए० पास नारी नहीं आनी चाहिये। विधान परिषद् में भी मेम्बरों की भावनायें इसी तरह की हो गयी हैं। इसलिए इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करती हूं और जो थोड़ी बहुत बातें मैंने कह दी हों, और उनसे किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिये मैं उनसे क्षमा चाहती हूं।

श्री विश्वनाथ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—उपाध्यक्ष महोदय, आज विधेयक जिस पर विचार हो रहा है, उसपर मैं भी अपना थोड़ा सा विचार व्यक्त करना चाहता हूं। शुरू से अन्त तक इस विधेयक की जो बातें हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं और जितनी बुद्धिमानी के साथ इसमें सुधार किये जा सकते थे, किये गये हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। दुख है कि हमारे कुछ भाइयों को इस बिल में लोकतंत्रात्मक भावना नहीं दिखलाई देती है परन्तु कुछ बातें ऐसी हैं कि चाहे वह कितनी भी सुन्दर हों परन्तु कुछ लोगों को दूसरे रूप में दिखाई देती हैं। काफी बहस के बाद और विचार-विनिमय के बाद श्री राजा राम जी ने दो बातें कहीं, और बहुत सुन्दर ढंग से कहीं, लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं उन्होंने कहा कि मजदूरों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह

[श्री विश्वनाथ]

साधारणतः चुनाव में आ सकें, इसलिये कुछ समय के लिये ट्रेड यूनियन को कुछ सीट्स रिजर्व कर दी जायं। मेरा कहना यह है कि अगर सीट्स रीजर्वेशन का सवाल किसी भी ट्रेड यूनियन के लिये या किसी भी संस्था के लिये उठाया गया तो जैसा कि राजा राम जी ने श्री गोविन्द सहाय जी के प्रस्ताव पर कहा है वैसे ही शायद इस पर भी कहा जाने लगे। वास्तव में जिस प्रकार से मुस्लिम लीग को सीट्स अलग दे कर देश की दुर्दशा की गई है ठीक उसी प्रकार से अनेक स्वार्थ के वर्गों को प्रतिनिधित्व दे कर के हम इन संस्थाओं के बीच युद्ध का अखाड़ा खड़ा कर देंगे और उसके साथ ही यह होगा कि जो लोग प्रतिनिधि हो कर जायेंगे, वह अपने दल के लोगों को खुश करने के लिये उचित और अनुचित बातों का कोई ध्यान न रख कर सिर्फ उन्हीं के स्वार्थ की बातें करेंगे। लेकिन मैं तो कहता हूं कि यदि इन संस्थाओं को या यूनियनों को ऊंचे उठाना है तो उनके लिये भी अच्छा होगा कि उनको कोई रिजर्वेशन न दिया जाय। मान लीजिये थोड़ी देर के लिये, कि ट्रेड यूनियन को अधिकार दे दिया जाता है तो आगे चल कर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव में किसानों के प्रतिनिधियों की मांग आयेगी और उसके बाद बड़ी संख्या में जो खेतिहर मजदूर हैं उनके लिये यही सवाल उठेगा जो कि अव्यवहार्य होगा, अतः मेरे ख्याल से इन सब बातों को छोड़ कर किसी को भी विशेष प्रतिनिधित्व न दिया जाय यही हित कर होगा। क्यों कि इस तरह से हर आदमी को सेवा के बल पर ऊपर उठने का अधिकार होगा और यही एक सुन्दर तरीका है।

एक बात आप ने और कही थी कि छोटे लोग चुनाव में पहुंच न सकेंगे और ऐसा हो सकता है कि शोषक लोग आ जायं और मंत्री भी बन जायं उसकी उनको काफी चिन्ता है। ठीक है, ऐसा होना सम्भव है लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है सिर्फ़ कहने से ही तो यह दिक्क़त और कठिनाई हल नहीं होती। इसके लिये कोई रास्ता ढूंढ़ना होगा। निश्चय ही इतनी भयानक विषमता जो देश में है वह न रहनी चाहिये। यह खतरनाक है और कष्ट दायक भी है। परन्तु इस भयानक विषमता को दूर करने के लिये क्या तरीक़ा होना चाहिये यह भी सोचना है। आज तक हमने किसी भाई के मुंह से यह नहीं सुना, कि जो धनी वर्ग हमारे देश का है उसके प्रति हमारा क्या विचार होना चाहिए। यदि हम शांतिमय क्रांति करना चाहते हैं और धनियों का महत्व कम करना चाहते हैं, तो सब से पहले हमको यह करना होगा कि धनियों के प्रति उपेक्षा की भावना रखनी होगी। समाज में उनको ऊंची प्रतिष्ठा न देनी होगी। आज मैं देखता हूं कि हर दल के लोग धनियों की क़द्र करते हैं, इज्जत करते हैं। मुझको तो प्रत्यक्ष अनुभव है। मैंने देखा है कि अच्छे २ समाजवादी, एक धनी आदमी चाहे वह कांग्रेस की ही विचार धारा का क्यों न हो, अगर वह बीमार हो कर अस्पताल में जाता है तो कतिपय लोग उसको देखने तथा सेवा करने के लिये जाते हैं। लेकिन अगर एक ग़रीब आदमी अस्पताल में जाता है तो कोई उसकी सेवा करने नहीं जाता। इसलिये हमको एक भावना बनानी होगी, कि धनियों के प्रति क्या व्यवहार हो, क्या न हो, तभी देश के लोगों की मनोवृत्ति बदलेगी। अगर आप चाहते हैं कि विषमता दूर हो, तो सब से पहले ग़रीबों को अपनायें, बिना उस स्तर पर आये, जिस पर कि ग़रीब हैं, आप गरीबों का कल्याण, उनकी उन्नति नहीं कर सकते। आज कल लोग ग़रीबों को जो उकसाते हैं उस से वह वर्ग संघर्ष भले पैदा कर दें परन्तु वह उनको ऊपर नहीं उठा सकते।

जाके पांव न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई।

जो ग़रीबों की वास्तविक सेवा करना चाहते हैं उनको ग़रीबी का अनुभव करने के लिये ग़रीबों के स्तर पर उतरना होगा। अपने पांव में बेवाई फाड़नी होगी। यही रास्ता है ग़रीबों को ऊपर उठाने का। यह रास्ता नहीं है कि इनको अलग प्रतिनिधित्व देकर संस्थाओं में बिठा दिया जाये। जिस से कई वर्ग के लोग एक जगह इकट्ठा हो कर आपस में तू तू मैं मैं करें। यह भी कहा गया कि नामिनेशन आदि के सभी अधिकार हटा दिये जायं परन्तु थोड़ा सा अंकुश रखा गया है। लेकिन उस अंकुश के लिये भी बार-बार कहा जा रहा है कि कहीं उसका दुरुपयोग न हो। मुझे तो ताज्जुब जब हुआ जब मेरी पार्टी के लोग भी ताकीद करने की हिम्मत कर गये। मेरा निवेदन

हैं कि जब कभी संक्रमण काल होता है तो बहुतों की मनोवृत्ति में उच्छृंखलता आ जाती है। भावनायें कुछ विकृत हो जाती हैं। गरमी के बाद सरदी का मौसम शुरू होता है तो बड़े जोरों का बुखार आता है। इस तरीक़े से सर्दी खतम होती है और गर्मी का मौसम आता है तब भी बहुत लोग बीमार रहते हैं। जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, राज्य ने जिनके ऊपर काफी उत्तरदायित्व दिया है कि राज्य को ऊंचा उठायें, अब तक हमारा स्तर उस ऊंचाई पर न आ जाय कि जिससे सही चीज़ को समझ सकें तब तक चन्द दिनों के लिये उनके हाथ में अंकुश भी रखना होगा। अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है और उसके हाथ में डंडा होता है कि बच्चे डरें और अपना काम पूरा करें। उसका दुरुपयोग शायद ही अध्यापक किसी अवसर पर करता है उसी तरीक़े पर हमको और आप को समझना है और समझना चाहिये। इतने बड़े उत्तर प्रदेश के राज्य में जिस पर जनता अटूट विश्वास रखती है जो कि चुनाव से ज़ाहिर हो चुका है। एक बड़े जिम्मेदार आदमी के हाथ में एक छोटा सा अंकुश दिया गया है। उससे ज्यादा इम्पार्शियल कौन हो सकता है। मैं समझता हूं कि इससे सुन्दर व्यक्ति कोई दूसरा मिल नहीं सकता है। कोई दूसरी संस्था नहीं मिल सकती है।

बहिन तारा देवी अग्रवाल ने भी कुछ कहा है। जिसके विषय में मेरा कहना है, ये दोनों ही एक दूसरे के अविच्छिन्न अंग हैं और स्त्री पुरुष का संबंध यह एक ऐसी चीज़ है जिसको मनोवैज्ञानिक ही भली भांति समझते हैं। दो व्यक्ति को जब एक साथ रहना होगा, और आजीवन एक ही साथ रहना हो तो निश्चित बात है कि दोनो व्यक्तियों में से किसी एक को यह महसूस करना होगा कि हम थोड़ा सा झुक जायं और आपस में से किसी एक को बड़ा समझें, उसकी बातों को सहन करें, उससे थोड़ा दब कर रहें। एक जरा झुक जाय, तभी वह साथ रह सकते हैं और साथ रहना दोनों के लिये लाज़मी भी है ताकि सृष्टि का सृजन होता रहे। इसलिये दोनों में इस क़िस्म का समझौता होना आवश्यक है। उन अंशों में जहां तक बहन तारा देवी का कहना है कि पुरुष चाहे ८० वर्ष के हों लेकिन वह तीन शादी कर सकते हैं लेकिन औरतें नहीं कर सकती हैं तो मेरा कहना यह है कि बहुत से पुरुष ऐसे हैं जो इस पक्ष में हैं कि औरतों की भी पुनः शादी होनी चाहिये और जो शादी ८० वर्ष के लोगों की होती है वह न होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि पुरुष उन्हें दबाया करते हैं जिसके विषय में मैंने ऊपर निवेदन कर दिया है। अगर वह बिलकुल बराबरी समझते हैं तो वह साथ कभी नहीं रह सकते हैं। इसलिये थोड़ा १९, २० होना पड़ता है। यही तरीका साथ-साथ रहने का है। जब कोई सवाल होता था कि क्या कारण है कि कांग्रेस मुसलमानों से दबती है तो मैं तो कहता था कि जैसे स्त्री पुरुष दोनों एक साथ रहते हैं उसी प्रकार से हमको भी मुसलमानों को साथ में रखना है, उनको सर पर रखना है। एक को थोड़ा सा दबना पड़ेगा और दूसरे का लिहाज़ करना पड़ेगा। यह हमारी सदा से नीति रही है। हो सकता है कि अब इसे ग़लत साबित किया जाय लेकिन मैं तो कहता हूं कि दुनिया इस चीज को ग़लत नहीं साबित कर सकती है। शताब्दियों की तपस्या के बाद एक रास्ता निकाला गया था। यदि स्त्री पुरुष के अधिकार को ले लेती है तो फिर पुरुष को ही स्त्री बनना पड़ेगा। तभी संसार चलेगा और सृष्टि रहेगी।

डिप्टी चेयरमैन—अब कुल ४५ मिनट हैं और कई सदस्यों को बोलना है। अगर उस विधेयक को आज खत्म करना है तो आप लोग थोड़े वक्त में तकरीर खत्म कर दिया करें।

श्री मोहन लाल गौतम—मैं तो कम से कम आध घन्टा जवाब के लिये चाहूंगा।

श्री प्रभू नारायण सिंह—यह न हो कि घन्टों पाठ होता रहे।

श्री अब्दुल शकूर नजमी (स्थानीय संस्थाएं निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय डिप्टी चेयरमैन, यह म्युनिसिपैलिटीज का जो अमेन्डिंग बिल पेश है उसमें फर्स्ट रीडिंग से थर्ड रीडिंग तक इतना कहा गया है और सुना गया है कि मैं कोई खास ज़रूरत नहीं समझता था कि अपने विचार

[श्री अब्दुल शकूर नजमी]

पेश करूं लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने इस बिल को आधार बना कर जो नुक्ते निगाह रखा है उसकी वजह से मैं बोलने पर मजबूर हुआ। वैसे तो मैं यह समझता था, मुझे अफसोस है कि श्री गोविन्द सहाय जी यहां पर मौजूद नहीं हैं, कि वह चीन से आये हैं कोई इन्क़लाबी बात कहेंगे, इंक्लाबी सुझाव पेश करेंगे जिससे कि उनका रुख प्रगतिशीलता की तरफ़ जाता हुआ जाहिर होगा क्योंकि वह अपने को प्रगतिशील पोज करते हैं लेकिन उन्होंने जो बातें रक्खी हैं उनसे तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि वह कोई रिऐक्शनरी तो नहीं हैं। उन्होंने तीन बातें रक्खी हैं। पहिले तो यह कहा कि बिल को देखने से यह महसूस होता है कि हम सेंट्रलाइजेशन की तरफ़ जा रहे हैं और उसमें डेमाक्रेसी की रोशनी नहीं दिखलाई पड़ती है। हुकूमत के सामने कोई आइडियालोजी नहीं है और लोगों की मुसीबतें दूर करने का इसमें कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। दूसरी बात उन्होंने यह कही जैसा कि जिन्ना साहब ने कहा था कि आज भी कांग्रेस के साथ कुछ मुसलमान हैं जो शो ब्वायज की तरह हैं। तीसरी बात उन्होंने कहा कि मुसलमानों का रिजर्वेशन होना चाहिये। इसी आखिरी चीज पर मैं कुछ अर्ज करूंगा। इसके लिये दलील उन्होंने यह दी थी कि आज भी वह माइनारटीज में हैं उसकी मिसाल में उन्होंने पिछले एलेक्शन को पेश किया था। उन्होंने कहा मुसलमानों को डराकर धमकाकर उनसे वोट लिया गया। मैं किस तरह से कहूं कि उन्होंने यह बात होश में कहीं है या नहीं। यह चीज जिसका उन्होंने जिक्र किया सन् १९०६ में लार्ड मिन्टो ने मुस्लिम लीग की नींव डाली थी और उस वक्त से लेकर १९१६ में जब कि मुसलमानों को सेपरेट एलेक्टेट दिलाया गया था तमाम तरह की इसके खिलाफ़ दलीलें दी गयी थीं। जो लोग इसके खिलाफ़ थे वह कहा करते थे कि यह निकम्मेपन की स्कीम है। मैं आप से अर्ज करूं कि मिलजुल कर काम करने से सब लोगों में एक तरह की हिम्मत पैदा होती है कंपटीशन करने की, मिलजुल कर यह सोचने की कि कैसे बेकारी की समस्या हल की जाये, मैं अपनी बात सफ़ाई के साथ पेश करना चाहता हूं। जैसे हमें यह देखना है कि हमारे देश की जरूरतें क्या हैं अगर हम यह चाहते हैं कि हमारे सोचने की ताक़त मिले कि हम अपनी बेकारी कैसे दूर करें, लोगों को रोजगार कैसे मिले, हमारी शिक्षा का ढंग क्या होना चाहिये अगर हमको इस तरह की बातें सोचनी है तो हमको उस तरह की बातें नहीं सोचना चाहिये जैसी कि बाबू गोविन्द सहाय ने कही हैं। हम सब भाई-भाई हैं। मैं भाई-भाई का अल्फाज इसलिये इस्तेमाल कर रहा हूं कि हम एक ही मुहल्ले में रहते हैं साथ-साथ काम करते हैं और साथ ही साथ एक तरह से सोचते भी हैं। मैं किस तरह से कहूं कि वह सही दिमाग से बातें कर रहे थे या नहीं। वह यहां पर मौजूद नहीं हैं। गांव के जो पुराने लोग हैं वह बतलाते हैं कि जब एक गांव की लड़की चाहे वह किसी हिन्दू की हो चाहे किसी मुसलमान की हो, किसी दूसरे गांव में ब्याही जाती थी तब उस गांव का हिन्दू और मुसलमान दोनों ही उस गांव का पानी छोड़ देते थे और कहते थे कि इस गांव का पानी पीना पाप है क्योंकि इस गांव में हमारे गांव की लड़की ब्याही है। लेकिन जब यह सेपरेट एलेक्शन हुआ तब से क्या-क्या ग़जब हुआ, क्या-क्या आफ़तें ढाई गयीं और कितना खून खराबा हुआ यह किसी की आंखों से छिपा हुआ नहीं है। प्रभूनारायण जी ने तो उनकी बातों का जवाब दूसरे ही ढंग से दिया था उन्होंने कहा था कि शायद बाबू गोविन्द सहाय इस तरह की बातें कह कर मुसलमानों का फ़ेवर (favour) गेन (gain) करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि वह जो बातें कह रहे हैं वह इसलिये कि एलेक्शन में उन्हें कुछ कड़ुये तजुर्बे हुये हैं और शायद उसी से आसूदा हो कर वह इस तरह की बातें कर रहे थे। उन्होंने जिन्ना साहब की बात कहीं कि कांग्रेस में कुछ शो ब्वायज हैं। इसलिये यह कोई बुनियादी चीज नहीं है।

दूसरी चीज जो जिन्ना साहब ने कही थी उसको उन्होंने भी कहा। मैंने उनके लफ्जों को नोट किया था। वे इस वक्त हाउस में नहीं हैं, नहीं तो वे भी सुन लेते। जिन्ना साहब ने कहा था कि जो मुसलमान कांग्रेस में हैं, वे कांग्रेस शो बाय हैं। मुझे उनका यह फिकरा अच्छी तरह से याद है। जब एक दफे मौलाना आजाद कांग्रेस के प्रेसीडेंट थे, उस वक्त गांधी जी ने जिन्ना

साहब से उनकी मुलाकात के लिये बुलाया। वे किसी तरह से भी उनसे मुलाकात करने के लिये तैयार नहीं होते थे। जिन्ना साहब ने उस वक्त मौलाना अजाद के लिये यह कहा कि वह तो कांग्रेस के शो बाय हैं, मैं उनसे बातचीत नहीं करना चाहता हूं। बाबू गोविंद सहाय जी कई दफे इटावा गये हैं उनसे मेरी बातचीत भी हुई है, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह की बात नहीं कही, मालूम नहीं आज किस तरह से उन्होंने इनको शो बाय कह दिया। आज जब उनके मुंह से यह शब्द निकला तो हमें बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। आप को याद होगा कि जब यहां पर ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग के साथ थी, तो उस वक्त जो मुसलमान कांग्रेस के साथ थे उनके ऊपर किस तरह से मुसीबतें आई हैं वह किसी से छिपा नहीं है। यह बात किसी के कहने से आज ढक नहीं सकती। यह कोई बात नहीं कि आज उन्होंने इस बारे में अपनी राय बदल दी हो।

जो सीट के रिजर्वेशन का सवाल है, उसके लिये उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी की तरफ न जाकर सेन्ट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। वह कहते हैं कि इस सरकार के पास कोई ऐसा मसला नहीं जिससे लोगों की तकलीफ़ें दूर हो सकती हों। हर मुल्क में डेमोक्रेसी है लेकिन आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उसके साथ साथ हमें क़दम उठाना है। मिसाल के तौर पर मैं दो मुल्कों की मिसाल पेश करना चाहता हूं। फ्रांस में एक बहुत बड़ा इन्कलाब आया। उस के बाद ४८ तक उसके १२ या १३ विधान बदल चुके हैं। अभी १९४६ में दो दफे उसका विधान बदल चुका है। वहां यह हुआ कि प्राविंस को कितनी पावर दी जाय, पार्लियामेंट को कितनी पावर दी जाय और लोकल बाडीज को कितनी पावर दी जाय। उस वक्त वहां के लोकल बाडीज को जो ताक़त दी गयी उससे इतना ज्यादा सत्यानाश हुआ कि फिर से विधान को बदलना पड़ा। वह भी एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। आज की हालत और वक्त का तक़ाजा है कि अगर आप चाहते हैं कि नीचे वालों को ताक़त दी जाय तो किस हद तक दी जाय, यह देखना है। कहीं ऐसा न हो जाय कि इससे लोगों में सेक्टेरिज्म आ जाय या जो अभी तक हमारे यहां कम्युनलिज्म है वह चीज कहीं पावर में न आ जाय। कहीं इसके पीछे कोई जज्बा हो सकता है। हमें यह करना चाहिये जिससे लोगों की जरूरतें पूरी हों और उनको पूरा करने के लिये कौन सी कोशिश की गयी है। माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, आज सभी लोग यह जानते हैं कि उनके हकूक क्या हैं लेकिन यह नहीं जानते हैं कि हमारा फर्ज क्या है। डेमोक्रेसी में जहां हमारे हकूक हैं वहां हमारे कुछ फ़र्ज भी हैं। हमारे अन्दर काम करने का एक हौसला होना चाहिये। मैं केवल गवर्नमेंट के लिये नहीं कहता बल्कि डेमोक्रेसी में यह भी है कि जनता का क्या फ़र्ज है और उसका क्या कर्त्तव्य है। डेमाक्रेसी का फ़र्ज क्या है, आज हमको यह समझने की आवश्यकता है, जरूरत है। हमको आलोचना करने के साथ साथ यह भी समझना है कि हमारा फ़र्ज और कर्तव्य क्या है। जनाब वाला, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज यह हालत है कि अगर लालबाग में कोई एक्का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सारी कांग्रेस सरकार पर रखी जाती है। सियासत से लोगों का विश्वास, लोगों का इत्मीनान जाता रहा है। उनके दिमागों में आज ग़लत भावनाएं, ग़लत ख़्याल पैदा कर दिये गये हैं। हम लोगों का फ़र्ज है कि लोगों में डेमाक्रेसी के लिये, प्रजातंत्र के लिये विश्वास दिलायें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री एम० जे० मुकर्जी—जनाब डिप्टी चेयरमैन साहब, वक्त बहुत कम है इसलिये मैं चन्द शब्द कहना चाहता हूं। एक तो यह बात है कि जिस तरह के बयानात यहां पर श्री गोविन्द सहाय जी ने दिये वह ठीक नहीं है। माई नारीटीज के लिए मैं इस तरह की बातों को खराब समझता हूं। मसीही जमाअत ने १९३८ में इस बात का फैसला किया था कि रिजर-वेशन आफ सीट और सेपरेट एलेक्शन दोनों ठीक नहीं हैं। हमारा विश्वास था कि मेजारिटी पार्टी हमारी सहायता करेगी। हमारे सामने यह सवाल था कि इस वक्त बहुत सी पार्टी हैं हम किस पार्टी को वोट दें जो सरकार को आसानी से चला सके। इसलिये हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह कि ऐसे जिम्मेदार शख्श के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिये थीं। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हाउस में इस

[श्री एम० जे० मुकर्जी]

बिल पर तीन दिन से बहस हो रही है, म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट को लाने की जरूरत सब ने महसूस की। इस विधेयक को लाने की जो सब से बड़ी जरूरत थी कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाय।

(इस समय, ४-३० मिनट पर, चेयरमैन ने सभापति का आसन ग्रहण किया।)

डाक्टर साहब और दूसरे भाइयों ने इस पर अपने ख्यालात को काफी जाहिर किया है। माननीय मंत्री जी उन सब बातों को अच्छी तरह से देखेंगे और उनका ख्याल भी रखेंगे। बहुत से माननीय सदस्यों ने ससपेन्शन की भी मुखालिफत की मैं समझता हूं कि उनके ख्यालात ठीक नहीं हैं। ससपेन्शन बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक किसी अफसर का ससपेन्शन नहीं किया जायगा उस वक्त तक किसी मामले की तहकीकात ठीक तरह से नहीं हो सकती है। अभी तो हमें डिमाक्रेसी के उसूलों को सीखना है, इस मामले में हम लोग अभी बच्चे हैं। जैसे हिडोनिक प्रिन्सिपल में प्लेजर और पेन होता है।

चेयरमैन—What has this Bill to do with the Hedonic theory of pleasure and pain ?

श्री एम० जे० मुकर्जी—मुझे अब कुछ ज्यादा नहीं कहना है। इसके बाद मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

श्री पन्ना लाल गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं क्लोजर मूव करना चाहता हूं क्योंकि अब बहस काफी हो चुकी है।

***श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल**—(अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत थोड़ा सा कहना है। इस बिल के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

परन्तु एक विशेष बात जो कि मेरे मस्तिष्क में थी, वह मैंने निजी रूप से मंत्री जी के सम्मुख भी रख दी है और मुझे यह कहना है कि उसकी ओर भी ध्यान रक्खा जाय। यह बिल सदन के सामने इस आशय से रक्खा गया है कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जायं और इसकी ओर डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने जरा सा संकेत मात्र किया था। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि वह सरकार का ध्यान म्युनिसिपल बोर्डों में शिक्षा की दशा की ओर दिलाना चाहता हूं। यदि इन शिक्षालयों की ओर अच्छी तरह से लोग ध्यान दें तो उनकी आंखों से पानी आने लगेगा। शहरों में जो स्कूल्स हैं बच्चे उनको छोड़-छोड़ कर हाई स्कूल की दूसरी स्कूलों में जाकर दाखिल होते हैं तो मेरा आशय केवल यही है कि जब म्युनिसिपल ऐक्ट जो दूसरा आने वाला है आयेगा तो उसमें अवश्यमेव ही इन स्कूलों की शिक्षा प्रणाली की ओर भी ध्यान दिया जायेगा ताकि वहां की जो शोचनीय दशा है वह ठीक हो सके। मुझे मालूम है कि जो अवस्था इस वक्त म्युनिसिपल स्कूलों की है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पर है और एजूकेशन डिपार्टमेंट पर है। इन स्कूलों के अध्यापकों के ऊपर और स्कूलों की सोचनीय दशा को ठीक करने लिये खर्च का जिक्र करते हुये माननीय मंत्री जी से यह मालूम हुआ कि यदि आज हम उनके वेतन पर विचार करने लगेंगे तो तुरन्त एक करोड़ रुपया चाहिये और सवा दो करोड़ रुपया वार्षिक खर्चा और बढ़ जायेगा। इसीलिये उसे पूरा करने के लिये उनके पास भी रुपया नहीं है लेकिन जब यह बिल वस्तुत रूप में सदन के सामने आयेगा तो मैं आशा करता हूं कि उनके वेतन का सवाल भी माननीय मंत्री जी अपने ध्यान में रक्खेंगे।

***श्री सभापति उपाध्याय** (नाम निर्देशित)—अध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दी और संस्कृत के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। गोतम जी एक ऋषि थे उन्होंने संस्कृत शास्त्र को लिखा है.......

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

चेयरमैन—म्युनिसिपैलिटीज़ बिल और संस्कृत शास्त्र में बहुत अन्तर है।

श्री सभापति उपाध्याय—मैं उसी बात पर आता हूं। गौतम जी ने एक संस्कृत का शास्त्र बनाया और आज हमारे माननीय मंत्री गौतम जी ने इसको बनाया। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस इस ओर दिलाना चाहता हूं कि म्युनिसिपैलिटीज़ के अन्तर्गत शिक्षा का भी प्रबन्ध है और वहां पर हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, पर्शियन, आदि के पढ़ाने की व्यवस्था की जाती है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि संस्कृत भी एक भाषा है और इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है.........

चेयरमैन—यह चीज़ तो इस समय असंगत है।

श्री मोहन लाल गौतम—माननीय अध्यक्ष महोदय, थर्ड रीडिंग के समय जो-जो बातें इस सदन के माननीय सदस्यों ने कही है, उन पर सब का उत्तर मैं कहां तक दे पाऊंगा, यह मैं नहीं जानता हूं। लेकिन संक्षेप में जो जो बातें कही गयी हैं थोड़ा-थोड़ा सब का जवाब देने का प्रयत्न करूंगा। यह सौभाग्य की बात है कि डा० ईश्वरी प्रसाद जी जैसे विद्वान इस सदन में हैं जिन्होंने जिन्दगी भर अध्ययन किया है और शिक्षा दी है और मेरा विचार है कि उन्होंने इस विषय में भी काफी अध्ययन किया है। इसलिये हमें खुशी है इस बात की कि जब-जब भी ऐसे प्रश्न इन सदन के सामने आयेंगे, उनकी राय हमारे लिये उपलब्ध होती रहेगी। उन्होंने जब यह कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने उन सिद्धान्तों पर विचार नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि उनका मतलब यह था कि उन सिद्धांतों के अनुसार इस बिल में कोई संशोधन नहीं किये गये तो इसके लिये तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि जिन सिद्धांतों का इससे संबंध है, उनको लेने का प्रयत्न नहीं किया गया है लेकिन विचार नहीं किया गया है, यह कह कर उन्होंने हमारे ऊपर ज्यादती की है। जो उन्होंने सिद्धान्त बनाये हैं कि इस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चलाना चाहिये, यानी जनता को शिक्षित करे, नागरिकों के जीवन को ऊंचा बनाये, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सब बातों को जब कि नया बिल सदन में आयेगा उस वक्त इनको सामने रख कर उन पर विचार किया जायेगा और जहां तक हो सकेगा उनको कसौटी पर कसने की कोशिश की जायेगी।

मैंने जब पहले यह बिल रखा था उस वक्त कह दिया था कि एक नया बिल लाने के लिये समय चाहिये और उसको पास करने के लिये समय चाहिये। इसलिये यह बिल सदन के सामने रखा गया और जिस चीज़ का सदन ने चारों ओर से स्वागत किया है। सिवाय श्री गोविन्द सहाय को छोड़ कर और सभी ने इसका स्वागत किया है, और उन्होंने इसके लिये क्या-क्या कहा यह पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। सभी लोगों ने इस बात का भी स्वागत किया है कि चुनाव जल्दी हो जायें। इसलिये इन तमाम बातों पर इस समय मैं जाना भी नहीं चाहूंगा और जो बातें डाक्टर ईश्वरी प्रसाद साहब ने कही हैं और जिन बातों को उन्होंने हमारे सामने रखा है, तो उनमें सबमें इस समय जाना उचित भी नहीं है। कुछ लोगों ने इसमें बहुत से दोषों का जिक्र किया है, उनको मैं एक, एक करके आप के सामने बतलाने की कोशिश करूंगा।

एक बात जिसकी बहुत बड़ी चर्चा इस सदन में हुई है, वह यह है कि सेन्ट्रलाइजेशन की मनोवृत्ति हमारे उसमें पैदा हो रही है। मुझे एक भी मिसाल ऐसी नहीं बतलायी गयी जिससे कि हममें सेन्ट्रलाइजेशन की मनोवृत्ति पैदा हुई हो। एक चीज एकाउन्ट्स आफीसर्स के नियुक्त करने के बारे में थी, उसका स्वागत किया गया। एक दूसरी बात ससपेंशन और रिमूवल के बारे में थी। ससपेंशन और रिमूवल मेम्बरों और चेयरमैन का पहले भी था और अब भी है। और जितनी पहले की चीजें थीं, वही अब भी हैं। तो उसमें डिसेन्ट्रलाईजेशन की बात तो ठीक है, मगर यह कहना कि इसमें हम नई चीजें रख रहे हैं या उसमें सेन्ट्रलाइजेशन कर रहे हैं, यह उचित नहीं है। क्या किसी मेम्बर को रिमूव करने या किसी चेयरमैन को रिमूव करने की बात नई है और यदि इसके लिये जरूरी समझा जाता है तो पहले उसको ससपेंड किया जाता है और मामले की तहकीकात की जाती है। अगर तहक़ीक़ात ठीक हो, तब इस तरह की

[श्री मोहन लाल गौतम]

पावर इस्तेमाल की जाती है और इस बात को मैं नहीं समझता हूं कि जब रिमूवल का अधिकार है, तब किसी को ससपेंड करना तो एक छोटी सी बात है और यह उसका एक छोटा सा अंग है। तो इसके लिये जो दिक्क़तें आयी हैं या आती हैं, उनको दूर करना हमारा फर्ज है। अगर किसी मेम्बर के खिलाफ इस तरह की शिकायत होती है और स्टाफ यह करता है तो, उसके लिये और क्या रास्ता रह जाता है कि उसको अलग किया जाय। तो उसको अलग करने से पहले जब ससपेंड किया जायेगा और उसके खिलाफ तहक़ीकात होगी तो जब बाद में उसकी जरूरत समझी जायेगी, तभी उसको रिमूव किया जायेगा। यही बात उसमें हो सकती है। जब इस तरह के अधिकार की बात है, तो यह आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी मनोवृत्ति किसी पर हमला करने की है।

इस बिल के जो कुछ अमली बातों का जिक्र हुआ है, मैं अब उसकी ओर आता हूं। मैंने अब तक जो कुछ कहा उससे तो यह पता चल ही जाता है कि हमने बोर्ड की सेन्ट्रलाईजेशन की कोई कोशिश नहीं की है, इसलिये ऐसी बातें कहना उचित भी नहीं है। अब बोर्ड के सुपरसेशन की बात है। कानपुर के बोर्ड का डाक्टर साहब ने जिक्र किया। मैं उस चीज के बारे में बतलाता हूं और उसमें जो कुछ लिखा पढ़ी हुई है, उसको भी बतलाता हूं। उन्होंने कानपुर के डेवलपमेंट बोर्ड और म्युनिसिपल बोर्ड के बारे में कहा। कानपुर म्युनिसिपल बोर्ड के पास वाटर वर्क्स का चार्ज नहीं है और यह चार्ज कानपुर डेवलपमेंट बोर्ड के पास है और यही वहां वाटर सप्लाई करता है जब कि इसके चार्जेज म्युनिसिपिल बोर्ड वसूल करता है और म्युनिसिपल बोर्ड उसका उतना रुपया नहीं देता है। इस तरह से १६,१७ लाख म्युनिसिपल बोर्ड के पास आता है और वह डेवलपमेंट बोर्ड को रुपया नहीं देता है। इस तरह से डेवलपमेंट बोर्ड का रुपया उसके ऊपर बाक़ी रह जाता है। इसमें रुपये वसूल होने की बात है। अब तक म्युनिसिपल बोर्ड के पास उसका ११ लाख रुपया देना था और जब उसने म्युनिसिपल बोर्ड को इसके लिये धमकी दी कि अगर वह रुपया नहीं देगा, तो उनका काम बन्द हो जायेगा। तो म्युनिसिपल बोर्ड ने साढ़े सात लाख रुपया डेवलपमेंट बोर्ड को दिया और अब केवल इस तरह से साढ़े तीन लाख रुपया उसको देना बाक़ी रह गया है। तो डेवलपमेंट बोर्ड के शिकायत करने पर यह बात हुई और अगर एक दिन भी डेवलपमेंट बोर्ड वहां वाटर सप्लाई करना बन्द कर दें, तो कानपुर ऐसी जगह में आप समझ सकते हैं कि क्या हालत पैदा हो सकती है और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में भी असर आ सकता है। इस तरह से कानपुर के बारे में जो यह बात है, उसके लिये लिखा पढ़ी भी हुई और किसी तरह से वहां का काम चलाया गया और उसके एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान दिया गया। मैं एक जगह की म्युनिसिपैलिटी में गया वहां मेरे पास कुछ व्यापारी आये उन्होंने कहा कि हमारा रिफन्ड का रुपया नहीं मिला है और वह बहुत ज्यादा है। मैंने चेयरमैन से पूंछा कि क्या बात है। उसने कहा कि हां, रुपया है लेकिन खर्च हो गया है इसलिये नहीं दिया गया। लेकिन मैं आप से कहता हूं कि वह तो अमानत का रुपया था उसको आप को खर्च करने का क्या अधिकार था जो आप ने खर्च कर लिया। जिस डेमोक्रेसी का भरोसा आप को है वह वहां पर मौजूद है एडल्टफ्रेन्चाईज से चुन कर आयी है। यह मैंने एक मिसाल आप को दी है। आप यह कर सकते हैं कि यह सदन और असेम्बली दोनों यह तै कर दें कि सरकार को कोई दखल न हो इन बातों में अगर कोई जिम्मेदारी ले ले एडमिनिस्ट्रेशन की तो मैं कहूंगा कि ठीक है लेकिन जब हम यहां पर डेमोक्रेसी के अन्दर एडल्टफ्रेन्चाइज से चुन कर आये हैं तो जनता को हम क्या जवाब देंगे जब वह कहती है कि क़ानून आप ने बनाया है और आप उसको बदल सकते हैं। तो यह बात आप के सोचने की है और आप विद्वानों के लिये यह बात सोचने के लिये छोड़ता हूं। आप कोटेशन १९३८ का देते हैं तो उस समय इररिसपानसिबिल सरकार थी। उस पर आपका कोई अंकुश नहीं था उस वक्त टसिल थी उन में जो यहां चुने जाते थे और उनमें जो नामीनेटेड होते थे लंदन से लेकिन अब डेमोक्रेसी का जमाना है और मैं तो यह कहूंगा कि यह हाउस तो अनडेमोक्रेटिक है और जो असेम्बली है उसके सामने आप मेहरबानी कर के यह बात न कहियेगा। सेन्ट्रलाईजेशन और डीसेन्ट्रलाईजेशन की बात तो दूसरी है।

श्री राजा राम शास्त्री--क्या यह सदन अनडेमोक्रेटिक है ?

श्री मोहन लाल गौतम--यह इतना रेस्पान्सबिल नहीं है जितना असेम्बली। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो आज प्राविन्शयल गवर्नमेंट बनी है वह डेमोक्रेटिक है और एडल्ट-फ्रन्चाईज से बनी है। इसलिये यह कहना कि म्युनिसिपैलिटीज डेमोक्रेसी से बाहर है तो मैं कहूंगा कि गलत है। क्योंकि आप वहां सवाल कर सकते हैं। अगर किसी ने कोई गलती की हो तो आप उसको निकाल सकते हैं। आप सेन्ट्रलाइजेशन पर चाहे कितनी ही बहस कर लीजिये वह ठीक है लेकिन डेमोक्रेसी के नाम पर यह चीज नहीं आती है। इसमें छोटी सी चीज नौकर शाही की आ जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले जो डी० एम्स० थे और उनके प्रति जो आप के ख्याल थे वह उस वक्त की सरकार थी जो इररेसपानसिबल थी लेकिन आज वह सवाल उठता नहीं है। यह बात दूसरी है कि कोई खराबी है लेकिन आज वह रेस्पानसिबिल गवर्नमेंट के नौकर हैं और उन पर यह कहना कि उन पर अंकुश नहीं है, यह ठीक न होगा। इसलिए जैसा कि पहले कहा जाता था वह बात उनके प्रति आज कहना मुनासिब न होगा और उस तरह की नौकर शाही आज की नहीं है।

अगर अंकुश नहीं है तो उस में लेजिस्लेचर का भी कसूर है, गवर्नमेंट का भी कसूर है, जो ऐसे आदमियों को चुना। लेकिन नौकरशाही पर अंकुश रखने का अधिकार जनता को है। इसलिये ऐसा अधिकार डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को देना अनुचित न होगा।

डाक्टर साहब ने एजूकेशन के ख्याल से क्या कहा था, मैं ठीक उसको समझ नहीं पाया। लेकिन जो अमेंडमेंट एजूकेशन के संबंध में हुआ है शायद वह उन को नापसंद हो लेकिन दूसरी तरफ जो उन्होंने बात कही वह सीक्योरिटी आफ़ सरविस की है। यह चीज बड़ी भारी है। सरविसेज का ताल्लुक एलेक्टेड बाडीज से क्या होगा इस पर हम को विचार करना होगा। यहां तो आप ने अलग कर दिया है, म्युनिसिपलिटीज के बारे में भी आप को सोचना होगा। एजूकेशन कमेटी किसी का ट्रान्सफर करे या डिसमिस करे उसकी खराबियां हम को मालूम हैं। हालांकि आज जो आप का शक है, वह यह है कि इस गवर्नमेंट के पास जो ताकत है वह ले ली जाये और म्युनिसिपैलिटीज को दे दी जाय। मैं कहूंगा कि यह बहुत दूरदर्शिता का स्लोगन नहीं है। आप सर्विसेज के ट्रांसफ़र और डिस्मिसल का अधिकार अगर कमेटीज को दे देंगे तो सीक्योरिटी आफ़ सर्विस न हो सकेगी। दूसरी तरह से जैसा कि लोगों ने सजेशन दिया है वैसा किया जाये तब तो दूसरी बात है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा न्याय मिलेगा।

आक्ट्राय के बारे में डाक्टर साहब ने गवर्नमेंट आफ इंडिया की लोकल फाइनेंस इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट तक तो मुझ को सुना दिया कि यह ठीक नहीं है। लेकिन उसके बाद एक दूसरी जिल्द निकली है और वह यह है कि "उत्तर प्रदेश लोकल बाडीज ग्रांटस एंड कमेटी" उसकी एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने इस बात पर गौर किया है। जो लोकल फाइनेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट आफ़ इंडिया की थी निकली और यह जो कमेटी थी इसकी रिपोर्ट देर में आई। इसलिये इस पर विचार नहीं किया। उस पर विचार करने के बाद जो भी रिकमेन्डेशन की वह यह थी :--

The imposition of octroi should be made compulsory in all the municipaltities in addition to the terminal-tax levied by the Government of India. The existing defects of the octroi system can be minimised if not removed altogether by applying to octroi as far as possible the basis and methods adopted at present for assesment and collection of terminal-tax in the municipalities where the collecting agency is their own staff and not the railways.

We, therefore, recommend that the refund system as it exists at present should be abolished. It is considered that this system can be modified by substituting the words "consumption, use and sale" therein for the words

[श्री मोहन लाल गौतम]

"consumption or use therin occurring in the defination of octroi in Section 128 of the Municipalities Act.

The Government should prescribe a model schedule of rates for the guidance of Municipal Boards having due regard to the present income of the various Municipal Boards from indirect taxation, their additional requirements, the existing rates of different commodities, incidences and trade factors, etc."

यह रिपोर्ट तो अभी निकली है कोई डेढ़ दो महीने हुये और परसों आई है।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--When was the Committee appointed?

श्री मोहन लाल गौतम--I do not remember exactly when the Committee was appointed but the report of this Committee was sent to Government in December, 1951.

चेयरमैन--This can be enquired into afterwards. We have got very little time left.

श्री मोहन लाल गौतम--इस खतरे के बारे में एकाध मेम्बर साहब ने खास कर कक्कड़ साहब ने कहा कि ऐसा होना चाहिये। जिससे व्यवसायियों को सहूलियत हो और व्यापार बढ़े यह तो खासतौर से दिमाग में रखा गया है। जहां तक गोविन्द सहाय की स्पीच का ताल्लुक है बहुत से लोगों ने जवाब दे दिया है। मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत मिस्चिवियस स्पीच दी है।

चेयरमैन--आर्डर, आर्डर ।

श्री मोहन लाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि मैंने अन-पार्लियामेंट्री शब्द का प्रयोग भले किया हो लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीच दी। उन्होंने इतनी खतरनाक बात कही है कि जिसका नतीजा खराब निकलेगा। अगर मुसलमानों के लिये रिजर्वेशन होगा तो उनकी रिजर्वेशन आफ सीट काफी नहीं होगी। रिजर्वेशन आफ सीट के साथ सेपरेट एलेक्टोरेट भी होंगे और इसका स्लोगन कम्युनल होगा, नेशनल नहीं होगा। पिछले एलेक्शन में वे एक मुसलमान के खिलाफ खड़े थे और मुसलमान से हारे हिन्दू मेजारिटी ने उनको वोट नहीं दिया और मुसलिम मैजारिटी ने भी उनको वोट नहीं दिया, क्या इस समाज की जनता को टुकड़े-टुकड़े कर दिया जाय। मुसलमान का इन्टेरेस्ट क्या है और हिन्दू का इन्टरेस्ट क्या है, इससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इस समाज का टुकड़ा हो जिससे कि वे कम्युनिज्म का रास्ता खोल सकें। जिस जगह से होकर अभी वे आये हैं उसका सही एजेन्ट बन सकें, और मैं कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि इन लीडरों के सामने कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है। चन्द महीनों से कोई उद्देश्य नहीं रहा लेकिन किसी उदेश्य से वे भी हमारे साथ रहे और मिनिस्ट्री में आये। ६ वर्ष की जो कोशिश है उसको देखकर उनको परेशानी होती है। उसमें उनका कितना हिस्सा है। जब तक वे मिनिस्ट्री में थे तब तक उनको कोई नुक्स नहीं दिखायी दिया था लेकिन आज उनको बहुत नुक्स दिखाई देता है। इसकी वजह यह है कि परिस्थितियां बदल गयीं। एक बात और है। पार्टी की राय से हमको चीजें करनी हैं इसलिये उस पार्टी को पूरा अधिकार है कि वह हमारी राय को बदल दे। उनको खासतौर से अधिकार है। पार्टी का प्रेसर कोई बुरी चीज नहीं है।

सरदार संतोष सिंह ने जैसा कहा कि इंडस्ट्रीज के लिये भी रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये। तो यह बात ठीक नहीं है। श्रीमती तारा अग्रवाल जी ने कहा है कि उन्हें मिसेज अग्रवाल क्यों कहा जाता है।

लेकिन अगर प्यारे लाल जी को इन्ट्रोड्यूज किया जायगा तो यही कहा जायगा कि तारावती के हसबेन्ड हैं। एक बार डाक्टर काटजू साहब के साथ था तो वहां मुझे उन्होंने सरोजनी नायडू के हसबेन्ड से इन्ट्रोड्यूज किया तो यही कहा कि यह सरोजनी नायडू के हसबेन्ड हैं। मैंने करीब-करीब सब चीजों का जिक्र किया है। ज्योति प्रसाद ने कहा कि बिल बम्बशेल की तरह आगया वरना पहले यह चाहिये था कि बिल सरकुलेट कर दिया जाता। यह जो उनका सजेशन है, यह उस वक्त तक मुल्तवी कर देना पड़ेगा जब तक उनको कोई बिल पारित न करना पड़े। मोटर वेहिकिल्स टैक्स के बारे में उन्होंने कहा तो उसमें तो बड़ी दिक्कतें होंगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। एजूकेशन कमेटी वगैरह की बातें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आज कुछ नहीं कह सकता हूं क्योंकि आगे आने वाले बिल के लिये मैं कोई कमिट-मेंट नहीं करना चाहता हूं। मैंने एक दूसरा बिल लाने की बात कही थी। माननीय सदस्यों ने उसका स्वागत किया और इच्छा प्रगट की कि वह जल्दी आये। मेरी भी कोशिश है कि वह जल्दी से जल्दी आ जाये। वह बिल यह है कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिये कई एक्ट्स होंगे और अब कारपोरेशन बिल इस वक्त तैयार हो रहा है। उसके कुछ मूल सिद्धांतों पर हम बातचीत कर चुके हैं। हमारी कोशिश यह है कि वह बिल हम जल्द सदन के सामने लायें अब जो कारपोरेशन बिल होगा उसमें म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के सभी सिद्धांतों पर विचार होगा। बोर्ड्स को क्या अधिकार होगा, क्या सर्विसेज को अधिकार होगा, इन सब चीजों पर कारपोरेशन बिल में हम विचार करेंगे। उन सब पर विचार करने के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कि एक म्युनिसिपल बिल लावें। अंत में, मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बिल का स्वागत किया है और इसको जल्दी पास किया है।

चेयरमैन--प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन--कल के लिये आगरा यूनिवर्सिटी सपलीमेंट्री बिल रहेगा। कौंसिल कल ११ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(कौंसिल, ५ बजकर ४ मिनट पर, ६ नवम्बर को ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गई)

लखनऊ,

५ नवम्बर, १९५२ ई०

श्याम लाल गोविल,
सेक्रेटरी,
लेजिस्लेटिव कौंसिल, उत्तर प्रदेश।

पी० एस० यू० पी० ए०पी०--९ एल० सी०--१९५३--८५०।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

---

६ नवम्बर, १९५२

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल की बैठक, कौंसिल हाल, विधान भवन, लखनऊ, में दिन के ११ बजे चेयरमैन (श्री चन्द्रभाल) के सभापतित्व में हुई।

उपस्थित सदस्य (५०)

अब्दुल शकूर नजमी, श्री
अम्बिका प्रसाद बाजपेयी, श्री
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर
उमानाथ बली, श्री
एम० जे० मुकर्जी, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कुंवर गुरुनारायण, श्री
गोविंद सहाय, श्री
जगन्नाथ आचार्य, श्री
जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री
ज्योति प्रसाद गुप्त, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेलूराम, श्री
नरोत्तम दास टंडन, श्री
निजामुद्दीन, श्री
निर्मलचन्द चतुर्वेदी, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, श्री
प्रतापचन्द्र आजाद, श्री
प्रभु नारायण सिंह, श्री
प्रसिद्ध नारायण अनद, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
बद्री प्रसाद कक्कड़, श्री
बशीर अहमद, श्री
बलभद्र प्रसाद बाजपेयी, श्री
बालक राम वैश्य, श्री
बाबू अब्दुल मजीद, श्री
महमूद अस्लम खां, श्री
महादेवी वर्मा, श्रीमती
मानपाल गुप्त, श्री
राजा राम शास्त्री, श्री
राना शिवअम्बर सिंह, श्री
राम किशोर रस्तोगी, श्री
लालता प्रसाद सोनकर, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
विश्वनाथ, श्री
बीरभान भाटिया, डाक्टर
व्रजलाल वर्मन, श्री (हकीम)
व्रजेन्द्र स्वरूप, डाक्टर
शांति देवी, श्रीमती
शांति देवी अग्रवाल, श्रीमती
शान्ति स्वरूप अग्रवाल, श्री
शिवराजवती नेहरू, श्रीमती
श्याम सुन्दर लाल, श्री
सत्य प्रेमी उपनाम हरिप्रसाद, श्री
सभापति उपाध्याय, श्री
सरदार संतोष सिंह, श्री
सैयद मोहम्मद नसीर, श्री
हयातुल्ला अंसारी, श्री
हरगोविन्द मिश्र, श्री

निम्नलिखित मंत्री भी उपस्थित थे:

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)

आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक, १९५२

श्री हर गोविन्द सिंह (शिक्षा मंत्री)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के आगरा यूनिवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक पर विचार किया जाय ।

श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, यह छोटा सा विधेयक जो कि भवन के सामने प्रस्तुत है अपना एक महत्व रखता है। इसका कारण यह है कि समाज में जितने भी व्यक्ति हैं उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा संस्थाओं से संबंध है और इस कारण मैं समझता हूं कि इस विधेयक का महत्त्व है। दूसरे यह कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हमारे सामने उपस्थित हुईं जिनके कारण एक आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा। निस्संदेह यह सत्य है कि शिक्षा संस्थाओं में एक आर्डिनेंस का जारी करना कुछ बहुत मेल नहीं खाता और मैं आप के सामने और आप के ज़रिये भवन के सदस्यों के सामने यह स्वीकार करने को तैयार हूं कि शायद इससे और अप्रिय काम मुझे अपने कार्यकाल में नहीं करना पड़ा, लेकिन मैं फिर भी समझता हूं कि इस प्रश्न के दो पक्ष हो सकते हैं। लेकिन मैं अपनी जगह पर संतुष्ट हूं कि यह आवश्यक था और यदि यह नहीं किया जाता तो शायद इससे स्थिति और बिगड़ सकती थी। मैं यह भी समझता हूं कि शायद इसी से प्रभावित हो कर हमारे मित्र श्री राजाराम जी ने एक काम रोको प्रस्ताव भी दिया था। मैं थोड़ा सा इतिहास इस का बतला दूं ।

पहले हमारे सम्मुख कुछ अल्प-सूचक प्रश्न आये। उस समय केबिनेट के सामने यह प्रश्न था कि आर्डिनेंस पास किया जाय या न किया जाय। इसलिये मैं मजबूर था और मैंने इस पर यही लिखा कि यह एक गोपनीय प्रश्न है, जिसको हम इस अवसर पर बतलाने के लिये तैयार नहीं हैं। पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरी इच्छा कदापि यह नहीं थी कि मैं इस भवन को वंचित रखूं उस आर्डिनेंस पर बहस करने से। लिहाज़ा जब आर्डिनेंस पास हुआ तो उसके दूसरे ही दिन चूंकि मेरे दिल में संदेह हुआ कि आर्डिनेंस पर बहस हो सकती थी या नहीं। मेरा अपना ख्याल है कि शायद इस पर बहस नहीं हो सकती इसलिये यह आवश्यक समझा कि एक विधेयक के रूप में आर्डिनेंस को इस भवन के सामने रखूं जिससे भवन को अपने विचार प्रकट करने का अवसर मिले। तो मैं भवन के सदस्यों को और विशेष कर श्री राजाराम जी को आपके द्वारा यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक गवर्नमेंट का संबंध है उसकी इच्छा कदापि यह नहीं थी कि इस भवन को आर्डिनेंस पर अपने विचार प्रकट करने के लिये अवसर न मिले। आर्डिनेंस की क्या आवश्यकता आ पड़ी यह भी मैं बतला देना चाहता हूं। आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट के बमूजिब जो इस समय वर्तमान वाइस चांसलर हैं उनका कार्यकाल १२ दिसम्बर को खत्म हो जाता है।

१२ दिसम्बर तक एक वाइस चांसलर के नियुक्त करने की आवश्यकता हो जाती है। वहां पर कायदा यह है कि एक इक्जीक्युटिव कौंसिल है जो तीन आदमियों का नाम सेनेट में भेजती है। सेनेट में सदस्यों की संख्या बहुत है, बहुमत से यह सेनेट तीन आदमियों का नाम चुन कर चांसलर के पास भेज देती है और उसी में से एक की नियुक्ति अनिवार्य हो जाती है। मुझे जो सूचना मिली है वह यह मिली है कि नवम्बर के पहले हफ्ते में मीटिंग होने वाली है जिसमें तीन व्यक्तियों का नाम सेनेट में चुन कर भेजा जाने वाला है। हमारे सामने केवल दो रास्ते थे, इसमें संदेह नहीं कि इस आर्डिनेंस के पास होने के पूर्व सरकार ने यह निश्चय कर लिया था कि आज आगरा यूनीवर्सिटी की जो दशा हो रही है उसके मुताबिक सरकार को एक अमेंन्डिग बिल पास करना होगा। तो हमारे सभी यूनीवर्सिटियों की दशा अच्छी नहीं है। इलाहाबाद यूनीवर्सिटी में एक कमेटी बैठी है जो सब बातों की छानबीन कर रही है। जब तक उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है उस वक्त तक सरकार यह नहीं बता सकती है कि उसमें संशोधन की क्या

आवश्यकता है। आगरा यूनीवर्सिटी की हालत को देखते हुये सरकार ने यह तय कर लिया है कि एक अमेंडिंग बिल की आवश्यकता है। उस समय असेम्बली का सेशन नहीं हो रहा था इस कारण यह बिल लाना नामुमकिन था। इलेक्शन से पहले इस बिल का दोनों हाउसों से पास हो कर अधिनियम बनना बहुत मुश्किल था। इसलिये यही तरीका था कि इलेक्शन होने दिया जाय और जब बिल पास हो जाये तो उस के बमूजिब एक दूसरा इलेक्शन हो, दूसरा रास्ता हमारे सामने यह था। अध्यक्ष महोदय, आपने देखा होगा कि आजकल अखबारों में कितनी तरह की बातें निकलती हैं। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि बिल पास हो जाने पर चुनाव उसके बाद भी हो सकता है। हो सकता है कि मैं गलती पर हूं। पर मैंने यही सोचा कि चुनाव हो जाने के बाद इसमें फिर रद्दोबदल करना उचित नहीं होगा। इसलिये वाइस चांसलर का कार्य-काल बढ़ा दिया गया कि जब तक यह बिल पास न हो मैंने सोचा एक आदमी जो तीन वर्ष से काम कर रहा है एक वर्ष या कुछ दिनों के लिये और काम करता रहेगा तो कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। बिल पास हो जाने के बाद जिस प्रकार भवन समझेगा चुनाव हो जायेगा। मैं समझता हूं कि हमारे इस कार्य से हमारी नियत पर कोई धब्बा नहीं आ सकता।

हमने भी शुद्ध हृदय से केवल इसी भावना से प्रेरित होकर इस चीज को आपके सामने रक्खा है। हमारी शिक्षा संस्थाओं में जो दोष फैल गये हैं, उनको किस प्रकार से हटाना चाहिये, यह एक प्रश्न है। इन शिक्षा संस्थाओं के ऊपर ही हमारे देश का भविष्य निर्भर है, हमारे समाज का सारा संगठन निर्भर है, उसकी ओर से आंख मूंदी नहीं जा सकती। इस संबंध में उन पत्रों को यदि आपने पढ़ा होगा और मैं समझता हूं कि आपने अवश्य ही पढ़े होंगे, तो आपने देखा होगा कि कुछ में यह कहा गया है कि डेमोक्रेसी का खून हो रहा है। मैं इस संबंध में भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरा अपना मत है कि शिक्षा संस्थाओं में और कम से कम शिक्षा क्षेत्र में डेमोक्रेसी का वह स्थान नहीं होना चाहिये और है भी नहीं जिसकी कि कुछ सज्जन कल्पना करते हैं। जो राज-संस्थायें हैं उनका प्रजातंत्रवाद में स्थान होना चाहिये और वह इसलिये कि जब एक नागरिक, असेम्बली, कौंसिल या पार्लियामेंट में वोट देता है तो वह राज्य या स्टेट को ताकत देता है और वह स्टेट को ताकत दे करके उनकी रक्षा भी करता है। इसके बदले में स्टेट उसको कोई अधिकार नहीं देती। लेकिन जब स्टेट किसी व्यक्ति या किसी संस्था को अधिकार देती है तो उस समय उसके लिये यह भी लाजिमी हो जाता है कि वह उन अधिकारों की निगरानी भी करे कि कहीं उन अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। जैसे कि एक दृष्टांत से मैं आपको बताऊं कि इंगलैन्ड के ही कांस्टीट्यूशन को ले लीजिये। शायद इंगलैन्ड के डेमोक्रेटिक कांस्टीट्यूशन में किंग का सबसे ऊंचा स्थान है लेकिन यदि आप देखें तो उसको कोई फ्रीडम आफ स्पीच नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार भी नहीं है। आज एक आदमी जो कि साधारण नागरिक होता है, वह कुछ भी कह सकता है, लेकिन आपका प्राइम मिनिस्टर जो चाहे नहीं कह सकता, उसके ऊपर प्रतिबन्ध है। वह वही कह सकता है जो ठीक हो। कहने का अर्थ यह कि अधिकार स्टेट की ओर से दिये जाते हैं वहां स्टेट के ऊपर यह भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वह यह देखे कि उन अधिकारों का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इस संबंध में मैं आपको आचार्य नरेन्द्र देव जी का विचार पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। एक यूनीवर्सिटी कमेटी बनी थी वह उसके एक मेम्बर थे और बाद को उसके चेयरमैन भी हुये, तो उन्होंने बड़े अच्छे शब्दों में कहा है कि :

"The only vote properly so called is the vote cast by the citizen voter at a general election. By that vote the primitive layman gives his final verdict on all policies and programmes. All other votes—specially votes given for example to members of services and professions—are not votes at all. They are in the nature of professional advice. Democracy as such has nothing

[श्री हर गोबिन्द सिंह]

to do with the constitution of the Agra University Act. Professional opinion was collected but in the wrong manner. Opinion which should have remained advisory made itself final by the elimination of public men."

इससे स्पष्ट है कि यह आरोप कि डेमोक्रेसी का खून हो रहा है, मैं समझता हूं कि गलत है। डेमोक्रेसी और अटानामी में फ़र्क है। यदि आप कहें कि न्याय विभाग में हाई कोर्ट के जजेज में, सर्विसेज में, पुलिस में और सेना में डेमोक्रेसी से काम लिया जाय तो यह नामुमकिन है। हरएक क्षेत्र तथा हर एक संस्थाओं को डेमोक्रेसी के आधार पर स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती।

सरकार इन संस्थाओं को डेमोक्रेसी के आधार पर स्वतंत्रता नहीं दे सकती और न वह कभी यह चाहेगी कि डेमोक्रेसी की आड़ में स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाय। लेकिन अटोनामी एक दूसरी चीज है। अटोनामी में समझता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम सरकार ने यूनिवर्सिटी अटोनामी की रक्षा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। कम से कम जब तक मैं एजूकेशन मिनिस्टर हूं मैं इसके लिये कोशिश करूंगा कि यूनिवर्सिटी की अटोनोमी सुरक्षित रहे। लेकिन हमको फिर भी समझ लेना चाहिये कि अटोनोमी है क्या चीज ? मैं समझता हूं कि क्या अटोनामी यही है कि किसी तरह से भी हो, आगे चलकर मैं इसके बारे में बतलाऊंगा। अपने व्यक्तित्व स्वार्थ सुरक्षित रहें। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा और आपके हृदय को दुख होगा यह मैं जानता हूं और मुझे भी उसके लिये दुख होता है कि हमारी शिक्षा संस्थाएं तेजी से गिरती जा रही हैं। यह कोई बड़ी खुशी की बात मेरे लिये नहीं है। आप इसको समझते हैं और मैं भी समझता हूं लेकिन इस समय अवस्था ऐसी आ गई है और मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आपके एजूकेशन मिनिस्टर होने के नाते इस चीज का दुरुपयोग मुझसे नहीं देखा जा सकता चाहे वह आगरा यूनिवर्सिटी हो, या इलाहाबाद यूनीवर्सिटी हो, और वह चाहे इन्टरमीडियट बोर्ड आफ़ एजूकेशन हो। जहां तक इस प्रकार की संस्थायें हैं और जहां इस प्रकार का शासन दिखलाई पड़ेगा, या देखा जाता है कि अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है वहां मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं आपत्ति करूं और उसको रोकूं और कहूं कि उसमें धांधली नहीं हो सकती और भरसक उसके सुधारने का प्रयत्न करूं। अब हमको यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि अटोनोमी है क्या चीज। इन संस्थाओं के लिये हमें पब्लिक रुपया देती है। और पबलिक उनसे ऐसी आशा रखती है कि उनका भविष्य इन्हीं लोगों के हाथ में होगा। वह यह आशा रखती है कि उनके बच्चों को जो शिक्षा दी जायेगी, उससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा। जहां तक उसके प्रबंध का सवाल है, उसकी रक्षा का सवाल है, सुचारु रूप से इन संस्थाओं को चलाने का सवाल है और दूसरी बातों का सवाल है तो इन सब के लिये शिक्षा संस्थाओं को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिये। लेकिन यदि वे इन कार्यों को नहीं समझती हैं और इनका पूर्ण रूप से प्रतिपालन नहीं करती हैं तो उस समय अटोनोमी का कोई स्थान नहीं है। अब्टोनोमी में भी साथ ही साथ यह बात है कि अगर किसी को कोई अधिकार दे दिये जाते हैं, तो उसके साथ ही कई उत्तरदायित्व भी हो जाते हैं और उन अधिकारों के साथ ही साथ अपने उत्तरादायित्व को भी देखना चाहिये। दोनों के समन्वय को शिक्षा क्षेत्रों में आटोनोमी का नाम दिया जाता है। अस्तु उन आदेशों को समझाते हुये उनको यह देखना चाहिये कि उनका भविष्य किधर जा रहा है और उनके बालकों की शिक्षा का ह्रास तो नहीं हो रहा है। अगर हम यह देखते हैं कि धन की कितनी आवश्यकता है और वह कहां से एकत्रित हो, और दूसरे आदेशों को भुला देते हैं तो हम अटोनोमी के आदर्श को भूल जाते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप विश्वास रखें जब तक यह बात नहीं होगी, उनके भविष्य और उनके आदर्शों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तब तक यह उचित नहीं हो सकता कि अटोनोमी की आड़ में इनको हमारे राष्ट्र को ध्वस्त करने

का अधिकार दिया जाय। अब प्रश्न होता है कि फिर क्या किया जाय। आगरा यूनीवर्सिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं जैसा कि मैंने पहले कहा वह एक बड़ी दुखद कहानी है और वह इतनी दुखद कहानी है कि आप स्वयं रो पड़ेंगे। सन् १९३८ में एक कमेटी नियुक्त हुई थी मैं आपको दावत देता हूं और आशा करता हूं कि आप इस रिपोर्ट के प्रत्येक पन्ने को पढ़ें तो मैं विश्वास करता हूं कि आप पढ़ते जायेंगे और आपकी आंख आंसु गिराती जायेगी, यह यूनीवर्सिटी की दशा हो गई है। मैं आपको बताऊं कि किस तरह से वहां वोट कलेक्ट किये जाते हैं। इस यूनीवर्सिटी में ग्रेजुएट्स की बड़ी संख्या है, दो सौ के करीब लोग सीनेट्स में हैं, १५० के करीब फैकल्टी आफ आर्ट्स में हैं। और ६० के करीब फैकल्टी आफ साइन्स में है, इस प्रकार बहुत सी संस्थायें हैं। ३४ आदमी एक्जीक्यूटिव कौंसिल में हैं और हर कालेज के लोग ३ या ४ सीनेट के मेम्बर होते हैं और होता क्या है मुझे पढ़ कर ताज्जुब हुआ। आगरा यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट्स कान्स्टिट्युएन्सी में जब एक आदमी यूनीवर्सिटी के अनुसार ... गुट को ५० रुपया दे या ७ मेम्बरों को सीनेट के चुनाव में वोट दिलावे तो उसको एक एक्जीक्यूटिव एक्जामिनरशिप मिलती है। दो सौ रुपया और २८ मेम्बर दे तो उसकी टैक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब हो जाय। ऐसे भी उदाहरण हैं कि अभी किताब प्रेस से निकली नहीं और प्रेस्क्राइब हो गई। मैं आपको क्या बताऊं उन्होंने यह भी बताया कि एक्जामिनर्स का हाल यह है उस कमेटी ने लिखा है कि हमको एक्जामिनर्स की लिस्ट नहीं मिली है, अगर लिस्ट मिल जाय तो उसमें बड़ी-बड़ी बातें निकलेंगी, लेकिन एक आदमी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं और न लूंगा, अगर नाम ले लूं तो आपकी समझ में आ जायेगा कि वह किसी प्रकार भी इस काबिल नहीं है कि उसको एम० ए० का एक्जामिनर बनाया जा सके। लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है कि एक्जामिनर जो वहां बनाये जाते हैं वह इसलिये नहीं बनाये जाते हैं ....

श्री गोविन्द सहाय (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—आप नाम बता दीजिये तो अच्छा होगा।

श्री हर गोविन्द सिंह—नाम मैं कह चुका हूं कि नहीं बताऊंगा।

चेयरमैन—जो लोग मौजूद नहीं हैं उनका नाम लेकर किसी प्रकार का आक्षेप करना उचित नहीं है।

श्री हर गोविन्द सिंह—उन्होंने लिखा है कि कमेटी की रिपोर्ट में कि एक्जामिनर इसलिये नहीं बनाये जाते कि सचमुच वह काबिल हैं या उस सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं बल्कि इसलिये कि उनका प्रभाव है और उनके पास वोट है। एक ने तो यह लिखा कि एक साल वहां पेपर का लीकेज हो गया सन् २७ में और उस पर एक प्रस्ताव पास किया गया लेकिन कुछ नहीं किया गया। मैं आपको बताऊं कि यह रिपोर्ट यहीं से शुरू होती है कि आगरा यूनिवर्सिटी में एक गुट है, वह एक पैक्ट के नाम से मशहूर है और उसका मेम्बर होना हर एक के लिये जरूरी है अगर वह मेम्बर नहीं होता है तो उसके कालेज के लड़के फेल होंगे। होता यह है कि एक कालेज हमारा है और हम पैक्ट के मेम्बर हैं एक्जामिनेशन पेपर हम जानते हैं और अपने लड़कों को हम हिन्ट दे देते हैं तो हमारे लड़के बावजूद इसके कि हमारा शिक्षा का स्तर नीचा है पास हो जाते हैं और एक अच्छा कालेज टूट जाता है इसलिये कि उस कालेज में लड़के आते हैं, क्योंकि एक्जामिनर वहीं के होंगे और उनको पास होने का मौका मिलता है। आपको ताज्जुब होगा कि इस छानबीन में मुझे एक उदाहरण ऐसा मिला कि एक दफा एक सीनेट के मेम्बर साहब एम० ए० की परीक्षा में बैठे। एक्जामिनर ने जो उनको मार्क्स दिये उससे वह फ़र्स्ट डिवीजन में नहीं आ सके। एक्जामिनर बदल दिया गया, दूसरे एक्जामिनर से कापी जंचवाई गई और वह फर्स्ट क्लास में पास हो गये। यही नहीं, एक दफा किसी प्रमुख व्यक्ति के रिश्तेदार फर्स्ट डिवीजन में नहीं आ सके। नतीजा यह हुआ कि हर एक लड़के के ५ नम्बर

[श्री हर गोविन्द सिंह]

बढ़ा दिये गये जिससे वह भी फर्स्ट डिवीजन में आजायें। कहा यह गया कि फेल होने वाले लड़कों का नम्बर ज्यादा था इसलिये ऐसा किया गया। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना था कि अगर फेल होने वाले लड़कों की संख्या अधिक हो तो इस प्रकार मार्क्स बढ़ाये जाते हो। हां पास मार्क्स बढ़ा दिये जाते हैं। मैं आप को बतलाऊं कि कभी-कभी १४ हजार रुपया एक्जामिनेशन फीस में एक आदमी को मिलते हैं। यदि टीचर को १४ हजार रुपया एक्जामिनेशन फ़ीस में मिल जाये तो भला वह गुटबंदी क्यों न कायम रखेगा। यह मालूम हुआ कि स्क्रुटनी रेलवे के वेटिंग रूम्स में हो जाती है। मैं अभी आपको इन्टरमीडियेट बोर्ड का हाल बतलाऊं, डा० ईश्वरी प्रसाद साहब ने अपनी बजट की स्पीच में कहा था कि इन्टरमीजियेट बोर्ड में क्लार्क्स स्क्रीटनाइजर्स होते हैं।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)--एक्जामिनर्स होते हैं?

श्री हर गोविन्द सिंह--हां एक्जामिनर्स भी होते होंगे। मैं उस वक्त समझा कि बात गलत होगी इसलिये मैंने उसका खंडन भी नहीं किया था बाद को मैंने लिस्ट मंगाई। मुझे अफसोस है, शर्म भी है कि हमारे दफ्तर के सौ सौ स्क्रूटनाइजर्स और टेबुलेटर्स होते हैं जिनको हजार हजार, बारह-बारह सौ, चौदा-चौदा सौ रुपये मिल जाते हैं और उन्हीं के जरिये से सब करप्शन होता है। मैं इसको भी छिपाना नहीं चाहता कि जो गुट आगरा यूनीवर्सिटी में है वह गुट हमारे इन्टरमीडियेट बोर्ड में भी है। एक साहब ने अखबार में लिखा था कि आगरा यूनीवर्सिटी के बाद इलाहाबाद यूनीवर्सिटी पर प्रहार होगा, इन्टरमीजियेट बोर्ड पर प्रहार होगा। मैं इस भवन में आपके सम्मुख कहना चाहता हूं कि जरूर होगा और यह चीज हम चलने न देंगे। इस में हमारी जिम्मेदारी है, हमारे देश की जिम्मेदारी है। जहां तक भी संभव होगा हम इसके लिये प्रयत्न करेंगे। मैं समझता हूं कि हमारा और आपका यह फर्ज है कि हम और आप इसको देखें। मैं आप के सम्मुख एक अभियुक्त कि भांति खड़ा होने के लिये तैयार हूं। मैं चाहता हूं कि यदि हम गलती करें तो आप हमारी निन्दा करें। हम एक ऐसे स्थान पर हैं कि हमको निन्दा से कभी न डरना चाहिये। हम तो चाहते हैं कि आपसे हमको सुझाव मिलें और उन सुझावों से हम कार्य करें। लेकिन एक बात का मैं आप से जरूर अनुरोध करूंगा कि हमारा हृदय अपनी इन शिक्षा संस्थाओं की कुरीतियों को देख कर रो रहा है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे इस दुख में भाग लें और यह प्रयत्न करें कि कम से कम इन शिक्षा संस्थाओं से यह कुरीतियां चली जायें। मैं कहने का अधिकारी तो नहीं हूं लेकिन आप समझ लीजिये कि जिस कमेटी में सी० जे० महाजन मेम्बर हों, देव इंगलिश डिपार्टमेंट के हेड, मेम्बर हों, इस पार्टी बंदी के कारण उस कमेटी का चेयरमैन एक असिस्टेंट टीचर बना दिया जाये। जिस कमेटी में महादेवी वर्मा हों जिस कमेटी में हजारी प्रसाद द्विवेदी हों, उस कमेटी का चेयरमैन ऐसा आदमी बना दिया जाये जिसका सब्जेक्ट भी शायद हिन्दी न हो, यह कहां तक उचित है?

महादेवी वर्मा जी अभी दो दिन, तीन दिन हुये मेरे पास आयीं। उन्होंने कहा कि भाई जी आप जो चाहें मेरे प्रति करें लेकिन मैं अब उस इन्टरमीडियेट बोर्ड की मीटिंग में नहीं जाऊंगी। आप कौंसिल की मेम्बरी चाहें ले लें लेकिन अब मैं फिर उसकी मीटिंग में नहीं जाऊंगी। फिर भी कहा जाय कि हम डेमोक्रेसी का खून कर रहे हैं, हम आटोनामी कर खून कर रहे हैं। आप ही इसका निर्णय करें।

मैं क्या बताऊं अगर मैं सब कहने लगूं तो यह एक बड़ी गाथा हो जायगी। आप नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिये और उसके पढ़ लेने के बाद यदि आप इस निर्णय पर आयें कि हमने आगरा यूनीवर्सिटी अमेंडमेंट बिल लाने में गलती की तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने बिल को और आर्डिनेंस को वापस ले लूंगा और इस बात को होने दूंगा जिस प्रकार से इन शिक्षा संस्थाओं में भी लूट खसोट जारी है, वह वैसे ही जारी रहेगी, पर यह एक बड़ा भारी काम है। किस ओर से काम शुरू करूं और कहां वह समाप्त होगा, यह नहीं मालूम। इसी संबंध में अखबारों में निकला था और आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की बात कही गयी थी। मैंने सोचा कि

कैम्ब्रिज में क्या होता है जरा जानूं तो। मैंने देखा तो यूनीवर्सिटी वहां बिल्कुल टीचर्स के हाथ में है। बड़ा अच्छा है लेकिन वहां होता क्या है। वहां के एक साहब ने वहां की यूनीवर्सिटी ग्रांट कमेटी की बात लिखी है। उनसे मैंने पूछा कि आप के यहां शिक्षा विभाग में शोषण होता है तो उन्होंने कहा कि क्या तुम पागल हो गये हो। मैंने कहा कि क्या यहां एग्जामिनरशिप के लिये मैन्युपुलेशन नहीं करते तो वे हंस पड़े और कहा कि उसके लिये तो हम को उनसे अनुरोध करना पड़ता है। मेरे पास एक साहब ने कम से कम १२ लड़कों की एक लिस्ट भेजी है उन्होंने राज्यपाल के पास भेजी थी। लड़के हाई स्कूल में थर्ड क्लास, इन्टरमीडियेट में थर्ड क्लास, बी० ए० में थर्ड क्लास हैं, लेकिन एम० ए० में उनको फर्स्ट क्लास फर्स्ट मिला है। आगरा कालेज के एक प्रोफ़ेसर के निस्बत एक शिकायत थी। मैंने उनकी निस्बत एक दंड निर्णय किया और आगरा कालेज को लिखा कि उनको यह दंड मिलना चाहिये। डा० एन० के० सेठी ने मेरे पास एक पत्र लिखा, उस पत्र को मैं यहां नहीं लाया हूं उन्होंने लिखा है कि जो दंड आपने दिया है वह आगरा यूनीवर्सिटी की जो हालत है उसके अनुसार ठीक है। लेकिन जो अभियोग है, उससे मालूम पड़ता है कि दंड अधिक है। आप आगरा यूनीवर्सिटी के उन व्यक्तियों को देखें जिनके हाथ में वहां का सारा प्रबन्ध है और जो आगरा यूनीवर्सिटी को चलाते हैं वे इससे भी बड़े-बड़े अपराध करते हैं और साथ ही यह समझते हैं कि हम अपराध नहीं करते हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि जो आपने दंड निश्चित किया है उसको न करें।

कहा जाता है कि वहां डेमोक्रेसी है। एक कालेज के प्रिंसिपल ने लिखा है कि वह डेमोक्रेसी क्या है। वहां तो हर एक चीज का नामिनेशन है। फ़र्क सिर्फ यह है कि उस कालिज को अफ़ीलियेशन न मिलेगा जो इस गुट में शरीक नहीं होता है तो यह अवस्था एक विश्वविद्यालय की हो रही है। इसमें सरकार ने जल्दी की, यह आक्षेप भी आप नहीं लगा सकते हैं। सन् १९३८ ई० की कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है। कमेटी की रिपोर्ट जब शाया हुई तो आगरा यूनीवर्सिटी ने एक बड़ा भारी विरोध का पत्र लिखा, यह नहीं कि इस बात का प्रयत्न किया हो कि उन त्रुटियों को दूर करें बल्कि इस बात का प्रयत्न किया कि बड़े कड़े शब्दों में विरोध करें। मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि जो अवस्था सन् १९३८ में थी उससे कई गुना अधिक खराब आज है। अगर १४ वर्ष के बाद सरकार कुछ हस्तक्षेप करना चाहती है तो भवन यह नहीं कह सकता है कि हस्तक्षेप करना अनुचित है। यह आक्षेप हम पर नहीं लगाया जा सकता है। इसमें कोई जल्दी भी नहीं की गई है और हम आपको बतावें कि सरकार उत्सुक भी केवल इसलिये है कि हम यह चाहते हैं कि किसी प्रकार से यह हमारी संस्था ठीक हो, सुन्दर हो, आदर्श हो और इसमें हम आपका सहयोग चाहते हैं।

श्री कुंवर गुरु नारायण (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)—अध्यक्ष महोदय, आगरा यूनीवर्सिटी सप्लीमेंट्री विधेयक जो आज इस भवन के सम्मुख लाया गया है, उस पर जो विचार माननीय मंत्री जी ने रखे और जो परिस्थिति बतलाई उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि इस प्रकार की व्यवस्था जिस इन्सटीट्यूशन में हो उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिये। श्रीमन्, मुझे तो दुख आज इस बात का है और मैं चार्ज करता हूं इस हाउस के अन्दर गवर्नमेंट को फ़ार दि निगलेक्ट आफ़ ड्यूटी कि उनके पास जब सन् १९३८ की रिपोर्ट मौजूद है वह क्यों चुपचाप रहे और कोई कार्यवाही उन्होंने क्यों नहीं की? तेरह चौदह वर्ष के अन्दर कितना भ्रष्टाचार फैल सकता है और कितने स्टूडेन्ट्स ऐसे पढ़ कर निकले होंगे जिनसे आज देश को नुक़सान हुआ है, उसका सारा का सारा उत्तरदायित्व सरकार पर है। यह कहने की तो मैं हिम्मत नहीं करता पर मुझे बड़ा ताज्जुब भी है कि जो पुराने शिक्षा मंत्री थे वह एक बहुत ही विद्वान और योग्य पुरुष थे और मुझे इस बात का ताज्जुब है कि उन्होंने आजतक यूनीवर्सिटी ऐक्ट को क्यों नहीं चेंज किया और इस भ्रष्टाचार को पनपने देते रहे और खामोश रहे और इस चीज को अपने हाथ में नहीं लिया, जहां तक इसका संबंध है कि जो वहां पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है जैसा कि मंत्री जी ने बतलाया, उससे कोई भी यह नहीं चाहेगा कि वहां जो ऐडमिनिस्ट्रेशन

[श्री कुंवर गुरु नारायण]
है उसमें कोई न कोई संशोधन इस प्रकार का न किया जाये। लेकिन एक प्रश्न हमारे सामने उठता है और मैं यह समझता हूं कि आर्डिनेंस जो माननीय राज्यपाल महोदय का जारी हुआ वह गलत हुआ। यह पावर जो है वह एक इमरजेंसी पर्पजेज के लिये होती है, इस समय हमें इस बात पर भी विचार करना है कि जब थोड़े ही दिन हुये हमारे विधान सभा की बैठक हो रही थी और यह चीज सरकार के दृष्टिकोण में, मस्तिष्क में बहुत दिन से है तो उस समय यह आवश्यक था कि सरकार अपनी स्कीम एक अमेंडिंग बिल में लाकर इसको चेंज कर सकती थी। लेकिन एकाएक विधान सभा के खत्म होते ही उसके बाद आप आर्डिनेंस को जारी कर देते हैं, यह समझ में नहीं आया। आर्डिनेंसेज का जारी करना तो बहुत कम इस्तेमाल होता है। जब सरकार के पास इतना समय था तो कम से कम ऐसी शिक्षा संस्थाओं के बारे में एकदम से आर्डिनेंस जारी कर देना, यह ठीक है कि यह जारी हो सकता था और मैं यह भी मानता हूं कि यह बिल्कुल कांस्टीट्यूशनल है लेकिन अनडेमोक्रेटिक था। जब म्युनिसिपल ऐक्ट तीन दिन के अन्दर आकर यहां से जल्दी में पास कराया जा सकता है और चुनाव कराया जा सकता है, तो कोई ऐसी बात नहीं पैदा होती कि जब विधान सभा चल रही थी तो उसमें लाते और इसको पास कराने में कोई दिक्कत होती। इसके बाद बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात पैदा हो जाती है इस प्रजातंत्र युग में आज वह यह कि सरकार ने आर्डिनेंस जारी करके जो विवाद बढ़ा दी है वाइस चांसलर की, तो जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है वह कैसे खत्म होगा। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपनी स्पीच में बतलाया कि उस यूनिवर्सिटी में एक प्रकार की गुटबन्दी है, तो फिर यह प्रश्न उठता है कि एक गुट को हटाकर उसकी जगह पर दूसरा गुट के लाने से गुटबन्दी कैसे खत्म होगी और हमारे समाज से गुटबन्दी कैसे दूर होगी। क्या एक गुट को हटाने से गुटबन्दी दूर हो जायेगी। आपके ऊंचे दरजे के आफीसर्स जो हैं और जो कि शिक्षा में विशेषज्ञता रखते हैं उन्होंने क्या उपाय सोचा कि जिससे गुटबन्दी खत्म हो जावे। बात यह है कि प्रजातंत्र के युग में यह स्वाभाविक है कि हर संस्था में गुटबन्दी होती है। अब यह है कि वह गुट अपना काम अच्छी तरह से चलाता है या गलत तरीके से चलाता है, दूसरी बात है। लेकिन जब तक आप में प्रजातंत्र की हुकूमत का भाव रहता है तो उस वक्त तक यह भी है कि हम इस प्रकार का अगर कार्य करेंगे तो इस बात की आशंका हो सकती है और जनता के हृदय में यह बात पैदा हो सकती है कि यह एक प्रकार की डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है। जब जी में आये उसको हटा दिया और जब जी में आया उसको कायम रखा। ऐसी हालत में इस गुट को हटाने से तो केवल लाभ नहीं होगा। सैद्धांतिक तरीके से किसी गुट को आप हटा नहीं सकते तो ऐसी हालत में जो भ्रष्टाचार और करप्शन है उस को दूर करने के प्रयत्न का प्रबन्ध अधिक प्रजातांत्रिक तरीके से होना चाहिये। यदि माना कि आप आज यह अमेंडमेंट लाते हैं और उसके द्वारा इस गुट को इस समय हटा दें लेकिन आइन्दा कोई गुट होगा वह भी ऐसा कर सकता है। इसलिये जब तक कोई न कोई चीज सैद्धांतिक तरीके की सरकार निश्चित नहीं करती है तो फिर कैसे सुधार हो सकता है? इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर जरा विशेष ध्यान दें और उनको सोचना पड़ेगा कि कौन सा तरीका ऐसा हो सकता है जिससे हम यूनिवर्सिटियों की अटोनामी को रखते हुये प्रजातंत्र राज्य में उसके उसूलों को मानते हुये इन चीजों को दूर कर सकते हैं उसके साथ ही साथ मुझे इस बात का भी दुख है कि चूंकि माननीय मंत्री जी को बहुत दुख हुआ कि आगरा यूनीवर्सिटी में ऐसा हुआ लेकिन उन्होंने कहा कि जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उन सब की हालत इस प्रकार की हो रही है। तो इस तरह से जो एक जनरल रिमार्क दिया गया उस से जरूर दुख हुआ है। क्योंकि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल का मेम्बर हूं और मैं जानता हूं कि सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार की बात नहीं है। हमारे विश्वविद्यालय में जो वातावरण है वह बहुत ही स्वस्थ और अच्छा है। इस तरह से एक विश्वविद्यालय की नजीर लेकर कहना ठीक नहीं है।

श्री हर गोविन्द सिंह--आन ए प्वाइन्ट आफ इक्सप्लेनेशन सर। मैंने दो विश्वविद्यालयों का नाम लिया था और उनमें लखनऊ का नाम नहीं आता है।

श्री कुंवर गुरु नारायण--आपने कहा था कि सभी विश्वविद्यालयों की ऐसी हालत है। खैर जो इस वक्त विचार करने की जरूरत है वह यह है कि इसको क्या करना चाहिये। [illegible] चीज जिसका आज क्रिटिसिज्म हो रहा है कि साहब एक संस्था जो कि [illegible] बनाई गई है और हर तरह से एक्जीक्यूटिव कौंसिल का काम कर रही है उसको आप कैसे हटा सकते हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इसके लिये कोई डेमोक्रेटिक तरीका आपको अख्तियार करना पड़ेगा। कोई ऐसा तरीका अख्तियार करना पड़ेगा ताकि जनता के हृदय में रोष न हो। मैं यह जानता हूं कि आज डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी इसका समर्थन करेंगे कि सरकार का आर्डिनेंस [illegible] ठीक है। लेकिन इस प्रकार की चीज को कि जिस वक्त चाहे सरकार यह [illegible] जिस बाडी को चाहे हटा दे तब सभी कहेंगे कि यह चीज प्रजातंत्र के विरुद्ध है। [illegible] के सिद्धांतों को कायम रखते हुये हमें ऐसी चीजें करनी चाहिये जिससे [illegible] और वहां का कार्य अच्छी तरह से फिर चल सके। जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं [illegible] समझता हूं कि जो इसमें यह अवधि बढ़ायी गयी वाइस चान्सलर की [illegible] नहीं हो सकता। मैं कम से कम इस राय का हूं।

मेरी राय यह है कि अगर वाइस चान्सलर उस गुट का इलेक्ट न हो सकता है तो अमेंडिंग बिल से आप इस चीज को भी पूरा का पूरा बदल सकते हैं और किसी प्रकार से कोई बात नहीं हो सकती है। अन्त में मैं यह भी कहूंगा कि आर्डिनेंस जारी करने से या अमूमन विधेयक लाने से एक तरह की भावना जरूर जनता में पैदा हो गई कि कोई नहीं कह सकता है कि सरकार की नियत कब बदल जाय। साथ ही साथ यह बात भी जरूर लोगों के दिलों में पैदा होती है कि सरकार जब चाहे यूनीवर्सिटीज पर आर्डिनेंस लागू कर सकती है और हर चीज को कन्ट्रोल कर सकती है। इस बात से थोड़ी सी ठेस भी जरूर पहुंचती है। अगर सरकार इस कार्य को एक वैधानिक व व्यावहारिक तरीके से करती तो ज्यादा अच्छा होता। सरकार का जो प्रेजेंट एक्शन है वह ठीक नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री राजा राम शास्त्री** (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि आज यह विधेयक इस सदन में पेश है। जिस वक्त मुझे यह मालूम हुआ कि सरकार कोई आर्डिनेंस पेश करना चाहती है उसी वक्त मेरी यह ख्वाहिश पैदा हुई कि अच्छा होता यदि ये सारी बातें सदन के सामने पेश होतीं। इसलिये मैंने इस संबंध में शार्ट नोटिस क्वेश्चन् भी दिये। मुझे उस समय ताज्जुब हुआ जब मुझे यह जवाब मिला कि मामला विचाराधीन है और बहुत कान्फीडेंशल विचार हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी के भाषण को बहुत गौर से सुन रहा था। सन् ४७ में यह सरकार आई और मैं यह समझता हूं कि आगरा यूनीवर्सिटी की हालत उस वक्त भी ऐसी ही थी। एक दम से कोई हालत खराब नहीं हो सकती है धीरे धीरे हालत खराब हुई है। हां, यह जरूर हो सकता है कि सन् ४७ के बाद इसकी हालत और खराब हो गई हो। अगर इसकी हालत खराब थी तो सरकर को चाहिये था कि उसकी हालत को सुधारती लेकिन उसने उसमें कोई सुधार नहीं किया बल्कि और भ्रष्टाचार बढ़ गया और आज हालत यह है कि उसकी हालत बहुत ही गिर गई तो सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा। माननीय मंत्री जी को इसकी हालत मालूम थी कि ठीक नहीं है तो सरकार को अपने राज्यकाल में सुधारना चाहिये था। आज जो नक्शा आगरा यूनीवर्सिटी का हमारे सामने है, वह बहुत ही भयंकर है और उस स्थिति को बहुत जल्द सुधारने की आवश्यकता है। वहां पर जो खराबियां हैं उनको सरकार को दूर करना चाहिये। इस समय यदि सारे सूबे पर निगाह दौड़ाई जाय, सार्वजनिक संस्थाओं पर निगाह दौड़ाई जाय तो यह सब चीजें ऐसी नहीं हैं कि यह सब चीजें यहां पर हुई और मिनिस्टरान सोते रहें और सन् ५७ में मिनिस्टर महोदय कहने लग जायं कि रिपोर्ट आई है और उस पर विचार करना है। आज हमारे देश की यह दशा है, राज्य की यह दशा है और मिनिस्टर कहने लग जायं कि इस दशा को देख कर सभी सदस्य आंसू बहायें। अगर आपको भ्रष्टाचार

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री राजा राम शास्त्री]
सचमुच में अखरता है और आप देखते हैं कि भ्रष्टाचार है तो उसका जो रोकने का स्थायी उपाय है उस पर वास्तव में आपको विचार करना चाहिये। यह नहीं कि अचानक कोई घटना हुई और तब आपका दिल तिलमिलाया कि देश को बचाओ और कोई उपाय आप ढूंढ़ने लगे तो आर्डिनेंस के ज़रिये से वह चीज भवन के अन्दर आ गई। मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट ने इस बात पर ख्याल किया लेकिन जैसा कि आपने कहा कि सन् १९३८ में कमेटी बनी विद्वान पुरुषों ने दिमाग लड़ाये कि किस तरीके से यूनीवर्सिटी का प्रबन्ध सही किया जाय। मगर जब यह रिपोर्ट आई उसके कई दिनों के बाद आपको यह आवश्यकता पड़ी कि उसमें लाल पत्ते लगायें, हरे पत्ते लगायें कि उसमें क्या बात आवश्यक है, यह सब चीजें तो सही हैं। सन् १९३८ में जब कमेटी बनाई गई, मालूम नहीं कब रिपोर्ट निकली होगी, गवर्नमेंट के सामने सारे वाक्यात रहे होंगे लेकिन आजतक गवर्नमेंट ने सारी चीजें नजरअन्दाज की। आपके भाषण को सुनने के बाद मेरे दिमाग में यह असर पड़ा कि आज एक मिनिस्टर आता है और कहता है कि हमने यह खराबी दूर की है मगर दूसरा मिनिस्टर उसको शाया दे रहा था, वह उसका खराब प्रबन्ध किये हुये था तो दोनों में कौन सी बात सही हो सकती है। या तो जिनके हाथों में यह प्रबन्ध किया गया उन्होंने काफी भ्रष्टाचार किया और बड़ी देर के बाद सरकार ने यह समझा कि यह भ्रष्टाचार राज्य के अन्दर बन्द होना चाहिये। यह चीज मैंने आगरा यूनीवर्सिटी के उस ग्रुप की बाबत कही है जो कि प्रबन्ध कर्ता हैं। लेकिन जब गवर्नमेंन्ट ऐसे मामलों पर भी आंख बन्द कर सकती है या नेगलीजेंट हो सकती है, तब देश का क्या हाल होगा, यह आप स्वयं ही सोच सकते हैं। तो यह बात नहीं होनी चाहिये जो मौजूदा माननीय मंत्री जी हैं मैं उनसे जरा यह कहना चाहता हूं कि इन घटनाओं से सबक लीजिये। जो बात आपको पहले ही मालूम हो जानी चाहिये थी उसका पता आपको ३० अक्टूबर को चला, हमारे प्राइम मिनिस्टर, जिसकी निगाह बहुत दूर तक होनी चाहिये और उसको सभी चीजों का पता होना चाहिये फिर यह मैं कैसे मान लूं कि आपको पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है और अचानक २९ तारीख को आपको मालूम हुआ कि घटना होने जा रही है अब उसका उपाय ढूंढ़ना चाहिए और जो आपका सख्त से सख्त ब्रह्मास्त्र था आपने उसका प्रयोग किया और आर्डिनेंस के रूप में इसको यहां पेश किया। आर्डिनेन्स, अध्यक्ष जी, एक गम्भीर बात के लिये होना चाहिये। असेम्बली और कौंसिल सेशन में नहीं हैं अचानक देश में घटना हो गई है, राज्य खतरे में है और ऐसे मौके पर इस ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल होना चाहिये। लेकिन यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर का चुनाव होने जा रहा है, जिसके बारे में कि माननीय मंत्री जी को पहले ही ज्ञान होना चाहिये था कि अब वाइस चान्सलर की मियाद खत्म हो गई है और कब चुनाव होने जा रहा है। आपको इसका पहले से ही उपाय निकालना चाहिये था कि क्या सचमुच आर्डिनेन्स के अलावा कोई उपाय हो सकता था या नहीं हो सकता था। मुझे मौजूदा मंत्री महोदय से शिकायत है कि यदि इतने गम्भीर मसले का उनको पहले पता नहीं होता तो किस तरीके से अचानक पहली तारीख को उनको आर्डिनेन्स जारी करना पड़ा। पहली तारीख को लेजिस्लेचर प्रोरोग किया गया और पहली तारीख को ही आर्डिनेंस जारी किया गया। मेरे दिल में तो यह ख्याल होता है कि इस आर्डिनेंस को पेश करने के लिये ही लेजिस्लेचर को प्रोरोग किया गया वरना शायद उसको प्रोरोग करने की नौबत ही न आती।

श्री हर गोविन्द सिंह—सही है।

श्री राजा राम शास्त्री—सही है तो तब तो और भी कमाल की बात है। मेरा मक़सद तो सभी बातों को भवन के अन्दर कहने का यह है कि हुकूमत काम करने के मौकों पर तो सोती रही और अचानक ही जब पता चला तो आर्डिनेन्स जारी कर दिया। अगर आगरा यूनीवर्सिटी के वाइस चान्सलर के चुनाव की बात न आई होती, तो इसके प्रोरोग करने की नौबत नहीं आती। मैं ही क्या माननीय मंत्री भी इस बात को मानते हैं कि सचमुच में यह शुबहे की चीज है और आपने भी इसको स्वीकार किया है कि इस काम को करने की आशा नहीं थी और यह काम जो हुआ है वह अच्छा काम नहीं था। मैं उनसे कहता हूं कि खैर अब जो हुआ सो हुआ

लेकिन वे इससे एक सबक़ हासिल करें। और आइन्दा के लिये अपने डिपार्टमेंट को यह बात बतला दें जिससे इस बात की नौबत फिर न आने पाये और वह भविष्य में इस तरह का कोई क़दम नहीं उठायें तो मैं समझूंगा कि जो ग़लत काम हुआ उसको उन्होंने मान लिया। अब ख्याल में यह बात आती है कि आखिर जैसे भी किया गया यह तो पुराने वाइस चांसलर की बात है और अब एक नया वाइस चांसलर बनने जा रहा है या उसका चुनाव करने जा रहे हैं, तो इसमें ज़रूर करप्ट ग्रुप का हाथ होगा और अब शायद वे यह समझने लगे हैं कि अगर करप्ट ग्रुप ने कोई काम ऐसा किया नहीं कि इससे हमारे सूबे में पता नहीं क्या हो जायेगा। तो आखिर उस करप्ट ग्रुप का नामिनी जो है, उसकी एक साल तक मियाद बढ़ाने के लिये ही लेजिस्लेचर को प्रोरोग करके उसे एक आर्डिनेंस जारी करना पड़ा। इस तरह से किसी दूसरे डिपार्टमेंट की बात होती तो कहा जाता कि फलाने का ऐडमिनिस्ट्रेशन करप्ट है और इससे बहुत नुकसान होने लगा है और इसके लिये एक कानून पास होना चाहिये और उसको जारी करना चाहिये। मगर जब यहां इस तरह से करप्ट ग्रुप मौजूद है, तो उसके लिये उल्टी बात की जा रही है। गवर्नमेंट के यहां इस तरह से तो उल्टी गंगा बह रही है। अब तो शिक्षा संस्थाओं में भी करप्ट ग्रुप हो गये हैं।

श्री हर गोविन्द सिंह--उसने नहीं किया है।

श्री राजा राम शास्त्री--अगर ऐसी बात है, तो मैं इसके लिये कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूं। लेकिन जो वाइस चान्सलर वहां पर बनाया गया तो........

श्री हर गोविन्द सिंह--यह बात भी नहीं है।

श्री राजा राम शास्त्री--खैर, मिनिस्टर साहब को इसके बारे में ज्यादा पता होगा। हाउस के अन्दर वे उन सब बातों को नहीं बतलाना चाहते होंगे, अकेले में जब मुझसे बात होगी, तब वे शायद सब बातें खोल दें। लेकिन मुझे दाल में कुछ काला ज़रूर मालूम होता है। जनाब अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा भवन को विश्वास दिलाता हूं कि पहले के जो वाइस चांसलर हैं उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है और जो उनकी जगह पर दूसरे चुने जाने वाले हैं, न उनसे मेरा कोई वास्ता है, बल्कि यों मैं कहूं कि आगरा यूनीवर्सिटी से ही मेरा कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ दिलचस्पी इस बात की थी कि जब हाउस यहां पर पहले बैठा हुआ था तब मिनिस्टर साहब ने इस बात को क्यों नहीं कहा। वैसे जो वाइस चांसलर इस वक्त के हैं, उनके खिलाफ मेरे अन्दर न कोई इस तरह की भावनायें हैं और न जो अब आने वाले हैं उनके प्रति मुझे कोई खास हमदर्दी है। लेकिन जिस ढंग से यह चीज़ की गई है, वह ठीक नहीं है। साथ ही साथ हमारे मिनिस्टर साहब ने यह भी बतलाया कि उनके लिये भी यह बहुत डिफिकल्ट हो गया था और उन्होंने बहुत परेशानी के साथ इस बात का फैसला किया है। तो मैं कहता हूं कि उनके ऐड-मिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होना चाहिये और फिर सब जगह ऐसा हो रहा है। सचमुच इस सदन के अन्दर जो मैं बहुधा कहा करता हूं कि आज जो ऐटमास्फियर सब जगह देखा जाता है, वह यही है कि म्युनिसिपल संस्थाओं में ऐसी बात होती है, तो तभी उसका सुपरसेशन होता है। तो अब यही बात शिक्षा संस्थाओं पर भी आ रही है और उनका इन्तज़ाम भी वैसे ही होता चला जा रहा है। फिर आप कहते हैं कि जब तक वे लखनऊ में बैठे हुये हों, उनको यह बात न मालूम हो तब तक कैसे वह सुधार हो सकता है। जो डेमोक्रेटिक सिद्धान्त हैं और गवर्नमेंट आज कहती है कि वह डेमोक्रेसी का पालन कर रही है, तो यह बात ग़लत है। डेमोक्रेसी में हमारे पास ऐसे योग्य व्यक्ति हों, हर ओर से उसकी सुव्यवस्था देखी जाय, मगर यह बात नहीं है और अच्छे शासन के लिये डिमोक्रेसी में इस बात की ज़रूरत है। म्युनिसिपल बोर्ड में डेमोक्रेसी फेल रही है, शिक्षा संस्थाओं में डेमोक्रेसी बिलकुल फेल्योर रही, तो एक हुकूमत में डेमोक्रेसी हो सकती है मगर आज आम तौर से देखा जाय तो लोगों की मनो-वृत्ति इस डेमोक्रेसी की तरफ से क्या हो गई है। आज डेमोक्रेसी खराब होती जा रही है और हमारे हिन्दुस्तान में डेमोक्रेसी फेल्योर होती चली जा रही है। अगर इन्डीविजुअल का राज्य

[श्री राजा राम शास्त्री]

हो तो उसके लिये दूसरी बात हो सकती है। अब तक तो हमारा देश गुलामी में रहा और ऐडमिनिस्ट्रेशन से लेकर जितनी संस्थायें हैं चाहे राजनैतिक पार्टियां हों इसमें शक नहीं कि नैतिक पतन इतना अधिक था जिसकी वजह से मैं मानता हूं कि यह खराबियां हैं और जब हम इस निगाह से देखते हैं तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि जो बात आगरा यूनिवर्सिटी के बारे में कही गयी है कि वहां भ्रष्टाचार है, वहां पैसा कमाया जाता है, शिक्षा के नाम पर शोषण होता है और जितनी मजबूती के साथ माननीय मंत्री ने क़दम उठाया उतनी मजबूती से मैं कहना चाहता हूं कि आप और तमाम संस्थाओं को आंख उठा कर देखें, अपने डिपार्टमेंट को देखिये, हुकूमत को देखिए आप स्वयं अपने आचरण को देखिये, हमारी और आपनी खुद की पार्टी को देखिये और अकेले मकान में जहां आप और आप का परमात्मा हो उस समय सोचिये तो मेरा दावा है कि मिनिस्टर साहब विश्वास करते होंगे कि आगरा यूनिवर्सिटी ही नहीं आप निगाह उठा कर देखिये जिसका मैं जिक्र यहां भवन में बराबर करता रहता हूं कि हमारे राज्य भर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि जो बातें हम हमेशा कहा करते थे सरकार के डिपार्टमेंट के बारे में राज्य के बारे में, आज पांसा पलट गया और आगरा युनिवर्सिटी की मिसाल खड़ी हो गयी। जो दलीलें मिनिस्टर साहब प्रबंध के बारे में पेश कर रहे थे उसी तरह से हुकूमत के डिपार्टमेन्ट्स के बारे में मैं इस भवन के सामने कहा करता था और हर मिनिस्टर डिफेन्ड करता था अपनी ब्यूरोक्रेसी को अपने डिपार्टमेंट के बारे में और यहां के सदस्य लोग भी डिफेन्ड करते थे कि कहां अपराध बढ़ रहे हैं और कहां भ्रष्टाचार है यह तो अपोजीशन वाले ही कहते रहते हैं। लेकिन आज मेरा दावा है कि मिनिस्टर साहब की आज की पहली स्पीच सुनने के बाद भवन की रंगत आप देखियेगा कि जो माननीय मंत्री ने कहा है वह सच है, आगरा यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार है और अगर किसी डिपार्टमेंट की पोल खोल दी जाय.......

श्री हर गोविन्द सिंह—जहां भ्रष्टाचार होगा वहीं कहा जायेगा, जहां नहीं होगा उसको कैसे कहा जा सकता है?

श्री राजा राम शास्त्री—ठीक है, कुछ जगह दिखाई देता है और कुछ जगह नहीं दिखाई देता है। एक जगह भ्रष्टाचार आपको दिखलाई पड़ गया है और आप उस पर आंसू गिराते हैं और आपके दिल में दर्द होता है। सच है दूसरी जगह आप को दिखलाई नहीं देता है लेकिन जिस तरह से आपको दर्द पैदा होता है उसी तरह से जब हम लोगों को किसी जगह भ्रष्टाचार दिखलाई देता है तो हमारे भी दिल में दर्द उठता है तो उस समय आपको क्यों नहीं फील होता है। आप इस बात को मान कर चलिये कि जिस तरह से आपको दर्द होता है उसी तरह से हमको भी होता है। मैं एक बात और कहता हूं और जरूर कहूंगा कि आपने फैसला कर दिया है कि जहां भ्रष्टाचार होगा उसको समाप्त किया जायेगा। जिस दृढ़ता से और मिनिस्टर्स डिफेन्ड करते हैं उस तरह से नहीं बल्कि माननीय मिनिस्टर साहब ने साफ कह दिया कि आज आगरा यूनीवर्सिटीकी तरफ आंख उठी या किसी भी शिक्षा संस्था के अन्दर कोई भ्रष्टाचार पाया गया या दिखाई दिया चाहे वह इंटरमीजियेट बोर्ड ही हो मैं इसी दृढ़ता से काम करूंगा और यह भी ठीक बात है जैसा मैंने अखबारों में देखा कि उन्होंने यह बात उठाई है कि जो कार्य आगरा यूनीवर्सिटी के साथ सरकार कर रही है और जो क़दम उठाया गया है कल को इलाहाबाद युनीवर्सिटी और लखनऊ यूनीवर्सिटी की तरफ निगाह उठेगी और बोर्ड आफ इन्टरमीजियेट एजूकेशन पर भी यही मुसीबत आ रही है। हमें खुशी है कि आज मंत्री जी ने मजबूती से यह बात कही कि जहां यह बात होगी वहां हम ऐसा काम करेंगे। मैं इतना ही चाहता हूं कि जो कुछ आपने कहा है और जो कुछ आप करने जा रहे हैं आगरा यूनीवर्सिटी के संबंध में तो उसके खिलाफ़ कोई कुछ नहीं कह सकता है। लेकिन मैंने सिर्फ गवर्नमेंट की ही तरफ की बात सुनी है और मैं चाहता था कि या तो डा० ईश्वरी प्रसाद जी का भाषण हो जाता या डा० ब्रजेन्द्र स्वरूप जी की स्पीच हो जाती तो हमको दूसरे पक्ष का भी ज्ञान हो जाता कि दरअसल बात क्या है। क्योंकि उनका उससे टच है। तो भवन को भी सोचने का मौका मिल जाता कि उसका क्या इलाज किया जा रहा है तथा जो

बुराइयां हैं, उसके लिये जो कड़ुवा इलाज किया जा रहा है, वह कहां तक ठीक है। हमारा केवल यही कहना है कि जिस दृढ़ता के साथ सरकार आगरा यूनिवर्सिटी पर क़दम उठा रही है उसी तरह से वह अपने और डिपार्टमेंट्स पर भी निगाह रखेगी।

इसी मजबूती के साथ आप को यह एलान करना चाहिये कि इस राज्य के किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर हमें भ्रष्टाचार दिखलाई पड़ेगा तो हम अपने किसी सेक्रेटरी को या किसी कर्मचारी को स्पेयर न करेंगे। यह मजबूती अगर शासन के अन्दर आये तो लोग डरेंगे। वर्ना हो यह रहा है कि आप इस भवन के अन्दर जितनी तकरीरें देते हैं तो उनको सुन कर दूसरे लोग यह सोचते हैं कि मिनिस्टर लोग भवन के अन्दर ही इस तरह की बातें करते हैं लेकिन जब सफ़ाई का समय आता है तो नाना प्रकार की बातें पैदा होती हैं। मुझे ख़ुशी है कि आगरा यूनिवर्सिटी के मसले को लेकर बहुत मजबूती के साथ बातें की गईं और यह क़दम उठाया गया और यह मामला भवन के सामने आ गया। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसकी जितनी भी सफ़ाई कर सकते हों, करें। मैं समझता हूं कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी जांच के लिये अगर आप एक कमीशन नियुक्त कर सकें तो और भी अच्छा होगा। केवल एक को कसूरवार बनाकर काम करने से ज्यादा फ़ायदा न होगा। मैं चाहता हूं सन् १९३८ की रिपोर्ट अगर पुरानी हो गई है तो दूसरा कमीशन बनाइये और उसकी रिपोर्ट पर विचार कीजिये और तमाम यूनिवर्सिटीज के लिये नियम बनाइये और जो यूनिवर्सिटी उन नियमों की पाबन्दी करें उनको तो आप सहायता दीजिये और जो न करें उनको दंड दीजिये। मैं समझता हूं कि यह विधेयक एक बुराई को दूर करने के लिये पेश किया गया है, इसको जरूर पास किया जाना चाहिये।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो माननीय शिक्षा मंत्री ने पेश किया है, मैं यह समझता था कि एक बड़ा सीधा साधा छोटा सा विधेयक है और शायद उसमें कोई ज्यादा कंट्रोवर्सी की बात न पड़ेगी किन्तु जब मैंने इस पर बहस सुनी तो वह सारी बातें जो वक्तन-फ़वक्तन आगरा यूनीवर्सिटी के संबंध में मेरे दिल में आती रही हैं वह फिर दोबारा नई हो गईं और मैंने यह भी देखा कि वह बातें जो यहां बताई गई हैं उनको मैं बहुत जमाने से देख रहा हूं। जब मैं आगरा यूनीवर्सिटी का एक विद्यार्थी था तब से देख रहा हूं। ज्यादातर बातें तो कानपुर से होती रही हैं। हालांकि कानपुर का आगरा यूनीवर्सिटी से कोई अधिक संबंध न होना चाहिये। कानपुर आगरा से कम से कम २०० मील होगा, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर से ज्यादा क़रीब है। लेकिन यह सारी वबा जो फैली है वह कानपुर से ही फैली है मैं यह देख रहा हूं और मैं एक मुद्दत से देख रहा हूं कि आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर पार्टीबाजी है। कानपुर के एक सज्जन हैं जो इसको आर्गनाइज कर रहे हैं और इस पार्टीबाजी में ऐक्टिव पार्ट ले रहे हैं। अगर वे इसको छोड़ दें तो आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर जो ऐसी दशा है वह शायद न हो। आगरा यूनीवर्सिटी शायद उस रद्दी दर्जे को न पहुंचे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह अर्ज करना चाहता हूं कि आगरा यूनीवर्सिटी आज से नहीं, एक मुद्दत से एक ऐसा अड्डा पार्टीबाजी का बना है जिसको कहते हुये मुझे स्वयं लज्जा आती है। माननीय मंत्री जी ने जो कुछ बताया है वह रिपोर्ट के जरिये से ही बताया है।

श्री हर गोविन्द सिंह--लिखी हुई बातों से बताया है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद--लेकिन मैं आपकी खिदमत में देखी हुई बातें अर्ज करना चाहता हूं कि उसके अन्दर क्या बुराइयां हैं। आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर जब सीनेट के लिये इलेक्शन होता है तो कानपुर से एक लिस्ट आउट होती है ३४ मेम्बरों की।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद--३० मेम्बरों की लिस्ट होती है।

श्री प्रताप चन्द्र आजाद---जो लोग वोटर्स होते हैं, बदकिस्मती से मैं भी उनमें से एक हूं, उनके पास एक ३० मेम्बरों की लिस्ट आती है उसके साथ यह भी होता है कि अगर आप इस लिस्ट पर वोट देंगे तो मैं आपको यह करा दूंगा, मैं आपको मेम्बर बना दूंगा और आपको ऐक्जामिनर बना दूंगा। मेरे पास भी वह लिस्ट आई। एक दो सज्जन और भी यहां पर बैठे हैं उनके पास भी लिस्ट आयी होगी कि इन आदमियों को आपको वोट देना है। अगर आप इन आदमियों को वोट देंगे तो आप भी सीनेट के मेम्बर हो जायेंगे। मैंने कहा कि मैं ऐसी चीज नहीं चाहता। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि हो सकता है कि यहां पर दो एक सज्जन उस ग्रूप के हों। हमारे माननीय मेम्बर श्री एम० जे० मुकर्जी यहां पर मौजूद नहीं हैं।

चेयरमैन---जहां तक हो सके सदस्यों को चाहिये कि अनावश्यक किसी व्यक्ति पर आक्षेप न करें। कानपुर का इस तरह से जिक्र किया जाना मैं उचित नहीं समझता।

श्री प्रताप चन्द आजाद---आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर जो सीनेट का चुनाव होता है उसका ढंग क्या है। कौन लोग उस सीनेट में लिये जाते हैं। मुझे मालूम है कि एक सज्जन जो कितने ही वर्षों से उस सीनेट के मेम्बर रहे हैं और मैं समझता हूं कि शायद वे जिन्दगी भर रहे। एक साल से वे मेम्बर नहीं हुये हैं यह भी मैं आप से अर्ज करूं कि उसका कारण क्या है। आगरा के एक मुख्य कर्मचारी ने कहा क्योंकि उन के किसी भाई का मामला था प्रमोशन का, उसके सिलसिले में उन्होंने कहा कि उसको सपोर्ट करो तो उन्होंने इन्कार कर दिया और कहा कि यह मामला बिल्कुल ऐसा है जिसको मैं बेइंसाफी समझता हूं। तो उसके बाद ३० वाली लिस्ट में उनका नाम भी नहीं आया और वह इस तरह से खत्म हो गया। यह बात कि आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर इलेक्शन होता था यह ग़लत है। वहां तो एक अजीब तरह का इलेक्शन होता है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ कालेजेज के प्रिंसपल और जो प्रोफेसर्स होते हैं उनको यह हिदायतें होती हैं कि आप १०-१०, १५-१५ मेम्बर बनावें। मेरे सामने ऐसी मिसाल मौजूद हैं। बरेली में कुछ सीनेट के मेम्बर बनाये गये। यह इसलिये बनाये जाते हैं कि वह ३० वाली फेहरिस्त के नामों को ही सपोर्ट करें। इसके अलावा जो आगरा यूनीवर्सिटी के मातहत दूसरे डिग्री कालेजेज हैं उनके संबंध में भी आपको बतलाऊं। इस सीनेट की तरह वहां पर भी पार्टीबाजी क़ायम कर देते हैं, चाहे वह बरेली हो, चाहे वह शाहजहांपुर हो और चाहे वह मुरादाबाद हो। हर एक जगह पर दो पार्टियां हैं। एक तो ग्रूप जो इन पावर है और एक वह पार्टी है जो यह कहती है कि हम हर राइट और रांग के मामले को सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है। २,४ कालेजेज बचे हों तो बचे हों वरना हर कालेज के अन्दर मुक़द्दमेंबाजी चल रही है, दोनों पार्टियों के अन्दर गालीगलौच होता है, अखबारों में एक दूसरे के खिलाफ निकलता रहता है। यह सब चीजें चल रही हैं। यह सब बातें जो आज चल रही हैं इन सबका एक कारण है कि आगरा यूनीवर्सिटी की व्यवस्था इतनी रद्दी हो गई है कि वह एक कारबीकल की तरह से हो गई है, वह एक फोड़ा हो गया है जो और छोटे छोटे फोड़े पैदा कर रहा है। इसका और कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि वह चाक किया जाय। बहुत सी बातों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं इसलिये कि मैं यह समझता हूं कि वह इस काबिल नहीं हैं कि इस भवन में बतलाई जावें लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि मैंने यह देखा है कि बहुत सी जगह डिग्री कालेजेज के अन्दर आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर का जो ग्रूप इन पावर है वह एम० ए० के कलासेज उन सब्जेक्ट्स में खोल देता है उन प्रोफेसरों के लिये जिनको उन्हें फेवर करना होता है। अभी एक कालेज में एम० ए० का क्लास खोला गया उस सब्जेक्ट में जिसमें केवल दो स्टूडेन्ट्स थे, एक फाइनल में और एक प्रिवियस में। जब फाइनल का स्टूडेन्ट पास हो गया और प्रिवियस का फाइनल में आया तो प्रीवियस में कोई नहीं रह गया। इस तरह से एक साल तक कोई स्टूडेन्ट नहीं रहा। इस तरह से इस यूनीवर्सिटी का रुपया बरबाद किया जाता है। ऐक्जामिनर्स के लिये मैं क्या अर्ज करूं। मैं नाम नहीं ले सकता हूं। एक फोटोग्राफर साहब ऐक्जामिनर हैं। जो उनसे १० ग्रुप खिचवा ले वही पास हो जाता है। इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल तो अब से पहले ही आ जाना चाहिये था और जब माननीय

मंत्री ने यह देखा कि पानी सर के ऊपर से चला गया और दूसरा कोई इलाज नहीं रहा तब यह विधेयक आया। बाहर से आदमी तब इलाज करता है जब वह बिल्कुल मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है और जब समझने लगता है कि अब यह ठीक होने का नहीं तब वह कोई चीज बाहर से करता है। अभी जब कुंवर साहब कह रहे थे कि वाइस चांसलर उस पार्टी का था जो कि पार्टी इन पावर थी तो फिर क्या वजह है कि उनको फिर से रक्खा जाता है जब कि उनकी पार्टी में खराबियां हैं। मेरा कहना यह है कि वाइस चांसलर को इसलिये उनकी पार्टी हटा रही थी कि वह अपनी पार्टी से इत्तिफ़ाक़ नहीं करते थे और उन्होंने कुछ बातों में पार्टी के कहने के मुताबिक़ डिटो नहीं किया। वह उस पार्टी के इशारों पर चलने के लिये तैयार नहीं हुये। वाइस चांसलर ने जब देखा कि खराबियां हैं और अगर मैं पार्टी की हर बात को मानता हूं तो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती है तो उन्होंने पार्टी की कुछ बातों को मानने से इंकार कर दिया। तब पार्टी वालों ने यह कोशिश की कि उनको हटा दिया जाये। मैं अधिक समय न लेकर यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक सदन में आया है यह बिल्कुल समयानुकूल है। मैं आशा करता हूं कि जल्दी ही सरकार आगरा यूनीवर्सिटी के संबंध में संशोधन बिल पेश करेगी। और अगर वह जल्दी न पेश हुआ तो मैं समझता हूं कि आगरा यूनीवर्सिटी के गिरे हुये खंडहर भी नजर न आयेंगे। मैं सरकार से आशा करता हूं कि वह जल्दी ही संशोधन बिल पेश करे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री बद्री प्रसाद कक्कड़ (विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र)--जनाब चेयरमैन साहब, मैं इस मौक़े को ग़नीमत समझकर जनाब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जनाब ने मुझको यह मौक़ा दिया कि मैं अपने ख्यालात को इस बिल के ऊपर रक्खूं। जनाब के रूबरू यह भी कह देना चाहता हूं कि मैं किसी का नाम लेना ठीक नहीं समझता हूं। जनाब मिनिस्टर साहब जिस वक्त अपनी स्पीच दे रहे थे मेरे दिल में कुछ खतरनाक बात सुनकर जिनके बारे में मैं खुद अपना इल्म रखता था और दिलजोश कर रहा था। उस वक्त मेरे और जनाब के कौलीग मरहूम श्री एहसानुर्रहमान क़िदवई की याद आई। वह शायर थे और उन्होंने एक शेर मुझे सुनाया था।

सैयाद लग ही जायगी एक दिन क़फ़स में आग,
बैठा हूं मुंतज़िर दिले सोजा लिये हुये।

मैं इस बात को जिस वक्त श्री राजाराम साहब तक़रीर कर रहे थे उस वक्त सुन रहा था। जब उनके अल्फ़ाज़ पर ग़ौर करता हूं तो मुझे ख्याल आता है "Marriages and Government are series of compromises."

"Sunshine without shade, pleasure without faith and happiness without sorrow were not life at all."

मैं जनाब के सामने एक वाक़या पेश करना चाहता हूं। जनाब भी सन् ३७, ३८ और ३९ में इस ऐवान में मौजूद थे मैं बदक़िस्मती से या खुशक़िस्मती से आगरा यूनीवर्सिटी की सीनेट का मेम्बर गवर्नमेंट का नामनी था। लेकिन हुज़ूर को खुशखबरी सुनाऊं कि आज तक मैंने सीनेट का दरवाजा तक नहीं देखा और सीनेट की मीटिंग तक की इत्तिला नहीं हुई। जनाबवाला, यहां किस तरह से लड़के पास किये जाते हैं, किस तरह से वोटें हासिल की जाती हैं और किस तरह से पालिटिक्स लाया जाता है इसका खामियाजा बहुत खराब है। मुझे अब ताज्जुब होता है कि हमारे बच्चों में इस तरह की खराबी क्यों हैं। उनका हुस्न है, उनकी यह खूबियां हैं जो इन बच्चों में पैदा होती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि वह क्यों हैं? मैं बदकलाम से बचना चाहता हूं, इसलिये इन अल्फ़ाज में अर्ज़ करना चाहता हूं। मैं ऐसी यूनीवर्सिटियों को जिनका काम बच्चों को गुमराह करना है, पहला शख्स हूं, जो कि वोट देने के लिये तैयार हूं कि इनको बन्द कर दिया

---

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री बद्री प्रसाद कक्कड़]

जाय। मैं इस बुरे काम के लिये यूनीवर्सिटियों को नहीं चाहता हूं। मैं जनाब को इत्तिला देना चाहता हूं और मुमकिन हो कि जनाब को मालूम हो कि जो यू० पी० का इन्टरमीजियेट बोर्ड है उसके लिये जिस वक्त दोबारा मुझ से पूछा गया कि क्या आप इसका मेम्बर होना पसन्द करते हैं तो मैंने साफ़ जवाब दिया कि मैं इससे फेड अप हो गया हूं इसलिये नहीं चाहता हूं। मुझे एक मर्तबा का ख्याल है, डाक्टर इबादुर्रहमान जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और रखता हूं, वे बहुत काबिल आदमी थे उन्होंने एक मर्तबा अपनी स्पीच में कहा कि हम कक्कड़ साहब से एक शेर सुनेंगे। मैं उस समय परेशानी में था लेकिन मुझे एक शेर याद आ गया जिसके माने ये थे कि आप इसके डाइरेक्टर हैं आपका फ़र्ज है और यह हकीकी फ़र्ज है कि इस चीज को जो बोर्ड में हो रही है उसको बन्द कर दिया जाय। मैं दबी जबान में कहना चाहता था कि इस गिरोहबन्दी को दूर कर दिया जाय। मेरी दरख्वास्त है कि दरअसल गवर्नमेंट की खास तवज्जह इस जानिब में होनी चाहिये। जो सख़्ती यूनीवर्सिटियों की जानिब है वही सख़्ती इन्टर बोर्ड की गिरोहबन्दी को ख़त्म करने के लिये होनी चाहिये। मुझे इन्टरमीजियेट बोर्ड में ऐसी गुटबन्दी देखकर ताज्जुब हुआ। मुझे उम्मीद है और कवी उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब जो स्प्रिट रखते हैं वह निहायत मुबारक है। मैं तवक्को करता हूं कि वह इस चीज को दूर करेंगे और अगर यह बुराई दूर नहीं हुई तो जितनी एजुकेशन है वह बेकार हो जायगी, जो तालीम हम बच्चों को दे रहे हैं उससे उनको कोई फायदा नहीं होगा। जब मैं तालिबइल्म था तो मुझे यहां तक नहीं मालूम था कि मेरा मुमतहिन कौन है लेकिन आज बाजारों और स्टेशनों पर इस बात की चर्चा होती है कि मुमतहिन कौन है। मेरे कहने का मतलब यह है कि किस जगह पर कौन मुमतहिन है। पहले यह कायदा था कि आधा नम्बर भी नहीं बढ सकता था, लेकिन आज १०-१० और १२-१२ नम्बर बढ़ जाते हैं। जब मिनिस्टर साहब अपनी तक़रीर दे रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि इन्टरमीजियेट बोर्ड में क्लर्कों के जरिये लोगों को हर बात का पता चल जाता है। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता था लेकिन आज मिनिस्टर साहब के कहने पर यकीन आ गया है। मुझे इस वक्त अपने पुराने मरहूम दोस्त बाबू कन्हैया लाल की बात याद आ गई कि वह कहा करते थे कि अब नम्बर बढ़ाये जाते हैं उस वक्त तो मैं मैं इस बात को सच्च नहीं मानता था लेकित आज इस बात को ठीक समझता हूं। आज मरहूम की बातों का सच्चा नक्शा सामने आ जाता है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिये से जनाब मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि उनको आजकल की तालीम को दुरुस्त करना चाहिये। ऐसा करने से बच्चों को भी फायदा होगा और मुल्क की भी तरक्क़ी होगी। इन शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं।

श्री गोविन्द सहाय—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एज्युकेशन मिनिस्टर की स्पीच को काफी गौर से सुन रहा था, उन्होंने इस बिल को पेश करते हुये, एज्युकेशन के अन्दर जो बुराइयां हैं और जिस तरह से वह उसको दूर करने का इरादा रखते हैं जिक्र किया और मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार की भी चर्चा की है। आज उन्होंने इस बात को महसूस किया है कि एजुकेशन में तब्दीली होनी चाहिये और हमको इसमें कोई जबर्दस्त चेन्ज करना होगा। मुझे आज उनकी बातों को सुनकर ताज्जुब हुआ। उन्होंने रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। जो वाकयात गुजर गये हैं तो वह बातें आखिर हमारे पुराने मिनिस्टर साहब ने नहीं सोचा या उनकी राय में यह बातें कोई अहमियत ही नहीं रखती थी। उनको इन बातों की उस वक्त जरूरत ही नहीं महसूस हुई या उन्होंने इस को जरूरी ही नहीं समझा। आज कल करप्शन इतना बढ़ गया है कि हर शख्स इसका शिकार हो रहा है और हर एक यही कहता है कि करप्शन हमारे जरिये से नहीं शुरू होता है बल्कि दूसरी जगह से होता है। यह एक नयी हवा फैल गयी है और लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं अपने को कोई नहीं देखता है। यह सवाल इतना आसान नहीं है कि महज आप कोई बिल लाकर या किसी बिल में तब्दीली करके या कोई क़ानून पेश करके दूर कर सकते हैं। इन तमाम बातों को देखते हुये मुझे जब कभी सोचने का इत्तिफाक़ होता

है तो मेरे दिमाग में यही बात आती है कि आज दुनिया में हमारा मुल्क इतना बदनसीब है कि यहां के लोगों का यानी हमारी जनता का चरित्र बहुत गिर गया है। किसी भी कन्ट्री में यह बात हमेशा मानी जाती है कि अगर मुल्क में सबसे पहले किसी का चरित्र गिरता है तो लीडरों का चरित्र सब से पहले गिरा माना जाता है और जिन लीडरों का चरित्र गिर जाता है उनको सबसे पहले सजा मिलनी चाहिये। क्योंकि डाइनामिक लीडरशिप का लोगों के कैरेक्टर पर असर पड़ता है। यह वही मुल्क है जिसके अन्दर महात्मा गांधी ने मिट्टी के आदमी में हिम्मत पैदा की, आदमियों के अन्दर त्याग की भावना पैदा की और मुल्क के लिये लोगों के दिलों में मुहब्बत पैदा की, लोग अपने मुल्क के लिये मर मिटने को तैयार थे। लेकिन आज उस मुल्क की जब हम हालत देखते हैं तो हम में से हर एक की आंखों में आंसू आते हैं। आज यहां का चरित्र मर रहा है। मैं तो कहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी आपकी, हमारी सब की है। जब किसी मुल्क का लीडरशिप का फाल होता है तो सारा मुल्क गिरता है, अगर वह राइज करता है तो सारे कन्ट्री का मारेल ऊंचा होता है। लीडरशिप के साथ-साथ जो चीज होती है वह देश के ऊपर बहुत गहरा असर पैदा करती है। सिर्फ इतना कहना ही काफी नहीं है कि हम जनता की उन्नति चाहते हैं, हम जो कुछ भी चाहते हैं वह जनता की नेशनल एज्यूकेशन को ऊंचा करने के लिये चाहते हैं, तो इतना ही कहने से देश की हालत अच्छी नहीं हो जाती है या सिर्फ बिल के जरिये से कोई चीज पेश करना ही काफी नहीं है। सिर्फ इतना ही कहना काफी नहीं होता कि लोग ईमानदारी से रहें, बल्कि उनको ईमानदार बनाने के लिये आपको वह सब उपाय करने चाहिये जो किसी भी मुल्क में एक ईमानदार आदमी बनाने के लिये अपनाये जाते हैं। अगर आप उन सभी बातों को करेंगे जो कि एक ईमानदार आदमी होने के लिये जरूरी हैं तो लोगों में ईमानदारी का जज्बा पैदा होने लगेगा और मुल्क का हर बच्चा-बच्चा ईमानदारी की ओर झुकेगा। इसलिये मैं अदब से कहूंगा कि मुझे कोई किसी क़िस्म का मुगालता नहीं है और मैं जोरदार शब्दों में कहूंगा कि इन संस्थाओं में बड़ा करप्शन है। तो केवल ला को तब्दील करने से ही वह दूर नहीं हो सकता है। पिछले सात सालों में मुझे नई प्रेरणा के प्रेरित लोगों से मुलाकात करने का इत्तिफ़ाक़ हुआ है और उनकी बातों का सुनने का भी इत्तिफ़ाक़ मुझे हुआ है। बड़ी प्रेरणा से वे व्यक्ति उठे और बड़ी-बड़ी भावनायें लेकर आगे बढ़े मगर जब उनको कोई उम्मीद न रही कि उनकी वह भावनायें कभी भी पूरी होंगी तो निराश हो गये। मैं आनरेबिल मिनिस्टर साहब से इतना ही चाहूंगा कि जो बात उन्होंने कही है कि इसमें सबका कदम आगे होना जरूरी है और उनकी जिम्मेदारी का जो क़दम उठेगा उससे सूबे की तालीम सुधर जायेगी तो कम से कम मैं यह चाहूंगा कि लड़कों की शिक्षा इतनी अच्छी हो जाय कि उनके दिमाग खुल जायं और उनको मुल्क के बारे में जानकारी हो। आजकल जिस तरह का स्ट्रक्चर शिक्षा का है उससे तो लड़कों का दिमाग कभी नहीं खुल सकता है। इसमें जो आपने सिस्टम बनाया है वह आप पर हावी हो गया है और आप ने इन्सानियत को भुला रक्खा है। जो दो एक बातें मैंने कही हैं मैं नहीं चाहता था कि इस तरह की बातें कहूं लेकिन मजबूरन मुझे ऐसा कहना पड़ता है जब कि मैं लड़कों की हालत को देखता हूं। इसके अलावा आज जो शिक्षा का सुधार हो रहा है वह यह है कि आज एक हाई स्कूल का लड़का उतना बोध नहीं रखता है जितना कि पहले के छठों और सातवीं कक्षा के लड़के रखते थे। उन्हें अपने मुल्क के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। मुझे ताज्जुब होता है कि किसी भी बोर्ड के अन्दर या किसी स्कूल के अन्दर लड़कों को बाहरी ज्ञान नहीं कराया जाता है। इसलिये मैं यह चाहूंगा कि जो सुझाव देता हूं उसके ऊपर कम से कम गौर तो किया जाय और मुझे सुझाव के तौर पर यह कहना है कि शिक्षा इस तरह की हो कि जिससे लड़कों को अपने देश के अलावा और देशों का भी ज्ञान हो, उसे देश से मोहब्बत हो और वह देश की हर प्राब्लम में हिस्सा लेकर अच्छी तरह से उसे समझ सके। लेकिन आपने इस नजर से इस चीज को नहीं रखा है आपने कोई इस क़िस्म की चीज इसमें नहीं रखी है. बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि आपने इस प्राब्लम को टच भी नहीं किया है।

श्री हर गोविन्द सिंह—ऐसी बात तो नहीं है।

श्री गोविन्द सहाय——अगर ऐसी बात नहीं है तो मुझे खुशी है कि आपने इस चीज़ को स्वीकार तो कर लिया। इसके अलावा मैं अपने कांग्रेसी मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी सुझाव की बात मैं कहता हूं वह यह है कि आप पापुलर गवर्नमेंट में होते हुये भी इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। ताज्जुब की बात है कि हमारे डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी को भी इस बात का पता नहीं रहा कि हमारे देश में क्या हो रहा है। जो सुझाव हम देते हैं आप उसकी मारेलिटी को देखिए तो मालूम होगा कि उसके अन्दर कुछ तत्व है फिर आपको उन सुझावों को मानने में क्या दिक्कत होती है। इस तरह खाली कहने से ही कोई भी मसला हल नहीं हुआ करता है। अगर आप इसकी अमली जामे की ओर निगाह नहीं देते हैं तो भले ही आप एक नहीं १० आर्डिनेन्सेज़ पास करा लें, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है कि आप ने आर्डिनेंस क्यों बनाया, मुझे कानूनी बातों में पड़ने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होती है, इससे कोई फायदा नहीं होगा और आपकी शिक्षा से लड़कों के दिमाग में कोई तरक्की नहीं होगी। इस जेनरेशन के लिये नहीं बल्कि आगे आने वाले जेनरेशन के लिये तो यह बात हो जाय और वे डेमोक्रेटिक एटमौसफियर में अपने को महसूस करें और इस तरह से डेमोक्रेसी उनके लिये मददगार हो। बहुत लोग डेमोक्रेसी के माने समझते नहीं हैं और वे उसके माने यह लगाते हैं कि उसका मतलब इलेक्शन से है और वे यह समझते हैं कि डिमोक्रेसी बगैर इलेक्शन के पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन डेमोक्रेसी के माने जो मैं थोड़ा बहुत समझता हूं वह यह है कि डेमोक्रेसी में एज्युकेशनल पैटर्न हो। तो आज जो एज्युकेशन का सिस्टम चल रहा है उससे हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी क्या रह सकती है और इस सूबे में भी करोड़ों लोगों को इस बात की एज्युकेशन मिल रही है। डेमोक्रेसी में जो बात महत्व की है और उसमें जो बात हम करना चाहते हैं और जो मैं उचित समझता हूं वह यह है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कल्चर होना चाहिये, डेमोक्रेसी से लोगों को रहन-सहन के तरीके सीखने चाहिये, डेमोक्रेसी में लोगों को कुछ आउट लुक आफ लाईफ होना चाहिये। लेकिन जनता इलेक्शनबाजी को डेमोक्रेसी कहती है और इस तरह से आप भी असेम्बली में लोगों को सीटें देते हैं और वे मेम्बर बन जाते हैं। सारे समाज के लोग इसको इसी ख्याल से लेते हैं और वे डेमोक्रेसी के बारे में यही ख्याल रखते हैं। मैं भी पहले कांग्रेस में था और उससे बाहर हुये मुझे तीन साल हो गये हैं लेकिन मैं इस बात को जानता हूं। मैं इसलिये नहीं कहता कि इस बात का मुझ पर कोई असर होता है, लेकिन जो बात मैं साफ और ठीक समझता हूं उसको यहां कह देता हूं। लेकिन जिस तरीके से यहां मेम्बरों को कमेटियों के लिये सीटें दी जाती हैं, वह तरीक़ा नहीं होना चाहिये। तो इस तरह के ट्रेडिशन्स चले आ रहे हैं और इन ट्रेडिशन्स से तरक्की नहीं हो सकती है। हमें लोगों के विजिन आफ एंगिलस को बदलना है, उनके स्टैन्डर्ड को ऊंचा करना है और उनके मारेल को उठाना है। आगरा यूनीवर्सिटी के लिये जब यह बात उठाई गई, मैं इसके लिये उनसे हमदर्दी रखता हूं और इसका मुझे अहसास है। इस तरह से जितनी भी ऐसी करप्ट चीजें हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिये। मैं कहता हूं कि मिनिस्टर आफ एज्युकेशन जो भी इस तरह का बड़ा काम करना चाहते हैं और अगर वे उसमें कामयाब हो गये, तो इससे बड़ा कन्ट्रीब्यूशन और दूसरा नहीं है। लेकिन मैं बड़े अदब से आपसे कहना चाहूंगा कि आपको चारों तरफ की चीजों को देखने की जरूरत है और खास तौर से एज्युकेशन को सुधारने की जरूरत है। मैं यह चाहता तो नहीं था कि चीन का नाम यहां पर लूं, लेकिन जब मैं कोई ऐसी बात देखता हूं, तो मुझे उसके लिये हुकूमत से कहना पड़ता है। लेकिन कल जब मैं चला गया था अपनी स्पीच देकर, क्योंकि मुझे लखनऊ यूनीवर्सिटी में स्पीच देने जाना था, तो मिनिस्टर साहब ने मेरे बारे में यह ज़िक्र किया था कि मैं तो चीन का एजेन्ट हो गया हूं। लेकिन जो चीन की अच्छी बातें होती हैं वे मुझे कहनी पड़ती हैं। मैं कहता हूं कि चीन एज्युकेशन में आपसे भी पिछड़ा हुआ था मगर मैंने वहां देखा कि उनके यहां जो एज्युकेशन लड़कों को दी जाती है, उसमें दिमाग़ के झुकाव को देखा जाता है कि वह किधर है। इस तरह से वहां थ्योरी और प्रैक्टिस के आब्जेक्टिव को मिलाया जाता है और देखा जाता है कि उनका दिमाग़ किस ओर विकसित हो सकता है और उनकी सोशल और इकानोमिक कान्शेस देखी जाती है। इसी तरह से उनको शिक्षा दी जाती है और वह तरीके पहले

से बदले हुये हैं। अगर आप इंगलैंड में जायें जहां कि सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की ज़िम्मेदारी है, वहां की तालीम स्पोर्ट्स पर बढ़ रही है। उनको उस दिशा की ओर ही ले जाया जाता है और उसमें कामयाब होते हैं। जब हमारा मुल्क गिर रहा है तो हमको भी चोट लगती है। हमें खुशी है कि आपने सन् ३८ की कमेटी की रिपोर्ट को देखा और आप के आंसू निकले। ये आंसू खत्म न हों जांय बल्कि एक टीस पैदा हो जिससे जो काम आपने शुरू किया है वह पूरा हो और आपको सबका सहयोग प्राप्त हो।

*श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग सभी सदस्यों ने इस बिल की प्रशंसा की है। शिक्षा में जो खराबियां हैं और जो इस समय यूनीवर्सिटीज़ की हालत है उस पर बोलने का तथा अपनी राय ज़ाहिर करने का अवसर आज इस सदन में प्राप्त हुआ है। मैं तो यह कहूंगा कि आज जो बातें कही गयी हैं वह पहला ही दिन है जो यहां कही गयी है और किसी भी देश में ऐसी बातें शिक्षा संस्थाओं के प्रति नहीं कही गयी हैं। मैं मानता हूं कि शिक्षा संस्थायें और विश्वविद्यालय हमारे देश के गौरव के स्थान हैं, किसी भी देश की संस्कृति और जो वहां का समाज है वह सब यूनीवर्सिटीज़ पर निर्भर है। किसी भी देश का कल्याण और जो उसका भविष्य होना है वह यूनीवर्सिटीज़ पर ही निर्भर होता है और यह सरस्वती (गाडेस आफ लरनिंग) के प्रतीक हैं और वहां के भ्रष्टाचार के बारे में इस तरह के सार्वजनिक स्थान में वर्णन किया जाना वास्तव में जो शिक्षा से संबंध रखते हैं उनके लिये दुख की बात है। आज जो दशा है वह किसी से छिपी नहीं है जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा कि सन् ३८ से पहले और उसके बाद और आज तक जो हालत है वह रिपोर्ट से भी मालूम होता है और लोगों को भी मालूम है तथा वह माननीय मंत्री जी के सामने इस वक्त आई। ग्रेजुएट्स् के बारे में जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री पं० नेहरू जी और पं० पंत जी ने कहा और गार्जियन्स भी जानते हैं लेकिन उनको अपने बच्चों को यूनीवर्सिटीज़ में भेजना पड़ता है और वहां से निकलने के बाद वह किसी भी काम करने के लायक़ नहीं रह जाते हैं। मैं विस्तार से इन बातों का उल्लेख नहीं करूंगा जिधर आंख उठाकर आप देखें हर जगह यही बात देखने को मिलेगी। हमारे विद्यालय सिर्फ परीक्षा लेने के लिये ही नहीं बनाये गये हैं, वहां पर विद्यार्थी २४ घंटे रह कर शिक्षण प्राप्त करता है वहां की दशा मैंने अपनी आंखों से देखी है। मैं प्रान्त की लगभग सभी प्रकार की संस्थाओं से संबंधित हूं। इसलिये मैं कह सकता हूं कि मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस कालेज के छात्रावास में दो सौ छात्र होते हैं वहां के वार्डन साहब को या सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब को यह पता नहीं होता कि हमारे छात्रावास में कौन-कौन विद्यार्थी हैं। जब कोई विद्यार्थी किसी प्रकार की आज्ञा लेने के लिये उनके सामने उपस्थित होता है तो वह उससे पूछते हैं कि क्या तुम इसी छात्रावास में रहते हो। जब किसी छात्रावास के सुपरिन्टेन्डेन्ट या वार्डन को यह भी पता न हो कि हमारे छात्रावास में कौन-कौन विद्यार्थी रहते हैं तो वह वार्डन अपने छात्रावास के छात्रों के चरित्र के संबंध में और उनकी पढ़ाई के संबंध में क्या ज्ञान रख सकता है। यूनीवर्सिटीज़ के संबंध में, बीच में इन्टरमीडियट बोर्ड के संबंध में आयेगा मैं उसे छोड़ दूंगा, यूनीवर्सिटीज़ का जो रिकगनीशन है, मुझे इस बात का पता है कि आज डिग्री कालेजेज़ भी धर्मशालाओं में मौजूद हैं। इन धर्मशालाओं में जहां बैठने का स्थान ठीक तरह से नहीं है, जहां यात्रियों के आने से किसी और प्रकार की व्यवस्था की जाये वहां डिग्री कालेजेज़ चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं? क्योंकि वहां पैसे का बल है। यूनीवर्सिटीज़ के सिलसिले में भी मैं कहूंगा कि वहां भी पैसे का प्रभाव है। जहां भीतर से लक्ष्य पैसा है वहां बाहर से भी पैसा ही लक्ष्य रहता है। जब किसी डिग्री कालेज के रिकगनीशन का सवाल उठता है तब भी यह कहा जाता है कि इतने लाख रुपया होना चाहिये। वहां के प्रबंध कर्ता कैसे हों इसकी देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं होती। जब इस प्रकार के कालेजेज़ खुलने प्रारम्भ होते हैं, जब उनकी जड़ में पैसा ही है तो वहां जो और चीजें होती हैं वह भी स्वाभाविक रूप से पैसे की ही तरफ चली जाती हैं। सरकार का हस्तक्षेप यूनीवर्सिटीज़ में हुआ है। जिस तरह से सब

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री शान्ति स्वरूप अग्रवाल]

को प्रसन्नता है , मुझे भी प्रसन्नता है, और मैं समझता हूं कि अपने बच्चों में जो लोग भी अच्छी बातें देखना चाहते हैं, तथा स्वयं शिक्षा संस्थाओं की ओर भी माननीय मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई मिलेगी कि उन्होंने एक मजबूत क़दम इस ओर उठाया है। अभी हाल में जो फर्रुखाबाद में झगड़ा हो गया था वहां की दो शिक्षा संस्थाओं को एकदम बन्द करने का काम भी ऐसा ही था जैसा कि यूनीवर्सिटीज के लिये आर्डिनेंस जारी करना है। छोटी शिक्षा संस्थाओं के लिये रिकगनीशन छीनना, ग्रान्ट बन्द करना ऐसा था जैसे यूनीवर्सिटीज की ग्रान्ट बंद करना। इसी प्रकार जब यहां के कालेज के संबंध में कोई स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, यद्यपि उसके लिये शोर भी मचा परन्तु जो लोग इस बात के लिए इच्छुक थे कि विद्यार्थी आज जिस दशा में हैं उससे निकलकर ठीक रास्ते पर आवें उनको प्रसन्नता हुई। यहां एक बड़े सिद्धांत पर आघात अवश्य हो रहा है। सरकारी हस्तक्षेप शिक्षा संस्थाओं में कम से कम और अगर हो सके तो बिल्कुल ही न हो। मैं इस सम्बन्ध में आश्रम आदर्शों का मानने वाला हूं और मैंने प्रारम्भ से लेकर अब तक इन्हीं आदर्शों पर वर्क किया है। शिक्षा संस्थायें जब तक आश्रम के आदर्शों पर न चलकर पैसे के आदर्श पर चलेंगी तब तक सरकारी हस्तक्षेप की पूरी सम्भावना रहेगी। सरकार के हस्तक्षेप वाली नीति के अनुसार जो शिक्षक कार्य करेगा वह परतंत्र होगा और उसका मस्तिष्क उसी प्रकार का होगा। वह पैसे से बिक सकता है। शिक्षक का मस्तिष्क पैसे से और सरकार से स्वतंत्र होना चाहिये। इस समय ऐसी परिस्थिति आ गई है जिसकी वजह से विरोध करने वाले भी समर्थन करते हैं। बहुत दिन से सेकेंडरी असोसियेशन की मांग रही है कि सभी शिक्षा संस्थाओं को नेशनलाइज होना चाहिये। अगर सभी शिक्षा संस्थायें सरकार के अन्दर चली जायेंगी तो शिक्षक स्वतंत्र नहीं रहेगा। वह अपने मस्तिष्क को बेचकर काम करेगा और जैसा सरकार चाहेगी वैसा वह काम करेगा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जमाना था तो उस वक्त शिक्षक को वही करना पड़ता था जैसा वह चाहती थी। जो शिक्षक ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगाने में लगे थे वे चुपके-चुपके काम करते थे। ऐसा न हो कि सरकार का आधिपत्य इतना बढ़ जाय कि शिक्षक को मस्तिष्क बेचना पड़े, अगर ऐसा होगा तो तमाम शिक्षक नष्ट हो जायेंगे। इस समय सरकार के सामने दो रास्ते हैं या वह अव्यवस्था को अच्छी तरह से बढ़ने दे या उस लांछन को लेकर आगे आये और उनको दूर करने की कोशिश करे। मैं आप के द्वारा अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का ध्यान न तापूर्वक एक विशेष बात की ओर दिलाना चाहता हूं। उसको बतलाने के बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। वह बात यह है जो आज हमारी दशा है वह केवल यूनिवर्सिटी की वजह से नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आकर सबसे पहले काम यह किया कि शिक्षा की दशा को बिगाड़ा। जिस देश की शिक्षा बिगड़ जायेगी उस देश का भविष्य अंधेरे की ओर चला जायेगा। उन्होंने यह काम किया कि सेकेंडरी एजूकेशन को अपने हाथ में लिया। जब फिर जरूरत पड़ी तो यूनिवर्सिटी को छू लिया। शिक्षा को इस तरह से अंग-भंग कर दिया जैसे किसी रोगी को अच्छा करने के लिये उसके अंग का विच्छेद कर दिया जाता है। मैं उनको बतलाऊंगा प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और यूनीवर्सिटीज़ एजूकेशन बना करके तमाम शिक्षा के शरीर को काटकर विभाजित किया है। इन बातों की ओर आपका ध्यान यहां भी और बाहर भी आर्कषित कर दिया जा चुका है, आप विस्तृत रूप से देखेंगे तो आप को मालूम होगा कि शिक्षा के सारे विभागों की दशा भयानक हो गई है। इसलिये एक कमेटी हो और वह इस पर विचार करे। इस भवन में मैं दूसरी बार अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। वह ऐसा करें कि शिक्षा के सभी अंगों पर विचार करके उनकी खराबियों को दूर करें।

चेयरमैन—सदन की बैठक २ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(सदन की बैठक १ बजे अवकाश के लिये स्थगित हो गयी और २ बजे चेयरमैन के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

*डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप (स्नातक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय चेयरमैन साहब, चूंकि मेरी तबियत खराब थी इसलिये मैं नहीं चाहता था कि इस पर कुछ बोलूं मगर चूंकि कुछ तकरीरें ऐसी हुई जिससे मैं समझता हूं कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं अपने मिनिस्टर साहब को यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि मेरा हरगिज यह मंशा नहीं है कि किसी की नियत पर हमला करूं और न मैं आगरा यूनीवर्सिटी से ज्यादा इन्टरेस्टेड ही हूं। मैंने तकरीरें सुनी। मुझे एक अफसोस जरूर हुआ कि तकरीरों में कुछ ऐसे पर्सनल हमले हुये जो कि इस हाउस में कम से कम नहीं होने चाहिये थे। यह बिल तो एक छोटा सा बिल है और उसकी निस्बत तमाम बातें कहने की जरूरत भी नहीं थी। मिनिस्टर साहब ने एक दुखभरी तकरीर की और मैं समझता हूं कि कोई ऐसा दिल न होगा जिसमें दर्द न उठा हो और कौन सी आंख होगी जिसमें नमी न आ गई हो, मगर मैं समझता हूं कि मिनिस्टर साहब की तकरीर जो है वह एक तरफा मामलात पर मुबनी करती है। मुझे कुछ मामलात मालूम हैं लेकिन मैं उनका जिक्र करना नहीं चाहता। यह ठीक है कि आगरा यूनीवर्सिटी क्या तमाम यूनीवर्सिटीज में रिफार्म्स की जरूरत है। और जहां तक रिफार्म्स का ताल्लुक है जैसा कि और लोगों ने कहा है मैं भी रिफार्म्स चाहता हूं। मगर मेरा यह ख्याल है कि आगरा यूनीवर्सिटी में जो बातें की गई वह कम से कम मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि वह सब सही हुई हैं। अगर आगरा यूनीवर्सिटी की बाबत कुछ मालूमात गवर्नमेंट के पास थीं तो गवर्नमेंट का सबसे पहिला स्टेप जो होना चाहिये था वह यह होना चाहिये था कि चार्जेज लगाकर यूनीवर्सिटी के पास भेजते और उसके बाद कोई और कार्यवाही करते।

मसलन कहा गया कि किसी ऐक्जामिनर को १४ हजार रुपया बतौर रिनुमरेशन दिया गया। जहां तक मेरी मालूमात है आज तक कोई ऐसा वाकया नहीं आया है।

श्री हर गोविन्द सिंह—जी हां, आगरा यूनीवर्सिटी ने अपने एक ऐक्जामिनर को १४ हजार रुपये रिनुमरेशन के बतौर दिये हैं।

डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप—यह कभी नहीं हो सकता।

श्री हर गोविन्द सिंह—आइ बेग योर पार्डन। १४ हजार नहीं बल्कि १३, ५९९ है। नाम भी लिखा है कि किस को दिया गया है अगर आप कहें तो उसको दे दूंगा।

डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप—मेरे इल्म में यह कभी नहीं आया है। इसका ज्यादा से ज्यादा रिकार्ड जो है वह ५ हजार है। मगर मेरा जहां तक ख्याल है १४ हजार किसी को नहीं मिला है इसमें कोई मिसअन्डरस्टैन्डिग हो सकती है। मेरे दोस्त आजाद साहब ने कानपुर का खास तौर से जिक्र किया है। मुझे नहीं मालूम कि उनका किससे मतलब है। मैं वहां के ग्रेजुएट की तरफ से यूनिवर्सिटी का मेम्बर भी नहीं रहा। मैं तो कानपुर डी०ए० बी० कालेज का प्रेसीडेंट रहा। मैं नहीं समझता कि कैसे उन्होंने यह बात कह दी। बहरहाल मैं आजाद साहब को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने हिम्मत दिखलाई। उन्होंने बहुत सी लानतें दी हैं। मैं समझता हूं कि वे लानतें नहीं दे सकते हैं। कम से कम मैं यह समझता हूं कि आज तक किसी ने ऐसी लानतें नहीं दी हैं और न किसी की हिम्मत ही हुई है। उन्होंने मुझसे एक लिस्ट के बारे में कहा। मेरे पास कोई लिस्ट नहीं आई है। उन्होंने हमारे कानपुर के लिये बहुत कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की आगरा यूनीवर्सिटी में मेजारिटी है। लेकिन कानपुर से ग्रेजुएट कान्स्टीटुएंसी से आगरा यूनीवर्सिटी के लिये सिर्फ ५ या ६ आदमी चुने जाते हैं। इन बातों को देखते हुये मिनिस्टर साहब गौर करें और एकतरफा इत्तिला पर फैसला न करें। मगर मैं जानता हूं कि आगरा यूनीवर्सिटी में बहुत से ईविल हैं परन्तु वह सभी यूनीवर्सिटयों में है और उनको

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[डाक्टर व्रजेन्द्र स्वरूप]

निकालना गवर्नमेंट का फर्ज है। अब गवर्नमेंट जाग उठी है। लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया है उससे वह किसी तरह से ठीक नहीं हो सकता। मैं भी एक लौयर हूं और लौयर की हैसियत से गवर्नमेंट को आगाह करना चाहता हूं कि जो स्टेप आपने लिया है वह ठीक नहीं है। आपने जो आर्डिनेंस निकाला है वह अनवारेन्टेड है और वह इसलिये कहता हूं कि मैंने आज तक कोई ऐसी मिसाल नहीं देखी है जिसमें किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटियों के मुतालिक इस तरह का आर्डिनेंस निकाला हो। मैं समझता हूं कि यह पहिला स्टेप है। जैसा कि मेरे कई दोस्तों ने भी बताया है कि यह आर्डिनेंस अनवारेन्टेड है, आर्डिनेन्स उस सब्जेक्ट मैटर के लिये निकाला जाता है जिस पर कि स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेशन करने का अख्तियार एकदम न रखता हो। पहला सवाल जो मेरे सामने आया है वह यह है कि मैं कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज नहीं करना चाहता हूं, मगर मैं गवर्नमेन्ट के इल्म में यह जरूर लाना चाहता हूं कि वह जो स्टेप ले रहो है वह क्वेस्चेनेबिल है, इसलिये मैं समझता हूं कि मैं अपनी राय का इज़हार कर दूं, बाकी मिनिस्टर साहब को अख्तियार है कि वह इस पर विचार करें कि यह कहां तक सही है। जहां तक आगरा यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है उसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों के सामने कह देना चाहता हूं। आगरा यूनिवर्सिटी सन् १९२६ ई० में स्थापित हुई। यह इस गर्ज से स्थापित की गई थी कि जो कालेजेज मध्य प्रदेश और ग्वालियर वगैरह में थे उनको सुभीता मिल सके और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को भी कुछ रिलीफ मिल सके। उसकी जिम्मेदारी को कम करने के लिये यह यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। अजमेर, भोपाल, मध्य प्रदेश, विन्ध्याचल और यू०पी० इन पांच स्टेट्स के कालेजों के लिये। यह यूनिवर्सिटी अजमेर, भोपाल और विन्ध्याचल स्टेट में प्राविन्शियल सरकार को अख्तियार नहीं दिया गया है, वहां पर यूनियन को अख्तियार है। जहां तक इन स्टेट का ताल्लुक है इसमें कोई शुबहा नहीं है।

While the Union Government has power to make laws for the whole or any part of the territory of India, the legislature of a state may make laws only for the state there of.

The power of a state would confine to the territory of the State.

जनाबवाला, मैं आपकी इजाजत से आर्टिकल २४५ पढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब इस पर गौर करें। इससे वह यह न समझें कि मेरा मतलब ख्वामख्वाह उनके काम में रुकावट डालना है। मैं कानून में कोई रुकावट नहीं डालना चाहता हूं। अब मैं मिनिस्टर साहब का ध्यान आर्टिकल २४५ की तरफ दिलाना चाहता हूं।

245. Subject to the provisions of this Constitution, Parliament may make laws for the whole or any part of the territory of India, and the legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State.

No law made by Parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operations.

साफ तौर पर उसका मंशा यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर को इसमें कोई हक नहीं है। तो म समझता हूं कि इसमें कोई शुबहा नहीं है कि इस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव पावर है, वह जो भी टैरीटरी इस स्टेट के अन्दर है उसी के मुतालिक कानून बना सकती है। जहां तक आगरा यूनीवर्सिटी का ताल्लुक है मैं यह कह सकता हूं कि इससे उसका कोई भी भला नहीं हो सकता है। जो चीज स्टेट के बाहर हो उसके मुतालिक कानून नहीं बना सकती है। जिस लिहाज से आप आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट ला रहे हैं या उसमें सप्लीमेंटरी पेश कर रहे हैं तो उसका असर इस स्टेट पर भी पड़ता है। इसलिये मैं बहुत अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट को अमेंड करने का तरीका इसमें नहीं है जैसा कि मैंने अर्ज कर दिया कि इसमें बहुत सी स्टेट ऐसी शामिल हैं जिसमें कानून बनाने का आपको कोई हक नहीं है।

अब मैं थोड़ा सा आर्डिनेंस के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं । यों तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया है कि स्टेट लेजिस्लेचर को किसी ला बनाने का पावर नहीं है और गवर्नर को भी यह हक हासिल नहीं है कि वह किसी स्टेट के मुताल्लिक ला बनवाये जिसके लिये उसको कोई भी अख्तियार हासिल नहीं है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसा कि आर्टिकल २४५ में लिखा हुआ है कि जब कोई ऐसी जरूरत महसूस हो सकती है जो कि वाकई इस किस्म की हो जिसमें कि इमीडियेट ऐक्शन लेना हो तो उसके लिये नार्मल कोर्स एडाप्ट करना ठीक नहीं है और वह उसके खिलाफ पड़ता है । जहां तक नार्मल कोर्स का ताल्लुक है उसके मुताल्लिक श्री राजा राम शास्त्री जी ने अपनी तकरीर के अन्दर अच्छी तरह से बयान कर दिया है और अच्छी तरह से अपने विचार जाहिर कर दिये हैं । इसलिये मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि नार्मल कोर्स में मशीनरी को आगे दिक्कत हो सकती है । आप यह तरीका उस वक्त भी अख्तियार कर सकते थे जब कि प्रेजेन्ट मशीनरी चालू थी और उसी समय इस इलेक्शन का मसला भी रखा जा सकता था । उसका नतीजा साफ तौर पर यह होता कि जैसे ही लोकल बाडीज का काम समाप्त हो जाता तो उसके साथ साथ वाइस चांसलर का भी चुनाव खत्म हो सकता था । क्या वजह थी कि यह आर्डिनेंस इस भवन के अन्दर आता और उस मशीनरी को ३ या ४ महीने के लिये और रक्खा जाता । मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि यह क्यों नहीं पहले ही ख्याल किया गया कि कब उनकी सर्विस खत्म हो रही है और उसके ठीक एक या दो रोज पहले आपके दिल में ख्याल आया कि आगरा युनिवर्सिटी को रिफार्म किया जाय । मैं समझता हूं कि कम से कम दो तीन हफ्ते पहले से पेपर में यह बात छप रही थी कि आगरा यूनिवर्सिटी के लिये यह बिल आ रहा है । मुझे तो यह मालूम होता है कि माननीय मंत्री जी को यह मालूम हुआ कि आर्डिनेंस ही लाया जाय क्योंकि बिल उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक कि कैबिनट उसको मंजूर न कर ले । मुमकिन है कोई और तरीका हो जिस वजह से यह सोचा गया कि एक आर्डिनेंस निकाल दें और आर्डिनेंस निकालने के बाद आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल जिस तरह से चाहें कर सकते हैं तो यह ठीक नहीं है । यह तरीका ठीक नहीं है और इसमें फर्क पैदा हो जाता है और इससे लोग रिड्रेस हो जाते हैं । आपने इसमें रिड्रेस करने की कोशिश की है । इस समय मौजूदा वाइस चांसलर मिस्टर महाजन थे और इसमें कोई शक नहीं कि वे इसी ग्रुप के थे मगर जिन खराबियों के खिलाफ आपको शिकायत थी और जैसा कि अभी आजाद साहब ने भी कहा है कि वे उसी ग्रुप को बिलांग करते थे । तो कम से कम क्या वे इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि वे पहले उसी ग्रुप को बिलांग करते थे और अब जरूर वे आज कांग्रेस में शामिल हो गये हैं और इस वक्त से उनका ख्याल यह हो गया है । वे गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे इसलिये कि आज वे मेजारिटी ग्रुप के हो गये हैं । आज तो मेजारिटी रूल इसी प्रकार से चलता है और आज जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वह मेजारिटी से चलती है । अगर आजाद साहब कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड के मेम्बर हैं तो वह उसकी मदद में जरूर कहेंगे । लेकिन डेमोक्रेसी का हक है और उसका तरीका है, वह यह है कि मेजारिटी जो है, वह तो कंट्रोल करेगी ही और आप मेजारिटी को माइनारिटी में रिड्यूस कर सकते हैं । मैं यह नहीं कहता हूं कि यूनीवर्सिटियों में जो खराबियां हैं वे दूर न हों मैं चाहता हूं कि वे खराबियां अवश्य दूर हो जायें लेकिन मैं यह भी चाहता हूं कि वहां प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेन्टेशन होना चाहिये जिसमें कि माइनारिटी को भी यह हक हो जाय और जो तीन मेम्बर इक्जीक्यूटिव मेम्बर्स से होते हैं उसमें भी माइनारिटी को हक हो । इस समय यू०पी० के सभी यूनीवर्सिटयों की हालत खराब है, इसमें कोई शक भी नहीं है लेकिन जहां तक माइनारिटी की लिस्ट ईश्यू होती है, उसके लिये ऐसी मेन्टेलिटी नहीं होनी चाहिये । इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमें उसकी खराबियों को दूर करना है ।

एक बात यह है कि आजाद साहब को कानपुर का ख्याल आया, आपने उसके बारे में जो कहा, पता नहीं वह कहां सुना, मालम नहीं आजाद साहब को ऐसी मालूमात

[डाक्टर व्रजेन्द्र स्वरूप]

कानपुर के बारे में कहां से हो गई। शायद सुपरसेशन की वजह से वे इस किस्म की बातें करते हों। वैसे मैं समझता हूं कि इस मौके पर आर्डिनेंस पास करने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि मामूली कोर्स में इसके लिये ऐसा नहीं करना था और यहां पर एक बिल बाद में लाया जा सकता था। और तीन चार महीने तक अब तक जैसे चलता रहा था, चलने दिया जाता और उसी पुराने ऐक्ट से काम हो जाता। यह बात जरूर थी कि पहले ५ नवम्बर को वाइसचांसलर का इलेक्शन होने वाला था तो उस में बहुत गलत फहमी मालूम होती है। वाइस चांसलर का टर्म १२ दिसम्बर को खत्म होता है तो ४ दिसम्बर तक इस के लिये हो सकता था। अमेंडमेंट बिल हो सकता था। मामूली कोर्स में यही ठीक था और इसके लिये बाद में असेम्बली बुलाई जा सकती थी और उसको वहां पर पेश कर सकते थे।

मेहरबानी करके आप इस डिपार्टमेंट को भी ऐसा न बना दें जो आर्डिनेंस से रूल किया जाय बल्कि जो कानून आप बनावें वह खाली एक यूनिवर्सिटी के लिये न हो। आज खराबियां सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में नहीं हैं बल्कि आप देखें तो तमाम यूनिवर्सिटीज में आपको मिलेंगी। मैं देखता हूं कि इस बिल में टर्म आफ प्रेजेन्ट वाइस चांसलर का जो बढ़ाया गया है ३ साल के अलावा है। मैं समझता हूं कि किसी खास शख्श के लिये यह तरमीम न होनी चाहिये थी लेकिन तरमीम जो हो वह जनरल होनी चाहिये। यह किसी खास शख्श के खिलाफ न होना चाहिये था इसका मतलब यह है कि मौजूदा जो वाइस चांसलर हैं उनको सरकार का कान्फीडेंस नहीं है और उम्मीद थी कि वह जीत जायेंगे इसलिये यह किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि मौजूदा वाइस चान्सलर में क्या खराबी थी। मैं तो यह कहता हूं कि गवर्नर को यह अधिकार था कि उसको कन्फर्म करे या न करे। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि खराबी पैदा होने का अंदेशा जो बताया गया है उस पर तो मुझे कुछ कहना नहीं है मगर मैं यह जरूर चाहता हूं कि आपको उनका जवाब तलब करना चाहिये था, उनको नोटिस देना चाहिये था और एक्सप्लेशन लेना चाहिये था, यह नहीं जैसा कि आपने आर्डिनेंस पास कर दिया। या आपने कह दिया कि यह मामला कन्फीडेंशल है आपको मैदान में ओपेनली आना चाहिये था, आपको इन्क्वायरी बिठानी चाहिये थी। अब मैं थोड़ा सा कमेटी के मुताल्लिक कहना चाहता हूं कि सन् ३८ में जो कमेटी बिठाई गई थी उसको बैठे १२ साल हो गये लेकिन अभी हाल ही में राधा कृष्णन कमेटी बैठी थी और उसकी सिफारिशें मौजूद हैं। वह एक एक्सपर्ट कमेटी थी, उसने पूरी तरह से यूनीवर्सिटी की जांच की थी लेकिन उस पर कुछ नहीं किया गया। जहां तक अटोनामी की बात कही गई तो मैं यह समझता हूं कि इसका मतलब जैसा सरकार चाहती है वैसा लगा लेती है। इसी तरह से डेमोक्रेसी के माने आप जैसा चाहते हैं वैसा लगा लेते हैं। मैं तो यह कहता हूं कि यह ठीक है कि बेजा ऐडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चलने देना चाहिये लेकिन मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट इस बात को महसूस करेगी कि जहां तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है वह एक आटोनामस बाडी है। और कहीं भी ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी अफेयर्स से गवर्नमेंट इन्टरफियर करती हो। इन चंद अल्फाज के साथ मिनिस्टर साहब की खिदमत में यह अर्ज करूंगा कि मेहरबानी करके आप एक तरफ की बातें सुन कर कुछ न कीजिये बल्कि आप दूसरे फरीक को भी जवाब देने का मौका दीजिये और जो स्पेसिफिक इन्स्टैन्सेज आप ने जाहिर किये हैं, जो मौजूदा तरीका बोर्ड आफ इक्जामिनर्स का है, किस तरीके से नम्बर बढ़ाये गये मुझे नहीं मालूम है, यह तो आप यूनीवर्सिटी के वाइस चांसलर से पूछ सकते हैं। जितने मामले हैं इक्जीक्यूटिव कौंसिल में आते हैं, वाइस चांसलर को मालूम होना चाहिये। अगर वाइस चांसलर भी उसी पार्टी के थे तो उन के खिलाफ आपने क्या ऐक्शन लिया। मैं वाइस चांसलर का टर्म बढ़ाने के खिलाफ नहीं हूं, मैं वाइस चांसलर की जात पर हमला नहीं करता, ए० बी० सी० कोई भी वाइस चांसलर हो। मैं सिर्फ चाहता यह हूं कि नार्मल कोर्स इस्तेमाल किया जाये। मेरा ख्याल है कि रिसीवर मुकर्रर करने का इरादा था और चांसलर ने भी कहा था, मगर हमने उसको पसंद नहीं किया।

श्री हर गोविन्द सिंह--आपने क्या कहा, क्या आप से चांसलर ने निमीवर मुकर्रर करने को कहा था।

डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप--मुझसे नहीं कहा। उनसे कहा जिसकी तरफ गालिबन इशारा आजाद साहब ने किया है।

चेयरमैन--You should not mention the chancellor.

डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप--I withdraw my words.

***श्री प्रभु नारायण सिंह** (स्थानीय संस्थायें निर्वाचित क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, आगरा यूनिवर्सिटी बिल जो इस सदन के सामने प्रस्तुत है वह एक आर्डिनन्स के बाद हमारे सामने मौजूद है। इस बिल में उद्देश्य और कारणों को बतलाते हुये यह कहा गया है कि इस ऐक्ट को बनाने की जरूरत इसलिये पड़ी कि आगरा यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन में पिछले कई वरसों से खराबी दिखलायी पड़ रही है। ऐडमिनिस्ट्रेशन की कठिनाई पर बोलते हुये मिनिस्टर साहब ने यह जाहिर किया कि उस कठिनाई को समझते हुये भी २६ तारीख को आर्डिनेंस के रूप में इलेक्शन को रोकने की जरूरत पड़ी। पहली शिकायत तो हमारी सरकार से बराबर यह रही है और आज भी यह शिकायत है कि सरकार अक्सर सोया करती है। उसको जब इलहाम होता है तब किसी कार्य को करने की सोचती है और ऐसा ही इस बिल के सिलसिले में मालूम होता है। जहां तक आर्डिनेंस का सवाल है अध्यक्ष महोदय, आर्डिनेंस उस समय जारी किया जाना चाहिये जब किसी कम्युनिटी का जीवन खतरे में हो और कम्युनिटी को चलाने में कठिनाई हो। जिस तरह से आर्डिनेंस का इस्तेमाल किया गया और आर्डिनेंस के खिलाफ जो हमारी भावना थी उसको ध्यान में रखते हुये मैं समझता हूं कि आर्डिनेंस बनाने का जो अधिकार है उसका दुरुपयोग किया गया है। अध्यक्ष महोदय डेमोक्रेटिक कनवेन्शन चाहे किसी तरह से बने लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो पार्टी पावर में होती है उसके ऊपर होती है। इस हालत में जब हम इस बात को देखते हैं कि आज जिन लोगों के हाथ में सरकार है जब कि दुनियां के सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में आर्डिनेंस का यह तरीका नहीं रहा है तो हमारे यहां जो डेमोक्रेसी बनाने वाले लोग हैं, जिन्होंने कि हमेशा आर्डिनेंस के खिलाफ लड़ाई की वे अपने मुल्क में इस ट्रेडीशन को कायम करना चाहते हैं। वे आर्डिनेंस के जरिये से अपना काम चलाना चाहते हैं। मैं ऐसा सोचता हूं कि सरकारी पक्ष में दो ऐसे सदस्य थे जो आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में बहुत जानकारी रखते थे। उनके तजुर्बात वहां के संबंध में बहुत थे। उन्होंने उन बातों को मंत्री महोदय के सामने रखा होगा। आज ही नहीं रखा होगा पहले भी रखा होगा इसके बावजूद भी बिल कि शक्ल में यह बात न आकर आर्डिनेंस की शक्ल में आयी जब ऐडजार्नमेंट मोशन आया तो उस समय हाउस सेशन में था। कांस्टीट्यूशन में लिखा है कि जब असेम्बली और कौंसिल सेशन में हो तो आर्डिनेंस प्रोमलगेट नहीं किया जाता है लेकिन ऐसा किया गया। मैं तो समझता हूं कि कोई भी हाउस यदि उस समय सेशन में हो तो उस हालत में उस हाउस का कन्फीडेन्स आर्डिनेंस जारी करने के संबंध में लेना चाहिये था।

श्री हर गोविन्द सिंह--आर्डिनेंस पहली तारीख को ईश्यू हुआ और आप तीन तारीख को आये।

***श्री प्रभु नारायण सिंह**--आर्डिनेंस २६ तारीख को जारी किया गया। मुझे नहीं मालूम था लेकिन डाक्टर साहब की स्पीच को सुना तो मालूम हुआ कि आगरा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं इस हालत में अध्यक्ष महोदय, आज आर्डिनेंस के

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

[श्री प्रभु नारायण सिंह]

बाद यह बिल सदन के सामने आया और जो तकरीर माननीय मंत्री जी की हुई उसको सुनने के बाद यह मालूम हुआ कि मंत्री महोदय के पास रिपोर्ट आयी होगी और कोई सूचना होगी जिसके आधार पर उन्होंने यह बात रखी है। यदि वे बातें सही हैं तो जरूर तकलीफ की बात है। इस सिलसिले में जो बिल सदन के सामने आया है उसको पहले ही आना चाहिये था। जहां तक बिल का सवाल है और उसकी स्प्रिट का सवाल है, उससे हमारा विरोध नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ जो स्प्रिट मंत्री महोदय ने दिखाई है या सरकार ने प्रदर्शित की है अगर यही स्प्रिट कायम रखी जाय तो मैं समझता हूं कि जो आज हमें आंसू बहाने पड़ रहे हैं वे नहीं बहाने पड़ते। आज जब जनता आवाज लगाती है किसी के खिलाफ कि पार्टी के अन्दर किस तरह से टिकट दिया जाता है, किस तरह से पार्लियामेंटरी सेक्रेटरीज और डिप्टी मिनिस्टर्स के खिलाफ शिकायत होती है लेकिन इन सब बातों के बावजूद उनको मिनिस्टर्स बनाया जा रहा है। ऐसी हालत में यदि उस स्प्रिट का ध्यान रखा जाय तो हम इस बात का स्वागत करेंगे कि कम से कम आजादी मिलने के ५ वर्ष बाद नई दिशा में चलने की कोशिश हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बिल हमारे सामने है और जो स्प्रिट माननीय मंत्री जी ने दिखाई है उसका अपनी सरकार से हर क्षेत्र में पालन कराने की कोशिश करेंगे।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक इस समय हमारे सामने उपस्थित है उसकी आवश्यकता के संबंध में माननीय मंत्री की स्पीच के बाद कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। जिस रिपोर्ट का हवाला देकर आगरा यूनिवर्सिटी के संबंध में जिन वाकयात का उन्होंने इजहार किया है उसके बाद मेरे लिये जरूरी नहीं कि मैं उसके संबंध में कुछ कहूं। जो सज्जन अभी तक बोले हैं उन सब ने ही स्वीकार किया है कि आगरा यूनिवर्सिटी में बुराइयां हैं और उनको दूर करना जरूरी है। मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा है कि जैसी खराबियां और जगह हैं उसी तरह की आगरा यूनिवर्सिटी में हैं और उसके लिये जो स्टेप गवर्नमेंट ले रही है वह लेना जरूरी है। मुझे तो विशेषकर डाक्टर व्रजेन्द्र स्वरूप ने जो कानूनी आपत्ति उठाई है उसके संबंध में कुछ कहना है। सबसे पहले तो उन्होंने यह फरमाया कि यह आर्डिनेंस अनवारेन्टेड और अनप्रिसीडेन्टेड है। डाक्टर साहब बहुत ही अच्छे लौय्यर हैं और हम उनकी कद्र करते हैं लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है वह किस तरह से मुनासिब कहे जा सकते हैं। आर्डिनेंस जारी करने के लिये जो शर्त रखी गई है उन शर्तों के अनुसार यह तो कहा जा उकता है कि वह समयानुकूल नहीं है अर्थात् अनअपारचून है लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि अनवारेन्टेड और अनप्रेसीडेन्टेड है। इमर्जेंसी को देखते हुए मिनिस्टर्स की सलाह से गवर्नर आर्डिनेंस जारी करता है। यह तो कहा जा सकता है कि वह इनएप्रोप्रियेट है अर्थात् जो राय इसके संबंध में हुई वह ठीक नहीं है लेकिन इसको अनवारेन्टेड कहना ठीक नहीं है और अनप्रिसीडेन्टेड भी नहीं कहा जा सकता है। अगर इमर्जेंसी है तो फिर यह जायज ही कहा जायगा। हां यह हो सकता है कि शायद डाक्टर साहब का यह मंशा रहा हो कि यह आर्डिनेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंध में रखता है इसलिये अनप्रिसीडेन्टेड है। जहां तक मुझे मालूम है अभी तक कोई आर्डिनेंस एजूकेशन के संबंध में जारी नहीं हुआ है लेकिन उसके माने यह नहीं हैं कि अगर आज तक मौका नहीं आया है तो आवश्यकता होने पर भी आर्डिनेंस जारी नहीं किये जावें। आज तक कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिये वह नहीं किया गया और आज जरूरत पड़ी तो आर्डिनेंस निकाला गया तो वह अनवारेन्टेड और अनप्रेसीडेन्टेड नहीं कहा जा सकता। आर्डिनेंस के लिये जो जरूरत है वह यह है कि इमर्जेंसी हो, लेजिस्लेचर का सेशन न हो और अगर गवर्नमेंट यह समझती है कि ऐसी कोई इमर्जेंसी है अर्थात् किसी काम की निहायत जरूरत है तो आर्डिनेंस निकाला ही जा सकता है। मेरी समझ में नहीं आता कि आर्डिनेंस के शब्द को क्यों इतना बुरा समझा जाता है, आर्डिनेंस तो उस स्थिति में लगाया जाता है जब लेजिस्लेचर

का सेशन न हो और गवर्नर को सैटिसफैक्शन हो कि किसी काम को करने की तुरन्त ही जरूरत है। इसको इन शब्दों में कहा गया है।

"Whereas the Governor is satisfied that circumstances exist making it necessary to promulgate the Agra University Ordinance for purposes as hereinafter appearing." जब ऐसी स्थिति उपस्थित हो कि लेजिस्लेचर का सेशन न हो और गवर्नर यह निश्चित करे कि सरकमस्टांसेज ऐसे हैं कि आर्डिनेंस निकाला जाये तो यह निकाला जा सकता है। इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है। यह कहना कि यह अनवारेंटेड है गलत चीज है। यह कहा गया है कि यह मौका नहीं था कि आर्डिनेंस निकाला जाये तो मिनिस्टर साहब ने साफ तौर से बतलाया है कि जब मालूम हुआ कि ५ नवम्बर को मीटिंग हो रही है जिसमें कि चुनाव होने वाला था तो इसके सिवाय क्या चारा था। क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते और जब अमेंडिंग बिल पास होता तब उसके ऊपर कुछ कार्यवाही करते। गवर्नमेंट ने यह मुनासिब समझा कि इलेक्शन रोक दिया जाये और तब अमेंडिंग बिल लाया जावे। इसके अन्दर कौन सी ऐसी चीज है जो आबजेक्शनेबुल है। कहा जाता है कि आर्डिनेन्सेज जारी करना अनडेमाक्रेटिक है। डेमाक्रेसी के अन्दर यह चीज साफ तौर से आजाती है कि जरूरत के लिहाज से अगर लेजिस्लेचर का सेशन न हो रहा हो तो आर्डिनेंस लागू किया जा सकता है। अगर गवर्नमेंट इसको न करती तो वह अपनी ड्यूटी को अन्जाम न देती अपने फरायज को ठीक प्रकार से अन्जाम न देती। अगर गवर्नमेंट ने आर्डिनेंस जारी न किया होता और बाद को कार्यवाही करती तो यह ऐतराज किया जाता कि गवर्नमेंट ने अपने फर्ज को अन्जाम ठीक से नहीं दिया है। अगर इलेक्शन होने के बाद कोई ऐक्शन लिया जाता तो यह ऐतराज किया जाता कि पहिले से ऐक्शन क्यों नहीं लिया गया। ऐतराज करने वाले तो हर तरह से ऐतराज करते हैं। तो इसलिये गर्नमेंट ने अपने ख्याल के बमुजिब जो चीज ठीक समझी उसके लिये उन्होंने आर्डिनेन्स निकालने का फैसला किया। गवर्नर साहब हमारे एक बहुत ही माने हुये वकील हैं और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि गवर्नर इससे सैटिसफाइड है।

चेयरमैन—गवर्नर पर यहां डिस्कशन नहीं होता है।

श्री ज्योति प्रसाद गुप्त—जहां तक इस आर्डिनेंस का ताल्लुक है वह अनवारेन्टेड नहीं कहा जा सकता और न अनडेमोक्रेटिक ही कहा जा सकता है। ऐतराज का जहां तक सवाल है वह तो हर जगह उठ सकता है।

दूसरी बात जो मेरे काबिल दोस्त डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप ने कही वह यह कही कि इस स्टेट लेजिस्लेचर को यह अख्तियार नहीं है कि वह आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर कोई संशोधन करने के लिये कानूनी कार्यवाही कर सके। उसके लिये उन्होंने यह आर्ग्यूमेंट दिया है कि क्योंकि आगरा यूनीवर्सिटी के अन्दर इस स्टेट के अलावा और भी जगह के कालेजेज शामिल हैं इसलिये कोई टेरिटोरियल जूरिसडिक्शन इस लेजिस्लेचर को नहीं है कि वह इस तरह का कानून बना सके। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने उनसे यह बात सुनी। मैंने आगरा युनिर्वासिटी ऐक्ट को शुरू से आखिर तक पढ़ा इस गरज के लिये क्योंकि पहले भी इस तरह का एक आर्टिकिल पेपर में निकला है। मुझे इस ऐक्ट के अन्दर एक भी ऐसा सेक्शन नहीं मिला जिसमें टेरिटोरियल जूरिसडिक्सन का तजकिरा हो। किसी भी सेक्शन में किसी दूसरी स्टेट का जिक्र नहीं है। सिर्फ शुरू में जब यह ऐक्ट सन् १९२६ में बना था जो उसका प्रिएम्बुल है उसमें तथा आबजेक्ट और रीजन्स में खासतौर से कहा गया है कि यह ऐक्ट इसलिये बनाया जा रहा है कि चूंकि इलाहाबाद यूनीवर्सिटी पर काफी बोझ है इसलिये उसको हल्का करना। उसमें कहा गया है कि इलाहाबाद तो रेजीडेन्शियल यूनिवर्सिटी है इसलिये यह आगरा यूनीवर्सिटी रेजीडेन्शियल

[श्री ज्योति प्रसाद गुप्त]

नहीं होगी और उसके साथ असोशियेटिड कालेजेज होंगे। उनको लेकर यह यूनीवर्सिटी बनायी जा रही है। चुनांचे साफ़ तौर से लिखा है।

"Its object was to set the authority of the Allahabad University free to act as a unitary, teaching and residential University by releasing it of the responsibility of controlling the quality and character of the teaching given in to name by the associated colleges and placing such a responsibility upon the affiliated University at Agra."

सब कानूनों के अन्दर टेरीटोरियल जूरिसडिक्शन निर्धारित होता है। उसमें लिखा हुआ है "The Act shall apply to the whole of the United Provinces or Uttar Pradesh" अथवा जिस भाग पर उसे लागू करना हो वह लिखा होता है। लेकिन इस आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट के अन्दर कोई टेरीटोरियल जूरिसडिक्शन लिखा नहीं है। हां यह है कि जो असोशियेटिड कालेजेज हैं उनका एफ़िलियेशन इस यूनीवर्सिटी के साथ होगा। आप शुरु से आख़िर तक ऐक्ट को पढ़ जाइये किसी भी जगह पर आप को राजस्थान, मध्यप्रदेश, विन्ध्य प्रदेश और भूपाल जहां के कालेज उसके साथ असोशियेटिड हैं कहीं भी उनका नाम नहीं मिलेगा कोई राइट किसी गवर्नमेंट को इस ऐक्ट के अन्दर किसी नामिनेशन या रिप्रेज़ेन्टेशन का नहीं दिया गया है। केवल एक जगह पर एज मैनेजर आफ़ इन्स्टीट्यूशन के रूप में यह अधिकार दिया हुआ है। ऐसी सूरत में यह कहना कि इस लेजिस्लेचर को अख़्तियार नहीं है कि वह इसमें अमेन्डमेन्ट कर सके, मैं ठीक नहीं समझता हूं। जिस कौंसिल या लेजिस्लेचर ने इस को बनाया है वही इसके अन्दर तरमीम कर सकती है। किसी दूसरी स्टेट या लेजिस्लेचर को उससे कोई संबंध नहीं है। यह आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट सन् १९२६ ई० में पास हुआ था। इसको बने हुये काफ़ी अर्सा हो चुका है। इसके बाद इसमें सन् ३३, ३६, ४६ और दो अमेन्डमेंट सन् ४७ में हुये थे। लेकिन इस तरह का कोई ऐतराज़ आज तक किसी ने नहीं किया और न किसी को कोई ऐतराज़ करने का मौक़ा ही था। यह चीज़ साफ़ है कि जिस स्टेट ने या जिस लेजिस्लेचर ने कानून बनाया है वही उसमें तरमीम भी कर सकती है। इस पर तो कोई ऐतराज़ ही नहीं हो सकता है। डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप ने संविधान की धारा २४५ को भी पढ़ कर सुनाया मैं समझता हूं कि उस क्लाज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहां पर लिस्ट दो जो है उस में तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है कि इस क़िस्म का सवाल उठ सके। मैं समझता हूं कि उनको इस क़िस्म का कोई हवाला देने की जरूरत ही नहीं थी। अमेंडमेंट के संबंध में जो कुछ कहा गया उसके लिये मैं कह चुका हूं कि यह शब्द किसी तरह से भी ऐप्लायी नहीं करते हैं। आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट में कहीं पर भी किसी स्टेट को किसी क़िस्म का कोई राइट नहीं दिया गया है। हां अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो यूनी-वर्सिटी से इक्सप्लेनेशन मांग सकती है। उनको उचित हिदायत दे सकती है ऐसा प्रावीज़न ऐक्ट में है जो किसी दूसरी स्टेट को नहीं दिया गया है। आर्डिनेन्स का जहां तक ताल्लुक़ है उसके संबंध में कोई बहस करना मैं समझता हूं केवल वक्त खराब करना है। मेरा ख्याल है कि आर्डिनेन्स के बारे में हमारे काफ़ी भाई बोल चुके हैं अब उसमें ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

*श्री कन्हैया लाल गुप्त (अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत बिल के बारे में आज सुबह से काफ़ी इस सदन के सामने कहा जा चुका है और इसके औचित्य और अनौचित्य के बारे में भी काफी प्रकाश डाला जा चुका है। मुझे इस संबंध में निवेदन करते हुये पहली बात जो कहनी है वह यह है कि आज मुझे बहुत खुशी है माननीय मंत्री जी के उस भाषण पर, जो कि इस सदन के अन्दर आज सुनने को मिला है। पिछले महीनों में बहुत दफ़ा शिक्षा के बारे में प्रश्नों के उत्तर में या अन्य प्रकार से हम माननीय मंत्री जी के मुख से

*सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

बहुत सी बातें शिक्षा प्रणाली के बारे में सुनते रहे हैं और मुझे यह मंजूर करना पड़ता है कि अधिकतर उनकी ओर से सरकार की शिक्षा प्रणाली के बारे में जो इशारा हमें मिला है वह निराशाजनक ही रहा है। परन्तु आज उनका जो भाषण हमें सुनने को मिला है, मैं कह सकता हूं कि वह बहुत ही प्रशंसनीय और अत्यन्त ही सराहनीय है। कोई भी अध्यापक इस भाषण को सुनने के बाद आज खुश हुये बिना नहीं रह सकता है और उनकी सराहना किये बगैर नहीं रह सकता है। हालांकि उसकी खुशी उस चेतावनी से खत्म हो जानी चाहिये जो कि अभी श्री गोविन्द सहाय जी ने दी है। उन्होंने बतलाया कि इस सदन के अन्दर पिछले वर्षों में जो भी मंत्री महोदय आते रहे हैं उन्होंने पहले आते ही बड़ी ही लगन के साथ सोचा और यह दिखलाया है कि वह मुहकमे के अन्दर परिवर्तन करेंगे और उसमें तरक्की करके उसे आगे ही बढ़ाने की चेष्टा करेंगे। मगर इन्हीं कारणों से वह अपने मनसूबों में कामयाब नहीं हो पाये हैं परन्तु फिर भी आज शिक्षा मंत्री के भाषण के अन्दर, स्पष्ट रूप से उनके शब्दों के मार्फ़त उनकी आत्मा की झलक दिखलाई पड़ती है और उसको देखने के बाद कोई यह नहीं कह सकता है। कोई इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं होगा कि शिक्षा को पूरी दूरी तक ले जाने के लिये कोशिश नहीं की जा रही है, यह तो उनके भाषण से स्पष्टतः झलकता है और इन बातों से हमें भरोसा है कि जो कुछ भी बुराइयां हैं उनको निकाल कर के फेंकेंगे तो यह कम मार्के की बात नहीं है। इस भाषण के लिये मैं इन्हें हार्दिक धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का संबंध है मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने के लिये दो ही तरीक़े हो सकते हैं। एक तो यह है कि इस बिल का उद्देश्य क्या है और कहां तक वह उचित है और जो तरीका उसको प्राप्त करने का सोचा जा रहा है वह कहां तक ठीक है और आया वह इन चीजों से प्राप्त भी हो सकेंगे या नहीं। दूसरे जहां तक उसकी आवश्यकता का सवाल है तो माननीय मंत्री जी ने साफ़-साफ़ अपने भाषण में बतला दिया है कि आगरा यूनीवर्सिटी की आज क्या हालत है और किस तरह से वह और यूनीवर्सिटियों के नाम को कलंकित कर रहा है। किस तरह से वहां के अध्यापक और दूसरे-दूसरे लोगों की यह दशा हो गयी है कि आज वह अपने वर्ग और अपने पद के बारे में ग़लतफ़हमी पैदा कर रहे हैं। इन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। उसके लिये स्पष्ट उदाहरण देते हुये साबित कर दिया है। मैं भी उस विश्वविद्यालय का १५ वर्ष पहले एक विद्यार्थी था। जिस समय मैंने यूनीवर्सिटी छोड़ी उस समय वहां बुराइयां इस हद तक नहीं थी परन्तु बहुत हल्के रुप में यह चीज़ उस वर्ष शुरू हो चुकी थी। पहले मैं इसलिये कह रहा हूं कि उस समय भी पेपर आउट होने की सम्भावना शुरू होने लगी थी लेकिन आज उसकी वह हालत हो गयी है कि वाक़ई वह एक पतनावस्था को पहुंच रहा है। डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप साहब यहां पर इस समय मौजूद नहीं हैं। उन्होंने अपने भाषण में यह फरमाया था कि बहुत सी बातें जो माननीय मंत्री महोदय की तरफ से कही गयी हैं, वे अतिरंजित हैं और आज़ाद साहब ने जो बातें कही हैं वे सच्चाई के माने पर ठीक-ठीक नहीं बैठेंगी। मैं आज़ाद साहब की बात के बारे में अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और सुना है। उनके आधार पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वे बातें अतिरंजित हर्गिज़ नहीं हैं और आज़ाद साहब की इस बात पर कि कोई लिस्ट निकलती है और उसके आधार पर कार्य होता है और जिसको डाक्टर साहब ने कहा था कि ग़लत है, तो मैं इस बात को जानता हूं क्योंकि मेरे कई साथी डिग्री कालेजेज़ में प्रिन्सिपल हैं और फैक्लटीज़ में भी हैं, और उन्हीं के इन्फारमेशन पर मैं कह सकता हूं कि ये बातें ठीक हैं। यह भी ठीक है कि इस तरह से लिस्टें बनती हैं और उन्हीं के आधार पर चुनाव होता है। इस तरह के दो एक अनुभव मैं स्वयं रखता हूं और अध्यक्ष महोदय, आप की अनुमति से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आजकल यूनीवर्सिटी में पी० एच० डी० की डिग्रियां रिश्वत के आधार पर मिलती हैं और आप समझ सकते हैं कि जिस यूनीवर्सिटी में पी एच० डी० की डिग्री रिश्वत के आधार पर मिलती हो, वहां की यूनीवर्सिटी सेक्या उम्मीद की जा सकती है। मैं खुद एक बात बतलाता हूं जो कि मेरे सामने घटी।

[श्री कन्हैया लाल गुप्त]

दस साल का अर्सा हुआ मैं भी कोई परीक्षा देने के लिये उस यूनीवर्सिटी में गया था, तो डिग्री कालेज के एक प्रोफेसर ने अपने किसी विद्यार्थी को अपना पर्चा आउट कर रखा था और दूसरे प्रोफेसर ने दूसरे सब्जेक्ट का पर्चा दूसरे विद्यार्थी को आउट कर रखा था। तो इस तरह से दोनों प्राफेसरों ने दोनों को अलग-अलग पूरे के पूरे पर्चे आउट कर रखे थे और उन दोनों ने विद्यार्थियों से कह दिया था कि वे किसी दूसरे कालेज के विद्यार्थियों को ये पर्चे न बतलायें। वे दोनों एक दूसरे से पूरा पर्चा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं भी वहीं एक कालेज के होस्टल में ठहरा था और मैंने देखा कि एक कालेज का विद्यार्थी उन दोनों से यह जानने के लिये कि क्या पर्चा है, बिल्कुल भिखारी के वेश में वहां वेश बदल कर आया। इस तरह से वहां के विद्यार्थी और प्रोफेसर करते थे, मैं उनका नाम यहां नहीं लूंगा लेकिन यह चीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक अध्यापक हूं और अध्यापकों में जब आज ऐसी बात होती हैं तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। माननीय डाक्टर साहब ने इसके खिलाफ़ जो बातें कही हैं कि यूनिवर्सिटी की हालत आज उस हद तक ख़राब नहीं हुई है जिस हद तक कि माननीय मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने यह भी कहा है कि ज़रूरत इस बात की थी कि गवर्नमैंट इसके लिये पहले कोई इन्क्वायरी कराती और इस तरह से इन्क्वायरी कराने के बाद सरकार के लिये खुला रास्ता था कि वह इस पर ऐसा क़दम उठाती। मगर मैं उनसे यह कहूंगा कि आज जो स्थिति है वह इतनी स्पष्ट है और जितने उदाहरण माननीय मंत्री महोदय ने दिये हैं और उसके लिये सरकार ने जो भी क़दम उठाया है वह उचित है और उसके लिये कोई भी इन्क्वायरी इस स्टेज पर की जाय, यह ठीक बात नहीं जंचती है। इस हद तक उसकी बुरी हालत हो गयी है कि वह सड़ रहा है और उसमें से बदबू आ रही है। तो इन्क्वायरी कमेटी के लिये यह कोई मौक़ा नहीं था। मिनिस्टर साहब ने जो १४ हज़ार रुपये की बात कही वे एक एक्ज़ामिनर को दिये गये थे, तो मेरे लिये उसको ग़लत समझने की कोई सम्भावना नहीं है और मिनिस्टर साहब ने ठीक ही कहा होगा। सन् ५१-५२ में उनके बजट में ४२ हज़ार रुपये की रक़म सिर्फ टी० ए० और डी० ए० में ही खर्च कर दी गयी है और वहां सिर्फ इसके लिये इतना रुपया खर्च किया जाता है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस समय इस बात को न लेकर यह कहूंगा कि स्थिति स्पष्ट है। अब सवाल यह है कि जो तरीक़ा सरकार ने अख़्तियार किया है उससे वह पूरा होगा या नहीं। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल है, यह निर्भर करेगा उस बिल पर जो बाद में सरकार लायेगी। मैं समझता हूं कि सरकार को बहुत होशियारी के साथ उस समय काम करना होगा। आटोनामी की जहां तक बात है मैं तो कहूंगा कि वह दिन अफ़सोस का दिन होगा जब यूनीवर्सिटी सरकार के इशारे पर चलेगी। लेकिन मैं यह कहता हूं कि जिस समय वह बिल बने सरकार इस बात का ध्यान रखे कि आटोनामी खतरे में न पड़ जाय और मंत्री जी इस बात का ध्यान रखें कि कंट्री का कैरेक्टर गिर गया है और वीकनेसज़ बहुत हैं और ऐसा चेक सरकार रखेगी जिससे ऐसी बात न हो जाय। जिससे आज आगरा यूनीवर्सिटी कलंकित हो रही है, वह बाकी रहे। साथ ही साथ मैं यह कहूंगा कि सरकार के सामने सन् ३८ की कमेटी, जो आचार्य नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी और राधा कृष्णन कमीशन की रिपोर्ट है वह मौजूद है। जब बिल बने तो उसमें इन सब बातों को ध्यान में रखा जायेगा।

एक बात और कही गयी कि आर्डिनेन्स जारी किया गया है वह सही है या ग़लत है, मैं इस पर कह कर के कुछ ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन मैंने जब इसको देखा और आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट को देखा और अख़बार को भी पढ़ा तो मुझे भी ऐसा प्रतीत होने लगा कि शायद इसकी लीगल पोजीशन कुछ ऐसी हो गयी है जिससे कोई क्वेश्चन उठ सकता है। लेकिन सरकार के पास लीगल एडवाइज़र्स हैं और मुझे ला का ज्ञान नहीं है इसलिये मैं उन पर छोड़ता हूं कि वे देखेंगे कि लीगल पोजीशन क्या है। लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि मनुष्य को हर समय लीगल रास्ता ही न देखना चाहिये जिससे भला होता हो उस मंशा को

भी सामने रखना चाहिये। यह एक सिद्धान्त है मनुष्य ला को तब देखता है जब वह अपने को धर्म और नैतिकता में पूरा नहीं पाता है। मैंने तो उसकी लीगल पोजीशन नहीं देखी बल्कि उसकी मंशा क्या है यह देखा है और जब मैंने माननीय मंत्री जी की स्पीच सुनी कि क्यों आर्डिनेन्स निकाला गया तो उस समय मैंने यह सोचा कि जिस मंशा से यह किया गया है वह ठीक किया गया है। हो सकता है कि ऐसा करने से सरकार के ऊपर कोई बदनामी हो और जब मैंने मंत्री जी से सुना कि अगर ऐसा न किया जाय तो यह नतीजा निकलता। इसलिये जो किया गया उसमें जनता का हित था, शिक्षा का हित था, इसलिये ऐसा किया गया। लीगैलिटी की बात ज्यादा यहां न कह कर मैं यह कहूंगा कि भविष्य में हमें देखना है और सरकार इस की तरफ ध्यान रखे। साथ ही साथ आटोनामी को जहां तक हो सके रिस्पेक्ट करने की कोशिश करें।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, एक बात जो कि मुझे आप की मार्फ़त सरकार से कहना है और जिसको मैं समझता हूं कि वह इस से ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात यह है कि अब वक्त आ गया है जब कि सरकार को साफ़ तौर से महसूस करना चाहिये कि शिक्षा को जो रोग है वह कितना व्यापक है और किस गहराई पर उसकी जड़ें पहुंच चुकी हैं। मंत्री जी ने आज तक जब बोर्ड के ऊपर अपनी अंगुली रखी और कुछ इलाहाबाद यूनीवर्सिटी और बोर्ड के बाबत उन्होंने कहा, उससे मुझको बेहद खुशी हुई। कुछ दिन पहले मैंने बातचीत के सिलसिले में एक दिन बोर्ड का ज़िक्र किया था तो मुझे सुनने को मिला था कि बोर्ड स्टैचुअरी बाडी है उसके संबंध में हम कुछ ज्यादा करना पसन्द नहीं करते। परन्तु मुझे खुशी हुई जब कि आज मंत्री जी ने कहा कि चाहे वह बोर्ड हो, इलाहाबाद यूनीवर्सिटी हो या कोई शिक्षा संस्था हो अगर उसके अन्दर बुराई घुस चुकी है तो हम उस बुराई को दूर करने के लिये हर उपाय करेंगे। लेकिन साथ ही साथ मुझे डर है कि माननीय मंत्री जी जो नए हो इस पोर्टफ़ोलियो में आये हैं शायद शिक्षा की बुराइयों को उस हद तक नहीं पहचान पाये हैं जो उसके अस्तित्व में आ गई हैं। खास तौर से मैं अपने सवाल के जवाब में जो कल दिये गये थे उनकी तरफ़ ध्यान दिलाऊंगा। मैंने सवाल किया था कि पिछले वर्षों में कितने इक्जामिनर्स ऐसे हुये हैं जो अनक्वालीफ़ाइड थे और जिन्होंने ऐप्लीकेशन तक नहीं दी थी।

चेयरमैन--बोर्ड की बात फिर कहियेगा।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--अच्छा अध्यक्ष महोदय, तो जो जवाब उन्होंने दिया था उससे मुझे लगा कि अब तक बोर्ड की बीमारी के बारे में उनको जानकारी नहीं हो पाई है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह भी इस फ़ोड़े से कम सड़ा हुआ नहीं है और शायद उसे इससे भी बड़े नस्तर की जरूरत है। उन्हें एक नस्तर उसी समय लगा देना चाहिये था लेकिन उस समय शायद वह चूक गये। खैर आगे वह इसकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करेंगे ऐसी मुझे आशा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा सरकार से यह कहूंगा कि शिक्षा का रोग इतना जबरदस्त है कि इस तरह के थीगड़े लगाने से इसका इलाज नहीं हो सकता। जब प्रायरिटी का सवाल आता है तो एज्युकेशन को बहुत पीछे ढकेल दिया जाता है।

श्री हर गोविन्द सिंह--बहुत पीछे नहीं ढकेला जाता।

श्री कन्हैया लाल गुप्त--आप अगर बहुत पीछे नहीं ढकलते तो मुझे बहुत खुशी है। लेकिन अब तक बजट के समय यही देखा जाता रहा है कि फूड प्रोडक्शन के लिये गुंजाइश है, इर्रीगेशन के लिये गुन्जाइश है लेकिन एज्युकेशन का नम्बर बहुत बाद में आता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इन चीजों को करें। लेकिन इन्सान जो है "मैन डज़ नाट लिव बाई ब्रेड एलोन" (man does not live by bread alone) मैन डज़ नाट लिव टु ईट (man does not live to eat)। जिस समय एज्युकेशन पहली या दूसरी प्रायरिटी पायेगा उस समय इस प्रांत के निवासियों का चरित्र इतना गिर चुका होगा, उस समय आप देखेंगे कि हमने किस के खाने के लिये व्यवस्था की थी। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि वह फूड पैदा करने की ओर ध्यान जरूर दें लेकिन साथ ही साथ शिक्षा को भी उचित स्थान दें।

चेयरमैन—मुझे सदन को यह खबर देना है कि आज कौंसिल को प्रोरोग (prorogue) किया जायगा इस लिये सदस्य इस बात का प्रयत्न करे कि पौने पांच बजे तक यह बिल पास हो जाये। मैं मामूली तौर से सदस्यों को इन्टरप्ट (interrupt) करना नहीं चाहता। लेकिन अब इसके बाद १५ मिनट से ज्यादा किसी सदस्य को समय न मिलेगा।

डाक्टर ईश्वरी प्रसाद—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बिल इस सदन के सामने प्रस्तुत है उस पर बहुत कुछ बाद विवाद हो चुका है। मेरे लिये सदन का समय अधिक लेना उपयुक्त नहीं है। आपने भिन्न-भिन्न सज्जनों से सुन लिया कि यूनिवर्सिटी के सुधार के लिये क्या करना आवश्यक है। सरकार का और हमारा क्या कर्त्तव्य है। मैं यूनिवर्सिटी का अध्यापक हूं परन्तु आप समझते हैं कि कभी कभी परिस्थितियां मनुष्य को मजबूर कर देती हैं कि उसको अपनी संस्थाओं के विरुद्ध भी कुछ कहना पड़ता है। जो कुछ मैंने यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के अध्यापकों के बारे में सुना उससे मेरा मस्तिष्क नीचा होता है, कोई ऐसा अध्यापक नहीं होगा जिसको इन बातों को सुन कर खेद न होगा। मुझे मंत्री जी के भाषण को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, मंत्री महोदय ने कहा कि शिक्षा संस्थाओं और आर्डिनेंस में मेल नहीं खाता साधारणतया शिक्षा संस्थाओं के बारे में आर्डिनेंस जारी नहीं किये जाते परन्तु परिस्थिति कठिन है इसलिये आर्डिनेंस का उपयोग किया गया है। दूसरी बात यह है कि यूनिवर्सिटयों को बड़ा आश्वासन मिलेगा कि सरकार को मन्तव्य किसी प्रकार से उनकी स्वतंत्रता पर प्रहार करने की नहीं है। यूनिवर्सिटियों को माननीय मंत्री जी के भाषणों को सुन कर बड़ी शंका हुई थी और तरह-तरह के विचार हो रहे थे परन्तु मैं समझता हूं कि आपने उस सभी विरोध को शांत कर दिया यह कहकर कि सरकार की इच्छा यूनिवर्सिटियों की स्वतंत्रता पर प्रहार करने की नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरा संकल्प है कि शिक्षा संस्थाओं में जहां कहीं खराबी होगी उनको दूर करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं करूंगा। आप नये शिक्षा मंत्री हैं। आप के मुख से यह बात सुनकर बहुत खुशी हुई। परमात्मा आप को साहस दे। आपको लड़ना पड़ेगा उन शक्तियों के साथ जिनको कि अंग्रेजी भाषा में वेस्टेड इन्टरेस्ट (vested interests) कहते हैं। पग-पग पर आप को कठिनाई उठानी पड़ेगी परन्तु हमें आशा है कि आप विचलित नहीं होंगे।

इस सदन में और बहुत से भाषण हुये। मुख्यतः दो पहलू हैं जिनपर गौर करना है। एक पहलू तो यह है कि आर्डिनेन्स क्यों जारी किया गया, उसकी आवश्यकता थी या नहीं, वैधानिक दृष्टि से सरकार को आर्डिनेंस जारी करना चाहिये था या नहीं, कानूनी मिसाल बहुत सी दी गयी हैं जिनके विषय में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पहलू भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार के संबंध में माननीय मंत्री जी ने आचार्य नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट पढ़कर बहुत कुछ सुनाया है जिसके दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं यह प्रार्थना करूंगा कि सदन को विशेष ध्यान देकर देखना चाहिये कि इस वक्त यूनिवर्सिटियों की क्या हालत है। होमियोपैथिक औषधि देने से काम चलेगा कि नहीं। मेरी सम्मति में स्थिति ऐसी है कि जिसमें कड़वी दवा दिये बिना काम नहीं चलेगा और न किसी प्रकार का सुधार हो सकेगा।

मेरे मित्र श्री राजा राम जी और प्रभुनारायण सिंह ने और गुरु नारायण जी ने जो आपत्ति की है वह वैधानिक आपत्ति की है। आपने यह स्वीकार किया है कि यदि यूनिवर्सिटी में ऐसा भ्रष्टाचार है तो इसको फौरन बन्द करना चाहिये और राजा राम जी ने तो यहां तक कहा कि सरकार पर भी उसका उत्तरदायित्व है। वैधानिक दृष्टि से मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि आर्डिनेंस और शिक्षा संस्थाओं में मेल नहीं खाता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में हमको ऐसा करना पड़ा है। दूसरी बात आपने कही कि अभी तक खराबियां मौजूद हैं और वह दूर क्यों नहीं की गईं, नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित हुये बहुत समय व्यतीत हुआ। अब तक कार्यवाही क्यों नहीं हो सकी। हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री सम्पूर्णानन्द जी ने बहुत प्रयत्न इस दिशा में किया था कि यूनिवर्सिटीज का

सुधार हो और उन्होंने कई बड़ी-बड़ी कमेटियां बनाई थीं। परन्तु एकाएक यूनिवर्सिटियों के मामलों में हस्तक्षेप करने की इच्छा न उनको थी और न सरकार को ही थी। यूनीवर्सिटियां विद्या के मंदिर में हैं। इनमें सरकार आवेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझती है। सरकार ने इलाहबाद यूनिवर्सिटी के लिये भी एक कमेटी बनाई है। उस का काम बराबर जारी है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा हो रही है यदि उसमें ऐसी ही खराबियां होंगी तो सर्जन का चाकू इस्तेमाल करना होगा। श्री गोविंद सहाय जी ने कहा कि एजूकेशन का स्ट्रक्चर अर्थात् रूप ही बदलना चाहिये। हमारे मंत्री जी एक कालिज में गये बहुत जोर शोर से दावत का प्रबंध हुआ और वहां के एक सज्जन ने कहा कि उनका कालेज प्रांत का सबसे बड़ा कालेज है। मंत्री महोदय ने दावत मिलने पर भी यही कहा कि आपका कालिज अनुशासन हीनता में भी सबसे बड़ा है। और यह भी कहा कि शिक्षा का सारा ढाचा बदलने की आवश्यकता है। तो काम उनका नहीं बना सारा खेल बिगड़ गया। डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप जी ने यह कहा है कि सरकार को नोटिस देना चाहिये था। सरकार इस मामले में बहुत तहकीकात कर चुकी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आगरा यूनिवर्सिटी से मेरा २५ वर्ष का संबंध है, मैं आगरा में पैदा हुआ, वहीं मैंने शिक्षा प्राप्त की और सात आठ वर्ष आगरा कालिज में अध्यापक भी रहा। मुझे भी विश्वास है की अब सुधार होना चाहिये। यह कोई नई बात नहीं है। सरकार बराबर उद्योग कर रही है। पहले नरेन्द्रदेव कमेटी नियुक्त हुई थी। उसके बाद विश्वविद्यालयों में प्रतिनिधियों की कमेटी बनी। तत्पश्चात् चांसलर महोदय की अध्यक्षता में एक वाइस चांसलरों की कमेटी नियुक्त हुई। इन सब ने विचार कर लिया है। सब इस नतीजे पर पहुंची है कि मामूली उपायों से काम न चलेगा।

विरोध इन सुझावों का कहीं से नहीं हुआ है। आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर महोदय ने कोई विज्ञप्ति नहीं निकाली है, न कार्यकारिणी का कोई विशेष अधिवेशन विरोध करने को बुलाया गया है। हमारे गण्यमान अध्यापकों ने भी इस नीति का विरोध नहीं किया है। केवल एक नगर से वकीलों ने कानूनी विवाद आरम्भ किया है।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालयों पर हमारे देश का शासन निर्भर है। अंग्रेजी में कहा जाता है—"University is the microson of the state." यूनीवर्सिटी के आदर्शों और विचारों की झलक शासन में आती है।' इसलिये सरकार का कर्तव्य है कि वह इनके दोषों का निवारण करे और ऐसी नीति निर्धारित करें जिससे इनका सुचारु रूप से शासन हो। इसमें आपत्ति करना व्यर्थ है। मुझे पूर्ण आशा है कि विचारशील विद्याप्रेमी इस कार्य में हाथ बटायेंगे और सरकार के साथ सहयोग करेंगे।

मैं निवेदन करूंगा कि सदन इस विषय पर शान्तिपूर्वक विचार करे। इस बात की आवश्यकता है कि आगरा यूनीवर्सिटी अमेंडिंग बिल शीघ्र यहां पर आये। सरकार ने बड़े विचार के साथ यह काम किया है। अगर सरकार चाहती तो अपने बहुमत के जोर से इस छोटे से बिल को ५ मिनट में पास करवा लेती। परन्तु उसने ऐसा नहीं किया है। इससे कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो रहा है केवल वाइस चांसलर का टर्म बढ़ा दिया गया है। इस चुनाव में बड़े दोष आ गये हैं। सर राधाकृष्णन् कमीशन ने लिखा है कि वाइस चांसलर का चुनाव एक prolonged intrigue for power हो गया है। उसने यह भी कहा है कि जो इस पद के लिये बहुत इच्छुक हो उसे कभी न बनाना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि सदन मंत्री जी से सहमत होगा और उन्हें इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करेगा।

श्री हर गोविन्द सिंह—श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, मैं इस भवन का बड़ा आभारी हूं कि उसने एक छोटे से विधेयक का स्वागत किया। जो थोड़ी बहुत बातें कही गईं वह केवल इस प्रश्न पर कि यह अधिनियम आगरा यूनीवर्सिटी अमेंडिंग बिल आज से बहुत पहिले आ जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में मैं थोड़ा इतिहास आपको बतला देना चाहता हूं। सन् १९३८ में जैसा मैंने कहा था कि आगरा यूनीवर्सिटी कमेटी की

[श्री हर गोविन्द सिंह]

नियुक्ति हुई। उसके बाद सन् १९४१ में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। इसके बाद सन् ४२ आया तो उस समय के लिये भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने रिपोर्ट को कार्यान्वित करने में कोई हीला हवाला दिखाया। इसके बाद सन् ४६ का इलेक्शन आया। इसके बाद एक कमेटी नियुक्त की गई जो इस बात की छानबीन करने लगी कि क्या क्या संशोधन करना चाहिये। उस बीच में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने राधाकृष्णन् कमीशन की नियुक्ति की। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सन् ४९ में दी। तो अब इन आंकड़ों के होते हुये मैं पूछूंगा कि क्या सचमुच में सरकार के ऊपर यह आक्षेप लगाया जा सकता है कि उसने जानबूझकर देरी की। जैसा अभी डाक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा कि यह कोई ऐसा बिल नहीं था जिसको जल्दी में पास कर लिया जाता। यदि आप इस रिपोर्ट को पढ़ें, समाचार-पत्रों में देखें, आज कल जो समाचार-पत्र छप रहे हैं अगर आप उनको पढ़ें तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सी नीति अपनाना ठीक होगा। एक तरफ तो यह कहा जाता है कि हमारी यूनीवर्सिटियों की हालत इतनी खराब हो गयी है कि सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये। राधाकृष्णन् कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि विश्वविद्यालयों की हालत बड़ी खराब हो गयी है, वहां एक नया क्लास पैदा हो गया है जिसका टीचर पोलिटिशियन उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। उन्होंने कहा है कि यह टीचर पोलिटिशियन इस फिक्र में रहता है कि किस प्रकार स्वयं धनोपार्जन करें और अपने मित्रों को या अपने रिश्तेदारों को दूसरी यूनीवर्सिटी में अच्छी जगह दिलायें। लेकिन जब उनके सम्मुख यह प्रश्न आया कि वाइस चान्सलर कौन हो उसकी नियुक्ति का अधिकार चान्सलर को दिया जाय कि जिसे वह चाहे नियुक्त कर दे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम इसको नहीं मानते इसलिये कि इसमें ऐसा मालूम होता है कि वह कौंसिल आफ डिसपेयर है। हम हताश हो गये हैं और हम किसी प्रकार उनको सुधार नहीं सकते। उन्होंने कहा कि चान्सलर के पास एक वाइस चांसलर का नाम भेजा जाय और ऐसा ही सुझाव नरेन्द्र देव कमेटी ने भी दिया। सब सुझावों को देखने के बाद और उनसे कोई निष्कर्ष निकालना तथा अपनी हालत को उससे मिलान करना और फिर उससे रास्ता निकालना यह इतनी कठिनाई है, जो आज असम्भव है। यदि भाई राजाराम जी को यह संदेह हुआ कि गवर्नमेंट इन विश्वविद्यालयों के लिये कुछ नहीं करना चाहती तो मैं समझता हूं कि उसका कोई आधार नहीं है। समय की कमी के कारण और किन्हीं और कारणों से तथा इससे दूसरे काम जो जरूरी थे जिनका निबटारा बहुत आवश्यक था इस बिल को इतना जल्दी लाना असम्भव था। मैं स्वयं बताऊं कि उन्हीं आधार पर जिनका जिक्र डाक्टर ईश्वरी प्रसाद जी ने किया है कि जो हमारे आचार्य जी के सभापतित्व में कमेटी बनी थी उन्हीं आधार पर अमेंडिंग बिल का ड्राफ्ट तैयार किया है। लेकिन अभी भी मैं नहीं कह सकता कि उसकी जो धारायें हैं वह ऐसी हैं जिस पर बड़ा मतैक्य हो सकता है। इसमें सरकार को कोई देर करने का विचार नहीं है लेकिन वह मसला इतना ऊंचा है कि उसमें एक प्रकार से निश्चय कर लेना असम्भव है। तो इस स्थिति में वह बिल नहीं आ सका। हम चाहते थे कि असेम्बली और कौंसिल को इसका अवसर दें कि वह अपने विचार इस आगरा विश्वविद्यालय के बारे में प्रकट करें। मगर कुछ दिक्कतें थीं कि वह बिल न ला सके। अगर वह लाते तो हो सकता था कि हम इस एक क्लाज़ के बिल को न लाते कि वाइस चांसलर का टर्म एक वर्ष के लिये बढ़ा दिया जाय। अगर यह आर्डिनेंस वाइस चांसलर के टर्म को बढ़ाने का न जारी किया होता तो थोड़े दिनों बाद वही स्थिति आ जाती जिसकी ओर कन्हैयालाल जी ने ध्यान आकर्षित किया है। उस रिपोर्ट में कहा गया है कि आगरा यूनीवर्सिटी में जिस रोज एक इलेक्शन खत्म होता है उसी रोज से यानी तीन वर्ष पहले से दूसरे इलेक्शन की तैयारी हो जाती है। तो आज इलेक्शन हो जाने से उसका फिर श्रीगणेश कर देना था। जिस प्रकार की गुटबन्दी होती है और जिस प्रकार इलैक्शन की तैयारी होती है आज उसका हम एक बीजारोपण कर देते। इस तरह इलेक्शन

एक वर्ष के लिए और टाल दिया गया है। तब रिपोर्ट उनको देखने के बाद कुछ न कुछ निकाल लिया जायेगा और फिर एक बिल भवन के सामने रखा जायेगा। आर्डिनेंस जारी करने की आवश्यकता इसमें दी हुई है। जहां तक लिस्ट का ताल्लुक है, मुझे अफसोस है कि आज डा० ब्रजेन्द्र स्वरूप जी ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं इस सदन का पहले भी एक सदस्य रह चुका हूं और आज भी एक हैसियत से कौंसिल में बराबर उनको देखता आया हूं। जो चीज सुन्दर होती है, ठीक होती है और उचित होती है उसका डाक्टर साहब ने हमेशा समर्थन किया है। लेकिन आज मुझे उनकी बातों को सुनकर बहुत दुख हुआ। जिस तरह से एक वकील एक कमजोर मुकदमे को ले लेता है और गलत दलीलें देता है, उसी तरह से आज डा० साहब ने इस भवन में दलीलें दीं। उनकी स्पीच का अधिकांश भाग सिर्फ इस बात के लिए था कि यह आर्डिनेंस अल्ट्रावायरस है। यू० पी० लेजिस्लेचर को कोई अधिकार नहीं है कि वह इस तरह का आर्डिनेंस लाये। मुझे अफसोस है कि वह इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं हैं। शायद उनकी तबियत ठीक नहीं है इस कारण से वह चले गये हैं। लेकिन मैं यह उचित समझता हूं कि जब कोई बात कहे तो उसका जवाब सुनने के लिये आखीर तक बैठा रहे। मैं उनको पता देना चाहता हूं कि इसमें जितनी भी कानूनी रायें हो सकती थीं वह ले ली गई हैं। इसके बाद यह निश्चय किया गया है कि यह बिल यहां पर पेश किया जाय। आर्डिनेंस की उस वक्त जरूरत रही हो या न रही हो लेकिन अब डा० साहब की स्पीच के सुनने के बाद मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं रहा है और मैं समझता हूं कि अब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसा कि उन्होंने बतलाया तो उसके अनुसार ४ या ५ महीने बाद अमेंडिंग बिल इस भवन के सामने आता और उसके बाद एक मुकदमा लड़ा जाता और इस तरह से मुकद्दमेबाजी होती तो काफी वक्त लग जाता। तब जाकर एक वाइस चांसलर की नियुक्ति होती। अगर आप का यह प्लान है तो अब उसके जरिये से वह प्लान खत्म हो जाता है। डाक्टर साहब स्वयं एक वकील हैं और वह हर बात को अच्छी तरह से समझते हैं और साथ ही साथ वह यूनीवर्सिटी की भी हालत को अच्छी तरह से जानते हैं। एक इन्क्वायरी कमेटी बैठी और उसने एक रिपोर्ट दी, उसने यह कहा कि बिल बहुत जल्द लाना चाहिये। इसके साथ ही साथ राज्यपाल महोदय ने दो आदमियों की एक कमेटी नियुक्त की कि वह सारे कालेजों में घूम कर देखे कि वहां की क्या हालत है। वह रिपोर्ट एक तो कलमेरे पास आई और एक अभी आई है। उनसे यह सिद्ध है कि यूनीवर्सिटी के बारे में जितनी बातें कही गई थीं सब सत्य हैं। यह कहना कि मैंने कोई एक तरफा बात सुनी है, यह बिलकुल गलत है। मेरे ऊपर जो कुछ भी आक्षेप लगाया जाय लेकिन यह कहना निर्मूल है। मैंने वहां ही कह दिया, जब कि मेरे एक मित्र ने कहा कि मंत्री महोदय ने जो बात सुनी है, वह एकतरफा बात सुनी है, तो मैंने उन्हें वहीं टोक दिया कि नहीं मैंने सुनने पर बात नहीं कही है और जो कुछ भी मेरी सूचना है वह मैंने आपके सम्मुख रक्खी है और वह कुल लिखित हैं और वह प्रमाणित हैं, लेकिन यह कहना कि एक तरफा बात मैंने सुनी, तो मैं ब्रजेन्द्र स्वरूप जी को विश्वास दिलाता हूं कि वह कम से कम यह न सोचें कि हम इतने नीचे स्तर पर उतर सकते हैं कि जिस विभाग का मैं मंत्री हूं उसी विभाग के लिये इतनी बातें कहूं और इस प्रकार से कहूं तो यह मेरे लिये लज्जा की बात है, सरकार के लिये लज्जा की बात है, भले ही यूनीवर्सिटी के लिये लज्जा की बात न हो और यूनीवर्सिटी के लिये तो लज्जा की बात है भी नहीं, क्योंकि वह तो मुकद्दमा करने की सोच रही है। यदि आप यह समझते हैं कि नहीं, मैं तो यूनीवर्सिटी के बारे में कुछ नहीं करना चाहता था और एकाएक एक दिन पहली तारीख को मैं उठा और मैंने सोचा कि नहीं यूनीवर्सिटी का एक आर्डिनेंस निकल जाना चाहिये, तो यह तो कोई कम्पलीमेंटरी बात नहीं है। लेकिन जो साहब इसको कहते हैं, उनके लिये भी यह कम से कम कम्पलीमेंटरी नहीं है। उनको इस बात को सोचना चाहिये कि जो आदमी एक स्थान पर नियुक्त है, चाहे काबिल हो या नाकाबिल हो, लेकिन वह अपनी जिम्मेदारी को समझता है और क्या उसको करना चाहिये, कितना उसको करना चाहिये और किस प्रकार से उसको हर तरह से अपने को

[श्री हर गोविन्द सिंह]

सैटिसफाई करना चाहिये, वह यह अच्छी तरह से जानता है और इसीलिये मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं इसमें विश्वास भी नहीं करता कि भवन से कोई बात छिपाई जाय और किसी से कोई बात छिपानी भी नहीं चाहिये, मैं डेमोक्रेसी के लिये इसको भी एक अंश समझता हूं। इसलिये मैंने बहुत साफ कहा कि जब मुझे मालूम हुआ और मुझे पहले से ही मालूम था कि १२ तारीख दिसम्बर को प्रेजेन्ट वाइस चान्सलर की टर्म खत्म होती थी और मैं यह समझता था कि अगर बिल तैयार हो जायेगा और हम दोनों भवनों से इस बिल को पहले ही पास करा लेंगे, लेकिन जब उसमें गुत्थियां दिखाई दीं जब यह देखा गया कि यह इतना सरल नहीं है और जब यह देखा गया कि हमें कम से कम इसमें लोगों की राय भी लेनी चाहिये और अगर मुमकिन हुआ तो इसको कहीं सेलेक्ट कमेटी को भी भेजना पड़े, तो यह दिखाई दिया कि यह किसी तरह से भी सम्भव नहीं है। जब एक्जीक्यूटिव कमेटी के नियम बनाये जाते हैं तो उससे पहले ही हम इस बिल को पूरा कर लें, तब हमने यह काम किया जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया है कि हमें आर्डिनेंस की शरण लेनी पड़ी।

एक बात यह कही गई कि आर्डिनेंस में यह क्यों किया गया कि प्रेजेन्ट वाइस चान्सलर की टर्म को बढ़ा दिया गया, श्री राजाराम जी ने इस पर आपत्ति की। मैं इसमें भी कोई बात छिपाना नहीं चाहता। प्रेजेन्ट वाइस चांसलर जो हैं वह ३ वर्ष वाइस चांसलर रह चुके हैं और एक वर्ष और रहेंगे या तब तक रहेंगे जब तक कि बिल पूरा नहीं हो जाता, तो इस बिल का विरोध उन के लिये किसी प्रकार भी लाभकर नहीं है, कोई उनका स्थिर स्वार्थ नहीं हो सकता कि यूनीवर्सिटी में जो संशोधन आये, उसका विरोध करें। क्योंकि ३ वर्ष हो चुके और थोड़े दिन के लिये, जब तक कि बिल नहीं बन जाता तब तक यह और रहते हैं, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर कोई और वाइस चांसलर बना दिया जाय तो वह बिल के पास होने पर ही हो सकता है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि नरेन्द्र देव कमेटी की रिपोर्ट निकल जाने के बाद ही यह किन्हीं कारणों से नहीं हो सका कि उस यूनीवर्सिटी के क्षेत्र में लोगों ने यह महसूस किया हो कि हम अभी तक गलत रास्ते पर थे, हम भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देते थे और इसलिये हमको अपना काम ठीक करना चाहिये। बल्कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और बड़ा भारी प्रोटेस्ट किया। तो इस तरह से जो स्थिति पैदा हो सकती थी और तीन, चार महीने बाद जो यहां आपत्ति होती, उसके लिये हमने यही ठीक समझा कि आर्डिनस द्वारा उसके टर्म को एक वर्ष के लिये या उतने समय तक के लिये जब तक कि यहां बिल पास न हो, बढ़ा दिया जाय। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जैसा कि श्री राजाराम जी ने कहा कि उनको यह पहले नहीं मालूम था और वह कांग्रेस में होते तो शायद ऐसा हो सकता था। मगर जैसा कहा गया है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वह समझते हैं और उन्होंने ऐसा कह दिया और जैसा कि मैंने आपको बतलाया उस वक्त छोटा सा कारण यही था, जिससे कि इसको करना पड़ा। मुझे यह सन्तोष है कि किसी यूनीवर्सिटी ने इस बिल का विरोध नहीं किया और कहीं दूसरी जगह से भी इसका विरोध नहीं किया गया है। आप समाचारपत्रों में देखिये और जिन्होंने देखा है उनको यह बात मालूम है। मैं पहले इस बात को नहीं जानता था कि लेकिन आगरा यूनी-वर्सिटी के सम्बन्ध में जब मुझे बहुत से कागज़ात पढ़ने को मिले, तो मैंने उनके दस्तखतों से देख लिया और समझ लिया कि इसमें उनका कितना स्वार्थ है और इसीलिये वे इस चीज का विरोध कर रहे हैं। उसमें कुछ लोगों के बेनिफिट और स्वार्थ की बात थी लेकिन मुझे इस बात का सन्तोष हुआ कि एज्यूकेटेड क्लास की तरफ से इस चीज का विरोध नहीं किया गया और यूनीवर्सिटी और छात्रों ने इसका समर्थन किया। इन सब बातों को कहते हुये अन्त में मैं यह समझता हूं और आशा करता हूं कि भवन इस बिल का स्वागत करेगा और इसको अधिनियम बना देगा।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

चेयरमैन—हमारी कौंसिल की यह प्रथा रही है कि जब किसी संशोधनों की सूचना नहीं होती तो तीसरी रीडिंग फौरन ले ली जाती है और विधेयक को खंड प्रति खंड सदन के सामने नहीं रखा जाता।

श्री हर गोविन्द सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सन् १९५२ ई० के आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक को पारित किया जाय।

*श्री बंशीधर शुक्ल (स्थानीय संस्थायें निर्वाचन क्षेत्र)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय लूंगा। यहां पर डाक्टर ब्रजेन्द्र स्वरूप द्वारा वैधानिक आपत्ति उपस्थित की गई है, उसके सम्बन्ध में मैं दो शब्द कह कर समाप्त कर दूंगा। उन्होंने इस भवन के समक्ष धारा २४५ संविधान का उद्धरण दिया। उन्होंने यह कहा कि हमारे स्टेट को इस सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त नहीं है। मुझे खेद है कि वे इस समय उपस्थित नहीं हैं, मैं यह भी जानता हूं कि वे बहुत तजुर्बेकार हैं और मैं उनके मुक़ाबिले में जूनियर हूं। मैं धारा २४६ पढ़ कर सुनाता हूं, उसके सब सेक्शन ३ के अनुसार यह विधेयक और आर्डिनेंस पूर्ण रूप से वैधानिक हैं। इसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं।

"(3) Subject to clauses 1 and 2 the legislature of any State, specified in Part A or B of the I Schedule, has exclusive power to make laws for such State or any part thereof with respect to any of the matters enumerated in List II in the VII Schedule in this constitution referred to as the State List."

उत्तर प्रदेश का तजकिरा पार्ट ए में है, आईटेम ११ में दिया हुआ है :—

"Education, including universities, subject to the provisions of entries 63, 64, 65 and 66 of List I and entry 25 of List III."

६३, ६४, ६५, ६६ जो दिया हुआ है उसका सम्बन्ध पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन से है। धारा ६३ में बनारस, अलीगढ़ और दिल्ली की यूनीवर्सिटी का जिक्र है, धारा ६४ में साईन्टिफिक और टैक्नीकल एजूकेशन का जिक्र है, धारा ६५ में प्रोफेशनल और टैक्नीकल ट्रेनिंग का जिक्र है और धारा ६६ में वोकेशनल इन्सटीटयूशंस का जिक्र है। लिस्ट थर्ड आईटम २५ पर वोकेशनल ट्रेनिंग का जिक्र किया गया है। इसलिये मेरी समझ में नहीं आता कि जिस प्रकार अधिकार इस भवन को नहीं है कि वह कोई कानून बना सके। इसके अलावा यह साफ है जैसे किसी की जमींदारी है और वह दूसरी तहसील में है लेकिन वह जानता है कि जहां उसका हेड आफिस है या कार्यालय है यह उसको अधिकार है कि वह कोई मुकद्दमा लड़ सकता है। इसी तरह से अन्तर्राष्ट्रीय कानून होते हैं जैसे कोई एक कम्पनी है और उसका हेड आफिस किसी एक खास जगह होता है और उसकी सब ब्रांचेज दूसरे मुल्कों में होती हैं इसी तरह है जब वे कोई चीज अपने लिये पास करते हैं तो वह सब मुल्कों के लिये लागू हो जाती है। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कालेजेज इसके नीचे हैं और वह उस ऐक्ट से गवर्न होते हैं और उन्होंने उसको मान लिया है तो फिर जो अमेन्डमेंट होगा तो उसको भी उन्हें मानना होगा। इस दृष्टिकोण से वह वैधानिक है।

---

* सदस्य ने अपना भाषण शुद्ध नहीं किया।

चेयरमैन—प्रश्न यह है कि सन् १९५२ ई० के आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक* को पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सत्रावसान

चेयरमैन—I have received the following communication from the Governor.

"In exercise of the powers conferred by sub-clause (*a*) of clause 2 of Article 174 of the Constitution, the Governor is pleased to prorogue the Uttar Pradesh Legislative Council with effect from the close of its meeting on November 6, 1952."

The Council stands prorogued.

(इस समय, ४ बजे, विधान परिषद् का सत्रावसान हो गया।)

लखनऊ,
६, नवम्बर १९५२

श्यामलाल गोविल,
सेक्रेटरी, लेजिस्लेटिव कौंसिल,
उत्तर प्रदेश।

* विधेयक के लिये देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ ३९ पर।

नत्थी "क"

आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) विधेयक १९५२

आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अनुपूरण के लिये

विधेयक

प्रस्तावना
यू० पी० अधिनियम ८, १९२६।

१२ दिसम्बर, १९४९ से प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये निर्वाचित वाइस-चांसलर के कार्यकाल को बढ़ाकर आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ का अनुपूरण करना उचित और आवश्यक है;

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रारम्भ और समाप्ति।

१—(१) यह अधिनियम आगरा यूनीवर्सिटी (अनुपूरक) अधिनियम, १९५२ कहलायगा।

(२) यह ३० अक्टूबर, १९५२ से प्रचलित माना जायगा।

(३) यह ३१ दिसम्बर, १९५३ को निष्प्रभाव हो जायगा और यू० पी० जेनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्ध इस प्रकार लागू होंगे मानो यह अधिनियम उस समय किसी उत्तर प्रदेश ऐक्ट द्वारा निरस्त (रिपील्ड) किया गया था।

यू० पी० अधिनियम ८, १९२६ की धारा ९ (२) का संशोधन।

२—आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ९ की उपधारा (२) (जिसका सम्बन्ध वाइस-चांसलर के कार्यकाल से है) १२ दिसम्बर, १९४९ से प्रारम्भ होने वाले कार्यकाल के लिये निर्वाचित वाइस-चांसलर के विषय में इस प्रकार सप्रभाव होगी मानो शब्द "shall be three years" के स्थान पर शब्द "shall continue until the 31 st day of December 1953" रख दिये गये हों।

अध्यादेश का निरसन।

३—उत्तर प्रदेश आगरा यूनीवर्सिटी अध्यादेश, १९५२ एतद् द्वारा निरस्त (रिपील) किया जाता है।

संदेह निवारण।

४—संदेह निवारण के लिये एतद् द्वारा घोषित किया जाता है कि जब तक इसके विपरीत व्यवस्था न की जाय, इस अधिनियम के समाप्त होने पर आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ की धारा ९ की उपधारा (२) इस प्रकार सप्रभाव होगी मानो वह इस अधिनियम या उक्त अध्यादेश द्वारा कभी भी अनुपूरित अथवा परिष्कृत नहीं की गई थी।

उद्देश्य और कारण

पिछले कुछ वर्षों में आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट के अधीन कार्य संचालन में कुछ कठिनाइयों का अनुभव हुआ है। इसलिये सरकार का विचार इस अधिनियम में निकट भविष्य में बहुत कुछ संशोधन करने का है। जिस अवधि के लिये वर्तमान वाइस-चांसलर का निर्वाचन हुआ था वह १२ दिसम्बर, १९५२ को समाप्त होने को है और साधारणतः अगले कार्यकाल के लिये नया निर्वाचन होना चाहिये। ऐसे समय पर जब कि मूल अधिनियम में बहुत से संशोधन करने का विचार हो, नया निर्वाचन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिये राज्यपाल ने आगरा यूनीवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ में कुछ प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिये एक अध्यादेश प्रचारित किया जिससे वाइस-चांसलर का कार्यकाल दिसम्बर, १९५३ के अन्त तक बढ़ा दिया गया। किन्तु विधान मंडल के पुनः समवेत होने से छः सप्ताह की समाप्ति पर अध्यादेश समाप्त हो जायगा। इस अधिनियम से अध्यादेश के उपबन्धों को अधिनियमित करने की व्यवस्था की जा रही है।

हर गोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—१० एल० सी०—१९५३—८५०।

उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव कौंसिल

की

कार्यवाही

की

अनुक्रमणिका

खण्ड २८

प्रश्नोत्तर

'ब'

पी० एस० यू० पी०--१७ एल० सी०--१९५७--८०६ (प्रो०)